सप्तम माला खंड 1 अंक 1

बुधवार 2 दिसम्बर 1981

11 अग्रहायण 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 8 बुधवार, 2 दिसम्बर 1981/11 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1-20
*तारांकित प्रश्न संख्या	141,142, 144 और 145	1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर		21-179
तारांकित प्रश्न संख्या	143, 146-152,154-157,159 और 160	21-29
अतरांकित प्रश्न संख्या	1611 से 1666,1668 से 1698,1700 से 1709, 1711 से 1731, 1733 से 1777 और 1780 से 1843	30-180
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		180-186
राज्य सभा से संदेश		187
		187
गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंध समिति—		187
इक्कतीसवां प्रतिवेदन		187
केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित		187
नियम 377 के अधीन मामले :		187
(एक) 19/194 वाराणसी-महानगरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बुहरानपुर पर रोकने की आवश्यकता		187
श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर		187
(दो) देश में सहकारिता आंदोलन को गतिमान बनाने और उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल की शीघ्र स्थापना करने की आवश्यकता		187
श्री ऊषा वर्मा		188
(तीन) दिल्ली दूरदर्शन पर उड़िया और असमी भाषाओं के कार्यक्रमों को पर्याप्त समय की आवश्यकता		188
श्री रास बिहारी बहेरा		188
(चार) तमिलनाडु में कुटीर और लघु इकाइयों में बनने वाली दियासलाइयों पर उत्पाद-शुल्क घटाने की आवश्यकता		189
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्		189
(पांच) हिन्दुस्तान समाचार भारती के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल		189
श्री मनीराम बागड़ी		189
(छः) वी० बी० जे० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का प्रस्तावित पुनर्गठन		
श्री सोमनाथ चटर्जी		190
(सात) जिला सहारनपुर में यमुना नदी पर एक पुल के निर्माण की आवश्यकता		
श्री रसीद मसूद		191

किसी नाम पर अंकित यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था के बारे में प्रस्ताव—	191-329
श्री आर० वेंकटरामन	192
प्रो० मधु दण्डवते	192
श्री मोहन लाल सुखाड़िया	218
श्री सुनील मैत्रा	220
श्री जगन्नाथ राव	231
श्री बीजू पटनायक	233
श्री चन्द्रशेखर सिंह	242
श्री सी० टी० दण्डपाणि	247
श्री कमलनाथ	252
श्री बलि राम भगत	258
श्रीमती इन्दिरा गांधी	265
श्री एच० के० एल० भगत	265
श्री सतीश अग्रवाल	271
श्री एडुआर्डो फैलीरो	279
श्री इन्द्रजीत गुप्त	285
श्री वाई० एस० महाजन	293
श्री ए० नीललोहितदासन नाडार	297
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	300
श्रीमती जयन्ती पटनायक	305
श्री ए० के० राय	307
श्री चित्त बसु	309
श्री गुलाम रसूल कोचक	310
श्री चन्द्रजीत यादव	313
कार्यमंत्रणा समिति	330
बाईसवां प्रतिवेदन	330

लोक सभा

बुधवार, 2 दिसम्बर 1981/11 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महादय पीठासीन हुये]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं सदन को एक भूतपूर्व सहयोगी, श्री गनेशी लाल चौधरी, जो 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य थे, के दुःखद निधन की सूचना देता हूँ। बाद में वह 1957-67 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे। वह 1968-74 के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

एक अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्त्ता होने के नाते वह समाज के कमजोर वर्गों के हितसाधक थे और उन्होंने हरिजनों के कल्याण में विशेष रूचि ली। वह कुछ सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे।

एक सक्रिय सांसद होने के नाते वह लोक सभा की कार्यवाही में गहरी रूचि लेते थे।

उनका निधन 7 नवम्बर, 1981 को नई दिल्ली में हुआ। वह 60 वर्ष के थे।

हम इस मित्र की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

सभा शोक व्यक्त करने के लिये कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े रहे।

इसके पश्चात सदस्य कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए कर्मचारी-वृन्द

*141. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए इस समय क्या व्यवस्था है और उक्त निर्णयों का उल्लंघन करने की सूरत में संबंधित मंत्रालय तथा विभाग के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं ;

(ख) राजभाषा हिन्दी के प्रकाशनों व पत्र-पत्रिकाओं को अंग्रेजी प्रकाशनों ब पत्र-पत्रिकाओं के समान ही दर्जा देने और उसी के अनुसार कर्मचारी वृन्द देने के लिये क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की जा रही उन अंग्रेजी पत्रिकाओं की संख्या कितनी है जिन्हें अब भी हिन्दी पत्रिकाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा तथा अधिक कर्मचारी उपलब्ध हैं और हिन्दी प्रकाशनों के प्रति उक्त भेदभाव को दूर करने के लिये प्रकाशन विभाग को दिये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं, विशेषतः "आविष्कार" 'खेती" "कुरूक्षेत्र" "योजना" "भागीरथ" और विज्ञापन पत्रिका के सम्पादकीय कर्मचारी-वृन्द को यथायोग्य दर्जा तथा सुविधाएँ देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति संघ के सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में मार्गदर्शन और सलाह देने वाली सर्वोच्च समिति है। प्रधान मंत्री के अतिरिक्त नौ अन्य कैबिनेट स्तर के मंत्री तथा गृह विभाग के दोनों गृह राज्य मंत्री भी इस समिति के सदस्य हैं। अतः भारत सरकार के सभी मुख्य मंत्रालय अपने सबसे ऊंचे स्तर पर इस समिति में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दी तथा अहिन्दी प्रदेशों के कई मुख्य मंत्री भी इसके सदस्य रहते हैं। अतः स्पष्टतया ही यह समिति बहुत उच्च-स्तरीय है।

इस में विचारार्थ रखे जाने से पहले किसी भी विषय पर सभी सम्बन्धित मंत्रालयों से राय भी ले ली जाती है। समिति के निर्णय सर्व-सम्मिति से होते हैं और चूंकि संबंधित मंत्रालयों के मंत्री भी इन निर्णयों में सम्मिलित रहते हैं ; इसलिये इन निर्णयों के कार्यान्वयन करने में किसी भी मंत्रालय में कोई दिक्कत नहीं पड़ती।

केन्द्रीय हिन्दी समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की सीमक्षा राजभाषा विभाग द्वारा की जाती है और इस बारे में रिपोर्ट समिति की अगली बैठक में रखी जाती है।

(ख) राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने यहाँ से प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकीय स्टाफ की स्थिति की जांच करें और ऐसी व्यवस्था करे जिससे हिन्दी की पत्रिकाओं के लिए उतना स्टाफ अवश्य रखा जाए जितना समकक्ष अंग्रेजी की पत्रिका के लिए रखा गया है और उनका वेतन भी समकक्ष अंग्रेजी पत्रिकाओं के स्टाफ के वेतनमान के बराबर किया जाए।

(ग) और (घ) : सभी मंत्रालयों और विभागों से जानकारी एकत्र की जा रही है। और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, इस मुल्क को आजाद हुए आज 34 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हिन्दी आज तक न राष्ट्र भाषा, न राज भाषा और न सम्पर्क भाषा न पाई है और इसका बहतरीन उदाहरण आपको बस प्रश्न के उत्तर से मालूम होगा कि सरकार इसको कितना महत्व देती है। मैंने प्रश्न किया था-केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए इस समय क्या व्ययस्था है और उक्त निर्णयों का उल्लंघन करने की सूरत में संबंधित मंत्रालय तथा विभाग के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं ? मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा, मंत्री जी ने जवाब दिया है—प्रधान मंत्री इसकी अध्यक्षता करती हैं, अमुक-अमुक मंत्री हैं और अमुक स्टेट के लोग हैं, इसमें सदस्य का नाम और महत्व बताया है। लेकिन मैंने जो सवाल किया है, उसको इन्होंने छूआ तक नहीं है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हिन्दी को कितना महत्व देते हैं और इनके मन में कितनी इच्छा है वास्तव में हिन्दी को देश के पैमाने पर लागू करने की और राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा बनाने की। इस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या वे चाहते हैं कि इस मुल्क

में अन्ततोगत्वा राष्ट्र भाषा बनें ? यदि बनें, तो वह कब तक उन्होंने समय तय किया है कि इस समयतक राष्ट्र भाषा बनें ? जो स्थिति है, उससे लगता है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हनुमान के लंगूर की तरह बढ़ती जा रही है और मेरा विश्वास है कि वर्तमान भारत हिन्दी को राष्ट्र भाषा का स्तर नहीं दे पाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : हनुमान के लंगूर की तरह या हनुमान के पूँछ की तरह ?

श्री योगेन्द्र मकवाना अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में नाम इस लिए थे कि वे समझ सकें कि यह समिति कितनी महत्वपूर्ण है और उसका कितना बड़ा स्टेट है। प्रधान मंत्री इसकी अध्यक्षा हैं और नौ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और कई चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसके सदस्य। क्योंकि हमें जो काम लेना हैं, सब डिपार्टमेंनट से, उसमें मिनिस्ट्री इन्वाल्व होंगी तो काम अच्छे ढंग से हो सकता है। क्योंकि प्रधान मत्री इसकी अध्यक्षा हैं, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, हिन्दी इस देश की राष्ट्र भाषा है ···

श्री रामावतार शास्त्री : राजभाषा कहिये। देश की सभी भाषायें राष्ट्र भाषायें हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : जरा सोच-समझ कर कहिये, हिन्दी राज भाषा है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, गलती हो सकती है। मैं कोशिश करता हूं कि हिन्दी का जवाब हिन्दी में दूं।

अध्यक्ष महोदय : यादवजी के कथनानुसार इस प्रश्न पर जो भी प्रश्न होंगे वे हिन्दी में होंगे और उनके उत्तर भी हिन्दी में होंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, हमने जो पूछा है उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आपने मेरा पूरा जवाब नहीं सुना है, पहले मेरा जवाब सुनिये। मैंने अपने जवाब में सबसे पहले इस कमेटी की महत्ता बतलाई है और उसके बाद कहा है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि कम-से-कम समय में यह राष्ट्र भाषा···

श्री रामावतार शास्त्री : फिर आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह राज भाषा है, राष्ट्र भाषा नहीं है। हमारे यहां की तमाम भाषायें राष्ट्र भाषायें हैं, लेकिन हिन्दी आफिशियल लैंग्वेज है, राज भाषा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : राष्ट्र भाषाएं 16 हैं जैसा कि संविधान में उल्लिखित है।

श्री रामावतार शास्त्री : सभी भाषाएं समान हैं किन्तु हिन्दी राज भाषा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जहां तक राष्ट्रीय भाषाओं का सम्बन्ध है, तमिल और हिन्दी भाषाओं का दर्जा समान है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह हमारा प्रयास है कि इसे यथाशीघ्र सभी राज्यों में राजभाषा बनाया जाये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, हमारे सवाल को टाल दिया गया है,

अभी तक सही जवाब सवाल पूछने के बावजूद भी नहीं दिया गया है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं—हमने पूछा है कि केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए क्या व्यवस्था है और उक्त निर्णयों का उल्लंघन करने पर क्या कार्यवाही की जाती है ? इन्होंने नाम बतला दिये हैं कि अमुक-अमुक लोग इस समिति के सदस्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण समिति है, इतने उत्तर से काम नहीं चलेगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा है कि इस समिति के जो निर्णय हैं उनकी कोई अवमानना नहीं कर सकता । प्रधानमंत्री जी इसकी अध्यक्ष हैं और इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि जो भी निर्णय हों उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो ।

अध्यक्ष महोदय : जो नहीं करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है कि जहां निर्णय किया गया हो लेकिन अमल न हुआ हो ।

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसा हुआ है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : प्रश्न के (ख) भाग में मैंने पूछा है कि राजभाषा हिन्दी के प्रकाशनों व पत्र-पत्रिकाओं को अंग्रेजी प्रकाशनों व पत्र-पत्रिकाओं के समान ही दर्जा देने और उसी के अनुसार कर्मचारी-वृन्द देने के लिये क्या निर्णय किया गया है ? इसके जवाब में बतलाया है—जैसे (क) का जवाब दिया है वैसे ही (ख) में बतलाया है—अनुरोध किया गया है कि वे अपने यहां से प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकीय स्टाफ की स्थिति की जांच करें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हिन्दी की पत्रिकाओं के लिए उतना स्टाफ अवश्य रखा जाय जितना समकक्ष अंग्रेजी की पत्रिका के लिये रखा गया है और उनका वेतन भी समकक्ष अंग्रेजी पत्रिकाओं के स्टाफ के वेतनमान के बराबर किया जाय ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निर्देश कब दिया गया और उसको वास्तव में लागू किया गया है या नहीं, क्या इसको आपने देखा है ? मैं आपको उदाहरण दूंगा कि कहां-कहां यह अभी लागू नहीं हुआ है ।

मेरे प्रश्न के (ग) और (घ) भागों के उत्तर में ये कहते हैं कि सभी मंत्रालयों और विभागों से जानकारी एकत्र की जा रही है । (घ) भाग के उत्तर के लिये कहीं बाहर से सूचना मंगाने की जरूरत नहीं है, ये चाहें तो यही बतला सकते हैं । (घ) भाग में मैंने पूछा है—हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं, विशेषतः 'आविष्कार' 'खेती' 'कुरुक्षेत्र' 'योजना' 'भागीरथ' और विज्ञान पत्रिका के सम्पादकीय-वृन्द को यथा योग्य दर्जा तथा सुविधायें देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? इसके उत्तर में कह रहे हैं कि जानकारी एकत्र की जा रही है। 21 दिनों के बाद यह उत्तर आता है कि जानकारी मंगा रहे हैं । इससे कुछ पता नहीं चलता है कि कब तक मंगायेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने यह बताने की कोशिश की है कि जो केन्द्रीय हिन्दी समिति है, उसने दिसम्बर, 1977 में एक रेजोलूशन पास किया था और वह रेजोलूशन यह है :

वेतनमानों, पदनामों और सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाये ।

ये पूछ रहे हैं सर्विस कंडीशन्स और पे के बारे में। इनके बारे में यह है :

हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में विभिन्न पत्रिकाओं के सम्पादकीय विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-शर्तों और भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं में समान पदों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों में समानता लाने के लिए कार्यवाही की जाये। इस रेजोलूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर आफिशियल लैंगुएज कमेटी ने 16 फरवरी, 1978 को सब मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को लिखा और उसके बाद यह देखा गया है कि जहां-जहां एडीटोरियल स्टाफ और हिन्दी मेगजीन का जो स्टाफ है, उसकी पे वगैरह को इक्वेलाइज किया गया है। एक सब-कमेटी भी इसके लिए एपाइन्ट की गई थी जो यह देखे कि गेट-अप अच्छा हो, मेगजीन की क्वालिटी अच्छी हो, आरीजनल आर्टीकिल्स लिखें और ट्रान्सलेशन न हो। यह सब करने के बाद आज स्थिति यह है कि जिस हिन्दी मेगजीन का सर्कूलेशन इंगलिश मेगजीन जैसा है, उसमें जो स्टाफ है, उसका पे-स्केल आदि सब इक्वेलाइज किया गया है लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई एक मेगजीन एक जगह के लिए हो। मान लीजिए, मिसाल के तौर पर कोकोनट के बारे में कोई एक मेगजीन है। उसका एक रेसट्रिक्टेड एरिया है तो उसका सर्कुलेशन भी कम होगा। इसलिए उसका जो स्टाफ वगैरह होगा, उसकी पोजीशन उस तरीके की नहीं होगी जैसी और बड़ी मेगजीन की है। तो सबका एक सा नहीं हो सकता। कमपेरीजन जब हम करते हैं, तो कमपेरीजन दोनों इक्वुल मेगजीन के बारे में किया जाता है। एक इंगलिश की मेगजीन है, उसका जितना सर्कुलेशन है, उतना ही अगर हिन्दी मेगजीन का हो, तो उसके स्टाफ की सेलरी, पे आदि सब इक्वेलाइज की जाती हैं।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मकवाना साहब को कहां से यह जानकारी मिल गई, मुझको पता नहीं लेकिन मैं हाउस के फ्लोर में चेलेंज कर सकता हूं कि जो आफिशियल लैंगुएज एक्ट है, उसको सर्वप्रथम मंत्री जी पढ़ लें, दोनों मंत्री जी पढ़ लें। आफिशियल लैंगुएज एक्ट 1963 में बना था और इस एक्ट में यह कहा गया था कि देश की राज-भाषा हिन्दी रहेगी। और अंग्रेजी सहयोगी भाषा रहेगी। 1963 का यह कानून है और इस के मुताबिक यह कहा गया था कि हिन्दी की प्राप्ति के लिए सारी कार्यवाही की जायेगी। इसके सेक्शन 3 (3) में यह रखा है और निश्चित रूप से यह कर देना था जैसा कि रपट के सम्बन्ध में, जैसा नोटिस के सम्बन्ध में, टेन्डर के सम्बन्ध में कि ये सारे द्विभाषिक होने चाहिए लेकिन सिर्फ संसद रिपोर्ट को छोड़कर हिन्दुस्तान में कहीं भी जितने भी कागज-पत्र हैं, वे द्विभाषिक रूप में नहीं निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा शर्म की बात इस देश में यह है—यहां पर भारत की प्रधानमंत्री बैठी हुई हैं कि हिन्दुस्तान का जो संविधान है, उस हिन्दुस्तान के संविधान को हिन्दी में वैधानिकता प्राप्त नहीं है। आजादी के 34 वर्ष के बाद भी आज देश के संविधान को हिन्दी में, अपनी मातृभाषा में वैधानिकता प्राप्त नहीं हुई है। देश की अखण्डता की, नेशनल इंटेग्रेशन की बात कहते हैं। यह कितने शर्म की बात है। इसलिए सबसे पहले आपको यह बताना होगा, गृह मंत्री जी आप यह बताइए कि आजादी के 34 वर्ष के बाद भी संविधान को हिन्दी में अभी तक जो वैधानिकता प्राप्त नहीं हुई है, उसको आप कब तक वैधानिकता प्राप्त करायेंगे।

दूसरा मेरा कहना यह है। (बी) पार्ट यह है कि जिस विभाग में 80 पर सेन्ट···

एक माननीय सदस्य : (बी) नहीं, (ख)। ···(व्यवधान)···

श्री मनीराम बागड़ी : इस तरीके से मजाक न उड़ाइए। इस तरह से आप बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आप बीच में कहाँ से आ गये।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर (ख) की जगह (बी) कह दिया, तो क्या हुआ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इनको बोल लेने दीजिए।

श्री रामविलास पासवान : एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी के संविधान की संवैधानिक कापी कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि आफिशियल लैंगुएज एक्ट में व्यवस्था है कि जिस विभाग में 80 प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी जानते है उस विभाग में हिन्दी में काम करने में क्या कठिनाई है ? जिस विभाग में यह नहीं होता है क्या उस विभाग के लिए किसी दण्ड का आप प्रावधान कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह सवाल इस सवाल में से नहीं उठता है। यह सवाल हिन्दी की पब्लिकेशन के बारे में है और जो लोग पब्लिकेशन में लगे हुए हैं उनके बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है लेकिन प्रश्न एक यह भी है कि हमने पहले भी कई बार इस पर विचार किया है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी में भी संविधान का अनुवाद होना चाहिए। आगे भी कई बार यह प्रश्न आया है और इसका पूरा जवाब नहीं दे पाते हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए कि आप इसे कब तक करवा दोगे ? आप इसे करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं ? बहुत दिनों से यह प्रश्न चल रहा है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस सवाल का जवाब हम देंगे। लेकिन यह जो सवाल उठाया गया है उसमें से यह सवाल नहीं उठता है। इस सवाल का जो स्वरूप है उसमें यह फिट नहीं होता है। फिर भी हम जवाब जरूर देंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम उसको करवाएंगे। हम उसकी कोई फिक्सड डेट नहीं दे सकते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : आप क्या किसी बनिये के नौकर हैं ? क्या बात है ? आपको फिक्स्ड तारीख देनी चाहिए कि फलां तारीख तक यह हो जाएगा।

श्री रामविलास पासवान : इस सदन में भारत की प्रधानमंत्री बैठी हैं, इस देश का गृह मंत्री बैठा है और फिर इस देश को और सदन को अपने संविधान की कापी हिन्दी में उपलब्ध न हो, क्या यह बात अच्छी है ? हिन्दी के संविधान की कापी कब तक उपलब्ध हो जाएगी इसके बारे में आपका क्या जवाब है ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी चेअर से रूलिंग दी है कि यह गम्भीर मामला है। इसका जवाब आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठी हैं। पिछली दफा भी जब वे यहां बैठी

थीं तो उस वक्त भी तारीख नहीं बतायी गयी थी। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के जवाब देने का यह तरीका है ? यह कब तक आप करेंगे ?

श्री रामविलास पासवान : पिछली दफा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी पर कोई भाषा हम नहीं लादना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं लेकिन अंग्रेजी का संविधान है, हिन्दी का संविधान आप कब तक लाना चाहते हैं ? यह कब तक हो जाएगा ?

श्री जैल सिंह : मैं सहमत हूं कि यह होना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : प्रधानमंत्री जी बोलें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह कब तक होगा ?

श्री जैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के साथ यह जो सप्लीमेंट्री सवाल किये गये हैं ये बेशक असंगत हैं लेकिन आपके कहने से यह जरूरी है कि इस सवाल का जवाब दिया जाए। दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि जो चीजें हमारी यहां चलती हैं वे पहले हिन्दी में बनें फिर उनका अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए। यहां यह चलता है कि पहले चीज अंग्रेजी में बनती है फिर उसका हिन्दी में अनुवाद होता है। इसलिए हिन्दी का दर्जा कम रह जाता है। दूसरा सवाल यह है कि हमारा संविधान हिन्दी में भी मिलता है लेकिन जो अथेन्टिक माना जाता है वह अंग्रेजी का माना जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट इसको पास करे। जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करती तब तक यह नहीं हो सकता। हम कोशिश करेंगे कि इस कमी को पूरा करने का जल्दी से जल्दी उपाय किया जाए।

श्री रामविलास पासवान : आप इस सेशन में संशोधन लाएंगे क्या ?

श्री जैल सिंह : यह सवाल इतनी जल्दी हल नहीं होगा, क्योंकि सब विरोधी दलों से बात करनी होगी।

श्री रामविलास पासवान : सब तैयार हैं।

श्री जैल सिंह : सब प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों से बात करनी होगी और उसके बाद यह सारी कार्यवाही करेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल अधूरा जवाब है। प्रधानमंत्री जी चुप बैठी हैं। सभी दलों का समर्थन है, यह राष्ट्रीय प्रश्न है। **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान : इससे अधिक राष्ट्र महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया, ठीक है, बैठ जाइए।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि इस सवाल के लिए क्या हमको लड़ना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। सबका मत है तो ठीक होगा।

श्री मनीराम बागड़ी : इस सेशन में करवा देंगे, अगले सेशन में करवा देंगे—कुछ तो कहना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : हो जाएगा, आप बैठिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय हिन्दी समिति की इन्होंने चर्चा की, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि केन्द्रीय हिन्दी समिति की पिछली बैठक कब हुई, उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये और उन निर्णयों के इंप्लीमेंटेशन की क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : एक का जवाब पूछ लीलिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : तीनों सवाल एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए, इस वक्त उनके पास जानकारी नहीं है, आप सवाल कर लीजिए मैं जवाब दिलवा दूंगा ।

···(व्यवधान)···

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैं आपकी इस बात से···।

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब बैठिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : इसका मतलब यह है कि मैं सवालों के वक्त इस सदन को छोड़ कर चला जाऊं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा कुछ नहीं है ।

श्री मनीराम बागड़ी : मातृभाषा, राष्ट्रभाषा का प्रश्न है—अंग्रेजों की गुलाम भाषा···।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे ।

(तब श्री मनीराम बागड़ी सभा से उठकर बाहर चले गये)

राज्यों द्वारा केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल का तैनात किया जाना ।

*142. **श्री टी० आर० शमन्ना** :

श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये चालू वर्ष के दौरान अब तक केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल मंगाई है;

(ख) प्रत्येक राज्य ने कितनी बार उक्त बलों की तैनाती मांगी थी; और

(ग) राज्यों के अनुरोध पर भेजी गई टुकड़ियों का खर्च कौन वहन करेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) जिन राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां तैनात की जाती हैं उनसे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल की बटालियनों के निर्धारित व्यय (अर्थात वेतन, महगाई भत्ता इत्यादि) के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाता, परन्तु 1-4-1976 से राज्यों में बटालियनों के मूवमेंट और तैनातगी में हुआ अतिरिक्त खर्च (अर्थात यात्रा भत्ते, राशन, मोटर वाहन, पी० ओ० एल०, शस्त्र तथा गोला-बारूद, तम्बू, सिगनल उपकरणों के रखरखाव इत्यादि पर) राज्यों से वसूल किया जाता है। वसूली का अनुमान लगाने में सुविधा के लिए प्रति बटालियन समान दर से 12.00 लाख रुपये वार्षिक तथा बटालियनों के यातायात तथा मूवमेंट की वास्तविक लागत निर्धारित की गई है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय बलों के लिए कितनी बार मांग की गई
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	असम	2
3.	बिहार	11
4.	गुजरात	3
5.	जम्मू तथा कश्मीर	2
6.	केरल	2
7.	मध्य प्रदेश	6
8.	महाराष्ट्र	2
9.	कर्नाटक	11
10.	मेघालय	2
11.	उड़ीसा	2
12.	पंजाब	3
13.	राजस्थान	1
14.	पश्चिम बंगाल	1
15.	मणिपुर	3
16.	उत्तर प्रदेश	12
17.	नागालैंड	1
18.	त्रिपुरा	2

श्री टी० आर० शमन्ना : सैनिक बल मुख्य रूप से देश को बाहरी आक्रमणों से बचाने तथा गृह-युद्ध को, यदि कोई हो, कुचलने के लिए होता है। किन्तु हमारे सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग अतिरिक्त पुलिस के रूप में किया जाता है। क्या यह तथ्य नहीं है कि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को प्रायः समाज विरोधी तत्वों द्वारा हत्या

अथवा पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के पश्चात बहुमूल्य जीवन की हानि और सार्वजनिक सम्पत्ति के बड़े पैमाने पर स्पष्ट होने के बाद बुलाया जाता है ?

(एक) इससे पहले कि छात्र किसान या मजदूर हिंसक कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो जाये उनकी वैध मांगों को मानकर बड़े पैमाने पर की हानि, जीवन अनेक मामलों में निर्दोष की हानि, जीवन और सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि को रोकना क्या सम्भव नहीं है ?

(दो) अहिंसावादी तरीके से विरोध का प्रदर्शन करने वालों को अपने कष्टों को अभिव्यक्त करने और राहत प्राप्त करने का अवसर क्यों न दिया जाये ।

(तीन) आरम्भ में ही इससे निपटने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाये जाते ?

(चार) क्या सरकार देश में बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए राज्य सरकार की सहायता से प्रभावी कदम उठायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न पूछने का यह तरीका नहीं है । आप एक ही सीधा सादा अनुपूरक प्रश्न क्यों नहीं पूछते ? यह अनुपूरक प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है । मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता ।

श्री टी० आर० शमन्ना : सुरक्षा बल को एक अतिरिक्त बल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने हिंसा की अनुमति क्यों दी और आपने इसका आरम्भ में ही समाधान क्यों नहीं किया ? दूसरी बात यह है कि आपने आंदोलन आरम्भ होने से पहले ही प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाये । आन्दोलन आरम्भ होने पर क्या आरम्भ में ही कदम उठाकर जान और माल की हानि को रोका नहीं जा सकता अथवा उसे कम नहीं किया जा सकता और यदि कोई मांग उचित है तो इसके बजाय कि वे हिंसक तरीके अपनाने के लिए बाध्य हो जायें उनको अहिंसक तरीकों से विरोध प्रकट करने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ लिया है । इसके दो भाग हैं । एक तो यह है कि आन्दोलन अहिंसक क्यों नहीं होता । यह बात सरकार के हाथों में नहीं है । यह हम सब हम सभी राजनीतिक दलों के हाथ में है कि वे आन्दोलनकारियों को इस बात के लिए राजी करें कि वे हिंसा पर उतारू न हों और अपनी बात को शान्तिपूर्ण ढंग से कहें । उनके प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि सरकार आरम्भ में ही ऐसे कदम क्यों नहीं उठाती कि कोई आन्दोलन ही न हो । यदि समाज के किसी वर्ग से कोई अभ्यावेदन आता है तो सरकार यथासम्भव जनता की मांगों को मानने का प्रयास करती है किन्तु कभी कभी वे सन्तुष्ट नहीं होते और आन्दोलन आरम्भ कर देते हैं । अनेक बार ऐसा होता है कि बिना नोटिस दिये आन्दोलन आरम्भ कर देते हैं । अत: जब तक समाज सामूहिक रूप से सरकार के साथ सहयोग नहीं करता, यह सम्भव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चित्त बसु प्रश्न पूछेंगे ।

श्री टी० आर० शमन्ना : मेरा एक दूसरा अनुपूरक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप पाँच अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं ।

श्री चित्त बसु : इस विवरण से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 बार केन्द्रीय बल बुलाये ।

महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि वे ऐसे कौन से अवसर थे जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन बलों को बुलाया गया ? क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी जान सकता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में अर्थात् 22 नवम्बर को गढ़वाल में उप-चुनाव करवाने के लिए केन्द्रीय बलों को मंगाया था ? मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय बलों को मंगाया था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री चित्त बसु : हाँ, उसका इस प्रश्न से सम्बन्ध है वक्तव्य में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 बार केन्द्रीय बलों को मंगाया है । मेरा प्रश्न था वे कौन-से अवसर थे जब उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय बलों को बुलाया ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने गढ़वाल में उप-चुनाव करवाने के लिए नवम्बर के पहले सप्ताह में बलों को मंगाया था ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, अनेक अवसरों पर राज्य सरकार ने केन्द्रीय बलों को मंगाया यदि वे अनुभव करते हैं कि कोई आन्दोलन हो सकता है और उनकी पुलिस अन्य स्थानों पर लगाई गई है और वे पुलिस पर्याप्त नहीं है, तो उस मामले में वे केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय बलों को देने का अनुरोध करते हैं । वे केन्द्रीय सरकार से राज्य में किसी भी घटी घटना के लिए अथवा सम्भावित घटना के लिये केन्द्रीय बल मंगा सकते हैं । यह सच है कि उन्होंने नवम्बर के पहले सप्ताह में किन्हीं प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय बलों की माँग की थी ।

श्री चित्त बसु : वे उद्देश्य क्या थे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये केन्द्रीय बलों की मांग की थी । अत: उन्होंने नवम्बर, 1981 के पहले सप्ताह में केन्द्रीय बलों की मांग की थी किन्तु केन्द्रीय बलों के लिये अनुरोध करना अथवा उन्हें मंगाना । यह नहीं दर्शाता कि राज्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा अथवा वहाँ पर कानून और व्यवस्था की समस्याएं हैं क्योंकि त्रिपुरा के मामले में उन्हें लम्बे अरसे से तैनात किया गया है । वहाँ उन्हें लगातार तैनात किया जा रहा है ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एटा और मैनपुरी के डकैतों को इलीमिनेट करने के लिए वार्डर सिक्योरिटी फोर्स को बुलाया था । पहले भी और अब भी और अब भी देवली के बाद के बाद मैनपुरी में बुलाया था । कुछ दिन के लिए वार्डर सिक्योरिटी फोर्स एटा भेजी गई । एटा मेरी कांस्टीटुएन्सी है, थोड़े दिन के बाद वह फोर्स वापिस ले ली गयी । मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या वार्डर सिक्योरिटी फोर्स कोला एंड आर्डर मेन्टेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बुलाती है ? मगर प्राबलम को वगैर सोल्व किये हुए, बगैर खत्म किये हुए उस फोर्स को वापिस कर देने से प्रावलम और बढ़ती है ।

एटा और मैनपुरी में 16 वेल आर्म्ड, सौफिस्टीकेटेड आर्म्स रखने वाले गैंग हैं, जिन्होंने एटा और मैनपुरी के सारे जन-जीवन को तबाह और बर्बाद कर रखा है । पोजीशन यह है कि वहाँ की लोकल पुलिस और पी० ए० सी० फेल हो गई है । एक किलो मीटर पर गैंग पड़ा रहता है, वे वहीं के रहने वाले हैं, मेरी कांस्टीटुएन्सी है, वहीं एक किलोमीटर पर 75 आदमी पी०

ए० सी० के पड़े हैं, मगर पी० ए० सी० उस गैंग को फेल नही कर सकी। बार्डर सिक्योरिटी फोर्स को एटा और मैनपुरी में तब तक रखने की मेहरबानी करेंगे, जब तक यह बीमारी सिर से टल न जाये ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह सवाल ऐसा है जिसका मैं जवाब नही नहीं दे सकता, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो वह फोर्स मंगवाते हैं। जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वापिस भेज देते हैं। उसकी जरूरत कब कब तक की है वह मैं नहीं कह सकता। स्टेट गवर्नमेंट को जब लगा कि जरूरत पूरी हो गई तो उसने वापिस भेज दिया, जब लगा कि जरूरत है तो मंगवा लिया। एटा और मैनपुरी में ज्यादा जरूरत है तो वह स्टेट चीफ मिनिस्टर को कहकर ज्यादा समय रखे। हम तो दे देते हैं, वह क्या करते हैं, वह वे जाने।

श्री० जे० पी यादव : इंडियन एक्सप्रस में पहली नवम्बर, 1981 को एक समाचार था जिसमें कहा गया था :

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पढ़ क्यों रहे हैं ? आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री डी० पी० यादव : इसमें कहा गया है :

"सरकार यादवों को तंग कर रही है।" क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बलों को इस उद्देश्य से तैनात किया गया हैं कि एटा और मैनपुरी जिलों के यादव-जाति का नामोनिशां मिटा दिया जाये ? इस सम्बन्ध में सीमा सुरक्षा बल का योगदान क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है, मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। यह निराधार है। जब राज्य सरकार केन्द्रीय बलों को मांगती है तो यह किसी उद्देश्य के लिए होता है और वह इसी उद्देश्य के लिए उन्हें तैनात करती है।

अमरीका में भारतीय प्रतिभा का उपयोग

*144 **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 1981 के 'हिन्दू' में 'टेप इण्डियन टेलेंट इन यू० एस०' (अमरीका में भारतीय प्रतिभा का उपयोग) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो अमरीका और अन्य देशों में भारतीय समुदाय की व्यापक प्रतिभा का उपयोग किये जाने की क्या सम्भावना है,

(ग) प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों/डाक्टरों आदि की सेवाओं का इस प्रकार उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं अथवा करने का विचार है जिससे भारत का हित हो तथा उनकी अपनी आजीविका तथा अन्य व्यावसायिक दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और

(घ) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि लगभग आधा वर्जन उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों जैसे परमाणु विकास और 'माइक्रो-प्रोसेसर्स' का पता लगाया जा सकता है तथा उसके बाद

भारत में अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों का पैनल बनाया जा सकता है तथा भारत में उद्यम आरम्भ किए जा सकते हैं, यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं। अथवा उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवरण

बहुत बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकविद, इंजीनियर और डाक्टर संयुक्त राज्य अमरीका और विश्व के अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं, सरकार ऐसे तरीके से उनकी प्रतिभाओं का पूरा उपयोग करना चाहेगी जो कि उनके अन्य आभारों और उत्तरदायित्वों के अनुरूप संगत हो। बहरहाल, हमारे पास एक बहुत बड़ा अत्यधिक योग्य वैज्ञानिक समुदाय है जो कि राष्ट्रीय बिकास की समस्याओं पर कार्य कर रहा है। इसलिए प्रयास इस दिशा में किये जायेंगे कि विदेश में बस गये भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्ध सेवाओं के उपयुक्त उपयोग के माध्यम से देश में पहले से चल रहे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय को पुनः प्रबलित किया जाये। कई योजनाएं चलाई जा रही हैं या कार्यान्वियन के लिए उनका निरुपण किया जा रहा है। इनका सार इस प्रकार से है:—

(1) यू० एन० डी० पी० के सहयोग से 1980 से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के द्वारा एक विदेशों में बसे राष्ट्रकों के माध्यम से जानकारी का स्थानान्तरण' (टोटकन) योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन अत्युच्च योग्यता वाले भारतीय वैज्ञानिकों को इस आशय से आमंत्रित किया जाता है कि वे कुछ समय भारत में बिताएं जिसके अन्तर्गत उनको यात्रा का व्यय और उपयुक्त प्रतिदिवस भत्ता शामिल होता है।

(2) 'टोटकन' योजना से कुछ कुछ सदृश एक योजना का निरूपण किया गया है, लेकिन जिसका संचालन पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अधीन विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को भारत में इस आशय से आमंत्रित किया जायेगा कि वे इलेक्ट्रोनिकी, ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी आदि जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और उत्पादन और कार्यकरण में भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकों के साथ अपने ज्ञान, अनुभव और कुशलताओं को बटाएं।

(3) इलैक्ट्रानिकी विभाग की योजना है। विदेशों से भारतीय वैज्ञानिक इंजीनियरों की राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिकी अधिछात्रवृति" जिसके अधीन यहां उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशों में स्थित भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। हमारी उत्पादन और अनुसंधान और विकास एजेंसियों में सम्भावी नियोजकों को प्रदान करने के लिए विदेशों में प्रशिक्षित कार्यरत हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बारे में आंकड़ों का समाकलन किया जा रहा है।

(4) भारत सरकार ने विदेशों से वापस आने वाले भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना

के लिए पूंजीगत सामान/उपभोज्य वस्तुओं के आयात के बारे में आयात नीति के अधीन प्रोत्साहनों की व्यवस्था की है ।

श्री हरिनाथ मिश्र : सरकार के विवरण में ऐसी योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें बनाया जा रहा है अथवा जिन्हें अर्ध बनाया जाना है । मेरा प्रश्न संक्षिप्त था । यह भूतपूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सी० सुब्रहमण्यम् के समाचार पत्रों में जारी किये वक्तव्य पर आधारित था । उस व्यक्ति ने संयुक्त राज्य अमरीका में 5 सप्ताह के दौरे के बाद और प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिल्प वैज्ञानिकों से, जो अमरीका में बस गये है : विचार विमर्श करने के बाद कहा : आणविक विकास तथा माइक्रो-प्रोसेसर्ड जैसे आधे-दर्जन उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है । उसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी विदों के पेनल को भारत में अनुसंधान करने तथा उपक्रम शुरू करने संबंधी मूल्यांकन करने तथा मार्ग दर्शन देने के लिए कहा जा सकता है । सरकार की इस सुझाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : अध्यक्ष महोदय श्री सुब्रहमण्यम् ने यह वक्तव्य अक्टूबर के अंत में दिया है । माननीय सदस्य का यह कहना वास्तव में सही नहीं है कि भारत सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर रही है । जनवरी, 1980 में यू० एन० डी० पी० तथा सी० एल० आई० आर० के तत्वावधान में एक विस्तृत योजना शुरू की गई थिरू जिसे ट्रांसफर आफ नो-हाओ थू एक्सपेट्रीएट नेश्नल्ड, 'शंक्रिय' कहा जाता है । एक दूसरी योजना भी बनायी गयी और प्रधान मंत्री ने आदेश दिया कि सभी वैज्ञानिक विभागों को उस महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान देना चाहिए। जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय बाहर बसे ही नहीं हैं बल्कि वहां कई प्राथमिकता प्राप्त तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं । माईक्रो प्रोसोसेसर्ड, तथा आणविक द्रवड़ के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका है । 35 उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों की एक सूची है । इस महान सभा के सूचनाएं मैं उनमें से कुछ का जिक्र करना चाहूंगा यह सूचना उन भारतीयों से सम्बन्धित है जो वापिस आकर भारत में बसना चाहें :—

जीवसामग्री, जीव चिकित्सा इंजीनियरिंग, कोयला खनन, संभाव्य आदि, कोयला परिष्करण, इलेक्ट्रिक ओप्टीकल लिस्टम, व्यावसायिक श्रेणी के बिजली उपकरण, हाई वोलटेज टेकनोलोजी, माइक्रो-प्रोसेसर वेसड लिस्टम, गैर-परम्परागत ऊर्जा उपयोग, पाउडर धातु विज्ञान इत्यादि ।

डा० सुब्रहमण्यम् स्वामी : वैमानिकी का कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र सम्बन्धी इस निर्णय का वर्गीकरण विदेशों से प्राप्त उस जानकारी के अनुसार किया गया जिससे यह पता लगे कि किसी विशेष क्षेत्र में हमारे कितने भारतीय क्या कर रहे हैं । ये क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं । मेरे विचार में डा० सुब्रहमण्यम् स्वामी को इस बात की जानकारी है । जैसे कि उन्होंने कहा, सूची में दर्ज नामों में हमेशा वृद्धि हो सकती है। योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और विदेश स्थित दूतावास तथा वैज्ञानिक परामर्शदाता उनसे सम्पर्क बनाये रखेंगे...केवल वे ही हमें लिख सकते हैं...

श्री एन० डी० रेगा : हम उनसे सम्मपर्क भी स्थापित कर सकते हैं ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : प्रधान मंत्री ने यही निर्देश दिया था । उनके निर्देश पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में एक सेल खोला गया है । और हम इस सामग्री को अपने राष्ट्रीय केन्द्र में चाहते हैं जिसमें एक कम्पयूटर भी होगा । उसके बाद माननीय सदस्य के सुझाव को कार्यान्वित करना अपमान होगा ।

श्री हरिनाथ मिश्र : उत्तर के दौरान कहा गया है :—

"तथापि हमारे पास एक बहुत बड़ा और अत्यधिक योग्य वैज्ञानिक समुदाय है जो कि राष्ट्रीय विकास की समस्याओं पर कार्य कर रहा है ।"

बाद में यह भी कहा गया है कि विदेशों से प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपना योगदान तथा मार्गदर्शन देने के लिए आमंत्रित किया जायेगा । क्या सरकार विदेशों से प्रसिद्ध भारतीय प्रौद्योगिकीविदों और प्रतिभा-सम्पन्न वैज्ञानिकों को अन्य क्षेत्रों की कमियों को दूर करने हेतु बुलाने के लिए तैयार है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : जी हां, इसका उत्तर हां में है । लेकिन इस बारे में, मैं कुछ और सूचनाएं देना चाहता हूं जो इस प्रकार है कि इस देश में असंख्य वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद तथा इंजीनियर हैं । विदेशों में बसे इन प्रसिद्ध लोगों को आमंत्रित किया जाना इन लोगों की कीमत पर नहीं होना चाहिये और इससे देश के प्रमुख कार्मिकों के बीच निराशा नहीं फैलनी चाहिए चूंकि विभाग ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगा दिया है और 'टोकटन' योजना के अन्तर्गत किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक अथवा प्रौद्योगिकीविद् अथवा इंजीनियर से कोई प्रस्ताव आने पर पहले यह देखा जाता है कि क्या उसकी सूचना, उसके कागज और उसका भारत का दौरा उसके ज्ञान के प्रसार के लिए लाभदायक होगा ।

श्री जगदीश टाइटलर : मेरे प्रश्न का उत्तर आंशिक रूप से दिया गया है । मंत्री महोदय इस बात का स्पष्ट उत्तर दें कि सरकार विदेशों में बसे भारतीय तकनीकविदों की सेवाओं के उपयोग की प्रक्रिया में तालमेल लाने के लिए क्या एक कक्ष स्थापित किया जा रहा है और क्या इसके लिये विदेशों में बसे भारतीयों को भारत के हित में उच्च प्रौद्योगिकियों में पूंजी निवेश करने हेतु बाध्य करना उचित नहीं होगा ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : जी हां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में एक कक्ष स्थापित कर दिया गया है जो आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और सूचना प्राप्त होने के बाद यह देखेगा कि थोड़े समय के लिये भारत आकर इस सूचना को देने के लिये कितने लोग दिलचस्पी रखते हैं ।

जहां तक इन तकनीक विदों अथवा तकनीकी ज्ञान सम्पन्न लोगों द्वारा जो विदेशों में बसे हैं और भारत आना चाहेंगे, निवेश सम्बन्धी प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इसके बारे में पूरी तरह से कार्यवाही की जा रही है और यह कक्ष इस सिफारिश के साथ गठित किया गया है कि एक केन्द्रीय ग्रुप होना चाहिये जिसे कोई व्यक्ति विशेष अपना आवेदन पत्र दे सके । जैसे आप जानते हैं, विदेशों में बसे इन लोगों को भारत आने पर जमीन, पानी, बिजली और अब सीमेंट की उपलब्धता जैसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः हमें इन लोगों के लिए उस देश को छोड़ने से पहले जहां वे रहते थे, पैकेज प्रोत्साहन कार्यक्रम देना पड़ेगा ताकि उन्हें बार-बार भारत न आना पड़े । उसी देश में, जहां वह रहता है, भारत आने से पहले पैकेज प्रोत्सा-

हन योजना देनी पड़ती है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस विषय पर देश चिंतित है और मैं समझता हूं प्रधान मंत्री ने भी वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों और इंजीनियरों की सहायता करने की इच्छा प्रकट की है । ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशों में मिल रहे वेतनों तथा प्रोत्साहनों के भारी अंतर के कारण उनमें से कई लोगों को यहां आकर बसने के लिये राजी नहीं किया जा रहा है । अब जैसा कि वक्तव्य से मालूम होता है इन लोगों को कुछ समय के लिये आमंत्रित करने की नई योजनाएं बनायी जा रही हैं ।

मैं जानता हूं कि योजना कब से लागू की गयी और इन योजनाओं के अनुसार कितनी बार कितने वैज्ञानिकों अथवा तकनीकविदों को भारत आने के लिये आमंत्रित किया गया और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं 'टोकटन' योजना 1980 के शुरू में चालू की गयी ।

दूसरी योजना के अन्तर्गत, प्रधान मंत्री के आदेश पर एक सेल बनाया गया और दो बैठकें हो चुकी हैं। विदेशों में रह रहे हमारे वैज्ञानिक कार्मिकों सम्बन्धी सूचना के प्राप्त होने के बाद हम इस योजना के अनुसार चल सकेंगे ।

'टोकटन' योजना के अन्तर्गत, हमें अब तक कई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 18 व्यक्ति देश का दौरा कर चुके हैं । 19 और बाकी हैं जिनके बारे में क्या हो रहा है और हम इन तकनीकी-विदों को आगामी वर्ष तक आमंत्रितकरने की आशा रखते हैं ।

इस सम्बन्ध में, मैं एक और बात कहना चाहूंगा । माननीय सदस्य ने भारत में दिये जा रहे वेतनों और सुविधाओं के बारे में एक उचित प्रश्न उठाया है । लेकिन यह बात गर्व की है कि उच्च योग्यता से सम्पन्न हमारे वैज्ञानिक कार्मिक विदेशों को केवल वेतन, जो भारत से सौ गुना अधिक हो सकता है, के ही लिये नहीं जाते ।

श्री रघुनंदन लाल भारतीय : संयुक्त राज्य अमरीका में बहुत बड़ी संख्या में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। मुझे बताया गय ाहै कि केवल एक ही कारखाने में 2200 वैज्ञानिकों में से 180 भारतीय हैं। मुझे यह जानकर बहुत गर्व हुआ कि इतने भारतीय वहां हैं । लेकिन हम चाहते हैं कि वे इस देश में वापिस आयें ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस मामले पर विचार किया है और सरकार ने यह जानने के लिये इस पर ध्यान दिया है कि संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा का पलायन हुआ है और क्या उन शर्तों पर विचार किया गया है जिन पर वे इस देश में काम करने के लिए तैयार हैं ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : जहां तक प्रतिभा पलायन का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य उस बात को जानते हैं कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां अभी तक हमारे पास अनुसंधान के लिये बुनियादी ढांचा नहीं है और हम उतना वेतन भी नहीं दे सकते जितना पश्चिमी देशों में दिये जाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : इससे पहले दिये गये वक्तव्य का खंडन होता है ।

श्री सी० पी एन० सिंह : यह वास्तव में परस्पर विरोधी नहीं है । जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे भी व्यक्ति हैं और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो देशभक्त है और इस किस्म के लोग भारत में बहुत हैं। यही कारण है कि भारत के वैज्ञानिक कार्मिकों ने देश को नहीं छोड़ा । माननीय सदस्य ने संयुक्त राज्य अमरीका का जिक्र किया है । (इलैक्ट्रानिक्स क्षेत्र में सेत जोख तथा सिलकिन वैली ने सक्रिय रूप से भारतीयों के साथ सिलकिन उत्पादन करने वाली कई कम्पनियों में काम किया जो निस्संदेह भारत की एक और उपबब्धि है) । लेकिन जब भी यह बुनियादी ढांचा हमारे पास होगा और भारत अपने आधार ढांचे का विस्तार करेगा तो इनमें से बहुत भारतीय वापिस आयेंगे । लेकित इस समय हम उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक ही सीमित रहेंगे जो देश के विकास तथा जन साधारण के लिये अनिवार्य है ।

प्रधानमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : क्या एक बात मैं भी जोड़ सकती हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

प्रधानमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मंत्री महोदय के वक्तव्य में कोई विरोधाभास नही है । विरोधाभास तो मनुष्य के स्वभाव में है क्योंकि लोग दोनों प्रकार के होते हैं । कुछ लोग धन कमाने के उद्देश्य से विदेश जाते हैं और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छी नौकरी मिल गई है और काफी धन कमा चुकने के पश्चात् अब वे अपने देश के प्रति देशभक्ति का कर्त्तव्य पूरा करने के लिए उत्सुक हैं ।

परन्तु इसका दूसरा पक्ष यह भी सही है कि इन देशों में से कुछ देशों में ऐसी अति-आधुनिक इकाइयां हैं जो—रहन-सहन और सुख-सुविधा सम्बन्धी सुविधायें नहीं—वास्तव में विज्ञान सम्बन्धी और आधुनिकतम ऐसी सुविधायें उपलब्ध करा सकती हैं जो हमारे पास नहीं हैं और सम्भवत: एक लम्बे समय तक न भी हों । अत: जहां हम यह नहीं चाहते कि हमारे वैज्ञानिक वापस आएं, वहीं हम यह भी अनुभव करते हैं कि विदेशों में काम करने का अनुभव उनके लिए बहुत ही उपयोगी है और हमारे लिए गर्व का विषय है ।

तारापुर संयंत्र के लिये फ्रांस से यूरेनियम

*145. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** :

श्री के० पी० सिंह देव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए फ्रांस से यूरेनियम प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांस सरकार इसकी सप्लाई करने को तैयार हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत और फ्रांस के बीच इस संबंध में क्या समझौता हुआ है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न उठते ही नहीं ।

श्री के० पी० सिंह देव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि पोखरन में 1974

में किए गए विस्फोट से भारत की प्रतिष्ठा बाहर निश्चित रूप से बढ़ी है परन्तु साथ ही हमें बड़ी शक्तियों का कोपभाजन भी बनना पड़ा है और इसी वजह से भारत को यूरेनियम मिलने में विलम्ब हो रहा है ? क्या यह भी सच नहीं है कि परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा आयोग ने एक अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि मार्च, 1974 में चार सप्ताह के विलम्ब से लेकर सितम्बर, 1978 में 10, 14 सप्ताहों तक का विलम्ब हुआ है ?

मैं परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए अध्ययन की मुख्य बातों को जानना चाहता हूं मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रीगन प्रशासन द्वारा उत्पन्न की जा रही अनिश्चितता की स्थिति तथा 1976 के सिमिन्गटन करार के उल्लंघन को, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पर आणविक शस्त्रों के कार्यक्रम चलाने वाले देशों को आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के बारे में रोक लगाई है और जिसमें पाकिस्तान और ब्राजील को अपवाद रखा गया है, देखते हुए क्या सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए गए करार को समाप्त करने पर विचार कर रही है अथवा उसे समाप्त करने का निर्णय कर लिया है ताकि हम अन्य स्रोतों से यूरेनियम प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगा सकें ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय सदस्य ने अपने अनुपूरक प्रश्न में अमेरिका सरकार द्वारा किए गए विलम्ब को देखते हुए परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम के बारे में पूछा है । इस बात का संसद में कई बार उत्तर दिया जा चुका है । 1978 में अमेरिका में बनाये गये कानून के बाद, जिसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर कड़ा और पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहता था, ने यह महसूस किया कि उनके कानून के ढाँचे के अन्तर्गत उनके लिए हमें समृद्ध यूरेनियम भेजना सम्भव नहीं होगा । परन्तु राष्ट्रपति कार्टर ने दो खेपों को मंजूरी दी, जिसमें से एक यहाँ पहुँची । बाद में जैसा कि सभा को ज्ञात है, हमने अमेरिका और दिल्ली में कई बैठकें की हैं और विभिन्न करारों या इन चर्चाओं के आधार पर उनके द्वारा जब भी जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे संसद को अवगत करा दिया जाएगा ।

माननीय सदस्य द्वारा इस संयंत्र के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई से सम्बन्धित प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं केवल यह कह सकता हूं कि जब तक अमेरिका के साथ 1963 की सन्धि मौजूद है तब तक हम अन्य किसी स्रोत से समृद्ध यूरेनियम प्राप्त नहीं कर सकते ।

श्री के० पी० सिंह देव : मेरा प्रश्न करार को रद्द करने के बारे में था, जिसका उत्तर नहीं दिया गया है । इसके स्पष्ट उत्तर के बिना मेरा दूसरा प्रश्न बनता ही नहीं ।...

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पिछले मार्च में माननीय मंत्री महोदय ने इस सन्धि की अन्त्येष्टि करने का वायदा किया था । (व्यवधान)

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैंने अभी बताया है और माननीय सदस्य की सूचना हेतु मैं उसे दोहरा देता हूं कि हमारी सन्धि है, इसलिए बैठकें तो होनी ही थीं और वे बैठकें संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई हैं और अन्तिम बैठक अभी पिछले महीने ही हुई है । इस बैठक के बाद विदेश मंत्री ने दोनों सदनों में इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था । संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ की

गई सन्धि को हम नहीं तोड़ रहे हैं, परन्तु यदि अमेरिका इसे तोड़ देता है तभी हम किसी अन्य देश के पास जा सकते हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : विद्यमान अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए, आणविक अवशेष को पुनः संसाधित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ? अन्यथा इससे पर्यावरण सम्बन्धी संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्या हम अपनी प्लूटोनियम प्रौद्योगिकी तथा देश में छड़ें बनाने की प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं।

श्री सी० पी० एन० सिंह : जैसा कि मैंने पहले कहा है, जब तक भविष्य की सप्लाई के बारे में निर्णय नहीं ले लिया जाता वास्तव में तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। परन्तु जैसा कि सभा में पहले कहा जा चुका है हमारे पास तारापुर संयंत्र को प्रयुक्त ईंधन के द्वारा चालू रखने का वैकल्पिक तरीका है। मुझे विश्वास है कि यह सम्मानित सभा केवल इसी कारण से इस प्रश्न पर जोर नहीं देगी कि भारत सरकार ने जो भी सन्धि की है उसके बारे में हमने कभी भी किसी देश को अपने विरुद्ध बोलने का कोई कारण उत्पन्न होने नहीं दिया। हमने यह भी कहा है कि इस संयंत्र विशेष को चालू रखने का हमारे पास वैकल्पिक तरीका है। जब यह सरकार कोई निर्णय ले लेगी तो सभा देखेगी कि तारापुर संयंत्र फिर भी चालू रहेगा···।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं नहीं जानता कि इसमें तालियां पीटने की क्या बात है। वे सम्भवतः इसलिए तालियाँ पीट रहे हैं कि मैं खड़ा हूं।

महोदय मुझे यह देखकर अचम्भा हो रहा है कि सरकार ने इस मामले में अमेरिका के साथ इस प्रकार की घुटने टेकने वाली नीति अपनाई है। क्या यह सच है—मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—कि तारापुर सन्धि को रद्द करने के बारे में समस्या यह है कि अमेरिका अभी भी प्रयुक्त ईंधन जो कि यूरेनियम के न आने की स्थिति में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, के उपयोग या निपटान के बारे में अपने अधिकार पर जोर दे रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बारे में उनसे वार्ता कर रहे हैं ? क्या माननीय मंत्री महोदय इस सभा को यह आश्वासन देंगे कि इस सन्धि के रद्द हो जाने के बाद भी सरकार प्रयुक्त ईंधन पर अमेरिकी पर्यवेक्षण रखे जाने के बारे में सहमत नहीं होगी।

श्री सी० पी० एन० सिंह : सदस्य महोदय के प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में मैं एक बात, जो भारतीय लोगों के दिलों और दिमाग में हैं, पूर्ण निष्ठा और निश्चय से कहूंगा। भारत सरकार वर्तमान नेतृत्व के अधीन कभी किसी देश के किसी दबाव में नहीं आई है···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इसे रद्द क्यों नहीं कर रहे ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : परन्तु हम उस सन्धि को तब तक रद्द नहीं करते जब तक उस सन्धि में ऐसा कुछ न हो जो हमारे देश के लोगों को हानि पहुँचाने वाला हो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने प्रयुक्त ईंधन के बारे में पूछा था। पहला भाग तो मेरी टिप्पणी थी। मुझे उसका कोई उत्तर नहीं चाहिए था। जहाँ तक इस मामले का सम्बन्ध है सरकार घुटने टेकने वाली नीति अपना रही है। हम प्रयुक्त ईंधन का क्या करने जा रहे हैं ?

क्या आप यह आश्वासन देंगे कि प्रयुक्त ईंधन के मामले में आप अमेरिका को बोलने का कोई अधिकार नहीं देंगे ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : हमारी नीति के बारे में किसी भी देश को बोलने का अधिकार नहीं होगा । जो कुछ भी निर्णय होना है, वह उन बैठकों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात् होगा ।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मेरे विचार में मंत्री महोदय ने यह कह कर बात स्पष्ट कर दी है कि हम अपने देश में जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें किसी देश को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होगा । निर्णय लेना पूर्णतया हम पर निर्भर करता है । मेरे विचार में उन्होंने बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अभी भी स्पष्ट नहीं है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरे विचार में डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के लिए दूसरी बार तालियां बजाई जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है···

(व्यवधान)

उनमें यह परिवर्तन अच्छे कार्य के लिए हुआ है ।

महोदय, मेरे विचार में मूल प्रश्न यह था क्या प्रधानमंत्री ने फ्रांस सरकार से यूरेनियम प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था । मेरे विचार में उन्होंने इस सन्धि तथा अन्य बातों के कारण प्रयास नहीं किया था । वह निश्चयपूर्वक कह सकती है कि क्या पिछले दो महीनों के दौरान उन्होंने इसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया था । कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत की साख और सूझ-बूझ की सराहना की गई है । मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री ने मौन क्यों धारण कर रखा है । वास्तव में सभा को कभी न कभी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उन के अनुभव तथा महत्वपूर्ण दौरों के विषय में उनसे जानकारी मिलनी चाहिए। हम केवल समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं परन्तु मेरे विचार में यदि प्रधानमंत्री वक्तव्य दें तो उचित रहेगा । इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है परन्तु मैं इसके बारे में प्रश्न पूछता हूं ।

(व्यवधान)

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी बात नहीं है कि सन्धि हम नहीं, बल्कि अमरीकी रद्द कर रहे हैं । क्या सरकार कम से कम कोई समय सीमा निर्धारित करेगी जिससे कि यदि वे सन्धि रद्द करना चाहें और कर भी दें तो वे भारत को अन्य देशों के पास जाने अथवा अन्य प्रयास करने से न रोक सकें । क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अब भी हमें रोकने का कोई प्रश्न नहीं है । वे हमें अब या बाद में भी रोक नहीं सकते ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आदिवासी क्षेत्रों के लिये उपजोजना हेतु नियतन

*143. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के लिये आदिवासी क्षेत्रों के लिये उपयोजना हेतु राज्यों और केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि नियत की गई तथा राज्यवार कितनी राशि का उपयोग किया गया ;

(ख) राज्यों तथा केन्द्र द्वारा वर्ष 1981-82 के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ग) राज्यों को उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) आदिवासी लोगों के शोषण को अब तक कहां तक दूर किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) तक-अपेक्षित सूचना के विवरण 1 और 2 सदन के पटल पर रखे जाते हैं।

(घ) शोषण समाप्त करना एक लगातार प्रयास है। शोषण समाप्त करने के लिए किये गये विभिन्न उपाय **विवरण-3** में दिये गये हैं जो सदन के पटल पर रखा जाता है। परन्तु यह पता लगाना कठिन है कि शोषण कहां तक समाप्त हो गया है।

(मंत्रालय में रखे गए। देखिये संख्या 2 एल० टी० 2995/81)

गृह मंत्री द्वारा तिहाड़ जेल का दौरा

*146. **श्री चतुर्भुज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 दिसम्बर, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में 'माकरी आफ जस्टिस" (न्याय की हंसी उड़ाना) शीर्षक के अन्तर्गत छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली की तिहाड़ जेल में होने वाली बहुत सी अनियमितताओं का, जो गृह मंत्री द्वारा अचानक वहां का दौरा करने के परिणामस्वरूप प्रकट हुई हैं, उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गृह मंत्री के द्वारा तिहाड़ जेल के दौरे के बारे में तथ्य क्या हैं और उस बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत सरकार को तारीख 20-9-81 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "माकरी आफ जस्टिस" शीर्ष से छपे लेख की जानकारी है। गृह मंत्री ने उप-राज्यपाल और कुछ अन्य अधिकारियों के साथ 1-9-81 को सायं लगभग 7 बजे केन्द्रीय जेल, तिहाड़ नई दिल्ली का दौरा किया था। उनके दौरे के दौरान कुछ कमियां ध्यान में आयी थीं और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में लापरवाह या शिथिल पाये गए अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाही शुरू की गयी है। तिहाड़ जेल के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय भी किए गए हैं। इस संबंध में उठाए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :-

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में एक पूरकालिक उप महानिरीक्षक

(जेल) के पद का सृजन किया गया है। उप महानिरीक्षक (जेल) का कार्यालय तिहाड़ जेल के परिसर में स्थित है।

(2) भूतपूर्व अधीक्षक और दो उप अधीक्षकों को उनके मूल राज्यों को भेज दिया गया है दिल्ली अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा के एक अधिकारी को तिहाड़ जेल के अधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है।

(3) मुलाकात की प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाया गया है।

(4) वार्डरों/मुख्य वार्डरों की ड्यूटियां/जल्दी जल्दी बदली जाती हैं ताकि स्वार्थी हितों को टाला जा सके।

(5) कैदियों को साप्ताहिक परेड और वार्डरों की परेड नियमित रूप से की जाती है।

सौर तापीय उपकरण :

*147. **श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रोद्यौगिकी विभाग ने सौर तापीय उपकरणों का उपयोग करने के लिए, जो पेट्रोलियम उत्पादों द्वारा पूरी की जा रही वर्तमान ऊर्जा की कुछ आवश्यकताओं का यथा समय स्थान लेंगे, कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां उपकरणों का उपयोग किया जाएगा और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) : जी हां।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवरण

अनुसंधान और विकास प्रयासों से पता चला है कि सौर तापीय उर्जा को कई अनुप्रयोगों यथा खाना पकाने, विलवणीकरण, जल तापन, शुष्कन प्रशीतन, स्थान तापन और शीतन विद्युत उत्पादन, पम्पन आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ सौर तापीय युक्तियों और प्रणालियों के बारे में देश में की गई प्रगति इस प्रकार है :—

1. **सौर जल तापक** : विभिन्न प्रकार के सौर संग्राहकों, जो कि घरेलू (60-65°C) और औद्योगिक (90-95°C) के लिए जल तापन में सक्षम है, का देश में विकास किया गया है। बहुत से औद्योगिक यूनिटों ने पहले से ही सौर संग्राहकों और जल तापन प्रणालियों का विनिर्माण आरम्भ कर दिया है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा आरम्भ किये गये प्रदर्शन कार्यक्रम के अधीन होटलों, अतिथि गृहों, अस्पतालों, कैन्टीनों, डेरियों, टैक्स्टाइल मिलों, बेकरियों और आसवनशालाओं आदि में कई जल तापन प्रणालियों की प्रतिष्ठापना की गई है। ये प्रणालियां संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं।

2. **सौर कुकर** : तीन प्रकार के सौर कुकरों, नामतः गर्म बक्सा टाइप, भट्टी टाइप और

संकेन्द्रक टाइप, का विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थाओं द्वारा विकास किया गया है। अब इन कुकरों को लोकप्रिय बनाने और बड़ी मात्रा में उत्पादन के प्रयास किये जा रहे हैं।

3. **सौर शुष्कक और भट्टे :** खाद्यानों, फलों, सब्जियों और लकड़ी जैसे विभिन्न क्षेत्र उत्पादों के शुष्कन के लिए उपयुक्त सौर वायु तापन प्रणालियों का देश में विकास किया गया है। इन प्रणालियों की बहुत बड़ी संख्या सी० ए० एस० ई० की प्रदर्शन योजना के अधीन प्रतिष्ठापित की गई है। ऐसी युक्तियों की तकनीकी सुसाध्यता प्रमाणित की जा चुकी है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जानकारी तैयार है।

4. **सौर भट्टियां :** खारे पानी को पेय जल में परिवर्तित करने के लिए सौर भट्टियों का देश में विकास किया गया है। गुजरात में एक गांव में 5000 लीटर शुद्ध जल प्रतिदिन उत्पन्न करने वाला एक संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया है और इसे पिछले दो सालों से गांव वालों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी प्रणालियों की तकनीकी सुसाध्यता प्रमाणित हो चुकी है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जानकारी तैयार है।

5. **सौर प्रशीतन और शीत संग्रहागार :** सौर तापीय ऊर्जा पर कार्य करने वाले प्रशीतन और शीत संग्रहागार प्रणालियों का कई अनुसंधान और विकास संगठनों द्वारा विकास किया गया है। अब तक 1/2 से एक टन की क्षमता की प्रणालियों की इन संगठनों द्वारा स्थापना की गई है और इनका कार्य निष्पादन मूल्यांकन किया जा रहा है। 50°C पर या इससे कम तापमान पर 200 टन आलू के बीजों का भण्डार करने की क्षमता वाले 10 टन के शीत संग्रहागार संयंत्र की प्रतिष्ठापना उत्तर प्रदेश में एक आलू के बीज के खेत में की जा रही है।

6. **अन्य सौर तापीय युक्तियां :** सौर तालों, सौर वायु अनुकूलन प्राणियों, सिंचाई पम्पों आदि के विकास के लिए भी कार्य किया जा रहा है। सौर स्थान तापन प्रणालियां तो पहले से ही कुछ स्थानों पर चालू हैं। इस दृष्टि से कार्य किया जा रहा है कि ऐसे मकान बनाए जाएं जिनमें अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सके और इस प्रकार के वातानुकूलन पर भार कम किया जा सके। औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए भाप तैयार करने के लिए सौर संकेन्द्रकों का विकास करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। एक प्रायोगिक 10 किलोवाट विद्युत संयंत्र की मद्रास में प्रतिष्ठापना की गई है।

7. **सौर पम्पिंग :** सौर फोटो वोल्टीय पम्पों को भी विकसित किया जा चुका है और जो कार्य कर रहे हैं। कुछ गावों तथा अन्य स्थलों पर बड़ी संख्या में क्षेत्र परीक्षण प्रदर्शन को प्रतिष्ठापित किया जा रहा है।

एम० ई० एस०, मिलिट्री फार्मों, ए० एस० सी० डिपुओं के कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस

*148. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम०ई०एस० मिलिट्री फार्मो, ए०एस०सी० डिपुओं तथा सेना मुख्यालयों के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस न दिये जाने के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ख) क्या आयुध डिपुओं ई०एम०ई० वर्कशापों, वायु सेना/थल सेना डिपुओं और वर्कशापों के कर्मचारियों को जिन्हें 15 दिन के बोनस का भुगतान किया गया है 26 दिन का बोनस दिए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) इन कर्मचारियों को उत्पादन से सम्बद्ध बोनस योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है क्योंकि सरकार इस समय इस योजना को आम सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं करना चाहती है।

(ख) नौ सेना गोदी/मरम्मत संगठन तथा सहायक यूनिटों, आर्डनेंस सेवाओं के निदेशालय, ई० एम० ई० निदेशालय के अधीन स्थैतिक किस्म की वर्कशापों, और वायुसेना डिपो/मरम्मत प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे जिन सिविलियन कर्मचारियों को उपयुक्त बोनस फार्मूला तैयार होने तक तदर्थ आधार पर 15 दिनों का वेतन दिया गया है, उन्हें फार्मूला के अनुसार स्वीकार्य सीमा तक बोनस दिया जायेगा।

टेलीविजन का निर्माण करने वाले एकक

*149. **श्री निहाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में टेलीविजन का निर्माण करने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक में कितना धन लगा हुआ है;

(ख) क्या विदेशों में टेलीविजन सेटों की मांग को ध्यान में रखकर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और एकत्र होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तथा (ग) संघटक-पुर्जों के उत्पादन को सुदृढ़ करने तथा उसका विस्तार करने सहित टेलीविजन उद्योग के लिए जरूरी निवेश उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

"दिल्ली सेन्टर आफ इलिसिट आर्मस ट्रेड" शीर्षक समाचार

*150. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित 27 अक्तूबर 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "दिल्ली सेन्टर आफ इलिसिट आर्मस ट्रेड" (दिल्ली अवैध हथियारों के व्यापार का केन्द्र) शीर्षक समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है जिससे दिल्ली में अवैध हथियारों का व्यापार होने का पता लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समाचार की सत्यता की जांच करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे कितने केन्द्रों का पता लगाया गया और इन्हें समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) विगत हाल में सरकार के ध्यान में 3 मामले आये हैं। इन मामलों के ब्यौरे और उनके सम्बन्ध में की गई कार्रवाई सदन के पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	मामले के ब्यौरे	की गई कार्रवाई
1.	नेशनल राईफल्स एसोसिएशन आफ इंडिया के कुछ कर्मचारी आगरे के एक व्यक्ति मोहम्मद उमर फारूक के माध्यम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के समाज विरोधी तत्वों को अनधिकृत रूप से गोला बारूद बेचते हुए पाये गये थे।	नेशनल राईफल्स एसोसिएशन आफ इंडिया के कर्मचारियों के मकानों पर छापा मारा गया था। तलाशी के दौरान कर्मचारियों के मकानों से आनधिकृत गोला बारूद बरामद किया गया था। छापे के परिणामस्वरूप सर्वश्री आर० डी० वधवा, वी०के० भाटिया और जी०एस०सेनी को गिरफ्तार किया गया था और इनके चालान किए गए थे। शस्त्र अधिनियम के अधीन उनके विरुद्ध मामले दर्ज कर लिए गए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ साथ ही आगरा में मोहम्मद उमर फारूक के मकान पर छापा मारा गया जिसके परिणामस्वरूप गोलाबारूद की छोटी फैक्ट्री का पता लगा। उसको तुरन्त गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के दौरान, यह भी मालूम हुआ कि एन०आर०ए०आई० के कुछ पदाधिकारी भी त्रि-नगर दिल्ली के निवासी एक व्यक्तिश्री अजय कुमार गुप्ता के माध्यम से आवांछनीय तत्वों को अनधिकृत रूप से गोला बारूद बेचते हैं। उसको गिरफ्तार किया गया और चालान किया गया। एन आर ए आई के सचिव कर्नल जसवंत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और चालान किया गया। शस्त्र अधिनियम के अधीन उनके विरुद्ध मामले दर्ज कर लिए गए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है।

1	2	3
2.	सदर बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति श्री अजब किशोर को एल० जी० और अन्य कारतूस बनाते हुए पाया गया। वह उन कारतूसों को मैसर्स शक्ति गन हाउस और मैसर्स एस० एन० कोहली एण्ड संस के माध्यम से बेच रहा था।	शस्त्र अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। जांच पड़ताल के दौरान सदर बाजार में श्री अजब किशोर के मकान से कारतूस बनाने की मशीनें बरामद की गईं। इसके अतिरिक्त श्री अजब किशोर ने बताया कि मैं कारतूस बनाने के लिए मशीनें और सामग्री सदर बाजार, बड़ा हिंदूराव तथा ओरिजनल रोड से प्राप्त करता था। इन तीनों स्थानों पर छापे मारे गए और उनके परिणामस्वरूप कारतूस बनाने के लिए अर्धनिर्मित वस्तुएं बरामद की गईं श्री अजबकिशोर और श्री अजबकिशोर की पत्नी श्रीमती कान्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला न्यायालय में विचारणाधीन है।
3.	उत्तरी दिल्ली क्षेत्र में पुलिस दल द्वारा मारे गये एक छापे में बजीरपुर गांव के निवासी एक व्यक्ति श्री मोतीराम को गिरफ्तार किया गया था जिसके पास .12 बोर का एक देशी पिस्तौल था।	उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई हथियार बेचे थे। मामले का चालान कर दिया गया है और न्यायालय में लम्बित है।

*150. **श्री रेणुपद दास :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड ने खान उद्योग में 27 अनुसूचित रोजगारों के लिए मजूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण की पुनरीक्षा करने के संबंध में केन्द्रीय श्रमिक संघों से चर्चा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड में, अन्यों के साथ-साथ, केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि भी हैं। इस बोर्ड की 29 सितम्बर, 1981 को बैठक हुई। जब इसने खानों की 25 श्रेणियों में नियोजनों के बारे में न्यूनतम मजदूरी-दरों के संशोधन और खानों की दो श्रेणियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी-दरों के निर्धारण के प्रस्तावों पर विचार किया। बोर्ड ने कुछ संशोधनों के अध्यधीन इन प्रस्तावों को मंजूर कर दिया । इन नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण/संशोधन की, जैसा बोर्ड ने मंजूर किया है, अधिसूचनाए जारी की जानी हैं।

राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का दुरुपयोग

*152. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है ।

(ख) जिन अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान का उपयोग किया जा सकता है; उसके लिये निर्धारित मार्ग निदेश क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन राष्ट्रीय प्रतीकों का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल ही कोई मार्ग निदेश जारी करने का है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के सही प्रयोग तथा प्रदर्शन के लिए और राष्ट्रीय गान के सही पाठ तथा उन अवसरों, जिन पर यह गाया जाता है, के बारे में अनुदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों का व्यापक प्रचार किया गया है।

इन अनुदेशों का समस्त देश में पालन किया जाता है परन्तु इन अनुदेशों के कुछ कथित उल्लंघन के बारे में समाचार मिले हैं, जिनकी उचित रूप से जांच-पड़ताल की जाती है।

इन प्रतीकों का कोई अनादर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अधीन दण्डनीय है।

जिलों में रोजगार परिषदों की स्थापना

*154. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :**
श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने देश के प्रत्येक जिले में रोजगार परिषद की स्थापना के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि 31 दिसम्बर, 1981 तक प्रत्येक जिले में एक-एक जिला जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन परिषद् स्थापित करें।

नारियल जटा की बिक्री के लिए प्रोत्साहन

*155. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नारियल जटा के जमा भारी भण्डार को देखते हुए इस उद्योग द्वारा देश में तथा विदेशों में नारियल जटा की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन अथवा राजसहायता दिये जाने हेतु की गई मांग की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस बारे में प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई है तथा केरल सरकार व केयर बोर्ड से सविवरण योजना बनाने का अनुरोध किया गया है।

मूल्य वृद्धि का 1981-82 की वार्षिक योजना पर प्रभाव

*156. **प्रो० अजित कुमार मेहता** :

श्री डी० पी० जदेजा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हुई मूल्य वृद्धि का समूचा प्रभाव किस हद तक 1981-82 की वार्षिक योजना के कृषि और उद्योग के लक्ष्यों पर पड़ने की सम्भावना है; और

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) : 1981-82 की वार्षिक योजना को चालू वर्ष के आरम्भ में अन्तिम रूप दिया गया था और इसलिए उस समय तक कीमतों में जो वृद्धि हुई थी उसे इसे तैयार करने में ध्यान में रखा गया था। अप्रैल, 1981 के आरम्भ से नवम्बर, 1981 के मध्य तक थोक कीमतों के सूचकांक में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कीमतों में वृद्धि से कृषि या उद्योग के चालू वर्ष के उत्पादन के लक्ष्यों पर कोई खास असर पड़ने की सम्भावना नहीं है।

सेना में भर्ती के लिये एक नई पद्धति आरम्भ करना

*157. **श्री एम० एम० ए० खां** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सेना में भर्ती के लिए एक नई पद्धति आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पहले अपनाये गये चयन के तरीकों की अपेक्षा नई पद्धति के लाभ क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी हाँ।

(ख) पहली अक्तूबर, 1981 से शुरू की गई नई पद्धति के अनुसार शारीरिक शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए शारीरिक सामर्थ्य परीक्षाएं जैसे—दौड़ना, कूदना आदि और पांचवी श्रेणी के स्तर तक के शैक्षिक ज्ञान की परीक्षा निर्धारित की गई है। चयन अफसरों के एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें शाखा भर्ती अफसर और भर्ती संगठन से बाहर के दो अफसर होते हैं।

(ग) अन्य रैंकों के लिए भर्ती करने की पहली पद्धति में अपने ऊपर ही निर्भर रहना होता था और उसमें प्रतियोगी योग्यता के आधार पर भर्ती की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। नई पद्धति में इस दोष को ठीक करने के अलावा और अधिक चयनात्मकता, औचित्य और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

शांति सेना—के लिए सी. आर. पी. एफ. को निर्देश

*159. **श्री जैनुल बशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शांति सेना (पीस कीपिंग फोर्स) की स्थापना और गठन के लिए केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल के महानिदेशक को कोई निर्देश और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल के अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) : जाति और साम्प्रदायिक झगड़ों से निपटने के लिए विशेष शांति सेना के रूप में नवम्बर, 1980 में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल को तीन बटालियनें स्वीकृत की गई थी। सामान्य विधि और व्यवस्था के कार्यों को निष्पादित करने के अतिरिक्त इन बटालियनों को दंगाग्रस्त क्षेत्रों में व्यापक रूप से राहत पहुँचाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और सज्जित किया जा रहा है। ये बटालियनें पूर्ण रूप से गतिशील होंगी। विशेष शांति सेना का प्रशिक्षण जारी है और बटालियन अप्रैल, 1982 तक परिचालित होंगी।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में असमानता

*160. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1973 और 1979 से पहले सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद सेवा निवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों की पेशनों में विद्यमान असमानता को समाप्त करने के लिए उनसे कोई ज्ञापन अथवा अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो भूतपूर्व सैनिकों की प्रत्येक श्रेणी के मामले में किस प्रकार की असमानता को दूर किए जाने की माँग की गई है और इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) 1 अप्रैल, 1973, 1 अप्रैल, 1979 और 1 अप्रैल, 1981 को विभिन्न श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन की राशि कितनी-कितनी थीं; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो असमानता को कितना जल्दी दूर किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सैनिकों की पेंशन की दरों में वृद्धि करने के लिए 1-1-73 से संशोधन किया गया था और पेशन निर्धारित करने के लिए नया फार्मूला शुरू किए जाने के फलस्वरूप पुनः 1-4-79 से पेंशन की दरें संशोधित की गई। भूतपूर्व सैनिकों ने इन संशोधित दरों को पुराने पेशनरों पर भी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिए बिना, लागू करने के लिए कहा है।

पुराने और नए पेंशनरों को पेंशन दरों में असमानता को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(i) जो पेंशनर 30-9-77 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं वे उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेशनरों को मिलने वाली पेंशन से पेंशन पर 20 प्रतिशत अधिक आवधिक राहत पाने के हकदार हैं।

(ii) जो पेंशनर 1-1-73 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं वे आवधिक राहत के अलावा अपनी सेवानिवृत्त की तारीख के आधार पर अस्थाई वृद्धि, तदर्थ वृद्धि और तदर्थ राहत भी प्राप्त करते हैं।

सिपाहियों, हवलदारों और नायब सूबेदारों को मिलने वाली राहतों की किस्म और मात्रा को सदन के पटल पर रखे गए अनुबन्ध 'क' में दर्शाया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2996/81]

(ग) विवरण अनुबन्ध 'ख' में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2996/81]

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के लिए बीसा जारी करने में घोटाला

1611. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने राजधानी में पाकिस्तान के लिए बीसा जारी किए जाने के बारे में हाल में एक घोटाले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो जालसाजों की कार्य-पद्धति क्या है; और

(ग) इसकी रोकथाम के क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। इस सम्बन्ध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

(ख) जालसाजों की कार्य-पद्धति पाकिस्तान जाने के इच्छुक व्यक्तियों को अपने सम्पर्कों के माध्यम से उनके वीसा तैयार कराने के लिए वायदे करके आकर्षित करने की थी। बाद में रुपया एकत्र करते थे, पारपत्रों पर जाली हस्ताक्षर युक्त जाली वीसा लगाते थे।

(ग) जनता को इस घोटाले की जानकारी देने के लिए समाचारपत्रों तथा रेडियो के द्वारा प्रचार किया गया है। ऐसी गतिविधियों में ग्रस्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए आसूचना एकत्र की जाती है।

बोगस ट्रैवल एजेंट

1612. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के युवा किसान अपनी भूमि को गिरवी रखकर पश्चिमी जर्मनी जाने में अपने प्रयास में बोगस ट्रेविल एजेंटों के शिकार बन गए हैं और इटली में नजरबन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन भारतीयों की सहायता उपलब्ध कराने तथा बोगस ट्रेविल एजेन्टों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) रोम में भारतीय मिशन के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नेशनल टैनरी की क्षमता में विस्तार का प्रस्ताव

1613. **श्रीमुकन्द मण्डल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की नेशनल टैनरी की क्षमता के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीचरणजीत चानना) (क) से (ग) :—दि नेशनल टैनरी कम्पनी लि० कलकत्ता ने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता स्थित अपने उपक्रम में 10 लाख जोड़े शू अपर का एक नई वस्तु के विद्यमान रूप में उत्पादन करने की वार्षिक क्षमता के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु दिनांक 30-9-1981 को एक आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन सरकार के विचाराधीन है।

सीमेंट में मिलावट और आयात

1614. **श्री पीयूष विरकी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में मिलावटी सिमेंट की बिक्री होती है;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में सीमेंट की राज्यवार मांग क्या थी,

(घ) पिछले पांच वर्षों में सीमेंट का आयात सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों में किन-किन देशों से कितना-कितना सीमेंट आयात किया गया है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) देश में सीमेंट की सामान्यत: कमी होने के कारण, सीमेंट में मिलावट जैसे कदाचारों की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

(ख) सीमेंट एक कानूनी रूप से नियंत्रित वस्तु है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी शिकायतों को दूर करने में पूरी तरह सक्षम होती है।

(ग) राज्य/संघ शासित प्रदेश अपनी सीमेंट सम्बन्धी मांग नियमित रूप से नहीं भेजते। सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्य दल द्वारा 1980-85 की 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया सीमेंट की मांग अनुमान निम्न प्रकार है:—

वर्ष	मांग (दस लाख मी० टन)
1980-81	272.90
1981-82	302.20
1982-83	326.40
1983-84	352.50
1984-85	380.70

(घ) वर्ष 1977-78 से देश ने सीमेंट का आयात करना शुरू कर दिया है। अगस्त, 1980 तक आयात की गई सीमेंट की वर्षवार मात्रा निम्न प्रकार है—

वर्ष	आयातित मात्रा (लाख मी० टन में)
1977-78	3.12
1978-79	16.55
1979-80	15.47
1980-81	19.74
1981-82	7.07
अप्रैल-अगस्त (1981)	

(ङ) जिन देशों से सीमेंट का आयात किया जाता है उनमें निम्नलिखित शामिल है—

(i) दक्षिण कोरिया

(ii) उत्तरी कोरिया

(iii) जापान

(iv) पोलेण्ड

(v) रोमानिया

दिल्ली में आग लगाने की घटनायें

1615. **श्री के० मालन्ना :**

श्री चिन्तामणि जैना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान राजधानी के विभिन्न भागों में आग लगने की कितनी घटनायें हुई ;

(ख) पटाखों के कारण आग लगने की ऐसी कितनी घटनाऐं हुई ; और

(ग) यदि सम्पति की कोई हानि हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली अग्निशमन सेवा ने मई 1981 से अक्तूबर, 1981 तक आग लगाने की 2145 घटनाओं पर कार्यवाही की ।

(ख) पटाखों के कारण आग लगने की 103 घटनाएं हुई ।

(ग) अनुमानित हानि लगभग 1,64,24,084 रुपए है ।

मैसर्स गरवारे पैण्टस को कच्चे माल की सप्लाई

1616. **श्री लहना सिंह तुर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 और 1980-81 के लिए मैसर्स गरवारे पैण्ट्स लि० को सप्लाई किए गये कच्चे माल की मात्रा क्या है और यह कच्चा माल किन-किन उत्पादों के लिए सप्लाई किया गया और इससे कितने माल का उत्पादन होगा;

(ख) उपर्युक्त कम्पनी की वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान विभिन्न उत्पादन करने की क्षमता क्या हैं; और

(ग) क्या उपर्युक्त कम्पनी ने उर्युक्त उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सरकार से प्राप्त किए नए कच्चे माल का उपयोग किया है अथवा इसका उपयोग किये बिना इसे काला बाजार में बेच दिया है और नियमों का उल्लंघन करने के लिए उपर्युक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) (क) से (ग): मैसर्स गरवारे पेन्ट्स लिमिटेड को रंग-रोगन, एनेगल, वार्निश, वम० सी० लैकर तथा सिंथेटिक रेजिनों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिया गया हैं, जिनके उत्पादन के लिए 250 से अधिक संख्या में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है । मैसर्स गरवारे पेन्टस लिमिटेड सहित पेन्ट (रंग-रोगन) के निर्माताओं

को इनमें से अधिकांश कच्चा माल राज्य व्यापार निगम जैसे अभिकरण और आयात तथा निर्यात के महानियन्त्रक के माध्यम से देश में ही प्राप्त होता है। कम्पनी ने वर्ष 1979-80 और 1980-18 में रंग-रोगन और एनेमल के उत्पादन के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से क्रमशः 740 मी० टन तथा 380 मी० टन टिटौनियम डाईआक्साइड का आयात किया था। कम्पनी की वस्तुवार लाइसेंस प्राप्त क्षमता में से वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	वस्तु	लाइसेंस प्राप्त क्षमता (मी० टन)	उत्पादन (मी० टन)
1979-80	(i) एन० सी० लैकर सहित रंग—रोगन, एनेमल, वार्निश	5,300	6,924
	(ii) सिथेटिक रेजिन्स	993	1,667
1980-81	(i) एन० सी० लैकर सहित रंग-रोगन, एनेमल, वार्निश	8,000	6,937
	(ii) सिथेटिक रेजिन्स	993	1,878

कच्चे माल का दुरुपयोग करने के लिये इस कम्पनी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है।

तिहाड़ जेल के अधिकारियों का स्थानान्तरण

1617. **श्री के० ए० राजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ केन्द्रीय जेल, दिल्ली के कुछ अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया/निलंबित कर दिया गया/दिल्ली से अन्य जेलों को स्थानान्तरित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों में ब्रिटेन के एक नागरिक को जेल में एक अपराधी चार्ल्स सोभराज से मिलने पर दिए गये साक्षात्कार के सम्बन्ध में जेल अधीक्षक की गतिविधियों की आलोचना सम्बन्धी रिपोर्टों को देखा है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है और इस पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि तिहाड़ जेल के कुल 10 अधिकारियों को जैसा कि नीचे दिया गया है, वर्ष 1981 के दौरान नौकरी से हटा दिया गया/निलम्बित कर दिया गया/जेल से स्थानान्तरित कर दिया गया है:—

(1) एक अधीक्षक और दो उप अधीक्षकों को उनके मूल राज्यों को पदावन्नत कर दिया गया है क्योंकि वे अपने कर्त्तव्य निर्वाह में लापरवाह पाए गये थे। उप अधीक्षक को भी निलम्बित कर दिया गया था लेकिन बाद में बहाल कर दिया गया था।

(2) (क) ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के लिए दो सहायक अधीक्षकों को निलंम्बित किया गया था। उनमें से एक को बाद में बहाल कर दिया गया है।

(ख) एक दूसरे सहायक अधीक्षक को उसके आपराधिक मामले में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण निलम्बित किया गया है।

(ग) दो अन्य सहायक अधीक्षकों का स्थानान्तरण कर दिया गया है, एक को उसके प्रतिनियुक्त अवधि के समाप्त होने पर उसके मूल राज्य को और दूसरे को दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत उसके संवर्ग पद पर।

(घ) शेष दो में से एक को प्रशासनिक आधार पर, दिल्ली प्रशासन के दूसरे विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है और दूसरे की सेवायें असन्तोषजनक कार्य के कारण समाप्त कर दी गयी थी। लेकिन उसने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी और माननीय न्यायालय ने उसकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेशों के विरुद्ध स्थगन दे दिया।

(ग) (घ) (ङ) और (च) सरकार ने एक विदेशी राष्ट्रिक को जेल में चालर्स सोभराज से मिलने के लिए मुलाकात करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में जेल अधीक्षक की गतिविधियों की आलोचना करने वाला समाचार देखा है। मामले की जाँच की गयी थी और यह पाया गया कि यद्यपि जेल मेनुअल के अन्तर्गत जेल अधीक्षक को कुछ मामलों में अपने विवेक को प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का प्रयोग विवेक पूर्वक नहीं कर रहे थे। उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि को घटा दिया गया और उसे उसके मूल राज्य को भेज दिया गया है।

उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को नकद लाभ

*1618 **श्री अनादि चरण दास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऐसे कमचारियों की कुल संख्या क्या है जिन्होंने इस वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगय के अन्तर्गत नकद लाभ प्राप्त किए हैं;

(ख) उन्हें उपलब्ध कराये गये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नकद लाभ क्या हैं;

(ग) उड़ीसा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का नकद लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों कुल संख्या क्या है; और

(घ) उन्हें दिए गये विशिष्ट लाभ का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा लाभानभोगियों के लिए विभिन्न नकद लाभों हेतु जनवरी, 1981 से अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान 1,14,416 अदायगियां की गई थीं। तथापि ऐसे श्रमिकों की संख्या के बारे में रिकार्ड नहीं रखे गये हैं, जिनको नकद लाभ प्राप्त हुए हैं :—

दिए गए लाभों तथा अदायगियों की संख्या निम्नानुसार हैं :—

लाभ का स्वरूप	1.1.1981 से 31.10.81 तक अदायगियों की संख्या
बीमारी लाभ	1,02,209
विस्तारित बीमारी लाभ	1,672
प्रसूति लाभ	568
अस्थायी अंगहानि लाभ	6,395
स्थायी अंगहानि	1,870
अश्राश्रित लाभ	1,380
अंतिम संस्कार लाभ	99
अन्य लाभ	223
	1,14,416

बीमाकृत व्यक्तियो को परिवार नियोजन आपरेशन के लिए कतिपय प्रोत्साहनों तथा विशेषज्ञों, चिकित्सा रेफ़रेरी आदि के समक्ष उपस्थित होने के लिए यात्रा प्रभारों की व्यवस्था की जा रही है। जनवरी से अक्तूबर, 1981 तक इन कारणों से की गई अदायगियों की संख्या क्रमशः 55 और 168 हैं।

भारतीय उद्योगपतियों द्वारा रूस-दौरा

1619 : **बी० बी० वेसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योगपतियों के एक शिष्टमंडल ने सितम्बर, 1981 के दौरान मास्को का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शिष्ट मंडल ने रूस के अमुक स्थानों का दौरा किया था और रूस सरकार के साथ विचार-विमर्श किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्तिम करार हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भारतीय उद्योगपति रूस में किसी परियोजना की स्थापना करेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रायरंगपुर में एक कागज संयंत्र की स्थापना

1620 : **मनमोहन टुडू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक कागज संयंत्र की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्तावित संयंत्र की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस स्थान पर कागज संयंत्र की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु कुछ और सरकारी उद्योमियों ने भी उनके मंत्रालय को आवेदन पत्र भेजे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : उड़ीसा के जिला मयूरभंज बेटनोटी में लिखाई और छपाई के 10,000 मी० टन कागज की वार्षिक क्षमता वाले एक एकक को स्थापित करने के लिए मे० के० के० अग्रवाल, कलकत्ता को एक आशय पत्र दिया गया है । उड़ीसा के रायरंगपुर जिला- मयूरभंज में कागज संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने का कोई आवेदन पत्र वर्तमान में नहीं है ।

उद्योगों को अलग अलग स्थान पर लगाने संबंधी सिवारमण समिति की सिफारिशें

1621. **श्री बीरभद्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों को अलग अलग स्थान पर लगाने संबंधी सिवारमण समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अक्तूबर, 1981 के पहले सप्ताह में राज्य उद्योग मंत्रियों की एक बैठक नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में राज्यों के उद्योग मंत्रियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और सुझावों के आधार पर सरकार मामले पर अन्तिम निर्णय लेगी ।

दिल्ली नगर निगम के दक्षिण और पश्चिम जोनों द्वारा सम्पत्ति कर के निर्धारण आदेश की प्रतियां सप्लाई किया जाना

1622. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50 पैसे की टिकट लगे आवेदन पत्र दिये जाने के बावजूद दिल्ली नगर निगम सम्पत्ति करके निर्धारण की प्रतियां सप्लाई करने में काफी लम्बा समय लेता है;

(ख) क्या इन प्रतियों की सप्लाई के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली नगर निगम के दक्षिण और पश्चिम जोनों में 23 नवम्बर, 1981 को पिछले तीन महीने से अधिक समय से लम्बित ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 50 पैसे के टिकट लगे हुए आवेदन प्राप्त होने पर भी किसी आदेश आदि की कोई

प्रति सप्लाई नहीं की जाती है जब तक कि आवेदन पत्र के साथ नकल तैयार करने की अपेक्षित फीस भी नहीं दी जाती है ।

(ख) निगम के अनुसार यदि अभिलेखा उपलब्ध हो तो नकल की अपेक्षित फीस के साथ भेजे गये नियमित आवेदन पत्र के प्राप्त होने के पश्चात सामान्यत: नकलों में लिया जाने वाला समय आवश्यक प्रति के लिए 3 दिन और सामान्य प्रतियों के लिये 15 दिन निर्धारित है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि नकलों के लिए अपेक्षित प्रभार के साथ भेजा गया कोई भी नियमित आवेदन पत्र 23 नवम्बर, 1981 को 3 महीने से अधिक की अवधि से लम्बित नहीं है ।

बेरोजगारी की समस्या

1623. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग बेरोजगारी की समस्या किस हद तक हो गई है;

(ख) छठी योजनावधि के अन्त तक बेरोजगारी की स्थिति क्या होगी;

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक योजनावधि के दौरान कुल कितना रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(घ) प्रत्येक योजनावधि के दौरान जनसंख्या की वृद्धि की प्रतिशतता और संख्या क्या थी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) : रोजगार को बढ़ावा देने की दृष्टि से अनेक योजनागत स्कीमें शुरू की गई हैं । बेरोजगारी के अनुमानों के राज्यवार और निवास स्थान-वार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) छठी योजना की अवधि के शुरू में (सामान्य स्थिति के आधार पर) 120.2 लाख लोगों की पिछली संख्या को तथा श्रमिकों की संख्या में छठी योजना को तैयार करने के समय लगाए गए अनुमान के अनुसार छठी योजना की अवधि में 342.4 लाख लोगों की और वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रोजगार की आवश्यकता वाले व्यक्तियों (आयुवर्ग 5+)की कुल संख्या लगभग 462.6 लाख होगी । इसके मुकाबले छठी योजना में 342.8 लाख मानक श्रम-वर्षों का रोजगार उत्पन्न करने का अनुमार लगाया गया था । वर्ष में 273 दिन के लिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले किसी व्यक्ति को मानक श्रम-वर्ष के आधार पर रोजगार प्राप्त माना जाता है तथापि यह मानते हुए कि वास्तव में सभी नए रोजगार प्राप्त व्यक्ति पूर्णकालिक आधार पर नहीं हो सकते और लोग रोजगार में जाएंगे तथा पहले से चले आ रहे बेरोजगारों की मौजूदा संख्या में कमी होगी ।

(ग) योजना आयोग योजना के कार्यान्वयन के जरिए उत्पन्न किए जा सकने वाले अति-रिक्त रोजगार के राष्ट्रीय स्तर के अनुमान प्रस्तुत किया करता था । पिछली योजनाओं में तैयार किए गये बेरोजगारी के अनुमानों की जाँच करने के लिए योजना आयोग द्वारा 1968 में स्थापित की गई एक विशेषज्ञ समिति (दांतवाला समिति) ने यह विचार प्रकट किया था कि योजना की

अवधि के शुरू में या अन्त में श्रमिकों की संख्या, उत्पन्न किए गए अतिरिक्त रोजगार और बेरोजगारी के जो अनुमान एक आयातमक व्यापकता में प्रस्तुत किए जाते हैं वे आर्थिक स्थिति के संकेतक के रूप में न तो सार्थक हैं और न उपयोगी तथा योजना आयोग द्वारा अब तक जो प्रणाली अपनाई गई है वह छोड़ दी जाए। विभिन्न योजनाओं की अवधियों में रोजगार उत्पन्न करने के तुलनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, हरेक योजना की अवधि में जनसंख्या की वृद्धि और वृद्धि की दर का अनुमान निम्नलिखित रूप से लगाया जा सकता है:—

योजना	अवधि	जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि (लाख)	योजना की अवधि में वृद्धि (प्रतिशत)
पहली योजना	1951-56	348	9.63
दूसरी योजना	1956-61	434	10.95
तीसरी योजना	1961-66	507	11.54
तीन वार्षिक योजनाएं	1966-1969	341	6.95
चौथी योजना	1969-74	525	11.93
पांचवी योजना	1974-78	545	9.28

न्यूनतम मजदूरी की सावधिक पुनरीक्षा

1624. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की सावधिक पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या खेतीहर मजदूरों के मामले में भी ऐसी ही पुनरीक्षा की जायेगी;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को मार्गदर्शी निदेश भेज दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) उपर्युक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु सरकार के कार्य-क्रम का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि आवश्यकता हो तो न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनरीक्षण और संशोधन में अन्तराल पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जुलाई, 1980 में हुए राज्य श्रम मंत्री सम्मेलन के 31 वें अधिवेशन में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय किया गया कि न्यूनतम मजदूरी-दरों की, यदि आवश्यकता हो, दो वर्ष में कम से कम एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइंट की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, पुनरीक्षा की जाए और उनमें संशोधन किया जाए। यह सभी अनुसूचित नियोजनों, जिनमें कृषि भी शामिल हैं, पर लागू होता है। सम्मेलन का उपर्युक्त निर्णय सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है। अधिकांश राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे इस मामले में उपर्युक्त कार्यवाही कर रहे हैं।

1625. **श्री लक्षमण मलिक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान राऊरकेला इस्पात संयंत्र के आस-पास कुल कितने सहायक उद्योगों की स्थापना की गई ;

(ख) उन उद्योगों में कुल कितनी राशि लगाई गई है ;

(ग) उन औद्योगिक यूनिटों में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन उद्योगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का प्रस्ताव भविष्य में रोजगार देते समय इन औद्योगिक यूनिटों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये मार्गदर्शी निवेश भेजने का है ; और

(च) इस संबंध में जारी किये जाने वाले प्रस्तावित मार्गदर्शी निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) राऊरकेला इस्पात संयंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च 1980 में 21 सहायक उद्योग उपर्युक्त इस्पात संयंत्र के लिए कार्य कर रहे थे ।

(ख) सहायक उद्योगों के निवेश का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सहायक उद्योगों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या लगभग 5000 है ।

(घ), (ङ), (च) सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशक सिद्धान्तों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र द्वारा विकास किए जाने वाले सहायक उद्योगों के लिए सहायक उद्योगों द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवारों को रोजगार देने के बारे में किसी तरह की शर्त निर्धारित नहीं की जाती ।

आयुध कारखानें में रद्द किये गये माल को सप्लाईकर्ता द्वारा उठाया जाना

1626. **श्री आर. के. महालगी** :

श्री चतर्भुज : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखाने में यह विनियम है कि प्राइवेट फर्मों द्वारा सप्लाई किये गये रद्द माल को फर्म द्वारा अपने वहन और लागत पर 15 दिन के भीतर उठा लेना चाहिए ;

(ख) क्या महाराष्ट्र में अम्बरनाथ स्थित मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी में इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ग) क्या रद्द माल को फैक्टरी के वाहनों में ढोये जाने की घटनाएं सुरक्षा अधिकारी और उनके प्रशासन की जानकारी में लाई गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र के थाणे जिले के अम्बरनाथ में फैक्टरी वाहनों के जरिये रद्द माल के ढुलाई को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ, सामान्यत इस नियम का पालन कर रही है परन्तु अपवादक मामलों में, प्रत्येक मामले गुणावगुण के आधार पर फैक्टरी के अधिकारी इस में ढील दे सकते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सामान्यतः, रद्द किए गए माल को ले जाने के लिए फैक्टरी के वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। परन्तु फैक्टरी की आवश्यकताओं केआधार पर केवल कुछ अपवादिक मामलों में इस नियम में ढील दी जा सकती है।

जनगणना संगठन के लिये प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों की वापसी

1627. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिये तकनीकी तथा प्रशासनिक दोनों के निदेशकों के पद के स्तर तक जनगणना संगठन से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को वापस भेजने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुभवी जनगणना कर्मचारियों की भावी पदोन्नति में बाधक प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों को वापस भेजने के लिये सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख)-उप निदेशक और उससे नीचे के पदों की रिक्तियां विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नतियों द्वारा भरी जाती हैं। थोड़ा प्रतिशत अन्य विभागों से इन पदों के भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है। विभागीय कर्मचारियों को त्वरित पदोन्नतियां देने के एकमात्र प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों को वापस भेजना सम्भव नहीं होगा।

छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल को धन का आवंटन

1628. **श्री सन्त कुमार मण्डल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना के दौरान पश्चिम बंगाल, राज्य की सिंचाई, ऊर्जा और कृषि के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) अब तक कितनी राशि जारी की गई है और चालू वित्त वर्ष के शेष अवधि के दौरान कितनी राशि जारी किये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) पश्चिम बंगाल राज्य को सिंचाई, विद्युत् और कृषि के लिए चालू पंचवर्षीय योजना में किए गए आवंटन निम्नलिखित हैं :-

	(करोड़ रु०)
सिंचाई	240.00
विद्युत्	886.55
कृषि	632.70

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा सहमत केन्द्रीय सहायता सामान्य ऋणों और अनुदानों के रूप में देती है। कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर, सहायता क्षेत्रवार या स्कीमवार नहीं दी जाती है।

आदिवासी विकास के लिये योजनायें

1629. **श्रीमती संतोगिता राणे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी विकास के लिये विभिन्न योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन विभिन्न योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख)-जनजातीय विकास की जनजातीय उपयोजना संकल्पना छठी योजना के दौरान चालू रहेगी। प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक ढांचा (क्षेत्रीय प्राधिकारियों को वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यावर्तन समेत) अलग से बजटरी मैकेनिजम और मूल्यांकन तथा प्रबोधन को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्यों को परिवार-अभिमुख स्वरूप के कार्यक्रम हाथ में लेने की सलाह दी गई है। राज्य, अन्तरमंत्रालय और योजना आयोग स्तरों पर सावधिक समीक्षा की जाएगी।

स्टकूरों के दोबारा बेचे जाने पर प्रतिबन्ध

1630. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोपहिया स्कूटरों की दोबारा बिक्री पर रोक लगाई हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उससे क्या लाभ होने की संभावना है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : इन गाड़ियों का समान रूप से वितरण करने तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित हेरा-फेरी को रोकने के लिए पुनः बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

घड़ी निर्माताओं की बैठक

1631 : **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में घड़ियों की भारी मांग और इसके विस्तृत निर्यात बाजार को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का प्रस्ताव घड़ी निर्माता तथा इसके पुर्जों के निर्माताओं की एक बैठक बुलाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) (क) और (ख) जी, हां। सरकार का विचार घड़ी उद्योग के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने का है जिसमें इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जायेगी।

भारतीय बायलर्स विनियमन

1632. **श्री एस० मुरुगैयन** क्या उद्योग मंत्री इकबाल करेंगी, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र के अध्यक्ष के अभ्यावेदन के बारे में 9 सितम्बर, 1981 के आतरांकित प्रश्न सं० 3436 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय बायलर्स विनियमन के मसौदा विनियमन संख्या 7 तथा 391 के बारे में जो आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे उन पर केन्द्रीय बायलर्स बोर्ड ने विचार कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या उक्त विनियमनों पर अभी तक विचार नही किया गया है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) उक्त विनियमनों पर विचार अंततः कब तक पूरा हो जायेगा;

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) भारतीय बायलर विनियमनों के विनियमन 7 और 391 के मसौदे के सम्बन्ध में इचालकरंजी साइजिंग एसोसिएशन लिमिटेड, इचालकरंजी जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के अध्यक्ष से प्राप्त आपत्तियों/सुझाव पर केन्द्रीय बायलर बोर्ड द्वारा दिसम्बर 1681 के अन्तिम सप्ताह में होने वाली अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सिर पर बोझा ढोने की भार सीमा

1633. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक सामान्य कुली द्वारा ढोये जाने वाले भार की अधिकतम सीमा निश्चित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी इस बारे में कोई सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) आर्थिक कार्यकलापों की सभी शाखाओं में भार के शारीरिक परिवहन में किसी एक श्रमिक द्वारा उठाये जाने वाले अधिकतम भार को निर्धारित करने का प्रश्न जिसके लिए श्रम निरीक्षण की पद्धति विद्यमान है, पिछले कुछ समय से श्रम मंत्रालय की अभिसमय संबंधी त्रिपक्षीय समिति के विचाराधीन है।

(ख) जी, हां।

(ग) आई० एल० ओ० अभिसमय और सिफारिश के उपबन्धों को क्रमिक ढंग से अच्छी तरह से कार्यान्वित करने के प्रश्न पर सरकार संबंधित पक्षकारों के साथ परामर्श करके विचार कर रही है। अभिसमय संबंधी त्रिपक्षीय समिति भी, जिसमें नियोजक और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, अपनी विभिन्न बैठकों मे इस समस्या पर विचार करता रहा है। 28-11-1981 को हुई अपनी बैठक में 50 किलोग्राम के अधिकतम भार को निर्धारित करने के बारे में सामान्य मतैक्य था, परन्तु इस निर्णय को लागू करने की तारीख के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है। समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए संबंधित पक्षकारों

के साथ परामर्श के पश्चात सरकार आगे कार्यवाही करेगी ।

दिल्ली प्रशासन में अधिकारियों को अंगरक्षक

1634. **श्री भीकू राम जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अंगरक्षक प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या ये अंगरक्षक पुलिस द्वारा प्रदान किए गए थे अथवा कि संबंधित विभाग द्वारा;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुन: विचार करने का है और उन लोगों की सूची निर्धारित करने का है जिन्हें उनके कार्यस्थल पर अंगरक्षकों की जरूरत रहती है; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख)—निम्नलिखित अधिकारियों को दिल्ली पुलिस/दिल्ली प्रशासन द्वारा अंगरक्षक उपलब्ध कराए गए हैं :—

(1) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

(2) अध्यक्ष दिल्ली परिवहन निगम ।

(3) उपायुक्त, दिल्ली ।

(4) पुलिस उपायुक्त (यातायात) वर्तमान अधिकारी को दिया गया । संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को भी एक अंगरक्षक उपलब्ध कराया गया है ।

(ग) और (घ) जब कभी आवश्यक होता है स्थिति का पुनरीक्षण किया जाता है और अंगरक्षक उपलब्ध कराने अथवा हटाने के लिए कार्रवाही की जाती है ।

सीमेंट बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना

1635. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चावल की भूसी और राख से सीमेंट बनाने के संयंत्रों की स्थापना में ग्रामीण सहकारिताओं की सहायता करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) (क) और (ख) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने सूचित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य संस्थान, निजी अभिकरण तथा सहकारी समिति/संगठन को चावल की भूसी की राख से सीमेंट बनाने वाले एककों की स्थापना के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है । भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जून, 1980 को स्थापित किए गए 2 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाले चावल की भूसी की राख के चिनाई सम्बन्धी उत्पादन तथा प्रदर्शन एकक के सफलतापूर्वक चलने के फलस्वरूप, संस्थान ने इच्छुक उद्यमियों को चावल की भूसी की राख से सीमेंट बनाने की प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे । जून से नवम्बर, 1981 की अवधि में तीन संयंत्रों

अर्थात करनाल जिले (हरियाणा) के नीलोखेड़ी, आन्ध्र प्रदेश में गुन्टूर तथा तमिलनाडु में मद्रास में क्रमशः 4 टी० पी० डी०., 4 टी० पी० डी० और 10 टी० पी० डी० की क्षमता वाले 1-1 एकक स्थापित किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने हरियाणा, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में 2 से 4 मी० टन प्रति दिन की क्षमता वाले चावल की भूसी की राख से सीमेंट बनाने वाले एकक स्थापित करने के लिए पार्टियों के साथ करार भी किए गए हैं। यह भी सूचना मिली है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर चावल की भूसी की राख से सीमेंट बनाने वाला एक एकक कुरुक्षेत्र में स्थापित हो गया है।

भारतीय सीमेंट अनुसंन्धान संस्थान ने हाल ही में चावल की भूसी की राख से चिनाई करने वाली सीमेंट बनाने वाले एककों की स्थापना के लिए आवश्यक तकनीकी समर्थन देने हेतु तंजावूर डिस्ट्रिक्ट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन की सहायता करना स्वीकार कर लिया है।

किंतु, ग्रामीण सहकारी समितियों द्वारा अभी तक चावल की भूसी की राख से चिनाई वाला सीमेंट बनाने का कोई एकक स्थापित किए जाने की सूचना नहीं मिली है।

जगत नारायण की हत्या की जाँच में हुई प्रगति तथा सन्त भिंडरांबाला की गिरफ्तारी

1636. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

श्री रामावतार शास्त्री :

श्री आर० एन० राकेश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के संपादक और प्रकाशक श्री जगत नारायण की हत्या की जाँच के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) सन्त जरनैल सिंह भिंडरांबाला को पुलिस द्वारा किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है छोड़ा गया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) मुख्य अभियुक्त नछत्तर सिंह को हत्या करने के तुरन्त बाद 9 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब वह न्यायिक हिरासत में है। सन्त जरनैल सिंह भिंडरवाला को 20 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय द्वारा 15 अक्तूबर को रिहा कर दिया गया था। जाँच पड़ताल की जा रही है।

(ख) अभियुक्त नछत्तर सिंह ने श्री जगत नारायण की हत्या के आपराधिक षडयंत्र में संत जरनैल सिंह भिंडरवाला की सह अपराधिकता का भेद खोला। सन्त भिंडरवाला को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय से गैर जमानतीय वारंट प्राप्त किए गए। उनको 20-9-1981 को हिरासत में लिया गया और न्यायालय द्वारा अपर्याप्त साक्ष्य के कारण 15-10-1981 को रिहा किया गया।

(ग) यह फौजदारी अपराध की जाँच पड़ताल का मामला है जो प्राथमिक रूप से राज्य से संबंधित है।

आदिवासी भाषाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन

1637. **श्री गिरिधर गोमांगो** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के भाषा प्रभाग ने वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में क्या काम हाथ में लिए हैं;

(ख) आदिवासी भाषाओं के बारे में प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों का सारांश क्या है;

(ग) राज्य स्तर तत्सम्बन्धी आंकड़े तैयार तथा एकत्रित करने में संलग्न संगठनों के क्या नाम है;

(घ) उड़ीसा की आदिवासी भाषाओं के नाम क्या हैं जिन्हें अध्ययन करने तथा उन पर अपना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए चुना गया है; और

(ङ) इस प्रभाग ने भारत की आदिवासी भाषाओं के संवर्द्धन के लिए क्या भूमिका अदा की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क), (ख) (ग), (घ) और (ङ) गृह मंत्रालय में राजभाग विभाग जो मुख्यतः राष्ट्रीय भाषा हिन्दी से सम्बन्धित कार्य करता है, के अलावा कोई अलग भाषा प्रभाग नहीं है। शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं को केन्द्रीय संस्थान, मैसूर आदिवासी भाषाओं तथा बोलियों के विकास कार्य में लगा हुआ है। संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आदिवासी भाषाओं के उत्थान और विकास पर भारतीय भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान मैसूर द्वारा किए जा रहे कार्यों पर नोट :

आदिवासी और अन्य सीमान्त भाषाओं का स्कूल शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के विचार से इन भाषाओं के विकास और उत्थान में भी भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान मैसूर कार्य कर रहा है। संस्थान में आदिवासी भाषाओं को बोलने वालों के लिए द्विभाषी शिक्षा कार्यक्रम का भी विकास किया है। जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा, विशिष्ट आदिवासी भाषा में दी जाती है। और उसके बाद शिक्षा लेने वालों को धीरे-धीरे और वैज्ञानिक तरीके से उनके राज्य या क्षेत्र की भाषा के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है।

सी आई आई एल 40 आदिवासी और सीमान्त भाषाओं पर कार्य कर रहा है जैसा कि अलग-अलग परिशिष्ट-1 में दिया गया है। संस्थान ने उनमें से कुछ भाषाओं में ध्वन्यात्मक पाठक व्याकरण, शब्दकोष, स्कूल प्राइमर्स, प्रौढ़ सारक्षता प्राइमर्स आदि प्रकाशित किए हैं।

भारत में आदिवासी भाषाओं के प्रयोग सहित भारतीय भाषाओं के विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों के लिए शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है।

अनुलग्नक-1

भाषाई चित्रण और वस्तुपूरक उत्पादन के लिए ली गई भाषाएँ और बोलियाँ

1. नागालैंड	ए ओ, अंमामी, सोमा, लोथा, नागा पडीगिया, कोनयांक ।
2. मणिपुर	मणिपुरी (मैथोई) थाडू, थांगकुल, माओ ।
3. त्रिपुरा	कोब, बोरोक (त्रिपुरी)
4. मेघालय	जेनतिया, खासी ।
5. मिजोरम	मिजो (लुसाही)
6. अरूणाचल प्रदेश	आदि आपतानि, मिसमी, नोएट ।
7. सिक्किम	सिक्किम, भूटिया ।
8. असम	बौड़ो, मिकिर, मिरि, (मिसिंग) ।
9. जम्मू और कश्मीर	लद्दाखी (बोदी) (पुरकी) (बाल्टी) सियूआ, बरोकसकाट, गुजरी ।
10. राजस्थान	भीली, (वागड़ी बोली)
11. पश्चिम बंगाल	संथाली ।
12. बिहार	कुरूक्स, माल्टो, मुदारी ।
13. उड़ीसा	कुवी, साओरा ।
14. मध्य प्रदेश	अभुव मारिया ।
15. महाराष्ट्र	मारिया, गोंडी, वार्ली, कोलामी ।
16. कर्नाटक	कन्नड़ की जौनू कुरूआ बोली, ।
17. तमिलनाडु	कोटा, इरूला ।

कुल = 40

कर्मचारियों राज्य बीमा के अस्पतालों का खोला जाना

1638. **श्री अशोक गहलोत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषत: जोधपुर तथा पाली (राजस्थान) में श्रमिकों की भारी संख्या को देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा के और अधिक अस्पताल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अब तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 77 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और 36 उप भवनों (एनेक्सियों) का निर्माण किया है और इन्हें चालू किया है । 22 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल तथा सात उपभवन (अनेक्सियां) निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । निगम के सिद्धांत रूप में 51 और अस्पतालों का निर्माण करना स्वीकार किया है, जिनमें जोधपुर तथा पाली में 50 पलंगों का एक एक अस्पताल शामिल है । यह आशा है कि ये सभी अस्पताल लगभग पांच वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण हो जायेंगे ।

मैसर्स गोल्डन टोबैकू के द्वारा मांगे गये लाइसेंस

1639. **श्री केयूर भूषण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स गोल्डनटोबैकू कम्पनी, नई दिल्ली ने हाईवेट मौडलों के उत्पादन के लिए राजनन्द गांव में एक कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था,

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) मैसर्स गोल्डन टोबैको कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ने मध्य प्रदेश के जिला व तहसील राजनांद गांव में एक कारखाने की स्थापना करके अन्य वस्तुओं के साथ-साथ 26.400 मी० टन प्रतिवर्ष हाईवेट मोड्लस फाइवर के उत्पादन लिए एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 25-9-1980 को प्रस्तुत किया है ।

(ख) और (ग) यह पाया गया कि प्रस्तावित उत्पादन गतिविधि से भविष्य में, देश के कम हो रहे वन साधन स्रोतों पर जिनकी कि उच्च प्राथमिकता वाली वस्तुओं के लिए आवश्यकता है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अतएव सरकार के विचार से प्रथम दृष्टय/लाइसेंस जारी करने का मामला नहीं है । निर्णय सम्बन्धी एक पत्र 23.5.1981 को कम्पनी को जारी कर दिया गया है ।

बिहार में हरिजनों तथा आदिवासियों पर अत्याचार

1640. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-1-81 से 1-11-81 के बीच, केन्द्रीय गृह मंत्रालय को प्राप्त बिहार में हरिजनों तथा आदिवासियों पर अत्याचारों के बारे में संसद सदस्यों द्वारा भेजी गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन मामलों में राज्यों से केवल पावतियां ही प्राप्त हुई हैं और किन किन मामलों में अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय से भेजे गये अधिकांश पत्रों को राज्य अधिक महत्व नहीं देते हैं और कोई विस्तृत प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता; और

(घ) क्या गृह मंत्रालय की भूमिका मात्र एक डाकघर के जैसी है; और यदि नहीं, तो देश में हरिजनों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए उसकी भूमिका की परिभाषा क्या है और उस पर अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1-1-81 से 1-11-81 तक की अवधि के दौरान बिहार में हरिजनों और आदिवासियों पर आत्याचार के बारे में संसद सदस्यों द्वारा भेजी गयी 68 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन सभी में राज्य सरकारों से रिपोर्ट

मांगी गयी थी। प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 24 मामलों में सम्बन्धित संसद सदस्यों को अन्तिम उत्तर भेज दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों निकट सम्पर्क स्थापित करके कार्य करती हैं और केन्द्रीय गृह मंत्री के 10 मार्च 1980 के अर्ध शासकीय पत्र में दिए गए एहतियाती, निवारक, दण्डात्मक और पुनर्वासात्मक उपायों के विषय में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकारों से प्रत्येक मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त उपायों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों की रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है।

कपड़ा उद्योगों में औद्योगिक अशान्ति में वृद्धि

1641. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के कपड़ा मिलों में औद्योगिक अशान्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने क्या सुझाव दिये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) देश में वस्त्र उद्योग के श्रमिक बोनस के प्रश्न पर प्रत्येक वर्ष दीपावली के अवसर पर आन्दोलन करते आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में इस वर्ष मौसमी अशान्ति विशेष रूप से बम्बई तमिनाडु और केरल में नोटिस की गई है।

(ख) बम्बई में, बम्बई मिल ओनर्स एसोसिएशन ने मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ हुए समझौते के कारण वर्ष 1980 के लिए 8.33 से 17.33 प्रतिशत तक बोनस घोषित किया है। यह यह बोनस कुछ मिलों के श्रमिकों को जो हड़ताल पर हैं, स्वीकार्य नहीं था। केरल में कुछ वस्त्र मिलों के श्रमिक हड़ताल पर हैं, जो 1979 की दर पर बोनस की मांग कर रहे हैं। यह दर अनुग्रह-पूर्वक अदायगी सहित 34,5 प्रतिशत है। तमिलनाडु में भी वस्त्र उद्योग के श्रमिक बोनस के मामले के सम्बन्ध में हड़ताल पर हैं।

(ग) यह मामला सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। बम्बई में श्रमिकों की मांगो की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। केरल में सदरन इंडिया मिल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे स्वीकार्य बोनस फार्मूला तैयार करने के लिए सम्बन्धित यूनियनों के साथ यूनिट-वार वार्ताएं आयोजित करें। तमिलनाडु में, बोनस विवादों के सम्बन्ध में राज्य औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र द्वारा संराधन कार्यवाही की गई थी। जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया और कुछ मिलों में सामान्य स्थिति हो गयी है। शेष मिलों में संराधन कार्यवाहियां प्रगति पर हैं।

आसाम में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्याएं

1642. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करें। कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान। नवम्बर 1981 के "स्टेट्समैन" में छपे इस समाचार की

ओर दिलाया गया है कि पूर्वोत्तर व पर्वतीय विश्वविद्यालय के कार्यवाहक उपकुलपति का, जिन पर आक्रमणकारियों ने गोली चलाई थी, शिलांग में निधन हो गया; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अन्य कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति असम राज्य में गत छः महीनों के दौरान इस प्रकार मारे गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) पिछले छः महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी ।

केन्द्रीय, राज्यीय तथा अर्द्ध सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1643. **श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काका कालेलकर आयोग के वर्ष 1955 के प्रतिवेदन में केन्द्रीय राज्यीय तथा अर्द्ध सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए श्रेणी एक में 25 प्रतिशत श्रेणी दो में 321/3 प्रतिशत और श्रेणी तीन और श्रेणी चार में 40 प्रतिशत पदों का आरक्षण करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी हां, श्रीमान । कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग समुदायों के लिए श्रेणी-I, श्रेणी-II, और श्रेणी-III तथा 4 सेवाओं में क्रमशः 25 प्रतिशत 33-1/3 प्रतिशत और 40 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण की सिफारिश की थी ।

संसद में रखी गई रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन में कारण दिये गये है ।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा अपने उत्पाद के निष्पादन के लिए ऐजेंसियों का आवंटन

1644. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रम भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड अपने कुछ उत्पादों की बिक्री के लिए गैर सरकारी लोगों को अपनी ऐजेंसियां देता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से लोग ये एजेंसियां लेने के इच्छुक हैं तथा उन्होंने आवेदन भी किया है;

(ग) क्या इस उपक्रम ने वर्ष 1979 के अन्तिम मास में दिल्ली में किसी को एजेंसी दी थी और यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे एजेंसी दी गई थी और इसका क्या आधार था; और

(घ) क्या यह एजेंसी नियमों के अनुसार दी गई थी अथवा यह अन्य लोगों के अधिकारों को उपेक्षा करके दी गई थी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० द्वारा अपने उत्पादनों को बेचने के लिए नियुक्त किए गए वितरकों में निजी फर्में भी सम्मिलित हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु में नियोक्ताओं से कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में हर्जाने के रूप में की गई वसूली

1945. **श्री डी० एम० एस० शिवप्रकाश** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में किसी नियक्ता से कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 (ख) के अधीन दोषी पाये जाने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान हर्जाना के रूप में कोई राशि वसूल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी लोगों का ब्योरा क्या है और उनसे कितनी राशि वसूल की गई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास निलम्बित मामले

1646. **श्री आर० आर० भोले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जांच के लिए बड़ी संख्या में मामले में निलम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कितने पद खाली पड़े हुए हैं;

(घ) इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले जांच कार्य एवम् मुकदमा चलाने सम्बन्धी कार्यवाही के बारे में पुनरीक्षित मानदण्डों की सिफारिश करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में 1-11-1981 को खाली पड़े हुए अन्वेषण सम्बन्धी पदों तथा अभियोजन सम्बन्धी पदों की संख्या क्रमशः 154 तथा 23 है ।

(घ) खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ङ) समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों की भर्ती

1647. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली पुलिस में कितने जवान भर्ती किये गये और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत कितना है;

(ख) इस वर्ष कितनी महिलायें पुलिस में भर्ती की जा चुकी हैं और कितनी भर्ती की जानी हैं और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) पुलिस में भर्ती किए गये कुल जवानों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है और महिलाओं के लिए अपेक्षित पदों के समक्ष उनके उपलब्ध न होने पर, कितने पुरुष भर्ती किये गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चालू वर्ष के दौरान, अब तक दिल्ली पुलिस में 23 कांस्टेबल भर्ती किए गये हैं, 15 सहानुभूति के आधार पर और 8 भूतपूर्व सैनिक कोटे में। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों से अभी तक कोई भर्ती नहीं की गई है। तथापि दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबलों की सामान्य भर्ती की जा रही है। भर्ती किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का प्रतिशत वर्ष के लिए की जा रही भर्ती पूरी हो जाने के बाद ज्ञात होगी।

चालू वर्ष के दौरान 95 उप निरीक्षक कार्यकारी 72 सामान्य, 16 अनुसूचित जाति 5 अनुसूचित जनजाति और दो भूतपूर्व सैनिक भर्ती किए गये हैं।

(ख) वर्ष के दौरान सामान्य वर्ग की केवल 3 महिला सहायक उप निरीक्षकों की भर्ती की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए अरक्षित एक रिक्त पद को भरा नहीं जा सका क्योंकि कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था।

(ग) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस में भर्ती की गई महिलाओं का प्रधिशत 2.5 है। महिलाओं के लिए अपेक्षित पदों पर किसी पुरुष को भर्ती नहीं किया गया है।

"फलारिशिंग रैकेट इन लेबर एक्सपोर्ट शीर्षक से समाचार"

1648. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान फलारिशिंग रैकेट इन लेबर एक्सपोर्ट शीर्षक के प्रकाशित समाचार (हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 12-11-81) की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इसके बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) : दिल्ली पुलिस के अनुसार दिल्ली में इस मामले में अन्तर्गत श्रम ठेकेदार द्वारा

कोई अपराध नहीं किया गया। तदनुसार, शिकायत करने वालों को परामर्श दिया गया कि वे उड़ीसा के गजम जिले की, जिससे वे संबंधित हैं, पुलिस को मामले की रिपोर्ट करें।

अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित पिताओं का सवर्ण जाति की माताओं से और तत् विपरीत उत्पन्न सन्तानों के लिए आरक्षण

1647. **श्री अनबारासु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित पिताओं और सवर्ण जाति की माताओं की सन्तानों को अनुसूचित जातियों जन/जातियों के लिये नौकरियों में आरक्षण तथा अन्य रियायत पाने के पात्र हैं जब कि तत्-विपरीत (अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति की माताओं और सवर्ण जाति के पिताओं से उत्पन्न सन्तानें उक्त आरक्षण तथा रियायतें पाने की पात्र हैं ; और

यदि हां तो क्या सरकार का विचार है विधान में पुरूष/स्त्री दोनों के लिये समान अधिकारों की गारंटी को देखते हुए इन नियमों में उपयुक्त संशोधन करने का है ?

(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री) (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख)-कानूनी स्थिति यह है कि जहां बच्चों का पालन पोषण इस तथ्य पर विचार किये बिना, कि पिता अथवा माता अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य है, अनुसूचित जाति समुदाय में पालन किया जाता है, तो उसे अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य मानना पड़ता है और ऐसे लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।

अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को किसी बाहर के व्यक्ति के साथ किसी विवाह से उत्पन्न बच्चे जनजाति समाज द्वारा, इस तथ्य पर विचार किये बिना कि अनुसूचित जनजाति मातृ तंत्रात्मक है अथवा पितृ-तंत्रात्मक है, मानना और स्वीकार करना मुख्य निर्धारण तथ्य है। यदि बच्चे को अनुसूचित जनजाति का सदस्य स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह अनुसूचित जातियों को स्वीकार्य लाभों का हकदार होगा।

(छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार)

1650. **श्री के० प्रधानी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के एक अध्यक्ष दल ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना का पता लगाने के लिए उड़ीसा का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों के बारे में कोई विशेष ध्यान दिया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) : छठी योजना की अवधि में उड़ीसा में रोजगार उत्पन्न करने की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे किसी अध्यन दल का गठन नहीं किया गया।

(ख) : प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बम्बई स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों के प्रशिणाधीन अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवार

1651. **श्री केशवराव पारधी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में, प्रशिक्षकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पा रहे अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों की संस्थान-वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उन्हें शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों से छूट मिली हुई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(घ) क्या उन्हें स्टाइपेंड /छात्रवृत्ति आदि मिल रहें हैं, और

(ङ) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) बम्बई में (संस्थान-वार) अनुदेशक/शिक्षण-सिद्धांत संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से संबंधित सूची इस प्रकार है:—

(I) केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई	अ. जा. : 8 अ. ज. जा : 1
(II) क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई ।	अ. जा. : 3 अ. ज. जा. : शून्य

(ख) जी नहीं ।

(ग) अनुदेशक/शिक्षण-सिद्धांत संबंधी प्रशिक्षण मुख्यतः राज्यों/केन्द्रीय सरकार संस्थानों और अन्य विभागों द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के लिए है । सेवारत कर्मचारी होने के कारण उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। प्राइवेट उम्मीदवारों, जिन्हें बाकी बची सीटें दी जाती हैं, से प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह 15 रुपए की नाम मात्र फीस ली जाती है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) लागू नहीं होता ।

(छावनी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण)

1652. **श्री शिवू शोरण** : क्या **रक्षा मंत्री** दिल्ली छावनी में दुकानदारों द्वारा बरामदों के अतिक्रपण के बारे में । अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5901 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड ने मई/जून, 1980 में सिफारिश की थी कि अनधिकृत निर्माणों संबंधी छावनी अधिनियम 1924 की धारा 185, 256 तथा 268 को तब तक स्थगित कर दिया जाये जब तक कि जनरल आफिसर कमांडिग इन चीफ इस बारे में कोई समरुप नीति न तैयार कर ले ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले ;

(ख) क्या जनरल आफ़िसर कमांडिग इन चीफ ने इस बीच कोई समरुप नीति तैयार कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में उपरोक्त नीति के विपरीत ही, कथित कृअनधित निर्माण को एक निश्चित तारीख को गिराने के भेद-भाव पूर्ण आदेश जारी किये गये थे ; और

यदि हां. तो उनके नामों सहित तत्संबंधी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) (क) छावनी बोर्ड की सिविल एरिया समिति ने इन की सिफारिश की थी । बोर्ड ने इनकी पुष्टि की थी ।

(ख) जी नहीं । अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए कार्रवाई छावनी अधिनियम 1924 के उपबन्धों के सनुसार की जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

छावनी बोर्ड ने पूरी तरह विचार करने के बाद और छावनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही सदर बाजार, दिल्ली छावनी में पांच अनधिकृत निर्माणों को निर्धारित तारीख क गिराने के लिए आदेश जारी किए थे।

एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	अनधिकृत निर्माण का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्रवाई
1.	श्री लखीराम, दुकान नं. 1/166, सदर बाजार.	एक कमरा और जीना के ऊपर एक शैड का निर्माण किया था।	अधिकृत निर्माण को गिराने के लिए नोटिस जारी किया गया था और गिराने की तारीख 11-11-1981 नियत की गई थी। इस मामले में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था और मामला न्यायाधीन है।
2.	श्री हरनाम सिंह, दुकान नं. 1/159, सदर बाजार.	विभाजक दिवाल	इसे गिराने के लिए नोटिस जारी किया गया था और गिराने की तारीख 26-11-1981 नियत की गई थी। परन्तु उस भवन पर ताला लगा होने के कारण उसे गिराना सभव नहीं था। नई तारीख निश्चित की जानी है।
3.	श्री स्वर्ण सिंह, तांगा स्टैंड, सदर बाजार.	एक कमरा निर्माण किया	इसे गिराने के लिए नोटिस जारी किया गया था और गिराने की तारीख 7-12-1981 नियत की गई थी।
4.	श्री मनोहर लाल 1/178, सदर बाजार.	दो कमरे और एक रसोईघर का निर्माण किया।	इसे गिराने के लिए नोटिस जारी किया गया था और गिराने की तारीख 14-12-1981 नियत की गई थी।
5.	श्री रत्न लाल सूद, 1/165, सदर बाजार.	एग गुमटी, एक कमरा और एक शौचालय का निमर्ाण किया।	इसे गिराने के लिए नोटिस दिया गया और गिराने की तारीख 10-12-1981 नियत की गई थी।

दिल्ली प्रशासन में ग्रेड 2 के अधिकारियों की ग्रेड एक के पदों पर पदोन्नति

1653. **श्री सतीश सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने अक्तूबर, 1981 में किसी समय ग्रेड दो के अनुसचिवीय 12 अधिकारियों को ग्रेड एक (अनुसचिवीय) के पदों पर पदोन्नत किया है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रेड दो के उन अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है जिनके बारे में ग्रेड एक (अनु.) के 12 पदों पर पदोन्नति के लिये विचार किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रेड एक (अनुसचिवीय) पदों पर पदोन्नत अधिकारियों में से लगभग 2/3 अधिकारियों को 1973-74 में भर्ती किये गये अधिकारियों का अधिलंघन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री) (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमन-12 ग्रेड 1। (अनुसचिवीय) अधिकारियों को तदर्थ आधार पर ग्रेड-1 (अनुसचिवीय) पदों पर पदोन्नत किया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन अधिनस्थ सेवा की ग्रेड (11) अनुसचिवीय) की अस्थाई वरिष्ठता सूची के आधार पर 63 सामान्य श्रेणी के और 9 अनुसूचित जाति श्रेणीं के व्यक्तियों पर विचार किका गया था और दिसम्बर, 1981 के अन्त तक होने वाली ग्रेड-(अनुसचिवीय रिक्तयों पर तदर्थ पदोन्नति के लिये 21 अधिकारियों का एक पेनल तैयार किया गया है।

(ग) तथा (घ) ग्रेड-1 (अनुसचिवीय) में पदोन्नत किए गए ग्रेड-11 (अनुसचिवीय) 12 अधिकारियों में से 7 को 1974 में और शेष 5 को 1970 में भर्ती किया गया था। ग्रेड-11 (अनुसचिवीय) से ग्रेड-1 (अनुसचिवीय) में पदोन्नति गुण-दोष व वरिष्ठता के आधार पर की जाती है।

विदेशों से हथियार प्राप्त कर रहे नागा और मिजो विद्रोही

1654. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो और नागा विद्रोहियों को विदेशों से हथियार प्राप्त हो रहे हैं ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई रिपोर्ट मिल रही है कि इन विद्रोहियों को अब भी सीमा पर कुछ देशों में प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख)-मिजो और नागाल भूमिगत व्यक्तियों के संबध में हाल के महीनों में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि उन को पुन : हथियार प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि ज्ञात है कुछ भूमिगत तत्व बर्मा और बंगलादेश में हमारी सीमाओं के पार शरण ले रहे हैं। सरकार को यह जानकारी नहीं है कि क्या उनको प्रशिक्षण के लिए कोई सहायता प्राप्त हो रही है।

सी० सी० एस० (पेंशन) नियम, 1972 में विषमता

1655. **श्रीरीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारियों के मार्ग में बाधा उपस्थित करने वाली अवांछित विषमताओं को दूर करने के लिये सी० सी० एस० (पेंशन) नियम, 1972 की पूरी तरह जांच करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो पेंशन नियमों को सरल और उदार बनाने तथा पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों के लिये एक निर्धारित आयु के बजाय उनके आत्म निर्भर बनने तक पेंशन दिये जाने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों पर लागू पेंशन नियमों की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती रहती है तथा 31 जुलाई, 1981 तक यथासंशोधित सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का द्वितीय संस्करण हाल ही में प्रकाशित किया गया है ।

सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को दोषरहित तथा/काफी/सरल बना दिया है । किसी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष पूर्व ही पेंशन की कार्रवाई शुरू कर दी जाती जाती है । पेंशन निर्धारित करने के फार्मूले को भी दिनांक 1-4-1979 से उदार बना दिया गया है।

कुटुम्ब पेंशन न केवल मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी के पति/पत्नी को देय है बल्कि उक्त पति/पत्नी की मृत्यु हो जाने स्थिति में यह पेंशन अंतिम जीवित पुत्र को 24 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक देय है । ये आयु सीमाएं पर्याप्त समझी गयी हैं क्योंकि तब तक पुत्र तथा पुत्रियां आत्म-निर्भर हो जाने चाहिए । मानसिक रूप से अविकसित/विकलांग पुत्र अथवा पुत्री को कुटुम्ब पेंशन का भुगतान आयु पर्यन्त किया जाता है ।

आशुलिपिकों की उन्नति के अवसर :

1656. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आशुलिपिकों की उन्नति के अवसरों में और सुधार करने की जांच की जा रही है जिसमें रक्षा मंत्रालय भी भाग ले रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर कब तक अंतिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सी० सी० एम० में कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/22/73-सी० एस०-11 दिनांक 12 नवम्बर, 1975 को लागू कर दिया गया है, यदि हां, तो कहां तक तथा उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये उनकी व्यवस्था की गई है तथा उक्त ज्ञापन के आधार पर इस प्रकार कितने पद बनाये गये हैं ; और

(घ) ग्रेड "सी" के उन आशुलिपिकों को छूट न दिये जाने के क्या कारण हैं जिन्होंने वरिष्ठ निजी सहायकों के लिये निर्धारित संघ लोक सेवा आयोग को आशुलिपि परीक्षा एक बार या दो बार पास कर ली है ?

गृह मंत्रालय संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की एसोसिएशन की कुछ मांगों पर कार्यिक और

प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद में विचार किया जा रहा है। यह परिषद सेवा के विभिन्न मामलों पर सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष के बीच निरंतर बात-चीत के लिए पच प्रदान करती है।

(ग) : चूँकि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा विकेन्द्रित है, इसलिए, ऐसी सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मोनिटर नहीं की जाती है। भी इन आदेशों के पालन न किए जाने कोई मामला कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(घ) : किसी वरिष्ठ आशुलिपिक पद के लिए किसी उम्मीदवार को योग्यता का निर्धारण करने के लिए उसकी तकनीकी कुशलता (अर्थात् आशुलिपि) किसी भी परीक्षा में उसके निष्पादन को कुल मिलाकर जांच की जी चाहिए।

केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड 'डी' में किए गए इंडक्शन ऐक्ट

1657. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या गृह मंत्री केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सर्विस के ग्रेड 'डी' इण्डक्शन ऐक्ट के सम्बन्ध में दिनांक 26 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1430 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी 192 व्यक्तियों से पूर्व जिनकी वरीयता मारी गई, केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड 'सी' उन सभी 619 व्यक्तितों को पदोन्नति का पात्र बनाया जा रहा है जो पदोन्नति की जान में हैं; और

(ख) यदि हां, तो विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जैसा कि 26 अगस्त, 1981 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1430 के उत्तर में पहले बताया जा चुका है कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं है।

रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय के असैनिक कर्मचारियो को भवन निर्माण ऋण

1658. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय के असैनिक कर्मचारियों को भवन निर्माण ऋण देने की व्यवस्था अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस कार्य के लिए उन्हें ऋण न देकर सरकारी एजेंसियों द्वारा उन्हें आबंटित मकान खरीदने से असैनिक कर्मचारियों को वंचित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) कितने असैनिक कर्मचारियों के इस संबंध में आवेदन पत्र कार्यालय में अनिर्णीत पड़े हैं;

(च) उन्हें कब तक ऋण दे दिया जायेगा; और

(छ) इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रस्लय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) (क) से (छ) चालू वर्ष धन की व्यवस्था कम होने के कारण वर्ग 'क' में आने वाली उन जिम्मेवारियों को ही पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है जिनके लिए वचनबद्ध थे। इसलिए सरकारी एजेंसियों द्वारा आलंटित 'ख' में आने वाले बने बनाये फ्लैटों को खरीदने के लिए अग्रिम (एडवांस) मंजूर नहीं किए जा सके। बने बनाये फ्लैटों को खरीदने के लिए मकान निर्माण अग्रिम देने के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय के सिविलियन कर्मचारियों से चालू वर्ष में दो आवेदन एक पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्हें उनकी बारी पर ही, जब भी अतिरिक्त निधि उपलब्ध होगी, अग्रिम मंजूर किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लोग और साम्यवादी संगठनों पर प्रतिबन्ध

1659. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की निरन्तर मांग पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उग्रवादी मुस्लिम संगठनों और उग्रवादी साम्यवादी संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(क) क्या जनता को निरन्तर मांग पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उग्रगवादी मुस्लिम संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय कर लिया है तथा देश में प्रतिबन्ध के आदेश की घोषणा कब की जायेगी यदि हां तो क्यों ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना

1660. **श्री नारायण चौबे** : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के ज्ञापन और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि नेपाली भाषा को आठवी अनुसूची में सम्मिलित किया जाये;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने 1972 में यह आश्वासन दिया था कि इस प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) : 1973 में नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए श्री इन्द्रजीत गुप्त संसद सदस्य के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति पर प्रधान मंत्री ने कहा था कि प्रश्न सरल नहीं है और यह देखना होगा कि अन्य सम्भावित प्रतिक्रियायें क्या होंगी। स्थिति वैसी ही है। फिर भी, उनको आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का विचार किए बिना सभी भाषाओं को सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्परा को विकसित करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा आजीविका अर्जित किया जाना तथा परिवारों का पालन किया जाना

1661. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम जनगणना के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जो अपनी आजीविका कमाने तथा परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करने के लिए विवश है; और

(ख) उनमें से कितने बच्चों को खतरनाक काम करना पड़ता है जैसे कि उपयुक्त सुरक्षात्मक उपायों बिना खतरनाक खानों में अवैध रूप में काम करना ?

श्रम मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ने सूचित किया है कि 1981 जनगणना के माध्यम से प्राप्त आयु-आंकड़ों को अभी सारणीबद्ध नहीं किया गया है।

नमूना प्रदान करने वाले राष्ट्रीय अनुमानों (सैम्पल गिविंग नेशनल एस्टिमेट) के 5% के आधार पर सारणी 1982 के अन्त तक तथा 40% नमूने के आधार पर सारणीकरण 1984 तक प्राप्त होने की आशा है।

हल्दिया में जहाज मरम्मत काम्पलैक्स

1662. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** :

श्री मकुन्द मण्डल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया में जहाज मरम्मत काम्पलैक्स की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) और (ख) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के औचित्य तथा व्यवहार्यता पर भारत सरकार की मूल्यांकन एजेंसियों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज्य सहायता

1663. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता और रियायती वित्त-पोषण का लाभ उन मिलों को मिला है जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित नहीं किया गया था,

(ख) क्या यह मूल्यांकन पिछड़े क्षेत्रों के विकास की सरकारी योजना संबंधी राष्ट्रीयता समिति की रिपोर्ट में किया गया हैं,

(ग) यदि हाँ, तो क्या ये लाभ अधिकांशतः पश्चिम और दक्षिण के ही थोड़े से जिलों को हुआ है जो अपेक्षाकृत विकसित औद्योगिक केन्द्रों के निकट है,

(घ) क्या रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने की बहुत सी लाभकारी नीति का वास्तव में अनुसरण नहीं किया गया, और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

उद्योग मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीयता समिति ने औद्योगिक छितराव सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन के पैरा 4.20 और 4.24 में कहा है कि केन्द्रीय निवेश राजसहायता और रियायती वित्त के लाभ थोड़े से जिलो तक अधिकतर पश्चिमी और दक्षिणी जिलों तक सीमित रहे हैं। अधिकतर जिले जिन्हें पर्याप्त लाभ मिले हैं ऐसे राज्य/संघशासित प्रदेश हैं जिन्हें पांडे कार्यकारी दल ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया है। इनमें से बहुसंख्यक जिले सापेक्षिक दृष्टि से विकसित औद्योगिक केन्द्रो के अत्यन्त निकट हैं।

(घ) और (ङ) : समिति के अनुसार "सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में सदा अपनी रुचि प्रदर्शित की है। योजना में अनेक बहुत लाभकारी नीतियां दी गई हैं। किन्तु उद्योगों के छितराव सम्बन्धी अनेक लाभकारी नीतियों का अनुसरण नहीं किया गया है। समिति के विचारों का विवरण औद्योगिक छितराव सम्बन्धी रिपोर्ट के पैरा 3.19 में देखा जा सकता है।

रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

प्रति व्यक्ति आय

1664. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निम्नतम आय वर्ग के नागरिकों की न्यूनतम आय क्या है और निम्नतम आय वर्ग के लोगों की संख्या क्या है और कुल जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता क्या है; और

(ख) देश में ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिनकी प्रतिव्यक्ति आय 5 लाख रु० से अधिक है तथा उनकी कुल आय क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) यद्यपि प्रति व्यक्ति आय के रूप में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि अखिल भारतीय आयकर सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 1978-79 के लिए व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों की 5 लाख रु० या इससे अधिक अनुमानित वार्षिक आय इस प्रकार है—

स्थिति	मूल्यांकन सं०	सकल आय (रु० लाख)
व्यक्ति	262	3802
हिन्दू अविभाजित परिवार	34	271

सामुदायिक बायो-गैस संयंत्रों की विफलता

श्री रसीद मकसूद : क्या विज्ञान और प्रौदयोगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फतेह सिंह का पुरवा (उत्तर प्रदेश) में भारत का सबसे पहला सामुदायिक बायो-गैस संयंत्र लगभग दो वर्ष तक चलने के बाद विफल हो गया है और बुलन्द शहर के जेनपुर गांव में दूसरे प्रयोग में भी असफल होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो बायो-गैस परियोजनाओं के विफल होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठये जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) फतेह सिंह का पुरवा (उ०प्र०) में सामुदायिक जैव गैस संयंत्र 1979 से सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है । कई सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण हाल ही में इसका चलना इसकी निर्धारित क्षमता से कम हो गया है । इसका मुख्य कारण पशु संख्या में कमी के कारण गोबर की कम आपूर्ति है । गैस उत्पादन और गैस वितरण प्रणालियां वहाँ सफलतापूर्वक चल रही हैं जहाँ पर्याप्त आधार सामग्री संयंत्र को प्रदान की जाती है । जिला बुलन्दशहर में जेनपुर में सामुदायिक परियोजना को अभी चालू नहीं किया गया है ।

(ग) ये प्रयोगिक-व-प्रदर्शन परियोजनाएँ हैं जिनका देश में विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में परीक्षण किया जा रहा है । संयंत्र के पूरा किये जाने के पश्चात सफलतापूर्वक अनुरक्षण और परिचालन को सुनिश्चित करने के लिये परियोजनाओं में सभी प्रयास किये जा रहे हैं । विभिन्न प्रकार के अपष्टि और जल कुमुदिनी का उपयोग करने के लिये बहुमरण डिजाइनों का विकास किया जा रहा है । यह सुनिश्चित करने के लिए सामुदाविक जैव गैस संयंत्रों के लिए स्थलों का चयन करने से पूर्व, पूर्व और पश्च-प्रतिष्ठापन सर्वेक्षण किये जाते हैं कि किसी स्थान विशेष पर पर्याप्त मात्रा में आधार सामग्री उपलब्ध होगी और संयंत्र के पूरे होने के बाद स्थानीय जनसंख्या विशेष प्रबन्ध प्रणाली से संयंत्र का रखरखाव कर पाने में सम्भव होगी । ऐसे कई संयंत्र सन्तोषजनक रुप से कार्य कर रहे हैं और यह आशा की जाती है कि प्रबन्ध में अनुभव से नए संयंत्रों का परिचालन और अधिक सुधरता जायेगा ।

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सीमेंट का वितरण

1666. **श्री चित्त महाटा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को उनकी मांग के आधार पर सीमेंट का कितना वितरण किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में केन्द्र द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : राज्य संघशासित क्षेत्र सीमेंट के लिए अपनी मांग नियमित आधार पर नहीं भेजते हैं । राज्यों को उनकी पिछली खपत और सीमेंट की समग्र उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक तिमाही में सीमेंट का आवंटन किया जाता है । किन्तु, संसद और उसके बाहर कई बार व्यक्त किये गए विचार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीमेंट के आवंटन के बारे में अब जनता तथा आयोजना स्कीमों जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संभरण योजनायें, गंदी बस्तियों में रहने वाले आदिवासियों व

समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाओं पर अधिक जोर देने का निर्णय किया है। इस निर्णय के अनुसार 1 अक्तूबर, 1981 से आरम्भ होने वाली तिमाही के लिए विभिन्न राज्यों को मूलभूत आबंटनों के अलावा सीमेंट का तदर्थ आवंटन किया गया है।

ट्रक चेसिस की खरीद हेतु टाटा और अशोक लेलैण्ड द्वारा मांगी जाने वाली अग्रिम राशि

1668. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा और अशोक लेलैण्ड कम्पनियां चेसिस के निर्णय में संलग्न हैं और उनके द्वारा ग्राहकों को इनका वितरण काफी लम्बे समय बाद किया जाता है ;

(ख) क्या इसके इच्छुक खरीदार को इन कम्पनियों के नाम पाँच हजार रुपये का एक एक ड्राफ्ट जमा करना होता है और जब तक खरीदार प्रतीक्षा सूची में रहता है ये कम्पनियाँ इस राशि को अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल करती हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दो वर्ष पूर्व चेसिस की खरीद के लिए पंजीकृत कराने वाले लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह राशि जमा करनी पड़ती थी और इन जमा राशियों का लाभ सरकार को मिलता था ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस आशय का निदेश देने का है कि ये राशियाँ केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई जाएं, ; यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नरायण दत्त तिवारी) : (क) टेल्को और अशोक लेलैण्ड द्वारा वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण किया जाता है। इन चेसिसों के लिए बड़ी प्रतीक्षा सूची है जिनके लिए ग्राहकों द्वारा वरीयता दी जाती है। निर्माताओं ने बताया है कि इन चेसिसों की डिलीवरी में लगभग 3 वर्ष का समय लगता है।

(ख) तथा (ग) निर्माताओं ने बताया है पहले उनके डीलरों द्वारा वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए आर्डर ग्राहकों द्वारा उनके पास किसी अनुसूचित या सहकारी बैंक में जमा किए गए लगभग 4000 रुपये की मियादी जमा रसीद प्रस्तुत करने पर बुक किए जाते थे। इस समय ग्राहकों के लिए निर्माताओं के अधिकृत विक्रेता के पास नकद 6000 रुपये की राशि जमा करना अपेक्षित है बताया जाता है। बताया जाता है कि डिलीवरी करने तक इस जमा राशि पर 12% की दर से ब्याज मिलता है।

(घ) जी, नहीं। इन जमा राशियों का इकट्ठा किया जाना एक वाणिज्यिक प्रथा है जिससे कम्पनी जमा नियमों का उल्लंघन नहीं होता है।

नागरिकता विहीन लोगों को बसाया जाना

1669. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काफी बड़ी संख्या में उन व्यक्तियों को बसाने का निर्णय लिया है जिनकी सारे भारत में नागरिकता का पता नहीं ; और

(ख) यदि ये व्यक्ति मूलतः बांग्लादेश से आए हैं तो भारत सरकार द्वारा इन लोगों को बसाने के लिए बांग्लादेश से भूमि न मांगे जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जो व्यक्ति 25 मार्च, 1971 के बाद बंगला देश से भारत में आये थे और अवैध रूप से यहां रह रहे थे, उन्हें वापस भेजा जाना है।

भारत में बाल श्रमिक

1670. **श्री सुबोध सैन :**

श्री नरसिंह मकवाना :

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कामकाजी बच्चों की समस्याओं के बारे में भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा किये गये नवीनतम अध्ययन की ओर दिलाया गया है जिसमें यह चिन्ताजनक बात कही गई है कि भारत में 3 करोड़ बाल श्रमिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का यह विचार है कि बाल श्रमिकों का कारण देश में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां हैं। अतः सरकार का यह प्रयास है कि वह कामकाजी बालकों के कल्याण को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन के संबंध में सुनिश्चित करें। सरकार बाल श्रम पद्धति को (उद्योग-वार और क्षेत्र-वार) क्रमिक रूप से समाप्त करने के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बाल श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों की भी प्रतीक्षा कर रही है।

बाल श्रमिकों का शोषण

1671. **श्री जयनारायण रोट** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में बच्चे दिन में 15 घंटे तथा दिल्ली के होटलों और रेस्टोरेन्टों में 10 से 14 घटे तक काम करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग और केरल सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग द्वारा निरीक्षणालय स्टाफ को अनुदेश दिए गये हैं कि वे बाल श्रमिकों के संभाव्य शोषण पर पूर्ण निगरानी रखें और दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के संविधिक उपबन्धों की होटलों तथा रेस्टोरेंटों के समय-समय पर निरीक्षणों

द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करें। बाल श्रमिकों के बारे में कार्य घंटों के उल्लंघन की कोई घटना इस विभाग को सूचित नहीं की गई है।

बंधुआ मजदूर और उनका पुनर्वास

1672. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष, 1981 में बंधुआ मजदूरों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हाल में कुछ अध्ययन दलों ने यह टिप्पणी की है कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए अब तक बहुत कम प्रयास किये गये हैं; और

(ग) बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए अध्ययन दलों द्वारा दिए गए सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या तत्काल कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 30-11-81 को बंधुआ श्रमिकों की संख्या 1, 33, 166 थी।

(ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्ययन दलों ने कुछ जिलों का दौरा किया। उन्होंने पाया कि कुछ स्थानों पर बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और मुक्त कराने की प्रक्रिया अपूर्ण है। तथापि, दल की टिप्पणियां अन्तरिम हैं। उनकी अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

(ग) राज्य सरकारों को लिखा गया है और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वे इस मामले को प्राथमिकता दें।

बिहार में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना

1673. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार की कितनी औद्योगिक परियोजनायें केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हैं; और कब से;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में और छठी पंचवर्षीय योजना में इनमें से कितनी परियोजनाओं को शुरू किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी देना आवश्यक समझती है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) से (घ) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत बिहार राज्य में उद्योगों की स्थापना करने की स्वीकृति हेतु प्राप्त विभिन्न औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्रों में से केवल 5 आवेदन-पत्र फिलहाल अनिर्णीत हैं। इनमें से सबसे पुराना आवेदन-पत्र मार्च, 1981 का है। अनिर्णीत आवेदन-पत्रों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

वैस्टर्न घाट क्षेत्रों का समेकित विकास

1674. **श्री उत्तम राठौर** : क्या योजना मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा राज्यों के वैस्टर्न घाट क्षेत्रों के समेकित विकास की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) क्या इस योजना को लागू करने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है।

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के राज्यों और गोवा के संघ राज्य क्षेत्र में आनेवाले पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए एक कार्यक्रम वर्ष 1974-75 से ही चल रहा है और वह वार्षिक आधार पर अनुमोदित किया जाता है।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए पांचवीं योजना में 20 करोड़ रु० के मुकाबले छठी पंचवर्षीय योजना में 75 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है।

(ग) सम्बधित राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र की समग्र विकास सम्बन्धी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए स्की में कार्य-क्रम तैयार करती हैं। कृषि, पशुपालन, डेरी विकास, छोटी सिंचाई, संचार ये कुछ क्षेत्रक हैं जिनकी तरफ इस कार्यक्रम में ध्यान दिया जाता रहा है।

मालवीय नगर नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के भवनों के निर्माण कार्य पूरा होने के सम्बन्ध के प्रमाण पत्र को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोके रखना

1675. **श्री एन० ई० होरो** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालवीय नगर नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण कार्य पूरा होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जारी नहीं किये हैं क्योंकि स्टाफ कालोनी में कुछ अवैध निर्माण कार्य हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अवैध निर्माण हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० वेंकट रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण कार्य पूरा होने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र को शीघ्र जारी करना सरल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

अलगप्पा काटन मिल्स, राजपालयम द्वारा भविष्य निधि अंशदान का भुगतान न करना

1676. **श्री के० राममूर्ति** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलगप्पा काटन मिल्स, राजपालयम कई वर्षों से भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि की बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) भविष्य निधि के भुगतान न करने के लिए किस प्रकार का दण्ड दिया जायेगा ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) :(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

मंत्रालयों द्वारा सम्मेलन बैठक की सभा की कार्यसूची और कार्यवाही वृतान्त को दो भाषाओं में जारी करना

1677. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक मंत्रालय अपने मंत्रालय के सम्मेलन/बैठकों की कार्यसूची और कार्यवाही वृत्तान्त को राजभाषा अधिनियम के अनुसार दो भाषाओं में जारी नहीं कर रहे हैं;

(ख) ऐसे मंत्रालय कौन-कौन से हैं; और

(ग) ऐसे मंत्रालयों के विरुद्ध अधिनिम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उल्लंघन के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :(क) से (ख) जानकारी सभी मंत्रालयों तथा विभागों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राजभाषा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन की स्थिति की सावधिक समीक्षा विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों तथा अधिकारी स्तर पर गठित कार्यान्वयन समितियों द्वारा की जाती है और वे ही इस सम्बन्ध में सुधारक उपाय करते हैं।

एच० ए० एल० द्वारा राडार का विकास

1678. **श्री सत्येन्द्र नारयण सिन्हा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एच० ए० एल० के इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने नागर विमानन के लिए वायुमार्ग का निरीक्षण करने के लिए एक राडार का विकास किया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या नागर विमानन अधिकारियों ने इन राडारों के लिए आर्डर दिये हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सरकार से प्राप्त होने वाली व्यय सम्बन्धी मंजूरी में विलम्ब होने के कारण नागर विमानन विभाग ने अभी तक कोई आर्डर नहीं भेजे हैं।

पश्चिम बंगाल को कच्चे माल की सप्लाई

1679. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार विभिन्न राज्यों के लिए कच्चे माल का कोटा किस आधार पर तय करती है;

(ख) केन्द्र सरकार के पश्चिम बंगाल को कम कच्चे माल की सप्लाई करने के क्या कारण हैं जबकि राज्य में लघु उद्योग विकास संगठन के सर्वाधिक एकक हैं;

(ग) कुछ राज्यों को कम लघु उद्योग विकास संगठन एकक होने के बावजूद अधिक कच्चा माल किस आधार पर मिल रहा है;

(घ) तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार राज्यों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए भविष्य में क्या नीति लागू करेगी ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार ने राज्यों को उनकी पिछली खरीद तथा प्रत्येक वस्तु की उपलब्धता के अनुसार राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर लोहा और इस्पात, भेड़ बकरी की चर्बी और पैराफीन मोम का आवंटन करने की व्यवस्था की है।

(ख), (ग) और (घ) किसी राज्य में लघु उद्योग विकास संगठन के एककों की संख्या कच्चे माल के आवंटन के लिए मापदण्ड नहीं है।

(ङ) कच्चे माल का वितरण करते समय राज्य के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। इस नीति को भविष्य में सुप्रवाही बनाया जा रहा है जैसे निर्धारित मांग के आँकड़े एकत्र किये जा रहे हैं ताकि कच्चे माल का आवंटन और अधिक वैज्ञानिक ढंग से किया जा सके।

केरल में हरिजन कल्याण सम्बन्धी धनराशि का व्ययगत होना

1680. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की भूतपूर्व सरकार ने हरिजन कल्याण सम्बन्धी एक करोड़ रुपये को व्ययगत होने दिया; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्य सरकार से अनुसूचित जातियों के विकास के लिए धन उपयोग के पूरे ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

मिर्जापुर में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगाना

1681. **श्री उमाकान्त मिश्रा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट की बहुत कमी को देखते हुए तथा इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र में सीमेंट की फैक्टरियाँ लगाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर शहर से 14 कि० मी० दूर एक सीमेंट की फैक्ट्री व्यवहारिक होगा ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में

सीमेंट के कारखाने स्थापित करने की कोई योजना अलग से नहीं चल रही है। जब कभी उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो उपयुक्त मामलों में लाइसेंस/आशयपत्र जारी कर दिए जाते हैं।

(ग) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि चूंकि मिर्जापुर शहर के अन्दर 14 कि० मी० तक चूना पत्थर नहीं मिलता है तथा अधिक दूरी से चूना पत्थर लाना संभव नहीं है अतः वहां सीमेंट कारखाना स्थापित करना संभव नहीं है।

जम्मू और काश्मीर में अनुसूचित जातियां

1682. **श्री रामविलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और काश्मीर की कुल जनसंख्या कितनी है और वहां कुल कितने लोग अनुसूचित जातियों के हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री(श्री योगेन्द्र मकवाना) : 1980 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य की अस्थायी जनसंख्या 5,954,010 है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या विस्तृत सारणीकरण के पूरा होने के बाद ही मालूम होगी।

एक अज्ञात भारतीय की मृत्यु

1683. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 1981 के "इण्डियान एक्सप्रेस" में प्रकाशित "डेथ आफ ऐन अन्नोन इण्डियन" (एक अज्ञात भारतीय की मृत्यु) शीर्षक समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) मृतक के प्रति बिल्कुल उदासीनता और उपेक्षापूर्ण रवैया बतरने के लिए दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध उनसे अपेक्षित तत्काल सहायता न करने और असाधारण चीज देखने पर कार्यवाही करने पर अनिवार्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इस टेलीफोन नम्बर पर बार बार टेलीफोन करने पर भी उत्तर न मिलने और हर समय टेलीफोन नं० 100 पर सेवाएं उपलब्ध न कराने और इस नम्बर को और अधिक लाइनों से न जोड़ने के क्या कारण हैं ;

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) : दिल्ली पुलिस के अनुसार दिल्ली पुलिस के केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष को दिल्ली नगर निगम डिस्पेंसरी, बदरपुर के निकट किसी अज्ञात व्यक्ति के संकटपूर्ण स्थिति में होने के संबंध में 10 अक्तूबर, 1981 को 12.35 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। थाना बदरपुर से एक उप निरीक्षक को भेजा गया था और घटनास्थल पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि व्यक्ति को दि० न० नि० डिस्पेंसरी, बदरपुर की अस्पताल गाड़ी में पहले सफदरजंग अस्पताल ले जाया जा

चुका था। सफदरजंग अस्पताल पहुंचने पर उप निरीक्षक को पता लगा कि व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने प्राप्त प्रथम सूचना पर कार्रवाई की और इसलिए किसी पुलिस कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) टेलीफोन सं० 100 के लिए उपलब्ध लाइनें आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ङ) अप्रैल, 1981 में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को पहले ही इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि पुलिस को बिना किसी दुर्भाव अथवा उदासीनता के बिना मुसीबत की स्थिति में पड़े व्यक्तियों को तूरन्त सहायता दी जानी चाहिए।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

संचार और कम्प्यूटर के क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इंडिया की गतिविधियां

1684. **श्री कृपा सिन्धु भाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इण्डिया का संचार और कम्प्यूटर के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) : इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) का छठी योजना के दौरान संचार और कम्प्यूटर के क्षेत्रों में कंपनी की गतिविधियों का विस्तार करने की योजना है। जहां तक संचार का सम्बन्ध है, इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने अति उच्च आवृत्ति (वी. एच. एफ.) तथा परा उच्च आवृत्ति(यू. एच. एफ) बैण्डों में दुतरफा रेडियो संचार के अनेक उपकरणों को विकसित करके उनका उत्पादन करना शुरु कर दिया है। यह कम्पनी विदेशी तकनीकी जानकारी के आधार पर उच्च आवृत्ति (एच. एफ) के संचार रिसीवरों तथा अति उच्च आवृत्ति (वी. एच. एफ.) के ट्रांसमीटरों का निर्माण करने के कार्य में भी लगी हुई है। इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया रक्षा सेवाओं तथा पुलिस विभाग, नागर विमानन विभाग और रेलवे को ऐसे उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को आशा है कि छठी योजना के अंतिम वर्ष (1984-85) के दौरान ऐसे रेडियो संचार उपस्करों की बिक्री लगभग 7-8 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस समय इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया ही एक मात्र ऐसा उत्पादक है जो डाक-तार, रक्षा रेलवे तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग केलिए सूक्ष्म तंरग दृष्टि-पथ (माइक्रोवेव लाइन आंफ साइट एण्टीना ; डाक-तार तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए उपग्रह संचार एण्टीना का भी विनिर्माण कर रहा है। पिछले 6 वर्षो के दौरान, इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशत आफ इण्डिया लिमिटेड ने 17 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे एण्टिनाओं का उत्पादन किया है और उसकी आपूर्ति की है। आशा है कि योजना की तीन वर्षों की शेष अवधि में यह 12-15 करोड़ रुपए मूल्य के और एण्टिनाओं की सप्लाई कर सकेगा। इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड रक्षा तथा विदेश संचार सेवा को दूर-संचार विषयक अनुप्रयोगों के लिए कम्प्यूटर पर आधारित संदेश स्विचन प्रणालियों को भी सप्लाई कर रहा है। जहां तक कम्प्यूटरों

का सबंध है, इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने 8 बिट के माइक्रोकम्प्यूटरों 12 तथा 16 बिटके मिनीकम्प्यूटरों को विकसित किया है और वह इस समय उनका उत्पादन कर रहा है। यह इस वर्ष स्वयं अपने द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के आधार पर मध्यम आकार के 32 बिट के कम्प्यूटरों का उत्पादन भी आरंभ करने जा रहा है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान ऐसे कम्प्यूटरों की कुल 24 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी जब कि वर्ष 1981-82 के दौरान की 9.50 करोड़ रुपए की बिक्री होने की आशा है। ये कम्प्यूटर वाणिज्यिक आँकडा संसाधन ; वैज्ञानिक अनुसंधान विषयक अनुप्रयोगों ; आन-लाइन औद्योगिक संयंत्र पर निगरानी मॉनीटरिंग) तथा ऊपर उल्लिखित संचार क्षेत्र के लिए कम्प्यूटरों पर आधारित सदंश स्विचन (स्विचिंग) प्रणालियों के एक भाग के रुप में सप्लाई किए गए है। इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के पास वायु सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक जटिल तथा सूक्ष्म किस्म की अचल तथा सचल एवं कम्प्यूटर पर आधारित स्वचालित आँकडा संचालन प्रणालियों के लिए 16 करोड़ रुपए मूल्य के क्रयादेश पड़े हुए है जिनके न केवल डिजाइन स्वदेश में तैयार किए गए हैं, अपितु जिन्हें स्वदेश में ही विकसित भी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने आगामी 4 वर्षों के लिए 16 करोड़ रुपए मूल्य की ऐसी प्रणालियों का उत्पादन तथा सप्लाई करने के वादे किए हैं। कंपनी को आशा है कि योजना के अंतिम वर्ष (अर्थात 1984-85) में यह लगभग 20 करोड़ रुपए मूल्य के कम्प्यूटरों/कम्प्यूटरों पर आधारित प्रणालियों की सप्लाई कर सकेगी, जब कि वर्ष 1980-81 में इनकी 7 करोड़ रुपए मूल्य की आपूर्ति की गई थी।

नेत्रहीन युवकों द्वारा प्रदर्शन

1685. **श्री जगपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 सितम्बर, 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित "डिमानस्ट्रेशन बाई ब्लाइन्डयूथस" (नेत्रहीन युवकों द्वारा प्रदर्शन) शीर्षक समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन युवकों को समस्याओं के निदान के लिए की गई कार्यवाही का विस्तृतब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) :-दिल्ली प्रशासन द्वारा नेत्रहीनों की शिकायतों को दूर करने के लिए पहले ही निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) दिल्ली प्रशासन के सामाजिक कल्याण निदेशालय द्वारा प्रमाणित नेत्रहीनों को दिल्ली परिवह निगम द्वारा मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय किया गया है।

(2) दिल्ली प्रशासन ने अपने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि कुर्सी बुनने का कार्य नेत्रहीनों को सौंपा जाय। कुर्सी बुनने का कार्य अन्य व्यक्तियों को तभी दिया जाय जब इस कार्य के लिए नेत्रहीन व्यक्ति उपलब्ध न हो।

(3) नेत्रहीन व्यक्तियों को भी, मोमबत्तियों के उत्पादन के लिए पेराफिन वाक्स के कोटे के आवंटन के लिए निर्धारित व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित किया गया है।

(4) महाविद्यालय छात्रावास में नेत्रहीन व्यक्तियों के स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(5) नेत्रहीन संघ को संस्थागत प्रयोग के लिए पुनर्वास कालोनियों में भूमि का आवंटन करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

बिहार में बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी

1686. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार के ज्ञाता बीड़ी उद्योग के लगभग 40-50 हजार मजदूरों की दयनीय स्थिति की तरफ आकृष्ट किया गया है जहां मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और श्रम कानूनों के अन्तर्गत सुरक्षा से वंचित रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) बीड़ी उद्योग में रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन तथा न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारण। संशोधन करने के लिए "संबंधित सरकारें" राज्य सरकारें हैं। इस मामले में "संबंधित सरकार" बिहार सरकार है। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा सीमेंट का उत्पादन

1687. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 से नवम्बर, 1981 तक सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों ने अलग-अलग कुल कितने सीमेंट का उत्पादन किया ;

(ख) क्या सीमेंट, का आयात भी किया गया ; यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में कितना सीमेंट आयात किया गया ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य क्या है और अनुमानित खपत कितनी होगी।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) :

(क) क्षेत्र	जनवरी-अक्तूबर 1981 के दौरान लाख मी० टनों में उत्पादन।
सरकारी क्षेत्र	26.30
निजी क्षेत्र	143.40

(ख) जी, हां। जनवरी-अक्तूबर, 1981 में 11.86 लाख मी० टन सीमेंट आयात किया गया।

(ग) योजना आयोग द्वारा गठित सीमेंट उद्योग संबंधी कार्य दल के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुमानित उत्पादन और मांग क्रमश: 372.60 लाख मी० टन और 380.70 लाख मी० टन होगी ।

"बी० एस० एफ० आई० पी० एस० रिफ्ट क्रोप्स अप अगेन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

1688. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "बी० एस० एफ०-आई० पी० एस० रिफ्ट क्रोप्स अप अगेन" (बी० एस० एफ० आई० पी० एस० के बीच पुनः विवाद) शीर्षक समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) सभी सवर्गों को प्राथमिकता के आधार पर पुनरीक्षा करने तथा ऐसे कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए, जो वर्षों से अधिकतम वेतनमान पर रूके पड़े हैं, जैसे आशुलिपिक, क्या कार्यवाही की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा पदों के बैज लगाने के संबंध में मामला न्यायाधीन है ।

(ग) और (घ) : सीमा सुरक्षा बल के आशुलिपिकों के संवर्ग में कोई रूकावट नहीं है । बल में पदोन्नति के अवसरों को सुधारने के लिए किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :

(i) सीमा सुरक्षा बल में श्रेणी "स" के पदों का पुनरीक्षण किया गया है जिससे बल के बहुत से अधिकारियों को लाभ हुआ है ।

(ii) प्रत्येक बटालियन में लैस नायक के 29 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है ।

(iii) प्रत्येक बटालियन में नायक के चार पदों का दर्जा बढ़ा कर हैड कांस्टेबल कर दिया गया है ।

(iv) बटालियन में प्रत्येक सहायक कम्पनी में उपनिरिक्षकों के दो पदों का दर्जा बढ़ा कर निरीक्षक पद कर दिया गया है ।

(v) सीमा सुरक्षा बल में फोलोवर्स के 1382 पदों को उच्च वेतनमान के सिलेक्शन ग्रेड में परिवर्तित कर दिया गया है ।

कालाकोट कोल माइन्स जिला राजौरी जम्मू और काश्मीर के कामगारों की आयुक्त कार्यवाही समिति का ज्ञापन ।

1689. **श्री ई० बाला नन्दन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालाकोट कोल माइन्स वर्करस जिला राजौरी के कामगारों को

संयुक्त कार्यवाही समिति से जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरलस लिमिटेड के 150 कर्मचारियों को उनके निलम्बन की कार्यवाही को चुनौती देने वाली न्याय निर्णय की कार्यवाही से पहले ही नौकरी से निकाल दिये जाने के बारे में ज्ञापन मिला है ; और

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33 के प्राविधान का उल्लंघन करने के लिए प्रबंधकों के विरुद्ध और कामगारों के नौकरी से हटाये जाने के आदेशों को वापस लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यूनियन को परामर्श दिया गया है कि यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 का उल्लंघन हुआ है तो जम्मू व कश्मीर सरकार से विस्तृत सूचना प्राप्त होने तक वह अधिकरण के पास जाए तथा कर्मकारों की सेवा-समाप्ति के बारे में नए सिरे से विवाद भी उठाए ।

इण्डियन मिलिट्री एकादमी देहरादून में विषाक्त भोजन

1690 **डा० वसन्त कुमार पण्डित :**
श्री अमर राय प्रधान :
श्री हरीश कुमार गंगावर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकादमी के 150 केडेटों को विषाक्त भोजन देने के मामलों की जानकारी सरकार को दीगई थी ; यदि हां, तो किस तिथि को ;

(ख) क्या एक ले० जनरल द्वारा की गई विभागीय जांच के अतिरिक्त एक स्वतंत्र रसायन विशेषज्ञ द्वारा भी कोई जांच की गई थी ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पिछले 5 वर्षों से ए० एस० सी० में नियुक्ति के लाभप्रद होने के कारण एकादमी के मैस की स्थिति बिगड़ती जा रही है और इस पर नियंत्रण ढीला पड़ गया है ;

(घ) इस घटना के लिए उत्तरदायी लोगों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या प्रतिकारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) (क) से (ङ) : 21 सितम्बर, 1981 को भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में भोजन में विषैली वस्तु मिले होने की एक घटना हुई थी जिसमें करिअप्पा बटालियन के 220 जेंटिल मेंन कैडेटों में से 185 कैडेट अस्वस्थ हो गए थे, उसकी सूचना सरकार को 26 सितम्बर, 1981 को दी गई थी । ऐसा विश्वास है कि 21 सितम्बर, 1981 को रात्रि के समय दिया गया भोजन विषाक्त था ।

2. विषाक्त भोजन के बारे में जैसे ही सूचना मिली, स्टेशन में उपलब्ध चिकित्सा अधिकारियों को बुला लिया गया । प्रभावित हुए सभी अस्वस्थ जेंटिल मेंन कैडेटों का तत्काल इलाज किया गया । जिन जेंटिल कैडेटों को अस्पताल में भरती करने की जरूरत थी उन्हें शीघ्रता से

अस्पताल भेजा गया। अकादमी अधिकारियों द्वारा तत्परता से की गई कार्रवाई के परिणामत: केवल जेंटल मेंन कैडेट रविन्दर सिंह बंगारी को छोड़कर शेष सभी कैडेट 28-9-1981 को ड्यूटी पर आ गए। जेंटल मेंन कैडेट रविन्दर सिंह बंगारी को गंभीर रूप से अस्वस्थ कैडेट की सूची में रखा गया और विमान द्वारा सैनिक अस्पताल दिल्ली छावनी भेजा गया। उन्होंने पूरी तरह स्वस्थ्य होने के बाद 19-10-1981 को ड्यूटी संभाल ली।

3. राशन जारी करने और भोजन तैयार करने के लिए पहले से ही व्यापक स्थायी अनुदेश मौजूद हैं। अकादमी मैस में भोजन की किस्म के बारे में संस्थान द्वारा प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा रहा है। भोजन की व्यवस्था करने वाले स्टाफ ने 21 सितम्बर, 1981 को राशन की जाँच के लिए मानक आदेशों में जो हिदायतें थीं उनका पालन के बाद रात्रि के भोजन के लिए सामान जारी किया था। राशन देते समय उसके खाने के योग्य न होने का किसी भी सामान में कोई चिन्ह नहीं था। इसके अलावा सभी डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ जो खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं अपने अनुमानित भोजन योग्य समय सीमा (ई० एस० एल०) में थे। 21 सितम्बर, 1981 को सभी कुक और मसालची तथा खाना बनाने वाला जो अन्य अमला ड्यूटी पर था उसकी सामान्य नियमित आरोग्यता जाँच की गई थी और उन्हें संक्रामक रोगों से मुक्त पाया गया था।

4. इस विषाक्त भोजन की इस घटना की रिपोर्ट उपरान्त तत्काल जाँच कराई गई और ब्रिगेडियर की अध्यक्षता में एक औपचारिक जाँच अदालत भी गठित की गई। खाद्य सामग्री के नमूने स्वतन्त्र रूप से विशेषज्ञ जांच करने और उसकी रिपोर्ट भेजने के लिए सेना पैथालौजीकल प्रयोगशाला; सैनिक अस्पताल देहरादून, मध्य कमान मुख्यालय, लखनऊ, और दिल्ली भेजे गए हैं।

5. प्रयोगशाला से जाँच रिपोर्टों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। जाँच अदालत की रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी व्यक्तियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे राशन देने और भोजन तैयार करने के लिए निर्धारित प्रणाली का कड़ाई से पालन करें। इस कथन के लिए कोई आधार नहीं है कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के मैस की व्यवस्था में पिछले पाँच वर्षों के दौरान गिरावट आई है।

दिल्ली प्रशासन में हिन्दी अधिकारियों के पदों का निर्माण

1691. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के पुलिस शिक्षा, खाद्य तथा सम्भरण विभागों, जहाँ, 10,000 से ज्यादा अधिकारी/कर्मचारी काम करते हैं मंत्रालय के राजभाषा नीति के उपबंधों के अपेक्षित हिन्दी अधिकारी तथा सहायक कर्मचारियों के पदों का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) दिल्ली प्रशासन में हिन्दी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के पदों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

2 दिसम्बर, 1981 को होने वाली सदन की बैठक के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई

1692. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई के लिए किसी अन्य देश से अनुरोध किया है और उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : भारत सरकार ने तारापुर परमाणु बिजली घर के वास्ते समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई के लिए अमरीका के अलावा किसी अन्य देश से अनुरोध नहीं किया है ।

औद्योगिक स्थिति पर निगरानी

1693. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र देश भर के सामान्य औद्योगिक स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है और तनाव समाप्त करने तथा विवादों को हल करने के लिए तुरन्त उपाय करके औद्योगिक स्थिति को बिगड़ने से बचाने का प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो विधि मंत्रालय के परामर्श से इस मंत्रालय द्वारा जिस कार्यवाही के बारे में विचार किया जा रहा है । उसका ब्यौरा क्या है ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : सरकार औद्योगिक संबंध स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है । केन्द्र तथा राज्य दोनों में औद्योगिक संबंध तंत्र निवारक मध्यस्थता, सुलह कार्यवाही, न्याय-निर्णयन या पंच फैसले द्वारा काम-बन्दियों और उनसे नष्ट होने वाले समय हानि को कम करने का प्रयत्न करते रहे, जैसा वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक प्रबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक है ।

राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1694. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनको क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समस्त लागत को केन्द्र द्वारा वहन करने के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उड़ीसा में आरम्भ की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें समस्त लागत उपलब्ध किये जाने की संभावना है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का विवरण संलग्न है (विवरण-1) ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) और (ङ) : उड़ीसा की वार्षिक योजना में उल्लिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का विवरण संलग्न है (विवरण-2)। वित्तीय आवंटनों की व्यवस्था सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं में की जाती है।

विवरण 1

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें—1980-85

(छठी पंचवर्षीय योजना)

क्रम संख्या	विकास का शीर्ष/स्कीम
1	2
	1. कृषि और संबंध कार्यक्रम
1.	कृषिऋण स्थिरीकरण निधि
2.	पुनर्गठित आधार स्तर संस्थाओं के लिए मूल निधि के लिए सहायता
3.	अल्पविकसित राज्यों में सहकारी ऋण देने वाली संस्थाओं को सहायता
4.	अल्प विकसित राज्यों में सहकारी विपणन, प्रद्मण और भंडारन के लिए सहायता
5.	सहकारी चीनी और कताई मिलें
6.	उपभोक्ता सहकारी समितियां
7.	भूमि विकास बैंकों के ऋण-पत्र
8.	ग्रामीण बैंकों का भाग
9.	गोबर-गैस विकास के लिए कार्यक्रम
10.	मुख्य फसलों के क्षेत्रों और उपज के सम्बन्ध में सामयिक सूचना
11.	केरल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कृषि-सांख्यिकी की सूचना देने के लिए अभिकरण
12.	फसल-सांख्यिकी में सुधार
13.	नाशक कीटों और बीमारियों का उन्मूलन
14.	राष्ट्रीय नाशक कीटों और बीमारियों पर नियन्त्रण
15.	खत-पतवार नियन्त्रण
16.	गहन कपास जिला परियोजनाएं
17.	गहन पटसन जिला परियोजनाएं
18.	गहन तिलहन विकास परियोजनाएं
19.	नारियल के लिए समग्र कार्यक्रम
20.	काजू के लिए समग्र कार्यक्रम
21.	गहन दाल जिला परियोजना

1	2

22. मछली पकड़ने के छोटे पत्तन
23. पशु महामारी उन्मूलन
24. मुंह और खुर की बीमारियों पर नियंत्रण
25. पांच राज्यों में नई डेरी स्कीमें
26. मछली पालक विकास अभिकरण
27. राज्य बीज निगमों में राष्ट्रीय बीज निगम की सहभागिता
28. चुने हुए उद्यान और पशु-विहार
29. प्रोजेक्ट टाइगर
30. सामाजिक वन उद्योग

2. ग्रामीण पुनर्निर्माण

31. सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम
32. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
33. एकीकृत ग्रामीण विकास (विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम सहित)
34. युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण
35. रेगिस्तान का विकास
36. बेशी भूमि प्राप्त करने वालों के लिए सहायता

3. सिंचाई और नियंत्रण क्षेत्र विकास

37. भौम और भू-पृष्ठ जल (राज्यों में एम० आई० संगठन)
38. हिमालय के क्षेत्र में नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में भू और जल संरक्षण
39. हिमालय के क्षेत्रों में एकीकृत भू और जल संरक्षण
40. नियंत्रण क्षेत्र विकास

4. शिक्षा

41. प्रौढ़ शिक्षा
42. अहिंदी-भाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति
43. अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजनाएं

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

44. परिवार कल्याण कार्यक्रम
45. स्नातकोत्तर विभागों के लिए सहायता (चिकित्सा की परंपरागत पद्धति)
46. चिकित्सा की परंपरागत पद्धति की फार्मेसियों की स्थापना
47. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-ग्रामीण
48. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-शहरी
49. फाइलेरिया नियंत्रण
50. कुष्ठ रोग नियंत्रण

1	2

51. तपेदिक नियंत्रण
52. सामाजिक रूप से संचरित होने वाली बीमारियां
53. हैजा नियंत्रण
54. अंधेपन की रोकथाम
55. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम
56. चिकित्सा शिक्षा का पुनः अभिनवीकरण
57 बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और रोजगार

6. आवास, शहरी विकास और जलपूर्ति

58. त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति
59. छोटे और मझोले नगरों का एकीकृत शहरी विकास (एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत)
60. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

7. श्रम और रोजगार

61. बंधुआ मजदूरों का पुनःस्थापन

8. विद्युत

62. अंतर्राज्यीय संचरण लाइनें

9. समाज कल्याण और पोषाहार

63. एकीकृत बाल विकास सेवाएं
64. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेवाएं
65. निराश्रित महिलाओं और बच्चों का कल्याण
66. विकलांगों की एकीकृत शिक्षा
67. विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय

10. परिवहन

68. अंतर्राज्यीय महत्व की सड़कें
69. आर्थिक महत्व की सड़कें
70. अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास

11. ग्राम और लघु उद्योग

71. जिला उद्योग केन्द्र

12. पिछड़े वर्गों का कल्याण

72. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
73. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
74. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

1	2

75. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मेडिकल और इंजीनियरी के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक
76. लड़कियों के छात्रावास
77. अनुशिक्षण और सहायक स्कीमें
78. अनुसंधान और प्रशिक्षण
79. नागरिक अधिकार अधिनियम के संरक्षण के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था
80. अनुसूचित जाति विकास निगम

(विवरण-2)

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें—उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की सूची (1981-82)

1. कृषि और संबद्ध सेवाएं

1. नाशक कीटों और बीमारियों का उन्मूलन
2. खर-पतवार नियंत्रण
3. गहन तिलहन विकास कार्यक्रम
4. गहन पटसन जिला कार्यक्रम
5. गहन कपास जिला कार्यक्रम
6. विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम सहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
7. ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण
8. सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम
9. नारियल के लिए समग्र कार्यक्रम
10. भौम और भू-पृष्ठ जल संगठन का विस्तार
11. जल ग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण
12. अंतर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं में भू-सरक्षण
13. काजू के लिए समग्र कार्यक्रम
14. मुंह और खुर की बीमारियों पर नियंत्रण
15. पशु महामारी उन्मूलन
16. मछली पालक विकास अभिकरण
17. मछली पकड़ने के छोटे पत्तन
18. राष्ट्रीय उद्यान
19. टाइगर प्रोजेक्ट्
20. पुनर्गठित आधार स्तर ऋण देने वाली संस्थाओं को मूल निधि के लिए सहायता
21. नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम
22. कृषि सांख्यिकी संकलन के लिए अभिकरण
23. सामजिक वन उद्योग

2. आवास, शहरी विकास और जलपूर्ति

24. त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति
25. छोटे और मझोले नगरों का एकीकृत विकास

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

26. परिवार कल्याण कार्यक्रम
27. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम
28. हैजा नियंत्रण कार्यक्रम
29. फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम
30. तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम
31. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
32. समाजिक रूप से संचरित होने वाली बीमारियों (रति रोग) पर नियंत्रण
33. कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम
34. बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण
35. चिकित्सा शिक्षा का पुनः अभिनवीकरण
36. चिकित्सा की परंपरागत पद्धति की फार्मेसियों की स्थापना
37. स्नातकोत्तर विभागों के लिए सहायता (चिकित्सा की परंपरागत पद्धति)

4. शिक्षा

38. प्रौढ़ शिक्षा
39. अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति
40. अनौपचारिक शिक्षा

5. समाज कल्याण

41. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कीम

6. परिवहन

42. अंतराज्यीय/आर्थिक महत्व की सड़कें
43. अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास

7. ग्राम और लघु उद्योग

44. जिला उद्योग केन्द्र

8. पिछड़े वर्गों का कल्याण

45. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां
46. अनुसंधान और प्रशिक्षण
47. लड़कियों के छात्रावास
48. पुस्तक बैंक
49. नागरिक अधिकार अधिनियम के संरक्षण के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था

50. अनुशिक्षण और सहायक सेवाएं
51. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां
52. अनुसूचित जाति विकास निगम
स्रोत : छठी योजना 1980-85

और वार्षिक योजना 1981-82-
उड़ीसा (प्रारूप)
उड़ीसा सरकार
नवंबर, 1980

असम बांग्लादेश सीमा पर "नो-मेन्स लैंड" निर्धारित करना

1695. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम बांग्लादेश सीमा पर चोरी छिपे प्रवेश पर रोक लगाने के लिए वहां एक 100 मीटर चौड़ी " नो मेन्स लैंस" निर्धारित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) :—भारत बांग्लादेश सीमा पर अनधिकृत प्रवेश को प्रभावकारी ढ़ग से रोकने के लिए सुरक्षा प्रबन्धों को और अधिक सख्त बनाने के उपायों पर विचार करने के लिए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है । फिजकल बेरियर्स, "नो मेन्स लैंड आदि के निर्माण सहित विभिन्न उपाय विचाराधीन हैं ।

उगांडा में रूग्ण यूनिटों का पुनः स्थापित किया जाना

1696. **श्री सुभाष चन्द्र बोस भल्लूरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगांडा सरकार ने अपनी रूग्ण मिलों की पुनः स्थापना तथा नए मिल स्थापित करने के लिए भारत सरकार की सहायता माँगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विस्तृत अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उगांडा के अनुरोध की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) से (ग) :—जी हाँ, । उगांडा ने अपने सैरेमिक्स, कागज, चीनी, इंजीनियरी और केबल, चिप बोर्ड, साबुन और तेल तथा उर्वरक उद्योगों के पुनर्स्थापन के लिए सहायता मांगी है । उगांडा ने नये कम्पलैक्सों अर्थात खाद्य तेल तथा लुगदी । कागज परियोजना और लघु तथा मझौले उद्योगों आदि की स्थापना के लिए भारत से सहायता मांगी है । वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति तथा संभाव्यता अध्ययनों का पुनः अनुमान लगाने के लिए अनुरोध किया गया है ।

दिल्ली में दहेज के कारण मृत्यु की शिकायतें

1697. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1979, 1980 और 1981 में दहेज के विवाद से हुई औरतों की मृत्यु के कितने मामले दर्ज हुए हैं ;

(ख) इनमें से कितने मामलों में जांच पड़ताल शुरू की गई ;

(ग) वर्ष वार कितने मामलों की अभी जांच चल रही है ; और

(घ) वर्ष वार कितने मामलों में दण्ड दिया गया, कितने मामलों में बरी किया गया और कितने मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) दिल्ली पुलिस को सूचित किए गए ऐसे मामले नीचे दिए गए हैं:—

1979	9
1980	17
1981	21 (15.11.1981 तक)

(ख) चालान किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गयी है:—

1979	7
1980	10
1981	4 (15.11.1981 तक)

(ग) अभी जांच पड़ताल किये जा रहे मामलों की संख्या नीचे दी गयी है:—

1979	शून्य
1980	2
1981	16 (15.11.1981 तक

(घ) दोष सिद्ध में समाप्त हुए मामले	बरी किए गए मामले	विचारणाधीन मामले
1	2	3
1979 1	1	5
1980 शून्य	2	8
1981 शून्य	शून्य	4

छोटे रूग्ण मिलों को फिर चालू करना

1698. **श्री कमल नाथ** : क्या उद्योग मंत्री छोटे रूग्ण मिलों को फिर चालू करने के बारे में 9-9-1981 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 3366 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे रूग्ण एककों को फिर चालू करने के लिए मार्जिन मनी योजना के बनाये जाने को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) :—सरकार ने 1.1.1982 से जीव्य रूग्ण लघु एककों के पुर्नस्थापन के लिए एक सीमान्त (मार्जिन) धनराशि योजना चालू करने का निर्णय लिया है। यह योजना पहले से ही विद्यमान जिला उद्योग केन्द्र योजना का एक अंग होगी तथा रुग्ण लघु एककों को पहले से ही दी जा रही कुल एक मुश्त सहायता के रूप में तालमेल स्थापित करेगी। योजना की मुख्य विशेषताओं में निम्न लिखित शामिल हैं:—

(i) केन्द्रीय ऋण सहायता राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत किए गए कुल सीमांत (मार्जिन) धनराशि ऋण के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(ii) रुग्ण लघु एकक को सीमांत धनराशि प्रति एकक ऋण की न्यूनतम राशि 1, 000 रुपये तथा अधिकतम राशि 20, 000 रुपये के अध्यधीन स्वीकृत होगी।

(iii) रुग्ण एककों के मामलों पर सम्बन्धित राज्य सरकार के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य वित्तीय निगम राज्य लघु उद्योग विकास निगम, राज्य के प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों, लघु उद्योग सेवा संस्थान के निर्देशक को शामिल कर पुनर्गठित की जाने वाली राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा विचार किया जायेगा, इस समिति में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि संयोजक के रुप में कार्य करेगा।

(iv) सीमांत राशि ऋण केवल उन्हीं पंजीकृत लघु एककों को दिया जायेगा जो पिछले 7 वर्ष में स्थापित हुए हैं तथा ऋण की राशि समान्यतः वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुर्नस्थापन-प्रस्ताव के अंग के रुप में स्वीकृत किए जाने वाले अतिरिक्त ऋण का लाभ उठाने के लिए उद्यमियों द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सीमांत राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

सीमेंट की मांग

1700. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सीमेंट की मांग 3 करोड़ 80 लाख टन हो जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सीमेंट के उत्पादन में नए पूंजी निवेश को बढ़ती मूल्यों के कारण बढ़ावा न मिलने के बावजूद माँग पूरी की जायेगी, ; और

(ग) सीमेंट की माँग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) :—सरकार द्वारा वर्तमान एककों की क्षमता का बेहतर उपयोग करके, नई क्षमता और आयात की स्वीकृत देकर देश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि नई क्षमता के कार्यान्वयन तथा वर्तमान एककों के बेहतर कार्य निष्पादन से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सीमेंटकी उपलब्धता संबंधी स्थिति सुगम हो जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में तकनीकी समन्वय समिति स्थापित करना

1701. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में अब तक हुए कार्य का मूल्यांकन करने और मूल्यांकन की जरूरतों तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक तकनीकी समन्वय समिति स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या पूर्वोत्तर राज्यों में योजना तंत्र को सुदृढ़ बनाने और विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए अन्य प्रभावशाली कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) : जी, नहीं । तथापि उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लिए मूल्यांकन से संबंधित जो उच्च स्तरीय कार्यशाला 3 से 6 नवंबर, 1981 तक कोहिमा में हुई थी उसने यह सिफारिश की है कि निर्धारित किए गए क्षेत्रों में किए जाने वाले मूल्यांकन अध्ययनों के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का मार्गदर्शन करने के लिए एक तकनीकी समन्वय समिति स्थापित की जाए ।

(ख) राज्य स्तर पर विकास कार्यक्रमों का आयोजन और कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । तथापि योजना तंत्र को बढ़ाने की केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत, योजना तंत्र को बढ़ाने की लागत का दो-तिहाई भाग केन्द्र द्वारा पूरा किया जाता है । कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधारकरने के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रबोधन पर बहुत जोर दिया गया है । उत्तर-पूर्वी परिषद ने भी एक बड़े पैमाने जनशक्ति विकास कार्यक्रमों का समर्थन किया है ।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड बंगलौर में सम्पर्क अधिकारी

1702. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में पिछले पाँच वर्षों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के लिए जन सम्पर्क अधिकारी कौन है, क्या यह अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है ; और

(ख) जन-सम्पर्क के कार्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड बंगलौर में पछले पाँच वर्षों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित मामलों के बारे में श्री बी० सी० सुबारयन, प्रबन्धक (कार्मिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध) और श्री बी० सी० अनन्तपद्मनाभन, उप प्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) सम्पर्क अधिकारी रहे हैं । वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के नहीं हैं ।

(ख) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेशों अनुसार सम्पर्क अधिकारी विशेष रूप से इन बातों के लिए जिम्मेदार होता है :—

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए रिक्त स्थानों के आरक्षण से सम्बन्धित आदेशों और अनुदेशों तथा निदेशों के अन्तर्गत उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को कार्यान्वित सुनिश्चित करना ।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित वार्षिक विवरणियों को एकत्र करना, समेकित करना और भेजना ;

(3) इन आदेशों के अन्तर्गत अन्य सूचना देने, प्रश्नों का उत्तर देने तथा शंकाओं का

समाधान करने के मामलों के सम्बन्ध में उपक्रम तथा सम्बन्धित मंत्रालय के मध्य सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना ।

(4) आरक्षण आदेशों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के विचार से उपक्रम में रखे रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण करना ।

(5) यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण तथा इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने से सम्बन्धित मामलों में उपक्रम के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर सामान्य प्रशासनिक निरीक्षण किए जाते हैं ।

पिछड़े वर्गों के लिये शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं

1703. **श्री जयराम वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार की सुविधाओं के बारे में 15.4.1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7559, भाग (क) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को छोड़कर पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए इस समय विभिन्न राज्यों में रोजगार तथा अन्य कौन सी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अपेक्षित सूचना की कई राज्य सरकारों से अभी प्रतीक्षा है ।

कर्नाटक में कुडबी समुदाय को अनुसूचित जातियों में शामिल करना

1704. **श्री ओस्कर फर्नान्डीज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में "कुडबी समुदाय" से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कर्नाटक में "कुडबी समुदाय" को अनुसूचित जनजातियों की सूची शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्ताव और बहुत से अन्य ऐसे प्रस्तावों पर, कर्नाटक समेत सम्बद्ध राज्य सरकारों और भारत के महापंजीयक से परामर्श करके अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित व्यापक संशोधन के सन्दर्भ में, विधिवत रूप से विचार किया जा रहा है ।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर साबुन बनाने वाली सबसे बड़ी कम्पनी

1705. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर जो यूनी लीवर, यू० के० की एक सहायक कम्पनी है, देश में साबुन बनाने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है;

(ख) यदि हिन्दुस्तान लीवर की साबुन उत्पादन की क्षमता असीमित है और ऐसी ही

बनी रहती है, तो लघु उद्योगों के लिए कपड़े धोने के साबुन के उत्पादन के आरक्षण का क्या मतलब रह जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस आरक्षण की सार्थकता के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश के लघु उद्योगों के हित को नजरअन्दाज करके हिन्दुस्तान लीवर को इतनी अधिमानता देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) देश में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड साबुन का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है। कम्पनी के पास "साबुनों" के उत्पादन के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अन्तर्गत 1954 में जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र है। उस समय लागू नीति के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्रों की क्षमता विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। कपड़ा धोने के साबुन का उत्पादन वर्ष 1966 में केवल लघु क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इस प्रकार का आरक्षण कर दिये जाने के बाद इस कम्पनी को कपड़ा धोने के साबुन के उत्पादन में विस्तार करने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। इस उत्पाद के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्रों पर इस समय लागू नीति के अनुसार विशिष्ट क्षमता का पृष्ठांकन करने के प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

स्कूटर्स केरल लिमिटेड द्वारा 'मोपेड' का निर्माण

1706. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के स्वामित्व में केरल की स्कूटर्स केरल लिमिटेड कम्पनी को विदेशी सहयोग से 'मोपेड' के निर्माण का लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विदेशी सहयोगी कौन हैं और इस संयंत्र की क्षमता, लागत पूंजी क्या होगी और इसमें पहला 'मोपेड' कब तक बन जायेगा;

(ग) क्या लाइसेंस मंजूर करते समय मंत्रालय ने देश में 'मोपेड' की मांग तथा सप्लाई को ध्यान में रखा है; और

(घ) क्या मंत्रालय इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त संयंत्र द्वारा बनाए जाने वाले 'मोपेड' की देश में काफी माग है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) मे० स्कूटर्स केरल लिमिटेड ने विदेशी सहयोग से मोपेडों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन दिया है और इसकी गुणावगुणों के आधार पर जांच की जायेगी।

औद्योगिक उत्पादन

1707. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1981 के दौरान अब तक विभिन्न प्रकार का वास्तविक औद्योगिक उत्पादन कितना है और अनुमानित

उत्पादन की तुलना में यह उत्पादन कितना है और इस भिन्नता, यदि कोई है, तो उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) केन्द्रीय संख्यिकीय संगठन द्वारा एकत्र किए गये औद्योगिक उत्पादन के अन्तिम आंकड़ों के आधार पर वार्षिक योजना 1981-82 के लिए निर्धारित 8 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर के लक्ष्य की तुलना में 1981-82 के प्रथम पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त, 1981) के दौरान वृद्धि दर। वर्ष पूर्व की इसी अवधि की अपेक्षा 10.4 प्रतिशत थी।

वर्ष 1981-82 में चुने हुए उद्योगों के लिए निर्धारित लक्ष्य और प्रथम 6 महीनों में हुए वास्तविक उत्पादन की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

वर्ष 1981-82 में चुने हुए उद्योगों के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य तथा वर्ष 1981 में हुआ वास्तविक उत्पादन :

क्र. सं०	उद्योग	1981-82 लक्ष्य	उत्पादन 1981-82 (अप्रैल-सितम्बर)
1	2	3	4
1.	कोयला (दस लाख मी. टन)	121.0	54.5
2.	लिगनाइट (वही)	5.8	2.96
3.	कच्चा तेल (वही)	16.84	7.6
4.	बिक्री योग्य इस्पात (वही) (समेकित संयंत्र)	7.27	3.38
5.	सीमेंट (वही)	22.0	10.07
6.	उर्वरक ("000 मी. टन)		
	(क) नाइट्रोजन युक्त	3200	1445
	(ख) फास्फेट युक्त	925	443
7.	कागज और गत्ता ("000 मी. टन)	1200	588.5
8.	अखबारी कागज ("000 मी. टन)	70	28.8
9.	वाणिज्यिक गाड़ियां ("000 इकाई)	85	41.6
10.	वनस्पति (लाख मी. टन)	7.75	4.24
11.	अल्यूमिनियम ("000 मी. टन)	240.00	105.9
12.	कपड़ा (मिल क्षेत्र) (दस लाख मीटर)	4533.00	2096.00
13.	सूती धागे (दस लाख कि० ग्राम)	1300.00	640.00
14.	पटसन अत्पाद ("000 मी. टन)	1400.00	703.4
15.	मोटर गाड़ियों के टायर (दस लाख संख्या)	8.75	3.6
16.	ट्रैक्टर ("000 मी. टन)	73 00	41.00

1	2	3	4
17.	रेलवे वैगन ("000 मी. टन)	18.00	8.3
18.	साइकिलें (दस लाख संख्या)	4.5	2.3
19.	बिजली के पखे (दस लाख संख्या)	4.5	2.05
20.	पैट्रोलियम उत्पाद (दस लाख मी. टन)	30.15	13.9
21.	कास्टिक सोड़ा ("000 मी. टन)	650.0	303.3
22.	सोडा ऐश ('000 मी. टन)	640 0	307.4

* निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के सम्बन्ध में।

टिप्पणी :—आंकड़े अन्तिम हैं।

"इण्डिया टोबेको" कम्पनी और "मेटल बाक्स" की अवैध गतिविधियां

1708. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया टेबेको कम्पनी और मेटल बाक्स जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, जिन्हें पैकिंग सामग्री बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है, रसायनिक क्रिया से तथा घर्षण मुद्रित गत्ते की डिब्बियों (स्क्रलेट) सहित माचिसों के लेबल बना सकती है;

(ख) क्या यह औद्योगिक विनियमन विकास और अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं है जिसके अन्तर्गत माचिस बनाने का एक मात्र अधिकार लघु तथा कुटीर उद्योगों को है, और

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची के अनुसार मे० इण्डिया टोबैको कम्पनी और मे० मेटल बाक्स को कागज पर आधारित पैकिंग सामग्रियों का उत्पादन करने की स्वीकृति प्राप्त है। यह "कागज उत्पादों" के वर्गीकरण के अन्तर्गत आता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कागज बोर्ड कार्टून भी आ जाता है।

(ख) और (ग) लघु उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए केवल दियासलाई की डिब्बियां (सेफ्टी माचिस) आरक्षित है।

भारत औपथेलमिक ग्लास उपक्रम

1709. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अभी हाल में किये गये एक सरकारी सर्वेक्षण से पता चला है कि देश में बनने तथा बिकने वाले घटिया किस्म के नजर के बहुत अधिक चश्मे "औपथेलमिक ग्लास" के बजाय ग्लास शीटों के बने हैं;

(ख) क्या "भारत औपथेलमिक ग्लास" उपक्रम जो 1968 में चालू हुआ था, चश्मों के लिए अच्छी किस्म के "औपथेलमिक ग्लास" की मांग पूरी करने में असमर्थ रहा है जिससे घटिया किस्म के चश्मों के निर्माण को बढ़ावा मिला है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय करना चाहती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ स्थानों पर भ्रष्ट (उत्पादकों द्वारो एल० ओ० पी० कांच) खिड़की में लगने वाले कांच से बनाए गए एककों का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) भारत आटकालीन ग्लास लिमिटेड दुर्गापुर द्वारा किया जाने वाला चाक्षुल कांच का उत्पादन देश की समग्र मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है मांग और पूर्ति के अन्तर को आयात करके पूरा किया जा रहा है।

(ग) भारत आप्थालीक ग्लास लिमिटेड को उनके दुर्गापुर स्थित औद्योगिक उपक्रम में पर्याप्त विस्तार करने के लिए 500 मी० टन आप्थालीक/आप्टीकल ग्लास की वार्षिक अतिरिक्त क्षमता हेतु एक आशय पत्र स्वीकृत किया गया है। भारत आप्थालिक ग्लास लिमिटेड प्रस्तावित विस्तार के लिए निरन्तर प्रक्रिया प्रौद्योगिकी की स्थापना हेतु विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है इसके अलावा चाक्षुस कांच का उत्पादन करने के लिए एक अन्य एकक का विदेशी सहयोग प्रस्ताव हाल में ही स्वीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी नीति

1711. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश में एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी नीति अपनाने तथा इसको क्रियान्वित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, और यदि हाँ, तो कब तक; और

(ख) 1981 में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों का चालान किया गया और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को कितना दण्ड दिया गया और क्या इस सम्बन्ध में एक पूर्ण सूची सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) यह निर्णय किया गया है कि सम्बन्धित पक्षकारों के साथ परामर्श करके त्रिपक्षीय सम्मेलन में, जो शीघ्र ही आयोजित किया जायेगा, वेतन नीति तैयार की जाए। राष्ट्रीय न्यूनतत मजदूरी का प्रश्न उन विषयों में से एक विषय है, जिस पर उक्त सन्दर्भ में निर्णय किया जाएगा।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा ऋण के लिए आवेदन

1712. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को 12 दिसम्बर, 1970 को एक आशय पत्र दिया था,

(क) क्या निगम ने ऋण के लिए आवेदन किया है; और

(ख) क्या उस आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आफ इण्डिया से प्रायोजना के लिए वित्तीयन हेतु आवेदन किया है, यह ऋण अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।

राज्यों की संसाधन सम्बन्धी स्थिति

1713. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री नारायण चौबे : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्टों को देखते हुए केन्द्र ने राज्यों की संसाधन सम्बन्धी स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्यों को वित्त का आवंटन करने का क्या आधार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) : योजना आयोग 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए संसाधनों की स्थिति को फिर से आंकने के लिए और 1982-83 की वार्षिक योजना के लिए अनुमान तैयार करने के लिए इस समय राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। जिन राज्यों के रिजर्व बैंक के साथ अधिविकर्ष है या जिनकी 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए जिनके संसाधनों में अन्तर है उनसे यह अनुरोध किया जा रहा है कि चालू वर्ष में योजना व्यय को उपलब्ध संसाधनों के भीतर बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय करें जिससे कि उन्हें वर्ष के अन्त में रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष के लिए सहारा न लेना पड़े।

(ख) और (ग) इन विचार-विमर्शों या राज्यों द्वारा चालू वर्ष के बाकी भाग में किए जाने वाले सहमत और उपायों के परिणामों को इस समय बताना कठिन है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ते टी० वी० सैट

1714. **श्रीमती किशोर सिन्हा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दूरदर्शन सैटों द्वारा पारेषण प्राप्त करने संबंधी लागत को ध्यान में रखते हुए 'इंसाट' के टी० वी० कवरेज का पूरा उपयोग नहीं किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अपना टी० वी० सैट नहीं खरीद सकते उन्हें सामूहिक रूप से दूरदर्शन कार्यक्रम देखने के हेतु सस्ते टी० वी० सैट उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) : जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में पुलिस की हड़ताल

1715. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर-अक्तूबर और नवम्बर, 1981 में राज्यों में पुलिस की बहुत सी हड़ताल हुई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए एसोसिएशन बनाने की अनुमति दी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खालिस्तान की मांग में नक्सलवादियों द्वारा सहायता

1716. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया है कि खालिस्तान की माँग कर रहे कट्टर धार्मिक व्यक्तियों द्वारा की जा रही तोड़-फोड़ की गतिविधियों का नक्सलवादियों द्वारा समर्थन किया जा रहा है ; और

(ख) पंजाब तथा अन्य स्थानों पर उग्रवादियों विशेषकर नक्सलवादियों की तोड़-फोड़ की गतिविधियों की दबाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान। सरकार ने समाचार देखा है।

(ख) विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है। फिर भी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाए रखती है और जब कभी आवश्यकता होती है तो मार्गदर्शन और सहायता करती है।

डी० जी० आई० में आर्गेनाइजेशन में असैनिक अधिकारियों के पद

1717. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्र संख्या 1333/डी-प्रोजक्ट/81 दिनाँक 20 अप्रैल, 1981 के द्वारा लिए गए नीति निर्णय के अनुसरण में गत सात महीनों के दौरान असैनिक अधिकारियों को अब तक केवल दो पद ही दिए गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डी० जी० आई० संगठन में विशेषकर वाहन और इलैक्ट्रानिक्स शाखाओं के कई निदेशक डी० जी० आई० संगठन में कई अतिरिक्त सर्विस पदों के निर्माण की माँग कर रहे हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी नहीं। नीति सम्बन्धी निर्णय किए जाने के बाद से उन 8 पदों को, जिन पर पहले सेना अफसर कार्य कर रहे थे, सिविलियन अफसरों द्वारा भरे जाने के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है। इनमें से 3 पदों को

पहले ही भरा जा चुका है और शेष 5 पदों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरे जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिरोही जिले में बनास में सीमेंट कारखाने की स्थापना

1718. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सिरोही जिले में बनास ग्राम में सीमेंट कारखाने के, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, कब तक उत्पादन शुरू करने की सम्भावना है और उसकी सम्भावित उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि सिरोही जिले के किबर्ली गांव में सीमेंट बनाने का पत्थर बहुतायत में उपलब्ध है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उस गांव में सीमेंट का कारखाना लगाए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हाँ, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) प्रतिवर्ष 5 लाख मी० टन क्षमता वाले संयंत्र के 1982 के अन्त तक उत्पादन आरम्भ करने की आशा है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) इस स्थापना स्थल पर प्रतिवर्ष 4 लाख मी० टन क्षमता वाले एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक निजी पार्टी को आशय-पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है तथा वित्त आदि की उपलब्धता के अध्यधीन इसके 4 से 5 वर्ष की सामान्य पनपने की अवधि के भीतर शुरू हो जाने की आशा है।

शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार

1719. **श्री राजेश पायलट** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वार्षिक योजनाओं के दौरान बेरोजगारी को किस सीमा तक रोका गया है, इन दो वर्षों के दौरान गैर मैट्रिक पास, मैट्रिक पास, स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्तियों में रोजगार का तुलनात्मक ब्यौरा अथवा आवंटन और आँकड़े दें ; और

(ख) विद्यार्थियों का मार्ग-निदेश करने की सेवा चलाने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय बेरोजगारी की समस्या हल करने में कहाँ तक लगे हुए हैं ; इस प्रकार की मार्गदर्शी सेवा का क्या परिणाम रहा है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए आवंटन योजना आयोग के वार्षिक योजना 1981-82 के दस्तावेज में दिए गए हैं। छठी योजना उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बेरोजगारी के स्तर को उत्तरोत्तर कम करना है। किन्तु रोजगार सृजन के बारे में पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) छठी योजना में विकास के लिए शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है और इसमें शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास के बीच लाभकारी संयोजन के लिए संहत प्रयत्न की संकल्पना की गई है। संबंधित मामलों के अनेक पहलुओं पर विस्तार से विचार करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है। विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गसंदर्शन ब्यूरो ने वर्ष 1979 में 3652 उम्मीदवारों को और वर्ष 1980 में 3297 उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध कराया है। उम्मीदवारों को रोजगार दिलाने के अलावा ब्यूरो 'पढ़ने के साथ-साथ अर्जन स्कीमों' ; 'नियोक्ता से भेंट कार्यक्रम'; 'प्रतिभा बैंक स्कीम' ; तथा 'अभिरुचि और उत्पादन कार्यशालाओं' जैसे कार्यक्रम भी चला रहे हैं। ब्यूरो स्व-रोजगार से संबंधित सूचना एकत्र कर रहे हैं और उसका प्रसारण कर रहे हैं तथा स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में उम्मीदवारों की सहायता कर रहे हैं।

जिला उद्योग केन्द्रों का कार्यकरण

1720. : **श्री कुंवर राम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला उद्योग केन्द्रों की योजना को बन्द करने का है,

(ख) यदि नहीं, तो इस योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बड़े उद्योगपति जिला उद्योग केन्द्रों की इस योजना को रद्द किये जाने के लिए साठ-गाँठ कर रहे हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) जुलाई, 1980 में उद्योग राज्य मंत्री द्वारा संसद में औद्योगिक नीति पर दिए गए वक्तव्य के अनुसरण में, जिला उद्योग केन्द्रों के पुनर्गठन करने के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। पुनर्गठित जिला उद्योग केन्द्र में अब जिले की संसाधन विभव संपन्नता पर आधारित परियोजनाओं के विकास के लिए महाप्रबंधक और 4 कार्यकारी प्रबंधकों के अलावा तकनीकी विषयों में 3 परियोजना प्रबंधक संगत समझे गए हैं। केन्द्र और राज्यों के बीच जिला उद्योग केन्द्रों पर व्यय करने संबंधी वर्तमान पद्धति जारी रहेगी। जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के लिए मोनीटरिंग व्यवस्था को केन्द्र और राज्य स्तर पर सुदृढ़ बना दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

पूर्वोत्तर राज्यों में जनशक्ति विकास संस्थान की स्थापना

1721. **श्री एस० वी० सिदनाल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में जनशक्ति विकास संस्थान की स्थापना किए जाने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्य के लिए योजना आयोग के पास एक उप योजना पेश की गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन किए जाने का विचार है और और उसे क्या भूमिका सौंपी गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) : उत्तर-पूर्वी परिषद की छठी योजना में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक क्षेत्रीय विज्ञान और शिल्पविज्ञान संस्थान स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया है। भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद इस प्रयोजना के लिए एक परि-योजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

(ग) इस प्रस्तावित संस्थान के लिए छठी योजना की अवधि के लिए 50 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसको दी गई भूमिका का ब्यौरा भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा तैयार की जा रही परियोजना रिपोर्ट में बताया जाएगा।

केरल में राजनीतिक हत्यायें

1722. **श्री वी० के० नायर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1981 से अक्तूबर, 1981 के दौरान केरल में कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई, मृतकों का ब्यौरा, घटना की तारीख और स्थान आदि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने मुकदमें दायर किए गए और उनका क्या परिणाम रहा;

(ग) कानून और शान्ति व्यवस्था के लिए सत्ता परिवर्तन के पश्चात न्यायालयों द्वारा यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं ; और

(घ) उसके क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : केरल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) : लोक व्यवस्था बनाये रखना एक प्रशासनिक कार्य है, जिसमें प्राथमिक रूप से न्यायालय संबंधित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

1723. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस मामले में सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो इस 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) 20 सूत्री कार्यक्रम की कुछ मदें कार्यान्वित की जा चुकी हैं और बाकी मदों को कार्यान्वित करने में काफी प्रगति हुई है। इस कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है और इसे गतिशील रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए चालू वर्ष के लिए और 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि

के लिए भी पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को प्रभावित रूप में कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त नीति संबंधी उपाय और प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है।

(ख) कुल मिलाकर यह कार्यक्रम सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है और पर्याप्त प्रगति हो चुकी है।

संविधान में मैथिली भाषा को शामिल करना

1724. **श्री भोगेन्द्रझा** : क्या गृह मंत्री मैथिली भाषा को संविधान में शामिल करने और बिहार में उर्दू भाषा को दूसरी भाषा घोषित करने के बारे में 6 अगस्त, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 7137 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैथिली भाषा को संविधान के 8 वें अनुच्छेद में शामिल करने के बारे में बिहार सरकार विधान मण्डल द्वारा समर्थन किए जाने के तथ्यों का पता लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार सरकार ने अक्तूबर, 1980 में सूचित किया था कि बिहार के राज्यपाल ने विधान मण्डल के संयुक्त सत्र में कहा था कि राज्य सरकार मैथिली भाषा को सविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रयास करेगी।

(ख) मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी सरकार सभी भाषाओं की सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्पराओं को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है चाहे वे आठवीं अनुसूची में शामिल हों अथवा नहीं।

जेल में जन्मे बच्चे

1725. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की उन जेलों के क्या नाम हैं, जिनमें गत पांच वर्षों के दौरान बच्चों ने जन्म लिया था और उन्हें उनकी माताओं ने पाला-पोसा जो जेल में थीं;

(ख) इस प्रकार के बच्चों की संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में उनका शैक्षिक और सामाजिक विकास किस प्रकार किया गया और जेल मैनुअल के किन विनियमों के अन्तर्गत किया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई निर्देश है तो वे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) "जेल" राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार विभिन्न राज्यों को जेल में पैदा हुए बच्चों के आंकड़े नहीं रखती है। राज्य जेल नियमावलियों में जेल में उत्पन्न हुए जेल में अपनी माताओं के साथ रह रहे बच्चों के रखरखाव और देखभाल के लिए विस्तृत उपबन्ध है। इनके अनुसार केवल ऐसे बच्चे जिनका कोई

सम्बन्धी अथवा मित्र नहीं है अथवा उनको ले जाने अथवा उनकी देखभाल के लिए कोई तैयार नहीं है, को जेलों में तब तक उनकी माताओं के साथ रखा जाता है जब तक वे विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न कर लें। जो बच्चे उस आयु को प्राप्त कर लेते हैं उनको जेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नर्सरी और बालगृहों में रखा जाता है, यदि उनकी माता का स्वीकार्य अच्छा प्रबन्ध उपलब्ध न होता हो। ऐसे बच्चों को सभी प्रर्याप्त सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी महिला कैदियों के बच्चों के लिए क्रेचेज की स्थापना के लिए एक योजना आरंभ की गई थी।

ई० टी० टी० डी० सी० और एस० ई० ई० पी० जैड० का मिलाया जाना

1726. **श्री तारिक अनवर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार द्रुत गति से विकास कर रहे इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में टेकनालाजी के आयात और निर्यात में लगे विभिन्न संगठनों को मिलाने का है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के दो संगठनों इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेकनालाजी डेवलपमेण्ट कारपोरेशन और शान्तांक्रुज इलेट्रानिक्स निर्यात संवर्धन जोन को मिलाने के प्रस्ताव की जांच की है; और

(क) क्या योजना आयोग ने निर्यातिक पार्टियों के लिए ई० टी० टी० डी० सी० का निर्माण गतिविधियों और और एस० ई० ई० पी० जैड० में ई० टी० टी० डी० सी०के निर्माण विंग की स्थापना का अनुमोदन एक ही प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत पहले ही कर दिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) योजना आयोग ने निर्यात उत्पादन कार्यक्रम के लिए इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम को 300 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन प्रदान किया है। वर्ष 1981-82 से वर्ष 1985-86 की अवधि के लिए इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम की निगमित योजना के अंतर्गत निर्यात-उत्पादन योजनाओं में कुछ पूंजी निवेश करने की योजना बनाई गई है। जहां तक इन एककों के स्थान के चयन का प्रश्न है यह निर्णय मामले के गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

राजनीतिक हत्यायें

1727. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में इस वर्ष अब तक कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं; और

(ख) राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) केरल सरकार ने राज्य में 1 जनवरी से 15 नवम्बर, 1981 के दौरान राजनैतिक हत्याओं के 45 मामले सूचित किए हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम की सरकारें

तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अनुसार संबंधित अवधि के दौरान उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई राजनैतिक हत्या नहीं हुई है। अन्य राज्य सरकारों से अभी सूचना की प्रतीक्षा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय

1728. **श्री अनादि चरण दास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए कुछ विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या ऐसे विशेष न्यायालय विभिन्न राज्यों के प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्थापित किया जाने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में अन्य बातों के साथ इस अधिनियम के आधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय गठित करने की व्यवस्था है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों को संबोधित केन्द्रीय गृह मंत्री के तारीख 10 मार्च, 1980 के मार्गदर्शी निदेशों में, जिसकी एक प्रति 19.3.1980 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1077 के उत्तर में सदन के पटल पर रखी जा चुकी है, अन्य बातों के साथ यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रति सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किए गए अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय गठित किए जाएं। ये मार्गदर्शी निदेश अनुसूचित जनजातियों के मामलों के बारे में भी लागू किए गए थे। केन्द्र सरकार ऐसे न्यायालय गठित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ निरन्तर संपर्क रखे हुए है। क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर यह निर्णय करना प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का कार्य है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विशेष न्यायालय, अपेक्षित न्यायालयों की संख्या, उनके स्थापना का स्थान इत्यादि आवश्यक है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश और राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मामलों और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराधों के विचारण के लिए क्रमशः 5 विशेष चलते-फिरते न्यायालय और 3 विशेष न्यायालय गठित कर दिए हैं। तमिलनाडु और बिहार सरकारों ने भी चार-चार विशेष न्यायालय गठित करने का निर्णय किया है और मध्य प्रदेश सरकार ने चार चलते फिरते न्यायालय गठित करने का निर्णय किया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार दो और चलते-फिरते विशेष न्यायालय गठित करने पर विचार कर रही है। कुछ अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन

729. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में हुई प्रगति से संतुष्ट है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में वर्ष 1980-81 के लिए राज्यवार प्रत्याशित व्यय और वर्ष 1981-82 के लिए राज्यवार धनराशि की व्यवस्था के बारे में एक विवरण समापटल पर प्रस्तुत है।

(ख) कुल मिलाकर प्रगति संतोषजनक रही है।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम पर राज्यों द्वारा व्यय*

(करोड़ रु०)

	वर्ष 19180-81 में प्रत्याशित व्यय	वर्ष 1981-82 के लिए धनराशि की व्यवस्था
1. आंध्र प्रदेश	306.68	315.98
2. असम	97.90	104.71
3. बिहार	241.70	316.94
4. गुजरात	257.47	341.68
5. हरियाणा	132.47	145.60
6. हिमाचल प्रदेश	27.41	30.40
7. जम्मू और कश्मीर	38.55	48.39
8. कर्नाटक	210.48	233.83
9. केरल	104.18	111.84
10. मध्य प्रदेश	376.59	433.31
11. महाराष्ट्र	526.87	585.54
12. मणिपुर	11.52	11.92
13. मेघालय	10.00	10.62
14. नागालैंड	4.54	5.09
15. उड़ीसा	150.94	164.38
16. पंजाब	146.28	187.08
17. राजस्थान	173.70	192.83
18. सिक्किम	4.18	3.45
19. तमिलनाडु	182.35	206.20
20. त्रिपुरा	9.29	10.14
21. उत्तर प्रदेश	486.07	60.03
22. पश्चिम बंगाल	209.99	214.87
जोड़	3709.79**	4284.83**

*यह निम्नलिखित मदों पर व्यय के लिए है जिनके लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

(क) अधितम बेशी भूमि का वितरण और भूमि अभिलेखों का संकलन (इसमें सर्वेक्षण और बंदोबस्त के कार्य तथा चकबन्दी भी शामिल है क्योंकि समग्र भूमि सुधार कार्यक्रमों के लिए केवल संयुक्त आंकड़े ही उपलब्ध है);

(ख) भूमिहीनों और कमजोर वर्गों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था (इसमें ऐसे स्थलों पर मकान बनाने के लिए सहायता भी शामिल है क्योंकि आवास स्थलों और उन पर मकान बनाने के कार्यक्रम के लिए केवल संयुक्त आंकड़े ही उपलब्ध हैं);

(ग) बंधुआ मजदूरों का पुनःस्थापन;

(घ) न्यूनतम कृषि मजदूरी को लागू करने के लिए व्यवस्था;

(ङ) सिंचाई;

(च) विद्युत;

(छ) हथकरघा उद्योग;

(ज) पुस्तकों की निःशुल्क पूर्ति और पुस्तक बैंक ? और

(झ) शिक्षु प्रशिक्षण।

जिन मदों के लिए आवश्यक रूप से कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है जैसे ऋण राहत, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा निर्धारण और विनियमन) अधिनियम, आदि, वेइसमें शामिल नहीं हैं।

**इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वर्ष 1980-81 के लिए 54 करोड़ रु० का प्रत्याशित व्यय और वर्ष 1981-82 के लिए 61.5 करोड़ की व्यवस्था शामिल नहीं है क्योंकि उसके लिए राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सौर ऊर्जा के विकास के लिए केन्द्र

1730. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सरकार द्वारा कितने केन्द्र स्थापित किए गए

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने किसी अन्य देश से सहयोग मांगा है, और

(ग) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या है और उन से किस प्रकार का सहयोग मांगा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य कई प्रयोगशालाओं, संस्थाओं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों में किया जा रहा है ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों का आयोग (सी० ए० एस० ई०) एक सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र की स्थापना कर रहा है ताकि आदि प्ररूप का अभिकल्प और विकास किया जा सके और प्रदर्शन और क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए

व्यापक पैमाने पर सौर तापीय प्रणालियों को प्रतिष्ठापित किया जा सके। सौर प्रकाश वोल्टीय क्षेत्र में सी० ए० एस० ई० ने प्रकाश वोल्टीय मोड्यूलों और प्राणियों के प्रायोगिक उत्पादन और प्रदर्शन के लिए सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में एक राष्ट्रीय परियोजना का प्रयोजन किया है।

(ख) और (ग) इस रूप में किसी सहयोग की अपेक्षा नहीं की गई है और बुनियादी नीति आत्मनिर्भरता की है। बहरहाल, निम्नलिखित देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए द्विपक्षीय करारों के अधीन कुछ विनिमय कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा में अनुसंधान और विकास किया जा रहा है : आस्ट्रेलिया, संघीय जर्मन गणराज्य, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियय संघ। इस सहयोग के अंतर्गत वैज्ञानिकों, और सूचना और उपकरण का विनिमय किया जाना है।

उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग

1931. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उच्च न्यायालयों में किस भाषा का उपयोग किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज भाषा विभाग द्वारा पूछे जाने पर उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार ने सूचित किया है कि भारत के माननीय के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने किसी भी वक्तव्य में यह नहीं कहा कि "उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए।" उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के रजत जयंती समारोह के अवसर पर कोचीन में यह कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को संबंधित उच्च न्यायालयों की राजभाषा बनाना गलत होगा। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने आगे चल कर कहा कि यदि किसी कारण अंग्रेजी उच्च न्यायालयों की भाषा नहीं रहती तो हिन्दी को उच्च न्यायालयों की भाषा के रुप में लागू किया जाना चाहिए, परन्तु यह तब जब कि हिन्दी को सारे भारत में लागू किया जाना समय अनुकूल हो और यह भाषा विधि शब्दावली को आत्मसात करने के लिए समृद्ध हो।

(ख) सरकार इस विषय पर मौजूदा संवैधानिक और विधिक उपबंधों का अनुसरण करती रहेगी।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के साथ पठित राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, उस राज्य में स्थित उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अथवा उसके द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री आदेश के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या संबंधित राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

दिल्ली में स्त्रियों की सन्देहास्पद परस्थितियों में मृत्यु

1733. **श्री के० ए० राजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में गत तीन महीनों के दौरान सन्देहास्पद परिस्थितियों में कितनी स्त्रियों की मृत्यु हुई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ मामलों में प्रथमतः उचित प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज नहीं की जाती है और इस प्रकार की शिकायतों को स्थानीय पुलिस गम्भीरता से नहीं लेती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जूतों का निर्यात

1734. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत टेकनालाजी की सहायता से रूस और भारत में जूतों का कोटि के द्रुत विकास और रूस को जूतों के निर्यात किये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणचीत चानना) : (क) सोवियत रूस के प्राधिकारियों से भारतीय जूतों को स्वीकृति देने के लिए निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। उन्हें यह बताया गया था कि भारत जूतों के उत्पादन के लिए सोवियत प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और उन जूतों को उस देश को निर्यात करने के लिए तैयार है। इस बारे में बातचीत चल रही है किन्तु अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रति व्यक्ति आय

1735. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है ; और

(ख) छठी योजना की अवधि के अंत में प्रति व्यक्ति आय क्या होगी ?

योजना मंत्री (एस० बी० चव्हाण) : (क) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में अलग-अलग प्रति-व्यक्ति आय के राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) योजना अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित वृद्धि-दर के अनुसार वर्ष 1979-80 के भावों के आधार पर वर्ष 1984-85 में प्रति-व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन का अनुमान 1744 रुपया दर्शाया गया है ।

रंगीन टेलीविजन के ग्लास शैल बनाने के विभागीय निर्णय का प्रभाव

1736. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा सादे टेलीविजन सेटों के लिये ग्लास शैलों के निर्माण का निर्णय लिये जाने के कारण देश में रंगीन टेलीविजन शुरु करने को धक्का लगा है ; और

(ख) क्या रंगीन टेलीविजन से धीरे धीरे रंगीन टी० वी० सेटों के ग्लास शैलों की मांग बढ़ेगी ?

विज्ञान और प्राद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : जी, हां,

कागज मिलों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये लुगदी बनने लायक किस्म वाले बागान

1737. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कागज मिलों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये इस उद्योग के अनुरुप ऐसे पेड़ पौधे लगाने के तरीकों की जांच कर रही है जिनसे लुगदी बनायी जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार के क्या विचार हैं; और

(घ) कागज मिलों की अनुभव हो रही कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) भारत सरकार के वन महानिरीक्षक ने देश में विद्यमान मिलों और नई मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लुगदी बनाने योग्य लकड़ी के पेड़ लगाने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु वनों के ऊपर महानिरीक्षक अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है। कार्यदल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) राज्य सरकारें सामान्यत: वन-संसाधनों की विकठिन स्थिति से अवगत हैं तथा इनमें से कुछ राज्य सरकारों ने उद्योग परक पेड़-पौधे उगाने के प्रयास पहले से ही शुरु कर दिए हैं।

(घ) सरकार ने देश में संसाधनों को पूरा करने के लिए लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज के आयात को उदार बना दिया है। अनाज के भूसे तथा खोई जैसे कृषि अवशेषों के उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है तथा इस उद्देश्य के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं।

कोचीन और बम्बई में नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यधिक भीड़

1738. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोचीन और बम्बई स्थित नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान में अत्यधिक भीड़ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से कुछ नौसैनिक संस्थानों को उड़ीसा के चिल्का में

स्थानान्तरित करने की वांछनीयता पर विचार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, जहां ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए आधारभूत सुविधायें बहुत अधिक हैं; और

(ग) ऐसे प्रस्ताव पर अनुमानत: कब तक विचार किया जाएगा और उसे क्रियान्वित किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) कोचीन और बम्बई में कई प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। इस समय कोचीन में केवल एक ही ऐसी संस्था है जो प्रशिक्षण दिए जाने के लिए मूल रूप से स्वीकृत संख्या से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षण दे रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चमड़े के उत्पादन में वृद्धि

1739. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चमड़े का उत्पादन तेजी से करने और बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या चमड़े के अतिरिक्त उत्पादन के लिए विभिन्न राज्यों में चमड़ा उत्पादन एककों की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि चमड़े का उत्पादन तटवर्ती राज्यों में ही सीमित है;

(घ) क्या तटवर्ती राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में भी, जहां अधिक पशु उपलब्ध हैं चमड़े के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा; और

(ङ) इस बारे में सरकार के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) :—सरकार की नीति का लक्ष्य उपलब्ध सभी कच्ची खालों और चामों को तैयार चमड़े और उसके बाद चमड़े के जूतों और चमड़े की वस्तुओं में परिवर्तित करना है। तैयार चमड़े से उत्पादन करने की क्षमता को लाइसेंसीकृत करने के कार्य को देश में कच्ची खालों व चामों की उपलब्धता संबंधी स्थिति के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। कच्ची खालों और चामों की वर्तमान उपलब्धता तथा तैयार चमड़े से उत्पादन करने के लिए पहले से स्वीकृत/लाइसेंसशुदा क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित श्रेणियों के लिए तैयार चमड़े की अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस देने का निर्णय लिया है :—

(1) सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य चमड़ा विकास निगमों और लघु चमड़ा कमाने वाली सहकारी समितियाँ।

(2) वे राज्य जहां वर्तमान में फिनिशिंग क्षमता उपलब्ध नहीं है अथवा अर्ध निर्मित चमड़े का उत्पादन होता है किन्तु फिनिशिंग क्षमता अपर्याप्त है।

(3) ऐसे लघु एकक जो वर्तमान में आधे तैयार चमड़े का परिष्करण करते हैं तथा अपनी क्षमता को तैयार चमड़े में परिवर्तित करना चाहते हैं।

(4) विद्यमान एककों को आर्थिक रुप से जीव्य बनाने की दृष्टि से पर्याप्त विस्तार के लिए।

(5) वर्तमान लाइसेंसशुदा आधार तैयार चमड़ा बनाने वाले एककों के सहयोग से नए एककों द्वारा फिनिशिंग क्षमता की स्थापना किया जाना उपबन्ध यह है कि आधे तैयार चमड़े वाले एकक की नई कंपनी में 15 प्रतिशत अंशधारिता हो तथा अपने विद्यमान एककों से नई कंपनी को कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने के लिए तैयार हों।

अखबारी कागज का आयात

1740. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखबारी कागज का आयात करने के लिए गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) विदेशी मुद्रा की बचत के लिए देश में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं,

(ग) क्या आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करके प्रयास किया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अखबारी कागज के उत्पादन में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय की गई राशि (रु० करोड़ों में)
1978-79	74.00
1979-80	118.45
1980-81	138.46

(ख) मैसूर पेपर मिल्स और केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्स के चालू हो जाने पर 1, 55, 000 मी० टन की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न होगी। दि नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता के लगभग 60,000 मी० टन के स्तर में वृद्धि करके उसे 75, 000 मी० टन तक करने के लिए कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में क्रमशः 20, 000 मी० टन और 50, 000 मी० टन क्षमता वाली मिलों की स्थापना करने के लिए मे. सेंचुरी पल्प और में. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स को आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1984-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में अखबारी कागज की परिकल्पित क्षमता और उत्पादन संबंधी लक्ष्य क्रमशः 2, 30, 000 मी० टन और 1, 80, 000 मी० टन रखा गया है जिसके प्राप्त कर लिए जाने की आशा है किन्तु, देशी उत्पादन मांग को पूरा करने में पर्याप्त

नहीं होगा, तथा अगले कुछ वर्षों के दौरान अखबारी कागज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना संभव नहीं हो सकेगा ।

पैकिंग के कागज का वितरण

1741. **श्री निहाल सिह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों को पैकिंग का कागज (कच्चा माल) वितरित करने के लिए कागज मिलों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) क्या यह सच है कि मिलें सम्बन्धित पार्टियों को उनके उन एजण्टों से आर्डर मिलने पर पैकिंग का कागज (कच्चा माल) सप्लाई करती हैं जो कमीशन के रूप में बहुत बड़ी राशि प्राप्त करते हैं और इस प्रक्रिया के कारण लघु एककों को सामान की सप्लाई में विलम्ब हो जाता है, और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध करेगी कि कागज मिलें लघु एककों को पैकिंग का कागज सीधे सप्लाई करें और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) पैकिंग कागज के मूल्य और वितरण पर नियन्त्रण नहीं है और पेपर मिलों की बड़े तथा लघु एककों को पैकिंग पेपर की बिक्री तथा वितरण करने की अपनी अलग अलग नीतियां हैं । अतः वे पैकिंग पेपर का वितरण करते समय व्यापार में प्रवृत्त वाणिज्यिक मानदंड अपनाती हैं । वितरण प्रणाली की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना कठिन होगा कि पैकिंग पेपर की पूर्ति लघु एकाकों को सीधे की जाती है । फिर भी सरकार लघु पेपर मिलों के विकास को प्रोत्साहन दे रही है तथा उत्पादन बढ़ने से पैकिंग पेपर की उपलब्धता सहज हो जायेगी ।

बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास

1742. **श्री निहाल सिह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कुल कितने बन्धुआ मजदूरों को मुक्त किया गया और उनकी राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) क्या इस प्रकार मुक्त किये गये व्यक्तियों के रोजगार के लिए व्यवस्थायें की गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 22.11.81 को समाप्त होने वाले दो वर्षों के दौरान पता लगाए गये तथा मुक्त कराये गये बन्धुआ श्रमिकों की सख्या निम्नानुसार है—

	पता लगाए तथा मुक्त कराए गए
आन्ध्र प्रदेश	2947
विहार	847
गुजरात	42
कर्नाटक	शून्य

केरल	460
मध्य प्रदेश	शून्य
उड़ीसा	6771
राजस्थान	शून्य
तमिलनाडु	24991
उत्तर प्रदेश	4395
कुल	40453

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों को राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में चल रही विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राथमिकता आधार पर शामिल करके तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट देकर उन्हें पुनर्वासित करें।

पता लगाए गए तथा मुक्त कराए गये बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना को भी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि स्व-रोजगार सृजित किये जा सके।

सीमेंट का उत्पादन दुगुना करने के लिए "वर्कशाप"

1743. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि में सीमेंट का उत्पादन दुगुना करने के लिए कोई विचार-गोष्ठी (वर्कशाप) आयोजित की गई थी जिसमें 12 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग भाग लिया था, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनगणना कर्मचारियों द्वारा सिविल पंजीकरण के क्रियान्वयन हेतु जन्म और मृत्यु अधिनियम के पंजीकरण में संशोधन

1744. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1959 में संशोधन पर विचार कर रही है ताकि जनगणना कर्मचारियों द्वारा ही सिविल पंजीकरण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो जनगणनाओं के मध्य काल की अवधि के दौरान काम प्रदान करने के लिए जनगणना निदेशालय की पूर्ण, स्थायी, कुशल और क्षेत्र में क्रियान्वयन करने का अनुभव प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से योजना क्रियान्वित करने तथा जनगणना संगठन में लगाई गई अधुनातन डेटा प्रोसेसिंग मशीनों के लिए संगत आंकड़े देने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्य-वाही की है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार जनगणना संगठन के सुचारु कार्य और

कल्याण हेतु उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए योजना में शीघ्र संशोधन करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

नवीकरण करने योग्य ऊर्जा के साधनों का उपयोग

1745. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे उद्योग में नवीकरण करने योग्य उर्जा के साधनों के उपोयग के लिए प्रोत्साहन दे तथा जिलों में अपनी प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यक्रम को गति प्रदान करें; और

(ख) यदि हां, तो इसकी राज्यवार प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) स्वयं केन्द्र सरकार ने नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है जिनमें त्वरित मूल्यह्रास, बिक्री कर से उन्मुक्ति शामिल है और इसके लिए रियायत योजना भी आरम्भ की है ।

इस दिशा में जो कार्रवाई पहले से ही की जा चुकी है वे इस प्रकार से हैं—

1. उत्तर प्रदेश ने पवन चक्कियों को बिक्री कर से उन्मुक्ति प्रदान की है और 1980-81 के दौरान छोटे किसानों को 50%तक की रियायत प्रदान की जा सकती है ।

2. गुजरात राज्य में विनिर्मित सौर ऊर्जा उपकरणों पर दो वर्षों के लिए बिक्री कर 90% कम करके 1% कर दिया गया है ।

3. हरियाणा—उन किसानों के लिए 50% की रियायत और आसान शर्तों पर ऋण जो कि सौर ऊर्जा उपस्करों और पवन चक्कियों का उपयोग करना चाहते हैं ।

4. महाराष्ट्र—नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण के लिए बिक्री कर से उन्मुक्ति ।

अन्य राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर पत्र व्यवहार किया जा रहा है ।

जिलों में प्रदर्शन यूनिटों की स्थापना करने के बारे में राज्य सरकारों की अनुक्रिया उत्साहवर्धक है ।

लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा एककों का विस्तार करने के लिए आवेदन पत्र

1746. **श्री सन्त कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा एककों का विस्तार करने के लिए आवेदन-पत्र के बारे में 16 सितम्बर 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4420 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मामले की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या उसमें उल्लिखित आशय-पत्र की वैधता को अवधि बढ़ा दी गई है अथवा बढ़ाई जा रही है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विदेशी सहयोग तथा पूंजीगत सामान के आयात के लिए लोहिया मशीन्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की मुख्य रूप रेखा क्या है, उनका कितना मूल्य है और किस देश से आयात किया जाएगा तथा किस विदेशी फर्म के साथ सहयोग की मांग की गई है।

(घ) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखत तीनों फर्मों से अतिरिक्त क्षमता की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) तारीख 10-11-80 के आशय पत्र की वैधता जो स्पिनिंग फ्रेमों के निर्माण के लिए मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर को दिया गया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए छः महीने की अवधि अर्थात् 9 मई, 1982 तक बढ़ा दी गई है कि कम्पनी ने स्पिनिंग फ्रेमों के निर्माण हेतु विदेशी सहयोग के लिए पहले ही आवेदन दे दिया है जो सरकार के विचाराधीन है।

(ग) पूंजीगत सामान के आयात के लिए अभी तक आवेदन नहीं मिला है। स्पिनिंग फ्रेमों के निर्माण हेतु जानकारी की फीस और रायल्टी के भुगतान के आधार पर मैसर्स अटेलियर्स डि कस्ट्रक्शन्स टेक्सटाइल्स, रोना फ्रांस के साथ विदेशी सहयोग के लिए कम्पनी का प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर अभी निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

व्यापार गृहों के कर्मचारी सम्पर्क अधिकारियों को प्रतिबन्धित पास

1747. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री सम्पर्क अधिकारियों को पास जारी करने के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में 26 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1545 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार-गृहों के कुछ कार्यकारी/सम्पर्क अधिकारियों के पास विभिन्न भवनों में प्रवेश हेतु "प्रतिबन्ध" पास है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे पास जारी करने का क्या मानदंड है और उनकी वैधता क्या है।

(ग) क्या इन कुछ गैर अधिकारियों के पास 3 महीने 6 महीने आदि तक के लिए वैध पास होते हैं, यदि हां, तो वे कौन-कौन है और ऐसे पास जारी करने का क्या मानदंड है; और

(घ) इन सम्पर्क अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। "प्रतिबन्ध"

पास धारण करने वाले कार्यकारी/सम्पर्क अधिकारियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये हैं।

(ख) गैर-सरकारी अधिकारियों (व्यापार गृहों के कार्यकारी/सम्पर्क अधिकारियों समेत) को ऐसे पास जारी करने के मानदंड इस प्रकार है—

(1) मांग पत्र सचिवालय के केवल उस अधिकारी की सिफारिश पर भेजे जाएंगे, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो :

(2) सिफारिशों केवल उन मामलों में की जायेगी जहाँ गैर सरकारी अधिकारी को बार-बार सरकारी कार्यालय में आना पड़ता है; और

(3) जिस व्यक्ति के बारे में पास की सिफारिश की जाती है, वह सुरक्षा के लिए कोई जोखिम न हो और उसके प्रवेश सरकारी कार्य तक ही सीमित होंगे। गैर सरकारी अधिकारियों को जारी किये गये पास जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होते हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) सम्बन्धित मंत्रालयों की विशिष्ट सिफारिशों पर पास जारी किये जाते है, जिनसे यह आशा की जाती है कि वे आवेदकों की वास्तविकता से सतुष्ट हैं।

विवरण

21 नवम्बर, 1981 को औद्योगिक गृहों के जिन व्यापार कार्यकारी/सम्पर्क अधिकारियों के पास फोटोपास थे उनकी सूची:—

1. श्री अनिल के० मंगू	बलेकर एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
2. श्री एम० एल० चान्दना	कानसिलडेटिड शिप्पिग एण्ड बल्क प्रा० लि० नई दिल्ली।
3. " आर० शंकर	फार्म फरेट एण्ड फारवर्डिग सर्विसिज, नई दिल्ली।
4. " राजेश्वर राव	फोट अगोड़ा इण्टरप्राईजज, नई दिल्ली।
4. " कैप्टन एस० के० बहल	ग्लोबस नई दिल्ली।
6. " के० एन० वी० सुब्रमनियम	ग्रेट इस्ट्रन चाट्रिग कम्पनी नई दिल्ली।
7. " टी० जे० एस० राजन	ग्रीन इण्टरप्राईजज, नई दिल्ली।
8. " पी० एम० मेनन	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम्पनी, नई दिल्ली।
9. " कैप्टन के० सी० सहगल	इण्टर ओसियल शिपिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
10. " के० एल० बग्गा	जुपिटर शिपिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
11. " जे०ए० जानसन	के० दयालय, नई दिल्ली।
12. " पी० सी० वर्मा	मार्शल प्रोडेक्ट ब्रोकर कम्पनी प्रा० लि०, नई दिल्ली
13. " सी० वी० ठक्कर	जे० जमनादास एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
14. " पी० जे० सिंह	ओरियण्टल चार्टर्स नई दिल्ली।
15. " अर्जुन जजोदिया	शिप लिंकस, जंगपुरा एक्सटेशन, नई दिल्ली।
16. " जी० डी० कोठारी	इण्डियन कापर कार्पोरेशन, नई दिल्ली।
17. " इब्राहीम जेकब	जे० पी० बाद एण्ड वर्डज प्रा० लि०

18. " एस० टी० राजन	मैसर्स बी० एम० एण्ड कम्पनी प्रा० लि०
19. " जी० के० राजगोपालन	कर्मचन्द थापर एण्ड ब्रादर्ज ।
20. " कंजिरासेरी वेंकेटेश्वरम	टेलको
21. " आई० पी० माथुर	श्री राम के० पी०
22. " एच० एस० सईद इब्राहीम	के० पी० वी० शार्क गोह० एण्ड कम्पनी लि०
23. " जमशेद भाभा	मैसर्स टाटा सर्विस स्टील
24. " सोहन सिंह	इण्डियन पौटाश लिमिटेड
25. " के० बी त्यागराजन	रोलर फ्लोर मिल्स फेड
26. श्रीमती शीला जी० गलामी	बलेकर एण्ड कम्पनी प्रा० लि०
27. श्री० जी चन्द्रकांत	जन० फैडरेशन आफ इंडियन कम्पनी, पोर्ट आर्गेनाइजेशन
28. " के० एस० रामकृष्णन	मैसर्स एफ एफ फारवर्डिग सर्विसज़
29. " एन० एन० राय	सिकलेयर होटल एण्ड टी० पी० टी० लि०
30. " सी० एस० सुब्रामणियन	सिन्दर स्टील नंव० लिमिटेड
31. " जसवंत सिंह सम्भरवाल	गैनी शिपिंग कम्पनी
32. " कृष्ण सेठी	कप्यूटर मैंटीनेंस कार्पोरेशन
33. " श्याम सुन्दर लाल	आई० एस० ई० सी० लिमिटेड
34. " पी० के० मूवजानी	शिप एण्ड पोर्ट कार्डिनेशन
35. " मदन लाल धवन	धवन कूल कार्नर
36. " सं० सन्तोष कुमार	हिन्दुस्तान जिंक प्रा० लि०
37. " एम० के० कामथ	मैसर्स साउथ इण्डिया कार्पोरेशन लि०

राष्ट्र संघ द्वारा गोआ स्थित नौसैनिक प्रतिष्ठान को वित्तीय सहायता

1748. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम गोआ स्थित नौसैनिक प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) और (ख) : नौसेना के जल सर्वेक्षण विभाग के लिए आधुनिक जलविज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण में सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 3466633 अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है । इस सहायता में गोआ के हाइड्रोग्राफिक स्कूल में आधुनिक जलसर्वेक्षण उपस्कर तथा उपकरण की व्यवस्था करना भारतीय नौसेना के जलसर्वेक्षण कार्मिकों के विदेश में प्रशिक्षण के लिए फेलोशिप और विदेशों से बुलाए गए जलसर्वेक्षण विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की सेवाओं के लिए भुगतान करना सम्मिलित है ।

प्रतिरक्षा मजदूर संघ का अभ्यावेदन

1749. **श्री एस० मुरुगप्पन :** क्या रक्षा मंत्री 8 अप्रैल, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या

6893 और 9 सितम्बर, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3409 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मजदूर संघ, अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) के अभ्यावेदन में की गई विविन्न मांगों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) विचाराधीन मांगों के बारे में अन्तिम निर्णय करने में ऐसे असामान्य विलम्ब के क्या विशेष कारण हैं तथा इस बारे में शीघ्र निर्णय करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) और (ख) प्रतिरक्षा मजदूर संघ के अभ्यावेदन में की गई अनेक मांगों पर स्थानीय प्रवर्तकों ने संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार बिमर्श किया था और उन्हें स्थिति बता दी गई थी। जो मांगें मंजूर कर ली गई हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई या तो की जा चुकी हैं या चल रही है।

फ्रांस के साथ सहयोग

1750. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शस्त्रास्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फ्रांस के साथ सहयोग करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस बारे में फ्रांसीसी विशेषज्ञों के साथ बैठकें हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) से (ग): अपने हथियारों तथा उपस्करों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार फ्रांस सहित पूर्वी और पश्चिमी देशों में उप लब्ध विभिन्न प्रणालियों का मूल्यांकन करने का विचार कर रही है और सभी सम्बन्धितों के साथ बातचीत कर रही है ताकि उन्हें और प्रौद्योगिकी, जहां ऐसी प्रौद्योगिकी अपेक्षित समय के अंतर्गत देशों में उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध की जा सके। तथापि, इस सम्बन्ध में ब्योरा प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

दिल्ली में पाये गये देसी हथगोले

1751. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कश्मीरी गेट क्षेत्र में 19 अक्टूबर, 1981 को स्थित परित्यक्त स्कूल भवन में बहुत-से देसी हथगोले पाये गये थे,

(ख) क्या इनको केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (सेन्ट्रल फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी) को परीक्षण हेतु भेज दिया गया है;

(ग) प्रयोगशाला ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में और जांच की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) 19 अक्टूबर 1981 को राजकीय तकनीकी सीनियर सेकेन्डरी स्कूल कश्मीरी गेट, दिल्ली के परित्यक्त भवन के एक कमरे में एक थेले में देश में बने 7 हथगोले मिले थे।

(ख) जी हाँ, श्रीमान।

(ग) रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(घ) आगे जाँच पड़ताल की जा रही है।

झालावाड़ राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

1752. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में पिछड़े जिले में झालावाड़ के औद्योगीकरण के लिए क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) अधिक उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिकीकरण सम्पदा की स्थापना करने, रोजगार के अवसर बनाने तथा जिला उद्योग केन्द्र को पुनः सक्रिय बनाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार उद्यमी को लाइसेंसों और मंजूरी के लिए विभिन्न एजेंसियों के चक्कर लगाने के कष्ट से बचाने के लिए इसको काम के आधार पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राजस्थान राज्य में बड़े और मझौले उद्योग क्षेत्र के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 45.09 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय निवेश मुख्य रूप से आधार भूत किस्म की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है तथा इन परियोजनाओं के स्थापना स्थल पर निर्णय तकनीकी-आर्थिक बातों के आधार पर किया जाता है और तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को अधिमान दिया जाता है।

झालावाड़ जिला रियायती वित्त, करों में रियायत, लघु उद्योगों द्वारा मशीनी की किराया-खरीद आदि जैसे केन्द्रीय प्रोत्साहनों के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया है।

(ख) राज्य सकार का 1979-80 से 1983-84 की अवधि में राज्य में किसी भी नई औद्योगिक बस्ती को स्थापित करने का विचार नहीं है। जिले में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप 1979-80 और 1980-81 के दौरान क्रमशः 50 और 494 नए उद्योग स्थापित किये गये 1050 और 1485 प्रत्याशी उद्योगों का पता लगाया गया, 380 और 45 परियोजनओं की रूपरेखाएं तैयार की गई, 875 व 1473 उद्योग पंजीकृत किये गये एवं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 28.50 और 22.50 लाख रुपये का ऋण दिया गया तथा क्रमशः 869 एवं 1548 व्यक्तियों को रोजगार मिला। केन्द्रीय सरकार द्वारा अगस्त, 1981 में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्यों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम फिर से तैयार किया जा रहा है।

(ग) उद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम चलाए गए हैं।

कोयला खानों और गैर-कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या

1753. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला खानों और गैर-कोयला खानों में गत दो वर्ष के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा कितने मामलों में जाँच की गई है; और

(ग) जाँच के परिणामस्वरूप खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा खनन उद्योगों के श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में क्या विशेष उपाय किये गये हैं।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) कोयला तथा गैर कोयला खानों में दो वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या सम्बन्धी नवीनतम आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	घातक दुर्घनाओं की संख्या		गम्भीर दुर्घनाओं की संख्या	
	कोयला	गैर-कोयला	कोयला	गैर-कोयला
1979	148	54	2051	717
1980	142	72	1980	812
1981 (अक्तूबर तक)	129	51	1258	597

(ख) खान अधिनियम, 1952 में व्यवस्था है कि सभी घातक दुर्घटनाओं की खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा जाँच की जानी चाहिए। तथापि ऐसी गम्भीर दुर्घनाओं की, जिन्हें महत्वपूर्ण समझा जाता है, भी जाँच इस निदेशालय के अधिकारियों द्वारा की जाती है।

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं—

(1) असुरक्षित पद्धतियों में सुधार करने के लिए तथा जिम्मेवार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए इन मामलों का प्रबंध तंत्र के साथ उठाया जाता है,

(2) प्रबन्ध तंत्र को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षा समितियों में सुरक्षा समस्याओं पर विचार विमर्श करें,

(3) उपयुक्त मार्गदर्शी रूप रेखाएं तथा अनुदेश समय-समय पर जारी किए जाते हैं, और

(4) जहाँ कहीं अधिकारियों का दोष बहुत गम्भीर प्रकार का होता है या प्रबन्धतंत्र उन जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाही नहीं करता, तो उन मामलों में अभियोजन न्यायालय में दायर किए जाते हैं।

खानों सम्बन्धी पांचवें सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिश

1754. **श्रीमती माधुरी सिंह**

श्री विजय मोदक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष हुए खानों सम्बन्धी पांचवे सुरक्षा सम्मेलन की कितनी सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) शेष सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : 26 और 27 दिसम्बर, 1980 को नई दिल्ली में हुए खानों में सुरक्षा सम्बन्धी पांचवे सम्मेलन ने निम्नलिखित मदों पर विचार किया :—

(1) खनन कम्पनियों की सुरक्षा नीति की परिभाषा।
(2) उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना।
(3) कर्मकारों का प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण।
(4) आंतरिक सुरक्षा संगठन।
(5) सुरक्षा प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता।
(6) छत/दिवार के गिरने सम्बन्धी दुर्घटनाओं की रोकथाम।
(7) स्वास्थ्य और थकान से बचाव।
(8) खान प्लानों की यथार्थता।
(9) खान बचाव सेवाओं का पुनर्गठन।
(10) खान सुरक्षा महानिदेशालय की भूमिका और उसके कर्तव्य।

2. मद 1 से 8 से सम्बन्धित सिफारिशों के बारे में कार्यवाही खान सुरक्षा महानिदेशक और खनन कम्पनियों द्वारा की जानी है। इन सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए संबंधित संगठनों को भेज दिया गया है। खान सुरक्षा महानिदेशक इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को मानिटर कर रहा है।

3. पिट सुरक्षा समिति की स्थापना और कर्मकार निरीक्षकों को सांविधिक समर्थन देने के लिए खान अधिनियम 1952 में संशोधन से सम्बन्धित सिफारिश को अधिनियम में अन्य संशोधनों के साथ उठाया जा रहा है।

4. जहां तक खान बचाव सेवाओं के पुनर्गठन से सम्बन्धित सिफारिश का सम्बन्ध है, यह निर्णय किया गया है कि खान बचाव सेवाओं को प्रबन्ध तंत्र को हस्तांतरित कर दिया जाए। इसमें खान अधिनियम, 1952 में संशोधन अन्तर्ग्रस्त है।

5. जहां तक सिफारिश संख्या 10 का सम्बन्ध है, 17 नवम्बर, 1981 को विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है जो खान सुरक्षा महानिदेशालय की भूमिका और उसके कर्तव्यों की पुनरीक्षा करेगी।

राज्यों में पुलिस कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

1755. **आचार्य भावान देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत 1979-80 में इसे राज्य योजना क्षेत्र को अन्तरित किये जाने के बाद, विभिन्न राज्यों में पुलिस कर्मचारियों के लिए अब तक मकान बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितनी राशि आवंटित की गई है और प्रत्येक राज्य में, वर्षवार, कितने मकान बनाये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग):—अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

विशेष घटक योजना

1756. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने विशेष घटक योजना तैयार की है और उनके मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनके मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को क्या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1980-81, और 1981-82 के दौरान राज्यवार कितनी-कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई;

(घ) राज्य द्वारा वर्ष 1980 से 1981 तक विशेष घटक योजना के लिए कितनी धनराशि दी गई; और

(ङ) अब तक राज्यवार कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या में से कितने परिवारों और कितने लोगों को इसके अन्तर्गत लाया गया और लाभ पहुँचाया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों की पर्याप्त जनसंख्या वाले सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विशेष घटक योजनाएं तैयार की हैं। विशेष घटक योजनाओं पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ योजना आयोग मे विचार विमर्श किया जाता है। इन विचार-विमर्शों में विशेष घटक योजनाओं के सुधारों और उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है और सुझाव दिए जाते हैं। छठी योजना 1980-85 के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास के सम्बन्ध में कार्यकारी दल की रिपोर्ट विशेष घटक योजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में उनके प्रयोग के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी गई है। इस सम्बन्ध में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को समय समय पर पत्र भी भेजे जाते हैं।

(ग) अब तक 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्यों को दी गई विशेष घटक योजनओं को विशेष केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

(घ) 1980-81 के लिए राज्यों की विशेष घटक योजनाओं में कुल परिव्यय 527.75 करोड़ रुपए था।

(ङ) राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 1980-81 में परिवारों के अधीन लाने का ब्यौरा विवरण-2 में देखा जा सकता है।

विवरण-1

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनाओं में विशेष केन्द्रीय सहायता

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980-81 दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता	1981-82 अब तक दी गई
		रुपए लाखों में	रुपए लाखों में
1.	आन्ध्र प्रदेश	734	368.50
2.	असम	97	59.40
3.	बिहार	1013	575.30
4.	गुजरात	220	115.50
5.	हरियाणा	230	112.20
6.	हिमाचल प्रदेश	86	49.50
7.	कर्नाटक	567	266 20
8.	केरल	262	126.50
9.	मध्य प्रदेश	622	378.40
10.	महाराष्ट्र	645	383.90
11.	मणिपुर	4	1.10
12.	उड़ीसा	359	215.60
13.	पंजाब	377	195.80
14.	राजस्थान	528	271.70
15.	तमिलनाडु	956	464.20
16.	त्रिपुरा	21	13.20
17.	उत्तर प्रदेश	2206	1279.30
18.	पश्चिम बंगाल	1003	553.30
19.	सिक्किम	—	1.10
20.	पांडिचेरी	7	3.30
21.	दिल्ली	63	37.40
22.	चण्डीगढ़	—	2.20
	कुल जोड़	10,000	5473.60

टिप्पणी : 1981-82 में कुल 110 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है।

विवरण-2

क्रमसं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1980-81 में शामिल किए गए अनुसूचित जाति के परिवारों की सं०
1.	आन्ध्र प्रदेश	*55,288
2.	असम	15,637
3.	बिहार	—
4.	गुजरात	46,000
5.	हरियाणा	19,673
6.	हिमाचल	15,063
7.	केरल	—
8.	कर्नाटक	53,119
9.	महाराष्ट्र (एन-बी समेत)	*14,055
10.	मध्य प्रदेश	—
11.	मणिपुर	—
12.	उड़ीसा	50,998
13.	पंजाब	65,216
14.	राजस्थान	47,853
15.	तमिलनाडु	*8,323
16.	त्रिपुरा	—
17.	उत्तर प्रदेश	1,56,769
18.	पश्चिम बंगाल	*26,862
19.	पांडिचेरी	—
20.	दिल्ली	—
21.	चण्डीगढ़	—

टिप्पणी:—विशेष घटक योजना और परिवारों को उसके अधीन लाने की नीति हाल ही में शुरू की गई है। अभी सभी राज्यों में रिपोर्ट नहीं आई हैं। यहां पर दिए गए आंकड़ों को अस्थाई समझा जाय, इन पर विशेष घटक योजना 1982-83 के सम्बन्ध में योजना आयोग के आगामी विचार-विमर्शों में विचार किया जाएगा।

*पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई।

राज्य आदिवासी उप-योजना

1757. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को अब तक राज्यवार कितनी आदिवासी उप-योजनायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) राज्यों द्वारा परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं जैसा कि प्रस्ताव था;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इन शेष राज्यों से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) लघु परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्यों की कौन-कौन सी आदिवासी जातियों और क्षेत्र आते हैं और अब तक कौन से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) उनके मंत्रालय को लघु परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कुछ राज्यों द्वारा विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) राज्यों से प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सभी 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में आदिवासी उप-योजनाए 1980-85 और 1981-82 प्राप्त हो गई हैं और विचार-विमर्श किया गया है। इस समय राज्य और संघ शासित क्षेत्र 1982-83 योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग और गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदनों के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। फिर भी, चूंकि 1980-85 के के लिए राज्यों की आदिवासी उप-योजनाओं को कुछ महीने पहले स्वीकृति दे दी गई थी अत: कुछ समेकित आदिवासी विकास परियोजनओं के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन तैयार हैं जबकि अन्य की राज्य सरकारों से प्राप्त होने की आशा है।

(घ) उड़ीसा में माइक्रो-परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अन्य राज्य सरकारों ने माइक्रो परियोजनाओं की सकल्पना का प्रयोग नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) मामले पर राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

प्राप्त हुए उड़ीसा में माइक्रो-परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम संख्या	जनजाति का नाम	स्थिति	परियोजना का नाम
1.	पोदी भुइंया	जिला सुन्दरगढ़ के बोनाई उप-मण्डल में खुतागाइन	पोदी भुइया विकास एजेंसी ।
2.	पादी भुइया	धेनकानन जिला पल्ललिहाडा उप-मण्डल में जमार्दिहो ।	पोदी भुइंया विकास एजेंसी
3	बोंदा	जिला कोरापुट के मल्कागिरी उप-मण्डल में मुदुलीपादा	बोंडा विकास एजेंसी ।
4	जुआंग	जिला वयोंझर के वयोंझर उप-मण्डल में सुआकाटी	जुआंग विकास एजेंसी
5.	कुटियाकोंध	जिला फूलबनी के बल्लीगुदा उप-मण्डल में वेलघर	कुटिया-कोंडा विकास एजेंसी

1	2	3	4
6.	डोंगरिया कोंध	जिला कोरापुट के रायगढ उप-मण्डल में कुरली चाटीकाना	डोगरिया कोंध विकास एजेंसी ।
7.	साओरा	जिला गंजम के बहरामपुर उप मण्डल में थुम्बा	साओरा विकास एजेंसी
8.	लालिया साउरा	जिला गंजम के पारलाखें मुंधी उप मण्डल में साउरा	लाजियां साउरा विकस एजेंसी ।
9.	लालिया साउरा	जिला गंजम में चन्द्रगिरी	-तदेव-

टिप्पणी:—उड़ीसा आदिम जनजाति वर्गों के लिये माइक्रो परियोजना (आदिवासी उप योजना नीति में) की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है ।

आदिवासी उप-योजना और घटक योजना का कार्यान्वयन

1758. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी उप-योजना और विशेष घटक योजना को बनाने और इनके कार्यान्वयन के लिए उनके मंत्रालय के पिछड़े वर्गों के डिवीजन द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है;

(ख) क्या आदिवासी उप-योजना और विशेष घटक योजना के लिए एक पृथक डिवीजन बनाने और इस प्रयोजन के लिए पूरी तरह से एक सलाहकार नियुक्त करने के लिए उनके मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव है क्योंकि इस वर्ग के लिए योजना की नई विचारधारा के बाद कार्य-भार में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो ऐसा डिवीजन कब बनाया जायेगा; और

(घ) आदिवासी उप-योजना और विशेष घटक योजना के लिए इस समय डिवीजनों द्वारा और योजना आयोग के सलाहकारों द्वारा क्या भूमिका निभाई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) पिछड़े वर्ग प्रभाग जनजातीय उप योजनाओं और विशेष संघटक योजना के संबंध में उद्देश्य, कार्यनीति और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करता है तथा राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई जनजातीय उप योजनाओं और विशेष संघटक योजना को अंतिम रूप देता है तथा संसाधनों के आवंटन की सिफारिश करता है यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा भी करता है ।

(ख) और (ग) : योजना आयोग में पिछड़े वर्ग प्रभाग जनजाति उप-योजनाओं और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संगठक योजनाओं का काम देखता है । केवल जनजातीय उप योजनाओं और विशेष संघटक योजना के लिए अलग से एक सलाहकार नियुक्त करने के किसी भी प्रस्ताव पर योजना आयोग विचार नहीं कर रहा है । यह अनुभव किया जाता है कि राज्य योजना सलाहकारों को एक राज्य की सामान्य योजना की समग्र जानकारी रहती है और वे जनजातीय उप योजनाओं और अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजनाओं को तैयार करने कार्यान्वित करने के काम को देखने की अधिक अच्छी स्थिति में होते हैं । तथापि अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए संसदीय समिति की हाल ही की बैठकों में केवल जनजातीय उप योजनाओं और विशेष संघटक योजनाओं का काम देखने के लिए अलग से एक सलाहकार नियुक्त करने के बारे में एक सुझाव दिया गया था।

(घ) : योजना आयोग के विभिन्न विषय प्रभाग अपने से संबंधित विषयों के बारे में योजनागत कार्यक्रमों/स्कीमों की जांच करते हैं और उपयुक्त सिफारिशें करते हैं। इन प्रभागों के अध्यक्ष सलाहकार होते हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं।

उड़ीसा का उद्योगीकरण

1759. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार के इस नीति संबंधी निर्णय के अनुसार कि एक हजार करोड़ की रुपये राशि खर्च करके एक हजार उद्योगों की स्थापना एक हजार दिन में करके राज्य का द्रुत उद्योगीकरण करना है, इस बारे में अब तक राज्य द्वारा की गई उपलब्धि क्या है;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा गैरसरकारी, सरकारी और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अब तक कितने आशय-पत्र जारी किए गए थे और संबंधित एजेंसियों द्वारा कितने उद्योगों की स्थापना की गई थी और राज्य में इन उद्यमकर्ताओं द्वारा कितनी राशि का पूंजीनिवेश किया गया था; और

(ग) उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा अपनाये गए विभिन्न नए उपाय क्या हैं और औद्योगिक नीति में अपनाई गई नीति क्या है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य संबंधित विभागों ने इस नीति में क्या परिवर्तन किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) इसका संबंध राज्य सरकार की नीति और कार्यक्रम से है।

(ख) उड़ीसा राज्य में (गैर-सरकारी, सरकारी संयुक्त क्षेत्र में) एककों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1980 और 1981 (अक्तूबर, 81 तक) कुल 36 आशय पत्र जारी किए गए थे। चूंकि आमतौर पर आशयपत्र जारी करने के बाद परियोजना को पूरा होने में लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। अतः ये आशय पत्र कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) इसका सम्बन्ध राज्य सरकार की नीति से है।

प्रवाल-भित्ति (कोरल रीफ) समिति

1760 : **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रवाल-भित्ति (कोरल रीफ) समिति की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सजीव कोरल के वाणिज्यिक और औद्योगिक विदोहन पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कारगर कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : जी हां ।

(ख) समिति ने अभी अंतिम रिपोर्ट पेश करनी है ।

(ग) तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी को समुद्री राष्ट्रीय पार्क घोषित करते हुए प्रवाल के वाणिज्यिक विदोहन पर प्रतिबंध लगाने के लिये पहले ही उपाय किये हुए हैं । विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात आगे की अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी ।

परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए स्थल चयन समिति का प्रतिवेदन

1761. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या प्रधान मंत्री पंजाब के लिए परमाणु बिजली संयंत्र के बारे में 19 अगस्त, 1981 के अतरांतिक प्रश्न संख्या 509 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नये परमाणु बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थलों के चयन का सुझाव देते हुए इसमें उल्लिखित स्थल चयन समिति ने अपना प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) उनके द्वारा विशेषकर पंजाब में सुझाये गये स्थल कौन-कौन हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) आशा है कि स्थल-चयन-समिति उत्तरी क्षेत्र के संबंध में अपनी रिपोर्ट सन 1983 के आरम्भ तक प्रस्तुत कर देगी ।

छठी योजना के दौरान पंजाब को किये गये आवंटन की धन राशि

1762. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि, सिंचाई, विद्युत और उद्योग शीर्षों के अंतर्गत चालू योजना के दौरान पंजाब को कुल कितना आवंटन किया गया हैं; और

(ख) अब तक कुल कितनी राशि रिलीज की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) पंजाब की 1980-85 की छठी योजना के लिए 1957 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय में से कृषि, सिंचाई, विद्युत और उद्योग के अंतर्गत कुल आवंटन इस प्रकार हैं :—

	(करोड़ रु०)
कृषि और संबद्ध क्षेत्रक	254.76
सिंचाई	327.29
विद्युत	732.94
उद्योग और खनिज	81.68

(ख) केन्द्रीय सहायता क्षेत्रवार या स्कीमवार नहीं दी जाती है। वह सामान्य ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है।

गाजीपुर जिला (उत्तर प्रदेश) का पिछड़ापन दूर करना

1763. **श्री जैनुल बशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की पिछड़ेपन दूर करने के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु योजना आयोग द्वारा कोई विशेष अध्ययन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में उपयुक्त सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा इन सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : तक प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

देश में जिलों का विकास

1764. **श्री कैयूर भूषण** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने देश के विभिन्न जिलों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से जिले हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस बी चव्हाण) (क) जी, नहीं। उप राज्य स्तर पर विकास कार्यक्रमों को तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मध्य प्रदेश में वनस्पति उद्योगों की स्थापना करना

1765 : **श्री कैंयूर भूषण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग ने राज्य में वनस्पति उद्योगों की स्थापना करने के लिए कुछ आवेदन-पत्र पत्रों की सिफारिश की थी और उन्हें केन्द्रीय सरकार को भेज दिया था;

(ख) यदि हां, तो ये आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुए थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार इन पर निर्णय करने में विलम्ब कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में ब्यौरा क्या है।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी, नहीं।

(ख) ये आवेदन वर्ष 1978 से 1981 (3-10-1981 तक) के दौरान प्राप्त हुए थे।

(ग) से (ङ) :—वनस्पति का उत्पादन करने वाले एककों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस संबंधी सभी आवेदनों को निपटाया नहीं जा सका है, क्योंकि अन्य बातों के साथ ही मामला अभी हाल तक न्यायाधीन था। अनिर्णीत पड़े आवेदनों का यथाशीघ्र निपटारा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

पवन चक्की का डिजाइन

1766. **श्री ए० के० राय : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्हें बंगलौर में केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाई गई पवन चक्की के सस्ते डिजाइन की जानकारी है जो पानी उठाने के एक प्राथमिक संयंत्र में चल रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस की लागत क्या है और इसकी पानी निकालने की दर क्या है और तकनीकी आंकड़े क्या हैं,

(ख) क्या बिहार के छोटा नागपुर के पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में उठाऊ सिंचाई के लिए एक जलाशय के साथ कार्य करते हुए ऐसी सस्ती पवन चक्की बहुत उपयोगी होगी,

(ग) क्या सरकार का विचार छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर छोटा नागपुर में ऐसी कुछ पवन चक्कियां लगाने का है, और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां, एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

(ख) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में पवन चक्कियों को चालू किया जा सकता है यदि पवन की गतियों का औसत लगभग 8 कि० मी०/घंटे हो, और इसके लिए कुल अपेक्षित लिफ्ट लगभग 6 मीटर हो।

(ग) और (घ) छठी योजना के दौरान एक देश व्यापी पवन चक्कियों के व्यापक प्रदर्शन कार्यक्रम का कार्वान्वयन किया जा रहा है। पवन की गतियों, पवन के प्रतिमानों और मौसमी विभिन्नताओं, जल स्तर की गहराई, फसल प्रतिमान, लघु सिंचाई में पम्प आवश्यकताओं, पेय जल, आदि जैसे पहलुओं पर विचार करते हुए, राज्य सरकारों के परामर्श से देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थलों का चुनाव किया जा रहा है।

विवरण

क्षैतिज अक्षीय बहु दिशिक जल पम्पन पवन चक्की का रोटर डाय मीटर 5 मीटर होता है और इसके 12 धातु फलक होते हैं। पम्प एकल क्रियाशील प्रत्यागामी प्रकार का होता है। टावर की ऊंचाई 6 मीटर है। 8 कि० मी० प्रति घंटा की औसत की पवन गति वाले क्षेत्रों में इस पवन चक्की को संचालित किया जा सकता है, इसकी लगभग 6 मीटर की कुल लिफ्ट क्षमता है और पानी का निकास करीब-करीब 2500 लीटर प्रति घंटा है। इन पवन चक्कियों का लघु सिंचाई या पेय जल के निकास के लिए या नमक पानस में लवण जल के पम्पन के लिए

उपयोग किए जाने की अपेक्षा है। इसके प्रत्येक एकक की अनुमानित कीमत लगभग 12,000 रुपये हैं।

इसी प्रकार की पम्पन चक्कियों को इंजीनियरिंग एंड रुरल टैकनोलोजी इंस्टीट्यूट, इलाहबाद में विकसित किया गया है। ऐसी बहुत सी पवन चक्कियों को कई स्थलों पर प्रदर्शन और क्षेत्रीय परीक्षण के लिए प्रतिष्ठापित किया जा रहा है।

धार्मिक महापुरुषों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों वाली पुस्तकों की बिक्री और प्रकाशन

1767. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को भेजे गये पर धार्मिक संत पुरुषों, अथवा धार्मिक परम्पराओं और सुविधाओं के खिलाफ अपमानजनक सामग्री वाली पुस्तकों की बिक्री और प्रकाशन के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है और ऐसी पुस्तकें कौन-कौन सी हैं जिनके विरुद्ध विभिन्न राज्यों को अलग-अलग केन्द्रीय सरकार द्वारा मामलों का उल्लेख किया गया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सैनिक स्कूल खोलना

1768. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1981-82 और 1982-83 में सैनिक स्कूल खोलने के लिए किन राज्यों के किन स्थानों का चयन किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) और (ख) : 1981 में, सैनिक स्कूल खोलने के लिए अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और त्रिपुरा सरकारों से प्रस्ताव पास हुए हैं। इन सरकारों को वे सभी आवश्यक बातें बता दी गई हैं जिन्हें सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा पूराकिया जाने के बाद भारत सरकार इस मामले पर विचार करेगी। बिहार, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र सरकारों ने अपने प्रस्तावों के बारे में दुबारा कोई उल्लेख नहीं किया है अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा की सरकारों ने कुछ और सूचना मांगी है जो उन्हें दी जा रही है।

हार्ड कांसल वाइड एण्ड एलाइड कम्पनीज एम्पलाइज यूनियन, बम्बई के महासचिव द्वारा भेजा गया ज्ञापन

1769. **श्री आर० के० महालगी** :

श्री चतुर्भुज : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें "उपदान संदाय अधिनियम" में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव देते हुए हार्ड कांसल वाइड एण्ड एलाइड कम्पनीज एम्पलाइज यूनियन, बम्बई के महासचिव का दिनांक 22 जुलाई, 1981 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) उपरोक्त ज्ञापन में दिये गये सुझाव क्या हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक सुझाव के बारे में सरकार ने क्या निर्णय है; और

(घ) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं और निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी, हाँ।

(ख) ये सुझाव अधिनियम के कार्य क्षेत्र के विस्तार, सेवा अवधि पर या संगणना के लिए वेतन की अधिकतम मात्रा के बारे में प्रतिबन्ध या सीमा को हटाने से सम्बन्धित है।

(ग) और (घ) : उपदान संदाय अधिनियम, 1975 में संशोधन करने के कुछ अन्य प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले इन सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।

भर्ती के लिए विभिन्न शारीरिक मानदंड

1770. **श्री जैनुल बशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं की रैंक में भर्ती के लिए विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न शारीरिक मानदन्ड रखे गये हैं; और

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी नहीं। अन्य रैंकों में भारती अलग-अलग जातियों के लिए अलग-अलग शारीरिक मान दण्डों पर आधारित नहीं है। किन्तु विशेष जाति के समूहों के अलग-अलग ऊंचाई के मान दण्ड निर्धारित किये गये हैं।

(ख) गोरखा, नेपाली, असमी (इसमें मणिपुर, नेफा, मेघालय और त्रिपुरा से की जाने वाली भरती भी शामिल है) और गढ़वालियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर और लक्ष्द्वीप के रहने वाले रंगरूटों के मामले में 2 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकती है। अलग अलग समुदायों के लिए लागू विभिन्न शारीरिक मान दण्ड संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

विवरण

थल सेना में भर्ती के लिए शारीरिक मानदण्ड

समूह	ऊंचाई सेंटीमीटर	सीना सेंटटीमीटर	वजन किलोग्राम
(1) अहीर, गूजर, जाट, राजपूत, सिख (एम एंड आर को छोड़कर)	170	79	53
(2) बंगाली, उड़िया	166	78	51

1	2	3	4
(3) बिहारी	166	78	50
(4) दक्षिण भारतीय वर्ग	164	78	51
तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश	162	77	50
(5) मराठा/महार, गुजराती, डोगरा, अन्य भारतीय नागरिक	164	78	50
(6) सिख (एम एण्ड आर)	167	78	50
(7) कुमाउंनी	163	78	49
(8) आदिवासी	160	77	48
(9) भील, गोनी, संथाल	159	78	48
(10) गढ़वाली	160	79	50
(11) मीणा, बुन्देला, लददाखी	155	78	50
(12) असमी	157	78	50
(13) गोरखा आधिवासी	157	77	48
(14) गोरखा नेपाली, भूटानी, भोटिया, सिक्किमी, नागालैंड के स्थानीय लोग, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय	154	78	50
(15) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह			
बसने वाले	162	78	50
स्थानीय	152	78	50

काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन के मामले

1771. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री पीयूष तिरकी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा समाचार मिला है कि राष्ट्रसंघ द्वारा निर्धारित रेखा, जो काश्मीर में भारतीय तथा पाकिस्तानी सेनाओं को पृथक करती है, पर युद्ध विराम के उल्लंघन के मामले में "सात वर्ष की अवधि में हुए ऐसे मामलों से भी अधिक" की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1981 के अन्तिम सप्ताह के दौरान युद्ध विराम रेखा के 15 किलोग्राम लम्बे सेक्शन पर गोलीबारी की बड़ी घटना का समाचार मिला था;

(ग) यदि हां, तो क्या केवल अक्टूबर महीने के दौरान युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन के

30 से भी अधिक मामले हुए जो 1974 के बाद ऐसे मामलों की मासिक संख्या की तुलना में सबसे अधिक थे; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा सीमा के उल्लंघन के इन मामलों के कारण भारत को कुल कितनी हानि हुई तथा इस स्थिति का राजनीतिक तथा सैनिक रूप से मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) से (ग) : सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं। जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अकारण गोली चलाए जाने की छुट-पुट घटनाएं पिछले कई वर्षों से होती रही हैं। नियंत्रण रेखा पर संयुक्त राष्ट्र का प्रशासन नहीं हैं।

अक्तूबर 1981 में कोई बड़ी घटना होने की सूचना नहीं है। उस महीने में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन की 10 घटनाएं हुई हैं।

(घ) अक्तूबर 1981 में गोली चलाने की हुई घटनाओं में हमारी ओर कोई हताहत नहीं हुआ। देश की सीमाओं तथा नियंत्रण रेखा की रक्षा और वहां पर नियुक्त हमारे कार्मिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद हैं। युद्ध विराम की जब भी कोई बड़ी घटनाएं होती हैं तो उन्हें पाकिस्तानी सरकार के साथ उठाया जाता है। छोटी छोटी घटनाओं का स्थानीय कमान्डरों को फलैग बैठकों में समय-समय पर समाधान किया जाता है।

विचाराधीन बंदी माताओं सहित विभिन्न जेलो में रखे गए बच्चे

1771. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न जेलों में माताओं सहित कितने बच्चे रखे गये हैं और हाल के जन-गणना परिणामों के अनुसार इनमें से कितने बच्चे छह महीनों से अधिक अवधि से वहां रहते हैं;

(ख) इनमें से कितने बच्चे छह मीहीने की अधिक अवधि के लिए विचाराधीन बन्दी माताओं के साथ जेलों में हैं;

(ग) किन जेलों में ऐसे बच्चों के लिए उचित सुविधा और कल्याण सम्बन्धी सुविधायें विद्यमान नहीं हैं और कानून के अन्तर्गत ऐसें बच्चों के लिए कौन सी अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) बच्चों को इस प्रकार जेल में रहना कम करने और प्रस्तावित सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाये जा रहे हैं जैसा कि देश के कानून के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) : हाल ही में फरवरी मार्च 1981 के दौरान की गई जनगणना में दण्डात्मक, मानसिक और धर्मार्थ संस्थानों में रहने वालों की लिंग और आयु के बारे में सूचना एकत्र की गई थी उनके सम्बन्धों के बारे में नहीं। इसलिए केवल जेल में रहने वालों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। "जेल" राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार इस के बारे में आंकड़े नहीं रखती है और जेलों में ऐसे बच्च की संख्या मालूम करने के लिए उनके द्वारा कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) : उपयुक्त स्थानीय परिवर्तनों के साथ अपनाने के कारण राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई आदर्श जेल नियमावलियों और विद्यमान राज्य जेल नियमावलियों में जेल में उत्पन्न बच्चों अथवा जेल में अपनी माताओं के साथ रह रहे बच्चों के निर्वाहन और देखभाल के लिए विस्तृत उपबन्ध हैं। इनके अनुसार केवल ऐसे बच्चों जिनका कोई सम्बन्धी अथवा मित्र उनको ले जाने अथवा उनकी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है, को जेलों में तब तक उनकी माताओं के साथ रखा जाता है जब तक वे विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जो बच्चे उस आयु के हो जाते हैं। उनको जेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नर्सरी और बालगृहों में रखा जाता है यदि उनकी माता को स्वीकार्य अच्छा प्रबन्ध उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे बच्चों को सभी उपयुक्त सुविधाएं दी जाती हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी महिला कैदियों के बच्चों के लिए क्रेचेज स्थापित करने की योजना आरम्भ कर दी गई थी। जुलाई, 1980 में गठित की गई जेल सुधार सम्बन्धी समिति से भी महिलाओं, बच्चों आदि के साथ विशिष्ट व्यवहार करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए कहा गया है।

भारतीय विशेषज्ञों के एक दल की बोत्सवाना की प्रस्तावित यात्रा

1773. **श्री वीर भद्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विशेषज्ञों का एक दल बोत्सवाना में एक आदर्श औद्योगिक संपदा की स्थापना में सहायता करने के लिए वहाँ की यात्रा करेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) : जी हाँ। सितम्बर, 1981 में में बोत्सवाना के राष्ट्रपति के पिछले भारतीय दौरे के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि एक भारतीय विशेषज्ञ दल का नमूना औद्योगिक बस्ती स्थापित करने में बोत्सवाना सरकार की सहायता करने के लिए वहां का दौरा करेगा।

प्रति व्यक्ति आय

1774. **श्री ए० के० राय** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के बाद और बाद के वर्षों की योजना में प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अपनाई जा रही है आर्थिक नीति क्षेत्रीय असंतुलन को कम नहीं कर सकी है जिससे देश में असंतोष उत्पन्न हो रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। वे ये हैं:—

(क) क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने की दृष्टि से वित्त आयोग का परिनिर्णय और

केन्द्रीय सहायता दोनों ही मिलकर कम सम्पन्न राज्यों को अधिक संसाधनों के अंतरण के पक्ष में है।

(ख) देश के सुदूरवर्ती और अगम्य भागों (पहाड़ी क्षेत्रों) और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों (जनजातीय क्षेत्रों) के विकास के लिए जारी स्कीमें हैं।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए निवेश और परिवहन राज्य सहायता तथा रियायती वित्त के रूप में प्रोत्साहन।

(घ) सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों और रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे अन्य सुविधा वंचित क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम है।

(ङ) सामाजिक उपभोग के वितरण में समानता सुनिश्चत करने के उद्देश्य से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो समस्त देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के पक्ष में है।

(विवरण)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति निवल देशीय उत्पादन के अनुमान

(वर्तमान कीमतों पर)

(रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. आंध्र प्रदेश	275	297	302	349	392	387	445	500	495	521
2. असम	315	...	...	...	...	399	...	...	514	491
3. बिहार	215	220	233	262	294	332	314	391	376	403
4. गुजरात	362	397	390	414	494	498	564	652	605	693
5. हरियाणा	327	...	...	...	...	450	608	713	635	811
6. हिमाचल प्रदेश	...	...	...	...	...	...	...	532	576	686
7. जम्मू व कश्मीर	269	272	282	300	333	317	409	449	446	497
8. कर्नाटक	296	320	333	378	427	448	537	562	588	622
9. केरल	259	273	279	290	334	380	399	469	496	541
10. मध्य प्रदेश	260	263	264	306	348	305	338	464	430	475
11. महाराष्ट्र	409	412	442	485	526	584	610	676	700	752
12. मणिपुर	154	152	176	200	212	268	438	418	485	423
13. मेघालय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. उड़ीसा	216	228	276	313	342	329	395	435	464	491

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15. पंजाब	366	...	...	...	...	562	733	833	903	969
16. राजस्थान	284	313	300	306	391	373	452	514	414	497
17. तमिलनाडु	334	334	335	351	387	403	463	481	499	536
18. त्रिपुरा	249	...	...	...	...	333	395	459	473	493
19. उत्तर प्रदेश	252	260	264	288	367	373	431	491	453	487
20. पश्चिम बंगाल	390	397	416	471	508	532	584	659	660	702
21. दिल्ली	668	715	732	760	856	887	972	1054	1123	1203
22. गोवा, दमण व दीव	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. पांडिचेरी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. अखिल भारतीय	306	315	326	366	422	426	482	554	552	698

टिप्पणी : प्रयुक्त की गई कार्य प्रणाली और स्रोत सामग्री में अन्तर होने के कारण विभिन्न राज्यों के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं।

** उपलब्ध नहीं

* केवल दिल्ली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी के लिए ही आंकड़े उपलब्ध हैं।

स्रोत : राज्य सांख्यिकी ब्यूरो

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति निवल देशीय उत्पादन

(वर्तमान कीमतों पर)

(रुपए)

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	1970 71-	1971 72	1972 -73	1973 -74	1974 -75	1975 -76	1976 -77	1977 -78	1978 -79	1979 -80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	586	628	659	863	1020	895	895	1018	1083	1176
2. असम	539	550	578	645	320	781	846	912	953	980
3. बिहार	402	415	480	575	687	661	700	728	773	...
4. गुजरात	329	830	764	1124	1046	1253	1349	1462	1505	1623
5. हरियाणा	845	928	989	1174	1217	1274	1466	1600	...	...
6. हिमाचल प्रदेश	673	716	769	936	1084	1078	1029	1178	1295	1317
7. जम्मू व कश्मीर	524	572	601	721	835	883	897	986	1145	...
8. कर्नाटक	685	698	712	973	1077	1005	999	1129	1136	1267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. केरल	557	554	617	752	834	892	949	1004	1091	...
10. मध्य प्रदेश	488	534	573	725	818	768	754	900	360	323
11. महाराष्ट्र	809	850	881	1125	1380	1393	1505	1637	1694	1903
12. मणिपुर	306	466	571	688	781	807	765	808	814	822
13. मेघालय	...	...	...	598	...	...	...	...	...	...
14. उड़ीसा	482	480	576	697	701	715	659	820	860	843
15. पंजाब	1030	1080	1172	1438	1525	1597	1812	1966	2088	2278
16. राजस्थान	620	561	597	833	851	857	899	969	1023	913
17. तमिलनाडु	583	651	575	808	841	860	972	1051	1116	1350
18. त्रिपुरा	502	563	534	649	789	313	813	362	361	...
19. उत्तर प्रदेश	486	497	605	673	760	730	834	949	965	981
20. पश्चिमी बंगाल	735	789	791	946	1088	1120	1212	1263	1253	1330
21. दिल्ली	1186	1290	1371	1525	1846	2015	2180	2310	2445	...
22. गोवा, दमण व दीव	916	993	1048	1284	1506	1615	1791	2000	2174	2426
23. पांडिचेरी	844	978	1053	1372	1497	1593	1718	2021	...	...
24. अखिल भारतीय	633	660	762	871	1006	1029	1594	1210	1267	1379

...उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : प्रयुक्त की गई स्रोत सामग्री में अन्तर होने के कारण विभिन्न राज्यों के लिए आंकड़ें पूरी तरह तुलनीय नहीं हैं ।

* केवल दिल्ली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी के लिए ही आंकड़े उपलब्ध हैं ।

स्रोत : राज्य सांख्यिकी ब्यूरो

कारों के मूल्यों में वृद्धि के लिए अनुमति

1775. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित कारों के मूल्यों का पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारों के मूल्यों में वृद्धि करने से पूर्व निर्माताओं द्वारा सररकार की पुर्वानुमति ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारत में निर्मित कारों के मूल्यों के नियन्त्रण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) यात्री कारों की कीमतों की निर्माताओं द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की गई है ।

(ख) तथा (ग) जी नहीं। इस प्रकार की किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यात्री कारों पर मूल्य नियन्त्रण नहीं है।

(घ) सरकार ने निर्माताओं पर इस बात के लिए जोर दिया कि उनके उत्पादों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से इस मामले की जाँच करने और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है

अर्हक सेवा के बारे में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सूचना

1776. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवाविधि पूरी हो जाने के बाद और सेवानिवृत्ति से 5 वर्ष पूर्व उनके द्वारा की गई अर्हक सेवा के बारे में उनके विभिन्न कार्यालयों के अध्यक्षों द्वारा सूचित किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी परिस्थितियां क्या हैं जिनके अन्तर्गत अधिकांश सरकारी कार्यालयों द्वारा यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है और सी० सी० एस० (पेंशन) नियम 1972 के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान। इस आशय का एक उपबन्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 32 में दिय गया है।

(ख) कार्यालयाध्यक्षों से उपर्युक्त नियम के उपबन्धों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है तथा सरकार को इस सम्बन्ध में किसी उल्लंघन का पता नहीं है। फिर भी, इस आवश्यकता को एक बार फिर विशेष रूप से सभी मंत्रालयों विभागों की जानकारी में लाया गया है।

राष्ट्रीय आय

1777. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने हाल ही में वर्ष 1980-81 के दौरान हुई राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1979-80 की तुलना में वर्ष 1980-81 के दौरान कितनी राष्ट्रीय आय हुई; और

(ग) राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि का यह कहां तक प्रतिनिधित्व करती है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाली सम्बन्धी 1 जुलाई, 1980 से 30 जून, 1981 तक की अवधि की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पाद (अर्थात राष्ट्रीय आय) जिसमें वर्ष 1979-80 (राजकोषीय वर्ष) के दौरान वास्तविक रूप में 4.5% का ह्रास हुआ, वर्ष 1980-81 के दौरान उसमें 7.0% वृद्धि की आशा की जाती है।

महिला बन्दियों के लिए जेल

1780. **श्री जो० वाई० कृष्णन** :

श्री चिन्ता मणि जेना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिला बन्दियों के लिए अलग से जेलों की और जेल प्रबन्ध की व्यवस्था करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार महिला बन्दियों को ललित कला सिखाने अथवा उनके कल्याण के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) : "जेल सुधार गृह, बोर्स्टल संस्थाएं और इसी तरह की अन्य संस्थाएं और उनमें रखे गये व्यक्ति" राज्य के विषय हैं और यह निर्णय करना राज्य सरकारों का कार्य है कि क्या महिला बन्दियों के लिए अलग जेलें स्थापित की जानी चाहिए। फिर भी, सभी जेलों में महिला बन्दियों को पुरुष बन्दियों से अलग रखा जाता है महिला बन्दियों समेत सभी बन्दियों के कल्याण के लिए शैक्षित और व्यवसायिक सुविधाएं सम्बद्ध राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संचालित की जाती हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के उत्पादन और सप्लाई में कमी होना :

1981. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपने उत्पादन और सप्लाई के लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रह रही है;

(ख) क्या यह इसी का परिणाम है कि देश में विद्युत संयंत्रों की प्रगति की गति रुक गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की वर्तमान असन्तोषजनक स्थिति के कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) तथा (ख) : बी० एच० ई० एल० अपने उत्पादन तथा सम्भरण के लक्ष्यों को आमतौर पर पूरा कर रहा है। विद्युत परियोजनाओं को समय पर चालू करने के लिए यह अपेक्षित है कि सभी सम्बधित अभिकरणों जिनमें बी० एच० ई० एल० भी शामिल है, द्वारा समय पर अन्तर्वस्तुओं की सप्लाई की जाए। बी०एच०ई०एल० की ओर से यदि कोई विलम्ब हुआ है तो वह विद्युत परियोजनाओं के देर से चालू होने का एकमात्र कारण नहीं रहा है।

(ग) तथा (घ) : बी० एच० ई० एल० के प्रबन्धक और सरकार दोनों ही बी० एच० ई० एल० द्वारा उपकरणों की समय पर सप्लाई और उनकी गुणवत्ता के पहलू की बराबर समीक्षा करते रहे हैं। बी० एच० ई० एल० के काम की इसके बोर्ड की बैठकों में और सरकार द्वारा भी समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है।

औद्योगिक भूमि विकास निगम, दिल्ली का बनाया जाना

1782. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से इस आशय का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में योजनाबद्ध औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक स्वतन्त्र औद्योगिक भूमि विकास की स्थापना की जाय; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री से प्राप्त किसी ऐसे स्मारक से यह मंत्रालय अवगत नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश के सीमा क्षेत्रों में मुठभेड़ें

1783. **श्री टी० आर० शामन्ना :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सीमा क्षेत्रों में हाल में हुई कथित मुठभेड़ों का संक्षिप्त ब्यौरा देगी; और

(ख) देश के सीमा क्षेत्रों में हो रहे अकारण हमले का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) नियंत्रण रेखा के पार से पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अकारण अचानक गोलाबारी की छुट-पुट घटनाएं पिछले कई वर्षों से होती रही है। इस तरह की एक घटना में जो 7.7.81 को हुई थी, भारतीय सेना का एक कैप्टन मारा गया था। उसके अलावा भारत की ओर कोई और हताहत नहीं हुआ और न भारतीय शस्त्र सेनाओं तथा पाकिस्तानी सेनाओं के बीच हाल ही में इस तरह का कोई संघर्ष हुआ है।

(ख) सरकार ने 7 जुलाई, 1981 की घटना को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है देश की सीमाओं तथा नियन्त्रण रेखा की रक्षा करने और वहाँ पर तैनात कर्मिकों की सुरक्षा के के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए हुए हैं।

उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लिया जाना

1784. **श्री वद्धि चन्द्र जैन।**

प्रो० रूप चन्द पाल :

श्री के० राममूर्ति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कौन कौन से बड़े उद्योग हैं जिनके प्रबंध में भाग लेने के लिए श्रमिकों को अधिकार दे दिया गया है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों के भाग लेने सम्बन्धी अधिकार को प्रदान करने के लिए चालू सत्र में कोई विधेयक लाने का है।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उन बड़े उद्योगों में जिन्होंने प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की योजनाओं को किसी एक या अन्य रूप में लागू किया है, इस्पात, कोयला खानें, पैट्रोकैमीकल्स, उर्वरक, औषधियों, सीमेंट, टैक्सटाइल्स, इलैक्ट्रानिक्स, मशीन-औजार. हैवी इंजीनियरिंग, परिवहन और पर्यटन उद्योग शामिल हैं।

(ख) सरकार का संसद के वर्तमान सत्र प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के बारे में कोई कानून पेश करने का विचार नहीं है।

बैंकों में डकैतियां

1785. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान देश में किन-किन बैंकों को डकैतियों का शिकार होना पड़ा तथा ये बैंक किस-किस राज्य में कहां-कहां स्थिति है, इनमें से कितना-कितना धन लूटा गया और कितने कर्मचारी और अन्य व्यक्ति मारे गए या घायल हुए; घटना के समय वहां सुरक्षा के क्या-क्या उपाय विद्यमान थे, यदि लूटी गई सम्पत्ति की वसूली हुई, तो कितनी सम्पत्ति की वसूली हुई, तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) भविष्य में इस प्रकार की डकैतियों का रोका जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(ग) क्या पूरे देश में बैंकों की सुरक्षा के लिए किन्हीं विश्वस्त और सुस्पष्ट सुरक्षा उपायों के बारे में कोई रूपरेखा तैयार की गयी है; यदि हां, तो ये उपाय क्या-क्या हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2997/81)

डकैती और लूटपाट जैसे अपराधों की रोकथाम मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी के क्षेत्र में आते हैं। जब कभी ऐसी घटना होती है तो सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। साथ ही केन्द्रीय सरकार ने अपनी तरफ से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आदेश दिये गये हैं, जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने सुरक्षा प्रबन्धों का पुनरीक्षण करें और उन्हें सुदृढ़ बनाये।

छठी योजना की मध्यावधि समीक्षा

1786. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की संसाधन सम्बन्धी स्थिति और उनको जुटाने के प्रयासों पर दृष्टि रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा की गई है अथवा की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राज्य योजनाओं में से कुछ योजनाओं पर पुनर्विचार किए जाने की संभावना है, क्योंकि अनेक राज्य छठी पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के अपने वचनों को पूरा करने में असफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं और उनकी योजनाओं में और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी कमी की गई है अथवा की जायेगी; और

(घ) इन राज्यों के नाम में रिजर्व बैंक की ओवरड्राफ्ट की कितनी-कितनी धनराशि बकाया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है । यह उपयुक्त समय पर किया जायगा ।

(क) और (ग) : अलग-अलग राज्यों की छठी योजना में सम्भावित परिशोधनों के बारे में इस समय बताना कठिन है । राज्य योजनाओं के परिव्ययों का वर्षानुवर्ष निर्धारण उनके अपने संसाधनों और केन्द्रीय सहायता की उपलब्ध के आधार पर किया जाएगा ।

(घ) दि० 26-11-1981 को अधिविकर्ष की राज्यवार स्थिति का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण के अनुसार दि० 26-11-1981 को राज्य सरकारों की अधिविकर्ष की स्थिति

	(करोड़ रु०)
1. आन्ध्र प्रदेश	—
2. असम	13.02
3. गुजरात	17.12
4. हरियाणा	25.88
5. हिमाचल प्रदेश	8.26
6. कर्नाटक	15.81
7. केरल	55.45
8. मध्य प्रदेश	78.50
9. महाराष्ट्र	27.45
10. मणिपुर	21.03
11. मेघालय	0·72
12. उड़ीसा	—
13. पंजाब	89.83
14. राजस्थान	208.77
15. त्रिपुरा	4.28
16. पश्चिम बंगाल	193.99
	जोड़ : 760.11

भू जल संसाधनों के बारे में यू० एन० ई० पी० का प्रतिवेदन

1787. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री भू-जल संसाधनों के बारे में यू० एन० ई० पी० के प्रतिवेदन के बारे में 19 अगस्त, 1981 के आतारांकित प्रश्न संख्या 521 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यू० एन० ई० पी० के कार्यकारी निदेशक के 1981 के प्रतिवेदन में, जिसमें तीन बातों का अर्थात भू जल का प्रदूषण, भोजन में विषैले रसायनों के जमा हो जाने और प्राकृतिक संसाधनों का अत्याधिक विदोहन, जिससे पर्यावरण तथा मानव जीवन स्तर को खतरा हो जाता है, पर प्रकाश डाला गया है, क्या-क्या विभिन्न विषय उठाये गये हैं,

(ख) प्रतिवेदन में उठाए गये विभिन्न विषयों के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(ग) प्रतिवदन में दिये गये सुझावों और नई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए वस्तुत: क्या उपाय किए गये हैं अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) क्या संबंधित एजेंसियों से जल प्रदूषण के निवारण और नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक को कड़ाई से लागू करने सहित आवश्यक उपायों को लागू करने का अनुरोध कर दिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) रिपोर्ट में उठाये गए मामलों का संबंध भू जल प्रदूषण तथा भोजन में विषैले रसायनों से सम्बन्ध पर्यावरणीय समस्याओं के परिणाम एवं स्वरूप से है । इस रिपोर्ट में पर्यावरणीय अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित एक भाग भी शामिल है जो मुख्य रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा की लागतों तथा लाभों पर काम कर रहा है ।

(ख) पर्यावरण विभाग जिसकी स्थापना सरकार द्वारा हाल ही में की गई है, आवश्यक उपायों जिन में प्रबोधन, अनुसंधान अन्वेषण तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रदूषण नियंत्रण एव सरक्षण के लिए विधानों का लागू करना शामिल है, की क्रियान्विति के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है ।

(ग) देश में भौम जल प्रदूषण के संबंध में एक प्राथमिक सर्वेक्षण किया जा चुका है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय और राज्य बोर्डों द्वारा 200 स्थानों में स्रोत पर ही प्रदूषण नियन्त्रण करने की स्थापना करने, मानकों की स्थापना करने जल के जोनिंग एवं वर्गीकरण तथा जल की गुणवत्ता के मानीटर के लिए अनेक अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय किये गए है । कुछ मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है। जिन विकास परियोजनाओं का प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव है। वे भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन किए जाने के लिए पर्यावरण विभाग को भेजी जा रही है । भारी धातुओं के कारण होने वाले प्रदूषण के प्रबोधन के लिए भी एक परियोजना तैयार की जा रही है ।

(घ) जी हां ।

मिधानी, आध्र प्रदेश में रोलिंग मिल काम्पलेक्स की स्थापना

1788. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० ई० सी० ने आंध्र प्रदेश के मिधानी में रोलिंग मिल काम्पलेक्स की स्थापना करने की एक प्रमुख परियोजना का काम हाथ में लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो काम्पलेक्स के बारे में ठेके की मूल शर्तें क्या थीं, अर्थात् कितना काम किया जाना था, यह काम कितने मूल्य पर किया जाना था और इसे कब तक पूरा किया जाना था;

(ग) क्या इस परियोजना में 3 वर्ष का विलम्ब हो चुका है और अब भी काम किस तारीख को पूरा हो जायगा, इस बात का कोई अन्दाजा नहीं है; और

(घ) क्या बार-बार बिलम्ब होते रहने से परियोजना की लागत वृद्धि हुई है और क्या अतिरिक्त लागत का राज्य सरकारों पर भार डाला जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) (ख), (ग) और (घ): जी नहीं। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची (एच० ई० सी०) और मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद (मिधानी) के बीच हुई सम्विदा के अनुसार एच० ई० सी० ने एक हाट स्ट्रिप मिल और और एक हाट शीट मिल के लिए सभी यांत्रिक और वैद्युत उपकरणों (फालतू पुर्जों सहित) की सप्लाई करनी थी और अप्रैल 1979 तक मिलों के अधिष्ठापन और चालू करने का काम पूरा करना था, इसकी कुल लागत 4.85 करोड़ रु० है।

इन मिलों के चालू होने में देरी हो गयी है जिसका मुख्य कारण यह है कि आयातितउपकरणों की जटिल वस्तुएं अक्तूबर, 1978 में कलकत्ता बन्दरगाह में लंगर डाले जहाज में आग से क्षतिग्रस्त हो गई थी और इन वस्तुओं को नये सिरे से आयात करना पड़ा था। अन्ततः, भेजा गया माल कलकत्ता में अगस्त 1980 में प्राप्त हुआ था और बाद में हैदराबाद भेजा गया था। मिलों को चालू करने की अन्तिम अवधि मार्च, 1982 है।

मिधानी (केन्द्रीय सरकार का उपक्रम) के लिए परियोजना की लागत में इस या अन्य कारणों से वृद्धि हो गई होगी।

"लेजर" शास्त्रास्त्रों का निर्माण

1789. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा अभी देश में "लेजर" शस्त्रास्त्रों का विकास और निर्माण करना शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों से ऐसे शस्त्रास्त्रों को प्राप्त करने के लिए तथा इससे सम्बद्ध प्रौद्योगिकी को सीखने के लिए क्या विभिन्न उपाय किए गये हैं; और

(ग) देश "लेजर"-पर आधारित अपने ऐसे शस्त्रास्त्रों का निर्माण करने की स्थिति में कब तक हो जायगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) लेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित उपस्कर प्राप्त करने के विचार से कुछ देशों में अपने दूतावास के माध्यम से अनौपचारिक रूप से पूछ-ताछ की गई है और पूछ-ताछ करते समय प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के पहलू पर भी निश्चित रूप से विचार किया जाता है।

(ग) इस समय इस विषय में कोई समय बताना सम्भव नहीं है।

इंजीनियर द्वारा पत्नी की हत्या

1790. **श्री चतुर्भुज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 और 23 सितम्बर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में क्रमशः "पत्नी की हत्या के आरोप में डी० टी० ए० का इंजीनियर गिरफ्तार" और "पत्नी की गला दबाकर हत्या की गई" शीर्षकों से प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मृतक के भाई श्री शैलेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति के बयान पर तिलक नगर पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत 18-9-81 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 279 के तहत एक मामला दर्ज दिया गया है। अब तक की गई जांच पड़ताल के आधार पर 3 व्यक्तियों की गिरफ्तार किया गया है। इनमें से, दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्य कर रहे जूनियर इंजीनियर और मृतक के पति सहित दो व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तीसरे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और वह बुलन्दशहर की जेल हिरासत में है।

फोटो वोल्टीय माड्युल

1791. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल पम्पिंग सैट में प्रयोग के लिए विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ने सौर फोटो वोल्टीय माड्यूल का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो पीने के पानी, नदी से सिंचाई समुदाय-प्रकाश अथवा शैक्षिक रेडियो और टी० वी० सैट तेल पाइप लाइनों की कैथोडिक सुरक्षा और दूर-दराज के क्षेत्रों में संचार उपकरणों के प्रयोग जैसे उपयोगों के लिए सौर-पम्प सैटों के निर्माण और क्षेत्रीय प्रदर्शन संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए चालू वर्ष के दौरान और छठी योजना के दौरान कितनी-कितनी धनराशि के परिव्यय की व्यवस्था है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख)-जी हां। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों की संविरचना और क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए एक 5 वर्षीय कार्यक्रम सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि० के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 1985 तक सौर सैलों और पैनलों के एक मैगावाट प्रति वर्ष तक के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। इन पैनलों का पहले ही पेय जल की आपूर्ति और सूक्ष्म सिंचाई के लिए पम्प सैटों, सामुदायिक प्रकाश

व्यवस्था, सामुदायिक रेडियो और टी० वी० सैटों आदि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्षेत्रीय परिस्थितियों के अधीन परीक्षण के लिए और जागरुकता की अभिवृद्धि करने के लिए देश के विविन्न भागों में या तो 34 जल पम्पों की प्रतिष्ठापना की जा चुकी है या इनकी प्रतिष्ठापना की जा रही है। सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि० तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के समुद्र में स्थित प्लेटफार्मों पर इस्तेमाल के लिए प्रकाश वोल्टीय विद्युत प्रणालियों की आपूर्ति करेगा। तेल की पाइप लाइनों की कैथोडिक प्रतिरक्षा के लिए और डाक तार और रेलवे के लिए संचार उपकरणों, प्रकाश वोल्टीय यूनिटों की प्रतिष्ठापना की जा रही है और अन्तरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए चर्चा की जा रही है।

(ग) छठी योजना के दौरान राष्ट्रीय सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा प्रदर्शन परियोजना के लिए 12 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के लिए परिव्यय 2.2 करोड़ रुपये है।

नई फडरेशनों को मान्यता देने के नियम

1792. **श्री दया राम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई फेडरेशनों को मान्यता देने के नियम और विनियम बनाने के लिये दिनांक 17 अगस्त, 1979 को 'जे० सी० एम०, की राष्ट्रीय परिषद ने एक उप-समिति का गठन किया था;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त समिति के गठन के दो वर्ष बाद तक भी इसकी कोई बैठक नहीं हुई है और जान-बूझ कर सम्पूर्ण प्रक्रिया में विलम्ब किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त (क) उल्लिखित उप-समिति की बैठक न होने के क्या विशिष्ट कारण हैं; और

(घ) नई फेडरेशनों को मान्यता देने संबंधी नियमों को बनाने में कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) से (घ) : राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष की स्थाई समिति के कुछ सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक हो चुकी है। कर्मचारी पक्ष से मान्यता नियमों के सूत्रीकरण आदि पर अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। उनके प्रस्ताव प्राप्त होते ही उन पर विचार किया जाएगा तथा एक औपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी।

सी० आई० एम० एम्पलाईज यूनियन, कानपुर को मान्यता दिया जाना

1793. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है डी० जी० आई० संगठन के अन्तर्गत सी० आई० एम० एम्पलाईज यूनियन को मान्यता देने सम्बन्धी कागजात वर्ष 1978 से सरकार के पास लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो यूनियन को मान्यता देने में हो रहे विलम्ब के क्या विशिष्ट कारण और मान्यता प्रदान किए जाने के आदेश कब तक जारी हो जाएंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को सम्मेलनों में उपस्थित होने के लिए विशेष अवकाश ।

1794. **श्री दया राम शाक्य** : क्या श्रम मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979 में सभी केन्द्रीय मजदूर संगठनों की सदस्यता की, की गई जांच के अनुसार भारतीय मजदूर संघ का नम्बर दूसरा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय मजदूर संघ को सरकार की सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए, केवल संयुक्त परामर्श तन्त्र में प्रतिनिधित्व को छोड़कर, मान्यता प्राप्त है और इसे "इन्टक" तथा एटक (ए० आई० टी० यू० सी०) के समकक्ष समझा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त यूनियनों/फेडरेशनों के प्रतिनिधियों को भारतीय मजदूर संघ के वार्षिक सम्मेलनों में उपस्थित होने के लिए विशेष अवकाश लेने की अनुमति होगी, जैसे कि यह सुविधा "इन्टक" और "ए० आई० टी० यू० सी०" के मामलों में दी जाती है ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) जी, नहीं । 31.12.1981 समाप्त हुए वर्ष के लिए ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन शुरू नही किया गया है ।

(ख) राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए कोई कानूनी उपबंध नहीं है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार मशीनरी से प्रतिनिधित्व उनकी मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों के आधार पर दिया जाता है और न कि श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों के आधार पर दिया जाता है ।

(ग) यह मामला मुख्यत: नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच हैं, जो मान्यता प्राप्त यूनियन के सदस्य हैं ।

मौर्य होटल नई दिल्ली के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज

1795. **श्री निहाल सिह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटेल मार्ग, नई दिल्ली स्थित मौर्य होटल के उन कर्मचारियों पर 9 अक्तूबर, 1981 को पुलिस ने लाठी चार्ज किया है जो अपनी मांगों के समर्थन में पिछले दो महीने से हड़ताल पर थे जबकि उन्होंने कोई उत्तेजक कार्यवाही नहीं की थी;

(ख) यदि हां, सरकार ने उक्त लाठी चार्ज के लिए उत्तर दायी पुलिस कार्मिमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली प्रशासन ने इस बात से इंकार किया है कि दिल्ली पुलिस ने 9.10.1981 को मौर्य होटल के हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) इस विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज दिया गया है और हड़ताल 16 अक्तूबर, 1981 को बिना शर्त समाप्त कर दी गई थी।

आय-कर विभाग में अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती :

1796. **श्री कमलामिश्र मधुकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी चयन आयोग, दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली ने गत दो तीन वर्षों से आयकर आयुक्त दिल्ली को अवर श्रेणी लिपिक के पदों के लिये उम्मीदवारों के नाम नहीं भेजे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आयकर आयुक्त दिल्ली, आयोग को समय-समय पर अवर श्रेणी लिपिकों संबंधी अपनी आवश्यकताओं के बारे में सूचित करता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क), (ख) तथा (ग) : स्थिति का पता लगाया जा रहा है तथा सूचना प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एच० ई० सी० में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

1797. **श्री रेणुपद दास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार दिए जाने के संबंधी प्रश्न के प्रति एच० ई० सी० रांची के प्राधिकारियों के उदासीन रवैये की ओर दिलाया गया है; और

(ख) एच० ई० सी० में वैध मान्यता रखने वाले सभी उम्मीदवारों को शीघ्र रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) : मृतक कर्मचारियों आश्रितों को रोजगार प्रदान करने के प्रश्न पर भारी इंजीनियरी निगम ने कोई उदासीन रवैया नहीं अपनाया है।

निगम के नियमानुसार तथा समय-समय पर होने वाले त्रिपक्षीय वेतन समझौते के आधार पर किसी मृतक कर्मचारी के वयस्क पुत्र अथवा विधवा को उचित रोजगार दिया जाता है बशर्ते कि कोई रिक्त स्थान हो।

1-1-1974 से आज तक मृतक कर्मचारियों के 240 आश्रितों को रोजगार दिये गये हैं तथा इस समय ऐसे दो व्यक्तियों को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष योजनाओं का कार्यान्वयन

1798. **श्री रेणुपद दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये विशेष योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य वार कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : ऐसा समझा जाता है कि माननीय सदस्य का विचार अनुसूचित जाति और जनजाति उप योजनाओं के लिए विशेष घटक योजना के बारे में सूचना प्राप्त करने का है। यद्यपि जनजाति उपयोजना पांचवी योजना पंचवर्षीय के आरंभ में शुरू की गई थी किन्तु विशेष घटक योजनाएं अभी हाल में लागू की गई थी। जनजातीय उप योजनाओं के लिये 1980-81 में आवंटन और व्यय के राज्यवार ब्यौरे विवरण-1 में देखे जा सकते हैं। 1980-81 के लिये विशेष घटक योजना परिव्यय के राज्यवार ब्यौरे विवरण-2 में देखे जा सकते हैं। विशेष घटक योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा योजना आयोग की आगामी विशेष घटक योजना (1982-83) की बैठकों में की जाएगी।

विवरण-1

राज्य	राज्य योजना संघन	(रु० लाखों में)
	1980-81	
	आंवटन (अस्थाई)	व्यय
आन्ध्र प्रदेश	2298.00	2295.90
असम	2102.00	1687.39
बिहार	9138.00	7128.00
गुजरात	4839.73	5625.37 (अ)
हिमाचल प्रदेश	718.00	730.00
कर्नाटक	325.00	313.63 (अ)
केरल	305.00	305.19 (अ)
मध्य प्रदेश	8394.75	8392.00 (अ)
महाराष्ट्र	3900.07	4541.59
मणिपुर	1454.00	1451.30
उड़ीसा	8563.87	8664.69
राजस्थान	3815.29	3487.73 (अ)
सिक्कम	11.30	11.03 (अ)
तमिलनाडु	277.60	277.60 (अ)
त्रिपुरा	977.74	821.30
उत्तर प्रदेश	56.81	46.35
पश्चिम बंगाल	2011.79	2003.79
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	289.78	248.25
गोवा, दमन और द्वीप	25.46	12.81
जोड़	49503.92	48043.92

(अ)—अस्थाई

विवरण-2

1980-81 के लिए विशेष घटक योजना

क्रम सं०	राज्य	विशेष घटक योजना परिव्यय (रु० लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4410.00
2.	आसाम	174.46
3.	बिहार	3618.00
4.	गुजरात	2382.00
5.	हरियाणा	2851.00
5.	हिमाचल प्रदेश	579.00
7.	कर्नाटक	5995.00
8.	केरल	1728.00
9.	महाराष्ट्र	2276.00
10.	मध्य प्रदेश	2075.00
11.	मणीपुर	27.60
12.	उड़ीसा	1602.57
13.	पंजाब	2857.00
14.	राजस्थान	4010 00
15.	तमिलनाडु	6775.00
16.	त्रिपुरा	178.31
17.	उत्तर प्रदेश	6112.00
18.	पश्चिम बंगाल	3851.00
19.	पांडिचेरी	131.62
20.	दिल्ली	1044.00
		52776.96

दिल्ली की वार्षिक योजना

1799. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 सितम्बर, 1981, 18 अक्तूबर, 1981 और 9 अक्तूबर 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में क्रमशः 'दिल्ली की योजना धनराशि का उचित प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया' 'दिल्ली की वार्षिक योजना में निष्क्रियता' और 'बड़ी समस्याओं के बारे में दिल्ली की योजना मौन' शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली की वार्षिक योजनाओं की निधियों के प्रयोग न किए जाने और उसमें कुछ कमियां होने का उल्लेख किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दिल्ली में विद्यमान इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) तक : दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित की गई स्थिति के अनुसार दिनांक 19-9-1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार में दिल्ली में भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री केदारनाथ साहनी की प्रेस कॉफ्रेंस का विवरण दिया गया है। समाचार पत्र में बताई गई स्थिति तथ्य की दृष्टि से सही नहीं है। चालू वर्ष के लिए 164 करोड़ रु० की अनुमोदित योजना धनराशि की व्यवस्था में से अगस्त, 1981 तक 57 48 करोड़ रु० का व्यय किया जा चुका था; संभवतः इस अवधि के बारे में भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद ने अपनी प्रेस कॉफ्रेंस में उल्लेख किया था। यह व्यय अनुमोदित परिव्यय का लगभग 35.04 प्रतिशत होता है जो पिछले तीन वर्षों की तुलना में पहले 5 महीनों की अवधि में योजनागत स्कीमों पर किए गए व्यय का उच्चतम स्तर है।

1981-82 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई उपलब्धियों के बारे में तथ्य दि० 2 अक्तूबर, 1981 को दिल्ली के दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापनों के रूप में उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट किये गये थे।

1980-81 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि वापस नहीं की गई थी और योजना की पूरी धनराशि की व्यवस्था का पूरी तरह से उपयोग किया गया था।

दिनांक 8 अक्तूबर, 1981 को दिल्ली की लड़खड़ाती वार्षिक योजना (देहली 'ज लिम्पिग एनुअल प्लान') शीर्षक से समाचार।

इस समाचार में योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का उल्लेख किया है। योजना स्कीमों के कार्यान्वयन में आनेवाली समस्याओं पर योजना बोर्ड की दि० 29-8-1981 को हुई बैठक में विचार किया गया था, जिसका गठन योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को सलाह देने के लिए गया किया है। दिल्ली के सभी सात संसद सदस्य भी इस योजना बोर्ड के सदस्य हैं। इन समस्याओं का पता लगाने और उन पर विचार करने से उनको हल करने का मार्ग खुला है और इसके फलस्वरूप ऐसी काफी समस्याएं हल की जा चुकी हैं।

दि० 9 अक्तूबर, 1981 का 'दिल्ली की योजना प्रमुख समस्याओं पर मौन' (दिल्ली प्लान साइलेन्ट आन मेजर प्राब्लम्स) शीर्षक से समाचार।

यह समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है। 1981-82 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत यमुना नदी में प्रदूषण रोकने से सम्बन्धित स्कीम के लिए (85 लाख रु०), और इन्द्रप्रस्थ स्टेशन में 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिटों (इकाइयों) सहित इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटरी की व्यवस्था करके प्रदूषण-निरोध नियन्त्रण संबंधी स्कीम के लिए (149 लाख रु०) धनराशियों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शाहदरा और समीपवर्ती क्षेत्रों में मूल निकासी की सुविधा के लिए 1981-82 की वार्षिक योजना में ये दो योजनाएं—(1) शाहदरा में ट्रंक सीवर डालना, और (2) शाहदरा में मल नियंत्रण सयंत्र का निर्माण, कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्यक्रम को भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय की केन्द्रीय स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

महिला मजदूरों के लिए भारतीय रेलवे में समान पारिश्रमिक अधिनियम का पालन न किया जाना ।

1800. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान महिला मजदूरों के सम्बन्ध में भारतीय रेलवे में समान पारिश्रमिक अधिनियम के पालन न किए जाने की ओर आकर्षित किया गया है ।

(ख) क्या दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी संघ, केन्द्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं. तो उसके क्या कारण हैं ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : जी, हाँ ।

(ग) और (घ) : दक्षिण केन्द्रीय रेलवे कर्मचारी यूनियन, केन्द्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा से प्राप्त शिकायत को रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को जांच तथा टिप्पणियों के लिए भेजा गया । उस मंत्रालय ने सूचित किया है कि:

123 महिला मजदूरों और पुरुष मजदूरों को जिन्होंने विजयवाड़ा नूजविह डबलिंग पर कार्य किया था, मार्च, 1975 में डबलिंग कार्य के समाप्त होने पर छंटनी किया गया और इस सैक्शन के अनुरक्षण के लिए ओपन लाईन को सौंप दिया गया ।

डबल लाइन के अनुरक्षण के लिए सृजित अतिरिक्त पदों को स्क्रीन्ड नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा, जिन्हें परियोजना में लगाया गया था, भरा गया तथा 187 नैमित्तिक श्रमिकों को खपाया गया । तथापि अल्पावधि की सेवा के कारण, इन 123 नैमित्तिक श्रमिकों को सृजित पदों पर नहीं लगाया जा सका ।

चूंकि इन क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा था, अतः इन्हें कोई अन्य नौकरी नहीं दी जा सकी । रिक्तियों के अभाव में इन नैमित्तिक श्रमिकों को ओपन लाइन पर भी नियोजित नहीं किया जा सकता । अतः कार्य के समाप्त होने पर, प्रश्नागत नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी की गई . महिला श्रमिकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया गया है ।

तदन्तर, इन में से 21 महिला नैमित्तिक श्रमिकों को अक्तूबर, 1977 से नवम्बर, 1978 तक पी० डब्ल्यू आई० नूजविड के अन्तर्गत नियोजित किया गया । चूंकि इन्हें विभिन्न कार्यों, अर्थात् बी० के० वैगनों में सैस बनाने तथा ब्लाम्ट की लोडिंग, में नियोजित किया गया । अतः इन्हें 195-232 रुपये के वेतन मान के अनुसार भुगतान किया, जो अकुशल प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त वेतनमान है ।

इन्हें दोबारा 27.8.79 से 9.12.79 तक पी० डब्ल्यू० आई० साउथ विजयवाड़ा बी० जेड० ए० के अन्तर्गत महिला मजदूर के रूप में नियोजित किया गया और इन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन पुरुषों के समान 5.15 रुपये दैनिक दर पर भुगतान किया गया ।

इस शिकायत की मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) द्वारा जांच भी की गई और यह पाया गया

कि महिला मजदूरों को केवल स्थायी रास्ते पर ब्लास्ट ले जाने के कार्य में नियोजित किया गया और इन्हें दैनिक मजदूरी दर न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान किया जा रहा है। रेलवे ऐसी महिला श्रमिकों को, जिन्होंने चार मास की सेवा पूर्ण की हो, 196-232 रुपये का नियमित वेतन-मान देती है और पुरुष तथा महिला श्रमिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं है।

अतः, यह स्पष्ट है कि उनको खपाने तथा पारिश्रमिक देने के सम्बन्ध में महिला नैमित्तिक श्रमिकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया गया गया है और इस मामले में सामान पारिश्रमिक अधिनियम जिसे जनवरी, 1976 में लागू किया गया, के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है।

आशुलिपिकों की श्रेणी संवर्ग में गतिरोध

1801. **प्रो अजित कुमार मेहता** : क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशुलिपिकों की श्रेणी दो के संवर्ग के संबंध में तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और परिणामतः आशुलिपिकों की श्रेणी दो के संवर्ग में पदोन्नति संबंधी गतिरोध है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आशुलिपिकों की श्रेणी दो के संवर्ग में इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या): (क) तथा (ख) : तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं। केंद्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा के ग्रेड "ग" में गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(i) निदेशक (रुपये 2000-2250) तथा संयुक्त सचिव (रुपये 2500-2750) के मध्यवर्ती स्तर के अधिकारियों को ग्रेड "ग" आशुलिपिक के स्थान पर पर ग्रेड "ख" आशुलिपिक दिये गये हैं।

(ii) पांच वर्ष की नियमित अनुमोदित सेवा वाले ग्रेड "ग" आशुलिपिकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सहायकों के साथ बैठने की अनुमति दी गई है।

(iii) ग्रेड "ग" आशुलिपिकों के लिए रुपये 650-960 के वेतनमान में एक चयन ग्रेड शुरू किया गया है। उपर्युक्त आदेश विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

"पंजाब में बिक्म एनअदर नागालैंड"

शीर्षक से समाचार

1802. **प्रो० अजित कुमार मेहता** :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "पंजाब में

बिकम एनअदर नागालैंड" (पंजाब दूसरा नागालैंड बन सकता है) शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इसकी आशंका का कोई आधार नहीं है ।

"पेथिटिक टेल आफ गवर्नमेंट एपेथी" शीर्षक से समाचार

1803. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पेथिटिक टेल आफ गवर्नमेंट एपेथी" (सरकार की उदासीनता की करुणाजनक कहानी) शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें इस बात को प्रकाश में लाया गया है कि एक विधवा महिला को अपने दिवंगत पति की भविष्य निधि और ग्रेजुएटी आदि के दावों को प्राप्त कर पाने में निराश होने के कारण अपने पुत्र के साथ आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं कि भविष्य में इस तरह के मामले न हों ?

गृह मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान ।

यह मामला केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के एक अधिकारी डा० आर० पी० घोष की विधवा को देय सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में है । डा० घोष ने जनवरी, 1972 में दिल्ली नगर निगम में कार्यग्रहण किया तथा फरवरी, 1981 में अपनी मृत्यु तक वहीं कार्य करते रहे । डा० आर० पी० घोष की विधवा श्रीमती झरना घोष ने दिल्ली नगर निगम को पेंशन के कागज-पत्र 27 अगस्त, 1981 को अर्थात अपने पति की मृत्यु के छः महीने बाद दिए । नगर-निगम ने उक्त कागज पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय को 30 अक्तूबर, 1981 को भेजे थे । श्रीमती घोष की 10 नवम्बर, 1981 को पहले 7 वर्षों के लिए 456 रुपये प्रति मास तथा इसके बाद 228 रुपये प्रतिमास कुटुम्ब पेंशन मंजूर की गई है । सेवा रिकार्डों के उपबन्ध न होने के कारण श्रीमती घोष को 7 नवम्बर, 1981 को 13181 रुपये का अन्तिम उपदान (बेबाकी. यदि कोई है, के लिए 1000 रुपये कम करके) भी मंजूर किया गया है ।

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन तथा अन्य सेवान्त दावों के शीघ्रता से निपटाने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश पर्याप्त समझे जाते हैं । कुल मिलाकर इन आदेशों का सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों द्वारा पालन किया जा रहा है । किन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए दिल्ली नगर निगम से उनके कार्यालय में लगभग 2 महीने बिलम्ब होने के कारणों की जांच करने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कहा है ।

उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस

1804. **श्री जैनुल बशर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थान वार उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान अपने उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जाने वाले उद्योगों के क्या नाम है; और

(ख) इस तरह के उद्योगों की स्थानवार सख्या तथा नाम क्या हैं जो तब से अब तक स्थापित कर दिए गए हैं साथ ही उन उद्योगों की संख्या कितनी है जो स्थापित किये जा रहे हैं।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1978 से 1980 के दौरान 89 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किये गए थे। इनका उद्योग-वार ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण—1) पार्टी का नाम, उत्पादन की वस्तु, क्षमता आदि विवरण सहित सभी औद्यगिक लाइसेंस का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मन्थली न्यूज लैटर" में दिया जाता है। इस प्रकाशन की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) एक औद्योगिक लाइसेंस प्रारंभ में 2 वर्ष की वैध अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है जिसकी अवधि लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए न्यायसंगत आधारों पर बढ़ाई जा सकती है। एक औद्योगिक लाइसेंस के कार्यान्वित होने में सामान्य रूप से 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। किन्तु वर्ष 1978 से 1980 की अवधि में मंजूर किए गए 89 औद्योगिक लाइसेंसों में से 22 औद्योगिक लाइसेंस क्रियान्वित हो चुके हैं तथा शेष कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं। कार्यान्वित किए गए 22 औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक (विवरण-2) दिया गया है।

विवरण-1

वर्ष 1978 से 1980 के दौरान उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित किये जाने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसो की उद्योगवार संख्या बताने वाला विवरण।

अनुसूचित उद्योग	निम्नांकित वर्षों के दौरान मंजूर किए गए आद्योगिक लाइसेंसों की संख्या		
	1978	1979	1980
1. धातुकर्मी उद्योग	2	6	4
2. विद्युत उपकरण	6	5	5
3. दूर संचार	—	1	1
4. परिवहन	1	1	1
5. औद्योगिक मशीनरी	2	2	1
6. विविध, यांत्रिक व इंजी० उद्योग	—	2	1
7. औद्योगिक उपकरण	1	—	—
8. उर्वरक	—	1	—
9. रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	1	4	3

1	2	3	4
10. औषध व भेषज	1	3	2
11. वस्त्र	1	—	—
12. कागज और कागज उत्पाद	—	3	—
13. चीनी	7	1	5
14. किण्वन उद्योग	1	—	—
15. खाद्य परिष्करण उद्योग	—	1	1
16. वनस्पति तेल व वनस्पति	—	—	2
17. चमड़ा	1	1	2
18. कांच	—	2	1
19. चीनी मिट्टी	1	—	1
20. सीमेंट	—	—	1
21. विविध उद्योग	1	—	—
	योग : 26	33	30

विवरण-2

लोक सभा में 2/12/81 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं 1804 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

कार्यान्वित 22 औद्योगिक लाइसेसों की जानकारी देने वाला विवरण

क्र० सं० एकक का नाम	स्थापना स्थल	उत्पादन की वस्तु
1 2	3	4
1. सर डिस्टिलरी एण्ड कैमीकल वर्कस	मुजफ्फरनगर	भारत निर्मित विदेशी मदिरा व देशी शराब
2. मे० डेनफोस (इण्डिया) लि०, नई दिल्ली	गाजियाबाद	मेटेलिक वेलोज
3. -वही-	गाजियाबाद	रेडियेटर, थर्मोस्टेट
4. डा० एस० एन० घींगरा द्वारा—द मिनयेचर बल्ब इण्डस्ट्रीज प्रा० लि. देहरादून	टेहरी गढ़वाल	टंगस्टन फिलामेंट्स
5. -वही-	टेहरी गढ़वाल	सपोर्ट और मेन्ड्रल वायर के लिए मोलीबडेनर वायर
6. मे० एनकार्डियो-राइट इलैक्ट्रोनिक्स प्रा० लि०	लखनऊ	इलैट्रो-एनसेफोलोग्राफ मशीन आदि
7. मे० जाम जाम टेनर्स कानपुर	उन्नाव	वैट ब्लू क्रोम से कमाई गई कोट हेंतु चामे आदि
8. मे० इन्टरनेशनल टोबाको कं० लि० करमानी बिल्डिंग, बम्बई-1	गाजियाबाद	सिगरेटें
9. मे० गरीश वूलन मिल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	बुलन्दशहर	शोडी यार्न के उत्पादन के लिए 600 शोडी तकुओं का परिवर्तन व अधिष्ठापना करने हेतु ।
10. मे० मोदी इण्डस्ट्रीज लि०	मोदीनगर, गाजियाबाद	क्रिस्टल चीनी
11. मे० वसन एण्ड कम्पनी, आगरा	आगरा	चमड़े के जूते, अपर आदि ।
12. मे० इलैक्ट्रो-स्टील कास्टिंग्स लि०, कलकत्ता	गाजियाबाद	स्टील इग्नाट्स

1	2	3	4
13.	मे० यू० पी० इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि०	लखनऊ	रिमूट डाटा टेलीमेंट्री/बैगिन सिस्टम आदि।
14.	मे० मोदी आर्क इलैक्ट्रोड्स कं०, मोदी नगर	मोदी नगर	आर्क वैल्डिंग, इलैक्ट्रोड्स
15.	मोदी गैस एण्ड कैमीकल्स, मोदी नगर	मोदी नगर	हाइड्रोजन गैस
16.	एयर रिडक्शन कम्पनी लि०, कानपुर	गाजियाबाद	आक्सीजन गैस, डिजोल्व्ड एसिटिलीन
17.	जय आकाश इन्टरप्राइजेज, बरेली	बरेली	ब्लैक स्टील ट्यूबें (ई. आर. डब्ल्यू. ट्यूबें)
18.	राठी एलायज एण्ड स्टील लि०, नई दिल्ली	गाजियाबाद	मिडियम/हाई कार्बन/एलाय स्टील वायर राइस आदि।
19.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कं० लि०	लखनऊ	फार्मलेशन्स बल्क ड्रग्स, थिएसी राजोन, एसेटील सेलीसाइलिक, आई. एन. एच. आदि
20.	इण्डियन एयर गैसेज लि०	वाराणसी	नाइट्रोजन गैस
21.	अपट्रोन-शीट्रोनिक्स	गाजियाबाद	एच. एफ. इलैक्ट्रोमेग्नेटिक हीटिंग उपकरण आदि।
22.	पायनियर लैदर फिनिशर्स प्रा० लि०	जगमऊ कानपुर	खालों आदि से तैयार चमड़ा।

स्वाधीनता सैनानियों/भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को पेंशन

1805. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वाधीनता सेनानियों/भूतपूर्व आजाद हिंद फौज के सैनिकों को पेंशन स्वीकृत करने के लिए 1972 में प्रारंभ की गई कार्यविधि को सरल और कारगार बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो 8 वर्षों, 7 वर्षों, 5 वर्षों, 3 वर्षों, 2 वर्षों से अधिक समय से स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़े मामलों की संख्या कितनी कितनी है और किन कारणों से उन पर निर्णय नहीं किया गया है; और

(ग) क्या सरकार इसके लिए प्रति वर्ष एक "निपटान पखवाड़े" मनाएगी जिससे स्वाधीनता सेनानियों की वृद्धा अवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी अनिर्णीत पड़े मामलों को निपटाया जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने के लिये प्राप्त हुए आवेदनों में से कोई भी आवेदन पत्र प्रारम्भिक जांच के लिए लम्बित नहीं है । सम्मान पेंशन देने के लिए गृह मंत्रालय में प्राप्त आवेदन अग्रिम प्रतियों के रूप में हैं और पेंशन केवल तभी स्वीकृति की जाती है जब सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सम्मान पेंशन के लिये पात्रता और हकदारी से सम्बन्धित सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है । अब तक प्राप्त 3, 85, 388 आवेदनों में से 120, 913 मामलों को स्वीकृत किया गया है और 1, 12, 653 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है क्योंकि इन मामलों में सम्मान पेंशन देने के प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं किये जा सके । शेष आवेदनों के बारे में आवेदक से अपेक्षित सूचना और राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्टों के प्राप्त न होने के कारण अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका है और इनके प्राप्त होते ही इनको अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है । व्यक्तिगत मामलों में राज्य सरकारों को भी निरन्तर अनुस्मारक भेजे जाते हैं । इसलिये भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निपटान पखवाड़ा मानना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

2. सरकार वास्तविक और पात्र स्वतंत्रता सेनानियों को शीघ्रता से पेंशन लाभ देने के लिये अत्यन्त उत्सुक हैं । गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानियों के दावों पर कार्यवाही की जाती है, सुदृढ़ कर दिया गया है । गृह मंत्रालय के अनुरोध पर अधिकांश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने स्वतंत्रता सेनानियों के दावों के तेजी से सत्यापन को सुनिश्चत करने के लिये वारिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन केवल उनके सम्मान पेंशन के मामलों को निपटाने के लिये विशेष कक्ष स्थापित किये हैं । उनके पास सभी लम्बित मामलों को निपटाने के लिये अभियान चलाने के भी उनको अनुदेश दिये गये हैं । स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान पेंशन के मामलों की शीघ्रता से जाँच करने में सहायता करने की दृष्टि से राज्य सलाहकार समितियों को जो

पहले निक्रिय हों गई थी, अब अधिकांश राज्य-सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में पुनः सक्रिय कर दिया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

1806. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

श्री अशफाक हुसैन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है और क्या सरकार ने सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं साथ ही सरकार ने उनमें से किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो सिफारिशों पर कब तक ठोस कार्यवाही किये जाने की संभावना है; और

(घ) इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस बी० चव्हाण) : (क) से (घ) : पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित राष्ट्रीय समिति दि० 30 नवंबर, 1978 को स्थापित की गई थी, यह समिति अपने विचारार्थ विषयों में शामिल विभिन्न विषयों पर अलग-अलग मागों में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करती रही हैं इस समिति ने जो 11 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं उनकी योजना आयोग में सम्बन्धित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ जांच की जा रही है। इन रिपोर्टों में निहित विषय-सामग्री और सिफारिशों की विस्तृत जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमटेड कलकत्ता में कैंटीन प्रबन्ध समिति का गठन

1807. **श्री सुबोध सेन** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि नेशनल इनस्ट्रूमेंटस लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ने कारखाना अधिनियम और नियमों का उल्लंघन और मजदूरों के अभ्यावेदनों की उपेक्षा करके प्रबन्ध समिति गठित की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में इस एकक में औद्योगिक शान्ति के हित में क्या कदम उठाये गये हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के कारखानों के निरीक्षक ने अगस्त, 1981 में, नेशनल इनस्ट्रूमेंटस लिमिटेड, कलकत्ता में कैंटीन प्रबन्ध समिति की विद्यमान रचना के सम्बन्ध में कुछ टीका-टिप्पणी की है तथा उसका पश्चिम बंगाल कारखाना नियमावली, 1958 के अनुसार पुनर्गठन करने की सलाह दी है। कम्पनी ने यह स्पष्ट करते हुए उत्तर भेजा है कि चूंकि कारखाना-निरीक्षक का पत्र कलकत्ता न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी रिट याचिका के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में पेश कर दिया गया है, अतः उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर निर्णय हो जाने के बाद ही इस बारे में आगे कार्यवाही की जायेगी।

सीमेंट की मांग और सप्लाई

1808. **श्री सुबोध सेन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट की मांग और सप्लाई के बीच कितना अन्तर है; और

(ख) इस अन्तर को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) योजना आयोग द्वारा गठित किये गये सीमेंट उद्योग के कार्यकारी दल के अनुसार 1981-82 के दौरान 30.22 लाख मी० टन सीमेंट की मांग का अनुमान लगाया गया है । 1981-82 के अनुमानित देशी उत्पादन 21 लाख मी० टन और 2 लाख मी० टन आयात के पश्चात 1981-82 में 7.22 लाख मी० टन की कमी का हिसाब लगाया गया है ।

(ख) सरकार विद्यमान एककों के बेहतर उपयोग द्वारा नई क्षमता स्थापित करके और आयात को बढ़ावा देकर देश में सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है ।

गैर सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों का आरक्षण

1809. **श्री जय नारायण रौट :**
श्रीमती जयंती पटनायक :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कानून के माध्यम से गैर सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए निजी उद्योग क्षेत्र में पदों का सांविधिक रूप में आरक्षित किया जाना कानूनी दृष्टि से सम्भव नहीं पाया गया है । इस मामले में आगे और परामर्श मांगा गया है ।

लघु उद्योग क्षेत्र में खरीद

1810. **श्री जयनारायण रौट :**
श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर सरकारी क्षेत्र के लिए यह अनिवार्य करने के प्रश्न पर विचार कर रही है कि लघु उद्योग क्षेत्र से माल खरीदें; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी. नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण

1811. **श्री जयनारायण रौट :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि देश में साहूकारों द्वारा पुलिस कार्मिकों द्वारा गरीब आदिवासियों को उत्पीड़ित न किया जायें; और

(ख) आदिवासी लोगों के लिए किए गए कल्याण कार्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकारों से यह सुनिश्चत करने के लिए अनुरोध किया गया है कि आदिवासियों के सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जाय । पुलिस ज्यादतियों से उनके संरक्षण के लिए विशिष्ट अनुदेश जारी किए गए है। राज्य सरकारों ने उन्हें तंग किए जाने से रोकने के लिये साहुकारी के सम्बन्ध में कानून बनाये हैं। संविधियों की एक सूची (परिशिष्ट-I) संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2998/81) अनुसूचित जनजातियों पर पुलिस ज्यादती का प्रत्येक मामला संबधित राज्य सरकार को अनुवर्ती कार्यवाई के लिए भेजा जाता है ।

(ख) 1974-79 और 1980-81 के दौरान प्राप्त भौतिक परिणामों का एक विवरण संलग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2998/81) जनजाति उप-योजना की एक नीति तैयार की गई है जिसमें विशेष केन्द्रीय सहायता और वित्तीय संस्थाओं की धनराशि अनुपूरित राज्य योजनाओं से प्राप्त धनराशि का उपयोग अन्तर्ग्रस्त है । जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राज्यों के वे भाग हैं जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति जनसंख्या बसी है । जनजाति उप-योजना के बाहर भागों के लिए, जहाँ जनजाति जनसंख्या एकत्र है, जनजाति विकास के लिए अन्तर निवासों का पता लगाया गया है । जनजातियों के आदिम वर्गों के विकास के लिए केन्द्र सरकार अतिरिक्त धन देती है और इस प्रकार आदिम जनजातियों से सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है ।

देश में बेरोजगार व्यक्ति

1812. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में 1981 में (राज्यवार) बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) छठी योजना की समाप्ति पर बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होने की संभावना है; और

(ग) छठी योजना के दौरान रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ।

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के संदर्भ में मार्च, 1980 (आधार वर्ष) में बेरोजगारी के स्तर का अनुमान लगाया गया था । वर्ष 1981 के लिए इस प्रकार का अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ख) छठी योजना की अवधि के शुरू में (सामान्य स्थिति के आधार पर) 120,2 लाख

लोगों की पिछली संख्या को तथा श्रमिकों की संख्या में उस समय के अनुसार छठी योजना की अवधि में342.4 लाख लोगों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रोजगार की आवश्यकता वाले व्यक्तियों (आयुवर्ग 5+) की कुल संख्या लगभग 462.6 लाख होगी। इसके मुकाबले में छठी योजना में 342.8 लाख श्रम-वर्षों का रोजगार उत्पन्न करने का अनुमान लगाया गया था (वर्ष में 273 दिन के लिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले किसी व्यक्ति को मानक श्रम-वर्ष के आधार पर रोजगार प्राप्त माना जाता है)। तथापि यह मानते हुए कि वास्तव में सभी नए रोजगार प्राप्त व्यक्ति पूर्ण-कालिक आधार पर नहीं हो सकते और अधिक लोग रोजगार में लग जाएंगे तथा पहले से चले आ रहे बेरोजगारों की मौजूदा संख्या में कमी होगी।

(ग) रोजगार सम्बन्धी कार्यनीति, नीति और कार्यक्रम छठी पंचवर्षी योजना के दस्तावेज में बताए गए हैं।

विदेशी सहयोग प्राप्त उद्योग

1813. **प्रो रूप चन्द पाल :** क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखत जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में उन उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हें विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में विदेशी सहयोग प्राप्त है ;

(ख) इन कम्पनियों में कुल कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों को मुनाफा कितना हुआ है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : 1976 से जून 1981 के दौरान स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग प्रस्तावों का और इन प्रस्तावों में निहित विदेशी निवेश यदि कोई है का उद्योगवार ब्यौरा देने वाले दो विवरण संलग्न है।

(ग) स्वीकृत विदेशी सहयोगों को उत्पादन की स्थिति में पहुचने तक सामान्यतः दो वर्ष या उससे अधिक का समय लग जाता है। स्वीकृतियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और उनके कार्यान्वयन को देखने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक मंत्रालयों का है। जो स्वीकृतियां फलीभूत हो चुकी हैं उनकी संख्या और उन कम्पनियों के नाम यदि कोई हो, की सूचना केन्द्रीय रूप से प्राप्त नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 1976 से 1981 (जून तक) के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत किए विदेशी सहयोग के मामलों के उद्योग बार ब्यौरे की सूची

क्रमांक	उद्योग का नाम	1976	1977	1978	1979	1980	1981 (जून तक)
1.	धातुकर्मी उद्योग	12	7	18	12	31	5
2.	ईंधन	—	1	4	—	6	—
3.	बायलर एण्ड स्टीम जनरेटिंग प्लांट्स	1	4	—	1	4	—

4. प्राइममवर्स (इलैक्ट्रीकल जनरेटर्स से भिन्न)	1	—	5	—	—	—
5. विद्युत उपकरण	63	67	46	50	107	26
6. दूर संचार	—	—	2	2	7	3
7. परिवहन	18	18	20	26	40	5
8. औद्योगिक मशीनरी	57	74	76	72	121	56
9. मशीनी औजार	19	10	20	14	26	11
10. कृषि मशीनरी	—	—	—	—	1	—
11. मिट्टी हटाने वाले उपकरण	1	1	2	—	1	—
12. विविध मेकेनीकल और इंजीनियरी उद्योग	13	4	7	15	29	—
13. वाणिज्यिक, कार्यालयीक और गैहिक उपकरण	1	1	2	2	2	3
14. मैडीकल और सर्जीकल उपकरण	1	1	1	1	—	—
15. औद्योगिक उपकरण	4	9	19	10	15	9
16. वैज्ञानिक उपकरण	1	1	2	1	3	—
17. गणीतीय, सर्वेक्षण तथा ड्राइंग उपकरण	—	—	—	—	—	—
18. उवर्रक	—	—	—	—	—	—
19. रसायन (उर्वरक के अलावा)	32	23	30	24	52	17
20. फोटोग्राफी की रा फिल्में और कागज	1	1	—	—	—	—
21. रजक	—	—	—	—	—	—
22. औषधियां और भेषजें	1	3	2	2	8	2
23. वस्त्र (रंजित, छपे हुए अथवा अन्यथा परिष्कृत के अलावा)	2	2	2	—	6	3
24. कागज उत्पाद तथा कागज और लुगदी	2	3	4	4	—	—
25. चीनी	—	—	—	—	—	—
26. किण्वन उद्योग	—	2	—	—	—	—
27. खाद्य परिष्करण उद्योग	2	2	2	—	—	—
28. सब्जियां तेल और वनस्पति	1	—	—	—	—	—
29. साबुन अंगराद और नहाने का सामान	—	1	—	1	—	1
30. रबर की वस्तुएं	4	4	7	2	7	1

31.	चमड़ा, चमड़ा वस्तुएं और पिकर्स	1	3	6	2	4	—
32.	ग्लू और गिलेटीन	—	—	1	—	—	—
33.	शीशा	5	5	1	2	9	1
34.	सिरेमिक्स	7	1	6	6	4	—
35.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	4	3	3	2	...	1
36.	लकड़ी उत्पाद	—	—	—	1	1	1
37.	सुरक्षा उद्योग	—	—	—	—	—	—
38.	सिगरेट	—	—	—	—	—	—
39.	परामर्श	—	2	4	—	5	8
40.	विविध	23	13	24	15	31	13
	योग	277	267	307	267	526	169

विवरण 2

वर्ष 1976 से 1981 तक (जून तक) की अवधि के देशवार विदेशी निवेश के ब्यौरे का विवरण ।

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	देश का नाम	1976	1977	1978	1979	1980	1980 (जून तक)
1.	आस्ट्रिया	—	—	—	—	—	12.00
2.	आस्ट्रेलिया	8.42	—	—	—	—	—
3.	बेल्जियम	2.00	—	—	—	—	—
4.	बल्गारिया	—	—	4.00	—	—	—
5.	डेनमार्क	12.00	—	—	—	4.02	—
6.	एफ० आर० जी०	97.565	74.59	85.90	44.27	46.02	249.00
7.	हालैंड/ नीदरलैंड	8.40	10.00	—	0.60	10.00	8.40
8.	फ्रांस	71.25	1.50	—	—	53.75	32.00
9.	फिनलैंड	—	—	—	—	3.36	—
10.	होंगकोंग	—	—	14.00	—	17.00	—
11.	आयरलैंड	—	—	—	0.30	—	—
12.	इटली	24.00	24.00	113.12	108.20	28.70	—
13.	जापान	—	—	13.28	—	170.00	41.50
14.	मैक्सिको	—	—	—	—	2.40	—
15.	स्पेन	1.20	—	—	—	4.00	—

16.	पुर्तगाल	—	—	—	—	4.00	—
17.	स्वीडन	—	—	135.25	13.00	331.00	—
18.	स्विटजरलैंड	—	41.20	52.96	20.00	7.00	50.00
19.	ब्रिटेन	55.760	66.66	49.60	147.67	97.01	32.50
20.	सं० रा० अमे०	447.272	182.38	472.31	222.15	216.90	130.20
21.	गैर-आवासीय भारतीय निवेश	—	—	0 245	7.50	—	111.0
	योग	7726.867	400.33	940 665	563.96	892 36	566.70

चतरा, बिहार में उद्योगों की स्थापना

1814. **श्री रणजीत सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आर्थिक रूप से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है और कि वहाँ भारत सरकार द्वारा कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) क्या वहाँ लकड़ी, बाक्साइड और ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(ग) क्या वहाँ इन संसाधनों पर आधारित कोई उद्योग स्थापित करने का केन्द्र सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारणहैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) : चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गया, हजारी बाग और पालामऊ जिलों के भाग सम्मिलित हैं। गया और पालामऊ को अखिल भारतीय सावधि ऋण देने वाले संस्थानों से रियायती वित्त प्राप्त करने के लिए अर्ह औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है। पालामंऊ को राज सहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत भी शामिल कर लिया गया है। हजारीबाग औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की श्रेणी में नहीं आता है।

उद्योग मंत्रालय का वर्तमान में बिहार में सरकारी क्षेत्र की किसी भी मध्यम अथवा बड़ी परियोजना को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना आयोग को भी इस बारे में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार राज्य की छठी योजना में 45.15 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, इन तीनों जिलों को जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। वर्ष, 1980-81 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गया, हजारी बाग तथा पालामऊ जिलों में वित्तीय संस्थानों की 26.36 लाख, 17.29 लाख एवं 25.51 लाख रु० की ऋण सहायता से क्रमशः 3807, 1556 और 2167 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले कुल 1399,600 तथा 635 एकंकों की स्थापना की गई है।

राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों और सुविधाओं के अलावा, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय निवेश राजसहायता,

परिवहन राजसहायता, रियायती वित्त, करों में रियायत लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, कच्चे माल का आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं, ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम, जिला उद्योग केन्द्र तथा सीड (मूल)/ मार्जिन धन राशि सहायता जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है।

वरिष्ठ निजी सहायकों को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आशुलिपि परीक्षा देने से छूट

1815. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वरिष्ठ निजी सहायकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा लागू करने की योजना स्वीकार की गई थी उस समय आशुलिपि में परीक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं थी;

(ख) यदि हाँ, तो वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण आशुलिपिकों को घाटे में रखकर इस परीक्षा को शामिल करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप अनुभाग अधिकारियों की तुलना में कम वेतनमान वाले वरिष्ठ निजी सहायकों को एक अतिरिक्त प्रश्न पत्र दे दिया गया और क्या इसलिए इसे समाप्त नहीं कर दिया जाना चाहिये था कम से कम इस तरह के परीक्षार्थियों को जिन्होंने एक बार यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी परन्तु योग्यता सूची में न आ सके थे उत्तरवर्ती परीक्षाओं में इससे छूट दी जानी चाहिये; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स "हिन्दुस्तान लीवर" द्वारा "सर्फ" ब्रांड नाम से लाभ कमाया जाना

1816. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या उद्योग मंत्री सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में डिटर्जेंट बनाने वाले एककों के बारे में 10 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 3180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनी लीवर, इंग्लैण्ड की एक सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर को निम्नलिखित दोहरा लाभ दिए जाने के क्या कारण हैं;

(एक) डिटर्जेंट बनाने के क्षेत्र में कार्यरत 500 से अधिक कम्पनियों में से विदेशी सम्बन्ध वाली यह एक मात्र कम्पनी है जो अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम "सर्फ" से लाभ कमा रही है; और

(दो) महत्वपूर्ण क्षेत्र में या परिशिष्ट क के अन्तर्गत उत्पादन की अनुमति जिससे उन्हें अधिकांश विदेशी पूंजी रखने में मदद मिलती है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है तथा यह कम्पनी ट्रेड तथा मर्केन्डाइज मार्क्स एक्ट, जो भारतीय कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों में कोई भेद नहीं करता है, के अधीन साबुन, प्रक्षालक और अन्य अंगराग सामग्रियों के सम्बन्ध में "सर्फ" व्यापार चिन्ह के पंजीकृत स्वामी (प्रोपराइटर)

हैं। वास्तव में, ट्रेड तथा मर्केन्डाइज मार्क्स एक्ट की धारा 132 में यह व्यवस्था है कि विदेशी नागरिक को व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के संरक्षण के सम्बन्ध में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय नागरिकों को उनके देश में स्वीकृति हैं। जहाँ तक प्रमुख क्षेत्र अथवा परिशिष्ट-1 में उत्पादन करने का सम्बन्ध है, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां उत्पादन की इस विद्या में लगी अन्य कम्पनियों के साथ उत्पादन में भाग ले सकती है।

कुमारधुवी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के श्रमिकों की दयनीय स्थिति

1817. **श्री ए० के० राय : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के धनबाद जिले में स्थित कुमारधुवी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने और इसे पुनः आरम्भ करने का मसला दो वर्ष से भी अधिक समय से केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि मामले की जाँच करने के पश्चात् उद्योग मंत्रालय ने लिखित में बताया है कि फैक्ट्री लाभप्रद है;

(ग) क्या यह सच है कि फैक्ट्री बन्द हो जाने के कारण 3000 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और उनमें से अनेक भूख से मर गए हैं;

(घ) क्या इस वर्ष जबर्दस्त सूखे ने मजदूरों की स्थिति को और अधिक दयनीय बना दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो फैक्ट्री का अधिग्रहण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ङ) : कुमारधुवी इंजीनियरिंग वर्क्स लि० को पुनः चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार गत दो वर्षों से बिहार राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

(ख) के० ई० डब्यू० को पुनः चालू करने की संभावनाओं की जाँच करने के लिय केन्द्रीय सरकार ने 23-2-81 को एक निकाय का गठन किया था। इस निकाय ने 25-5-81 को अपनी रिपोर्ट दे दी। चूंकि मामला केन्द्रीय सरकार और बिहार सरकारों के विचाराधीन है अतः इस अवस्था में विस्तृत ब्यौरा बताना समय पूर्व होगा।

(ग) तथा (घ) : जब कम्पनी 79 में बन्द हुई थी तो उस समय कम्पनी में 2300 कर्मचारी थे।

कुमारधुवी इंजीनियरिंग वर्क्स का परिसमापन

1818. **श्री ए० के० राय क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बिहार के धनबाद जिले की कुमारधुवी इंजीनियरिंग वर्क्स का अधिग्रहण करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा विलम्ब के कारण इस फैक्ट्री के परिसमापन का नोटिस लगा है; यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उस फैक्ट्री के परिसमापन और उसके बाद उसकी बेदखली से, उन 3000 श्रमिकों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, जो इस समय बेरोजगार हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुमारधुवी इंजीनियरिंग वर्क्स के सम्बन्ध में 15-12-80 को परिसमापन आदेश दिया है। फिर भी कम्पनी को फिर से चलाने के प्रश्न की केन्द्रीय सरकार और बिहार राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

"गवर्नमेंट आक्सन सिक यूनिट्स" शीर्ष से समाचार

1819. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान 11 सितम्बर, 1981 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "गवर्नमेंट में आक्सन सिक यूनिट्स" (सरकार रुग्ण एककों को नीलाम कर सकती है) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के रुग्ण औद्योगिक एककों के नाम तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक वित्त पोषी संस्थाओं की धनराशि इन रुग्ण एककों में फंसी पड़ी है;

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में और इस तरह के प्रत्येक एकक के सम्बन्ध में नवीनतम ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन रुग्ण एककों को बेचने के बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां

(ख) वर्तमान में किसी रुग्ण औद्योगिक एकक के नीलाम किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

"काल टू वर्क आउट एनशिला राजेशन प्रोग्रामस" शीर्षक से समाचार

1820. **श्री भीकूराम जैन** : क्या उद्योग मंत्री 29 अक्टूबर, 1981 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में "काल टू वर्क आउट एनसिलाराइजेशन प्रोग्रामस"(सहायक उद्योगों की स्थापना की कार्यक्रमानुसार तैयार करने का आवाहन) शीर्षक से प्रकाशित समाचार से सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वीकृत प्रत्येक बड़ी औद्योगिक परियोजना में सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो व्यावहारिक रूप से इसका कहाँ तक कार्यान्वयन किया गया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : औद्योगिक

लाइसेंस की स्वीकृति सम्बन्धी आवेदन के संशोधन प्रपत्र में आवेदकों को लघु तथा सहायक एककों को उप ठेकों के आधार पर दिए जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों के सम्बन्ध में जानकारी देना जरूरी होता है। आन्ध्र प्रदेश के मामले में प्रमुख जिलों के लिये केन्द्रस्थ संयंत्र परियोजना का पता लगाने के लिए गठित किए गए कृतिक बल ने पता लगाए गए प्रत्येक केन्द्रस्थ संयंत्र के सहायक एककों की आवश्यकता बताई है। विभिन्न राज्यों के चुने हुए पिछड़े जिलों में स्थापित किए जाने वाले केन्द्रस्थ संयंत्र का पता लगाने के लिए कार्य कर रहे। कृतिक बलों द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

उत्पादन और प्रक्रिया विकास की स्थापना

1821. **श्री बी० बी० देसाई** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र के हित में "फील्ड बेस स्टेशनों" तथा उत्पादन और प्रक्रिया विकास केन्द्र की एक श्रंखला स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन केन्द्रों से उत्पादों की गुणावत्तता सुधारने में मदद मिलेगी जिससे कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टियों के अनुरूप हों जिनका प्रतियोगात्मक मूल्य दिया जा रहा है के मुकाबले आ सकें; और

(ग) यदि हां, तो लघु उद्योग क्षेत्रों को विकसित करने तथा बड़े उद्योगों द्वारा की जाने वाली प्रतियोगिता का मुकाबला करने में उनकी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कार्यवाई किये जाने की सभावना है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) लघु तथा उद्योगों के हित के लिए अनेक फील्ड टैस्टिंग सेन्टरों और प्रक्रिया सह-उत्पाद विकास केन्द्रों की स्थापना करने की योजना है।

(ख) ये केन्द्र लघु क्षेत्र द्वारा उत्पादित उत्पादों की प्रौद्योगिकी को उन्नत करने एवं किस्म सुधारने में मदद करेंगे।

(ग) सरकार केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन किए जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं और सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र से खरीदी जाने वाली वस्तुओं की सूची की लगातार समीक्षा करतीरहती है।

लघु उद्योगों की रक्षा और संवर्द्धन के लिए विधान

1822. **श्री बी० बी० देसाई : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों की सलाह दी है कि वे उन क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन न दें जो कच्चे माल की कमी से प्रभावित हैं और जहां पहले से ही पर्याप्त कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के यूनिट स्थापित करने का कोई वैध मुद्दा नहीं है और राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों को कार्यान्वित करने में असमर्थता प्रकट की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि लघु उद्योगों बोर्ड की स्थायी समिति ने लघु उद्योगों रक्षा की और संवर्द्धन के लिए विधान बनाने के प्रश्न की जांच करने के लिए कार्यकारी ग्रुप के गठन की सिफारिश की है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने सिफारिशों से सहमति प्रकट कर दी है, और

(ङ.) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने लघु उद्योगों के विकास आयुक्त को इन मामलों की जांच करने तथा लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्णता के सम्बन्ध में भी जाँच करने का निदेश दिया था;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) (क) और (ख):— कच्चे माल की कमी के कारण लघु उद्योगों की स्थापना पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है। फिर भी, लघु उद्योग में भी निर्मित की जाने वाली वस्तुएं जो ऐसे उद्योग से सम्बन्धित हों जो उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 98 (ई) आई० डी० आर० ए०/29बी/73/1 दिनांक 16 फरवरी, 1973 के विशेष विनियम द्वारा अधिशासित होती हैं।

विकास आयुक्त लघु उद्योग समय-समय पर राज्य सरकारों में उन वस्तुओं की सूचियां परिचालित करते रहते हैं जिनके बारे में उन्हें सालह दी जाती है कि वे कच्चे माल की कमी के कारण उन वस्तुओं के मौजूदा एककों में नई क्षमता उत्पन्न करने और अथवा देश में उनकी पर्याप्त क्षमता स्थापित होने के लिए प्रोत्साहन न दें। चयनात्मक आधार पर छूट के लिए अभ्यावेदन देती है तो उन मामलों में गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ):जी, हाँ। स्थायी समिति समूह की रिपोर्ट पर विचार करने बाद अपनी सिफारिशें अखिल भारतीय लघु उद्योग मंडल को देगी।

(ङ) जी हाँ। विकास आयुक्त, लघु उद्योग से कहा गया है कि वे देश में रुग्ण एककों का सर्वेक्षण करें जिससे लघु उद्योग क्षेत्र में गणना की सीमा का पता लगया जा सके।

मणिपुर में मैती संगठन पर प्रतिबंध

1823 **श्री बो० बी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मणिपुर में मैती उग्रवादी संगठनों पर, जो लूटपाट, आग लगाने की गतिविधियां तथा हत्यायें कर रहे हैं, पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या इन संगठनों ने अक्तूबर, 1981 के दौरान हिंसा का सहारा लिया और सुरक्षा बलों, असैनिक अधिकारियों तथा मणिपुर के गांवों पर हमले किये थे;

(ग) क्या इन संगठनों को विदेशी तत्वों से सहायता मिल रही है;

(घ) क्या बंगला देश से भारी संख्या में आये लोगों के कारण भी उनकी गतिविधियां बढ़ी हैं; और

(ङ.) मणिपुर की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने कुछ उग्रवादी संगठनों जैसे पीपलस लिबरेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र), पीपलस रेवोलुशनरी पार्टी आफ कांग्लेईपाक (पी० आर० ई० पी० ए० के०) और इसके सशस्त्र विंग तथा पी० आर० ई० पी० ए० के० की

प्रशाखाएं जैसे कांग्लेईपाक कोम्युनिष्ट पार्टी और इसकी सशस्त्र विंग तथा उनके द्वारा स्थापित अन्य निकायों को अवैध गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967 के अधीन अवैध संस्थाएं होने की घोषणा करते हुए 26 अक्तूबर 1981 एक अधिसूचना जारी की है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

विदेशी तत्वों द्वारा इन संगठनों को दी जा रही सहायता का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है किन्तु इन संगठनों ने शस्त्रों और प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों से अपने सम्पर्क आरम्भ करने के प्रयास किए थे।

(घ) मणिपुर में इस प्रकार भारी संख्या में लोग नहीं आये हैं।

(ङ) उग्रवादियों की गतिविधियों से प्रभावकारी रूप से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों को कड़ा किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत की गई गिरफ्तारी

1824. **श्री मुहम्मद असरार अहमद :**

श्री सत्य गोपाल मिश्रा :

श्री अशफाक हुसैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद से 25 अगस्त, 1981, 31 अगस्त 1981 और 15 नवम्बर, 1981 तक क्रमश: राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत देश में (राज्यवार) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे व्यक्तियों में कितने व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी/उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय अथवा सरकार द्वारा दोषमुक्त किये गये/छोड़ दिए गये/रिहा कर दिए गए;

(ग) सक्षम प्राधिकारी न्यायालय या सरकार द्वारा उस प्रकार दोषमुक्त करने/छोड़ने/रिहा करने के क्या कारण हैं; और

(घ) 25 अगस्त, 1981 को (राज्यवार) ऐसे कितने व्यक्ति जेल में थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख), (ग), और (घ): सूचना एक की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों की संख्या और उनमें लम्बित पड़े मामले।

1825. **श्री मुहम्मद असरार महमद :**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा गठित कितने श्रम न्यायालय और श्रम न्यायाधिकरण 1 नवम्बर, 1981 को देश में (राज्यवार) कार्यरत थे;

(ख) श्रम न्यायालयों और श्रम न्यायाधिकरणों की प्रत्येक श्रेणी में 1 नवम्बर, 1981 को कितने मामले लम्बित पड़े थे; और

(ग) मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) :

	श्रम न्यायालयों की संख्या	श्रम अधिकरणों की संख्या	न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या	अधिकरणों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या
भारत सरकार		8 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय		1038
राज्य सरकारें				
1. सिक्किम	—	—	—	—
2. मणिपुर	—	1	—	4
3. केरल	3	3	534	151
4. मध्य प्रदेश	10	1	749	27
5. उड़ीसा	1	1	244	143
6. हरियाणा	2	1	825	372
7. नागालैंड	—	1 (अंशकालिक)	—	—
8. त्रिपुरा	1	1	5	—

शेष राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) भारत सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रतिमास 6 मामले निपटाने का मानक निर्धारित किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। जिसके अन्दर पंचाट देना अपेक्षित हो। सरकार मामलों के शीघ्र निपटान के तरीकों पर विचार कर रही है। और अधिक न्यायालय स्थापित करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

राज्य सरकारें पुराने मामलों का शीघ्र निपटान किए जाने के लिए पीठासीन अधिकारियों को अनुदेश भी जारी करती है। कुछ राज्य सरकारों ने मामलों के निपटान के लिए मानक भी निर्धारित किए हैं।

रोजगार पाने के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी

1826. **श्री मुहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाभकारी रोजगारों के लिए विदेश जाने वाले रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के साथ धोखा-धड़ी करने के कितने मामलों का दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले दो कैलण्डर वर्षों के दौरान पता लगाया गया और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये तथा कितनों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गये;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके खिलाफ ये मामले दर्ज किए गये थे और क्या इन मामलों की जाँच की जा रही है अथवा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं;

(ग) इस अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पर्याप्त कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार अपने नियंत्रण में तकनीकी और अन्य कार्मिकों को विदेशों में भी भेजने के लिए कोई योजना तैयार करने का है, यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : आंकड़े ,संलग्न विवरण में दिये हैं।

(ग) आसूचना एकत्र की जाती है और ऐसी धोखाधड़ी के बारे में कोई सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है ।

(घ) सरकार के नियंत्रण में तकनीकी तथा अन्य कर्मिकों को विदेशों में भजने की योजनाएं हैं । ब्यौरे सहल उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

मामले

वर्ष	सूचित	फर्द जुर्म	निलंबित जांच पड़ताल	अनट्रेस्ट	रद्द	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1979	42	21	14	3	2	67
1980	65	29	23	12	1	85
1981 से 15-11-81 तक	37	2	34	—	1	34

बीड़ी उद्योग

1827. **श्री अनादि चरण दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न बीड़ी उद्योगों में बीड़ी उत्पादन की लागत बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि परिवहन सुविधा की अत्यधिक कमी के कारण उत्पादन की लागत बढ़ रही है;

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र पत्तों का उत्पादन करने वाले राज्यों से बीड़ी निर्माता राज्यों तक केन्द्र पत्तों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे वैगनों की सप्लाई के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) बीड़ी उद्योग के विकास के लिये की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) इसके कारण निम्नलिकित हैं:—

1. मजदूरों की मजदूरी तथा विक्रेताओं के कमीशन में वृद्धि;

2. निविष्टियों अर्थात तम्बाकू तथा तेंदू के पत्तों की लागत में वृद्धि; और

3. कच्चे माल तथा तैयार माल को लाने ले जाने के खर्चे में बढ़ोतरी हो जाना।

(ग) और (घ) : परिवहन की सामान्य रूप से कोई कठिनाई नहीं है। माल डिब्बों की पूर्ति माल को लाने ले जाने के लिए पंजीकृत मालसूची की प्राथमिकता तथा वरिष्ठता के अनुसार की जाती है।

(ङ) बीड़ी उद्योग के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है किन्तु बीड़ी उद्योग को भी वह सभी सहायता दी जाती हैं जो लघु तथा कुटीर उद्योगों को उपलब्ध है।

हैवी इंनियरिंग कारपोरेशन में हानि

1828. **श्री कृष्ण प्रताप सिह :**

श्री नवल किशोर शर्मा:

श्री जगपाल सिह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को 50 करोड़ रु० से अधिक की एक रिकार्ड हानि हुई है;

(ख) 31 मार्च, 1981 तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को कुल कितनी हानि हुई;

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को इतनी भारी हानि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाई करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) 256 करोड़ रुपये।

(ग) इस वर्ष में जो हानियां हुई हैं वे मुख्यरूप से कम उत्पादन और उत्पाकता, सामान की लागत और अन्य निर्माण खर्चों में वृद्धि और सरकारी ऋणों पर ब्याज के भारी बोझ, यही 1980-81 में 14.81 करोड़ रु० था, के कारण हुई हैं।

(घ) निम्नलिखित के लिए कदम उठाए गए हैं:—

(1) शीर्ष स्तर पर प्रबंधकों का सुदृढ़ और संगठित दल नियुक्त करना और साथ ही अन्य अन्तरालों को पूरा करना।

(2) बिजली की अच्छी सप्लाई जिसमें 3.5 मे० वा० का एक स्टैंड बाई डीजल जनरेटिंग सेट भी शामिल हैं जो अगले छः महीनों में चालू किया जायेगा।

(3) अधिक क्रयादेश प्राप्त करना, विशेष रूप से निर्माण की पुनरावृत्ति मूलक वस्तुएं जिससे संयत्र को बराबर और संतुलित कार्यभार मिल सके। कम्पनी की क्रयादेश स्थिति से अब यह पता चलता है कि यह अब तक की सबसे अच्छी स्थिति है ? पिछले महीने की समाप्ति पर उनके पास 615 करोड़ रु० के क्रयादेश थे;

(4) उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से एच० ई० सी० में औद्योगिक सम्बन्धों और अनुशासन में सुधार लाना;

(5) उत्पादन-आयोजन, जाब कास्टिंग की अद्यतन प्रणालियां शुरू करना और इसके लिए कम्प्यूटर उपयोग का अधिक इस्तेमाल करना;

(6) कार्य संचालन पूंजी के लिए वित्तीय सहायता देना;

(7) महत्वपूर्ण कच्चा माल प्राप्त करने में उपक्रम की सहायता करना।

इन उपायों से पहले ही परिणाम मिलने शुरू हो गये हैं। उदाहरण के लिए—इस वर्ष एच० ई० सी० के काम में स्पष्ट सुधार हुआ है और अप्रैल से अक्तूबर, 1981 की अवधि में उनका उत्पादन (अन्तर संयंत्र सम्भरणों सहित) 51.44 करोड़ रु० का था जबकि 1980 की इसी अवधि में 27.17 करोड़ रु० का उत्पादन हुआ था।

मै० हैदराबाद एस्बेस्टास

1829. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद ऐस्वेस्टास एक एम० आर० टी० पी० कम्पनी, औद्योगिक लाइसेंस लिए ऐस्वेस्टास बनाने वाला मशीन का निर्माण कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) : शीटों तथा पाइपों सहित एस्वेस्टस सीमेंट उत्पादों का निर्माण करने के लिए सम्पूर्ण सयंत्रों के निर्माण हेतु मे० हैदराबाद एस्वेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स लि० ने फरवरी, 1964 में एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया था। चूंकि प्रश्न गत मशीन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन नहीं मानी गई थी अतः कम्पनी को जून 1964 में यह सलाह दी गई थी कि इन उपकरणों के निर्माण के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति की जरुरत नहीं है। मशीनों के निर्माण की योजना को सरकार ने स्वीकृति दे दी थी तथा इस प्रयोजन के लिए विदेशी सहयोग की भी अनुमति सितम्बर 1964 में दी गई थी। इन परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से यह अर्थ लगाना कि कम्पनी ऐसी मशीनों का उचित सरकारी अनुमति के बिना निर्माण कर रही है सही नहीं है और इसलिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पद त्याग करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों द्वारा गैरसरकारी सेवा में नियुक्ति पाने के लिए अनुमति माँगा जाना

1830. **श्री के० राममूर्ति:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों ने पद त्याग किया है, उनका ब्यौरा क्या है और वे किस राज्य संवर्ग से संबंधित हैं;

(ख) क्या उन सभी ने गैरसरकारी सेवा में नियुक्ति पाने के लिए अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या): (क) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) तथा (ग) : भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी सेवा से त्याग-पत्र देते हैं वे सरकार से अपने सभी सम्बन्ध तोड़ लेते हैं । इसलिए, उन्हें गैर-सरकारी सेवा में रोजगार के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है ।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों के ब्यौरे जिन्होंने 1979, 1980, 1981 (नवम्बर तक) के दौरान सेवा से त्याग-पत्र दिया ।

क्रम संख्या	नाम	आवंटन वर्ष	संवर्ग का नाम	जिस वर्ष में त्यागपत्र दिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रीमती अंजुला कर्की	1967	हिमाचल प्रदेश	1979
2.	श्रीमती सुधा कौल	1970	उत्तर प्रदेश	1979
3.	श्री राजा हसनैन	1972	उत्तर प्रदेश	1979
4.	श्री बिक्रम एस० मेहता	1978	राजस्थान	1980
5.	श्री ए० ए० देशपाण्डे	1963	महाराष्ट्र	1980
6.	श्री विक्रम के० नेहरू	1977	राजस्थान	1981
7.	श्री एस० पद्मनाभन	1962	महाराष्ट्र	1981
8.	श्री जे० के० सिबल	1863	मध्य प्रदेश	1981

सरकारी एजेंसियों तथा गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं के लिए सीमेंट

1831. **श्री के० राममूर्ति :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के कुल 220 लाख मीट्रिक टन उत्पादन में से 100 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का प्रयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है तथा केवल 90 लाख मीट्रिक टन सीमेंट गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है;

(ख) क्या सीमेंट के कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में है; और

(ग) यदि हाँ, तो सीमेंट एककों का विस्तार करने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के लिये क्या कदम उटाये जा रहे हैं;

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सन 1980 के दौरान किये गये 194.40 लाख टन सीमेंट के कुल प्रेषण में से सरकारी विभागों/उपक्रमों को केवल 92.4 लाख टन सीमेंट की पूर्ति की गई थी ।

(ख) वर्तमान में सीमेंट की अधिष्ठापित क्षमता में निजी क्षेत्र का अंश लगभग 81 प्रतिशत है ।

(ग) सरकार विद्यमान एककों का विस्तार करने पर बल देकर सीमेंट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता अधिष्ठापित करने के लिये प्रोत्साहन दे रही है । सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उदार ऋण सहायता प्रदान की जाती है ।

तदर्थ हिन्दी अधिकारियों के कार्यकाल में वृद्धि करना

1832. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान तदर्थ हिन्दी अधिकारियों का कार्यकाल केवल 31 दिसम्बर, 1981 तक ही बढ़ाया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार हिन्दी अधिकारियों के कार्यकाल को और एक वर्ष तक अथवा संवर्ग के बनाए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का है ताकि उन्हें दिसम्बर, 1981 के बाद अपना वेतन लेने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए आशय पत्र

1833. **श्री चित्त महाटा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा वर्ष 1980 और 1981 में जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन फर्मों/एककों के नाम क्या हैं जिन्हें ये आशय पत्र जारी किए गए हैं और आशय-पत्र जारी करने का क्या मानदण्ड है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) : हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण करने के लिए 1980-81 में निम्नलिखित चार फर्मों को आशय पत्र जारी किए गए हैं:—

(i) मे० दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०.

(ii) मे० हैदराबाद अल्विन मेटल वर्क्स लि०,

(iii) मे० आयशर ट्रैक्टर्स लि०,

(iv) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम,

हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों की पुर्वानुमानित मांग के लिए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता तथा प्राप्त प्रस्तावों के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए आशय पत्र जारी किये गये हैं।

सभी के लिए शिक्षा और काम

1834. **श्री चित्त महाटा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे देश के युवकों ने "सभी के लिए शिक्षा और काम" की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) अखिल भारतीय छात्र युवा संघर्ष समिति ने हाल ही में प्रधान मंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) इस ज्ञापन में निहित प्रमुख मांगें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इस ज्ञापन की जांच की जा रही है।

विवरण

अखिल भारतीय छात्र युवा संघर्ष समिति द्वारा प्रधान मंत्री जी को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में निहित प्रमुख मांगें।

1. काम करने के अधिकार की मूल अधिकार के रूप में गारंटी दी जानी चाहिए और सभी के लिये रोजगार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2. जब तक रोजगार नहीं दिया जाता तब तक वेरोजगारी राहत दी जानी चाहिए।

3. रोजगार सम्बन्धी आवेदनपत्रों पर लगने वाले सभी प्रभार समाप्त किये जाने चाहिये।

4. सभी के लिए माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी जानी चाहिये।

5. शिक्षा को समवर्ती सूची से हटा दिया जाना चाहिये और पहले के समान ही एक बार फिर से राज्य सूची में रखा जाना चाहिये।

6. बजट आवंटन का 10 प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाना चाहिये और उसमें प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण पुस्तकालयों, आदि के लिये पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए।

7. शिक्षण का माध्यम सभी स्तरों पर मातृभाषा होना चाहिये।

8. हमारे देश में शिक्षा की प्रणाली को मानकीकृत किया जाये और वर्तमान दोहरी प्रणाली समाप्त दी जाए।

9. बढ़ती हुई ग्रामीण बेरोजगारी के दबाव को दूर करने के लिये पूर्ण रूप से भूमि सुधारों को कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

10. मत देने की आयु 18 वर्ष होनी चाहिये ।

खान अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें

1835. **श्री विजय मोदक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान खान अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत कितने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये और मान दण्ड दिया गया ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

मोग और चकमा आदिवासी शरणार्थियों को राहत देने के लिए त्रिपुरा सरकार को अनुदान

1836. **श्री गुलाम मोहम्द खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में मोग और चकमा आदिवासी शरणार्थी अपर्याप्त पेय-जल सुविधाओं और अस्वास्थ्यकर सफाई व्यवस्था तथा अव्यवस्थित आवास के कारण कष्ट उठा रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र का विचार मोग और चकमा आदिवासी शरणार्थियों को तुरन्त राहत देने के लिये त्रिपुरा सरकार को अनुदान देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अभी तक राज्य सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से राहत पर हुए व्यय के ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया है । शरणार्थियों को बंगलादेश वापस भेजने का कार्य 25 नवम्बर, 1981 से शुरू हुआ । 30 नवम्बर 10,707 व्यक्तियों को वापस भेज दिया गया है ।

बिस्कुट बनाने वाले एककों की स्थापना के लिए परमिट

1837. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस समय ब्रेड या बिस्कुट बनाने वाली नई बड़ी इकाइयों की स्थापना के लिये परमिट जारी नहीं कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार विद्यमान एककों के विस्तार के लिये भी परमिट नहीं दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :(क) और (ख) : जी, हां।

(ग) ब्रेड और बिस्कुटों के उत्पादन का काम केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विकसित होने लिये आरक्षित कर दिया गया है ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी पद हेतु परीक्षा

1838. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि सशस्त्र मुख्यालय स्टेनोग्राफर सेवा नियम तैयार किये गये तथा लागू किये गये थे, तब उनमें इस आशय का कोई खण्ड नहीं था कि सीनियर पी० ए० के 50 प्रतिशत पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 5 लिखित पत्रों तथा स्टेनोग्राफी में एक टेस्ट वाली विभागीय समिति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस खण्ड को किन परिस्थियों में सेवा नियमों में शामिल किया गया जिसके कारण इस सेवा में अधिकांश स्टेनोग्राफरों को अत्यधिक हानि पहुँची;

(ग) उच्च पदों पर बुद्धिमान उद्यमी तथा उन्नतिशील कर्मचारियों को अवसर देने के अलावा केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा अनुभाग अधिकारी के पद के लिये ली जाने वाली परीक्षा की भाँति सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद हेतु परीक्षा शुरू करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ताकि वे सशस्त्र सेना मुख्यालय स्टेनोग्राफर सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोंग्राफर सेवा के बीच समानता लाई जा सके; और

(घ) आशुलिपिकों के लिये सेवा में उन्नति के अवसरों में, जो बहुत ही कम तथा अपर्याप्त हैं तथा आशुलिपिकों को अपनी सम्पूर्ण सेवा में लगभग तीन दशक तक एक ही ग्रेड में उच्चतम वेतन पर रुका रहना पड़ता है, सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जाने पर विचार किया गया है ;

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सीमति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था 1973 में की गई थी। सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई थी क्योंकि यह सेवा भी मुख्य रूप से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नमूने पर ही बनाई गई है। सेवारत व्यक्तियों के लिये ही समिति इस परीक्षा से, योग्यता के आधार पर ऊंचे ग्रेड में शीघ्र पदोन्नति का अवसर मिल जाता है। इससे सेवा की दक्षता में सुधार हुआ है।

(ग) 1968 में जब सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा बनाई गई थी उस समय सीमति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि उस समय यह विचार था कि योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर सहायकों को पदोन्नत करके सहायक सिविलियन स्टाफ अफसरों के पद भरने की इस प्रणाली से उपयुक्त व्यक्ति का चयन होगा और परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने सीमित विभागीय परीक्षा शुरू करने के लिये समय-समय पर विचार किया है सहायकों तथा ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों के हितों पर अच्छी तरह विचार करने के बाद परीक्षा न लेने का निर्णय किया है।

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'ग' इस समय प्रगतिरोध है। उनकी पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के प्रश्न पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग विचार कर रहा है और इसमें रक्षा मंत्रालय भी भाग ले रहा है।

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित विमानों के लिए पुरजों की आवश्यकता

1839. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड इसके द्वारा नौसेना, भारतीय वायु सेना और थल सेना तथा राज्य सरकारों के लिए निर्मित किये गये विमानों की पुर्जों सम्बन्धी माँग को पूरा करने में असमर्थ है और पुर्जों के अभाव के कारण अनेक विमानबेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड की हालत क्या है और उसमें सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या जिन उद्देश्यों को लेकर हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड को बनाया गया था उन्हें प्राप्त कर लिया गया है और क्या बेहतर और आधुनिक किस्म के विमान आदि बनाने के लिये इसने प्रौद्योगिकी और तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर लिया है ताकि उस मामले में अन्य देशों पर निर्भरता से मुक्त हुआ जा सके;

(घ) क्या आर एण्ड डी ने इस प्रकार की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भरसक योगदान दिया है जैसी कि विदेशी वैज्ञानिकों ने विकसित कर रखी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ) : वैमानिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी स्तर तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बीच के अन्तर को कम करने के लिये लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इलेक्ट्रानिक नीति में परिवर्तन

1840. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार देश में इलेक्ट्रानिक्स सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रालय के आदेशों का सशस्त्र मुख्यालय के कर्मचारियों पर लागू किया जाना

1841. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त, गृह मंत्रालय कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग आदि द्वारा जारी किये गये सेवा सम्बन्धी सरकारी आदेशों को सशस्त्र सेना मुख्यालय में काम कर रहे

असैनिक कर्मचारियों पर लागू करने के लिये रक्षा मंत्रालय द्वारा पुनः जारी नहीं किया जाता है;

(ख) ऐसे आदेशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक सशस्त्र सेना मुख्यालय में लागू नहीं किया गया है;

(ग) इन आदेशों को सशस्त्र सेना मुख्यालय पर लागू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग आदि द्वारा जारी किये गये सेवा सम्बन्धी मामलों के उन सरकारी आदेशों को, जो सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर समान्यतः लागू होते हैं, सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठन के सिविलियन कर्मचारियों पर भी अपरिवर्तनीय रूप में लागू कर दिये जाते हैं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

जे० सी० एम० (iv) में यूनियनों का प्रतिनिधित्व

1842. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि 1971 के सी० पी० आर० ओ० 25 के सी० पी० आर० ओ० संख्या 3 (सी) में ऐसा प्रावधान है जिससे मान्यता प्राप्त यूनियन को या मान्यता के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी करने वाली यूनियन को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उसके ऐसे संस्थानों में जे० सी० एम० (iv) में दो प्रतिनिधि होने चाहिए जहाँ दो मान्यता प्राप्त फेडरेशनों में से किसी एक से सम्बद्ध केवल एक यूनियन है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त सी० पी० आर० ओ० के उल्लंघन में दिनांक 21 अगस्त, 1979 को एक परिपत्र सं० का० ज्ञा० सं० एफ० 29 (1)/78 डी (जे० सी० एम०) जारी किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या ट्रेड यूनियन के अधिकारों को बहाल करने के लिए इसे रद्द करने का प्रस्ताव है अथवा सरकार यूनियनों के अधिकारों को बहाल करने हेतु उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित परिपत को रद्द करने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 21.8.1979 को आदेश जारी किए गए थे जिसके अनुसार जे० सी० एम० फोरम में भाग लेने के लिए यूनियनों की मान्यता को बहाल रखा था। चूंकि जे० सी० एम० की राष्ट्रीय परिषद ने जे० सी० एम० फोरम में यूनियनों/एसोसिएशनों की मान्यता का प्रश्न फरवरी 1979 में उठाया था इसलिए सी पी आर ओ 25/71 के प्रावधानों को लागू करना सम्भव नहीं था। यह पूर्णतया अस्थाई उपाय है और संबंधित सी पी आर ओ का उल्लंघन करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

(ग) चूंकि 21 अगस्त, 1979 के आदेशों का सम्बन्ध यूनियनों को केवल जे० सी० एम०

के लिए मान्यता देने तक ही है इसलिए ट्रेड यूनियनों को सी० पी० आर० ओ० 63/59 के अन्तर्गत अभी मान्यता मिल सकती है और इस तरह से ट्रेड यूनियन अधिकार समाप्त नहीं किया गया है। उपर्युक्त (ख) में बताए गए परिपत्र को जे० सी० एम० फोरम के लिए राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) द्वारा मान्यता नियम बनाने के बाद ही रद्द किया जा सकता है।

उड़ान प्रशिक्षण में दो पुष्पक विमानों का नष्ट होना

1843. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के सिविल फ्लाइंग क्लब के दो पुष्पक विमान प्रशिक्षण के दौरान नष्ट हो गए थे जबकि वे नौसैनिक विमानन नौसैनिक अधिकारियों को यह प्रशिक्षण दे रहे थे और जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाधा उपस्थित हो गई हैं;

(ख) नौसैनिक अधिकारियों/नाविकों को नौसैनिक विमान उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए स्थल पर वैसे प्रशिक्षण स्कूल न होने के क्या कारण हैं जैसे कि भारतीय वायु सेना के होते हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और इस मामले में की गई जांच पड़ताल के निष्कर्ष क्या है; और

(घ) नौसैनिक विमान विंग को सुदृढ़ बनाने और सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) मद्रास फ्लाइंग क्लब के दो विमानों को मद्रास हवाई अड्डे पर हुई दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में थोड़ी-थोड़ी क्षति हुई थी। इन विमानों की मरम्मत की जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि प्रशिक्षण के लिए अन्य विमान उपलब्ध हैं।

(ख) नौसैनिक पायलटों को वायुसेना उड़ान प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसलिए नौसेना अफसरों/नौसैनिकों के लिए अभी तक अलग से किसी उड़ान प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना नहीं की गई है।

(ग) सिविल विमानन के महानिदेशक द्वारा नियुक्त दुर्घटना निरीक्षक दुर्घटनाओं के कारणों की जांच-पड़ताल कर रहा है।

(घ) नौसेना के हवाई विंग को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंडल कमीशन के बारे में आपको लिखा था...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल बताया था कि बात कर रहा हूं। आप रोज-रोज इस को क्यों उठाते हैं ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अध्यक्ष महोदय, रेडियो, टेलिविजन और अखबारों में मुझे लोक दल का सदस्य लिखा जाता है, जबकि मैं डेमोक्रटिक सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य हूं। जो चिटिठयां मिलती हैं, जो उत्तर आते हैं, कल के प्रिवलेज मोशन के उत्तर में भी मुझे लोक दल का सदस्य लिखा गया है, इस से मेरी स्थिति बड़ी खराब हो रही है। ...

श्री रामविलास पारावान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में दिन-ब-दिन ला-एण्ड-आर्डर गिरता जा रहा है...

अध्यक्ष महोदय : वहां असेम्बली है।

श्री रामविलास पसावान : वह कभी नहीं चलती है।

अध्यक्ष महोदय : उसको तोड़ दीजिये, फिर यहां बात करेंगे।

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दवाई की शीशी लाया हूं जिस में कीड़ पड़े हुए हैं। बगैर लाइसेंस के बाटलिंग की जा रही है, इस को आप देख लीजिये....

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए, मैं देख लूंगा।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैंने स्टेट-एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री आर० वी० स्वामीनाथन के खिलाफ प्रिवलेज का मोशन दिया है...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करुंगा।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस में स्टेट गवर्नमेन्ट ने कोई लाइसेंस नहीं दिया है, आप इस को देख सकते हैं, इस में कीड़े पड़े हुए हैं। यह इन्सानों के पीने की दवा है, यह स्थिति आज लाइफ-सेविंग-ड्रग्ज की है इसे वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड, हैदराबाद ने बनाया है

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसी दवाओं के बारे में मैंने दो बार हाउस में सूचना दी है और लिख कर भेजा है। आप ने कहा था कि एक समन्वय समिति में विचार हो रहा है, लेकिन इस के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, अभी भी ऐसा होता जा रहा है ..

श्री जगपाल सिंह : बगैर लाइसेंस के बाटलिंग हो रही है।

अध्यक्ष महदोय : आप कितनी बार इस को दोहरायेंगे ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप बतलायें कि क्या हुआ है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : पोस्टर सेंसरशिप पर श्री इद्रजीत द्वारा लिखे एक लेख पर मैंने एक विशेषधिकार की पूर्व सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इस पर विचार करूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने कहा है कि आपने सभा को गलत सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप समझे नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह लेख पढ़ा है । मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : वह आर्टीकल बहुत अच्छा है । उन्होंने लिखा है कि आप अपने रूलिंग पर फिर से रिव्यू करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी समझता हूं । मैं भी आदमी हूं मैं अपने विनिर्णय पर पुनर्विचार कर सकता हूँ । यदि कोई बात हुई तो मैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप फिर से सोचिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने अभी तक कानून नहीं बदला है, पुराने कानून लिये बैठे हैं परवाह नहीं करते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कानून की बात न कीजिये । पार्लियामेन्ट के मेम्बरों के कुछ प्रिवलेजेज होते हैं या नहीं ? आपने जो रूलिंग दी है, हम उस रूलिंग को चेलेन्ज नहीं कर रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजम गढ़) : आपने कहा है कि कानून पुराने हो गये हैं । मेहरबानी करके एक कमेटी बना दीजिये ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : रूल्स कमैटी तो है । उसमें क्या होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी कहा है कि मैं गिव एन्ड टेक में विश्वास करता हूँ । मुझ से भी गलती हो सकती है लेकिन मैं सोच-समझ कर और अपनी कान्सेंस से ठीक करने की कोशिश करता हूँ ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मुझे आशा है मेरे विशेषधिकार प्रस्ताव पर आपका ध्यान अवश्य जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स को नौकरी देने की इतनी बात चलती है लेकिन उनका कोटी अभी तक पूरा नहीं हुआ है । दूसरी तरफ 250 हरिजनों को बिहार में बेरोजगार कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेट गवर्नमेंट की बात है ।

श्री हरिकेश बहादुर : 250 हरिजनों का मामला है ।

श्री रामविलास पासवान : स्टेट गवर्नमेंट का कैसे मामला है । ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बीच में बोल रहे हैं जब एक आदमी बात कर रहा है ।

श्री रामविलास पासवान : आप ने कह दिया कि वह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, वहाँ जो हरिजन हैं, उन को सरकारी नौकरी से निकाला जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप रेजोलूशन पास कीजिए कि एसेम्बलीज को बन्द किया जाए। फिर यहां पर इसको लाइए।

श्री रामविलास पासवान : एसेम्बली वहां कभी चलती नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : 250 हरिजनों को बेरोजगार कर दिया है, जबकि उसी काम में लगे कांग्रेस (आई) के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : इस पर आपकी क्या राय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर : हम ने मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इस में रजोर्नमेंट मोशन का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री जगपाल सिंह : तीस साल में 3 परसेन्ट भी नहीं हो पाया है। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्यों बीच में बोल रहे हैं।

श्री जगपाल सिंह : हमारी रिक्वैस्ट है कि कि आप इस को देखें। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही में अपना एकाधिकार क्यों चाहते हैं ? आप उस माननीय सदस्य को बोलने क्यों नहीं देते जिसे मैंने अनुमति दी है ? उन्हें भी उतनी महत्वपूर्ण बात कहनी है।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने, श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, श्री दंडपाणि, श्री कोसल राम और हमारे दल के चार अन्य सदस्यों ने एच० आर० ई० सी० के एक अधिकारी की नृशंस हत्या के संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी है...

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने का यह कोई तरीका नहीं है इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान) *

सभा पटल पर रखे गए पत्र

औद्योगिक विकेन्द्रीकरण संबंधी प्रतिवेदन

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं पिछड़े क्षेत्रों के विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा दिए गए औद्योगिक विकेन्द्रीकरण संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2979/81)

उद्योग तथा (विकास विनियम) अधिनियम के अन्तगत अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।

(1) उद्योग (विकास तथा विनियन) अधिनियम 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रतिः—

(एक) मैसर्स कृष्ण सिलीकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध पांच वर्ष से आगे जारी रखने के बारे में सां० आ० 144 (ङ) जो दिनांक 4 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मैसर्स प्लाइवोर्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पम्पोर, जम्मू तथा कश्मीर का प्रबन्ध पांच वर्ष से आगे जारी रखने के बारे में सां० आ० 318 (ङ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) मैसर्स कन्टेनर्स एक कलोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध पांच वर्ष से आगे जारी रखने के बारे में सां० आ० 391 (ङ) जो दिनांक 28 मई, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(चार) मैसर्स आन्ध्र सांइटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपत्तनम का प्रबन्ध पांच वर्ष से आगे जारी रखने के बारे में सां० आ० 53 (ङ) जो दिनांक 216 जून, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) मैसर्स एसोशिएटिड इण्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर का प्रबन्ध पांच वर्ष से आगे रखने के बारे में सां० आ० 541 (ङ) जो दिनांक 6 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(छः) मैसर्स अमृतसर आयल वर्क्स, अमृतसर का प्रबन्ध पांच वर्ष से आगे जारी रखने के बारे में सां० आ० 695 (ङ) जो दिनांक 11 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(सात) मैसर्स इंडिया वेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरामपुर, पश्चिम बंगाल का प्रबंध पांच वर्ष से आगे जारी रखने के बारे में सां० आ० 684 (ङ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में जारी हुआ था।

(आठ) मैसर्स कृष्ण सिलीकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध पांच वर्ष से आगे जारी रखने के बारे में सां० आ० 685 (ङ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 9181 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) मैसर्स ईस्टर्न डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध पांच वर्ष से आगे जारी रखने के बारे में सां० आ० 737 (ङ) जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दस) मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मेन्यूफेक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध पांच वर्ष से आगे जारी रखने के बारे में सां० आ० 738 (ङ) जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2980/81)

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आयातित सीमेंट नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2981/81)

नेशनल फेडरेशन आफ इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिस लिमिटेड, नई दिल्ली और भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फर नगर के वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :

(1) नैशनल फेडरेशन आफ इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे।

(2) नेशनल फेडरेशन आफ इण्डिस्ट्रियल कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) एक प्रति तथा लेखे।

(3) नेशनल फेडरेशन आफ इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे।

(4) नेशनल फेडरेशन आफ इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (क) फेडरेशन आफ इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (ख) लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2982/81)

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (बिहार) के 4 दिसम्बर, 1978 से 31 मार्च, 1980 तक की अधिव के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (बिहार) का 4 दिसम्बर, 1978 से 31 मार्च, 1980 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। संख्या एल० टी० 2983/81)

सेमी कंडक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड, एस० ए० एस० नगर (पंजाब) के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) सेमी कंडक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड, एस० ए० एस० नगर (पंजाब) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) सेमी कंडक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड, एस० ए० एस० नगर (पंजाब) का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2984/81)

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक अधिसूचनाएं

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : महोदय, मैं श्री पी० वेंकट सुब्बय्या की ओर से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम 1981 जो दिनांक 14 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1008 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 613 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 614 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) पांचवा संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 21 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 609 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1681 जो दिनांक 21 नवम्बर 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 610 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2985 81)

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 30 नवम्बर, 1981 को अपनी बैठक में पारित वायु निगम (संशोधन) विधेयक, 1981 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में वायु निगम (संशोधन) विधेयक, 1981 सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति। इकतीसवां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन् (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ।

श्री खुर्शीद आलम खान : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) 193/194 वाराणसी-महानगरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बुहरानपुर पर रोकने की आवश्यकता।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : (खंडवा) : बुहरानपुर (म० प्र०) की आबादी 1.46 लाख है। म० प्र० का 11 वें नम्बर का शहर हैं, नगर निगम है। यह एक ऐतिहासिक एवं औद्योगिक नगर है। साथ ही यह एक धार्मिक स्थल भी है। बुरहानपुर में 18.00 पावरलूम हैं। वीविंग, एक स्पिनिंग मिल, 39 सायकिंग, 8 केलेडरिंग, 2 प्रिंटिंग टेक्सटाईल यूनिट हैं, बीडी इन्डस्ट्रीज व अन्य उद्योग हैं। लगभग 10 करोड़ रुपये का तला प्रतिवर्ष यहाँ से निर्यात होता है। मे बड़े खेद का विषय है कि वाराणसी-महानगरी एक्सप्रेस बुरहानपुर पर नहीं रुकती है। बम्बई, जबलपुर,

सतना, इलाहबाद, बनारस जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन वाराणसी-महानगरी एक्सप्रेस 193/194 बुरहानपुर में रुकने के लिए रेल मंत्री जी आदेश देवें।

(दो) देश में सहकारिता आंदोलन को गतिमान बनाने और उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल की शीघ्र स्थापना करने की आवश्यकता।

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : भारत में सहकारिता आन्दोलन काफी प्राचीन होते हुए भी, इस आन्दोलन का सही मायने में प्रादुर्भाव एवं विकास कांग्रेस सरकार की पिछली 33 वर्षों की एक एक गौरवमयी उपलब्धि है। श्री जवाहर लाल नेहरू जी का पूर्ण विश्वास था कि भारत में कृषि एवं उद्योगों का विकास सहकारिता की ही नींव पर रखा जा सकता है।

सन् 1956 की औद्योगिक नीति में सहकारिता का उद्योगों में युग शुरू हुआ। इसको पूर्ण बढ़ावा जून, 19 0 की औद्योगिक नीति से मिला। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इस आंदोलन में कुछ शिथिलता आ गई है। इसका एक उदाहरण मैं देती हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सहकारिता चीनी उद्योग प्रदेश में लगाने हेतु आवश्यक कागज केन्द्र सरकार को काफी समय पहले भेजे थे। इसका आशय यही है कि इस प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन का औद्योगीकरण में पूरा विकास हो। लेकिन अत्यधिक खेद का विषय है कि भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय ने इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमारी नीति सहकारिता आन्दोलन को विकसित करने करने में बिल्कुल सही एवं साफ है तो इस उद्योग को क्यों नहीं आवश्यक आदेश मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सम्बन्धित मंत्रालय कोई पूंजीपतियों के दबाव में आ रही है और इस उद्योग को आवश्यक आदेश नहीं दिये जा रहे हैं।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस विषय में संसद में एक वक्तव्य दें।

(तीन) दिल्ली दूरदर्शन पर उड़िया और असमी भाषाओं के कार्यक्रमों को पर्याप्तसमय देने की आवश्यकता

श्री रासबिहारी बहेरा (कालाहांडी) : दिल्ली दूरदर्शन प्रत्येक सप्ताह में एक बार क्षेत्रीय चित्राहार कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम में दिल्ली में दूरदर्शन दर्शकों को क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के गीतों तथा दृश्यों को देखने का अवसर मिलता है। परन्तु इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। उड़िया और असमी फिल्म के गीतों या दृश्यों को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इसी प्रकार दिल्ली दूरदर्शन प्रत्येक सप्ताह में एक क्षेत्रीय फिल्म दिखाता है। इस कार्यक्रम में असमी तथा उड़िया फिल्म कभी कभी ही प्रस्तुत की जाती है। दिल्ली भारत का दिल है। इस राजधानी शहरों में देश के सभी भागों के लोग रहते हैं। आसाम और उड़ीसा के हजारों दूरदर्शन दर्शक इस शहर में रहते हैं। यह देखकर उनको निराशा होती है। कि उनकी भाषाओं को दूरदर्शन कार्यक्रम में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मांग करता हूँ कि दिल्ली दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत

* उड़िया में दिए गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किये जाने वाले क्षेत्रीय चित्राहार तथा क्षेत्रीय फिल्म कार्यक्रम में सभी भाषाओं के समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

(चार) तमिलनाडु में कुटीर और लघु इकाइयों में बनाने वाली दियासलाइयों पर उत्पाद-शुल्क घटाने की आवश्यकता

श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम (तिरुनेलवेली) * नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को उठाता हूँ।

तमिलनाडु में दियासलाई उद्योग के तीन क्षेत्र हैं। एक मशीनरी कृत क्षेत्र दूसरे हस्तनिर्मित बड़े कारखाने तथा तीसरे क्षेत्र को दो श्रेणियों में बाँटा गया है—कुटीर तथा छोटी इकाइयां जो कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वावधान में तथा राज्यों के सहकारी समितियों के माध्यम से उद्योग विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं? मशीनीकृत क्षेत्र के लिए प्रति गुरुस पर 7.20 रु० का उत्पादन शुल्क था, मध्यम क्षेत्र के लिए 4.50 रु० प्रति गुरुस तथा कुटीर तथा छोटे क्षेत्रों के लिए 1.60 रु० प्रति गुरुस था। 1-10-81 से मशीनीकृत क्षेत्रों में गत्ते की माचिसों पर उत्पादन शुल्क संशोधन करने के बाद 7.20 रु० प्रति गुरुस तथा मध्यम व कुटीर व छोटे उद्योगों के लिए 5.50 रु० प्रति गुरुस कर दिया गया है। मध्यम क्षेत्र के लिए एक रु० प्रति गुरुस वृद्धि की गई है जबकि मशीनीकृत क्षेत्र के लिए कोई वृद्धि नहीं की गई है।

कुटीर व लघु क्षेत्रों की गत्ते की माचिसों पर उत्पादन शुल्क में 3.90 रु० प्रति गुरुस की वृद्धि से लघु तथा कुटीर इकाइयां नष्ट हो रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में ये कुटीर इकाइयाँ लगभग दो लाख पुरुषों तथा महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही थीं और उनकी आजीविका का साधन समाप्त हो गया है। सहकारी समितियों के प्रतिनिधि वित्त मंत्री से मिले तथा इस सम्बन्ध में याचिका प्रस्तुत की। ऐसा बताया गया था कि आश्वासन यह दिया गया कि कुटीर तथा लघु इकाइयों के लिए उत्पादन शुल्क 5.50 रु० से घटाकर 3 रु० कर दिया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों में लगे लाखों कर्मचारियों की आजीविका साधन को बचाने के हित में मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के शीघ्र कार्यान्वयन की माँग करता हूं।

(पांच) हिन्दुस्तान समाचार भारती के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : बम्बई में हिन्दुस्तान समाचार एजेंसी के तमाम कर्मचारियों ने 30-11-81 को सांकेतिक हड़ताल की, क्योंकि मजदूरों को दो साल से बोनस नहीं मिला है। एक साल के बोनस के जबरन दस्तखत कराकर उनको बोनस सर्टिफिकेट दिए गए। तीन महीने से वेतन न मिलने के कारण भी मजदूरों में असंतोष है। गलत तरीके से फिरकापरस्त संगठनों को भी तरक्की दी गई और जिनका अधिकार था उनको उससे वंचित रखा गया। सरकार इस मामले की पूरी जाँच करे और मजदूरों की माँगें जो उचित हैं वह पूरी की जाएं और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाए।

* तमिल में दिये गये मूल भाषण का हिन्दी रूपान्तर

(छः) बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का प्रस्तावित पुनर्गठन

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड मैसर्स बैथवेट कम्पनी लिमिटेड, मैं० बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड तथा मैं० जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड का एक संघ है जिनकी शेयर धारिता क्रमशः 40%, 30%, तथा 30% है। मैसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड तथा बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में है। मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड में केन्द्रीय सरकार के 96% शेयर हैं। बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड वास्तव में केन्द्रीय सरकार के उद्योग विभाग के अन्तर्गत है तथा इसको सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत माना गया है। 700 स्थाई कर्मचारी तथा लगभग 1000 नैमित्तक कर्मचारी बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड में कार्य कर रहे हैं।

मैसर्स बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड सार्वजनिक महत्व के बहुत से कार्य ठेके पर कर रही हैं। एक मुख्य कार्य जो मैसर्स बी० बी० जे० फिलहाल कर रही है वह है मैं० गामैन इंडिया लिमिटेड के सहयोग से दूसरे हुगली पुल का निर्माण।

यह सुनकर बहुत चिन्ता तथा आशंका है कि केन्द्रीय सरकार ने अब विक्टोरिया वर्क्स को तथा इसके स्थल कार्यालयों को स्थल पर कार्य समाप्त हो जाने के बाद बन्द करके बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कम्पनी के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया है। यह आशंका की गई है तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त एक पत्र से प्रतीत होता है कि विक्टोरिया वर्क्स तथा स्थल कार्यालयों के बन्द होने के फल स्वरूप स्थायी कर्मचारी भी फालतू घोषित किये जायेंगे तथा इन फालतू कर्मचारियों की सेवामें उन्हें सेवा समाप्ति पर मिलने वाले लाभ के भुगतान के बाद समाप्त कर दी जायेगी। बेरोजगार होने वाले लोगों की संख्या 800 से ज्यादा होगी। ऐसी कठोर कार्य वाहीसे न केवल कर्मचारियों के लिए गम्भीर स्थिति पैदा हो जाएगी बल्कि इससे गम्भीर श्रमिक अशान्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी जो कि न केवल बी० बी० जे० पर ही प्रभाव डालेगा बल्कि दूसरी धडक इकाइयों में भी इसकी सहानुभूति में प्रतिक्रिया होगी और वास्तव में द्वितीय हुगली पुल के निर्माण पर प्रभाव पड़ेगा जहां औद्योगिक सम्बन्ध अभी तक अच्छ तरह से नियन्त्रण में रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के पुनर्गठन से द्वितीय हुगली पुल के निर्माण कार्य का प्रक्रिया तथा प्रगति में गम्भीर रूप से वाधा आएगी। बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ने मुख्य पुल के हुगली घाट के "ट्रैस्टल" का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है जो कि बड़े-बड़े गर्डरों को सहारा देगी जिनकी अगले कुछ महीनों में ही स्थल पर आवयश्कता पड़ेगी निर्माण कार्य 15000 टन का है।

इसी कार्य शाला को पुल के लम्बाई के तथा आरपार पड़ने वाले गर्डरों का निर्माण कार्य सौंपा गया है जो कि 1600 टन के हैं। वास्तव में निर्माण कार्य सूची में ये बड़े निर्माण कार्यों का प्रथम भाग ही है। विक्टोरिया वर्कस को वन्द किया जाने तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों से निर्माण कार्य सूची पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। तथा लागत भी बढ़ जायेगी। इसके अलावा पुनर्गठन के निर्णय के क्रियान्वयन से काम करने तथा समन्वय न होने से और विलम्ब होगा तथा इससे अतिरिक्त वित्तीय बोझा बढ़ेगा जिसे केन्द्रीय सरकार को वहन करना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने जोरदार ढंग से इस प्रस्तावित कदम का विरोध किया है और यह समझा गया है कि उद्योग मंत्री तथा इस मामले की पुनः जाँच कराने के लिए एक दल बनाने हेतु सहमत हो गये हैं। केन्द्रीय सरकार ने अपने प्रस्ताव को त्यागा नहीं है और

उसके फलस्वरूप न केवल कर्मचारियों के मस्तिष्क में सन्देह उत्पन्न हो गया है बल्कि केन्द्रीय सरकार के द्वितीय हुगली पुल परियोजना को कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने की वचनबद्धता के बारे में भी सन्देह उत्पन्न हो गया है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे प्रस्ताव को जिसके गंभीर परिणाम होंगे त्याग दिया जाना चाहिए तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के विचारों को स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप बी० बी० जे० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा अब तक सन्तोष जनक ढंग से प्रदान की गई तकनीनी विशेषज्ञता तथा सेवाओं का अधिक अच्छा उपयोग किया जा सकेगा और यह आवश्यक है कि संस्था तथा कर्मचारियों के भविष्य के बारे में अनिश्चितता को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाये।

(सात) जिला सहारनपुर में यमुना नदी पर एक पुल के निर्माण की आवश्यकना

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं सरकार का ध्यान रूल 377 के तहत इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आज मुल्क को जंग का जो खतरा है उसके तहत जिला सहारनपुर में लखनौती के मुकाम पर दरियाये जमना पर पुल बनना बहूत जरूरी होगया है। रूड़की हिन्दुस्तान की एक बहुत अहम छावनी है और इस छावनी से फौजें और इंजीनियर पंजाब और पाकिस्तान की सरहद पर सड़क के जरिये जाने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं एक जमनानगर से होकर और दूसरा कैराना पानीपत से होकर। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक जमने में डिफेंस मिनिस्ट्री ने गंगोह लखनौती करनाल को मिलाने के लिए लखनौती पुल बनाने की बात सोची थी जिस का सर्वे भी हो गया था मगर फिर किसी वजह से यह नहीं बन पाया। अगर जंग के वक्त किसी वजह से जमनानगर का पुल खराब हो जाए तो फिर रुड़की से मिलिटरी को बौर्डर तक जाने के लिए कैराना आना पड़ेगा जो काफी फासले पर पड़ता है जबकि अगर लखनौती जमना पर पुल बन जाए तो फासला बहुत कम भी हो जाता है और रुड़की देवबन्द गंगोह करनाल होते हुए मिलटरी के ट्रक बहुत जल्द बौर्डर पर भेजे जा सकते हैं। इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस डिफेंस के अहम पुल को सरकार जल्द अज जल्दी बनाए। इति

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था के बारे में श्री आर० वैंकटरामन द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्ताव पर विचार करेगी। श्री आर० वैंकटरामन।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, वित मंत्री द्वारा इस बाद विवाद या चर्चा को शुरू करने से पहले आपको याद होगा कि जब इस विषय पर वित्त मंत्री ने पहले वक्तव्य दिया था तो उस दिन हमने यह कहा था कि इस विषय पर सभा में समुचित चर्चा होने देने के लिये उन्हें इस ऋण से सम्बन्धित सभी दस्तावेज पेश करने चाहिए और उस दिन आपने भी कहा था कि वित्त मंत्री उससे सम्बन्धित अभी कागजात ग्रंथालय में रख देंगे परन्तु हम दुख के साथ कहते हैं कि ग्रंथालय में जो कागजात रखे गए हैं वे पूरे कागजात नहीं हैं। सबसे

महत्वपूर्ण बात शर्तों से सम्बन्धित है। हम यह जानना चाहते थे कि वे कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके अन्तर्गत ऋण के लिए समझौता किया गया है। मैं चाहूंगा कि चर्चा शुरू होने से पहले वित्त मंत्री को इस सभा को इस ऋण की सभी शर्तों तथा समझौतों से पूरी तरह अवगत कराएं।

अध्यक्ष महोदय : हमें देखना चाहिए।

श्री चन्द्रोजत यादव : हमें क्या देखना चाहिए? उस दिन उन्होंने सभा को अश्वासन दिया था परन्तु उन्होंने कागजात उपलब्ध नहीं कराए हैं। मेरी आपत्ति यह है कि उन्होंने सभा को दिए गए अश्वासन को पूरा नहीं किया है। चर्चा में भाग लेने से पहले हमें इस सब की जानकारी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें देखना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या हमें ज्ञापन को देखना चाहिए? महोदय आपका यह निर्णय है।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या कहते हैं हमें यह देखना चाहिये। श्री वेंकटरामन।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"कि यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करती है।"

मैं पहले अपने माननीय मित्र द्वारा दस्तावेजों के बारे में उठाये गये प्रश्न पर बात करूंगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तारित व्यवस्था के सम्बन्ध में दस्तावेजों के विषय में बड़ी गलत धारणा है। उस दिन मैंने एक प्रश्न का उत्तर देते समय स्पष्ट किया था कि इस विस्तारित सुविधा के अन्तर्गत एक देश के वित्त मंत्री द्वारा ऋण के लिये एक आशय पत्र के साथ आवेदन पत्र दिया जाता है और इसके साथ आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का एक विवरण, जिसे ज्ञापन कहा जाता है, भेजा जाता है। अब ये दोनों दस्तावेज ग्रंथालय में रखे गये हैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्मचारी सरकार के ऋण आवेदन पत्र के साथ रखे गये दस्तावेज में उल्लेख किए गए कार्यक्रमों व नीतियों का स्वयं मूल्यांकन करते हैं। यह कर्मचारियों द्वारा किया गया आन्तरिक मूल्यांकन होता है जो कि कार्यकारी बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप इसको दुबारा कह रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप बोर्ड के सदस्य हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यह मेरा दस्तावेज नहीं है। यह कर्मचारी दस्तावेज है। मेरा दस्तावेज केवल वह ज्ञापन है जो मैंने अपने आशय पत्र के साथ भेजा है। इस दस्तावेज पर कार्यकारी बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है और मैंने उस दिन बताया कि मैं उसको नहीं रख सकता। यह मेरा दस्तावेज नहीं है और इसीलिए मैं इसको नहीं रख सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपने स्वयं इसको देखा है?

श्री चन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या यह आपके पास है?

श्री चन्द्रजीत यादव : जब आपके पास समझौता है तो आप उस समझौते को प्रस्तुत क्यों नहीं करते ? **(व्यवधान)**

श्री आर० वेंकटरामन : आप मेरे साथ बेताब मत हों। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए गए समझौते के दस्तावेजों के बिना चर्चा कैसे कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ धैर्य रखिए।

श्री आर० वेंकटरामन : आप पहले मेरी बात तो सुनिये। मैंने कहा है कि यह कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है और कार्यकारी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा इसे गोपनीय चिह्नित किया गया है और मैं इसे नहीं रख सकता क्योंकि इस पर उनके द्वारा गोपनीय की मोहर लगायी गयी है। यद्यपि इसे मुझे भेजा गया है, फिर भी मैं इसे ग्रंथालय में नहीं रख सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपने इसे देखा है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या आप मुझे इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति देंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : कोई भी इसे सभा पटल पर रख सकता है। इस बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किए गए किसी समझौते से बाध्य नहीं हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। यदि कोई भी किसी दस्तावेज को सभा पटल पर रखता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप इसे प्रमाणित कर देंगे ?

प्रो० मधुदण्डवते : मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैंने अध्यक्ष के निदेश संख्या 117 के अन्तर्गत एक दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की सूचना दी है।

श्री आर० वेंकटरामन : आप का स्वागत है। मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, वह आपत्ति तो नहीं कर रहे हैं, किन्तु उन्हें अवश्य ही इसे प्रमाणित करना चाहिए। केवल आपत्ति न करना ही पर्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के अनुसार कार्य करूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वित्त मंत्री महोदय को अवश्य ही यह भी बताना चाहिए कि क्या यह दस्तावेज सही है अथवा नहीं, क्योंकि उन्होंने इसे बोर्ड के सदस्य के रूप में देखा है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यह आपके सूचनार्थ है कि वित्त मंत्री महोदय ने पहले ही कह दिया है कि इसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

श्री आर० वेंकटरामन : नही, मैंने यह नहीं कहा। आप सब ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैंने नहीं कहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से उनके मुंह से क्यों कहलवा रहे हैं ? उन्होंने कहा है कि कोई भी इसे सभा पटल पर रख सकता है, किन्तु वह स्वयं ऐसा नहीं कर सकते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अतः, किस आधार पर वाद विवाद जारी रहेगा ? मान लीजिये कि दस्तावेज गुप्त है और शर्तों के बारे में हमें नहीं बताया जाता है और यदि स्थिति ऐसी है...

अध्यक्ष महोदय : आप शीघ्र ही निष्कर्ष निकालते जा रहे हैं ? आप उन्हें सुनते क्यों नहीं ? वह कुछ बातें स्पष्ट कह रहे हैं। आप जल्दी से ही निष्कर्ष निकालते जा रहे हैं और आप कुछ बातों को निश्चित माने हुए हैं। आप किसी बात को निश्चित क्यों नहीं मान रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, हमें कुछ मर्यादाओं का पालन करना होता है। मैं ने कहा है कि चूंकि यह दस्तावेज कार्यकारी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा 'गोपनीय' बनाकर मुझे मिला है, इसलिए मैं विश्वास भंग नहीं कर सकता और इसे सभा पटल पर नहीं रख सकता। कोई भी सदस्य इसे प्राप्त कर सकता है और इसे सभा पटल पर रख सकता है। कोई भी सदस्य इसके किसी भी वाक्य को उद्धृत कर सकता है। मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। और इस बारे में कोई बात ही नहीं है। उनका कोई मामला नहीं है। किसी दस्तावेज को न रखने आदि जैसे कुछ सारहीन बातों को उठाकर मामला बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

इसके पश्चात मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। मैं प्रक्रिया को स्पष्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रक्रिया के बारे में आप में से अनेक सदस्यों के मन में भ्रम है। इसे सदस्यों को परिचालित किए जाने के पश्चात इसके परिचालन के साथ-साथ, अर्थात-दस्तावेज के साथ "विस्तारित व्यवस्था का पाठ" नामक एक अन्य पत्र अर्थात वे शर्तें जिस पर ऋण मंजूर किया जायेगा, भी परिचालित किया जाता है। वह भी उन पत्रों में है जिसे मैंने ग्रंथालय में रखा है। कृपया इसे देखें। अतः, यह कहना कि मैंने ग्रंथालय में कोई भी पत्र नहीं रखा है या मैंने कोई पत्र रखने से रोके रखा है, सही नहीं है। मैं इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहें अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्मचारियों का विचार कुछ भी हो और चाहें उनका मूल्यांकन कुछ भी हो, मेरे ऊपर इसका बन्धन नहीं है। मेरे ऊपर तो केवल उस पत्र का बन्धन है जिसे मैंने अपने आशय पत्र के साथ भेजा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सही स्थिति नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : सही कानूनी स्थिति यही है।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्र पाड़ा) : आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहेंगे।

व्यवधान।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सारा ज्ञान उस पक्ष के पास है। मुझे नहीं मालूम कि क्या वित्त मंत्री महोदय इस प्रकार की चूक न होने का दावा करते हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : विभिन्न प्रकार के भ्रान्तिपूर्ण, गलत तथा पूर्ण रूप से मिथ्या

व्याख्याओं के कारण, जिनका प्रसार किया जा रहा है, मुझे इस बात का बहुत ही कड़ा वक्तव्य देना पड़ा कि भारत सरकार पर उस ज्ञापन का बन्धन है जिसे उन्होंने भेजा है और मैं फिर कह रहा हूं कि मूल्यांकन हमारे पर कोई बन्धन नहीं है...

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सही नहीं है। शर्तों का बन्धन होना चहिए न कि आपके ज्ञापन का।

श्री आर० वेंकटरामन : आप तर्क दे सकते हैं और इस विचार का भी मेरे ऊपर बंधन नहीं है...

श्री चन्द्रजीत यादव : आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इन शर्तों का बन्धन होगा न कि आपके ज्ञापन का। आपने अपने ज्ञापन को बदल दिया है। यह भी एक तथ्य है।

श्री आर० वेंकटरामन : वे मेरे जाल में फंसते जा रहे हैं, और मैं इसका स्वागत करता हूं। यह एक दूसरी गलत फहमी है जिस पर कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा भारत सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। कोई करार नहीं है। स्वीकृति पत्र ही बन्धन कारी दस्तावेज है। किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं ! आप हस्ताक्षर किए हुए करार को सभापटल पर क्यों नहीं रखते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह गलत फहमी नहीं है। यह एक विफलता है।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे यह मत बताइए। मैं इसे रिकार्ड से ले लूंगा और इसे आपको दिखाऊंगा।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : यदि किसी प्रकार का करार नहीं हुआ है, तो कार्य निष्पादन सम्बन्धी मापदण्ड का क्या अभिप्राय है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। हमारे द्वारा भेजे गये ज्ञापन में हमने नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में बताया और इसके बाद कोष एक मूल्यांकन करता है और तब यह दो बातें देखता है. इसमें से एक बात जिसे कार्य निष्पादन सम्बन्धी मापदण्ड कहा जाता है और दूसरी में इस प्रकार के ऋण की मांग करने वाले देश की शोधन संतुलन की स्थिति को सुधारने से सम्बन्धित समान्य नीति के बारे में वक्तव्य होते हैं। कार्य निष्पादन सम्बन्धी मापदण्ड वे हैं जिनका मैंने अपने 23 सितम्बर के वक्तव्य में उल्लेख किया है और जिनकी संख्या 2 है। मैं इनके बारे में बाद में बताऊंगा। मैं इसका संक्षेप में उल्लेख करूंगा। एक ऋण की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित है और दूसरा विदेशों से ऋण लेने से सम्बन्धित है। इसे मुझे अवश्य ही ठीक करना होगा ताकि दूसरी किश्त ले सकें और यह मुझे 25 मार्च, 1982 से पूर्व करना चाहिए। ये दो कार्य निष्पादन सम्बन्धी मापदण्ड हैं। इसके अतिरिक्त कई नीति सम्बन्धी वक्तव्य हैं जिन्हें हम बता चुके हैं और जो हमारे अनुसार हमारे देश में शोधन संतुलन की स्थिति को सुधारेंगे। फिर उनका विचार तथा मूल्यांकन है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच आगे और विचार विमर्श किया जायेगा और ऋण का और नियतन आदि 25 मार्च, अर्थात 25 मार्च, 1982 के लगभग होने वाले आगे और विचार विमर्श पर निर्भर करेगा।

जहाँ तक दस्तावेजों का सम्बन्ध है, हमने किसी दस्तावेज को ग्रंथालय में रखे जाने से रोका नहीं है। एक स्पष्टीकरण के बारे में एक बात उठाई गई है। मेरे दिनांक 24 सितम्बर, 1981 वाले आशय पत्र के पैरा 5 में मैंने कहा है कि भारत सरकार सभी नीतियों, आर्थिक नीति के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विचार विमर्श करेगी, किन्तु केवल उन्हीं नीतियों का ही पालन करेगी तथा कार्यान्वित करेगी जिन्हें संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है। हमने यही वक्तव्य दिया है। यहाँ मैं केवल एक ही वाक्य पढ़ूंगा। "सरकार किन्हीं उन उचित उपायों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विचार विमर्श करेगी जो ऐसे विचार विमर्श के सम्बन्ध कोष की नीति के अनुसार हमारी संसद द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप होंगे।" दो बातें हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विचार विमर्श करे चाहे वह ऋण लेने वाला है अथवा नहीं यह अनुच्छेद चार है और कि वह विचार विमर्श आर्थिक सम्बन्धों के सामान्य पहलुओं के बारे में होता है। हमने कहा है कि उस नीति के अनुसार हम उनसे आर्थिक नीति तथा मुद्रा आदि से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में विचार विमर्श करेंगे, किन्तु नीतियों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय हम केवल उन्ही नीतियों को कार्यान्वित करेंगे जो अनुमोदित होंगी और जो ससंद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय नीतियां होंगी। इस वाक्य से जैसा कि प्रायः होता है वकीलों को कुछ भ्रम हुआ है और उन्होंने कहा कि इसका यह अर्थ हो सकता है कि भारत सरकार विचार विमर्श करेगी। मुझे क्षमा करें। वास्तव में मुख्य न्यायाधीश ने मुझे बताया है कि आप ने अच्छा विकल्प रखा। इससे उनकी यह धारणा बनेगी कि हम केवल उन्हीं मामलों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करेंगे, जिनका अनुमोदन संसद द्वारा किया गया है। हमने कहा है कि नहीं हम सभी आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करेंगे, किन्तु हम केवल उनको कार्यान्वित ही करेंगे जिनकी संसद स्वीकृति दे। यह स्पष्टीकरण है और मैंने स्पष्ट करने वाला पत्र भी दे दिया है और इसे ग्रंथालय में रख दिया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अन्य विचार विमर्शों का क्या अर्थ है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं समझता हूं कि कम से कम आप तो यह जानते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप उनके साथ शैक्षणिक विचार गोष्ठी करेंगें।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपको बताऊंगा। सदस्य देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच करार की शर्तों के अनुच्छेद चार के अनुसार इन सभी के लिए यह आवश्यक है कि वे मुद्रा तथा विभिन्न मुद्राओं की आवश्यकता सम्बन्धी व्यवस्था आदि से सम्बन्धित मामलों के बारे में विचार विमर्श करें। यह एक सामान्य विचार विमर्श है। और वे अर्थव्यवस्था तथा उन विभिन्न पहलुओं के संबंध में विचार करते हैं जो मुद्रा व्यवस्थाओं सहित मुद्रा को प्रभावित करते हैं अतः यह एक सामन्य बात है और हमने कहा है कि हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। यह कुछ भी नहीं है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इससे अधिक कोई बात नहीं है। मैं अनुच्छेद चार, उप-धारा (3) और वह पैरा पढ़ देता हूं। "(क) के अन्तर्गत अपने क्रिया-कलाप पूरे करने के लिए"। यदि आप चाहते हैं कि मैं (क) को भी पढ़ूं तो मैं (क) भी पढ़ देता हूं। अनुच्छेद (4) धारा (1) के अन्तर्गत सामान्य सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यह सामान्य सिद्धांत सभी सदस्यों पर लागू होता है।

इस बात को स्वीकार करते हुए कि "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का आवश्यक उद्देश्य सुविधाओं के लिए आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करना तथा देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का आदान-प्रदान करना है तथा उससे विकास की गति अच्छी रहती है तथा इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि उन परिस्थितियों का सुव्यवस्थित विकास जारी रहे जो कि वित्तीय और आर्थिक स्वामित्व के लिए आवश्यक हों, प्रत्येक सदस्य कोष तथा अन्य सदस्यों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करता है कि व्यवस्थित आदान-प्रदान के प्रबन्ध हों और विनिमय दरों की उचित व्यवस्था का विकास हो तथा विशेष रूप से...।"

इसके पश्चात, उप-धारा (3) में यह कहा गया है, "उप-धारा (क) में दिये गये कृत्यों को पूरा करने के लिए, कोष सदस्यों की विनिमय दर सम्बन्धी नीतियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और इन नीतियों के सम्बन्ध में सभी सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए विशेष सिद्धान्त अपनायेगा। प्रत्येक सदस्य इस प्रकार की निगरानी रखने के लिए कोष को आवश्यक सूचना उपलब्ध करायेगा। और कोष के अनुरोध करने पर सदस्य की विनिमय-दर सम्बन्धी नीतियों पर उससे परामर्श करेगा। कोष द्वारा अपनाये गए सिद्धान्त सहयोग सम्बन्धी व्यवस्था के अनुरूप होंगे। सभी सदस्य अन्य सदस्यों की मुद्रा अथवा मुद्राओं के मूल्य के अनुरूप तथा कोष के उद्देश्यों के अनुरूप किसी सदस्य की पसंद की विनिमय व्यवस्था के अनुसार अपनी मुद्रा का मूल्य बनाये रखेंगे।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सामान्य आर्थिक नीति नहीं है, यह केवल मुद्रा के बारे में है।

श्री आर० वेंकटरामन : नहीं, अब मैं भाग प्रथम से पढ़ूंगा। इसमें केवल यही कहा गया है।

"इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि उन अन्तर्निहित परिस्थितियों का सुव्यवस्थित विकास जारी रहे जो कि वित्तीय और आर्थिक स्थायित्व के लिए आवश्यक हों।"

उनके ऊपर कोई निगरानी सम्बन्ध खण्ड की व्यवस्था नहीं है। अतः सभी यह समझते हैं और प्रत्येक सदस्य को यह मालूम है कि कोष के साथ प्रत्येक वर्ष परामर्श किया जाता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : एक बुरे मामले के आप एक अच्छे अधिवक्ता हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने जो पत्र पुस्तकालय में रखा है उसमें जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें केवल यह बात कही गई है कि जहां तक आर्थिक नीतियों का सम्बन्ध है, जिन नीतियों और कार्यक्रमों को हम अपनाना चाहते हैं, उनके बारे में हम केवल संसद द्वारा अधिशासित होंगे और अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत परामर्श के सम्बन्ध में हम उनसे सलाह लेंगे। इस संबंध में बहुत शोर मचाया गया है कि हमने एक ऐसा स्पष्टीकरण दिया है जिसके अन्तर्गत हम अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता का त्याग करने आदि के लिए सहमत हो गये हैं। यह केवल शब्दाडम्बर था। किन्तु यदि आप वास्तव में वाक्य और खण्डों को और कोष के अनुसार उनके सदस्यों के कर्तव्यों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें किसी प्रकार की कोई असंगति नहीं है। पहले मैं यह बात कहना चाहता था। अब, दूसरा प्रश्न यह है।

प्रो० मधु दण्डवते : किन्तु इस स्पष्टीकरण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी ?

एक माननीय सदस्य : इसकी क्या आवश्यकता थी ?

श्री बीजू पटनायक : यदि आपने जो पढ़ा है केवल वही खण्ड था और यदि प्रत्येक सदस्य देश उसके अन्तर्गत आता है तो यह प्रश्न उठाया क्यों गया कि आप इसके लिए संसद की स्वीकृति लेंगे ? जब कोष की स्थापना की गई थी, उस समय इसे स्पष्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री आर० वेंकटरामन : कोष के अधिवक्ताओं के कथनानुसार, मेरे वाक्य से उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि मेरा परामर्श संसद से स्वीकृति नीतियों तक ही सीमित है। मैंने कहा है "ऐसा नहीं है।" क्या आप मुझसे सहमत हैं ?

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब, आपको प्रतिदिन सेमीनार करना होगा।

श्री आर वेंकटरामन : मेरे वकील दोस्त मुझसे सहमत हैं। मैंने बिल्कुल यही बात कही थी।

श्री बीजू पटनायक : क्या सदस्य देशों को उनकी संसदों ने इसे पहले स्पष्ट नहीं किया गया था ?

श्री आर० वेंकटरामन : कृपया, आप बैठ जाएं। मैं इसका उत्तर देता हूं। मैंने जो पत्र भेजा है—जो पुस्तकालय में रखा गया है—उसमें इसका पांचवे पैरा में उल्लेख किया गया है। यह पत्र बड़ा स्पष्ट है। मेरे अनुसार मेरी यह आशा थी कि मैं अनुच्छेद चार के अन्तर्गत सामान्य बातों के बारे में परामर्श करूंगा। किन्तु मैं केवल उन्हीं नीतियों को अपनाऊंगा जिसे संसद की स्वीकृति मिल चुकी है। किन्तु उनके वकील ने कहा कि आपके पत्र से यह धारणा बनती है कि आप केवल उन नीतियों के सम्बन्ध में परामर्श करेंगे जिनको संसद द्वारा स्वीकृति मिल चुकी होगी। मैंने कहा है; नहीं, यह बात ऐसी नहीं है। इसलिए ही यह स्पष्टीकरण दिया गया है। यह स्पष्टीकरण कानून और मेरी मंशा के अनुसार है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जहां संसद पर ध्यान नहीं दिया जाये वहां इस प्रकार के परामर्श का क्या अर्थ है ? आप सेमीनार कराने वाले प्रोफेसर नहीं हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : सभी मामलों पर वे कई परामर्श देते हैं; बैंक के कर्मचारी वृन्द विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ होते हैं। वे हमारे विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं; परस्पर विचारों का आदान-प्रदान होता है। हम उनसे बात करते हैं और वे हमें इसे स्पष्ट करते हैं। किन्तु मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। जिसकी संसद द्वारा स्वीकृति न दी गई हो। श्री स्वामी, यदि आप यह कहें कि मुझे विशेषज्ञों से बात नहीं करनी चाहिए तो मैं आपको शामिल नहीं करूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आप मुझे शामिल नहीं करेंगे तो आपको ऋण नहीं मिलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय वित्त मंत्री जी से पहले वाले पत्र में कोई अस्पष्टता नहीं है। उन्होंने स्वयं यह अनुभव किया है कि...।

श्री आर० वेंकटरामन : आप बहस के बारे में बोलने जा रहे हैं और मैं इसका पुनः उत्तर दूंगा।

एक बात और उठाई गई है कि मैंने इससम झौते से पहले संसद से परामर्श क्यों नहीं किया हमारी राजनीतिक पद्धति में संसद में अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों पर बहस नहीं की जाती। किन्तु यह मेरा तर्क नहीं है। मेरा एक अन्य तर्क है। हमारे मामले में हमें यह संदेह था कि कोई देश अथवा कुछ देश हमारे ऋण का विरोध करेंगे। और इस सम्बन्ध में वे देश केवल वही बातें कहने वाले थे जो हमरा विपक्ष यहां कह रहा है अर्थात् कि यह ऋण राशि बहुत अधिक है और भारत के लिये उसे लेना आवश्यक नहीं है और जिन शर्तों पर हम ऋण ले रहे हैं वे बहुत कठोर हैं। आप सदन में समान्य तौर पर इस प्रकार की आलोचना करते हैं। देश विशेष अथवा कई देश यह आपत्ति करने जा रहे थे कि यह धनराशि बहुत बड़ी है और इसे भारत को नहीं दिया जाना चाहिए और ऋण की शर्तें बड़ी नरम हैं और को यह ऋण इन शर्तों पर नहीं दिया जाना चाहिए। यदि हम इस पर बहस करते हैं तो मैं ऐसी स्थिति में यह होता कि मुझे यह कहना पड़ता है कि यह बड़ी धनराशि विभिन्न कारणों से मेरे लिए आवश्यक है। किन्तु माननीय सदस्य कहते हैं कि आपके लिए आवश्यक नहीं है। और वे देश संसद सदस्यों की राय उद्धृत करके यह कहते कि यह धन-राशि आवश्यक नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तो आप संसद को समाप्त कर दो।

(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : दूसरी बात यह है कि शर्तें बड़ी कठोर हैं और मुझे यह कहना पड़ता है कि शर्तें उचित है तब यह देश इन्हें उदधृत करता। वे यह कहते हैं कि शर्तें बहुत नरम हैं और अतः यह ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार बहस से इस ऋण को प्राप्त करने में सहायता मिलती ? अत: यह हमारी सही राय थी कि संसद में बहस करने से हमें ऋण मिलने के अवसर समाप्त हो जाएंगे।

एक माननीय सदस्य : आपकी हालत खराब है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रत्येक बात का उत्तर दूंगा। आप मेरे पिछले दो अथवा तीन वर्षों के अनुभव से जानते हैं कि मैं उठाई गई प्रत्येक बात का उत्तर देता हूं। आप उसके साथ सहमत हों अथवा न हों, वह दूसरी बात है, किन्तु मैं हर बात का उत्तर देता हूं।

अगली बात यह है कि ब्रिटेन और इटली जैसे देश संसद में इस पर बहस करते हैं। किन्तु कार्यकारी बोर्ड में कोई भी ब्रिटेन के ऋण का विरोध नहीं करता है उन्हें इस प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, जिस स्थिति का मुझे सामना करना पड़ता है। किसी ने भी इटली के लिए ऋण का विरोध नहीं किया। विकसित और विकासशील देशों ने उसका समर्थन किया। किन्तु मुझे एक दूसरी ही स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके कारण मैं बड़ी परेशानी में पड़ गया हूं अब मैं चाहता हूं कि आप राजनीतिक विचारों से ऊपर उठ कर निष्पक्ष होकर सोचें कि क्या इससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने हमारे मामले को सहायता मिलती।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह ऋण आवश्यक नहीं है, हम अन्य विकल्पों से काम चला सकते हैं। सभी जानने हैं कि हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति में गिरावट आ रही है। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है।

डा० सुब्रण्यम् स्वामी : आप जनता सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम को नष्ट कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इसका भी उत्तर देता हूं।

1978-79 में जनता सरकार के शासन के दौरान तेल का आयात 1677 करोड़ रु० मूल्य का हुआ। 1979-80 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण तेल का आयात मूल्य बढ़ कर 3146 करोड़ रुपये हो गया। 1980-81 में, तेल के मूल्यों में दूसरी बार वृद्धि के कारण तेल आयात का मूल्य बढ़ कर 5,588 करोड़ रुपये हो गया। यह तो केवल तेल के मूल्य के कारण हुआ है। यह एक ही मद हमारे कुल आयात का 47 प्रतिशत ले जाती है। तेल मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति और खराब हो गई है। 1979-80 में हमने न्यास कोष से ऋण लिया तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 800 करोड़ रुपये का ऋण लेकर हम ब्याज पूरा कर सके। किन्तु 1980-81 में भुगतान संतुलन में चालू लेखाओं में 2655 करोड़ रुपये का घाटा है। हमारा अनुमान है कि 1981-82 में यह 3030 करोड़ रुपये होगा। और 1982-83 तथा 1983-84 में बढ़ कर 4200 करोड़ रुपये हो जाएंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

'नवम्बर, 1981 को हमारे विदेशी मुद्रा के संसाधन केवल 3578 करोड़ रुपये थे। यदि आप समूचे घाटे को देखें अर्थात् यदि न केवल व्यापार संतुलन आपितु भुगतान संतुलन को भी देखा जाये तथा साथ ही ऋणों को तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता, इन सब को मिला कर देखा जाए तो हमें प्रति वर्ष लगभग 1500 करोड़ रु० का घाटा हो रहा है और दो वर्ष की अवधि में आरक्षित संसाधन बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। 35.00 करोड़ रुपये की आरक्षित धनराशि के साथ जब मैं ऋण लेने जाता हूं तो मैं ऋण लेने वाला माना जाता हूं किन्तु यदि 700 करोड़ रुपये भी आरक्षित धनराशि के साथ में ऋण लेने जाऊंगा हूं तो मैं ऋण लेने वाला नहीं, उक्ति भिखारी समझा जाऊंगा। हमें उस समस्या की गम्भीरता को समझना चाहिए जिसकी स्थापना देश कर रहा है। हमने ऋण उस समय लिया जब हमारे आरक्षित भंडार काफी मजबूत थे, अब हमारी आय में कमी नहीं आयी थी, जब बाजार में हमारी साख बहुत ऊंची थी जिससे कि हम इस बारे में "उचित शर्तों" पर वार्ता कर सके। यदि एक दो साल बाद होता, तो वह अन्य देशों ही की तरह होता जिनका हवाला आप देने जा रहे हैं और पहले भी दे चुके हैं।

दूसरा विकल्प मेरे सामने यह है कि ऋण न लिया जाये और आयात में कमी कर दी जाए। यदि मैं आयात में कमी करता हूँ तो मुझे तेल के आयात में कम से कम 50 प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी क्योंकि आयात की सबसे बड़ी मद तेल है और यदि मैं तेल में 50 प्रतिशत की कमी करता हूँ तो हमारा परिवहन ठप्प हो जाएगा क्योंकि हमारी सभी बसों, जिसमें भारत के कुल डीजल खपत का 50 प्रतिशत डीजल लगता है और कृषि पम्प सेटों जिसमें 14 प्रतिशत डीजल की खपत होती है, पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं वैसा करूं ? इतना ही नहीं, यदि मैं आयात में कमी भी करूं तो मुझे कुछ ऐसे अन्य कच्चे माल में भी कमी करनी पड़ेगी जिससे उत्पादन हो रहा है और उद्योग चल रहे हैं। इससे बेरोजगारी होगी, तालाबंदी होगी और ऐसी ही और बातें होंगी।

जिस अन्य विकल्प का क्या सुझाव दिया गया है वह यह है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्य स्रोतों से भी ले सकते थे। दो अन्य स्रोत भी हैं जिनसे मैं ले सकता था। एक रक्षित स्रोत कहा जाता है। दूसरा स्रोत फस्ट क्रेडिट डैम्फ है। यदि मैं इन दो खातों से भी ऋण लेता तो भी मुझे निर्धारित संख्या के अनुसार ही धन मिलता जो कि मेरे कोटे से सम्बन्धित है। यदि मैं इन दो खातों से भी ऋण लेता तो हमें केवल 788 करोड़ रुपये मिल सकते थे जबकि हमारी आवश्यकता 5000 करोड़ करोड़ रुपये की है। किसी ने यह सुझाव भी दिया है कि वाणिज्यक दरों पर ऋण क्यों न लिया जाये; वाणिज्यक ऋण क्यों न लिए जाये ? आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ऋण लेने क्यों जाते हैं ?" पिछले वर्ष हमने अपने एलुमिनियम संयंत्र के लिए यूरोपीय डालर मार्केट से 16 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण लिया था। लंदन में बैंकों में एक दूसरे के बीच ऋण पर ब्याज की दर 16 से 18 प्रतिशत है और यदि हम 18 प्रतिशत पर ऋण लें तो यह देश दिवालिया हो जायेगा। हम ऐसी कोई सलाह नहीं दे रहे हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए सहायक सिद्ध हो। मैं पुनः यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ···

श्री बीजू पटनायक : आप समझ रहे हैं कि हम इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। यदि इस पर पहले चर्चा हो चुकी होती तो हम अपनी सलाह दे सकते थे। अब तो यह केवल एक पोस्ट-मोर्टम ही है।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं आपका आभारी हूं। कृपया जो लोग इन बातों को उठा रहे हैं, उन्हें उत्तर दीजिए।

श्री बीजू पटनायक : नहीं, नहीं, मेरा प्रश्न बिलकुल भिन्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर छः घंटे चर्चा करेंगे। यह प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। आपको पास चर्चा करने तथा अपने सुझाव देने के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : ये बहुत परेशान हैं क्योंकि जिन मुद्दों को ये उठाना चाहते हैं, उन सबका खण्डन किया जा चुका है। आपके पास बाद में बोलने के लिये बहुत कम गुंजायश रहेगी। यदि आप 18 से 20 प्रतिशत की दर पर ऋण लेंगे तो वास्तव में आप कार्जदारी के चक्कर में फंस जायेंगे।

अब प्रश्न यह है : मैं वाणिज्यिक मार्केट से 18 से 20 प्रतिशत की दर पर ऋण क्यों लूं जबकि मुझे 10 प्रतिशत की कम ब्याज की वह पर ऋण लेने का अधिकार है ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : लेकिन इसका 50 प्रतिशत भाग तो 18 प्रतिशत पर है।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं ये सब आँकड़े बताऊंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : इसमें से आधा वाणिज्यिक दर पर है।

श्री आर. वेंकटरामन : लेकिन औसत केवल 10 प्रतिशत है। आप गुमराह क्यों करते हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक सहकारी समिति की तरह है जिसमें खर्च सदस्य देशों का अपना होता है और उस पर किसी भी देश विशेष का स्वामित्व नहीं है।

श्री बीजू पटनायक : निषेधाधिकार के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री आर. वेंकटरामन : कुछ लोगों का सिर्फ कम्पनी की तरह अधिक कोटा होता है। मैं एक कोटा होल्डर हूं जिसके नाते मैं इस सुविधा के अनुसार अपने कोटे का 50 प्रतिशत ले सकता हूं। मेरा कोटा 45 प्रतिशत है और मेरा कोटा इस समय आई० डी०आर० 17175 लाख का है। मैं इतना ऋण ले सकता हूं और इस राशि का ऋण मैं कम ब्याज की दर पर ले सकता हूं इसमें से आधा अलभग 2400 करोड़ डालर मैं 6.25 प्रतिशत की दर पर लूंगा और 2600 करोड़ डालर ऋण वाणिज्यिक दरों पर लूंगा। औसत ब्याज की दर 9 तथा 10 प्रतिशत पड़ेगी। यदि मैं औसत 9 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण लेने को मौके को हाथ से छोड़ दूं और यूरोपीय डालर मार्केट में जाकर 18 प्रतिशत दर पर ऋण लूं तो क्या वह सभा मुझे क्षमा करेगी।

मैं यह प्रश्न पूछूंगा। आपको सोचना पड़ेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : उसकी कोई शर्त नहीं लेकिन इसकी शर्त है।

श्री आर. वेंकटरामन : दूसरी शर्त यह है कि उस दर पर आप दिवालिया हो जायेंगे।

श्री बीजू पटनायक (व्यवधान) : आप अब दिवालिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : जनता शासन के दौरान हमें इस प्रकार के ऋण की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं जानता हूं कि इस प्रकार का ऋण नहीं ले सकते थे। आप अपनी प्रसंशा क्यों करते हैं ?

मैं एक और बात कहना चाहूंगा।

श्री बीजू पटनायक : आप अपना भाषण कब समाप्त करेंगे ?

श्री आर. वेंकटरामन : मैं आधा घंटा और लूंगा।

श्री बीजू पटनायक : पुरःस्थापना के लिए ?

श्री आर. वेंकटरामन : क्यों नहीं ? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझ पर छोड़ी गई है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्या मध्याह्न भोजन के लिए कोई अवकाश नहीं होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मेरे विचार में आप कार्य मंत्रंणा समिति के सदस्य नहीं हैं।

श्री बीजू पटनायक : आपके अनुसार छः घंटे के बराबर हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : में उतना समय लूंगा जितना मैं चाहूंगा।

श्री बीजू पटनायक : आप इसे जितना चाहें बढ़ा सकते हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : आप इसे रात के 12 बजे तक बढ़ायें। मैं बैठने और उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य : सुबह-सबेरे तक।

श्री आर. वेंकटरामन : हम ऐसा पहले कर चुके हैं और यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री बीजू पटनायक : आपको शाम का भोजन देना पड़ेगा ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : हां, मैं दूंगा । मैं देने को तैयार हूँ ।

श्री बीजू पटनायक : भीतरी भोजन या बाहरी भोजन ।

श्री आर. वेंकटरामन : इस भोजन के आपसे पैसे नहीं लिये जायेंगे ।

जिस विस्तारित सुविधा के अन्तर्गत हम ऋण ले रहे हैं वह एक ऐसी सुविधा है जिसके लिए विकासशील देशों ने संघर्ष किया है और उसमें सफल हुए हैं । यह कोई छोटी वस्तु नहीं जो किसी ने दी हो । मेरे मित्र श्री चव्हाण ने 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में बोलते हुए कहा था:—

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : कौन से चव्हाण ?

श्री आर. वेंकटरामन : श्री यशवंत राव चव्हाण, जो भारत के वित्त मंत्री थे और जिन्होंने उस समय बहुत योग्यतापूर्वक हमारा प्रतिनिधित्व किया था । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में उन्होंने कहा था:—

> "कि विकासशील देश उस समय तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम उन देशों के लाभ के लिए विस्तारित सुविधा की व्यवस्था नहीं करते, जो तेल के मूल्यों में वृद्धि से प्रभावित हुए हैं ।"

बहुत संघर्ष के बाद इस सुविधा की व्यवस्था हो पायी और भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भाग लिया । अब आप कहते हैं कि आप इसका लाभ न उठायें और 20 प्रतिशत की दर से कहीं और जाकर ऋण लें (व्यवधान) शायद मैं इसे पहली बार सुन रहा हूं ।

अब मैं शर्तों की बात पर आता हूं । जैसे कि मैंने शुरू में कहा कार्य-निष्पादन के दो माप-दंड हैं । एक यह है कि 26 मार्च, 1982 के अन्त तक सरकार के पास कुल ऋण, जो 27 मार्च, 1971 को 25,806 करोड़ रु० था, 30,981 करोड़ रु० से अधिक नहीं होना चाहिए । यह पहली शर्त है, परिसमापन सम्बन्धी दूसरी शर्त यह है कि घरेलू ऋण जो 27 मार्च, 1981 को 62,126 करोड़ रु० था, 26 मार्च, 1982 को 74,181 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह 74181 क्यों है और 74180 भी नहीं पूर्णांकों में क्यों नहीं ?

श्री आर. वेंकटरामन : इसकी गणना प्रतिशत के हिसाब से होती है । यही कारण है कि यह राशि उतनी बनती है । मैं माननीय सदस्यों के आश्वासन दे सकता हू कि राजस्व की अच्छी स्थिति तथा धारक बॉंड से सम्भावित अच्छे परिणामों के फलस्वरूप मैं निर्धारित लक्ष्य से नीचे ही ऋण लूंगा । वास्तव में जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यह कोई शर्त नहीं है, क्योंकि राजस्व

के अच्छे लक्षण नजर आये हैं और जारी किए गए बांडों से काफी पैसा अपने की आशा है। अतः यह कोई शर्त नहीं है।

दूसरी शर्त यह है कि भारत को बाहर की मार्केट से 1 से 12 वर्ष तक के 1400 करोड रु० से अधिक के ऋण नहीं लेना चाहिए। (व्यवधान) मैं रुपयों में बात कर रहा हूं। मैं रुपयों की बात कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि तीन चीजें आ रही हैं; एक है एस० डी० आर० दूसरा है डालर और तीसरा रुपया। एक एस० डी० आर० 1.2 डालर के बराबर होता है। यह 1.5 से 1.2 डालर तक बदलता रहता है। अतः मैंने सोचा कि रुपये तक ही सीमित रहना उचित होगा। पहले मामले में भी रुपयों में दिया गया था। 1.4 लिबियन एस०डी० आर० ही ठीक शब्द है। रुपयों में बदलने पर यह राशि 1400 करोड़ के करीब बनती है।

अब इसकी अधिकतम सीमा के बारे में लोगों का कहना है कि यह एक बड़ी शर्त है, जिसके द्वारा हमने विश्व-बाजार से उधार लेने के अपने अधिकार का समर्पण कर दिया है। महोदय मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक इस 1, 400 करोड़ रुपये की धनराशि का सम्बन्ध है, यह सीमा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के उस ऋण पर लागू नहीं होती जो कि हमें दिया गया है, अर्थात हमें मिलने वाली ऋण सहायता। दूसरे यह उन ऋणों पर भी लागू नहीं होती जिनका भुगतान हमें 12 वर्ष से अधिक समय में करना है। तीसरे, मैं कहता हूं और फिर से दोहराता हूं कि, यह समाजवादी देशों के साथ हुए द्विपक्षीय भुगतान समझौतों पर भी लागू नहीं होती है। यहां पर मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बहुत ही पण्डित्य-पूर्ण लगने वाले लोगों ने एक दस्तावेज या पुस्तक प्रस्तुत की है जिसमें उन्होने कहा है कि इस से सोवियत संघ के साथ द्विपक्षीय भुगतान पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडगरा): कुलदीप नय्यर को दिए गये आप के स्वयं के साक्षात्कार में यह बात कही गई है। कुछ दिन पूर्व बिजनैस स्टैन्डर्ड में प्रकाशित, कुलदीप नय्यर को दिए गये आपके साक्षात्कार में यह बात कही गई है। आप कृपया हमें बताएं।

श्री आर० वेंकटरामन : यह मैं यह नहीं जानता हूं। मैं तो केवल दस्तावेज की बात कर रहा हूं और इसमें कहा गया है :

"जिस अवधि में ऋण का निपटान किया जाना है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व स्वीकृति लिए बिना, भारत को सोवियत संघ या रूमानिया या यूगोस्लाविया या इराक या कुवैत या नेपाल या बंगलादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह विवरण है जिस पर अशोक मित्रा ने हस्ताक्षर किए हैं।

इससे समाजवादी देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि करार में अनुछेद 8 दिया गया है और अनुच्छेद 8 के अधीन, लेन-देन आदि से सम्बद्ध द्विपक्षीय समझौता केवल सदस्य देशों पर लागू होता है और गैर-सदस्य देशों से इसका कोई सरोकार नहीं है। अनुच्छेद 8 को सभी सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया है। भारत ने भी अनुच्छेद 8 को स्वीकार नहीं किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और सदस्यों के बीच करार के अनुच्छेद 14 के अधीन, अन्तर्वर्ती

व्यवस्था के अनुसार किसी देश को यह अनुमति है कि वह मुद्रा, विनमय आदि के मामले में सदस्यों के बीच इन द्विपक्षीय व्यवस्थाओं को न मानें। हमने वास्तव में उस समझौते में भाग नहीं लिया है। वर्ष 1981 के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 130 पर, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 13 अप्रैल, 1981 को जारी किया था, आप निम्नलिखित शीर्ष के अधीन देशों की एक सूची पायेंगे—सदस्य जिन्होंने अनुच्छेद 8 के अधीन दायित्व स्वीकार कर लिया है। उनकी सूची वर्णक्रमानुसार दी गई है। हॉन्डूरस भी सूची में है। उसके बाद, भारत, इण्डोनेशिया जैसे नाम उसमें नहीं हैं और उसके पश्चात आयरलैण्ड का नाम दिया गया है। केवल इतना ही नहीं। जैसाकि मैं कह चुका हूं, अनुच्छेद 4 के अधीन वार्षिक मन्त्रणा होती है और वार्षिक मन्त्रणा प्रतिवेदन प्रत्येक देश को भेजा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 24 जून, 1980 को जारी किए गए मन्त्रणा प्रतिवेदन में निम्नलिखित परिच्छेद दिया गया है :

द्विपक्षीय भुगतान समझौता जो कि अभी भी लागू होता है, कोष के सदस्य के साथ रुमानिया के माध्यम से किया जाता है निम्नलिखित गैर-सदस्यों के साथ भी द्विपक्षीय भुगतान समझौते किए जाते हैं:—

सोवियत संघ, जर्मन जनवादी गणतन्त्र, पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया..."

यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है। मेरा विचार है कि जिन लोगों को ज्ञान के प्रति कुछ मिथ्याभिमान है उन्होंने ये कुछ बातें पढ़ी होंगी। (व्यवधान) कुछ भी हो, मुझे यह तो अधिकार प्राप्त है कि लोग मेरी बात सुनें। जो कुछ वे कहते जा रहे हैं मैं केवल उसे ही कैसे सुनता रह सकता हूं।

श्री बीजू पटनायक : यदि आप पहले ही स्पष्ट कर चुके थे तो, यह सब हमने नहीं सुना होगा।

श्री आर० वेंकटरामन : जब आप देखते हैं कि समाजवादी देश भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये सब आपत्तियां पूर्णतया असंगत लगती हैं। चीन भी सदस्य बन गया है और चैम्पियन डा० सुब्रहमण्यम स्वामी का उन्हें समर्थन प्राप्त है और वह बड़े ही जोर-शोर से यह तर्क दे रहे हैं कि चीन को भी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण में भागीदार होना चाहिए और उनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है। क्या ऐसी बात नहीं है ? पोलैण्ड ने सदस्यता के लिए आवेदन पत्र भेजा है। हंगरी ने भी आवेदन किया है। अब, मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह किस प्रकार की आपत्ति है। क्या वे उधार न लेने के लिए सदस्य बन रहे हैं ? क्या हम पूंजीपति अमीर देश हैं, जो कि हम खाली अपना कोटा देकर चुपचाप बैठ जाए और उनसे उधार न लें ? यदि आप किसी सहकारी-समिति से उस उधार लेना नहीं चाहते हैं तो उसके सदस्य ही क्यों बनते हैं ? यह स्पष्ट प्रमाण हैं कि ये सब आपत्तियां तनिक भी मान्य नहीं हैं।

अब मैं दूसरा मुददा लेता हूं। उन्होंने जो कुछ बातें कहीं हैं उनमें से एक यह है----

श्री बीजू पटनायक : किसने कही हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : आपको मुझसे सहमत होना होगा। आप यहां इसे कई बार उठा चुके हैं। मैं कह चुका हूं कि अवमूल्यन का प्रश्न ही नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्म स्वामी : यह विनिमय दरों का पुनः समायोजन मात्र है ।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं आपको समझाऊंगा ।

मेरे पास दस्तावेज है उसमें इसी भाषा का प्रयोग किया गया है ।

पहले यह स्वीकार किया गया है ।...(व्यवधान)

आप सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं । अतः आपको प्रक्रिया का पता नहीं है हमने 'वास्तविक विनिमय दरें' कहा था ।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारी मुद्रा तो उन देशों की 5 या 6 मुद्राओं से सम्बद्ध है जिनके साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध हैं और इसलिए, अवमूल्यन का प्रश्न ही नहीं उठता है । अवमूल्यन का अर्थ तो किसी एक मुद्रा के मुकाबले अपनी मुद्रा के मूल्य को घटाना है । यहां ऐसी कोई बात नहीं है । मैं आँकड़े प्रस्तुत करूंगा ।

1 जनवरी, 1981 से 17 नवम्बर, 1981 की अवधि के दौरान—यह डालर और अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं के बीच परस्पर सम्बन्धों से सम्बद्ध है—जहां तक भारतीय रुपये का सम्बन्ध है, रुपये के मूल्य में स्टर्लिंग के मुकाबले 8.02% की वृद्धि हुई है ।

और फिर फ्रांक के मुकाबले इसका मूल्य 7.59% बढ़ा है ।

जहां तक डच मार्क का सम्बन्ध है, अब यह कम-बढ़ केवल 1.6 पर टिका हुआ है । केवल डालर के मुकाबले में ही इसका मूल्य घटा है ।

श्री सतीश अग्रवाल : कितना ?

श्री आर० वेंकटरामन : 13%.

अब यदि, आप डालर की तुलना यूरोप की अन्य मुद्राओं से करें तो आपको स्थिति का का पता चल जायेगा ।

डालर के मुकाबले पाऊंड का मूल्य 25% घटा है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह तो डूबी हुई अर्थ व्यवस्था है ।

श्री आर० वेंकटरामन : डच मार्क का मूल्य 14.16% तक घटा है ।

फ्रांस के फ्रांक का मूल्य 24.66% तक घटा है ।

जापानी येन का मूल्य 11.24% घटा है । अतः यह कहना कि भारतीय मुद्रा का मूल्य घटा हैं, वर्षों से प्रचलित विनिमय दर प्रणाली के प्रति पूर्ण अनभिज्ञता प्रदर्शित करता है ।

(व्यवधान)

अब मैं आर्थिक नीतियों से सम्बद्ध मुद्रा लेता हूं । कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता है और मैं उनमें से एक हूं जो किसी को समझायेगा नहीं ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बहुत पहले समझा दिया गया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी शिक्षा भुला बैठे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : कुछ मजाक भी चलने दो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह कह रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी शिक्षा भुला बैठे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : क्या यह आत्मकथात्मक बात है ?

अनेक मुद्दे हैं उनका कहना है कि "आपने आत्मसमर्पण कर दिया।" इस मुद्दे पर मैं बहस का उत्तर देते समय बोलूंगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रेषित किए गये नीति विवरण के पैराग्राफ 4 में मैंने निम्नलिखित बातें कहीं हैं।

> "भुगतान शेषों का समायोजन उन अनेक उपायों द्वारा प्राप्त किया जायेगा जो कि क्रियान्वित किए जा रहे हैं और कार्यक्रम अवधि के दौरान चालू रहेंगे। जिन वस्तुओं के क्षेत्र में भारत अच्छा उत्पादक हैं उनके मामले में बड़े पैमाने पर आयात का पुनःस्थापना करने की और ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषकर हाइड्रो-कार्बन्स के लिए तेल की खोज करने की पर्याप्त गुंजाइश है।"

उस पैराग्राफ में आगे हमने कहा है।

> "गतिशील निर्यात कार्य के उद्देश्य की प्राप्ति को भारत-सरकार उच्च प्राथमिकता देती हैं।

वे सभी नीतियाँ जिन्हें भारत-सरकार अपनाना चाहती है, संक्षेप में पैराग्राफ में दी गई हैं। अन्य पैराग्राफ तो मुद्दों का विस्तार मात्र है। एक वाक्य यहाँ से उठाकर और एक वाक्य वहाँ से उठाकर कहना सरल है, "आपने कहा था कि आप आयात को उदार बना देंगे।" आयात को उदार बनाने का सम्बन्ध हमारे बढ़ते हुए उत्पादन और निर्यात से है और उसे सन्दर्भ से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिये। समस्त नीति-विवरण पैराग्राफ 4 में रख दिया गया है और उससे प्रश्न के प्रति हमारे दृष्टिकोण के सार का पता चलता है। मैं उस पर बोलूंगा, और मैं उस योजना के अध्याय और पंक्ति भी उद्धृत करूंगा जो कि जनता सरकार ने तैयार की थी, और जो कुछ आपने उनमें से प्रत्येक मद के बारे में कहा था और जो कुछ हमने स्वयं छठी योजना के दस्तावेज में कहा है।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब आलोचना पूर्णतया अनपेक्षित है और मैं यह कहता हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

> "कि यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करती है।

स्थान पन प्रस्तावों की भी सूचनाएं मिली हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जाये पर्थात:—

"यह सभा, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करने के पश्चात, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अधिरोपित शर्तों, जो जनसाधारण की आवश्यकताओं तथा हितों को पूरा करने के लिए भारत की अपनी आर्थिक नीतियों का पालन करने में भारत की स्वतन्त्रता का अतिलंघन करती है, का निरनुमोदन करती हैं।" (1)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि मूल प्रस्तव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करने के पश्चात, इस सभा की राय है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानना देश की आर्थिक स्वतंत्रता को गिरवी रखना और राष्ट्र की प्रभुसत्ता, स्वतंत्र आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को तिलांजलि देना है और इसलिए यह सभा उक्त शर्तों का निरनुमोदन करती है।" (2)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसुकुटा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात:—

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करने के पश्चात यह सभा जिस ढंग से भारत सरकार द्वारा 50 लाख डालर का एस डी आर ऋण दिया जा रहा है और उसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो शर्तें जुड़ी हुई हैं जो कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को ही नष्ट करती हैं, बहुराष्ट्रिकों के लोभी इरादों को पूरा करने के लिए भारत का द्वार खोल देती हैं. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भारत की श्रमशील जनता के लिए घातक आर्थिक नीतियां निर्धारित करने की शक्तियां देती हैं, हमारे देश पर प्रजातंत्र विरोधी राजनीतिक उपक्रम लादती हैं, और हमारी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता तथा सम्मान को आघात पहुँचाती हैं, उन पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और उनका पुरजोर निरमुमोदन करती हैं, और सिफारिश करती है कि कि इनको तुरन्त समाप्त किया जाये।"(3)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित किया जाये अर्थात:—

"कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की व्यवस्था पर विचार करने पश्चात् इस सभा की राय है कि भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जिन शर्तों पर विस्तारित व्यवस्था की है वे भारत की आर्थिक प्रभुसत्ता तथा आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नीतियों के लिए घातक हैं और इस कारण इनको अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये।" (4)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करने के पश्चात इस सभा की राय है कि यह देश की आर्थिक स्वतन्त्रता पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालती है और उसका अतिलंघन करती है तथा पुरजोर सिफारिश करती है कि—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पेशकश को अस्वीकार कर दिया जाय;

(ख) आत्म निर्भरता के मार्ग की पुनः पुष्टि की जाए;

(ग) संसद सदस्यों की एक समिति द्वारा उन शक्तियों के विरुद्ध जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों वाली सहायता को आमंत्रित करके भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को नष्ट कर रही हैं, जांच आरम्भ की जाये।" (6)

श्री चित्त बसु (बारसा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,
अर्थात् :—

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करने के पश्चात यह सभा अपनी गहरी चिन्ता व्यक्ति करती है कि यह—

(क) आत्म निर्भरता और स्वतंत्र आर्थिक विकास की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत नीति से स्पष्टतः भिन्न है;

(ख) योजना की व्यापक नीति की सुस्पष्ट रूपरेखा से हटी हुई है; और

(ग) हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को वस्तुतः तिलांजली देती है,

और इसलिए सरकार से माँग करती है कि इस व्यवस्था की शर्तों को अस्वीकार कर दिया जाए।" (8)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात—

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करने के पश्चात इस सभा की राय है कि यह देश को एक आर्थिक दिवालियापन की स्थिति में लाएगी तथा ऋण की स्वीकृत पर पुनर्विचार करने की दृष्टि से इस व्यवस्था की पुनरीक्षा की सिफारिश करती है।" (10)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते वाद विवाद की शुरूआत करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभा के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद मैं औपचारिक रूप से अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं जो कि इस प्रकार है:—

"यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करने के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अधिरोपित शर्तों, जो जनसाधारण की आवश्यकताओं व हितों को पूरा करने के लिए भारत की अपनी आर्थिक नीतियों का पालन करने में भारत की स्वतंत्रता का अतिलंघन करती है, क्या निरनुमोदन करती है।"

यह ऐसा विषय है जिस पर प्रारम्भ किया गया वादविवाद केवल इस सभा तक ही सीमित नहीं रहेगा। मेरा विश्वास है कि यह पूरे राष्ट्र में चर्चा का विषय बनेगा क्योंकि यह ऋण जो भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से माँगा गया है··· (व्यवधान) माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं ?

जहां तक इन प्रश्नों का सम्बन्ध है मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे माननीय वित्त मंत्री अपने प्रारंभिक कथन में इस बात पर बड़ा गर्व कर रहे थे कि भारत सरकार इतना बड़ा ऋण लेने में सफल हुई है। मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा जो इस बात पर गर्व करता हो कि वह इतना अधिक उधार लेने में सफल हुआ है तथा फिर यह दावा करे कि इससे उसकी ऊंची साख प्रतिलक्षित होती है क्योंकि वह इतनी भारी मात्रा में उधार लेने में सफल हुआ है। यह एक तर्क प्रतीत होता है। मैं इस तर्क पर बाद में विचार करूंगा। परन्तु प्रारम्भ में ही मैं इस सभा को यह बता देना चाहता हूं कि जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण का सम्बन्ध है उसके चार मुख्य पहलू हैं जिसका ज्ञान इस सभा को होना चाहिए।

प्रथम महत्वपूर्ण पहलू है ऋण की अधिक मात्रा। दूसरा पहलू वह आर्थिक स्थिति जिसने सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इतनी भारी रकम उधार लेने के लिए विवश किया। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू हैं वे शर्तें जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा लगायी गयी हैं, जो कि वास्तव में भारत की अपनी आवश्यकताओं के लिए तथा सामान्य लोगों के हित में स्वतन्त्र आर्थिक नीतियां बनाने की भारत की स्वतन्त्रता का स्पष्टतया उल्लंघन करती हैं। अन्तिम महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से तिरस्कार भरी शर्तों के अधीन इतना बड़ा ऋण लेने के स्थान पर कोई अन्य चारा नहीं है ?

ये चार पहलू हैं जिनका हमें विस्तृत तथा गहन अध्ययन करना है। यदि समस्या का विस्तृत अध्ययन करना है, तो दो प्रकार के दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाने चाहिए थे। एक प्रकार के दस्तावेजों में, 20 सितम्बर 1981 को वित्त मंत्री द्वारा भेजा गया। पत्र, आर्थिक नीति विवरण तथा वह विवरण जिसको वे शर्तों का विवरण समझते हैं होने चाहिये थे। तथा दूसरे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा बनाया गया ज्ञापन होना चहिये था। यदि ये सब व्यापक दस्तावेज संसद में उपलब्ध कराये जाते या कम से कम सदस्यों के देखने के लिए संसदीय पुस्तकालय में रख दिये जाते तो हमारे लिए इस समस्या का गहन रूप में अध्ययन करना सम्भव होता। हमारी सरकार अपने उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य को निबाहने में असफल रही है, परन्तु हम जागरूक सदस्य अपने कर्तव्य में असफल नहीं रहेंगे। मुझे यह जानकर खुशी है कि "हिन्दू" का वाशिंगटन स्थित संवाददाता अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस बड़े ऋण को देने में अपनी पटुता से भारत पर लगायी गयी शर्तों को खोजने तथा वास्तव में प्रकट करने में सफल हुआ है। इसके साथ ही

पश्चिम बंगाल सरकार ने भी एक प्रकाशन निकाला है अध्यक्ष के निर्देश 117 के अन्तर्गत, जैसा कि प्रक्रिया के नियमानुसार आवश्यक है, मैंने प्रातः 10 बजे से पहले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के ज्ञापन की एक प्रति के साथ एक नोटिस दिया था जिसमें दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति मांगी गयी थी। ग्रंथालय में रखा गया (देखिए संख्या एल० टी० 2987/81) प्रक्रिया नियमों के अनुसार किसी दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने की अनुमति देने से पहले अध्यक्ष को ज्ञापन या दस्तावेज की जांच करनी होती है और जब वह औपचारिक रूप से अनुमति दे देता है तो दस्तावेज को सभा-पटल पर रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया से पूर्णरूप से अवगत होते हुए मैंने पहले ही अध्यक्ष के निर्देश 117 के अन्तर्गत नोटिस दे दिया है। आगे कोई बात कहने से पहले मैं उपाध्यक्ष महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे नोटिस का क्या हुआ तथा दस्तावेज सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी गयी है या नहीं···

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे कोई आपत्ति नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय इसकी जांच कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने इसकी एक प्रति पहले भेज दी है। मैं समझता हूं कि यदि अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे देते हैं तो दस्तावेज को सभा-पटल पर रखा गया मान लिया जाना चाहिए।

जहां तक ऋण की मात्रा का सम्बन्ध है यह ठीक ही कहा गया कि यह सबसे बड़ा ऋण है जो कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेने में सफल हुआ···

श्री आर० वेंकटरामन : किसी भी देश ने।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सबसे बड़ा ऋण है जो कि हम ले सके हैं। यह कुल 5 अरब विशेष आहरण अधिकार वाला ऋण है और यह भारत को एक किश्त में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यह तीन चरणों में उपलब्ध कराया जायेगा। पहले वर्ष में हम 1000 लाख विशेष आहरण अधिकार, दूसरे चरण में 18000 लाख विशेष आहरण अधिकार तथ तीसरे चरण में 23000 लाख विशेष आहरण अधिकार वाला ऋण प्राप्त करने में सफल होंगे। इस प्रकार से इसको तीन चरणों में विभक्त किया गया है। इस बीच क्या होता है ? यह बहुत विशेष रूप से कहा गया है कि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का सम्बन्ध है, उसके प्राधिकारी भारतीय अर्थ-व्यवस्था के निष्पादन का पर्यवेक्षण करने का अधिकार रखेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के महासचिव देश की अर्थ व्यवस्था की प्रगति को जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या प्रथम किश्त में दिए गए ऋण का उचित तरीके से उपयोग किया गया है, क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से सुझायी गयी शर्तों को प्रभावी ढग से कार्यान्वित किया गया हैं क्या आगे आने वाले दो चरणों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा लगाई गई शर्तों के कार्यान्वयन की दिशा में संरकार द्वारा कदम बढ़ाये जाने की सम्भावना है। यदि वे इसकी जानकारी रखेंगे और यदि वे समझते हैं कि शर्तों को उचित तरीके से पूरा नहीं किया जा रहा है तो उन्हें बाकी किश्तों को रद्द करने की पूरी स्वतन्त्रता होगी। केवल यही नहीं, हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जब हम इस इतने बड़े ऋण को ले रहे हैं तो उनको न केवल बाकी किश्तों को रद्द करने का अधिकार होगा, बल्कि यदि वे समझें कि पहली शर्तों

को पूरा करने के लिए दूसरी शर्तों का लगाया जाना आवश्यक है, तो उन्हे समय-समय पर दूसरी शर्तें लगाने का भी अधिकार होगा, ऐसी स्थिति में इस विशेष अधिकार का प्रयोग किया जायेगा।

महोदय, जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संबंध है, इस ऋण के संबंध में उन्होंने बहुत मजेदार शर्तें लगाई है। वे चाहते हैं कि उनका एकाधिकार बना रहे इसलिए उन्होंने भारत द्वारा वाणिज्यक ऋण लेने के विकल्प को समाप्त करने का प्रयत्न किया है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए एकाधिकारी ऋण दान के रूप में उनकी स्थिति सुनिश्चित हो जाए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों के दौरान एक प्रश्न पूछा था, क्या आप चाहेंगे कि भारत अन्य देशों से काफी ऊंची दरों पर वाणिज्यिक ऋण ले ?

महोदय, अर्थशास्त्र या किसी अन्य विज्ञान में एक साधारण नियम यह है कि केवल समान वस्तुओं की तुलना की जा सकती है जैसा कि डा० स्वामी ने ठीक ही कहा कि ऋणों के कुछ मापदण्डों में कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हैं जो हमारी आन्तरिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेंगी। कुछ अन्य वाणिज्यिक ऋणों के मामले में नाममात्र की ब्याज दर ऊँची हो सकती है। परन्तु, यदि उस ऋण में कुछ शर्तें जोड़ दी जाती हैं तो हो सकता है कि कुछ स्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कम दर पर ऋण लेने की बजाय अधिक दर पर वाणिज्यिक ऋण लेना अधिक अच्छा हो। जो सुधार हम अपनी अर्थव्यवस्था में लाना चाहते हैं उसे नुकसान पहुँचेगा। इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय हम आत्म-निर्भरता का दावा करते रहे हैं। हम विश्व में यह घोषणा करते रहे हैं कि हम सबसे अधिक ऋण लेते हैं। इन दोनों में विरोधाभास है। यह विरोधाभास बहुत स्पष्ट है। हम आत्मनिर्भरता की बात करते है और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपमानजनक शर्तों पर असार्वजनिक ब्याज पर ऋण की बात करते हैं।

आज हमें विदेशी ऋणों की स्थिति के बारे में जान लेना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण से पूर्व आज हमारे ऊपर 15, 000 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण है। 15000 करोड़ रुपये का विभिन्न देशों का विदेशी ऋण भारत पर है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के बाद स्थिति क्या होगी ? यह एक तिहाई होगा और अतिरिक्त ऋण के फलस्वरूप यदि आप इसकी प्रतिशतता देखें तो हमारा विदेशी ऋण 11% से बढ़कर 15% हो जाएगा। इसके बावजूद भी हम आत्म निर्भरता की बात करते हैं। विरोधाभास है। हमें उस पर ध्यान देना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने की ऐसी क्या जरुरत थी ? माननीय वित्त मंत्री ने कुछ बातें कही हैं उन्होंने बताया कि भुगतान सन्तुलन संबंधी कई कठिनाइयाँ हैं। तेल आयात बिल के आंकड़े एक बार 3, 000 करोड़ रुपये हो गये थे दो बार मूल्य वृद्धि के कारण यह 5, 500 करोड़ रुपये के लगभग हो गया होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कठिनाइयां ठीक हैं। हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर दिया गया है। हमें उन विभिन्न घटकों का पता लगाना चाहिए जिनके कारण भुगतान सन्तुलन में कठिनाइयाँ पैदा हुईं। वह पहले बता चुके हैं 47% व्यापार असन्तुलन आयातित तेल के मामले में हुई मूल्य वृद्धि के कारण पैदा हुआ है।

कल ही मैंने एक अतारांकित प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न क्या था ? यह अतारांकित प्रश्न संख्या 1477 था। प्रश्न यह था :

(क) क्या तेल निर्यातक देशों के संगठन द्वारा घोषित नये मूल्य फार्मूला तथा देश में उत्पादन में वृद्धि के कारण आयात में कमी के परिणामस्वरूप 1982 में भारत को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में लगभग 1000 रुपयों की बचत होगी, और

(ख) यदि हाँ, तो आयातित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के कारण मुद्रास्फीति के अंश में कमी के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में कितनी कमी होगी ? मेरे पास उसका उत्तर है। मैं उसका केवल एक भाग पढ़ूंगा।

"इस स्थिति में ऐसे आयातों के कारण 1982-83 में विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की मात्रा बताना कठिन हैं।"

अतः जब भी संगणनाएं सुविधाजनक होती हैं—वे सरकार के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती हैं तो वे संगणनाएं उसी समय उपलब्ध हो जाती हैं। वित्त मंत्री संगणकों को अपनी जेब में लिए घूमते हैं और यदि सुविधाजनक उत्तर देना होता है तो संगणनाएं सदा उपलब्ध होती हैं। परन्तु यह एक स्पष्ट प्रश्न पूछा गया था। हम उत्तर भी जानते थे परन्तु हम इसकी वित्त मंत्री से पुष्टि करना चाहते थे। परन्तु उन्होंने कहा कि इसका परिणाम बताना अत्यधिक कठिन है। इसलिए, मैं समझता हूं कि भुगतान संतुलन में कठिनाइयों की स्थिति को देश के समक्ष रखते समय वह समस्या को बढ़ा-चढ़ा कर बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक और तर्क देना चाहता हूं और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री अपने उत्तर में उस तर्क पर भी बात करेंगे।

महोदय, मैंने देश में आयात के विभिन्न घटकों का पता लगाने का प्रयत्न किया था कि तेल का कितना, उर्वरकों का कितना, रसायनों का कितना और धातुओं का कितना आयात होता है। उसमें मैंने पाया और वह उन अनेक अर्थशास्त्रियों का अनुभव लगता है जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह यह कि जहाँ तक हमारे आयात बिल का संबंध है उसका एक बहुत बड़ा भाग उर्वरकों रसायनों और धातुओं का है न कि तेल का। अतः इन घटकों के कारण आयात बिल बढ़ा और भुगतान संतुलन में कठिनाइयाँ पैदा हुईं। क्या ऐसे कोई विकल्प नहीं हैं जिनसे आयात बिल को कम किया जा सके ? स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देकर, उर्वरकों के लिए स्थानीय स्रोतों और कुछ रसायनों का भी उपयोग करके आयात बिल में बड़ी कमी करना संभव है, जो उर्वरकों, रसायनों और अन्य धातुओं के आयात से संबंधित है। एक यह पहलू भी है जिस पर ध्यान देना होगा। मुझे विश्वास है कि यदि ऐसे विकल्पों का उपयोग किया जाता है तो भुगतान संतुलन में आई कठिनाइयों को, जो सम्भवतः गम्भीर बन गई हैं, कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है।

महोदय, जहाँ तक परिस्थितियों का संबंध है हमारे माननीय वित्त मंत्री ने एक सुस्पष्ट वक्तव्य दिया कि हम केवल उस वक्तव्य से बंधे हैं जो हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भेजा है। उन्होंने एक पत्र 20 सितम्बर, 1981 को भेजा है। उस पत्र के साथ उन्होंने सरकार का आर्थिक नीति वक्तव्य भी भेजा है और उन्होंने कुछ शर्तें भी भेजी हैं जो विस्तारित व्यवस्थाओं का आधार है और जिन पर समझौता हो चुका है। उन्होंने यह दावा किया है कि हमारी विचारधारा के आधार पर ही यह ऋण दिया जा रहा है। वह संभवतः यह तर्क दे सकते हैं कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ज्ञापन में कुछ शर्तें दी गई हैं तो वे उन शर्तों की झलक हैं जो हमने

स्वयं अपने ऊपर लगाई हैं।

अब, यह एक अजीब तर्क है। क्या हमारी सरकार हमारे ही ऊपर लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कुछ ऐसी शर्तों का सुझाव दे सकती है जो हमारे देश के लिए अपमान जनक हैं। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ज्ञापन में कुछ शर्तें पाते हैं तो वे भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन की ही शर्तें हैं। यह जानते हुए कि यदि हम कुछ अधिकार छोड़ रहे हैं और यदि हम गैरसरकारी क्षेत्र के प्रति नरम रुख अपना सकते हैं, यदि हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति नरम रुख अपना सकते हैं और आयात नीति को उदार बना सकते हैं तो हमें अधिक ऋण मिलने की संभावना है। और वित्त मंत्री के परिप्रेक्ष्य और दूरदर्शी दृष्टिकोण में ऐसा ही है। आर्थिक क्षेत्र में यह सम्भवतः आश्चर्यजनक चालबाजी है। यदि कोई अध्यापक किसी छात्र को छड़ी से मारता है तो छात्र यह तर्क दे सकता है कि अध्यापक ने उसे बिल्कुल नहीं मारा है बल्कि छात्र अध्यापक की कुर्सी की तरफ दौड़ा था और छड़ी उससे लग गई। उनका स्वयं का पूर्वानुमान है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का परिप्रेक्ष्य क्या है, वे क्या उदारता चाहते हैं; वे क्या छूट चाहते हैं; वे किसी प्रकार का परिवर्तित कर-ढांचा चाहते हैं और उस आधार पर सभा में कुछ सुझाव और दावे प्रस्तुत करते हैं कि आखिरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ तो निर्धारित किया जो हमारा अपना परिप्रेक्ष्य है। यदि हमारा परिप्रेक्ष्य यह है तो यह भी समान अधोगति का मामला है क्योंकि कुछ स्वीकृत शर्तें भारत सरकार की आर्थिक नीति की पूरी प्रगति के साथ टकरा रही हैं। इस नीति के प्रति भारत सरकार विभिन्न संकल्पों तथा सर्वश्रेष्ठ संसद के निर्णयों के द्वारा वचनबद्ध है।

वे शर्तें क्या हैं ? उन शर्तों में से सबसे खतरनाक शर्त यह है। मुझे उन सब पर जोर देने की जरूरत नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र को शक्तिशाली बनाने हेतु अधिक निवेश पर बल दिया जा रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे पास देश में कोई पूरा सामाजिक-आर्थिक ढांचा नहीं है और इस लिए यहां पर गैर-सरकारी क्षेत्र होगा, सहकारी क्षेत्र होगा, सरकारी क्षेत्र होगा। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि यह सरकार संसद में लगातार कहती रही है कि हम सरकारी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा नियंत्रक मानते हैं तो क्या इस ऋण के संबंध में सरकार का रवैया इसका प्रतीक है कि हमारे देश में सरकारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा नियंत्रक है और इसलिए जब भी निवेश का प्रश्न आता है, हमें सरकारी क्षेत्र में अधिक निवेश करना होगा और जो कुछ भी आंतरिक साधन जुटाए जाते हैं, उन्हें हमें पुनः सरकारी क्षेत्र को दे देना होगा; और अतिरिक्त साधनों के एक भाग का देश में कल्याणकारी गतिविधियों के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह देश में सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र के सामाजिक कल्याण का परिप्रेक्ष्य है। एक कल्याणकारी राज्य में सरकारी क्षेत्र की यह भी धारणा है। परन्तु क्या उस विशिष्ट परिप्रेक्ष्य की यहां झलक मिलती है ? नहीं। शर्त यह है कि निजी क्षेत्र में और अधिक निवेश किया जाना होगा। दूसरे, विदेशी सहयोग और रायल्टी की अदायगी से संबंधित प्रक्रिया को उदार बनाने की मांग हो रही है। वित्त मंत्री का यह विचार है कि यह शर्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नहीं थोपी जा रही है बल्कि हम स्वयं इन प्रक्रियाओं को उदार बनाना चाहते हैं। हम अपने किसी सहयोग को सुदृढ़ करना चाहते हैं। अब यदि मैंने वित्त मंत्री को ठीक से समझाया है तो कई बार यह कहा गया है कि हम विदेशी सहयोग को अनुचित प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं। परन्तु यहां

हम सरकार की मूल नीति में पूर्ण परिवर्तन देखते हैं। इस ऋण को प्राप्त करने के लिए निर्यात को जो प्रोत्साहन दिया जाना है वह विकास और उत्पादन के प्रति सरकार के अब तक दृष्टिकोण से बिल्कुल उल्टा है। अब तक सरकार का मूलभूत दृष्टिकोण यह रहा है कि वह उन उत्पादकता वाले क्षेत्रों में निवेश करेगी जिसमें उत्पादन अधिक लाभप्रद होगा और जिससे देशी बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। किन्तु इस विषय में एक नई नीति सामने आ गई है अब सरकार निर्यात प्रधान नीति अपनाना चाहती है। वह ऐसे उद्योगों में अधिक धन लगाना चाहती है जिनमें उत्पादन बढ़े और उन उद्योगों में धन नहीं लगाना चाहती है जिनसे हमारी जनता की आम उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वह उन वस्तुओं का निर्माण करना चाहती है जो धनी वर्गों की जरूरतों की चीजें है। यह उत्पादन उन लोगों के लिए नहीं होगा जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। यह उत्पादन उन लोगों के लिए होगा जो समानता की रेखा से भी ऊपर रह रहे हैं। ऐसा नया दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि यह आत्मसमर्पण नहीं है तो आत्मसमर्पण की वास्तविक परिभाषा क्या हो सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए गए ज्ञापन में भी औद्योगिक और कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ाने का संकेत दिया गया हैं। वर्तमान स्थिति में मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ रहा है। देश में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था काले धन से चलाई जा रही है जिससे दिन-प्रति-दिन हमारी अर्थ व्यवस्था पर नया दबाव बढ़ रहा है। ऐसी हालत में, जो कि इस समय देश में व्याप्त है, सरकार मूल्य ढांचे के विषय में जो रवैया अपना रही है वह देश के लिए बहुत ही घातक है।

यदि आप आम आदमी के हितों की, किसानों के हितों की उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में राज सहायता अपरिहार्य है। यह अनिवार्य है। किन्तु यहां इस बात पर पूरा जोर दिया जा रहा है कि राज सहायता में कटौती की जाए। हमारे किसानों को एक ओर लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे है, दूसरी ओर कृषि जगत में काम आने वाली सामग्री की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन्हें अपनी उपज के लिए लाभ-प्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। ऐसी हालत में राज सहायता का दिया जाना अनिवार्य है।

परन्तु सरकार का रवैया अब यह है कि इस आर्थिक सहायता में अवश्य कमी की जानी चाहिए। यह अब तक अपनाई गई नीति के विपरीत है। क्या यह कृषकों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे आम लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित करना नहीं है ?

अब हम सरकार की वित्तीय नीति को लेते हैं। वित्तीय नीति का सवाल प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष करों की ओर है। यह बात भली प्रकार ज्ञात है तथा यह स्वयं सिद्ध है कि जहां तक प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों में अंतर का संबंध है। पूरा भार आम लोगों तथा संपन्न लोगों के बीच बट जाता है। प्रत्यक्ष करों के स्थान पर अप्रत्यक्ष करों पर दिया जा रहा है। यह भी बड़े ऋण की अप्रत्यक्ष रूप से शर्त रखी गई है।

अब अवमूल्यकन के प्रश्न को लीजिए। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने इस सभा में वक्तव्य दिया है कि अवमूल्यन का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी करते समय उन्होंने सभा में अपने इस वचन को दोहराया कि हम अवमूल्यन नहीं कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने विदेश में दिए गए अपने एक वक्तव्य में भी बताया कि मुद्रा के अवमूल्यन का प्रश्न नहीं

उठता । अवमूल्यन के कई अर्थ लगाए जाते हैं । शर्तों में क्या कहा गया है । इसमें कहा गया है कि विनिमय दरों के मामले में विनिमय की दरों के समायोजन के मामले में वस्तुपरक नीति का अनुसरण किया जायेगा । विनिमय की दरों के समायोजन की वस्तुपरक नीति क्या है । वास्तव में, इससे कानूनी रूप से नहीं तो वास्तव में अवमूल्यन होगा और बाद में ऐसा होना अवश्यंभावी है । यह सच हो सकता है कि कुछ समय के लिए सरकार जनमत से डरकर अवमूल्यन का सहारा न ले । किसी व्यक्ति ने ठीक ही कहा है कि यह संभवतया उसी तरह सीधे नहीं आये जिस तरह यह 1966 में आया था । वास्तविक अवमूल्यन आ सकता है तथा उससे फिर देश की अर्थ-व्यवस्था को धक्का लगेगा ।

श्रीमान, वे गैर-रियायती विदेशी ऋण की एक सीमा निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। यह हमारी समग्र आर्थिक विचारधारा को नई दिशा देती है । उन्होंने द्विपक्षीय अदायगी करार की बात कही है । अब हमारे पश्चिम बंगाल के मित्र चिन्तित हैं कि इससे सोवियत संघ के हितों को धक्का लगेगा । स्थिति का इस तरह चित्रण करना और साधारण सी आर्थिक समस्या में राजनीति लाना ठीक नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यही शर्त लगाई है । यह इसलिए नहीं लगाई गई कि भारत किसी समाजवादी देश पर निर्भर न रहे अर्थात् उनकी रुचि अपने हित साधन में अधिक है और इसलिए उन्होंने द्विपक्षीय अदायगी के करार पर भी रोक लगा दी है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन में यही शर्तें लगाई गई हैं । वह कहते रहे हैं कि उस ज्ञापन को सभापटल पर इसलिए नहीं रखा गया है कि वह एक गोपनीय दस्तावेज है । मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जब उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार किए गए एक दस्तावेज का यहां हवाला दिया तब मैं एक आपत्ति उठाना चाहता था । नियम 369 के अन्तर्गत मैं सदा यह मांग कर सकता हूँ कि यदि कोई सदस्य सभा में किसी दस्तावेज का हवाला देता है, तो कोई भी सदस्य मांग कर सकता है कि उस दस्तावेज को सभा पटल पर रखा जाए । मैंने एक और दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाने के लिए दिया है । अब मैं यह मांग भी करता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा जिस दस्तावेज को उद्धृत किया गया है उसे भी सभा पटल पर रखा जाए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि आप इस पर तुरन्त निर्णय देंगे । वह हर बात को सदा अनिश्चय की स्थिति में रखते हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं सभा पटल पर दस्तावेजों का ढेर नहीं लगाना चाहता ।

प्रो० मधु दण्डवते : निःसन्देह, अनेक माननीय सदस्य भी यहां दस्तावेज रखते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पुस्तक हर किसी के पास है ।

प्रो० मधु दंडवते : पुस्तक आपके तथा मेरे घर पर शैल्फ पर हो सकती है, परन्तु यदि उसे सभा पटल पर रख दिया है तो यह संसदीय रिकार्ड का भंग बन जाती है । उसमें हमारी रुचि है । हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि छोटी सी बात के लिए इसे सभा पटल पर रखे जाने की मांग करें । यद्यपि दस्तावेज हमारे पास है परन्तु हम चाहते हैं कि वह हमारे संसदीय रिकार्ड का अंग बने ताकि जब भी आगे हम विगत का विश्लेषण करना चाहें—कुछ समय बाद यह सरकार निश्चित रूप से भूतपूर्व सरकार बनेगी—इससे वे लोग इस सरकार के कार्य निष्पादन का सही मूल्यांकन कर सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि आपके साथ हुआ है ?

प्रो० मधु दंडवते : मनुष्य सदा पुराने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, और वास्तव में इसे अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं।

बीजू पटनायक : आपको भी इसका अनुभव हुआ। इसमें कोई नई बात नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं दूसरी बात यह लेना चाहूंगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इतने बड़े ऋण का दूसरा विकल्प क्या होता। जहां तक आयात का प्रश्न है, वह दो प्रकार का होता है। एक नियमित आयात होता है और दूसरे आकस्मिक आयात। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि परिस्थिति खराब हो तो हम गेहूं का आयात करते हैं।

यद्यपि चीनी का उत्पादन अच्छा है, फिर भी पता नहीं किन कारणों से सरकार इसका आयात कर रही है। यही बात तिलहन के सम्बन्ध में भी लागू होती है। इन इन वस्तुओं के आयात को मैं आकस्मिक आयात समझता हूं। और इस के लिए आकस्मिक ऋण कितना है ? वह लगभग 1000 करोड़ रुपये है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश की आन्तरिक क्षमता का उचित रूप से उपयोग करके, अपनी क्षमता को तर्क संगत बनाकर के अपनी कार्यप्रणाली को कारगार बना करके कम से कम 1500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत करना संभव हो जायेगा और हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति में कुछ राहत भी संभव हो सकती है।

कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि यदि हम कुछ मदों में किफायत बरतने में समर्थ हो जाते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पेट्रो उत्पादों के उपभोग में केवल 10 प्रतिशत कटौती करके हम 1000 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा की बचत करने में समर्थ हो जायेंगे। यदि पेट्रो उत्पादनों में 10 प्रतिशत की कटौती हो जाती है, तो 1000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत करना संभव हो जायेगा।

एक दूसरा पहलू भी है जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है और वह वैकल्पिक उपायों का पता लगाने के उपायों के वर्ग में आता है। जहां तक आयात व्यय का संबंध है, उसका एक बड़ा मार्ग उर्वरकों, धातुओं तथा रासायनिकों से संबंधित होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है स्थानिक संसाधनों का उचित रूप से उपयोग और देशीय प्रौद्योगिकी का निर्माण करने में समर्थ हो जाते हैं, तो हम काफी अधिक बचत कर सकते हैं। यदि गांधी जी के देश में हम अपने सभी स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने तथा देशीय प्रौद्योगिकी का निर्माण में समर्थ नहीं होते हैं, तो उस मामले में महात्मा गांधी का नाम लेना बेकार है। सम्भवत: जब आप एक गांधी से हट कर दूसरे गांधी की बात करते है, तो आप एक प्रकार की अर्थ-व्यवस्था से दूसरे प्रकार की अर्थ-व्यवस्था की ओर भी जाते हैं और हूबहू वही कुछ आपकी नीति में प्रतिबिम्बित है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार का संबंध है, इसे एक विशेष सापेक्ष महत्व से तैयार किया गया है। यदि सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वास्तविक परिणाम क्या होगा ? जहाँ तक आयात रियायतों, आयात संबंधी उदारता, निर्यातोन्मुख नीतियों और सभी शर्तों का, जिन्हें लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, संबध है, यदि इन सभी शर्तों को न केवल स्वीकार कर लिया जाता है, प्रत्युत उन्हें कार्यान्वित भी कर दिया जाता है तो हमारी अर्थव्यवस्था का समूचा दबाव पूर्ण रूप से बदल जायेगा। सरकारी क्षेत्र को दूसरा दर्जा मिलेगा

और गैर-सरकारी क्षेत्र का विस्तार करने और उसे मजबूत बनाने का काम एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों पर प्राथमिकता प्राप्त होगी। तब इस देश का भविष्य क्या होगा। यदि इन सभी शर्तों को कारगार ढंग से कार्यान्वित किया जाता है, तो आय तथा आस्तियों का समस्त वितरण ऐसी दिशा धारण कर लेगा कि इस देश में और अधिक असमानता पैदा हो जायेगी और हम समतावादी समाज की ओर न बढ़कर ऐसी दिशा में बढ़ रहे होंगे जिसमें असमानता होगी। और यह सरकार की ओर से हम संसद में दिए गए सभी नीति सम्बन्धी वक्तव्यों के पूरी तरह विपरीत है। यदि ऐसी नीति का अनुसरण किया जाता है, तो किस श्रेणी को अधिक हानि पहुंचेगी ? हानि कृषि और उद्योग, छोटे उद्यमियों, कुटीर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों तथा ऐसे दूसरे लोगों को ही होगी। यही वर्ग होंगे जिन्हें हानि पहुँचेगी और उसका परिणाम यह होगा कि हम उस दिशा में नहीं बढ़पाएंगे जिससे हमसे आशा की जाती है और जिस में हमने जाने की घोषणा है और इसलिए इस संसद में निर्धारित मौलिक आर्थिक नीतियां पूरी तरह भंग तथा नष्ट हो जाएंगी। यही कारण है कि मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों का पूरी तरह विरोधी हूं और इस लिए मैं अपने प्रस्ताव को एक बार फिर पेश करके तथा इसे सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार करने के अनुरोध के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं:—

"यह सभा, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करने के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा अधिरोपितशर्तों, जो जनसाधारण की आवश्यकताओं तथा हितों को पूरा करने के लिए भारत की अपनी आर्थिक नीतियों का पालन करने में भारत की स्वतंत्रता का अतिलंघन करती है, का निरनुमोदन करती है।"

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी के भाषण के बाद हम यह सोचते थे कि स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई है और जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा, रही है, उस की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन अभी मैं प्रो० दंडवते जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जो बातें स्पष्ट की गई, उनको फिर भ्रम में डालने की कोशिश की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं तो समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जो छटी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, वह छटी पंचवर्षीय योजना भारत सरकार ने तैयार की और उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट कोंसिल के अन्दर छटी पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया गया है। जो भी मेमोरेण्डम, लैटर आफ इन्टेट आई० एम० एफ के पास भेजे गये है, अगर वे यह प्वाइन्ट आऊट कर सकते कि छटी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो आबजेक्टिव्ज, जो स्ट्रेटेजीज, जो प्रोग्राम हमने वीकर सेक्शन्स के लिए या और क्षेत्रों के लिए तय किये हैं, उनमें आई० एम० एफ० के लोन की वजह से कोई परिवर्तन करने की बात हमने स्वीकार की है, तब तो यह समझा जाता कि हमने जो योजना तय की है, जो हमारे आबजेक्टिव्ज हैं, उनमें आई० एम० एफ के कहने की वजह से हमने परिवर्तन किये हैं। वे डाकूमेंट्स यहाँ पर लाइब्रेरी के अन्दर प्रस्तुत किये गये हैं। उन की एक एक लाइन पढ़ने से लह स्पष्ट होगा कि उस छटी पंचवर्षीय योजना के डाकूमेंट के जो सिद्धान्त हैं, उन में कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

मैं यह भी निवेदन करूं कि प्राइवेट सेक्टर को तरजीह देने के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में प्रो० दंडवते ने जो जिक्र किया, उन के वक्त के जो रोलिंग प्लान तैयार किया गया, उस में जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो बातें कही गई, क्या जो मेमोरेण्डम प्रस्तुत किया गया, उस

के अन्दर कोई इस प्रकार की बात है कि आप एक प्रोग्रेसिव तरीके से करना चाहते थे और आई० एम० एफ की वजह से उस में कोई डाइलूशन की बात हुई है। ये हार्ड फैक्ट्स हैं, जिन पर इमोशन्स के बिना वास्तविक चीजों को सामने रखकर विचार करना होगा। मैं यह समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद कोई परफार्मेन्स खराब होने की वजह से आई० एम० एफ से लाने की जरूरत पड़ गई हो, वह कारण नहीं है। यह सब को मालूम है कि चाहे पावर सेक्टर को लें, चाहे एग्रीकल्चर को लें, चाहे ट्रान्सपोर्ट को लें। इन सब के अन्दर सुधार हुआ है। इन सब में सुधार होने के बावजूद यह सबको स्पष्ट है कि जहां पहले 1978-79 के अन्दर करीब 1700 करोड़ रु० का आयल का बिल आता था, वह 5500 करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच गया है। क्या यह एक सिंगल फैक्ट सारे बैलेंस आफ पेमेन्ट की जो स्थिति है, उसको अपसेट करने के लिए काफी नहीं है। जो फर्टीलाइजर हमारे देश के उत्पादन के लिए आवश्यक है और सभी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर हम इसके टार्गेट्स तय करके चलते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में नाइट्रोनिजस फर्टीलाइजर का इतना उपयोग बढ़ाएंगे और इस बात को को-रिलेट करते है कि जितना नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स का उपयोग बढ़ेगा, उतना देश के अन्दर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब हम यह कहने के लिए कहें कि फर्टीलाइजर्स को हम कम दें और कम करके फौरेन एक्सचेन्ज को बचाने की कोशिश करें; यह कहां तक उचित है।

मैं समझता हूं कि सबसे आवश्यक बात यह है कि देश का अन्नोत्पादन, देश की खेती का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े और फर्टीलाइनर्स के मामले में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, डीजल के मामले में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ट्रान्सफोर्ट की फैसीलिटीज में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। हमारे देश के अन्दर जो सख्त आवश्यकताएं हैं, उनको सामने रखते हुए, जो प्रोजेक्शन्स हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने हमारे सामने रखे कि 1982-83 के अन्त तक जो कुछ हमारे पास रिजर्व हैं, वे समाप्त हो जाएंगे, तो क्या कोई इन हार्ड फैक्ट्स को ना सकता है, क्या इन वास्तविकताओं को न करके चल सकता है कि जो आज हमारे यहां खर्च है, उसको देखते हुए 1982-83 के अन्दर वह समाप्त होने की स्थिति में है। कहने के लिए कह सकते हैं कि हम रिप्लेस करें इन चीजों को या और जगहों से लोन लें बजाए आई० एम० एफ के। इन सब चीजों को सोचकर हमें चलना चाहिए।

मैं निवेदन करूं कि अगर कोई आई० एम० एफ० का कन्ट्रोल हमारे ऊपर होने वाला होता, अगर हमारे ऊपर कैपीटेलिस्ट सोसाइटी का कन्ट्रोल होने वाला होता, अगर हमारे यहां मल्टी-नेशनल्स को खुली छूट मिलनी होती, तो यू० एस० ए ओवजेक्ट करने वाला न होता। यू० एस० ए थ्रू आउट इस पर ओबजेक्शन कर के चला। उस का कारण क्या है। यू० एस० ए० की इच्छा के मुताबिक अगर यह फैसला किया होता, तो यू० एस० ए० सपोर्ट करने की बात करता। मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया को इस बात के लिए कांग्रेचुलेट करता हूं कि आई० एम० एफ० जैसी जगह में यू० एस० ए० जैसा आब्जक्टर होते हुए भी वह लोन प्राप्त करने में कामयाब हुई है। अगर कोई माननीय सदस्य यह कहें कि यू० एस० ए० जानबूझकर कर एबसेंट कर गया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यू० एस० ए० यह जानता था कि अगर वह हमारे अगेंस्ट में वोट करेगा तब भी हिन्दुस्तान को लोन मिल जाएगा। इसलिए वह एबसेंट रहा है।

श्री बीजू पटनायक : उन्हें 'वीटो' अधिकार प्राप्त है आप नहीं जानते हैं।

श्री सुनील मैत्रा : केवल अमरीका को ही 'वीटो' अधिकार प्राप्त है ।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मैं अपनी बात कह दूं, आप अपनी बात कह देना । आई० एम० एफ० में स्ट्रोंग आब्जेक्टर के होते हुए भी भारत सरकार लोन प्राप्त करने में सफल हुई है उसके लिए, जैसा कि मैंने कहा—वह मुबारकवाद की पात्र है। भारत सरकार को इसके लिए मुबारकवाद देना गलत बात नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह यह बात कही गई कि उनसे लोन लेने के बजाए अगर हम दूसरी जगह जाते तो हमें आसानी से लोन मिल जाता । फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 9-10 परसेंट पर लोन लेने के बजाए क्या 16 से 18 परसेंट पर लोन प्राप्त करना क्या देश के हित में होता ? क्या इसे देश को लाभ होता ? आई० एम० एफ० से लोन लेने में हमारी जो मूल नीतियां हैं, जो हमने निर्धारित की हैं कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिश वे कायम रहती हैं, तो फिर उसमें दिक्कत की क्या बात है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से विरोधी पक्ष के लोगों को नाराजगी इस बात की है कि वे यह देखना चाहते थे कि 1982-83 तक भारत सरकार बैंकक्रप्ट हो जाए और हमें यह कहने का मौका मिल जाए । लेकिन हमारी सरकार ने दूरन्देशी से यह चीज की है और यह लोन प्राप्त कर लिया है जिससे कि सारी चीजों का मुकाबला किया जा सके । इसके लिए तो भारत सरकार को कांग्रेचुलेट ही करना चाहिए । देश की डिफिकल्टीज को टाईड ओवर करने के लिए जो यह लोन प्राप्त किया गया है, उसके लिए यह कहा जाए कि यह काम ठीक नहीं किया गया है, यह गलत बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में बहुत-सी गलतफहमियां हैं कि किसी से बाई लेटरल एग्रीमेंट नहीं हो सकते हैं । इसको भी फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ कर दिया है । हम रूपी ट्रेड पेमेंट कर सकते हैं । 12 साल से आगे जहां रिपेमेंट करना पड़े वहां से लोन लेने की बात को भी साफ कर दिया गया है । जहां से यह लोन लिया गया है, अगर इस बीच में हमारी इकोनोमी इम्प्रूव करती है, मान लीजिए हमारा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हम और आगे बढ़ते हैं तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम आई० एम० एफ० से लोन की तीसरी किस्त लें । हम उसे लेने से इंकार कर सकते हैं । उस किश्त को हम चाहें तो लें, चाहें तो न लें । इस बारे में इस में कोई कंडीशन नहीं है । अगर इससे वेटर टम्पर्स पर कहीं से लोन मिलकर हमारी प्रोब्लम सोल्व हो सकती है, तो वह हम ले सकते हैं । अगर इम्पोर्ट करने वाली प्रोटेक्शनिस्ट कन्ट्रीज से हमें अपने एक्सपोर्ट के बारे में कुछ रिलेक्शन मिलते हों और एक्सपोर्ट के बारे में हम अपनी स्थिति इम्प्रूव कर सकते हों तो इस लोन में यह बाईंडिंग नहीं है कि थर्ड इन्स्टालमेंट को भी लें । यह थर्ड इन्स्टालमेंट 50 परसेंट की है । उस इन्स्टालमेंट को लेने से हम इंकार कर सकते है । इस समय हमारे सामने जो डिफिकल्टीज हैं अगर उनको हम सोल्व कर सकें और इन्फलेशन को रोकने में हम अपनी पोजिशन इम्प्रूव कर सकें तो हमें यह किश्त लेने की जरूरत नही पड़ेगी ।

इसी सदन में इस तरफ के भी माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि इन्फलेशन को रोकने के लिये मनी सप्लाई को रोका जाना चाहिये, मनी सप्लाई को ज्यादा नहीं किया जाना चाहिये । जब हम 19 परसेंट एक्सेप्शन आफ मनी सप्लाई तक रोकना चाहते हैं और घाटे को

अर्थव्यवस्था तो को कम करना चाहते हैं। यह कहा जा रहा है कि इसकी कंडीशन से हमारी स्वतंत्रता पर आघात हुआ है क्या इस सदन में इस तरफ के और उस तरफ के भी माननीय सदस्यों ने इस बात को नहीं कहा है कि मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से इन्फलेशन बढ़ता चला जा रहा है। उसको रोका जाना चाहिए। क्या यह सच नहीं कि मैंने 1980 में, बजट के मौके पर बोलते हुए यह बात कही थी कि हमें अपने पब्लिक सेक्टर का परफोरमेंस इम्प्रूव करना चाहिये, उसमें घाटा नहीं होना चाहिये। हमारा प्लान डाकुमेंट भी यह एन्वीसेज करता है—सरकारी क्षेत्र में 10 प्रतिशत का लाभ उचित लाभ होगा।

अगर किसी वजह से सब्सीडाइज करके पब्लिक सेक्टर को चलाने की बात हो और सबसीडाइज जनरल रेवेन्यू से किया जाये और उसकी वजह से डेफिसिट फाइनेंसिंग, इन्फलेशन की नौबत हो जाये तो सिलेक्टिव एप्रोच की जरूरत पड़ेगी, पब्लिक सेक्टर में भी कि कहां एफिसिएंसी के जरिये उसमें लास न हो—प्रियारिटी उसको होनी चाहिये।

मैं नहीं कहता कि कीमतें बढ़ाना ही रास्ता है। पहला रास्ता यह है कि एफिसिएंसी के जरिये हम पब्लिक सेक्टर को इस प्रकार बनाएं कि उसको सब्सीडाइज्ड करने की जरूरत न पड़े और वे खुद अपने पांव पर खड़े हो कर रीजनेबल रिटर्न देने की स्थिति में बनें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, दुनियां में जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, वहां भी कोई पब्लिक सेक्टर सिर्फ इसलिए नहीं होते कि सर्फ डेफिसिट ही करते जाएं और उनको सब्सीडाइज्ड करें, बल्कि वे आगे और एक्सपेंशन हों और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रिलाइजेशन हो और मनी पूल बैंक हो सके, उसके लिये रुपया काम आता है। जहां सिक इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर विचार करके उन लाइसेंस को कम करने वाली बात को सोचा जाये तो गलत बात नहीं होगी।

उपाध्यक्ष जी, फर्टीलाइजर के अन्दर जो सब्सिडी है या या पूड-ग्रेन्स के अंदर जो सब्सिडी है, उसको खत्म करने के लिये कमिटमेंट किया गया है, ऐसा कहा गया है। ऐसा किस जगह किया गया है ? जो डाक्यूमेंट सामने रखे गये हैं, उनमें कहा गया है कि फूड-ग्रेन्स की सब्सिडी को समाप्त कर देंगे ? लेकिन इसको रिव्यू करने की बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। जहां सब्सिडी कम की जा सकती है, उसको करने की तरफ ध्यान जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, असली बात यह है कि इसके पीछे भी जो वैस्ट-बंगाल से सबसे ज्यादा सब्सिडी का हल्ला मचाया जाता है, उसका कारण यह है कि 200 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट वहां चलता है। उनको डर है कि ओवर-ड्राफ्ट के जरिए जो सब्सिडी चलती है, उस पर कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए पहले से कह दो कि सब्सिडी को चालू रखा जाना चाहिए। यह बात तो निश्चित है कि जब छठी पंचवर्षीय योजना तैयार हुई तो रिसोर्सेस की रेसपोंसिबिलिटी तय हुई, टारगेट तय हुआ, अलग-अलग टारगेट तय हुए उसके बाद हर स्टेट इस बात के लिए प्रत्न करती करती है कि ओवर-ड्राफ्ट के अन्दर मन चाहे तरीके से बढ़ते रहें और देश के बजट के अन्दर डेफिसिट बढ़ता रहे, जिससे घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता पड़े।

जो कंसल्टेशन की बात कही गई है, परफारमेंस की बात कही गई है, कंसल्टेशन के मामले में कइयों के साथ कंसल्टेशन होता है। कौन सा ऐसा मुल्क है जो कहीं लोन की बात करते हैं तो लोन की बातचीत के दौरान प्रोग्राम और परफारमेंस की बात नहीं होती ? आंखें बंद करके और

बिना डीटेल में गए कि रिटर्न क्या होगा और अन्य कारण क्या होंगे, चाहे सोशलिस्ट कंट्रीज ही क्यों न हों, यह डिस्कशन होता है।

इसकी वजह से हम यह मानें कि इस लोन के कारण हम हमारी सोवरनर्श को कम करने जा रहे हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां पर जिस प्रकार से बातें की गईं, उससे मुझे ऐसा लगा कि हम जैसे इनफीरियारिटी-कम्पलेक्स में सफर करते हैं। इस हिन्दुस्तान के अंदर हमने देखा है कि अमरीका पाकिस्तान को चाहे एफ-16 दे रहा है, लेकिन तब भी हमारे प्रधानमंत्री और भारत-सरकार ने कहीं कंपरमाइज और सरेण्डर करने की बात नहीं की है तो क्या इस मानेटरी फण्ड के लोन की वजह से हम हमारी सोवरनटी को अपनी सुप्रमेसी को, अपनी आइडियालाजी को सेक्रीफाइज करके चलेंगे ?

यह जो सरकार यहाँ बैठी है, यह जनता पार्टी की सरकार की तरह एटामिक इनर्जी के बारे में और दूसरे मामलों में जिस प्रकार सरेण्डर करके समझौता किया, लेकिन आज इस देश की पोलिटिकल और इनामिक आजादी के अंदर कोई भी फारेन कंट्री इंटरफियर नहीं कर पाएगा, यह हमें पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है, अभी डाक्यूमेंट्स में कोई इस प्रकार की बात पैदा नहीं हुई है कि इस प्रकार का भ्रम पैदा हो जाए कि अगर यह लोन ले लिया है, इसलिए सब कुछ हो जएगा। क्यों हम अपने आप को कमजोर मान-कर चलते हैं ? कर्जा ले लिया इसलिए अपनी इकनामिक पालिसीज को कमजोर कर देंगे, अपनी सोवरनटी और सुप्रमेसी को दूसरों के हवाले कर देंगे, इन सब चीजों को मानने के लिए मैं सम-झता हूं कि कोई भी कारण पैदा नहीं होता कि जिनकी वजह से हम यह समझें कि हमारे यहाँ दूसरों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा और दूसरे लोग यहां पर इंटरफियर कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि कर्जा लेना खुद में कोई अच्छी बात नहीं होती। बिना कर्जे के काम चल सके तो बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पर प्रोफेसर दण्डवते साहब ने कहा कि हमने सेल्फ-रिलायंस को बहुत पीछे छोड़ दिया है।

इस बात इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद मैक्सिम एफर्टस बात का किया जा रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्स, गैस आदि नेचुरल चीजों का ज्यादा से एक्स-प्लोरेशन हो और हम चाहते हैं कि थर्ड इंस्टालमेंट हम लें उसके पहले ही हमारी आयल और आयल प्रोडक्ट्स के मामले में सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए और अगर हो जाती है तो हमें बाहर से इन चीजों को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्पोर्ट के मामले में भी हमको रीयलिस्टिक पालिसी एडाप्ट करनी पड़ेगी। अब कोई यह समझ कर चलता है कि हम मल्टीनेशनल्ज को इनवाइट कर रहे हैं तो ऐसी शंका उसकी निराधार है। यह स्पष्ट है कि मैटीरियल्ज का उत्पादन बढ़ाने के लिए, इनफ्लेशन को रोकने के लिए, यहां की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने लिए जिन कमीडिटीज की जरूरत है उनको इम्पोर्ट करने के मामले में अगर आज रूल्ज और रेग्युलेशंज बीच में आड़े आते हैं, या इस काम में देरी पैदा करते हैं, मुश्किलें पैदा करते हैं तो इनको स्ट्रीम लाइन हमको करना पड़ेगा ताकि देश का उत्पादन बढ़ सके और ये सब चीजें ठीक हो सकें। उत्पादन बढ़ाने के ख्याल से इन सब बातों को हमें अपने सामने रखना होगा।

और देशों के साथ हमारे बाइलैट्रल एग्रीमेंट्स हुए हैं। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है कि उड़ीसा के एल्यूमिनियम प्लांट के लिए जो निर्णय किया गया है, उस पर इसका कोई असर पड़ा है। वह स्टैंड करता है। जो एग्रीमेंट दिया गया है वह उसी प्रकार से कायम है। और भी जो दूसरे एग्रीमेंट किए जाते हैं तो उन में भी कहीं यह चीज रुकावट पैदा नहीं करती है। पैट्रोलियम के मामले में और कंट्रीज के साथ हम अगर कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो कोई बाधा सामने आकर खड़ी नहीं होती है। हमें गहराई के साथ विचार करना होगा कि क्या हमारी डिफिकल्टी रीयल नहीं है और अगर रीयल है तो हमारे सामने आल्टरनेटिव क्या है ? प्रो दण्डवते ने कहा है कि गांधी जी ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते पर हम चलते तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। प्रोफेसर साहब के जमाने में हम उस रास्ते पर चल नहीं पाए, उससे पहले भी हम चल नहीं पाए, इसको सभी जानते हैं। आज फर्टिलाइजर की निसैसटी को दुनिया मानती है। किसान भी इसकी उपयोगिता को मानने लग गया है। जितनी ज्यादा जमीन में आज खेती होने लग गई है उतना ही ज्यादा हम को कम्पोस्ट, उतना ही ज्यादा ग्रीन मैनोरिंग जमीन के लिए चाहिये। आप और हम जब हम फील्ड में जाते हैंतो इन सब चीजों को देखते हैं। इन हालात में हमको प्रैक्टिकल स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आज हमने फर्टिलाइजर का इम्पोर्ट कम कर दिया और कल को अगर हम फूडग्रेज का इम्पोर्ट करने लग गए तो इसका मतलब यह होगा कि हमको दुनिया के सामने बैगिंग बाउल लेकर जाना पड़ेगा और अनाज के बिना हमारे सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। हमें बाहर से अन्न मंगाना न पड़े और यह नौबत हमारे सामने न आए। इस वास्ते कि फर्टिलाइजर की कमी है, इसको हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। आयल प्रौडक्ट्स में हम कमी नहीं कर सकते हैं। ज्यों ज्यों इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ती जाएँगी त्यों त्यों ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा फारेनएक्सचेंज अगर खर्च हो तो वह भी हमको करना पड़ेगा। आज छोटा किसान फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं कर पा रहा है। वह इसका उपयोग करे उसका हमको प्रयत्न करना होगा और हम कर भी रहे हैं। लोन देकर, सबसिडी देकर वह भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने लगे इसकी कोशिश हमको करनी होगी। फर्टिलाइजर के महत्व को कम करके हम नहीं चल सकते हैं।

जिन हालात में लोन लिया गया है, जिन कंडिशंज के ऊपर इसको प्राप्त किया गया है मैं समझता हूं कि उसके अन्दर कोई सावरेनटी को सरेंडर करने का सवाल नहीं है, प्लान की जो प्रायोरिटीज हैं उनको सरेंडर करने का कोई सवाल नहीं है, इकोनोमिक, सोशल पालिसीज के अन्दर सरेंडर करने की कोई बात नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां सरेंडर करने वाली सरकार नहीं है। जो यह सरकार यहां पर है वह किसी चीज को सरेंडर कर दे, यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मैं समझता हूं कि जो लोन प्राप्त किया गया है उस के लिए हमको सरकार को धन्यवाद देना चाहिये और हमने ऐसा किया तो यह उपयुक्त ही होगा।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : यह विचित्र प्रकार का वाद विवाद है। इस प्रस्ताव को पेश करते समय ही वित्त मंत्री महोदय ने इस पर वाद विवाद का अनुमान लगा लिया था। वस्तुतः, विपक्ष की ओर से किसी सदस्य के बोलने से पूर्व ही उन्होंने उत्तर देना शुरू कर दिया। सरकारी पक्ष द्वारा संसार का कार्य चलाने का यही ढंग है।

कुछ भी हो, यह पता लग जायेगा कि 5 अरब रु० का विशेष आहरण अधिकार ऋण

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कृपा से मिला अथवा हमारे प्रफुल्लित वित्त मंत्री महोदय अथवा उनके प्रतिनिधि की चालाकी से प्राप्त हुआ है। यह बात पहले ही विवाद का मामला बन चुकी है। अन्यथा उस दिन वित्त मंत्री महोदय ने एक माननीय सदस्य को विशेष रुप से यह कैसे कहा कि आप के दादा भी यह ऋण नहीं ले सके थे। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे पिता अथवा दादा इस प्रकार के देश द्रोहात्मक कार्य की बात सोचने तक का साहस नहीं कर सकते थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह गलती से कहा गया था, हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री सुनील मैत्रा : अब वित्त मंत्री ने देश के 7000 लाख बच्चों को 5 अरब रु० के विशेष आहरण अधिकार ऋण के रूप में क्रिसमस उपहार देकर वयवृद्ध सन्ता कलास की भूमिका को स्वयं निभाने का भार सभाला है।

क्या ऋण को तय करने से पूर्व भारत सरकार द्वारा भुगतान संतुलन की कठिनाइयों को दूर करने का कोई प्रयास किया गया था? एकमात्र स्पष्टीकरण जो वित्त मंत्री महोदय ने इस ऋण के पक्ष में आज दिया है, यह भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का है। किन्तु क्या भुगतान संतुलन की कठिनाइयों को कम करने का कोई अन्य वैकल्पिक उपाय है? अब इस समय हमारे पास लगभग 4000 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा का भंडार है। केवल कल ही, पेट्रोलियम मंत्री सभा में घोषणा की थी कि 1983 तक पैट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में 60 प्रतिशत तक हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। अब जब कि प्रो० मधु दंडवते ने पहले ही कह दिया है, हम कम से कम पैट्रोलियम पदार्थों के उपभोग को कम करने का प्रयास तो कर सकते थे। किन्तु कोई प्रयास नहीं किया गया। जहां तक आयात का सम्बन्ध है, दो प्रकार के आयात होते हैं—एक नियमित आयात और दूसरे आकस्मिक आयात। इस वर्ष आकस्मिक आयात के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये इस दावे के बावजूद कि 1330 लाख टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है, हमने अमरीका से 152 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया है जिसकी देश में पहुँचाने तक की लागत 190 रुपये प्रति क्वींटल थी। बात क्या है कि जब देश में 1330 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ फिर भी उन्हें 152 लाख टन अनाज का आयात किया? क्या इससे बचा नहीं जा सकता था?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : जी नहीं।

श्री सुनील मैत्रा : हम कहते हैं, बचा सकता था। किन्तु कोई प्रयास नहीं किया गया। आप ने खाद्यान्नों का आयात किया है। आपने अन्य मदों का भी आयात किया है, जिससे आसानी से बचा जा सकता था और ऐसा करके आप अपने आयात के व्यय को कम कर सकते थे। किन्तु गम्भीरतापूर्वक कोई प्रयास नहीं किया गया।

स्वर्ण भंडार था। डा० भावादोष दत्ता ने, जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दक्षिण पूर्व एशिया डिविजन से अध्यक्ष थे, 'स्टेट्स मैन' में एक लेख लिखा है जिसमें बताया गया है कि क्या किन्हीं वैकल्पिक उपायों का पता लगाया जा सकता था। तब कहते हैं:—

"इस समय रिजर्व बैंक के पास 225.58 करोड़ रुपये का स्वर्ण भंडार है। इसका

मूल्य 84.39 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से लगाया गया है, जबकि स्वर्ण का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 16 गुना अधिक है (लगभग 420 डालर प्रति औंस है)। स्वर्ण भंडारों के वास्तविक पुनर्मूल्यन के प्रश्न से अनेक मामले उठते हैं, किन्तु तथ्य यह है कि भारत के पास 3,500 करोड़ रुपये से अधिक के इतना गुप्त आपात संसाधन नहीं हैं।

यह भारत सरकार के उस स्वर्ण भंडार के अतिरिक्त है जिसमें भारतीय खानों का उत्पादन सीमा-शुल्क विभाग द्वारा पकड़ा गया स्वर्ण तथा पूर्वोत्तर में सीमा पर हुई गड़बड़ के समय दान में दिया गया स्वर्ण शामिल है। 1978 में जब जनता सरकार ने इस भंडार से स्वर्ण बेचना शुरू किया था तब इस सोने की मात्रा 85 टन थी और इस योजना को बन्द करते समय यह भंडार 72 टन था। तब से अवश्य ही इस भंडार में वृद्धि हुई होगी। और यह समझ लेना सुरक्षित है कि सरकार के पास अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर 1,000 करोड़ रुपये मूल्य का और स्वर्ण है। इसके अतिरिक्त भारतीय दूतावासों तथा विदेश में दूसरे मिशनों के विदेशी बैंक लेखों में और विदेशी केन्द्रों में कार्य कर रहे भारतीय बैंकों के लेखों में भी पर्याप्त अतिरिक्त शेष जमा राशियां हैं।

यदि इन सभी वैकल्पिक उपायों का पता लगा लिया जाता। तो ऐसी सम्भावना हो सकती थी कि हम 5 अरब के विशेष आहरण अधिकार के इतने बड़े ऋण लेने से बचा जा सकता था। किन्तु भारत सरकार ने वैसा नहीं किया।

जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह आवेदन भेजा गया था, तब वित्त मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लिखे अपने आशय पत्र में कहा था, कि भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत ही खराब है और कि औद्योगिक देशों की संरक्षणवादी नीति के कारण हमारे निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस 5 अरब के विशेष आहरण अधिकार वाले ऋण को लेकर सरकार का विचार किस प्रकार इसे वापिस करने का है ? वित्त मंत्री महोदय ने एक लम्बा भाषण दिया है। किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया है कि यह देश 1984 तक हमें वापिस किस तरह करेगा। क्या हम यह मान रहे हैं कि पश्चिमी देशों की संरक्षणवादी नीतियां कम अथवा समाप्त हो जायेंगी, ताकि हमारे निर्यात व्यापार का विस्तार करना हमारे लिए सम्भव हो जायेगा और इससे न केवल भुगतान सन्तुलन में घाटा दूर हो जायेगा बल्कि हम फालतु मुद्रा भी अर्जित करेंगे जिससे हमारे लिए ऋण को वापिस करना सम्भव हो जायेगा ?

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अभी हाल ही में 1980 तक सारे विश्व की आर्थिक स्थिति की क्षमता का एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। मैं 'लंदन एकोनिमिस्ट' से उद्धृत कर रहा हूं ताकि आप यह न कहें कि मैं अशोक मित्रा को उद्धृत कर रहा हूं :—

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्वानुमान के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है और इसके सुधरने की गति बहुत धीमी होगी इस वर्ष की शेष अवधि और अगला वर्ष भी भयंकर होने की सम्भावना दिखाई देती है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गई एक झलक के अनुसार है कि वर्ष 1985 तक स्थिति अधिक

सुखद होने की सम्भावना नहीं है। यदि आप विश्व बैंक के नवीनतम पूर्वानुमानों को पढ़ें जिसमें 1990 तक की स्थिति का कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है, तो यह दशक लगभग उतना ही भयंकर दिखाई देता है जितना 1970 वाला दशक सिद्ध हुआ।"

इसमें यह भी बताया गया है :—

"जहां विकास धीमा और भयंकर दिखाई देता है, वहां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय परिणामों के पूर्वानुमान भी उतने ही विक्षुब्ध करने वाला प्रतीत होते हैं। तेल के मूल्य में वास्तविक वृद्धि न होने पर भी आ० रा० मु० कोष के अनुसार तेल उत्पादकों के चालू खाते में फालतू राशि इतनी तेजी से कम होती दिखायी नहीं दे रही है जितनी तेजी से 1973-74 की तेल मूल्य वृद्धि के पश्चात कम होती देखी गई थी। फिर भी औद्योगिक देश सम्भवत: लगभग पहले की तरह तेजी से घाटों को दूर करने का प्रबन्ध कर लेंगे। इसके अनिवार्य परिणाम ये होंगे कि विकासशील देश, जिनके पास तेल नहीं है, उनके घाटे कम नहीं होंगे जो 1970 वाले दशक की तुलना में अधिक होंगे इन घाटों के वित्त पोषण से तेल के आयात के घाटे में और वृद्धि होगी···

—उन देशों में से एक स्वयं हम हैं...

"ऋण में अधिक डूबे हुए।"

"इन घाटों का वित्त पोषण करने से तेल आयतक देशों पर और अधिक ऋण बढ़ जाएगा। यह कोष रियायती सहायता के भविष्य के प्रति भी आशाजनक नहीं हैं। कोष का यह भी अनुमान है कि वाणिज्यिक ऋणों पर वास्तविक ब्याज दर संभवत: 2% या लगभग रहेगी। अत: इसका विचार है कि ऋण सेवा अनुपात, जो तेल आयतक देशों के मामले में 1977 और 1980 के बीच बड़ी तीव्रता से बढ़ा, भविष्य में भी अधिक रहेगा।

यह आपके परामर्शदाताओं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को और विश्व बैंक की भविष्यवाणी है। उनके द्वारा इस निधि सुविधा कार्यक्रम का विस्तार कर दिया गया है परन्तु 1683-84 में अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात जब ब्याज और मूलधन को वापस करने का समय आएगा तब आपके लिए अपने निर्यात व्यापार में वृद्धि करना संभव नहीं होगा क्योंकि उस समय मन्दी, मुद्रा स्फिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निराशाजनक सुविधा होगी। अत: उसकी अदायगी कैसे होगी? और अधिक ऋण लो। अधिक ऋण लेने के पश्चात आप ब्याज और मूलधन का भुगतान करेंगे और इस प्रकार आप अधिक से अधिक ऋण की दलदल में फंसते चले जाएंगे। आप ऋण के जाल में फंस रहे हैं। अत: में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सरकार ने बड़े ही नियोजित ढंग से और जानबूझकर इस देश को ऋण के जाल में फंसाया है। इससे अन्तत: देश की न केवल आर्थिक प्रभुत्ता बल्कि राजनीतिक प्रभुत्ता को भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

अब हम ऋण की शर्तों को लेते हैं। प्रो० मधु दण्डवते ने पहले ही उनका उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

उनमें से दो शर्तें ये हैं। सरकार वर्ष 1981-82 में देश में बैंक ऋण 18.6 प्रतिशत से अधिक न होने दे दूसरी शर्त, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विदेशी कर्ज की सीमा भी निर्धारित की है अर्थात 1981-82 में वाणिज्यिक ऋण विशेष आहरण अधिकार (एस० डी० आर०) के 1.4 बिलियन डालर से अधिक न हो। यहां मुद्दा यह है कि, श्री सुखाड़िया जी ने कहा है कि "आप हमेशा यह कहते रहे हैं कि मुद्रा सप्लाई के विस्तार को कम किया जाना चाहिए। निःसन्देह हमने ऐसा कहा था। परन्तु उन्होंने उस समय हमें ध्यान से नहीं सुना। अब वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा कहने का आदेश दिया गया है। अन्तर यही है। आज अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को से आदेश प्राप्त होने पर आप ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऐसा क्यों कर रहा है ? यह नीतियों की खिचड़ी है।

मैं वित्त मंत्री को चुनौती देता हूँ कि वे मेरे तर्क का प्रतिवाद या खण्डन करें कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अन्य किसी देश को दिए गए किसी भी ऋण पर यह शर्त नहीं लगाई है कि वह इस सीमा से ऋण बाजार से नहीं ले सकता। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह शर्त केवल भारत पर लगाई है और शर्त लगाने का स्पष्ट कारण भी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष चाहता है कि भारत उसका 'पक्का ग्राहक' बना रहे। भारत कोई और उपाय खोजने की स्थिति में न रहे। इसलिए उन्होंने यह शर्त लगाई है। शर्तों का उल्लेख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित भाषा में उल्लेख किया है :

> " 1. कुल देशी ऋण पर चरणवार उच्चतम सीमा, और सरकार को शुद्ध ऋण पर चरणवार उप-उच्चतम सीमा।
>
> " 2. उस विदेशी ऋण को सरकारी करार या गारन्टी की उच्चतम सीमा जो एक और बारह वर्ष के बीच परिपक्व होंगे, तथा एक और पांच साल के बीच परिपक्व होने वाले ऋण पर उप-उच्चतम सीमा।

द्विपक्षीय भुगतान का प्रो० मधु दण्डवते पहले ही उल्लेख कर चुके है। में उस बारे में नहीं बोलना चाहता।

आयात सहायता आप महान निर्माता और आत्म-निर्भरता का अग्रेता होने का दावा करते हैं। यह सब क्या है ? मैं अन्तर्राष्ट्रीत मुद्रा कोष के ज्ञापन को उद्धृत कर रहा हूं। आप कृपया इसका उत्तर दें :

> "प्राधिकारियों ने योजना में निर्दिष्ट किया है कि भावी नीतियों का लक्ष्य स्थिर वातारण होगा अर्थात यह तटस्थ होंगी, उत्पादन निर्यात हेतु और आयात प्रति स्थानापन के लिए किया जाएगा, और जहाँ तक सम्भव होगा इन दोनों में विरोध होने पर समाधान निर्यात के पक्ष में किया जाएगा।"

यदि निर्यात और आयात प्रतिस्थानापन में कोई विरोध हुआ तो इस विवाद को निर्यात के पक्ष में हल किया जाएगा न कि आयात प्रतिस्थापन के पक्ष में। यदि यहां कुछ उपलब्ध भी है तो आप बहु-राष्ट्रिकों अथवा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए मार्ग खोल रहे हैं। बहु-

राष्ट्रीय कम्पनियां यहाँ आ रही हैं। यदि आदि आप किसी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी को किसी वस्तु विशेष का निर्माण करने के लिए कहें और यदि आप उससे कहें कि "इस वस्तु विशेष का निर्माण करने के लिए यह वस्तु विशेष देश में उपलब्ध है, आपको उसका आयात करने की आवश्यकता नहीं है" और यदि इसी बात पर बहु-राष्ट्रीय कम्पनी और भारत सरकार में विवाद हो जाए और बहु-राष्ट्रीय कम्पनी यह कहने लगे "नहीं हम इसका आयात करेंगे और इसकी प्रतिस्थापन वस्तु इस देश से नहीं लेंगे," तो आपको बहु राष्ट्रीय कम्पनी की इच्छा अनुसार चलना होगा। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी या निर्यात और आयात प्रतिस्थापन के विवाद में हल निर्यात के पक्ष में होगा। इसका अर्थ हुआ बहु राष्ट्रीय कम्पनी देशी वस्तु लेने के लिए बाध्य नहीं होगी। बहु राष्ट्रीय कम्पनी को उस वस्तु का आयात करने की अनुमति होगी। इस प्रकार आयात प्रतिस्थापन को अलविदा कह दिया गया है और आपके स्वप्न तथा आत्म निर्भरता के आपके ढोल पीटने को अलविदा कह दिया गया है।

आयात नीति : इसका क्या अर्थ होता है ? यदि आप इस देश की आयात नीति को उदार बना दें तो छोटे और मध्यम आकार की उत्पादन इकाइयां बिना किसी समय समाप्त हो जाएंगी :

> "अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी शक्तियों को और अधिक मुक्त ढंग से कार्य करने की अनुमति देकर आर्थिक कुशलता को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उद्योग के संरक्षण स्तर को कम करने के लिए चुनिंदा आयात नीति पर विचार किया जाएगा। वर्ष 1981-82 की आयात नीति में कुछ उदार उपायों की व्यवस्था की गई है और प्राधिकारियों ने संकेत दिया है कि वर्ष 1982-83 और 1983-84 की आयात नीतियों में और भी महत्वपूर्ण उदार कदम उठाए जाएंगे।"

वर्ष 1982-83 अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। पहली अप्रैल, 1982 से वर्ष 1982-83 प्रारंभ होगा।

इस सरकार ने 60 के दशक में जो आयात नीति बनाई थी यह आयात नीति के कुछ भाग का अनुपालन कर रही है। पिछले वर्ष आयात प्रोत्साहन को अधिकतम उदार बनाकर इसमें काफी परिवर्तन किया गया है और वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में इसे और भी उदार बनाया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि देशी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप इसे समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं सत्ता पक्ष में बैठे सदस्यों को बता सकता हूं, कि यह वाद-विवाद में वाह वाही लेने की बात नहीं है। यह देश की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता का प्रश्न है। यह देश की आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता का प्रश्न है। यह देश के उद्योगों के अस्तित्व का प्रश्न है। पिछले 34 वर्षों में लोगों ने संघर्ष किया है, अपना खून बहाया है। लोगों ने पसीना बहाया है और कुर्बानियां दी हैं। इस आयात नीति के द्वारा हमने अब तक औद्योगिक जीवन के लिए जो कुछ खड़ा किया है अथवा काम किया है आप उसे नष्ट करने जा रहे हैं।

अगली शर्त यह है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को प्रत्येक सहायता दी जाएगी। विदेशी सहयोग और रायल्टी की अदायगी से सम्बन्धित क्रियाविधि को बहुत ही उदार बनाया जा रहा है। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे उद्योगों का, जिनमें तकनीकी नवीनता और निर्यात की संभावनाएं अधिक हों, प्रोत्साहन देने के लिए पता लगाया जा रहा है। आशा की जाती है कि आकलित

मूल्य से सम्बन्धित लचीली नीतियां वाणिज्यिक उर्जा के लिए स्थापित उद्योगों को कार्य क्षमता पूर्व ढंग से प्रयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी दृष्टि से प्रोत्साहन प्रदान करेंगी।"

बात यहीं समाप्त नहीं होती। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सिफारिशें हैं। "भविष्य में केन्द्र और राज्य दोनों के आकलित मूल्यों को लचीले ढंग से समायोजित किया जाए और इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए कि वे पूर्णतया आर्थिक लागत को दर्शाती है।" इसका अर्थ हुआ मूल्यों में वृद्धि होगी। सभी आकलित मूल्यों में वृद्धि होगी। "इस सन्दर्भ में कोयले और विद्युत के मूल्यों में और समायोजन करने की गुंजायश है।" इसका अर्थ यह हुआ कि कि देश को पता चलना चाहिए कि सभी आकलित मूल्यों में वृद्धि करने के लिए षडयंत्र रचा जा रहा है और अगला वार कोयले और बिजली पर होगा। अर्थात उनकी कीमतें बढ़ने की आशा है।

"यह सुनिश्चत करने के लिए कि मूल्य समायोजन उचित रूप से हो, कर्मचारी बैंक से सहयोग करेगा, तथा इस बात का ध्यान रखेगा कि जिन क्षेत्रों को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया है, बैंक उन क्षेत्रों की वर्तमान उचित नीतियों पर जोर देता है। प्राधिकारी निजी क्षेत्र में अत्यधिक विकास की आशा अथवा परिकल्पना करते हैं। अतः निजी निवेश को प्रोत्साहन करने वाली, जिनमें विदेशी सहयोग भी सम्मिलित है, नीतियों का पहले ही सुदृढ़ किया जा चुका है स्टाफ व्यावहारिक औद्योगिक नीति को आगे बढ़ायेगा इन नीतियों के अब तक के कार्यान्वयन से लोच तथा निजी क्षेत्र विशेष रूप से विदेशी क्षेत्र की भूमिका के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। प्राधिकारी इस बात पर हैरान हैं कि पहले वाली दिशा में परिवर्तन क्यों किया गया है ..."

यह एक महत्वपूर्ण बात है। यह मुद्दे का पूर्ण आकलन नहीं है। इसकी पुष्टि प्रो० मधु दण्डवते द्वारा कहे गए शब्दों से हो जाती है। 1956 के औद्योगिक संकलन तथा उसके बाद किसी भी रूप में आपने जो कुछ कहा है उस सब को आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से करार करके समाप्त करने जा रहे हैं। सम्पूर्ण प्रक्रिया को बदला जा रहा है। बैंक कहता है "प्राधिकारी इस बात पर हैरान हैं कि जिन नीतियों से घरेलू या देशी बाजार निर्यात से अधिक आकर्षक हो गया था उनमें परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। स्टाफ को विश्वास है कि यद्यपि इसका आलोचनात्मक महत्व है फिर भी इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए। इस प्रकार एकाधिकार-रोधी तथा अन्य विनियमनों, अनुमोदन प्रक्रियाओं और लाइसेंस संबंधी उपबन्धों को वस्तुतः निर्यात के लिए समाप्त कर दिया गया है जबकि अधिकांश उद्योगों के मामले में इन्हें नरम कर दिया गया है। पिछली नीतियों से हटने की एक उल्लेखनीय मिसाल यह है कि देशी या घरेलू उद्योगों की आधुनिकीकरण की आवश्यकता को प्रोत्साहन देने के लिए आयतित प्रौद्योगिकी को और भी उदारता से स्वीकृति दी जा रही है।" अतः उद्योगों संबंध में, कृषि के संबंध में, राज्य सहायता के संबंध में पिछली कार्यकुशल सरकार ने संसद में राष्ट्रीय नीति के रूप में जो कुछ भी स्वीकार किया था उससे हटाया जा रहा है क्योंकि आप को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5 अरब का विशेष आहरण अधिकार चाहिए। यह नीतियों से दोहरा उलटाव है। इस सबके बावजूद वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बिना किसी शर्त के ले रहे हैं। परन्तु क्या मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वे किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप ने स्वयं कहा था कि शर्तें ये हैं। आपने ज्ञापन प्रस्तुत किया था। क्योंकि आपने सूचना दी थी इसलिए

आप जानते थे कि शर्तें ये थीं। परन्तु पिछले वर्ष के बजट से आप इसकी भूमिका बना रहे थे। मैं मैं 'लंदन इकनोमिस्ट' जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका को उद्धृत करता हूं।

> "कुछ सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कठपुतली कहलाने से इतना हिचकिचाती हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण की शर्तों के अनुरूप अन्दर ही अन्दर उपाय करने लगती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इन उपायों को मौन समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार के उपाय करने वालों में पिछले 18 महीनों में ब्राजील एक सुन्दर उदाहरण है। अभी हाल ही में भारत ने अपनी जानकारी अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण प्राप्ति के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा करना आरंभ कर दिया जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों से उत्पन्न राजनीतिक परिणाम को कम किया जा सके...।"

इस प्रकार वित्त मंत्री यह सब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे जानते थे कि शर्तें क्या हैं। बंगलादेश की भी यही स्थिति रही। श्री लंका, जमैका ब्राजील आदि की भी यही स्थिति रही। इन देशों में से किसी भी देश के अनुभव से इस बात का पता नहीं चलता कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण उन्हें परेशानी से अथवा पूर्ण तबाही से और उनकी अर्थ-व्यवस्था का दिवाला निकलवाने से बचाएगा। हमारी अर्थ-व्यवस्था का दिवाला निकलने से भी यह हमें नहीं बचा सकता। वित्त मंत्री जी ने कहा था "यदि आप तीन वर्ष पश्चात इस ऋण की मांग करते तो तब तक हमारा दिवाला निकल जाता।"

मैं कहता हूं तीन वर्षों के बाद दिवाला निकलने की बजाए उन्होंने हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गिरवी रख दिया होता। जो वस्तुतः संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग द्वारा चलाया जा रहा कोष है, अतः आप जब यह कहते हैं कि अमेरिका ने मतदान में भाग नहीं लिया और हमें अपना मत नहीं दिया तो अमेरिका के स्पष्ट विरोध को स्वीकार कर लिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में केवल अमेरिका को 'वीटो' का अधिकार प्राप्त है...

एक माननीय सदस्य : मत देने का बड़ा अधिकार।

श्री सुनील मैत्रा : यह 'वीटो' ही है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को वीटो का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका ने इस ऋण को वीटो नहीं किया इसका एकमात्र कारण यही है कि वह चाहता था कि भारत सरकार ऋण स्वीकार करे।

यह भी एक प्रकार की योजना ही थी जो भारत सरकार अमरीकी लोगों, जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एजेंट हैं, के बीच एक वातानुकूलित कमरे में गुप्त रूप से बनाई गई थी। इसलिए वित्त मंत्री महोदय हमें सब्ज-बाग दिखा रहे हैं।

इन सभी शर्तों के साथ, हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को अमरीकियों के माध्यम से गिरवी रख लिया जायेगा। यदि हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को गिरवी रख लिया जाता है तो हमारी गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति का क्या होगा? एक समय ऐसा आयेगा जबकि हमारी राजनीतिक प्रभुसत्ता खतरे में पड़ जाएगी और सभी जब यह सब होगा तो राष्ट्र संघ में और अन्तराष्ट्रीय मंचों पर हमारे लिए अपना सिर ऊंचा करना असंभव हो जाएगा और हम उनके सामने यह न

कह सकेंगे कि हम तीसरे विश्व के अंग हैं और अन्य तीसरे विश्व के अन्य देशों के साथ, हम भी अच्छे विश्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि 5 अरब रुपये के इस विशेष आहरण अधिकार ऋण के कारण आज इस देश को उस ऋण में फंसाया जा रहा है जो कि अन्ततः न केवल हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को खतरे में डालेगा अपितु इससे हमारी राजनीतिक प्रभुसत्ता भी खतरे में पड़ जाएगी। अतः हम इस समझौते का पूर्णरूपेण विरोध करते हैं।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विपक्ष के भाषण रुचि से सुने हैं। वे तो ऋण स्वीकृत किए जाने से पूर्व भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण का विरोध करते आए हैं। कलकत्ता के 23 अर्थशास्त्री, कलकत्ता के 23 बुद्धिमान लोगों ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री श्री अशोक मित्रा के कहने या निवेदन एक बैठक की...(व्यवधान)... वे ऋण की आलोचना करते रहे हैं। उनको केवल दो प्रमुख आपत्तियां हैं। प्रथम तो यह है कि यह ऋण अभी न लिया जाए और दूसरी यह कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो शर्तें लाएगा उनकी स्वीकृति से देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को समर्पण समझा जाएगा।

भुगतान संतुलन संकट की ओर इससे किस प्रकार छुटकारा पाया जाये, इसकी गम्भीर स्थिति हमारे सामने है। विपक्ष ने उधार लेने के सिवाय किसी अन्य वैकल्पिक स्रोत का सुझाव नहीं दिया है। हमें यह चुनाव करना होगा कि हम किस से उधार लें—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से या वाणिज्यिक ऋण ले या यूरो डालर बाजार से ऋण लें। अब जो शर्तें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लगाई हैं वे कोई भारी नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण के ब्याज की दर केवल 10.40% ही है जबकि वाणिज्यिक उधार 18 प्रतिशत और उससे अधिक पर मिलेगा। (व्यवधान)

अतः, इसके अतिरिक्त वापस लौटाने का समय भी बहुत कम होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें हमें संकट से उभरने के लिए सहारा दे रही हैं।

मुझ से पहले बोलने वाले श्री मित्रा ने यह कहा है, "आप किस प्रकार इसको लौटाएंगे।" हम इस राशि को अगले वर्ष लौटा देंगे। ऐसी हमें आशा है। लेकिन हमें समुद्री तट से दूर अधिक तेल मिल रहा है। 1,000 करोड़ रुपये तक हमारा तेल का आयात घट सकता है। दूसरे हमारी अर्थ-व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। अतः हम ऋण की अदायगी के कार्यक्रम को पूरा कर सकेंगे। तीसरे इसको किश्तों में लौटाना है। 1980-81 में हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 80 करोड़ रुपये का ऋण लिया। अब पहली किश्त 90 करोड़ रुपये की है। विशेष आहरण अधिकार ऋण की दूसरी किश्त 1982-83 में लगभग 120 करोड़ रुपये की होगी। तीसरी किश्त हो सकता है हम उधार ही न लें। ऋण तो स्वीकृत हो चुका है लेकिन हम पर ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि हम सारे ऋण को अवश्य लें। अब मैं यह बताऊंगा कि शर्तें कठिन नहीं हैं। हिसाब लगाने की तारीख स्थिगित कर दी जाती है। प्रत्येक ऋण के मामले में हिसाब लगाने के दिन को स्थिगित कर दिया जाएगा। वाणिज्यिक ऋणों के मामले में भी हिसाब लगाने के दिन स्थिगित किया जाता है। कोई भी ऋण थोड़ा समय देता है।

क्या हमने अपनी प्रभुसत्ता का समर्पण कर दिया है? शर्तें क्या क्या हैं? उन्हें कोई नई नीतियां लिखवाई नहीं गई हैं। जो नीति हमने छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाई थी, वे ही हमने उनको भेजी हैं और वे उन्होंने स्वीकार कर ली हैं। उन्होंने तो केवल उन्हें दोहराया भर है।

हम निजी क्षेत्र में निवेश के बारे में या आयात को उदार बनाने अथवा अपने देश में बहु राष्ट्रिकों को आने की अनुमति देने के बारे में अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। आयात को सीमित किया जाएगा और चुनिंदा क्षेत्र में होगा और जो कोई भी प्रौद्योगिकी हम आयातित करते हैं वह आधुनिकतम प्रौद्योगिकी होगी अथवा कम्पयूटर प्रौद्योगिकी हो सकती है जो कि निर्यात का माल तैयार करने में पूर्णतया काम में लाई जाएगी। आज निर्यात अत्यन्त प्रतिस्पर्धी हो गया है। जब तक हम तैयार मामले के बारे में पश्चिमी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नही कर सकते, तब तक हमारे लिए निर्यात बाजार में प्रतियोगिता में टिके रहने का कोई अवसर नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप डीजल इंजन लगाकर मारुति कार का निर्यात क्यों नहीं करते हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : ऐसा समय भी शीघ्र आयेगा जब हम डीजल इंजन लगाकर मारूत कार का निर्यात करेंगे। अब डीजल के इंजन वाली कारें उपलब्ध नहीं है।

(व्यवधान)

इसके बाद, प्रो० दण्डवते ने कहा था कि राज सहायता को समाप्त कर दिया जाएगा। योजना दस्तावेज में भी यह कहा गया है :

"माल की वृद्धि में उपलब्ध करने के लिए कुछ राज सहायता दरों में भारी कटौती करना आवश्यक है।" आदि। ऐसी बात नहीं है कि राज सहायता अभी समाप्त कर दी जाएगी। खाद्यान्नों को आर्थिक सहायता दी जाती है और उर्वरकों को भी। कुछ समय तक तो ये आर्थिक सहायताएं चलेगी। समय आने पर इसमें कमी दी जाएगी।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : कीमतों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री जगन्नाथ राव : सिंचाई की दर बहुत कम हैं। राज्य सरकार तो सिंचाई के निर्माण कार्यों के रख रखाव की लागत को भी वहन नहीं करती है। हमें सिंचाई दरों में वृद्धि करनी पड़ेगी। हमें बसों के किराये बढ़ाने पढ़ेंगे। परिवहन निगम घाटे में चल रहे हैं।

सभापति महोदय पीठासीन हुए

बिजली की दरें बढ़ानी ही पड़ती हैं क्योंकि बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। योजना प्रलेख कहा गया है कि उन्हें कम से कम दस प्रतिशत लाभ होना चाहिए ताकि वे सक्षम इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। अन्यथा आप घाटे को कैसे पूरा करेंगे ? लागातार घाटे में इन्हें चलाने का कोई औचित्य नहीं है। योजना प्रलेख में यही नीति निश्चित की गई है। यह नीति नहीं है और न ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई कोई नई शर्त है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में हमें भयभीत नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सरकारी व्यय कम किया जाएगा। बेकार और अनुत्पादक सरकारी व्ययों को कम किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सहित प्रत्येक राज्य सरकार रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट ले रही हैं। क्या यह सुझाव देना गलत है कि आप ओवरड्राफ्ट लेना बन्द कर दें और

आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें ? यह एक अच्छी सिफारिश है जैसा कि स्वयं योजना प्रलेख में कहा गया है। यह सरकार की नीतियों में से एक है।

फिर ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की बात आती है। विपक्ष सहित सभी इससे सहमत हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था को कम किया जाए। घाटे की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। बैंक ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए ताकि नकदी का लेन-देन कम किया जा सके। छठी योजना प्रलेख में ये सब बातें सम्मिलित हैं। यहां पर कोई बात नहीं है। इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारी नीतियों को स्वीकार कर लिया है... (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप उल्टी बात कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : उन्होंने हमारी शर्तें स्वीकार कर ली है। ऋण के लिए अनुरोध पत्र के साथ वित्त मंत्री द्वारा भेजे गये नोट में इन सब बातों को दोहराया गया था और उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया है। इसका अर्थ यह है कि वे हमारी नीतियों से सहमत हैं।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्र पाड़ा) : वह प्रलेख कब तैयार किया गया था ?

श्री आर० वेंकटरामन : आप उनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं ? मुझसे पूछिए।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ राव : छठी योजना मसौदे की ये कुछ चुनिन्दा बातें हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अनुरोध करने से पहले ही ये सब बातें तय कर ली गई थीं। यह प्रलेख पिछले सत्र में सभापटल पर रखा गया था। यह कोई नई चीज नहीं है जिसे प्रस्तुत किया गया है।

इसलिए हमें इस ऋण को निष्पक्ष दृष्टि से देखना चाहिए। पहली बात यह है कि : क्या हम इस ऋण को लिए बिना अपना काम चला सकते थे ? दूसरी इतनी बड़ी ऋण राशि की स्वीकृति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तें क्या दुःसह हैं ? क्या वे देश की प्रभुसत्ता के विरुद्ध हैं ? क्या हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास अपनी प्रभुसत्ता को गिरवी रख दिया है ? ऐसा कुछ नहीं है ऋण पर कोई शर्त नहीं है, कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उन्होंने जो शर्तें निर्धारित की हैं वे केवल वही नीतियां हैं जिन्हें हम पहले अपना चुके हैं...

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मुझे खुशी है कि आप इसकी इस प्रकार व्याख्या कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : हमारी नीतियां पहले ही से योजना प्रलेख में हैं। मैंने छठी योजना से पढ़कर सुनाया है। वित्त मंत्री या किसी अन्य द्वारा निर्धारित किया गया यह कोई नया वक्तव्य नहीं है। वित्त मंत्री ने जो कुछ पहले कह दिया है उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने अपने प्रारंभिक भाषण में विपक्ष की दलीलों का उत्तर दे दिया है। इसलिए उनके पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं है। वे उन्हीं बातों को दोहरा रहे है। इसी प्रकार हमें भी वही बातें दोहरानी हैं।

इसलिए, महोदय, हमारे राष्ट्रीय सम्मान को क्षति नहीं पहुंची है। सरकार ने ऐसा नहीं किया है जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान या प्रभुसत्ता के विरुद्ध हो। सरकार के पास ऋण लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था जिसे मैं 'उदार ऋण' कहूंगा। इससे हमें सुविधा मिलेगी।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस सुविधा से हम आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे। हमें यह निश्चित करना चाहिए कि अर्थव्यवथा सुधरे, हमारी आर्थिक नीतियों को जोरदार तरीके से कार्यान्वित किया जाए और राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बेकार के व्यय को राका जाए...

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हमारी धारणा है कि यह सुविधा कठोर है और मंत्री महोदय उदार हैं।

श्री जगन्नाथ राव : देखने में वह नरम लगते हैं पर हैं बड़े कठोर व्यक्ति। वह लौह पुरुष हैं। मैं उन्हें 20 वर्ष से अधिक समय से जानता हूँ। इसलिए, महोदय, दोहराए या असंगत हुए बिना मैं वित्त मंत्री और सरकार को इतना अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूँ और मैं यह भी कहूँगा कि सरकार यह सुनिश्चत करे कि हमें इस ऋण के दूसरे भाग को लेने के लिए विवश न होना पड़े। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि हमारी अर्थ-व्यवस्था ठीक चलती है, जैसा कि हमारा विचार है यह ठीक चलेगी तो फिर ऋण की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः वित्त मंत्री को बधाई देते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन और स्थानापन्न प्रस्तावों का विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : श्री बीजू पटनायक।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह हमारा लौह पुरुष था।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्र पाड़ा) : मेरे मित्र श्री वेंकटरामन एक अच्छे ब्राह्मण हैं और वह संस्कृत भली भांति समझते हैं। मानसिक रूप से मैं उनसे सहमत हूँ जब उन्होंने आश्चर्य-जनक सिद्धांत की उद्घोषणा की :

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्
ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्

इसका अनुवाद यह है : जितना समय आप जीवित रहना चाहते हैं सुख से जीओ। चाहे आपके पास धन हो और यदि आप शुद्ध घी, हरियाणा घी खाना चाहते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले लीजिए...

सभापति महोदय : आप अन्तिम पंक्ति का उल्लेख नहीं करते ?

श्री बीजू पटनायक : वह भिन्न बात है।

सभापति महोदय : भस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्जन्मं कुतः।

श्री बीजू पटनायक : अतः वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किसी देश को दिए ऋण से अधिक ऋण लेने पर बधाई लेना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका उनके वित्त सचिव तथा अन्य सभी का नाम अब तक का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय ऋण लेने के लिए "गिन्नी बुक" में लिखा जाएगा।

जब, इस तरह के ऋण के गुणों का बखान स्वयं वित्त मंत्री ने किया है और उसके अवगुण विपक्षी नेताओं ने बताए हैं। इस मामले के गुण बताते समय वित्त मंत्री ने; से जान बूझकर नहीं

कहूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है वह ईमानदार व्यक्ति हैं,—परन्तु अनजाने में कुछ आंकड़े दिए थे जिन्हें मैं उनकी जानकारी के लिए ठीक करता हूं।

वित्त मंत्री ने कहा है कि इस ऋण पर औसत 9%ब्याज···

श्री आर० वेंकटरामन : 10%

श्री बीजू पटनायक : नहीं आपने 9% कहा है। यदि आप रिकार्ड देखें तो आपने 9% कहा था। परन्तु यह 10% से भी अधिक होगा; यदि आप 48% पर 6.25% लें और 52% 14% लें तो यह 10% से अधिक बैठेगा।···(व्यवधान)···आपने कहा कि इसमें घट-बढ़ हो सकती है क्योंकि यह उधार लिया गया धन है। 52%लगभग बाजार उधार है, जिसके लिये विश्व बैंक ने जमानत दी है कुछ भी हो यह बाजार उधार ही है।

कड़ी-से-कड़ी शर्त पर यह उधार लेना आवश्यक और अनिवार्य है आपने कुछ हद तक इस संसद यह कहकर गुमराह करने का प्रयत्न किया कि क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्य तेल उत्पादक और निर्यातक देशों के तेल के मूल्य बढ़ गए हैं। आइये हम इस बात की विवेचना करें कि वास्तव में बढ़ा क्या है।

आपने स्वयं ही ये आंकड़ें दिये हैं कि 1978 के स्थिर मूल्यों से तेल के मूल्य 1979-80 तथा 1981 के आरम्भ में बढ़े। अब वह मूल्य क्या था जो बढ़ा ? 1978-79 में हमारा आयात बिल 1,677 करोड़ रुपये था और 1980-81 में लगभग 5,500 करोड़ रुपये का था। आपने में आंकडे दिए थे। 1978-79 और 1980-81 के बीच तेल का मूल्य 12% बढ़ गया। वित्त मंत्री जी, कृपया मेरे ये आंकड़े नोट कीजिए। ये वे आंकड़े हैं जो आपने विभिन्न प्रलेखों से दिए थे। 1978-79 के आयात बिल की तुलना में आपके आयात बिल में 33% की वृद्धि हो गई। इस अवधि में तेल मूल्य 12% बढ़ा। आपको इस सभा में इसका स्पष्टीकरण देना होगा क्योंकि आप बढ़ते तेल मूल्यों को अपना रक्षा कवच बना रहे हैं। मान लीजिए, आपका आयात बिल 120% बढ़ जाता है, तो आपके अकेले इस चालू वर्ष में ही 2,500 करोड़ रुपये बचा सकते हैं इस वर्ष के आरम्भ से ही आपको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 100 करोड़ रुपये का उधार लेने की आवश्यकता नहीं थीं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किए गये प्रलेख में आयात और निर्यात की दिशा निर्धारित की गई है जिसे स्पष्ट रूप से वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, प्रधान मंत्री और सम्पूर्ण भारत सरकार की स्वीकृति है प्रलेख में आपने कहा है कि 1979-80 में आपने 5,500 करोड़ रु० के मूल्य का तेल के अतिरिक्त आयात किया। आपकी योजना के अनुसार 1985-86 के लिए 14,000 करोड़ रुपये मूल्य का तेल के अतिरिक्त आयात करने का आपका अनुमान है। वित्त मंत्री महोदय, अधिक निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करने और आयात को कम करने के प्रयास से क्या आपकी सरकार का यही अर्थ है। आपके तेल मंत्री कहते रहते हैं कि 1983-84 में हम 300 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे होंगे।

मुझे आशा है कि उनके आंकड़ों को उद्धृत करके मैंने ठीक ही किया है। कल ही उन्होंने कहा था। कि यह गैस के रूप में लगभग 70 लाख टन हाइड्रो कार्बन के बराबर होगी। भारत में इसकी वर्तमान खपत 300 लाख है जबकि आप लगभग 160 लाख टन का आयात करते हैं।

जब आप 300 लाख टन का उत्पादन करने जा रहे हैं तो आपने 5,000, 5,500, 6,000 या 7,000 करोड़ रुपया विशेष आहरण अधिकार के अन्तर्गत तेल के वार्षिक आयात के लिए लेने का अनुमान रखा है ? क्यों ? मैं यह नहीं कहता कि आप आज ही अपने तेल के आयात को बहुत अधिक कम कर दें। आज आप इसको दस प्रतिशत कम कर सकते हैं। जिससे आप लगभग 1,000 करोड़ रु० बचा सकते हैं। आप अपनी कमर कस लीजिए आप जिस ढंग या तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसको देखिए। ब्रिटेन में युद्धकाल में एक बच्चे को एक महीने में एक बार भी एक अंडा नहीं मिल सका। यदि आप युद्ध की स्थिति में हैं और यदि मैं समझता हूं कि आप ऐसी आर्थिक स्थिति में हैं, तो आप तदानुसार अपनी कमर कस लीजिए। आप इसे यहां पर जितनी लाभप्रद चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं यह उतना उत्पादन शील साबित नहीं होगा। क्योंकि यह देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। यहां 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। मैं यह आपने जो आँकड़े दिए हैं उनके अनुसार कह रहा हूं। इन 40 करोड़ लोगों को तीन दिन में दो दिन कुछ कलोटी रहित खाना मिल पाता है तथा वर्ष के 100 दिन वे भूखे रहते हैं। उनके घरों ने महिलाओं को मुश्किल से घर में एक कपड़े का टुकड़ा पहनने के लिए प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री जी आप न केवल राष्ट्र के लिए एक भारी ऋण राशि का आयात कर रहे हैं अपितु उसके साथ शर्तों को भी ला रहे हैं। जिन्हें आप स्वीकार कर चुके हैं। हमारी तुलना में इससे धनाढ्य देशों को ही अधिक लाभ होगा। ऐसी बात नहीं है कि वित्त मंत्री को जानकारी नहीं है। उनको ज्ञान है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के ऋण के कारण बंगला देश में क्या क्या हुआ। उनको पता है कि अफ्रीकी देशों में क्या हुआ। उनको यह भी मालूम है कि मैक्सिको तथा ब्राजील ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण क्यों नहीं लिया। उन्होंने बाहर से 160 से 170 लाख डालर तक का उधार बाजार से लिया। निश्चित ही ऐसी बात नहीं है कि वे मूर्ख हैं और हम ही केवल बुद्धिमान हैं। हमारे जैसी पुरानी ब्रिटिश कालोनियों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से उधार लेने के विचार को छोड़ दिया। मैं श्री नैरेरे जैसे नेता को केवल उद्धृत कर रहा हूं। उनका इस पर क्या कहना था यह इस संसद में नोट किये जाने के योग्य है। यह उन्होंने तन्जानियां को जाने वाले राजनायिकों से बात करते समय 1980 में ही कहा था। मैं उद्धृत करता हूं : "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपनी किसी भी सुविधा का प्रयोग करने के लिए शर्तें लगाता अतः हमें उम्मीद थी कि कुछ शर्तें लगाई जायेंगीं क्या हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित निधि सुविधाओं का प्रयोग करने की इच्छा रखनी चाहिए। परन्तु हमें आशा थी कि ये शर्तें विचाराधारात्मक नहीं होंगी और इस बात को निश्चित करने से सम्बधित होंगी कि उधार दिया गया धन बेकार न किया जाय। राजनैतिक नेताओं या नौकरशाही द्वारा अपनी जेब में न लगाये जाने तथा देश में या विदेश में व्यक्तिगत बंगला बनाने में प्रयोग न किया जाये या स्विस बैंक के गैर सरकारी खातों में जमा न कराया जाए।"

"हमें यह भी आशा थी कि हमसे यह भी पूछा जा सकता था कि हम मध्यम या लम्बी अवधि की समस्याओं से निपटने के लिए कैसी योजना बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम शर्तों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते थे परन्तु हमने तीव्र और सार्वजननिक प्रतिवाद करना आवश्वक नहीं समझा।

"तन्जानिया केवल इस कारण से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने के लिए तैयार नहीं है

कि यह हरेक वस्तु के लिए एक परम्परागत मुक्त बाजार समाधान है जिसमें हमारी अपनी स्थिति की उपेक्षा की गई है यह ऐसे उपाय सुनिश्चित करने के लिए हम अपने उस अधिकार को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं हैं। जिसमें हमें कहा जाय कि हम सौंदर्य प्रसाधनों की बजाय कुनेन का आयात करें, तथा विशिष्ठ वर्ग के लिए कारों के बजाए बसों का आयात करें।"

"मेरी सरकार प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देने, आधारभूत दवाएं उपलब्ध करने और अपने सभी लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करने के राष्ट्रीय प्रयत्न को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय व्यय में कटौतियां करनी पड़ सकती हैं। और न ही हम इसका गरीबों पर पड़ने वाले प्रभाव की अनदेखी कर केवल इस कोष कर निर्भर रह कर मुद्रा स्फीति तथा कमियों से निपटने के लिए तैयार है।"

"हो सकता है कि हमारा मूल्य नियन्त्रण व्यवस्था विश्व में सबसे अधिक प्रभावशाली न हो परन्तु हम मूल्य नियन्त्रण को त्यागेंगे नहीं। हम केवल इसको और अधिक कार्य कुशल बनाने का प्रयत्न प्रयत्न करेंगे सबसे पहले एक समाजवादी समाज की रचना के अपने प्रयत्नों को जारी रखेंगे।"

जमाइका के दूसरे प्रधान मंत्री ने भी अपना दृष्टकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने पहले आठ या दस वर्षों तक अच्छा कार्य किया। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर मुसीबत में पड़ गये। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इस ऋण के लिए करार हो चुका है। उन्होंने कहा है :

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की नीतियां विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा और उसके लिए तैयार की गई हैं और किसी भी प्रकार की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त हैं।" इसको याद करना हमारे लिए लाभकारी है। वित्त मंत्री जी जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी प्रत्येक तीन महीने के बाद नई दिल्ली में आपकी गर्दन पकड़ेंगे और अपनी शर्तों का अनुपालन करवायेंगे जिस दिन आपने इस ऋण के लिए करार किया।

मैं उनको और आगे उद्धृत करता हूं "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशों पर किसी लाभदायक आर्थिक परिणामों की सम्भावना तथा लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए समाज कल्याण के प्रावधानों की पर्याप्त आधाराशिला के बिना लगाई गई कठोर शर्त इन देशों को सहन करनी पड़ती है।"

मैं इसको विस्तार में नहीं बताऊंगा अब यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष क्या है ? यह संयुक्त राष्ट्रों या सदस्य देशों जिन्होंने इस कोष में योगदान दिया है की इच्छा से बना कोष है यह कोष एक बैंक की तरह है। यह कुछ शर्तों पर धन देता है। यह कहता है कि आप मेरा धन ले लीजिए तथा इसको निश्चित अवधि में लौटा दीजिए। यदि आप समझते हैं कि आप कुछ जन सेवाएं करने जा रहे हैं, यदि आप सोचते हैं कि 500 करोड़ रु० बम्बई में जल की व्यवस्था के किए खर्च किये जाने चाहिए। 600 करोड़ रु० कलकत्ता में एक भूमिगत रेलवे के लिए खर्च किये जाने चाहिए या आप अपनी इच्छा अनुसार कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं तथा और उसमें होने वाली हानि की पूर्ति के लिए 1500 करोड़ खर्च कर देते हैं, तो अब वित्त मंत्री जी आप ये सब खेल खेलने में सफल नहीं होंगे आप एशियाई खेलों पर एक हजार करोड़ रु० खर्च नहीं कर सकेंगे। सूचना

मंत्री रंगीन दूर दर्शन बनाने जा रहे हैं—ये सब बहुत सुन्दर वस्तुयें हैं। परन्तु किसके लिए ? भारत की कुछ जन-संख्या के 10% के लिए जबकि 40 करोड़ लोग भूखों मरेंगे। ये ही वो व्यक्ति हैं जो बिना कपड़े तथा बिना घर है तथा अस्वास्थकर हालतों में रह रहे हैं। गांधीजी तथा नेहरू के दिन कहां हैं ? 1953 में भी यही हुआ था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने क्या किया था ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैसी ही शर्तें लगाने का प्रयत्न किया था। नेहरु जी ने ऋण लेने से इंकार कर दिया फिर भी वे विश्व में गये तथा साथ ही हमारे यहां तीन इस्पात संयंत्र लगाये।

आपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रस्तावना सम्बन्धी भाषण में कहा था कि लगभग 6000 लाख डालर जो आपने यूरो-डालर बाजार से लिया है इस 1.4 अरब विशेष आहरण अधिकार के अन्तर्गत नहीं आते। परन्तु आपने यह उल्लेख नहीं किया कि परादीप इस्पात संयंत्र का क्या होगा जिसके लिए आपको 25000 लाख डालर से अधिक ऋण लेना है। यदि यह 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए ऋण है तो यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता। क्या परादीप इस्पात परियोजना सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगा ?

विजय नगर में मैसूर इस्पात संयंत्र का क्या होगा। क्या कोई दूसरा यूरोपीय दल ऋण देने की प्रतीक्षा कर रहा है ? क्या आप उस ऋण को स्वीकार कर लेंगे ?

यदि आप उसको नहीं लेते तो क्या आप देश का उचित विकास करने के लिए, देश का आन्तरिक विकास करने के लिए तथा देश निर्यातों को विकसित करने के लिए करोड़ों इस्पात का आयात करते जाने का विचार करते हैं वित्तमंत्रीजी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आप जो राज सहायता दे रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह मालूम होगा। कुछ निर्यातों पर आप जो राज सहायता दे रहे हैं उनका आपको ज्ञान होगा। मैं पिछली सरकार के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं जब कि यही प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री थीं। उस निर्यात मोर्चे को क्या हुआ ? उस समय एक बड़ा नारा था 'निर्यात करो या मरो'—ऐसी बात थी। "1972-73 से 1976-77 तक पांच वर्षों में हमारी निर्यात की कमाई प्रति वर्ष 20% से भी ज्यादा बढ़ी।" परन्तु यह एक भ्रामक बात थी। मैं अभी आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं ऐसे बहुत से मालले हैं जहाँ पर इन सुविधाओं का घोर दुरुपयोग किया गया। एक मामले में एक निर्यात को कुल कमायी गयी विदेशी मुद्रा की 118% सरकारी सहायता दी गई थी तथा दूसरे मामले में यह 146% थी। एक दूसरे में यह 250% थी। एक विशेष मामला है जहाँ पर केवल 4000 रु० की विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिए 1.15 लाख रु० दिये गये जिसका मतलब है 2, 875% की राजसहायता/राजसहायताओं का खेल इस प्रकार से चल रहा है। क्या आप इस प्रकार के घोटाले को रोक सकते हैं ?

अतः आपके पास दो विकल्प हैं। अपने बढ़ते हुए आयात बिलों की अदायगी के लिए जो कुछ भी मिले, उसके लिए इस निर्यात घोटाले को चालू रखिए। यहाँ तक कि तेल से भिन्न बिलों के लिए भी, जो कि 1979-80 में 5000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1985-86 में 14,000 करोड़ रुपये के हो जायेंगे और आनुपातिक रूप से अपका निर्यात कम होता जायेगा। अतः उस अवधि के अन्त तक जब से आरम्भ होगी आपकी ऋण की अदायगी आपका घाटा 6,000 करोड़ रुपये का होगा जिस वर्ष में इस ऋण की अदायगी आरम्भ होगी ब्याज की दर 500 करोड़ रुपये से लेकर 700 करोड़ रुपये वार्षिक होगी। अतः या तो आपको नकद सहायता देनी होगी, जिसका अर्थ होगा कि अपनी विदेशी देनदारियों को पूरा करने के लिए, अपने निर्यात वायदों को पूरा करने

पर सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ेगा अथवा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करोगे जैसा कि आपने कुछ वर्ष पूर्व निर्यात को रुपये में लाभप्रद बनाने के लिए पर्याप्त अवमूयल्न किया था। अतः, निर्यातकों के लिए आप ये डालर कमाने हैं और जब आप डालर के मुकाबले अपने रुपए का अवमूल्यन करते हैं जो कि इस अन्तर को पूरा करने के लिए हमारी स्थानापन्न मुद्रा है, तो इससे निर्यातकों डालरों के बदले अधिक लाभ होगा। स्वयं आपके विवरण के अनुसार हम पहले ही 15 प्रतिशत घाटे में हैं। यहाँ आने से पहले, मैंने आज डालर का मूल्य राज-कोष से पता किया है। इसका मूल्य 9 रुपये 80 पैसे था जो कि पहले ही 18 प्रतिशत ऊंचा है। अतः 5.6 बिलियन डालर—एस० डी० आर०—की इस राशि का आपका अदायगी मूल्य रुपये में पहले ही 18 प्रतिशत बढ़ गया है। निर्यात अलाभप्रद होते जा रहे हैं। इस प्रकार निर्यात बढ़ेगा नहीं घटेगा। आपको अधिक राज-सहायता देनी पड़ेगी, जो कि 5,000 से लेकर 10, 000 करोड़ रुपये तक हो सकती है। निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको लगभग 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक राजसहायता का प्रबन्ध करना होगा और जैसे-जैसे, वित्त मंत्री महोदय, आपको बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, आप वित्तीय सिद्धांतों, नियमों को ताक पर रख कर, काला-धन सफेद-धन और जैसे-तैसे अन्य सभी स्रोतों से राजस्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। और यदि इस सबकी भी अनुमति दी जाती है तो भी आप उस स्थिति को नहीं पहुंच पाते हैं। आप आरम्भ करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं नहीं समझ पाता कि इन्हें हो क्या गया है, अन्यथा एक अत्यन्त ही रुढ़िवादी व्यक्ति, इस प्रकार की उछाल लेने से पहले हर पहलू को तौलकर अवश्य ही देख लेता? 1961-62 में—मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं—आप तब अपने राज्य में मन्त्री थे। उसके पश्चात आप योजना-आयोग में आए और आपके समक्ष समग्र देश का चित्र था। उस समय नियन्त्रणों और विदेशी मुद्रा की क्या स्थिति थी? उस समय स्वर्ण नियन्त्रण लागू था, भारी अनुपात में आयात नियन्त्रण था तथा पंडित नेहरु के तत्वाधान में आयात प्रतिस्थापन के लिए आन्दोलन चलाया जा रहा था। आयात प्रतिस्थापन के लिए सभी विज्ञान प्रयोगशालाओं को तथा हमारे राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों सभी को आयात प्रतिस्थापन के काम में जुटा दिया गया था। सभी राष्ट्रों ने इसी प्रकार प्रगति की है। जापान ने केवल अनुकल्पों के आधार पर ही उन्नति की है। उसने मशीन का आयात नहीं किया, परन्तु आदमियों को मंगाया मशीनें नहीं। उसने ड्राइंग की खरीद की उपकरणों की नहीं। वित्त मंत्री महोदय आप सरल विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं? आप गत 40 वर्षों से सार्वजनिक सेवा में हैं। जब गांधी जी ने यह कहा था कि हम चर्खे से काम चलायेंगे और लंकाशायर से माल की खरीददारी नहीं करेंगे, उसी समय से आप सार्वजनिक सेवा में रत हैं। अब आप हमें ले कहाँ जा रहे हैं, और किसलिए और क्यों? यह किसके लाभ के लिए किया गया है? क्या यह हमारे देश के 10% लोगों के लिए किया गया है? इस ऋण का लाभ आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? कृपया हमें यह बताइये।

उत्पादन में काम आने वाली सभी चीजों के दाम बढ़ जायेंगे। परन्तु आप खाद्यन्नों के भाव नहीं बढ़ा पायेंगे। यहाँ तक कि जो आर्थिक सहायता आज आप दे रहे हैं अर्थात खाद्यान्नों के लिए जो राज-सहायता आप उपभोक्ता को दे रहे हैं—उसकी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आलोचना करेगा और वे कहेंगे कि चूंकि आप ऋण की अदायगी नहीं कर सकते, अतः इस प्रकार की राज-सहायता बन्द कीजिए,। वे ऐसा अवश्य कहेंगे। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय कोष है और उसे

अपने धन की अदायगी अवश्य होनी चाहिए। आपने इस बारे में तो सभी बातें बताई हैं कि आपकी इस ऋण की क्यों आवश्यकता हुई, परन्तु इस बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा कि आप इसकी अदायगी कैसे करेंगे। यदि 1979-80 से लेकर 1985-86 तक शोधन सन्तुलन की स्थिति के परिपेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने की यही रूपरेखा है (जिससे मैं पढ़कर सुना रहा हूं), जिसे आपने स्वीकार किया है तो आपने तोते की तरह अभिनय क्यों किया है ? आपने अपने तेल और तेल से भिन्न दोनों ही उत्पादों के आयात को 1979-80 के 8500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1985-86 तक 21000 करोड़ रुपये कैसे कर दिया है ? आपका कहना है कि आप 300 लाख टन तेल और 70 लाख टन गैस पैदा करने जा रहे हैं; आप अपने इस्पात संयन्त्र अल्मूनियम संयन्त्र और लगाने जा रहे हैं, आपने पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादन के लिए पहले से ही कदम उठाए हैं अथवा पर्याप्त संख्या में बिजली घर स्थापित किये हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन होगा और कोयला आदि के क्षेत्र में विकास में सहायता मिलेगी। आपने 21000 करोड़ के आयात की इस रकम को क्यों स्वीकार किया क्या आप स्पष्ट करेंगे ? आपने इस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया है ? योजना आयोग ने भी इस प्रस्ताव को क्यों और कैसे स्वीकार किया ? आपकी कड़ाई की नीति कहाँ गई ? यदि आप इस तरह ऋण ले रहे हैं जैसा कि पोलैण्ड जैसे कुछ देशों ने लिया था तो आप घाटे में रहेंगे। जब-जब भी इसकी अदायगी करनी होगी उसका भुगतान करने के लिए आपको और अधिक ऋण लेना होगा। उस स्थिति में भारी मुद्रास्फीति होगी। इसी प्रकार मुद्रा की निश्चित ही अपस्फीति होगी। आप इससे किस डालरों में प्रकार बच सकते हैं ? जितनी ही अधिक रुपये की अपस्फीति होगी, उतना ही अधिक भुगतान के लिए देश को रुपया जुटाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ेगी। इससे पहले एक डालर आठ रुपये के बराबर था, आज यह 9 रुपये 80 पैसे के बराबर है और अगले तीन वर्षों में यह इस दर पर 15 रुपये के बराबर हो जायेगा। हमारा राष्ट्र पहले भी भीख माँगता रहा है तो क्या हमें यह सब इसी तरह करते रहना चाहिए ? आज मैकनमारा थोड़े ही बैठे हैं जो कि तीसरी दुनियां के बारे में सोचते थे। वहां अब कोई श्री क्लाउस्यू हैं जिन्हें गरीब लाखों लोगों की कोई परवाह नहीं है। वह तथा उनके वर्ग को कोई रुचि नहीं है, वे तो एक दूसरी ही दुनियां में रहते हैं।

कृपया इस सदन को विस्तार से यह बताइये कि इन चालीस करोड़ लोगों को और मुसीबत में डाले बिना आप इस ऋण की अदायगी कैसे करेंगे। जो अगले पांच वर्षों में बढ़कर पचास करोड़ हो जायेंगे क्योंकि उनके विकास का कोई आसार नहीं हैं और उनके लिए निवेश की भी कोई सम्भावना नहीं है। कुछ क्षेत्रों में हम प्रयास कर सकते हैं परन्तु स्थिति लगभग वैसी की वैसी है। गरीबों की संख्या बढ़ रही है। भूख से पीड़ित तथा नंगे लोगों की संख्या वही है। बड़े उपभोक्ता तो केवल 10 से 15% लोग ही हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी, स्थाई सेवाओं के सदस्य तथा अन्य लोग ही हैं जो अधिक उपभोग करेंगे। आप तथाकथित यात्रियों के लिए देश भर में पंचतारा होटल खड़े कर लेंगे, परन्तु दशाब्दियों से, तीन पीढ़ियों से, 34 वर्षों से भूखों मरते आ रहे अपने लोगों के बारे में आपने क्या सोचा है ? हमें उनकी चिन्ता नहीं है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि इन चालीस करोड़ लोगों की हमें परवाह है तो आपको अपनी वित्तीय प्रणाली को बदलना होगा, परन्तु ऐसा लगता है कि इस देश में उनकी किसी को परवाह नहीं है आप

उनको बेवकूफ बनाइये और कभी-कभी हम भी उनका मत प्राप्त करके यहां आने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और यही हमारी कुल उपलब्धि है ।

वित्त मंत्री महोदय यदि आप हमको यह स्पष्ट कर दें कि आप देश को और अधिक कष्ट में डाले बिना सात वर्ष के अन्दर 1985-86 से किस प्रकार सही ढंग से इस ऋण की वापसी आरंभ करेंगे । आपके वायदे काफी नहीं हैं । हो सकता है हम उस समय यहां न हों परन्तु इन नवयुवकों को, मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं जिनको इस बात का पता ही नहीं है कि वे कैसा सौदा कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कहते हैं उस पर वे ताली बजाते जाते हैं और जो कुछ भी सरकार कहती है उससे वे अनभिज्ञ हैं । मुझे ईसा मसीह का यह कथन याद आ रहा है—उन्हें क्षमा कर दो क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं । प्रारम्भ में आपने बड़ा ही जीवन्त भाषण दिया था । हम यह नहीं मानते कि आपने उनके साथ सभी शर्तों पर विचार-विमर्श किया है । मेरे विचार से आपने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया है कि हम आपकी शर्तें स्वीकार कर लेंगे, हमें आपकी शर्तों का अनुमान है और इससे पहले कि आप कहें कि जाइये हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं । "हमें इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें स्वीकार्य नहीं हैं ।" आपने कहा है । आपकी संसद जो कहती है आप वही स्वीकार करेंगे । वेंकटरामन महोदय आज संसद कौन है ? फिर इस पर मतदान कराईये और आप जीत जायेंगे । जैसा कि सभी जानते आमतौर से आप संसद में ऐसा पहले भी कर सकते थे । आपने इस पर संसद में चर्चा कराई होती हैं और कहते संसद में इस पर मतदान हुआ है । यह मेरी नीति है । मैं बाहर बहु-राष्ट्रीय को और अन्दर एम० आर० टी० पी० की उन्नति के लिए आयात को उदार बनाऊंगा । उद्योगों को उत्पादन वृद्धि दिखानी चाहिए जिससे लघु-क्षेत्र, लघुत्तम-क्षेत्र तथा छोटा-क्षेत्र समाप्त हो जाए । बढ़ई, राज और शिल्पकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया है । आप और क्या कर रहे हैं ? आप यह कह कर बहु-राष्ट्रीकों को ला रहे हैं कि आओ और हमारे यहां निवेश करो । वे किस पर निवेश करें ? गाड़ियां या टोकरियां बनाने पर ? वे कहां पर निवेश करें ? वे तो आधुनिकतम मशीनों, रंगीन टेलीविजन आदि पर ही अधिकाधिक निवेश करेंगे । आपने अपनी कुशलता दिखा दी है । अब रेलों ने आई० बी० एम० को अपना लिया है । आई० बी० एम० से पहले वे गाड़ियां अच्छी तरह चलाते थे । अब उन्हें इनके अनुरक्षण के लिए आइ० बी० एम० चाहिए । निश्चय ही हमें यह सब चाहिए क्योंकि वे सब चीजें रंगीन चमकीले पत्थरों के रूप में हमारी आंखों के सामने झूल रही हैं । उनका कहना है कि वे चमकीले हीरे हैं परन्तु वे वास्तव में हीरे नहीं है । क्या देश को यह सब चाहिए ? मेरा उत्तर निश्चय ही नहीं है । मेरे देश को आवश्यकता है कि चालीस करोड़ भूखे लोगों को कम मिले और वे अपनी जीविका के लिए कुछ कमा सकें तथा जनता के उपभोग की वस्तुएं भी तैयार कर सकें ।

वित्त मंत्री महोदय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 5,000 करोड़ रु० की इस छोटी सी राशि से, जो प्रति व्यक्ति 80 प्रतिशत रु० से भी कम बैठती है, कैसे आप इस देश की समस्याओं को हलकर सकते हैं ? कोई भी राष्ट्र कोई कोष, बाहर का कोई भी बैंक इस देश की सहायता नहीं कर सकता है । इस देश को स्वयं काम में लगाया जाना चाहिए । आप एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ आप इस देश के सभी लोगों को ले जाकर कह सकते हैं कि मैं और आप स्वयं को काम पर लगायेंगे । क्या आपकी सरकार को जिसने चुनाव जीता है, अब भी जनता का नैतिक

विश्वास प्राप्त है और आप उन्हें काम पर लगा सकते हैं ? वित्त मंत्री महोदय आपकी सफलता का रहस्य उसी में छुपा हुआ है, इन ऋणों में नहीं 68 करोड़ लोगों द्वारा एक रुपये के प्रति मास अतिरिक्त उत्पादन से आपको पर्याप्त स्रोत मिल जायेंगे । अतः यदि आप वह सब कर लेते हैं तो देश की स्थिति स्वयं सुधर जायेगी और देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री महोदय अपने जो सरल विकल्प अपनाए हैं उनसे नहीं । हर जगह सरल विकल्प अपनाये गए हैं । आप हर कार्य को स्थगित करना चाहते हैं और अब स्थिति से निपटना चाहते हैं । मैं कहता हूं कि आप यह कहकर सम्मान से इस स्थिति से बाहर निकल रहे हैं कि भारत के लोगों को भारतीय वस्तुएं नहीं खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने आन्तरिक धन को अधिकाधिक कस दिया है, जिससे आपके अपने उद्योग को ही हानि उठानी पड़ेगी, आपका उत्पादन घटेगा लघु-उत्पादक घाटे में रहेगा, परन्तु बाहर से कुछ भी खरीदने के लिए तीन चार वर्ष तक आपके पास पर्याप्त धन रहेगा । इस प्रकार आप इन विकसित देशों को रोजगार क्षमता प्रदान करके अपने लोगों को क्षमता की छीन लेंगे । आप यहीं तो करने जा रहे हैं । यह स्पष्ट है, पक्की बात है । एक इस्पात संयंत्र से एक लाख श्रम वर्षों के लिए काम मिलता है । हम सभी इस्पात संयन्त्रों को स्वयं खड़ा नहीं कर सकते हैं' हमें इस्पात संयन्त्रों को आयात करने की आवश्यकता है क्योंकि हम जितना इस्पात अपने संयंत्रों में पैदा कर रहे हैं उससे अधिक आयात कर रहे है । यह सब जानते हुए भी आपने इस विकल्प को कैसे चुना ? वित्त मन्त्री महोदय मेरे लिए यह निरन्तर आश्चर्य की बात बनी रहेगी ।

आप मुझे मेरी मृत्यु तक भी तसल्ली नही दिला सकेंगे क्योंकि मैं आपको 30-40 वर्षों से जानता हूं । आप इस प्रकार धोखे में क्यों आ गये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विस्तारित निधि सुविधा के विचार का पुरजोर विरोध करता हूं । सरकार ने इसे लागू किया है । उनके पास बहुमत है । वे निश्चय ही इस प्रस्ताव को पास करेंगे लेकिन इससे न जाने किसको धोखा दिया गया । मेरा विचार है प्रधान मंत्री स्वयं आकड़े बाजी में पड़कर स्वयं धोखा खा गई हैं । इसका अन्तिम परिणाम यही होगा कि ऊपर-नीचे धोखा ही होगा । मैं इस बात में उनसे सहमत हूं :

यावत जीवेत् सुखं जीवेत
ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत ।।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं इस बात पर सन्तोष प्रकट करना चाहता हूं कि प्रश्न पर एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है । इस सभा के मंच से बाहर, इस प्रश्न पर कए राजनीतिज्ञ के दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कुछ समय के लिए गर्मा गर्मी तो पैदा हो सकती है लेकिन इस समस्या पर कोई प्रकाश नहीं पड़ सकता ।

मैं यहाँ अनेक सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि हमारी सरकार को कभी-कभी कठिन आर्थिक निर्णयों को राष्ट्रीय हितों की कीमत पर राजनैतिक दलों द्वारा इन निर्णयों का राजनैतिक लाभ उठाने के कारण, स्थगित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है ।

भारत को पाँच हजार करोड़ डालर का यह ऋण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्वीकृत किया गया सबसे बड़ा ऋण है जो अमरीका के विरोध के बावजूद भी हमें मिला । निःसंदेह यह

भारत की अन्तर्राष्ट्रीय ऋण पात्रता के लिए श्रेयस्कर है और हमारी सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के लिए आश्वासन है। यह परिवर्तन स्वागत योग्य है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी तक यह सुविधा अमीर देशों को ही प्रदान की है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष मे इस प्रश्न से राजनैतिक लाभ उठाने सम्बन्धी अमरीका के दबाव का भी मुकाबला दिया है कुल ऋण जिस ढंग से दिया गया है, वित्त मंत्री उसका जिक्र कर चुके हैं और श्री पटनायक द्वारा औसत 10 प्रतिशत ब्याज दर की गहराई से की गई गणना के बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में 18-20 प्रतिशत तक का ब्याज दर है। यह निश्चिय ही एक सस्ता ऋण है, एक साहूकार के दर वाला ऋण नहीं है जैसे कि कुछ क्षत्रों में कहा गया है।

ऋण क्यों जरूरी था और हमारे पास कौन कौन से रास्ते थे ? जैसे कि चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने कहा, हम भुगतान संतुलन के संकट का समना कर रहे हैं और स्थिति पिछले चार अथवा पाँच वर्षों से बिगड़ती जा रही है। 1980-81 के दौरान हमने 6700 करोड़ रु० लागत का निर्यात किया जबकि 5600 करोड़ रु० का अन्तर छोड़ते हुए आयात 1,10,300 करोड़ रु० की लागत का हुआ। इस वर्ष का व्यापार घाटा जैसे कि वित्त मत्री ने कहा, लगभग तीन हजार करोड़ रु० की लागत का है। इसका बुनियादी कारण कच्चे तेल तथा उत्पादों की कीमतों में तेल में वृद्धि रहा है जो 1973 से 1980 तक धीरे धीरे बढ़ती रही। इसके अतिरिक्त हमें खाद्यान्त, चीनी, वनस्पति तेल, मशीनरी तथा उपकरण जैसी चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं तथा धातु, ऊर्वरक रसायन जैसी अन्य वस्तुओं का भी अनिवार्य रूप से आयात करना पड़ता है। इन सब बातों से आयात पर भार बढ़ा है, और हमारे आयात बिल में तेजी से वृद्धि होती रही है। इन सबकी अनिवार्यता की बात सभी क्षेत्रों में स्वीकार कर ली गई है। हमारे पड़ोस में शस्त्रों की जमाखोरी को ध्यान में रखते हुए भी हमें अपनी सुरक्षा के लिए साधन जुटाने हैं।

विदेशी मुद्रा भंडारों में कमी होती आयी है जो आज लगभग 3700 करोड़ रुपये है। विपक्ष के माननीय सदस्यों की मैं सब बात से सहमत हूं कि कुछ कदम उठाये जाने सम्भव हैं और आयात में कमी करने तथा निर्यात स्थिति में सुधार करने के लिये ऐसे कदमों का उठाया जाना जरूरी है। देश में कच्चे तेल की खपत में कमी करने के लिए भी कुछ किया जा सकता है। कुछ वस्तुओं के आयात को हम टाल सकते हैं। लेकिन हमें स्वीकार करना पडेगा कि इन सब बातों का भुगतात संतुलन स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। स्थिति को केवल उसी रूप में बदला जा सकता है जब हम देश में तेल उत्पादन में वृद्धि कर सकें जिसके लिए हम पहले ही एक व्यापक कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। 1 जनवरी, 1985 तक कच्चे तेल की उपलब्धता तथा उत्पादन संबंधी आँकड़े तीन करोड़ टन अथवा इससे अधिक इस समय ये आँकड़ें 1 करोड़ बीस लाख टन हैं।

यह बात महत्वपूर्ण है कि इस ऋण का उपयोग मुख्यत: तेल की इस खोज तथा विकास के लिए किया जायेगा। श्री बीजूपटनायक को इस बात का दुख हुआ कि इससे देश के आम आदमी को किस प्रकार नुकसान सहना पड़ेगा क्योंकि इस ऋण का उपयोग भुगतान संतुलन की स्थिति को सीधे रास्ते पर लाने के लिए किया जाएगा। तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में हम सफल होंगे और उसके द्वारा हम अपने संसाधनों को गरीबी विरोधी कार्यक्रमों तथा समाज के कमजोर वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं।

सभापति महोदय, भारत द्वारा 1990-91 तक तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सम्भव है। इसी काम के लिए इस ऋण का उपयोग किया जायेगा और इसीलिए यह ऋण माँगा गया।

मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि वर्तमान संकट कुछ समय तक अवश्य रहेगा। संकट का सामना करने सम्बन्धी उपायों के लिए कुछ समय लगेगा और बीच के समय के लिए विदेशी मुद्रा भंडारों के प्रबन्ध व उसमें वृद्धि करना बहुत जरूरी है। हम अपने आयात में कमी करके अपने औद्योगिक तथा कृषि कार्यों को ठप्प नहीं करना चाहते। देश के हित में ऐसा नहीं किया जा सकता। दूसरा रास्ता क्या था दूसरा रास्ता अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साधन को छोड़ कर कोई अन्य वाणिज्यिक ऋण लेने का था। उस स्थिति में ब्याज दर 18 से 20 प्रतिशत होती तथा ऋण भुगतान का भार बहुत अधिक होता क्यों कि शर्तें अधिक सख्त होती। अत: हमारे सामने यह रास्ता था जो हमारे राष्ट्रीय हितों की कीमत पर होता।

यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार वाणिज्यिक ऋण लेते तो भी हमारे काम की वही समीक्षा होती जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बजाय वाणिज्यिक ऋण लेने से हमें लाभ न होता क्योंकि यह स्पष्ट है कि हर ऋण दाता ऋण राशि को अधिकाधिक सुरक्षित देखना चाहता है।

मुझे विश्वास है कि ऋण का उपयोग व्यापार घाटे में पैसा लगाने के लिए नहीं बल्कि वर्तमान प्रवृत्ति को उलटा करने तथा बहुत विकट स्थिति का सामना करने के लिए किया जायेगा। हममें से बहुत के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्वयं को भी विश्वास है कि ऋण का सदुपयोग किया जायेगा। हमारे सामने जो अन्य विकल्प थे, वे अधिक सख्त और कठिन थे। अत: भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण लेना उचित समझा और यह हमारी कूटनीति की सफलता है कि हमें ऋण मिल गया और हम इसका उपयोग विकास के लिए करेंगे।

विपक्ष के कुछ सदस्यों ने बार-बार तर्क दिया है जिसका जिक्र प्रतिस्थापन प्रस्तावों में भी किया गया है कि ऋण से हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को क्षति पहुँचेगी। हमें सबसे पहले यथार्थवादी होना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आर्थिक प्रभुसत्ता का विचार संगत है, यह असीम नहीं है। आज की दुनिया में कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों को शक्तिशाली प्रभावों से दूर नहीं रह सकता। अपने व्यापार सम्बन्धों में भी हम यह नहीं कह सकते कि हम आर्थिक दृष्टि से प्रभुसत्ता सम्पन्न है कोई भी देश इसका दावा नहीं कर सकता। हमने आवेदन पत्र दिया और बहुत से देश विदेशी सहायता लेने जा रहे हैं इस बात का प्रतीक है कोई भी देश विदेशी सहायता बिना तथा अपने ही साधनों से समृद्ध नहीं हुआ है।

मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत स्वयं भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण तथा इसकी शर्तों का समर्थक रहा है भारत की विकाशील देशों की मध्यम अवधि की जरूरतों को पूरा करने सम्बन्धी विस्तारित निधि सुविधा का प्रस्ताव करने वाले देशों में से एक था। उस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हमने राष्ट्रीय हित में समस्या का स्वयं समाधान करने सम्बन्धी अपने रास्ते को अपनाया।

मैं उन शर्तों का जिक्र करना चाहता हूं जिनके बारे में विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक लम्बा चौड़ा विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। शर्तें दो प्रकार की हैं। जरूरी शर्तों का उलंघन

हो तो ऋण आना बन्द हो जायेगा और समूची अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु कुछ समाधान दिये गये हैं। हमें किन-किन जरूरी शर्तों का पालन करना चाहिए जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए अगली दूसरी अथवा तीसरी किश्त हम तक पहुँच पाये। जरूरी शर्तें ये हैं। घरेलू ऋण और मुद्रा सप्लाई तथा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों से ऋण पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना। मैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करूंगा।

हमारे मुद्रास्फिति कार्यक्रम के लिए ऋण तथा राजकोषीय नियन्त्रण का होना महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम से सफलता के संकेत मिले हैं। पिछले सूत्र के दौरान स्थिति पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया था और बाद की घटनाओं से उन द्वारा सभा में कही गई बातों की पुष्टि हो गई। इस वर्ष थोक मूल्य सूत्रकांक में केवल एक अंक वाले आंकड़ों में ही वृद्धि होगी जो विश्व की किसी भी सरकार की एक सराहनीय उपलब्धी है। हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत घाटे को सीमित रखने के लिए एक वित्तीय तथा राजकोशीय अनुशासन लाने की आवश्यकता है। एक उचित ऋण नीति बनाई तथा अपनाई जा रही है ताकि छोटे क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र अथवा अनिवार्य क्षेत्र ऋण आवश्यकताओं से वंचित न हों लेकिन मुद्रास्फिति को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त मुद्रा नीति को अपनाना ही पड़ेगा। अतः यदि हमने ऋण अथवा मुद्रा सप्लाई की इस अधिकतम सीमा को स्वीकार कर लिया है तो यह आपत्ति करना निरर्थक होगा।

अब मैं गैर रियायती विदेशी ऋणों की अधिकतम सीमा की चर्चा करता हूं। मेरे अच्छे मित्र श्री सुनील मैत्रा ने कहा है कि यह ऋण और ये शर्तें भारत को एक "बंधा हुआ ग्राहक" बना देंगे। स्थिति बिलकुल स्पष्ट है और इस सभा को भी स्पष्ट होनी चाहिए कि यह व्यवस्था ऋणी देश के लिए लागू की गई है जो इस मामलें में भारत है ताकि भारत पर ऋण बढ़ता न जाये तथा भारत भुगतान सम्बन्धी देनदारियों को पूरा करने के लिए। ऋण न लेता रहे। कई सदस्यों ने कहा है कि हम ऋण के जाल में फंस जायेंगे। ऋण के जाल में तब फंसा जाता है जब आप इससे बाहर नहीं आ सकते हम अदायगी के लिए ऋण लेते हैं और ऋण लेते ही जाते हैं। यह व्यवस्था यह अधिकतम सीमा हमें इस स्थिति से बचाने के लिए ही रखी गई है और यह सच है कि हमारी सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से रखी गई इस शर्तें को स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध में हमारे पास ब्राजील का उदाहरण है।

इस वर्ष उनकी विदेशी ऋण सेवा सम्बन्धी देनदारियां 16 अरब डालर बैठती हैं क्योंकि वे भुगतान सम्बन्धी देनदरियों को पूरा करने के लिए ऋण रहे और उनका ऋण बढ़ता गया। इसलिए देश के हित में, इस ऋण के भुगतान के लिए इन शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पालन किया जा सकता है तथा जिनका हमें पालन करना है। वे हमारे लिए आवश्यक नहीं हैं। परन्तु हमने उनको मान लिया है क्योंकि वे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी हैं। वे हमारी संसद तथा देश की स्वीकृति नीतियों तथा उद्देश्यों का एक काम है; वे छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों का एक भाग है। इसलिए हमने इन शर्तों को स्वीकार किया है। मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करने, सरकारी क्षेत्र तथा आधारभूत क्षेत्र की कार्यक्षमता में सुधार लाने, उत्पादन बढ़ाने और भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाने के लिए धीरे-धीरे आर्थिक सहायता कम करने, अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक पुनः संयोजन आवश्यक है। विद्युत

टैरिफ में संशोधन करने, सरकारी क्षेत्र में उत्पादों के आंकलित मूल्यों सम्बन्धी राजसहायता को समाप्त करने पर प्रशासन में सुधार करने आदि जैसी सभी बातों को संसद में स्वीकार किया है इनमें से बहुत उपायों का विपक्ष के सदस्यों द्वारा भी जोरदार समर्थन किया गया है।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तें भारत की स्वीकृति नीतियों और उद्देश्यों के अनुकूल हैं। हम समाज के कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र का विकास करने तथा उसे मजबूत बनाने के सम्बन्ध में तथा अपनी अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता सुधारने के सम्बन्ध में दिए गए वचनों पर दृढ़ हैं। इन उपायों से भुगतान संतुलन की स्थिति में असंतुलन पैदा करने वाले तत्वों को जड़ से उखाड़ फैंकने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी शर्तों को नरम कर दिया है जो कि इतने भारी ऋण पर लगाई जानी थीं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड को प्रस्तुत किए गए भारत की आर्थिक नीतियों संबंधी विवरण को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि जो कुछ हमने किया है वह उनको अपने पहले ही उठाये गये कदमों का विवरण दिया है। उन्होंने हमें अपनी नीतियों में कोई विशेष परिवर्तन करने के लिये नहीं कहा है।

मैं अवमूल्यन का हवाला नहीं दूंगा क्योंकि इस प्रश्न को उठाया नहीं गया है तथा जानकारी रखने वाले आलोचकों ने भी इसका उल्लेख नहीं किया है।

अतः हमारी सरकार आश्वस्त रूप से कह सकती है कि ऋण को घोषित उद्देश्यों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा तथा इसका प्रयोग राष्ट्र हित में किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण का पर्याप्त राजनैतिक महत्व है। अमरीका द्वारा विरोध के बावजूद भी यह स्वीकार किया गया। श्री सुनील मैत्रा को मालूम है कि अमरीका इसे रोक नहीं सका। उनकी शायद यह धारणा है कि अमरीका इसे नकार सकता था और उन्होंने इसको न नकार के कोई कृपा की है। वास्तविकता यह है कि अमरीका को यह विकल्प उपलब्ध नहीं था। अतः अमरीका इसको नहीं नकार सका। अन्नर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह निर्णय किया है कि भारत में इस ऋण का समय पर भुगतान करने की क्षमता तथा इच्छा दोनों हैं। इसने अपने राजनैतिक हस्तक्षेपों से मुक्त रहकर कार्य करने के अपने अधिकार पर जोर दिया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पश्चिमी देशों ने भी विकास के लिए हमारी आवश्यकताओं के बारे में अमरीकी दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में केवल भारत के मामले में ही ऐसा नहीं हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तृतीय विश्व देशों को विकास सहायता देने के बारे में अमरीका की विचारधारा को अस्वीकार कर दिया है। अमेरिका आजकल एक निश्चित सहायता विरोधी नीति का पालन कर रहा है और भारत उसका प्रथम निशाना है। अमेरिका ने वास्तव में भारत को बहुपक्षीय उधार दिए जाने के विरुद्ध एक अभियान जारी किया था परन्तु यह सफल नहीं हुआ है। इस मामले में रीगन प्रशासन की विश्वसनीयता पूर्णतः समाप्त हो गई है। वे भारत को दिए जाने वाले इस ऋण को रोकने में समर्थ नहीं हो सके हैं।

'वाल स्ट्रीट जनरल' के इस उद्धरण से अधिक अर्थ पूर्ण कुछ नहीं हो सकता जिसमें कहा गया है :

"मगर हमें यह ऋण, अमरीकी कांग्रेस द्वारा भारत में उन हथकंडों को जिनके द्वारा भारत समाजवादी नीतियों को चला रहा है, तेजी से कम करने के लिए किए गए निर्णय का उल्लंघन करने का दाँव प्रतीत होता है।"

उदाहरण के रूप में भारत तृतीय विश्व देशों में एक ऐसा देश है जो कि बहुराष्ट्रीय निगमों से सर्वाधिक सीधा निवेष आमन्त्रित करता है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों से बाजार वित्तीय सहायता के हजारों लाखों तथा अरबों के प्रस्ताव हासिल किए हैं।"

वाल स्ट्रीट जनरल में स्पष्ट रूप से उस स्थिति की व्याख्या की गई है जिसका भारत उस समय सामना कर रहा था जब यह ऋण विचाराधीन था। भारत की बतलाई गई स्थिति यह रही है कि हमारा ऋण के लिये आवेदन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के अनुरूप था।

मैं आपको बतलाता हूं कि यह हमारे मान सम्मान को बनाये रखने तथा अपना सिर ऊंचा रखने के लिए बनाई गई हमारी नीतियों के अनुरूप है। यह इन्दिरा गांधी की सरकार है, जनता सरकार नहीं, जब भारत की अन्तर्राष्ट्रीय जन मंचों में अनदेखी गई।

विशेष रूप से मैं अपने वामपंथी मित्रों के लिये 'द इस्टर्न इकोनोमिस्ट' के हाल के अंक को उद्धरण देने के लालच को नहीं रोक सकता क्योंकि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों की सबसे अधिक जोरदार शब्दों में आलोचना की है।

"इस सब की विडम्बना यह है कि कोष के प्रबन्धों तथा भारत सरकार को दो मोर्चों पर अपनी लड़ाई लड़नी पडी है एक ओर अमरीका में वाजार अर्थव्यवस्था के लोगों से और दूसरी ओर वामपंथी देशों के राजनीतिज्ञों तथा अर्थशास्त्रियों से जो विचित्र साथी हैं और जो कुछ समय से राष्ट्रों के मामलों में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं।

न केवल 'वाल स्ट्रीट' के लिये बल्कि यहाँ पर अपने वामपंथी मित्रों के लिए भी जो हमारे विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं कह सकता हूं यद्यपि वित्त मंत्री ने इसका हवाला दिया है, कि यह सोवियत रूस को भी ज्ञात है कि हंगरी तथा पोलैण्ड जैसे साम्यवादी देशों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के लिये आवेदन दिया है। यह किसलिए ? हंगरी तथा पोलैण्ड भी हमारा मार्ग अपनाते तथा हमारे साथ सहमत होने लगते हैं ? मुझे आशा है कि हमारे वामपंथी मित्र उनको समझाने का व्यर्थ प्रयत्न नहीं करेंगे।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का, जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों के बारे में है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पिछली बार वित्त मंत्री द्वारा लिये गये एक छोटे से नोट के बाद कुछ वर्गों के लोगों में फैली शंकाएं तथा संदेह दूर हो गयेहैं।

अतः मैं नहीं समझता कि कुछ छोटे राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों तथा आलोचकों ने, जो अपनी विचारधारा में भिन्न मत रखते हैं सरकार पर ऐसा अत्यन्त कटु आक्रमण क्यों किया जिसमें यह कहा गया है कि इससे भारत की प्रभुसत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को समर्पित कर दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप किया गया है। जनता ने भी महसूस किया कि हमारे राष्ट्रीय गर्व का कुछ नुकसान किया गया है। परन्तु हमारे

वित्त मंत्री द्वारा स्वेच्छा से वक्तव्य दिये जाने के बाद सभी संदेह दूर हो गये हैं।

पहली बार भारत सरकार इतनी बड़ी धनराशि उधार ले रही है। अब तक उन्होंने किसी भी देश से कोई वाणिज्यिक उधार नहीं लिया है। मैं समझता हूं दोनों तरफ बैठे हुए मेरे मित्र इस बात से सहमत होंगे कि कुछ व्यापार असन्तुलन है तथा इसको पूरा करने के लिये सरकार को कुछ धन की आवश्यकता है। यह धन कहां से लिया जाये और किन शर्तों पर लिया जाये, इन दो प्रश्नों पर हमने विचार करना है।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि यह धन सस्ते ब्याज की दर पर तथा साथ ही साथ अपने सम्मान तथा गर्व को समर्पित किये बिना उपलब्ध है। अतः हरेक इस बात से असहमत होगा कि इसे प्राप्त किया जाना चाहिए। महोदय, 'न्यूयार्क टाइम्स' में भी कहा गया है :

'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत द्वारा मांगी गई भुगतान संतुलन सम्बन्धी सहायता पर कोई अनुचित शर्त लगाने का प्रयास नहीं कर रहा है और न ही ऐसी विवादास्पद मांग कर रहा है कि भारत को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहिए।"

11 सितम्बर 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कहा गया है

"अमरीकी समाचार पत्रों में प्रस्तावित ऋण पर लगाई गई शर्तों को" अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों की "प्रतिबन्धात्मक वित्तपोषण नीतियों तथा प्रक्रियों से प्रस्थान" का इशारा बतलाया गया है।"

अतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत सरकार को दिये जा रहे ऋण पर कोई कठोर शर्त नहीं लगाई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक उधार देने वाली संस्था है। इसके सदस्य देशों को ऋण, जब किसी उद्देश्य के लिए मांगा जाता है उपलब्ध कराया जाता है। इसके प्रारम्भ से ही भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का शिलान्यास करने वाला सदस्य है। भारत ने हमेशा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मानक शर्तें अच्छी तरह से आधारित हैं। जबकि एक सदस्य देश भुगतान संतुलन की गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहा, 14 देशों ने संशोधन प्रदान किए हैं जिनमें एक ऐसा देश, स्विटजरलैंड भी सम्मिलित है जो सदस्य नहीं है। यह सहायता पूर्ण रूप से वाणिज्यिक शर्तों पर दी जाती है। यह मध्यम अवधि ऋण विकास कार्यों में बाधा डाले बिना परिस्थिति पर काबू पाने के लिए दिया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक श्री डी लारोसोटे के अनुसार उन देशों के साथ भी जिनका भुगतान सन्तुलन अनुकूल है यह देखने के लिए कि निर्धारित वित्तीय नीतियों का पालन किया जा रहा है या नहीं, समय-समय विचार किए जाते है।

उसी प्रबन्ध निदेशक ने हाल ही में चीन का दौरा किया था। चीनी श्रोताओं को संबोधित करते हुए उसने कहा :

"कोष के संचालन के लिए निगरानी रखना एक मूलभूत बात है। यह कोष के लिए संसाधन जुटाने वाले सदस्यों तक सीमित न होकर सभी पर लागू होती है।

यदि इसे प्रभावकारी बनाना है तो इसे घाटे और अधिशेष वाले देशों पर समान रूप से लागू किया जाना होगा।"

अतः आवधिक परामर्श अथवा कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा कोई नई बात नहीं है और न ही यह हमारी प्रभुसत्ता में अनधिकार हस्तक्षेप है।

कोष के चार्टर के अनुच्छेद चार के अन्तर्गत यह एक सुस्थापित और पुरानी प्रक्रिया या प्रथा है जिसमें प्रत्येक सदस्य कोष के साथ विशेष रूप से मुद्रा प्रथाओं के सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए बाध्य है।

1953 में भारत के ऊपर कुछ स्टार्लिंग शेष था और भारत विदेशी सहायता प्राप्त करने पर विचार कर रहा था। बर्नस्टीन मिशन भारत आया और भारत की अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन किया। भारत सरकार ने इस मिशन के विचारों को नीतियों के निर्माण के समय ध्यान में रखने का प्रस्ताव रखा। परन्तु यह भी कहा कि इस संबंध में प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा।

यहाँ तक कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भी कुछ शर्तों को स्वीकार किया है। इंगलैण्ड ने जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया था तब इस पर भी यही शर्तें लगाई गई थीं। और इससे उसकी प्रभुसत्ता का अतिक्रमण नहीं हुआ था।

बीजिंग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। चीन को 3810 लाख डालर का नया ऋण मुद्रा गतिविधियों के युक्ति युक्त करने की शर्त पर दिया गया था।

हंगरी और पोलैण्ड ने शर्तों की पूर्ण जानकारी होने पर कोष की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। मेरे विचार में एक साम्यवादी देश पश्चिमी देशों द्वारा नियन्त्रित किसी एजेंसी के हाथों अपनी प्रभुसत्ता खोना पसन्द नहीं करेगा।

भावी वर्षों के लिए, जिसमें कुछ घाटे की संभावना है, एक प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था है।

जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, यदि 'बम्बई हाई' में उत्पादन सही समय पर प्रारम्भ हो गया तो भारत को ऋण की और राशि लेने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी समय उसे छोड़ा जा सकता है।

जहाँ तक भुगतान का संबंध है, यहाँ यह पूछा गया है कि भुगतान कैसे किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समिति तथा विश्व बैंक ने भी कहा है।

> "इस नीति में भारत द्वारा प्रस्तुत व्यापक निर्यात सम्भावनाओं, विविध औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि संसाधनों को भी मान्यता दी गई है। इन क्षेत्रों में बाह्य समायोजनों को प्रोत्साहन देने के उपायों के लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है तथा बुनियादी सुविधाओं वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने सम्बन्धी प्रयासों की भी आवश्यकता है।"

अतः यदि इसका पालन किया जाए तो हम निश्चय ही धन की कमी को पूरा करने और ऋण को वापस करने की स्थिति में नहीं होंगे।

यह कहा गया है कि प्राथमिकता क्षेत्र को इस ऋण का लक्ष्य बनाया जाएगा। बताया गया

है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक शर्त है। मैं ऐसा नहीं सोचता। यहां तक कि एशियन (ए एस आई एन एन) तथा मुद्रा और व्यापार सम्बन्ध विभाग ने अक्टूबर, 1981 को तैयार किए गए एक नोट में लघु उद्योगों के बारे में कहा :

> "लघु उद्योगों के सम्बन्ध में एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। यद्यपि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची में संशोधन नहीं किया है। परन्तु नीतियों के क्रियान्वयन में कुशलता और उत्पादन पर अधिक जोर दिया जा रहा है।"

एक दूसरा महत्वपूर्ण मामला भी है। यहां कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा रखी गई शर्तों में से एक यह भी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्टाफ ने एक नोट तैयार किया और समिति को प्रस्तुत किया जिसमें लिखा था :

> "ऋण आवंटन नीतियों का लक्ष्य योजना के सम्पूर्ण लक्ष्यों के अनुरूप प्राथमिकता क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्गों के विकास को प्रोत्साहन देना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से आशा की जाती है कि वे प्राथमिकता क्षेत्र को आवंटित 33 प्रतिशत ऋण में 1984-85 तक 40 प्रतिशत तक वृद्धि कर देंगे। सम्पूर्ण लक्ष्य में यह व्यवस्था की गई है कि प्राथमिकता क्षेत्र में आवंटित ऋण का 40 प्रतिशत कृषि को दिया जाएगा। इसका आधा कृषि तथा लघु कृषकों और खेतिहर मजदूरों जैसे कृषि से संबंधित कार्यों के लिए दिया जाएगा। यह भी आशा की जाती है कि लघु उद्योगों को दिए जाने वाले कुल ऋण का 12.5 प्रतिशत ग्रामीण कारीगरों, ग्रामीण दस्तकारों और कुटीर उद्योगों को दिया जाएगा।"

इस आधार पर हमारे माननीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास विधेयक रखा है।

कोई सज्जन इस पर सार्वजनिक वाद विवाद चाहते थे। यह एक अच्छी बात है। लोगों को तरीके का तथा करार के सार तो ज्ञान होना चाहिए। जनता को ज्ञान तो होना चाहिए परन्तु लोगों को यह कहकर कि गरीबों को इससे कोई लाभ नहीं होगा नहीं बहकाया जाना चाहिए। यह आम जानकारी की बात है यह आम समझ की बात है कि जब तक आप कमी को, विदेशी ऋण की कमी को पूरा नहीं करते तब तक कोई विकास कार्य नहीं कर सकते। जब तक हम विकास कार्यों को आरम्भ नहीं करते तब निश्चय ही बेरोजगारी फैलेगी, उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी और कीमतें बढ़ती रहेंगी।

अतः इस सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण को राजनीतिक मसला न बनाया जाए। इसे सम्पूर्ण राष्ट्र के कल्याण के दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिये।

मैं यहीं समाप्त करता हूं क्योंकि मुझे जाना है।

हमें विदेशी प्रौद्योगिकी का अवश्य लाभ उठाना चाहिए। जहां तक प्रौद्योगिकी या जानकारी का संबंध है, विश्व में किसी भी देश के पास, चाहे वह सोवियत रूस हो या अमरीका

या जर्मनी या जापान या कोई अन्य हो, नहीं है। किसी न किसी क्षेत्र में कमी है। अतः विदेशों से प्रौद्योगिकी आयात करने तथा राष्ट्र की समृद्धि के लिए देश में उसका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। अतः मैं इस पर जोर देना चाहता हूं।

एक दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रबन्ध है। निस्सन्देह हमारे ऐसे कई सार्वजनिक संस्थान हैं जिनका उचित रूप से प्रबन्ध किया जाना है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत कठिन है। हमें अपना ध्यान अवश्य ही इन चीजों की ओर विशेष रूप से उन वस्तुओं की ओर जिनका अन्य देश में निर्यात किया जाता है, केन्द्रित करना है। महोदय, मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे मंत्री महोदय पहले ही विस्तार से कह चुके हैं।

समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक के स्टाफ से हमारे योजना प्रस्तावों का, अर्थात छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों का स्वागत किया है। उन्होंने हमेशा ही निगरानी रखने की बात पर जोर दिया है। यह सबके लिए अच्छी बात है। यह हमारे देश के लिए भी अच्छी बात है। क्योंकि बिना निगरानी रखे निवेश करने का कोई लाभ नहीं। किसी स्थान विशेष पर धन निवेश करने और एक तरफ बैठकर कुछ भी करते रहने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।

अनेक अर्थशास्त्रियों ने राय दी है कि अनुत्पादक व्यय में कटौती की जानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। यदि सम्भव हो तो कुछ मदों में कटौती की जानी चाहिए। निर्यात प्रोत्साहन के लिए आयात की बजाए आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया चाहिए। मुझे आशा है कि अर्थ-व्यवस्था का कुशल प्रबन्ध काफी हद तक भुगतान सन्तुलन की वर्तमान स्थिति का हल करने में सहायक हो सकता है। इतना कहकर मैं सरकार और माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं और मैं उस पक्ष में बैठें सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की राजनीतिक रंग न दें। मुझे आशा है कि वह भी इसका समर्थन करेंगे। डा० स्वामी कह रहे थे कि इसे सभापटल पर पहले क्यों नहीं रखा गया। आपने जैसा कि पहले कहा है कि यदि यह सभा में पहले ही रख दिया जाता तो निश्चय ही हमारे मित्र हिम्मत हार जाते। इस प्रकार किसी भी देश के लिए ऋण प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता। इतना कहकर, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : विपक्ष के अपने माननीय मित्रों के कुछ भाषण सुनने के बाद मैं राजनैतिक आलोचनाओं के बारे में कुछ निराश सा हुआ हूं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का का ऋण जो अन्तर्राष्ट्रीय निधि संस्था के इतिहास में एक सब से बड़ा ऋण है, सचमुच एक विशिष्ट घटना है और विशिष्ट घटना के लिए एक विशिष्ट निष्कपट उद्देश्य चाहिए। भारत द्वारा इतने बड़े ऋण को प्राप्त करना एक विचित्र बात है क्योंकि साधारणतः इतना बड़ा ऋण ऐसे देश को नहीं दिया जाता जिसका ऋण सम्बन्धी रिकार्ड त्रुटिहीन न हो। अतः मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि विपक्ष के किसी भी सुझाव में कोई व्यवहार्य अथवा रचनात्मक सुझाव नहीं है। इस प्रस्ताव सम्बन्धी सारी चर्चा के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण मेरी समझ में आ

सकता था यदि उसके विकल्प सम्बन्धी कोई व्यवहारिक सुझाव हमारे सामने रखे जाते। हम जानते हैं कि आज एक व्यापार अन्तर है। एक विदेशी मुद्रा का अन्तर हैं। अत: रचनात्मक दृष्टिकोण वहीं होता जिनके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण के विकल्प सम्बन्धी कोई व्यवहार्य सुझाव दिए जाते। मुझे पूरा विश्वास है कि भूतपूर्व सरकार होती तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस ऋण को स्वीकार करना तो दूर रहा इस पर विचार भी न करती। मेरे विचार में भूतपूर्व सरकार स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया भी न प्रकट करती और इस बात को भी अनुभव न करती कि विदेशी मुद्रा में कमी हुई है और व्यापार में अन्तर है, उन पर कार्यवाही करना तो दूर की बात है। हमने भूतपूर्व सरकार का रिकार्ड देखा है। उनका रिकार्ड निस्सन्देह स्पष्ट है। इस ऋण के बारे में समाचार पत्रों तथा इस सभा में बहुत आलोचना हुई है। यदि सन्देह करने वाला सच्चा हो तो बात समझ में आ सकती है क्योंकि सन्देह गलत अथवा अपर्याप्त सूचना के कारण भी हो सकता है। लेकिन में यह नहीं देख सका और इस बात का समाधान नहीं मिला : उन लोगों की गलत धारणा को हम कैसे दूर कर सकते हैं जो किसी बात को समझना नहीं चाहते अत: ऐसा करने में सफल न होने के बाद मैं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुस्तिका के रूप में जारी श्वेत पत्र की चर्चा करता हूं।

मुझे बताया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रकाशित इस पुस्तिका को विश्व बैंक के एक भूतपूर्व कर्मचारी ने तैयार किया है जो अब पश्चिमी बंगाल सरकार में वित्त मत्री हैं। इसमें हर बात का उल्लेख बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। यदि मेरे मार्क्सवादी मित्रों का केन्द्रीय सरकार से मतभेद हो और यदि सी० पी० एम० पार्टी का सरकार से मतभेद हो तो यह बात मेरी समझ में आ सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस पर अपनी मोहर लगाकर इसे सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रकाशित करना, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध एक दस्तावेज के रूप में प्रकाशित करना, बात को कुछ आगे बढ़ाना है। इसके विरुद्ध मैं अपनी आपत्ति प्रकट करना चाहूंगा।

अपनी आपत्ति प्रकट करने के बाद मैं कुछ वाक्यों का जिक्र करना चहूंगा...

सभापति महोदय : इन्होंने ऐसा एक विशेषज्ञ के रूप में किया है।

श्री कमलनाथ : मैं उस विशेषज्ञता पर आ रहा हूं।

श्री आर. वेंकटरामन : क्या मैं आपकी बात को ठीक करूं ? इस पर एक अर्थशास्त्री अथवा एक विशेषज्ञ के रूप में हस्ताक्षर नहीं किये गए हैं। इस पर पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री के रूप में हस्ताक्षर किए गये हैं।

श्री कमलनाथ : इस पुस्तिक को पश्चिम बंगाल सरकार ने नवम्बर, 1981 में प्रकाशित किया था और श्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड (पश्चिम बंगाल सरकार के प्रबन्धाधीन) ने इसे मुद्रित किया। मैं प्रेस तथा प्रबन्ध की बात कर रहा हूं। मैं दो विशिष्ट वाक्यों का जिक्र कर रहा हूं, जो बहुत स्पष्ट है :—

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण स्वीकार करके सरकार देश की प्रभुसत्ता का सौदा कर रही है।"

दूसरा वाक्य यह है :—

"केन्द्रीय सरकार की इस कार्यवाही का उद्देश्य राज्यों के विकास व्यय सम्बन्धी अधिकारों को कम करना है।"

ये व्यय कितने असंगत हैं। इस सभा में उपस्थित मार्क्सवादी सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि हमारी प्रभुसत्ता का सौदा कैसे होता है और ऋण से श्री ज्योति बसु के पश्चिमी बंगाल के शासन अथवा कुशलता सम्बन्धी अधिकार कैसे कम होते हैं। मैं केवल इसी निष्कर्ष पर पहुँचता हूं कि यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने वित्तीय कुप्रबन्ध को छिपाने का एक निष्फल तथा निरर्थक प्रयास है।

हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिमी बंगाल सरकार का रिजर्व बैंक के पास सबसे बड़ा ओवर ड्राफ्ट है अब वित्तीय कुप्रबन्ध का पर्दाफाश होने वाला है।

हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण पर भावात्मक दृष्टि से नहीं अपितु युक्ति के साथ विचार करना चाहिए। इस ऋण की आलोचना अकारण ही की जा रही है। मेरे बहुत से विपक्ष के मित्रों तथा देश के विख्यात अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में टिप्पणियां की हैं जिनमें से एक टिप्पणी यह भी है कि यह ऋण हमारी लिक्वीडिटी का प्रतिनिधित्व करता है वे कहते हैं कि यह हमारे राजकोषीय संस्थानों में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह सचाई से बहुत दूर है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ऋण हमारे बजट संसधानों की वृद्धि का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वास्तव में यह कर भी नहीं सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण से बजट सम्बन्धी अन्तर पूरा नहीं होता। वास्तव में यह तो केवल विदेशी मुद्रा कांउटर से गुजरता हुआ एक ओवर ड्राफ्ट है और इससे केवल भारतीय रिजर्व बैंक को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जोड़ने वाली ऋण रेखा लम्बी होती है। यह केवल किताबी सौदा है। इससे हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होती है। इससे हमें पुर्नसमायोजन करने का अवसर मिलता है। इससे हमें राजकोषीय स्थिति को प्रभावित किये बिना कुछ सोचने का अवसर मिलता है।

डा० फारुक अब्दुल्ला (श्रीनगर) : मुझे आशा है कि मेरे मित्र इस बात को याद रखेंगे कि यह ठीक वैसी ही बात है जैसी कि श्री हेरल्ड विल्सन ने कही थी कि आपकी जेब के पौंड की कीमत सचमुच 20 शिलिंग होगी यदि वह कुछ प्रस्ताव रखें। उन्होंने कहा कि आपके पौंड की कीमत 20 शिलिंग होगी जबकि बाद में यह 15 शिलिंग का बना। जो कुछ हम कह रहे हैं, हमें उसे याद रखना रखा चाहिए। हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए। कि कल भी हम इसका समर्थन करेंगे।

श्री कमलनाथ : इससे केवल अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा काउंटर पर हमारी ऋण प्राप्त करने की योग्यता में वृद्धि होती है और ऋण के इन प्रस्तावों में अदायगी के समय संशोधन करना पड़ेगा। इसे एक वित्तीय निर्णय के बजाय अब एक राजनैतिक निर्णय बनाया जा रहा है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हमने अपना सौदा विदेशियों के साथ कर दिया है। मेरा प्रश्न यह है:—क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक विदेशी शक्ति है? यह नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के बोर्ड में एक भारतीय प्रतिनिधि बैठता है। यह आपके समझने की बात है। वही भारतीय प्रतिनिधि अन्य ऋणों की स्वीकृति के बाद निर्णय लेता है और आवश्यक शर्तें निर्धारित करता है। अतः हमें जब ऋण पर किसी विशेष विचारधारा से प्रेरित होकर विचार नहीं

करना चहिए । हमें इस पर निष्पक्षतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

प्रश्न यह है : क्या विदेशी मुद्रा की कमी हुई थी और यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा की कमी हुई थी ? हमें यहाँ जानना चाहिए कि हमने प्राप्त ऋण को राशि की गणना मध्यावधि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक की है । कोई भी डाक्टर किफायत के लिए एंटीबायटिक औषधियों का नुसखा नहीं देता है और यदि जूते के जोड़े की कीमत 100 रु० हो तो आप 50 रु० में एक जूता नहीं खरीद सकते। इसकी गणना सरकार ने सावधानीपूर्वक की है और अपनी मध्यम अवधि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसी राशि की गणना की गई है । लेकिन यह जानना एक दिलचस्प बात है कि अमरीका के लोग भी यही बात कहते आये हैं । अमरीका के लोग कहते आये हैं कि हमें इतने बड़े ऋण की आवश्यकता नहीं है, अमरीका के लोग कहते हैं कि भारत में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके लिए इस प्रकार का ऋण जरूरी हो और अमरीकी प्रतिनिधि श्री रोनाल्ड रीगन ने भी कई बार ऐसा ही कहा है । यह बात सचमुच दिलचस्प है कि विपक्ष के कई मेरे मित्रों ने भी यही बात कही है। मार्कसिस्टों तथा अमरीका के लोगों द्वारा दिये गये गये तर्कों की निकटता तथा समानता को देखते हुए मुझे आश्चर्य होता है । वे दोनों कहते आये हैं कि हमें उस प्रकार के ऋण की आवश्यकता नहीं है । दोनों यही तर्क देते आ रहे हैं कि हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति इतनी खराब नहीं है । मार्कसिस्टों के तर्कों में एक और आरोप यह है कि हमने अपनी प्रभुसत्ता का सौदा कर दिया है । यह इतिहास की विडम्बना है कि मार्कसिस्ट तथा अमरीका के लोग इस ऋण की एक ही मंच से निंदा कर रहे हैं ।

मैं अपने उन मित्रों के लिए यह कहना चाहूंगा जो यह भी नहीं समझते कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या अर्थ है । पोलैंड ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र दिया है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक क्रिकेट क्लब या फुटबाल क्लब नहीं है । उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र दिया है । यह बात 'न्यूज वीक' के गत सप्ताह के अंक में प्रकाशित हुई थी । उन्होने सदस्यता के लिए मास्को की अनुमति से आवेदन पत्र दिया है । उन्होंने विशेष रूप से ऋण पाने के हकदार होने तथा लेने के लिए आवेदन पत्र दिया है। इस तर्क के अनुसार पोलैंड भी अपनी प्रभुसत्ता का सौदा करेगा तथा अपने को इन शर्तों से बाध्य करेगा । इस सम्बन्ध में मैं तर्क सुनना चाहूंगा ।

इस पुस्तिका में दिए गये कुछ सुझाव इस प्रकार के हैं जैसे कि सोना बेचा जा रहा हो। हमें इसका कटु अनुभव है । आज हमारे पास कितना सोना है ? क्या इससे हमारी समस्या का समाधान होगा ? हमारे पास 215 टन से कुछ अधिक सोना है । क्या इससे हमारी समस्या का समाधान होगा ?

दूसरी बात जो सुझाई गई है और जो हास्यास्पद है वह अन्तर्राष्ट्रीय बैंककारी क्षेत्रों में ऋण देना यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में ऋण देते हैं तो हमें एक बात के बारे में बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा । हमने यह पहले भी किया है और सम्भवतः हम यह फिर भी करने जा रहे हैं । अदायगी करने की हमारी इच्छा के बारे में कोई स्नेह नहीं होना चाहिए । किन्तु जब अदायगी करने की हमारी योग्यता की अन्तर्राष्ट्रीय बैंककारी क्षेत्र जांच करते हैं तो वे कुछ शर्तें रखेंगे तथा वे वित्तीय

प्रबन्ध सम्बन्धी शर्तें भी रखेंगे । अत: यह एक हास्यास्पद तर्क है । इस तथ्य को भूल जाइए कि आया ब्याज की दरें ऊंची हैं अथवा कम हैं ।

इस पुस्तिका में एक वैकल्पिक सुझाव यह दिया गया है कि हमें 'ओपेक' देशों से रियायती दर पर ऋण मिल सकता था । मैं नहीं जानता कि कौन सा 'ओपेक' देश हमारे लिए रियायती दर पर ऋण देने के लिए तैयार है । सम्भवत: श्री अशोक मित्रा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं और मुझे आशा है कि वे किसी भी 'ओपेक' देश से पश्चिम बंगाल सरकार के लिए रियायती दर पर ऋण दिला पायेंगे । मैं देखना चाहूँगा कि कौन सा 'ओपेक' देश पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने का इच्छुक है···

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप गलाधारी ब्रदर्स से ऋण लेने का प्रयत्न क्यों नहीं करते ?

श्री आर. वेंकटरामन : आपने किससे ऋण लेने का प्रयत्न किया था । आप और विवरण चाहते हैं—आपने किससे ऋण लेने का प्रयत्न किया और आपने किसके लिए बहुत सी रियायतें दी ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : आप उन सब पत्रों को सभा पटल पर क्यों नही रखते ?

श्री आर. वेंकटरामन : आप प्रश्न कीजिए और मैं रखूंगा ।

श्री कमलनाथ : मेरे दिमाग में जो दूसरी बात आ रही है वह यह है (व्यवधान) मुझे आशा है कि इससे उन्हें स्पष्ट नहीं होता है । मेरे विपक्षी मित्र उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में जा सकते थे और स्थगन आदेश ला सकते थे । इस समय हमारी न्यायपालिका की जैसी स्थिति है उससे मुझे विश्वास है कि कोई न कोई न्यायालय इस पर स्थगन आदेश दे सकता था क्योंकि एक ऐसे देश में जहाँ न्यायालय हत्या करने वालों तथा बलात्कार करने वालों को मिलने वाली सजा स्थगित कर सकते हैं तो यह भी सम्भव हो सकता था ।

मेरा अपने मित्रों से निवेदन है कि वे हमारे आवेदन पत्र को देखें जो हमने निधि की विस्तारित सुविधा के अन्तर्गत दिया है । इसका हमारी आर्थिक नीतियों के साथ किस प्रकार ताल-मेल बैठता है ? कुछ शर्तें हो सकती हैं इसके बारे में बार-बार कहा गया है ।

इनके बारे में मुझे विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई कुछ शर्तें गत 10 अथवा 15 या 20 वर्षों में हमने जो नीति सम्बन्धी संकल्प पारित किये हैं उनके अंग स्वरूप ही हो सकती हैं । वे शर्तें गत एक वर्ष में हमने जो नीति सम्बन्धी संकल्प पारित किये हैं उन पर आधारित नहीं हैं । हमने गत दशक अथवा गत दो दशकों में जो नीति सम्बन्धी संकल्प पारित किये हैं क्या वे उन पर आधारित नहीं हैं ? यह प्रश्न है जो मैं पूछना चाहूँगा ।

कई दूसरी बातें भी हैं जिनके लिए इस ऋण की आलोचना की जा रही है । उनमें से कुछ हास्यास्पद हैं और मैं उनका उल्लेख करने में सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं । मैं अपने मित्रों को कोई मूल अर्थशास्त्र की शिक्षा देने का प्रयत्न नहीं करूंगा किन्तु मैं कुछ मुद्दों को संक्षेप में लूंगा । मूलत: शर्तों सम्बन्धी हमारे वित्त मंत्री के नीति सम्बन्धी वक्तव्य को पुनरा-

वृत्ति ही हैं। नीति सम्बन्धी वक्तव्य क्या है ? नीति सम्बन्धी वक्तव्य के तीन पहलू हैं जिनपर हमें वास्तव में विचार करना चाहिए। ये पहलू निजी तथा सरकारी क्षेत्र की निवेश नीति, आयात नीति और ऋण कटौती के सम्बन्ध में हैं। जहां तक निजी और सरकारी क्षेत्र के निवेश के प्रश्न का सम्बन्ध है, बार-बार हरारी नीति सम्बन्धी वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया है। इसे पूर्व सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है तथा यह कई बार पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है अतः क्या अब कोई नई बात है ? प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी नई चीज है अथवा क्या कोई विशेष शर्त है जिससे निजी अथवा सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में हमारी नीति सीमित होती है या उसका निराकरण होता है। हमने यह निश्चिय किया है कि हमारी एक ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्र बने रहेंगे। छठी योजना में सरकारी क्षेत्र में निवेश की कुल विकास प्रतिशतता पाँचवी योजना की अपेक्षा अधिक थी। अतः इस तर्क में कोई तथ्य नहीं है।

जहाँ तक आयात नीति का सम्बन्ध है, आयात नीति हर वर्ष बनाई जाती है। कभी ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्रों में आयात नीति को उदार बनाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में इसे अधिक कड़ा बनाया जाता है। मैं उदार आयात नीति के पक्ष में नहीं हूं। मैं इसका विरोध करता हूं। क्या हम अद्यतन औद्योगिकी के आयात के लिए आयात बिल में कटौती करें ? हमारा नीति सम्बन्धी वक्तव्य यही कहता है। इसमें अद्यतन प्रोद्योगिकी बात कही गई है।

ऋण नियंत्रण और मुद्रा सप्लाई की स्थिति के बारे में हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 1980 और 1981 में बहुत कुछ कहा है। ऋण सम्बन्धी नीति और मुद्रा सप्लाई की स्थिति के बारे में वाद-विवाद में भी काफी कुछ कहा गया है। मैंने स्वयं इस सभा में वही बात कही है कि मुद्रा सप्लाई की स्थिति और हमारी ऋण नीति के सम्बन्ध में हमें क्या नियंत्रण रखना चाहिए।

यह ठीक वही है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है। ये सामान्य वित्तीय एवं विवेक-पूर्ण आर्थिक नीतियाँ हैं। इसमें कोई अजीब बात नहीं। इनके बारे कोई असामान्य बात नहीं है। संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें न केवल हमारी सरकार की घोषित नीतियों के अनुरूप हैं बल्कि जनता और लोक दल सरकार की नीतियों के भी अनुरूप हैं। हमारी जनता सरकार ने प्रसिद्ध आवृत्ति योजना थी। उसमें भी यही चीज थी...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या ?

श्री कमल नाथ : उसमें भी सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के बारे में यही धारणा थी तथा आयात नीति भी ऐसी थी। हमारे दृष्टिकोण पत्र को भूल जाइये। जो योजना हमने बनाई है उसको भूल जाइये। हम जनता सरकार द्वारा बनाई गई आवृत्ति योजना की ही बात करते हैं। बात यह है कि हमने स्थिति की गम्भीरता को पहचाना है। हमारी सरकार सक्षम तथा योग्य थी तथा स्थिति को पहचानने में समर्थ थी और हम ऋण लेने में समर्थ हुए हैं। यदि हमने अब उधार न लिया होता तो कल हमें माँगना पड़ता। अतः मैं वास्तव में वित्त मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्हें यह सराहनीय सफलतामिली है।

बहुत से विपक्ष के मित्रों ने भुगतान संतुलन की स्थिति के बारे में कहा है कि हमारा देश

ही एक ऐसा देश है जिसके मामले में ऐसा हुआ है। मैं उनके इस भय को, इस आशंका को दूर कर देना चाहता हूँ। इसका बहुत ही ताजा उदाहरण अमरीका है जिस को आठवीं दशाब्दी में भुगतान सन्तुलन की समस्या का सामना करना पड़ा और उन स्वर्ण मानक को छोड़ना पड़ा क्योंकि डालर डच मार्क, जापानी येन तथा स्विस फ्रैंक की तुलना अचानक कम होता चला गया। भारत की भुगतान सन्तुलन की समस्या हमारी अपनी होने के बजाय विश्व स्थिति के संयुक्त प्रभाव के कारण है जिस पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है।

डा० फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर) : उन्होंने बैंक दर को बढ़ा दिया तथा अरब से धन प्राप्त कर लिया था।

श्री कमल नाथ : जहां तक मैं समझता हूं इसका वास्तविक हल यह है कि हम कृषि उत्पादों के मामले में अपने अधिशेष को बढ़ायें यह इस लिए कि हमारी जनसंख्या के 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं और यही क्षेत्र है जहाँ पर धन का वास्तविक वितरण किया जा सकता है। यदि हम अपने इतिहास के पिछले 30 वर्षों को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि कृषि क्षेत्र का रिकार्ड औद्योगिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक अच्छा रहा है। इसने अपना अच्छा लेखा दिया है और इसमें कोई संदेह नहीं है। एक अच्छे बासमती चावल के एक टन के बदले 37 सैंट प्रति बैरल पर कच्चे तेल की कीमत से तीन गुनी कीमत प्राप्त की जा सकती है। कृषि पर अधिक जोर देने से ही जो कि हम छठी योजना के अन्तर्गत कर रहे हैं हम अपनी वर्तमान समस्याओं पर काबू पा सकते हैं जिससे हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण को लौटाने के समर्थ होंगे क्योंकि यह कहा गया है कि यह एक बपौती है जिसको हमारी सन्तति ग्रहण करेगी जिसके विषय में हमारी सन्तति शिकायत करेगी।

मुख्य बात यह है कि हमें सभी गैर-परम्परागत निर्यात संसाधनों को काम में लाना है।

सभा पति महोदय : मुझे आशा है कि अब आप अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

श्री कमलनाथ : मैं और दो मिनटों में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री कमलनाथ : उन्होंने बीच में व्यवधान डाला है। अत: आपको मेरा समय कम नहीं करना चाहिए।

मुख्य बात यह है कि हमें यथासम्भव कम से कम समय में अपने अपरम्परागत निर्यात संसाधनों को बढ़ाना चाहिए। अत: वर्तमान में 'जो हम उत्पादन करें उसका निर्यात करें' के बजाय 'निर्यात के लिए उत्पादन' नारा बन जाना चाहिए। नयी योजना में भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। आखिर, 1,400 लाख हेक्टेयर जमीन के क्षेत्र में से कम से कम 50% बहु फसलीय प्रयोग के लिए है और ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें 3/1-2 फसलें संभव हैं। यदि छठी योजना के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गये तो भारत के पास निर्यात करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न होंगे।

महोदय, इस अवसर पर मैं माननीय वित्त मंत्री से यह कहना चाहता हूँ कि हमें इस इसका अच्छी स्थिति का किसी भी हालत में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, अपनी आयात नीति बनाते समय हमें भावी वर्षों में आयातों की

उदार नीति नहीं बनानी चाहिये। किसी विशेष खपत के लिए कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह एक छोटे से कोने के कमरे के समान है जो हमें अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है, यह हमारे समाने स्थिति का मुकाबला करने तथा इसको ठीक करने के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह हमारे लिए अस्थायी राहत है। यह एक एनासिन या एस्प्रो ले लेने के समान है। यह एक राहत है—इलाज नहीं। इलाज तभी होगा जब हम अपनी विदेशी विनिमय की समस्या पर काबू पाने में समर्थ होंगे।

समाप्त करने से पहले मैं अपने विपक्ष के मित्रों से अपील करूंगा कि वे अपने निर्धारित विश्वासों के बन्दी न बनें। हमें सफल उदाहरणों पर देखना चाहिए। मेरे मित्र भी बीजू पटनायक ने तन्जानिया के विषय में कुछ कहा। यह उसी पुस्तक में है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने जामायका के विषय में उल्लेख किया है।

श्री कमलनाथ : मुझे खेद है, उहोंने जमायका का उल्लेख किया है, उहोंने बंगला देश का भी उल्लेख किया। परन्तु ब्राजील का किसी ने भी उल्लेख नहीं किया। यह सफल कहानी है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया है तथा ब्राजील ने इस ऋण का सफलतापूर्वक प्रयोग किया।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यद्यपि वहां एक मिलिट्री जनता है तथापि उन्होंने इस शर्त को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है कि कोई वाणिज्यिक उधार नहीं लिया जायेगा।

श्री कमलनाथ : बिल्कुल नहीं, वास्तव में, हमारी शर्तें ब्राजील से ज्यादा अच्छी हैं। हमें इस देश के सफल रिकार्ड को देखना चाहिए जिसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया है।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि जब किसी के पास कोई उचित, संगत बात कहने को नहीं होती तो वह शब्दाडंम्बर में पड़ जाता है और बोलता है और यही बात पिछले कुछ घंटों में अपने हमें विपक्ष के साथियों से देखने को मिली है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री भगत।

श्री बी० आर० भगत (सीतामढी) सभापति महोदय, यद्यपि मैं सदन की इस ओर से बोल रहा हूँ फिर भी मुझे वित्त मंत्री के प्रस्ताव को समर्थन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है (व्यवधान) मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि यह देश स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से जवाहर लाल नेहरु, लाल बहादुर शास्त्री तथा वर्तमान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के महान और प्रेरणादायक नेतृत्व में एक विशेष आर्थिक नीति का पालन कर रहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री देसाई का हवाला भी दीजिए।

श्री बी० आर० भगत : चिन्ता मत कीजिए मैं इस पर भी आऊँगा। जब मैं उनका हवाला दूँगा तो तब आप मुझे थपथपायेंगे। (व्यवधान) उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि यह एक बड़ा देश है—दो सबसे बड़े देशों में से एक है इस देश में सहमति से समाजवाद बनाने की नीति रही है तथा बौद्ध दर्शननीति का अनुसरण किया गया है—स्वर्णमध्यम मार्ग या मध्यम रास्ता न बहुत अधिक दायें और न बहुत अधिक बाँये। आर्थिक नीति के विकास के लम्बे रास्ते में, इस सभा में इस पर आक्रमण हुआ, मुझे व्यक्तिगत रूप से याद है—दोनों बांयी और दांयी ओर से परन्तु यह

नीति समय पर खरी उतरी है। इसने इस देश में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की कष्टकर यात्रा सही है उनमें से कुछ का मैं हवाला दूँगा क्योंकि मैं किसी न किसी रूप में इस नीति के बनाने या क्रियान्वयन इस सदन में या अन्तर्राष्ट्रीय जन सभा, मंचों में लम्बे समय से सम्बद्ध रहा हूँ।

महोदय, वास्तव में इसका श्रेय वित्त मंत्री को दिया जाना चाहिए। यदि आप आराम से ऋण की शर्तों का अध्ययन करें तो आपको ज्ञात होगा कि उन्होंने एक बड़ा कार्य किया है। (व्यवधान) मैंने इसलिए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जिनसे देश गुजर रहा है, यदि श्री देश मुख, टी० टी० के० या मोरारजी देसाई—यह मैंने श्री दण्डवते के लाभ के लिए कहा है—भी होते तो वे भी वही करते जो श्री वेंकटरामन ने किया है।

महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी बहुपक्षीय एजेंसी के साथ की गयी व्यवस्था पर भी आपत्ति उठा रहे हैं। यह एक नीति बन गयी है। अनेकों बार इस सभा में इस पर वाद विवाद किया जा चुका है कि भारत के लिए, जो एक तृतीय विश्व देश तथा एक विकाशील देश है, और जो अथक प्रयत्नों से अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने का प्रयत्न कर रहा है, ऋण के मामले में बहुपक्षीय व्यवस्था करना अधिक अच्छा है। जब टी० टी० के० ने ऋण के लिए बातचीत की थी तो उन्होंने कंसोरशियम देशों के साथ ऋण की व्यवस्था की और वह ऋण वर्षों तक बजट का एक संसाधन बना रहा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक के माध्यम से ही इस विदेशी ऋण की व्यवस्था की गयी। अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी या हल्की शर्तों वाला ऋण भी बहुपक्षीय एजेन्सी के माध्यम से ही लिया गया। हम गैर सरकारी निवेशों के लिए अनिच्छुक थे। औद्योगिक देशों की एक यह भी शिकायत रही है कि भारत गैर-सरकारी निवेश नहीं कर रहा है। जब यह मामला श्री देशमुख तथा टी० टी० के० के सामने उठाया गया तो उन्होंने एक आर्थिक उत्तर दिया परन्तु यह मोरारजी देसाई के सामने उठाया गया—फिर श्री दण्डवते के लिए-तो उहोंने तपाक से कहा कि आप मुझे ऋण लेने के लिए कहते है ताकि मैं उसे लौटाने में सफल न हो सकूं। मैं केवल उतना ही ऋण चाहता हूँ जिसको मैं लौटा सकूँ। बाह्य व्यवस्था में यह नीति रही है। महोदय, यह कहा गया कि बाह्य ऋण 15 हजार करोड़ के लगभग है तथा इस ऋण से यह और बढ़ेगा। परन्तु महोदय कुल राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में यह कितना है। दूसरे देशों की तुलना में इस देश का क्या रिकार्ड रहा है ?

प्रो० मधु दण्डवते : 15 हजार करोड़ राष्ट्रीय आय का 11% है तथा इस ऋण के बाद यह 16% हो जायेगी।

श्री बी० आर० भगत : फिर भी इसका प्रबन्ध किया जा सकता है। जब वित्त मंत्री कहते हैं तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए।

यह छठी योजना में केवल दो प्रतिशत बनता है। निजी निवेश छठी योजना में कुल विकास प्रतिशत का दो प्रतिशत रखा गया है। ये हैं आंकड़े जो हमें प्राप्त हुए हैं। हमारी नीति यह रही है कि हम अधिक विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त न करें। चाहे वह विदेशी सहायता या विदेशी निवेश या किसी अन्य रूप में हो। अतः हमने विश्व बैंक के साथ बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यवस्था की है। हम आज तक इसी नीति पर चलते आए हैं और श्री वेंकटरामन भी इसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। महोदय, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि स्वतन्त्रता

प्राप्ति के बाद से ही महान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह नीति रही है। यह वह नीति है जो जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इस नीति का पालन कोई आज से नहीं किया जा रहा अपितु स्वतन्त्रता प्राप्ति के दिनों से ही किया जा रहा है। भारत की आर्थिक नीतियों और आर्थिक विकास को तीसरे विश्व के देशों द्वारा एक आदर्श माना जाता रहा है। यह आज भी सभी विकास-शील देशों का एक आदर्श है। यही कारण है कि भारत की ऋण वापस करने की नीति सर्वश्रेष्ठ है; आप भारत की विश्वसनीयता देख सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आज संयुक्त राज्य अमेरीका अकेला पड़ गया है। आज उसका कोई समर्थन नहीं करता है। उन्होंने हमारे विरुद्ध मतदान का साहस नहीं किया इसलिए मतदान में भाग नहीं लिया। हम जानते हैं कि कोई भी उनके साथ नहीं जाता। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री रेगन ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पिछली बैठक में इस कोष की नीतियों की आलोचना की थी। इसे किसी ने पसन्द नहीं किया। मैं जानता हूँ, यह सच्चाई है।

मैं सभा के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि पहले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने में कुछ हिचकिचाहट हुआ करती थी क्योंकि अतित में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कुछ ऋण और बैंकिग की नीतियां बड़ी ही रुढ़िवादी थीं। तृतीय विश्व के देशों की आम धारणा यह रही है कि तृतीय विश्व के किसी देश विशेष के समाजवादी और आर्थिक लक्ष्यों की यह अधिक परवाह नहीं करता।

फिर महोदय, कई देशों के नामों का उल्लेख किया गया था। प्रत्येक देश में हालत या स्थिति एक जैसी नहीं है। कृपया एक देश की दूसरे देश से तुलना न करें क्योंकि प्रत्येक देश में स्थिति भिन्न है। प्रत्येक देश प्रभुसत्ता सम्पन्न है। पड़ौसी बगला देश का मामला लीजिए। मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बंगलादेश को दूसरी और तीसरी किस्त देने से इसलिए इन्कार कर दिया है कि उन्होंने मानदण्डों को पूरा नहीं किया है। हो सकता है कि बंगला देश ने उन मानदण्डों को पूरा नहीं किया हो जिनके लिए उसने पहले सहमति व्यक्त की थी। कोई भी कारण रहा हो, नरन्तु उन्हें दूसरी और तीसरी किस्त नहीं दी गई। इसलिए हम ऋण न लें, यह कोई कारण नहीं है। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि इसमें गर्व की बात कहां से आ गई। मेरे मित्र श्री मधु दण्डवते कहते हैं कि यह ऋण प्राप्त करके हमारे वित्त मंत्री बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। यह गर्व की भावना नहीं अपितु कर्तव्य की भावना है। ऋण लेना कोई पाप नहीं है। ऋण लेने का यह अर्थ नहीं कि आप पाप कर रहे हैं। इस प्रकार की धारणा का अनुसरण मध्य युग में कुछ धर्मों द्वारा किया जाता था। वे कहते थे कि ऋण लेना पाप है, इसलिए ऋण मत लो। परन्तु अब आप जानते हैं कि पिछले 100 वर्षों से विश्व के विकास और सभी आधुनिक आर्थिक विकास का आधार ऋण ही रहा है। आप कृपया निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की ओर दृष्टि डालें। दोनों क्षेत्रों में इक्विटी-ऋण अनुपात समान है। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र में ऋण अपेक्षाकृत अधिक है। अतः यह कहना कि हमने ऋण लेकरगलत काम किया है, सही नहीं है।

मुद्दा यह हैं कि हमें इसकी उद्देश्य परक-परीक्षा करनी चाहिए। (व्यवधान)

मैं उस नीति का उल्लेख कर रहा हूँ जिस पर आपने आपत्ति की थी। मैं यह कह रहा

हूँ कि आप कृपया अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की छवि देखें। हमारी प्रधान मंत्री जी कानकुन गई थीं। आपने उनके भाषण को पढ़ा। आप जानते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत न केवल एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण कर रहा है, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति में सुधार का तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लोकतान्त्रिक स्वरूप प्रदान करने का समर्थन भी कर रहा है। आप आरम्भ से ही विभिन्न वित्त मंत्रियों के भाषणों को पढ़ें।

(व्यवधान)

आप बाधा क्यों डाल रहे हैं ? मुझे विश्वास है डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी मुझसे सहमत होंगे। मैं अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं, राजनीति शास्त्र की नहीं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

16.50

तथ्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लोकतान्त्रिक स्वरूप प्रदान करने के मामले का नेतृत्व भारत करता आ रहा है ताकि तृतीय विश्व के देशों को उसमें कुछ दखल देने का अधिकार मिले। इस समय इसका सम्पूर्ण प्रबंध नौ औद्योगिक देशों के हाथ में है। उन्हीं को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने के आन्दोलन का नेतृत्व भारत कर रहा है। चाहे यह निर्गुट राष्ट्रों में हो, चाहे उत्तर-दक्षिण वार्ता हो या पेरिस सम्मेलन हो या अन्य सम्मेलन हों या संयुक्त सम्मेलन हों। 'अंकराड' के सभी मंचों पर अथवा 77 देशों के ग्रुप में भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पुनर्गठन के आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा है ताकि तीसरे विश्व के देश भी अपनी आवाज उठा सकें। यह इसलिये संगत है कि राष्ट्रपति नुमेरी द्वारा कुछ देशों के नामों का उल्लेख किया गया था। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व की उस वास्तविकत स्थिति को प्रतिबिम्बित नहीं करता जिनके कारण ऐसी नई आर्थिक शक्तियों तथा ऐसे नये कारक पैदा हो गये हैं जो विश्व में युद्ध और शान्ति की व्यापक समस्या पैदा कर रहे हैं। अतः आज यह एक बड़ी भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है। और मुझे यह कहते हुए खेद है कि प्रो० मधु दण्डवते कहते हैं कि "हमें इस पर राष्ट्रीय वाद-विवाद करना चाहिए।"

निस्सन्देह, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हमें इस पर राष्ट्रीय बहस या वाद-विवाद करना चाहिये। परन्तु इस पर केवल एक दृष्टिकोण से और वह भी राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय हित की नीति का अनुसरण करना है और मैं सोचता हूं कि सभी पक्षों के सदस्यों को इस प्रश्न पर इसी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये न कि दलगत संकीर्ण दृष्टिकोण से। इस पर राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय हितों तथा देश की प्रभुसत्ता का सौदा किया गया है। हमारी स्वतंत्र कार्यवाही के फलस्वरूप ही यह ऋण मिल सका है। ये लोग कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता का सौदा किया गया है। क्या हम ऐसी बात गम्भीरता से कर रहे हैं ? क्या यह शुरू से ही सरकार की परम्परा रही है। क्या आप इस प्रश्न के सम्बन्ध में या किसी अन्य प्रश्न के संबंध में ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां राष्ट्रीय हित अथवा राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के बारे में सौदेबाजी की गई हो ? क्या कभी हमने कार्यवाही करने की अपनी स्वतन्त्रता को छोड़ा

है ? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसका सौदा किया जा सकता है ? (हंसी) यह हसने की बात नहीं है बल्कि तथ्य की बात है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कल 11 बजे तक इनके लिए वहां सीट अलाट कर दीजिये (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : मुझे इस बात का खेद है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे बहुत वरिष्ठ और जिम्मेवार सदस्य आक्षेप कर रहे हैं । क्या यह कहना गलत है कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इस देश की ओर से चलाई जा रही नीति ठीक नीति है ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : प्रधान मंत्री भी इस बात पर मुस्कराई थीं ।

श्री बी० आर० भगत : क्या यह मुस्कराने का प्रश्न है ? जब आप यह आरोप बताते हैं तो मैं आप से पूछता हूं कि वित्त मंत्री ने इस ऋण को लेकर इस देश की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का सौदा कैसे किया है (व्यवधान) : क्या यह राष्ट्रीय चर्चा का विषय है ? इस बात को आप जानते हैं । आप अर्थशास्त्रियों की बैठक का आयोजन करते हैं या आप कोई चीज प्रकाशित करते हैं जिसमें आप पश्चिम बंगाल सरकार की कुछ बातें खुली तरह से प्रकाशित करते हैं और कहते है कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का सौदा किया गया है । आप कहते हैं कि इस ऋण के बाद देश गरीब लोगों और समाजवादियों की कीमत पर बहुराष्ट्रिकों की कृपा पर निर्भर करेगा और इस देश में उपनिवेशिक प्रणाली चलेगी । क्या यह मुस्कराने की बात है ? क्या यह गम्भीर बात नहीं है ? यदि मैं तर्क देता हूं और तथ्य सामने रखता हूं तो आप कहते हैं कि प्रधान मंत्री मुस्कराई थीं । क्या आप इस बारे में गम्भीर हैं ? (व्यवधान) यदि आप राष्ट्रीय चर्चा चाहते हैं तो ऐसा कीजिये, लेकिन ठीक ढंग से कीजिये ।

दो प्रकार के प्रश्न उठाये गये हैं; एक प्रकार के ऋण की शर्तों के बारे में है और दूसरी प्रकार के प्रभावित होने वाली आर्थिक नीतियों के बारे में है । वित्त मंत्री ने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणियों में इनमें से अधिकांश बातों पर प्रकाश डाल दिया है और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता; मैं उनमें से केवल कुछ के बारे में विशेष बल देना चाहता हूं ।

पहला प्रश्न, जिसका जिक्र प्रत्येक सदस्य ने किया है, यह है कि ऋण की एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है । वित्त मंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वह अंकीय अधिकतम सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रतिशत की बात कर रहे हैं और इस वर्ष की अधिकतम सीमा में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह बात इन्होंने कही है । क्या आप इसे चुनौती दे सकते हैं ? इन्होंने आंकड़े दिये हैं और मैं उनकी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता । यदि मार्च 1982 के अंत तक लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो क्या इससे साख पर कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा क्या देश की अर्थव्यवस्था उस प्रतिशत के फलस्वरूप ठप्प हो जायेगी ?

एक अन्य बात भी बार बार दोहराई गई है और मेरे विचार में इस पर बल दिया जाना जरूरी है । यह ऋण पी० एल० 480 ऋण की तरह नहीं है । उस समय श्री मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे । पी० एल० 480 ऋण में बजट संसाधनों की व्यवस्था थी । लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निधि की विस्तारित सुविधा, केवल ऋण के रूप में प्रदान की गई है । श्री कमलनाथ ने इस बात को कहा और शायद वित्त मंत्री ने भी अपनी प्रारम्भिक टिप्पणियों में इस बारे में कहा है

लेकिन कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा है कि ऐसा क्यों है और वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण से रिजर्व बैंक की विदेशी ऋण व्यवस्था में भी वृद्धि होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भी व्यक्ति मशीनरी का आयात कर रहा हो, या रख-रखाव के लिए आयात कर रहा हो, उसे यह ऋण मिलेगा। मंत्री महोदय को रुपयों में संसाधन नजुटाने हैं, केवल तभी उन्हें विदेशी मुद्रा मिल सकेगी। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि इस ऋण से रुपयों में संसाधन नहीं जुटेंगे।

एक दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि यह ऋण देश के आत्मसंतुष्ट बनायेगा और इससे देश को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। केवल ऋण लेने मात्र से ही किसी को आत्म संतुष्ट नहीं होना चाहिये। सरकार के पास कुछ कार्यक्रम तथा नीतियां हैं और चूंकि इससे आपके रुपयों के संसाधन नहीं बढ़ते, इसलिए आप को यह सोच कर आत्म संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आपके पास काफी धन है। सरकार यदि पागल हो तो ही आत्मसंतुष्ट हो सकती है। कोई सामान्य व्यक्ति या सामान्य सरकार इस ऋण को लेने से आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते।

मैं आयात में उदारता बरते जाने के बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह प्रश्न बार-बार स्पष्ट कर दिया गया है।

अब मैं दस्तावेजों के प्रश्न पर आता हूं। शुरू में यह भ्रम पैदा किया गया था कि कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि सदस्यों ने स्वयं कुछ दस्तावेज सभापटल पर रखे हैं और सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं। आपके पास वित्त मंत्री का आशय पत्र तथा आर्थिक विवरण है; आपके पास कार्यकारी निदेशक का प्रतिवेदन भी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सरकारी दस्तावेज भी उपलब्ध है और यह सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। यह हर जगह प्रकाशित हो चुका है और इसमें पूरा ब्यौरा है। मुझे आशा है कि सभी सदस्यों ने इसे पढ़ लिया होगा। यह दो पृष्ठ का मुद्रित दस्तावेज है; इसमें शर्तों तथा अन्य सभी बातों का उल्लेख है। कार्यकारी निदेशक के प्रतिवेदन में आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में क्या कहा गया है? क्या इसमें यह कहा गया है कि आयात को उदार बनाया जायेगा जिससे कि हर चीज के लिए ओपन जनरल लाइसेंस हो और यह देश विदेशी आर्थिक ताकतों, बहुराष्ट्रकों की गतिविधियों के लिए मुक्त हो हस्तक्षेप की नीति जारी रहेगी? क्या इसमें ऐसा कहा गया है? क्या कार्यकारी निदेशक का प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक दस्तावेज है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दस्तवेज में छठी योजना की नीतियों तथा कार्यक्रमों को उचित श्रेय दिया गया है। यह कार्यक्रम का समर्थन करता है। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्यक्रम आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन द्वारा बाह्य सहायता प्रदान करना है उन्होंने विशेष कर इन दो बातों को चुना है —आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन और वे कहते हैं, वे ऋण का आधार इस औचित्य पर मानते हैं कि इ० एफ० एफ० के अधीन माध्यम अवधि व्यवस्था करने के लिए किन्हीं विशेष प्रकार के उत्पादन में पूंजी निवेश करना जरूरी है, जिससे संवर्धन में वृद्धि होगी और उससे आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन दोनों में सहायता मिलेगी।

आर्थिक नीति के बारे में एक आलोचना यह है कि इस ऋण के फलस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र प्रभुत्व प्राप्त करेगा और सरकारी क्षेत्र पिछड़ जायेगा। मेरा विचार है कि जिन्होंने छठी योजना को पढ़ा है उन्हें पता है कि सरकारी क्षेत्र में पूंजीनिवेश 11 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रति-

शत हो जायेगा और छटी योजना के पूंजी निवेश—चाहे वे तेल में हों, चाहे उर्वरक में हों चाहे अन्य बुनियादी ढांचे में हो, चाहे इस्पात एलमिनियम तथा ऊर्जा में हों—सरकारी क्षेत्र में है। अतः वे किस आधार पर ऐसा कहते हैं ? आयात प्रतिस्थापन का अर्थ यह है कि अनावश्यक आयातों में कमी जायेगी और उन वस्तुओं के आयात में कटौती की जायेगी जिनका उत्पादन देश के अन्दर हो रहा है। आयात प्रतिस्थापप का अर्थ यह है । यह विज्ञाप्त तथा प्रो० मधु दंडवते द्वारा सभा पटल पर रखने के दस्तावेज से इन बातों की पुष्टि होती है—यह आयत प्रतिस्थापन तथा निर्यात संबर्धन और यह कई बातों में से एक मुख्य बात है जिसके आधार पर उन्होंने भारतीय आर्थिक प्रयत्नों की सराहना की है । भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन यह है कि यह मजबूत है। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, वर्तमान स्थिति अप्रत्याशित कारणों से—तेल के आयात मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि से उत्पन्न हुई है । इन्होंने आंकड़े दिये हैं । मैं उस बारे विस्तार से नहीं जाना चाहता । और तदनुसार औद्योगिक देशों में संरक्षणात्मक नीति अपनाये जाने के परिणाम स्वरूप व्यापार में गिरावट आई है जिससे निर्यात को क्षति पहुँची । इस वर्ष के निर्यात में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है, यद्यपि पिछला वर्ष एक खराब वर्ष रहा । लेकिन औद्योगिक देशों में संरक्षणात्मक नीति के कारण तथा औद्योगिक मंदी के कारण निर्यात में सामान्य वृद्धि नहीं हुई है। उत्तर और दक्षिण के बीच का भी यह एक विषय है ।

यह अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को पुर्नगठित करने का एक मामला है । और आप देखिये कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में भारत का कितना अधिक महत्वपूर्ण योगदान है । लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि इस ऋण के फलस्वरूप आयात में निर्बाध-उदारता नहीं बरती जायेगी, जिससे कि अमीर लोगों के लिए वीडियो टेप अथवा अन्य उपभोक्त वस्तुएं बाहर से आ सकें । यदि यह सरकार आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाये और मेरा विश्वास है कि वह अयनयगी तो इससे न केवल निर्यात में वृद्धि होगी लेकिन इसके फलस्वरूप इस्पात, उर्वरक, सीमेंट तथा अन्य बहुत सी औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन देश के अंदर ही होने लग जायेगा । हम उर्वरक, इस्पात तथा कई अन्य वस्तुओं का आयात करते हैं और इसके फलस्वरूप उनके आयात में कमी हो जायेगी। अतः असली बात यह है जब हमारे निर्यात में वृद्धि होगी तो हमारे खाते में पर्याप्त विदेशी मुद्रा बकाया होगी ।

अंत में मैं कहूंगा कि इस ऋण को लेने के संबंध में वित्त मंत्री पर लगाये गये आरोपों की तथ्यों के आधार पर पुष्टि नहीं होती । यह कहना ठीक नहीं है कि संसद की प्रतिष्ठा कम हो गई है और यह कि इस पर एक खुली चर्चा, एक स्वतंत्र चर्चा अथवा राष्ट्रीय चर्चा नहीं हुई है अथवा यह कि यह राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है । आपको संदेह है कि वित्त मंत्री ने या तो देश की दशा का सौदा किया है या इसके बारे में कोई अनौपचारिक बातचीत हुई है । जब उन्हें औपचारिक बातचीत से कुछ पता नहीं चला तो वे कहते हैं कि कोई औपचारिक बातचीत होगी जो दूसरी तथा तीसरी किश्त के दौरान सामने आये । श्रीमान इस ऋण के द्वारा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात संवर्द्धन विकास की दर में वृद्धि जैसे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलेगी और 1983 के अंत में भारत सरकार की स्थिति मजबूत हो जायेगी ।

मुझे आशा है कि प्रथम या द्वितीय वर्ष में यह विशेष आहरण अधिकार के अन्तर्गत 90 करोड़ का और 180 करोड़ की दूसरी किश्त का समझौता करेगा। मेरे विचार से सदन का वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करने का विचार होगा कि तीसरे वर्ष में 230 करोड़ की तीसरी किश्त छोड़ दी जाये। देखिए विश्व में तब भारत की क्या स्थिति होगी। इसकी विश्व-सनीयता और इसका सम्मान ऐसा हो जायेगा कि लोग कहेंगे कि, चाहे विश्व में आर्थिक घाटे की स्थिति कैसी भी क्यों न हो विदेशी मुद्रा की स्थिति कितनी भी विषम क्यों न हो और अर्थिक मन्दी कितनी ही विकट क्यों न हो। भारत एक ऐसा देश है जहां ऐसा नेतृत्व है, ऐसी संसद है और राष्ट्रीय इच्छा शक्ति है जो कि राष्ट्रीय हितों का सही दिशा में अनुसरण करती है और हर संकट से देश को उभारती है।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय मैं कोई भाषण नहीं कर रही हूं, परन्तु मैंने यह अनुभव किया किया कि मुझे एक बात पर बल देना चाहिए। यहां जो मुद्दे उठाये जा रहे हैं, मेरे सहकर्मी वित्त मंत्री महोदय पहले ही उनमें से अधिकांश का उत्तर दे चुके हैं। मैंने कुछ भाषण अपने कमरे से सुने हैं। जिन बातों का उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, निस्सन्देह उन्हें वह इस चर्चा के अन्त में स्पष्ट कर देंगे।

मैं केवल इस बात पर बल देना चाहती हूं कि यह ऋण या ऋण का समझौता, ऋण प्राप्त करने का एक स्रोत हैं। यह हमें उधार लेने के लिए बाध्य नहीं करता और न हम तब तक उधार ही लेंगे जब तक ऐसा करना राष्ट्र के हित में न हो। ऐसे किसी कार्यक्रम को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जो संसद में घोषित और स्वीकृत हमारी नीति से मेल न खाता हो किसी व्यक्ति का यह सोचना अकल्पनीय है कि हम किसी भी ऐसे बाह्य अभिकरण से सहायता स्वीकार करेंगे जो ऐसी शर्तें रखे जो कि हमारी इस प्रकार की नीतियों से मेल न खाती हों।

मेरे विचार से मैंने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : देश का सौभाग्य है और विपक्ष का दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक योग्य वित्त मंत्री है और उनका पक्ष सबल है।

महोदय आज जब वित्त मंत्री महोदय ने अपनी बात आरम्भ की—इस विषय पर समाचार पत्रों में चर्चा लम्बे समय से चल रही है, बहुत से लोगों ने इसके पक्ष में और बहुत सों ने इसके विपक्षा में लिखा है। उस ओर के हमारे नेतागण और माननीय सदस्य भी समाचार पत्रों में अपनी आवाज उठा चुके हैं, जो कि हमने सभी ने देखी हैं और सम्भवतः वित्त मंत्री महोदय ने भी देख लिया होगा—उनके मुद्दों का पूर्वानुमान लगाते हुए उन्होंने उन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किये। विपक्ष के सदस्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक था क्योंकि उनके मुद्दों को उठाए जाने से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। उस कारण से उनकी चिन्ता को मैं समझ सकता हूं। वे उन्हें नहीं उठ सकें, चूंकि मन्त्री महोदय उनके मुद्दों को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं और मेरे विचार से बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने उनका उत्तर दिया है। और मुश्किल से ही कोई मुद्दा बचा होगा।

कोई एक मुद्दा उठाने की तो बात ही क्या है, वे तो शोर भी नहीं मचा सके। ऐसी बात

नहीं है कि मैं यह चाहता हूं कि वे शोर मचाएं, परन्तु आज वे कोई शोर नहीं मचा सके और दूसरे यह बात भी थी कि उन्हें अपने पक्ष की कमजोरी का पता था।

(व्यवधान)

मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बोल रहा हूं। यह सब बातें उसी के बारे में हैं। मेरा सविनय निवेदन यह है कि किसी ने भी विदेशी मुद्रा सन्तुलन की आज की विकट स्थिति के बारे में गम्भीर रूप से तर्क-वितर्क नहीं किया है इसके बजाए सभी ने कमती-बढ़ती प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि विदेशी मुद्रा की स्थिति आज ऐसी है कि यदि हम अब से लेकर अगले दो वर्षों में कुछ नहीं करते हैं तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो जायेंगे।

कुछ मित्रों ने एक विकल्प रूप में कुछ सुझाव देने का प्रयास किया है। प्रो० मधु दण्डवते का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैंने सदैव यह विश्वास किया है कि वह बड़े ही योग्य व्यक्ति हैं और सार्थक भी। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : खड़े हुए।

श्री एच० के० एल० भगत : डा० स्वामी, यदि आप चाहते हैं तो आपको खुश करने के लिए आपके बारे में भी मैं वही बात कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : भगत जी, किसी भी तरह से हो, क्या आपको 'स्वामी' नाम रास नहीं आता है ?

श्री एच० के० एल० भगत : नहीं महोदय, मैं उन्हें बहुत चाहता हूं। आइये हम विकल्पों को देखें और हमें बड़े ही शान्त ढंग से यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि प्रो० दण्डवते ने और अन्य सदस्यों ने जो उपाय सुझाएं हैं। यदि हम उन्हें अपना लें तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा।

प्रो० दण्डवते ने यह उपाय सुझाया था कि हम आयातों को कम करके अपनी विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि हम तेल के आयात में 10% की कटौती कर सकते हैं और इससे कम से कम 1,000 करोड़ रु० का फर्क पड़ जायेगा। यह बात उन्होंने कही। क्या आज हम आपने तेल के आयात में कटौती कर सकते हैं ? निस्सन्देह सरकार ने इसकी कीमतों में वृद्धि करके कुछ कदम उठाए हैं जिससे कि घरेलू उपभोग को कम किया जा सके। देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने लिए सरकार सभी सम्भव कदम उठा रही है। हाल ही में हमने सोवियत संघ के साथ समझौता किया है। कुछ अन्य वस्तुओं के लिए भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी और इस लिए देश को तेल के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ना है।

अब हम देखते हैं कि प्रो० मधु दण्डवते का क्या कहना है ? क्या आज हम अपने तेल आयात में 10% की कटौती कर करते हैं ? इसका क्या परिणाम निकलेगा ? क्या आज हम भूल गये हैं कि तेल का उपयोग किसलिए होता है ? क्या हम यह भी भूल गये हैं कि दो वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी ? हम अभी उन लम्बी कतारों को नहीं भूले है जब किसानों को अपने ट्रैक्टरों और नलकूपों के लिए डीजल प्राप्त करने के लिए कई-कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। क्या और अधिक नलकूप नहीं लगेंगे ? क्या और ट्रैक्टर नहीं चलेंगे ? क्या हमारी

व्यावहारिक आवश्यकता के सन्दर्भ में हमारी तेल की आवश्यकता कम नहीं होगी ? क्या वे इसे नहीं बढ़ायेंगे ? क्या यह सच नही है कि उन दिनों तेल की कमी के कारण या कुप्रबन्ध के कारण अथवा जो भी कोई कारण हो, फैक्टरियां बन्द हो गई थी ? क्या आप उसी स्थिति को दोहराना चाहते हैं ? क्या हम डीजल, पैट्रोल, मिट्टी के तेल आदि का राशन करेंगे ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि तेल के आयात में 10% कटौती कर दें और उसके साथ लोगों के लिए कोई कठिनाइयां पैदा न हों। इससे फैक्टरियां बन्द हो जायेंगी। क्या नहीं होंगी ? क्या इससे समस्यायें खड़ी नहीं हो जायेंगी ? क्या इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी ? क्या इसका प्रभाव बिजली घरों पर नहीं पड़ेगा ? इससे बहुत सी वस्तुएं प्रभावित होंगी। वास्तव में तेल हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। यह वास्तव में एक समस्या है, कृपया मेरे इस कथन का बुरा न माने कि यह सर्वाधिक केन्द्रीय समस्याओं में से एक है जिसके चारों ओर आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति आकर्षित हो रही है। हमें इस तेल की आवश्यता है, हम इसमें कटौती नहीं कर सकते हैं।

इस ऋण के विरोधी तो पहले से ही दोषारोपण करते रहे हैं और 'बाल स्ट्रीट जनरल' में तो यहां तक कहा गया है कि यह मिराज सौदे के लिए धन जुटाने का एक दूसरा मार्ग है। उनका कहना है कि हम अपनी सुरक्षा आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन वस्तुओं को और ऋणों को प्राप्त कर रहे हैं। हमारा यह उद्देश्य नहीं है। हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उर्वरक के लिए आपको मुद्रा की आवश्यकता है किसान उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। भूमि में एक विशेष प्रकार का ही उर्वरक काम में लाया जाता है। अब प्रो० मधु दण्डवते हमें यह बताना चाहते हैं, जबकि विदेशी मुद्रा आपके पास केवल दो वर्ष के लिए और है, कि हम अपनी नीति बदले, उर्वरक में कटौती करें कोई और नया या पुराना तरीका अपनाएं और दो वर्ष तक प्रयोग करके देखें कि क्या होता है। कुछ मित्रों का कहना है कि हम भिखारी बनकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गये। जब हम प्रतिदिन किसी भिखारी के पास से होकर गुजरते हैं तो क्या हममें से कोई भिखारी को ऋण देता है ? नहीं, किसी भिखारी को ऋण नहीं मिल सकता। ऋण किसी उसी व्यक्ति, व्यक्ति विशेष या कम्पनी अथवा फर्म को दिया जाता है जो कि ऋण लेने योग्य हो। हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कभी भीख नहीं मांगी है। यदि हमने आपका सुझाव मान लिया होता और यदि सरकार अग्रिम रूप में कदम उठाने की समझदारी न दिखाती और यदि वे दो वर्ष तक इन्तजार करती रहती तो मुझे पूर्ण विश्वास कि वे नाक रगड़ने और घिघयाने की स्थिति में आ जाती, वह भिखारी की हालत को पहुँच जाती और कोई हमें यह ऋण न देता।

ऋण लेना अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की एक आम बात है। जब यह आवश्यकता न हो तो कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगा। परन्तु निर्णय यदि राष्ट्रीय हित में हो तो लेने ही पड़ते हैं। चाहे वे कितने ही अप्रिय क्यों न हों।

जब कभी हम श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम का उल्लेख करते हैं तो मेरे मित्र बड़े ही भावुक हो उठते हैं। मेरे वामपन्थी मित्र यह भूल गये कि समाजवादी नेताओं ने, बल्गेरिया के नेताओं ने और अन्य समाजवादी नेताओं ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में क्या कहा है। वे यह भी भूल गए हैं कि फ्रान्स के नेताओं ने तथा विश्व के अन्य नेताओं ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में क्या कहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सौभाग्य से हमारे पास देश में एक ऐसी नेता

जो कि देश के हित में न केवल प्रिय बल्कि कठोर और अप्रिय निर्णय लेने में दक्ष हैं और कभी-कभी उनकी आवश्यकता होती है और इस राष्ट्रीय हित की भी आवश्यकता है।

मेरे मित्र प्रो० मधु दण्डवते ने कुछ मुद्दे उठाये थे और फिर कहा कि ठीक है आप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लीजिए। वे जानते हैं कि उनका पक्ष कमजोर था और उन्होंने आधे मन से यह बात कहीं। उनका कहना था कि मुद्रा कोष से ऋण लेने के बजाय, सम्भव है कि कुछ परिस्थितियों में वाणिज्यिक उधार लेना हो। यह बात उन्होंने स्वयं कही, मुझे उनके शब्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पुनरावृत्ति तो अपरिहार्य हैं क्योंकि वित्त मत्री महोदय ने हमारे कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मेरा यह सविनय निवेदन है कि हमें स्थिति का पता है, तथा ब्याज आदि का पता है। अतः जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने ठीक ही स्पष्ट किया है यह सही है, यह एक ऐसा निर्णय है जिसक श्रेय हम ले सकते हैं और जहां तक यह आवश्यक होगा हम निर्णय लेंगे। जिन विकल्पों का सुझाव दिया गया है उनका कतई कार्यान्यन नहीं हो सकता है।

विपक्ष के सदस्यों ने कहा है कि यह हमारी स्वतन्त्रता हमारी सार्वभौमिकता के साथ समझौता सौदा करना होगा आदि। मेरे विचार से वित्त मंत्री महोदय पहले ही इस पर विस्तार से बोल चुके हैं। मैं तो केवल संक्षेप में दो शब्द कहूंगा। मैं तो केवल इतना कहूंगा—मैं अपना प्रश्न उनसे कर रहा हूं जो जनता में थे—कि प्रो० मधु दण्डवते सहित वे सब उस पंचवर्षीय योजना को देखें जो उन्होंने तैयार की थी और उसे भी देखें जो हमने तैयार की है। हम आत्म-निर्भरता के लक्ष्य से कहां एक इंच भी हिले हैं ? उन्होंने तो घरेलू उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं तक का आयात सरल कर दिया था। पहले की योजना की अपेक्षा इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं अधिक आवंटन किया गया है।

अतः मैं कहता हूँ कि यह आरोप सही नहीं हैं कि हम देश की आर्थिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का सौदा करने का प्रयास कर रहे हैं और कि हम विश्व मंचों पर सर ऊँचा करके खड़ा होने में समर्थ नहीं हो पायेंगे। आज देश के भीतर विद्यमान कठिन परिस्थितियों तथा हमारी सीमाओं पर कठिन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बावजूद तथा इस तथ्य के बावजूद कि एक या दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी ही रहती है, वास्तविकता यह है, जैसा कि गुट निरपेक्ष देशों के मेलबोर्न सम्मेलन और कानकुन सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा श्री रेगन तथा अन्य विश्व नेताओं के साथ की चर्चाओं से भी स्पष्ट है, कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना सर ऊँचा ही रखा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप कह सकते हैं कि उनका (प्रधान मंत्री का) सर।

श्री एच० के० एल० भगत : वह भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसा सम्भव है कि इस पर आपको गर्व महसूस न हो और आप इसे पसन्द न करें किन्तु, वह भारत का सर ही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० स्वामी आपको उत्तेजित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं यह निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह आलोचना बिल्कुल ही निरर्थक है।

अब मैं दो मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मेरे विचार में वित्त मंत्री अथवा इस ऋण को किसी से भी किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और

फिर भी मैं कुछ शब्द पढ़ना चाहूँगा। हो सकता है मेरे कुछ मित्र इसे पसन्द न करें। वे यह कह सकते हैं कि यह इस समाचार पत्र से लिया गया है और वह 'इस समाचार पत्र से,। मैं केवल कुछ पंक्तियां ही पढ़ रहा हूँ ये पंक्तियां टाइम्स आफ, इंडिया से ली गई हैं।

कुछ माननीय सदस्य : ओह! ओह! ओह!

श्री एच० के० एल० भगत : अब वे हंस रहे हैं। प्रति दिन वे कहते हैं कि समाचार पत्र स्वतंत्र हैं। वे समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। अब जब कोई बात उनके विरुद्ध जाती है, तो वे उपहास करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप बलगेरियन टाइम्स से उद्धृत क्यों नहीं करते ?

श्री एच० के० एल० भगत : श्री स्वामी, मैं जानता हूँ कि आप प्रचार के लिए समाचार-पत्रों के कार्यालयों में कैसे दौड़ते रहते हैं। (व्यवधान) इसका शीर्षक है "इर्रेलेवेंट डिबेट" (असंगत वाद विवाद) इसके अन्तर्गत कहा गया है :

"हम देश में विभाजित विपक्ष की बौद्धिक अपूर्णता के बारे में इससे अधिक बढ़कर कोई बात प्रकाश नहीं डालती कि उसने 5.6 अरब के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण को विवाद का एक विषय बनाने का निर्णय किया है। किसी प्रकार से सरकार ने एक प्रमुख राजनयिक चाल को विफल कर दिया है।"

(व्यवधान)।

"इसे जो ऋण मिला है वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अब तक दिया गया यह सबसे बड़ा ऋण है और इस ऋण के साथ जो शर्तें लगायी गयी हैं, वे इतनी नरम हैं कि वे भारतीय सरकार की मंशा की अस्पष्ट अस्वीकृति की अपेक्षा कुछ अधिक अपेक्षा नहीं करतीं। अमरीका द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद यह ऋण प्राप्त हुआ है इस तथ्य ने इस निर्णय को लोगों में और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया है।

यही कुछ इस समाचार पत्रों में लिखा गया है। इस के अतिरिक्त "इकोनिमिक्स टाइम्स" के सम्पादक ने लगभग यही बात लिखी है। अतः हमें आप से किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

मैं यह कहकर समाप्त करुँगा कि यह कोई सुखद निर्णय नहीं है और हम में से किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमारे लिए काम करना आसान हो जायेगा। यह एक चेतावनी है और स्वाभाविक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कठिन स्थिति की स्वीकारोक्ति है। हमने सत्ता को सम्भालने के पश्चात स्थिति में सुधार किया है। हमें कठिन परिश्रम करना होगा। इस स्थिति का सामना करने के लिये हमें पूरा आर्थिक अनुशासन तथा प्रशासनिक अनुशासन रखना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार एवं देश के सामने जो कठिनाइयाँ है उन्हें कम करने में इस ऋण से सहायता मिलेगी।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आज यह सभा, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बड़े पैमाने पर ऋण लेने के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये एक प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। इस मामले पर भिन्न भिन्न विचार होना अनिवार्य है। इस ऋण के सौदे के सम्बन्ध में कुछ

विरोधी दलों द्वारा इसके विरोध में कही गई बातों पर उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। इस विषय में हर एक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है कि यह विशेष ऋण वांच्छनीय है अथवा नहीं और यदि इसकी आवश्यकता है, तो क्या ये शर्तें अपमानजनक हैं अथवा नहीं और जहां तक भुगतान का सम्बन्ध है, तो उसका भावी कार्यक्रम क्या होगा।

इस मामले के सम्बन्ध में आगे कुछ कहने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे काम को प्रो० मधु दण्डवते, श्री बीजू पटनायक और सुनील मैत्रा जैसे मेरे मित्रों ने हल्का कर दिया है जिन्होंने इस विषय में अपने विचारों को व्यक्त किया है। मैं इस मामले पर किन्हीं राजनैतिक विचारों का अथवा किन्हीं सैद्धान्तिक विचारों या किसी दूसरे विचार से प्रेरित होकर नहीं बोल रहा हूँ। हम इसके बारे में क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं ? क्यों कि यह पहली बार है जब कि इस देश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इतने बड़े ऋण को लेने के लिये करार किया गया है।

वे लोग मूर्ख हैं जो अपने ही अनुभवों से सीखते है और वे लोग बुद्धिमान हैं जो दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के सम्बन्ध में दूसरे विभिन्न देशों का अनुभव क्या रहा है। यह बात सच है कि हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। किन्तु, इससे मेरे मन में एक और प्रश्न उठता है कि क्या हमें एक ऐसी एसोसियेशन अथवा संस्था का सदस्य बने रहना चाहिये जो तृतीय विश्व के देशों के लिए इतनी सख्त शर्तें निर्धारित करती है। यह एक ऐसी बात है जिस पर सरकार तथा सारी सभा द्वारा निष्पक्षता से विचार किया जाना है।

इससे पूर्व कि मैं कुछ कहूँ वित्त मंत्री महोदय को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने ईमानदारी से स्वीकृति के लिये बधाई देना चाहता हूँ जो कि उन्होंने अपने पत्र के साथ भेजे अपने ज्ञापन में कही है विशेष ज्ञापन का यह पहला पैरा है जिसमें यह कहा गया है—

> "आठवें दशक के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था ने पर्याप्त प्रगति की। 1975-76 से 1978-79 तक के चार वर्षों के दौरान वास्तविक आर्थिक विकास की दर 6 प्रतिशत से अधिक रही जबकि मूल्यों में लगभग 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। कृषि विस्तार की गति में वृद्धि हुई। जिससे कि 1977-78 तक खाद्य आयात लगभग समाप्त कर दिया गया तथा पर्याप्त मात्रा में खाद्य भंडार जमा हो गये। औद्योगिक विकास की गति भी आमतौर से संतोषजनक रही। बचत सकल विकास प्रतिशत (जी० डी० पी०) की लगभग 20 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 24 प्रतिशत हो गयी। जिससे यह प्रगट होता है कि विकास की दर बढ़ी, वित्तीय प्रणाली अधिक सुदृढ़ हुई मूल्य अनुकूल रहे तथा विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों से प्राप्त होने वाली राशियों में तीव्र वृद्धि हुई। इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति सुदृढ़ रही और पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा के भंडार जमा हो गये।"

अतः, जहाँ तक आयात के दो वर्षों 1975-76 और 1976-77 और जनता पार्टी के शासन के दो वर्षों 1977-78 और 1978-79 के मूल्यांकन का सम्बन्ध है, मैं माननीय वित्त मंत्री की सराहना करता हूं कि वह इस बारे में बहुत ही ईमानदार रहे हैं। मैं मंत्री महोदय की इस बात

के लिए सराहना करता हूं कि चाहे इस सरकार या उस सरकार के कार्य निष्पादन के बारे में कुछ भी विवाद रहा हो, उन्होंने इस वक्तव्य विशेष में सचाई को ईमानदारी से स्वीकार किया है।

इस प्रश्न के संबंध में सम्मानित मित्र, श्री एच०के०एल० भगत, श्री मोहन लाल सुखाड़िया और श्री कमल नाथ को सरकारी पक्ष की ओर से बोलने के लिए चुना गया है। मैं यह सोचने में असमर्थ रहा हूं कि उन्हें इस उद्देश्य के लिए ऐसे अवसरों पर बोलने के लिए क्यों चुना जाता है। क्या अन्य सदस्य नहीं हैं ? यदि सरकारी पक्ष के पास इतने प्रतिभाशाली वे लोग हैं, तो वित्त मंत्री मंत्रिमंडल में उनकी सहायता क्यों नहीं ले सकते ?

श्री एच० के० एल० भगत : आपकी सिफारिश सहायता नहीं करेगी।

श्री सतीश अग्रवाल : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5 अरब तक का इतना बड़ा ऋण लेने से पूर्व क्या यह वित्त मंत्री का कर्तव्य नहीं था कि वह संसद से सलाह करते और क्या संसद को यह अधिकार नहीं था कि इस पर निर्णय लेने से पूर्व वह इस पर चर्चा करती ? किन्तु संसद की इस मामले के सम्बन्ध में उपेक्षा की गई है।

श्री एच० के० एल० भगत : उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है। शायद आप उपस्थित नहीं थे। उन्होंने इस बात का उत्तर दे दिया है। हो सकता है कि आप इसे पसन्द न करें, किन्तु उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने इस सभा में दो बातें सुनी हैं, संसद की प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय मतैक्य और यह कि अधिक व्यापक राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष को अपना सहयोग अवश्य ही देना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसद इस मामले में प्रभुसत्ता सम्पन्न रही है, क्या संसद से इस बारे में राय ली गई थी। इस प्रश्न पर चर्चा क्यों नहीं हो सकी ?

इतना ही नहीं, सारा दस्तावेज, जो इस पत्र का आधार है यानि जो आशय पत्र वित्त मंत्री ने 20 सितम्बर, 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक को लिखा था, वह छठी पंचवर्षीय योजना ही है। इस पत्र का आधार वह ज्ञापन था, जो छठी योजना के दस्तावेज पर आधारित था। जहाँ तक छठी योजना का सम्बन्ध है, जिसने देश को लक्ष्यों, मंजिल तथा उद्देश्यों के मामले में पांच सालों के लिए बांध दिया है और जो पांच साल के हमारे कार्यों तथ उपलब्धियों का चार्टर है उसके दस्तावेज के बारे में देश की प्रतिनिधि सभा इस संसद को चर्चा करने का अवसर तक नहीं दिया गया है।

अब सभा मे छठी योजना पर चर्चा किए बिना तथा इसे पारित किये बिना आप हमसे सहयोग की आशा कैसे रखते हैं। आप हमें कभी भी विश्वास में नहीं लेते हैं, आप छठी योजना पर सभा में कभी चर्चा नहीं करते। आप इसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पास करवाते हैं और इस प्रकार संसद को नजरंदाज कर देते हैं। विपक्षी दलों का परामर्श नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, विरोधी दलों के नेताओं को सरकार ने यह कहते हुए विश्वास में नहीं लिया कि "ये हमारी असली कठिनाइयां हैं, ये समस्याएं हैं; हम इस विशेष स्थिति का सामना कर रहे हैं; ये शर्तें हैं : इतनी राशि होगी, हम इसे इस प्रकार करने जा रहे हैं; हम आपका सहयोग चाहते हैं, कृपया कुछ गलत धारणाओं के बारे, जो आपके मन में है, में हमें अपनी राय दे।" लेकिन सरकार ने हमें कभी भी

विश्वास में नहीं लिया, सिवाये उस समय के जब वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए इसका जिक्र किया था इस महत्वपूर्ण मामले में वह दोषी हैं और मुझे इस बारे में घोर आपत्ति है। आपको याद रखना चाहिए कि जब कार्य मंत्रणा समिति के सामने इस सभा में छठी योजना पर चर्चा करने का प्रश्न आया तो मैंने इसका विरोध इस कारण से किया कि यह एक सम्पन्न कार्य है। सरकार ने इसे सभा के सामने रखकर तथा इस पर चर्चा न करके संसद को नजरअंदाज किया है, यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राष्ट्र को अगले पांच वर्षों के लिए प्रभावित तथा सम्बद्ध करता है। आप ने संसद को नजरअंदाज किया है, आपने विपक्ष को नजरअंदाज किया है, इतना ही नहीं आपने इस प्रश्न पर कांग्रेस दल, सत्तारूढ़ दल के अन्दर भी विचार नहीं किया है। इस पर केवल एक ही व्यक्ति ने निर्णय लिया है। वह एक समझदार व्यक्ति हैं, एक विश्वसनीय व्यक्ति भी हो सकते हैं और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वह मेरे एक अच्छे मित्र हैं बल्कि किसी अन्य कारण से भी रहा हूं। बजट तथा वित्त विधेयक चर्चा के दौरान भी मैंने कहा था कि देश का भविष्य केवल एक ही वित्त मंत्री की व्यक्तिगत इच्छाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर नहीं करना चाहिए और यह कि बजट प्रस्तावों पर पार्टी अथवा संसद के अंदर विचार होना चाहिए। पिछले वर्ष भी मैंने यही प्रश्न उठाया था।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या ऐसा यहां कभी किया गया ? क्या ऐसा कभी इंगलैंड में हुआ था ?

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : यह कोई नई बात नहीं है। (व्यवधान)।

आपका तात्पर्य यह है कि यदि संसद में छठी पंचवर्षीय योजना पर विचार हो तो यह राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार होगी ? यही आपका दृष्टिकोण है। तब आपका काम पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। (व्यवधान)

एक बात और है। वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्यों तथा कागजों द्वारा इस सभा को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि 24 मार्च, 1982 तक 900 करोड़ रु० की एक किश्त हमें मिल जायेगी। क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं ? क्या इस प्रकार की धारणा पैदा नहीं की गई है ? क्या हमें यही जानकारी नहीं दी गई है ? क्या यह बात स्पष्ट है ? क्या दिसम्बर में 100 करोड़ रुपये लिये जा सकते हैं ? क्या वह जनवरी में 900 करोड़ रुपये ले सकते हैं ? नहीं। लेकिन इन्होंने यह धारणा पैदा की है कि 900 करोड़ रुपये की यह राशि 24 मार्च से पहले ली जा सकती है। स्थिति यह नहीं है। 24 जनवरी तक केवल 300 करोड़ ले सकते हैं। मैं फिर कहता हूं कि यह एक चिंताजनक बात है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण है। शर्तें क्या हैं ? ऋण को दो भागों में बांटा जा सकता है, 6000 लाख डालर एस डी आर का पहला भाग 24 मार्च 1982 तक लिया जा सकता है और 3000 लाख डालर एस डी आर निर्धारित उद्देश्य के मापदंडों को 1981 के अंत तक पूरा दिए जाने पर जनवरी 1982 के बाद उपलब्ध होगा। हमें बताया गया है कि 900 करोड़ रुपये पहली बार सीधे ही लिये जा सकते हैं। लेकिन नहीं, आप वैसा नहीं कर सकते। पहले आपको 300 करोड़ रुपये दिये जाएंगे, फिर मापदंड को पूरा करना पड़ेगा, काम दिखाना पड़ेगा। उसके बाद 300 करोड़ रुपये दिये जाएंगे और फिर 300 करोड़ रु० और दिये जाएंगे। लेकिन आप इन सब बातों को क्यों छिपाते हैं ?

आप संसद के सामने स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं करते ? छिपाने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिये। कुछ बातों में हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन कुछ बातों में हमारा मतभेद नहीं हो सकता। स्थिति यह है।

जहां तक शर्तों का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। कोई भी ऋण के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। हर सरकार को ऋण लेना पड़ता है, चाहे देश के अंदर से ले या देश के बाहर से, इस देश से ले या उस देश से ले, इस निधि से ले या उस निधि से ले। प्रश्न बड़े पैमाने पर ऋण लेने से बहुत गम्भीर हो जाता है। दूसरी बात किसी शर्त पर संदेह होने के बारे में है क्योंकि किसी परिवार में भी शादी के लिये ऋण लेना पड़ता है और परिवार के बड़े-बड़े सदस्य इस बात पर चिंतित हो उठते हैं कि ऋण कितना लेना चाहिये। नौजवान लोग चिंतित नहीं होंगे क्योंकि वे तो विशेष घड़ी में पटाखे चलाएंगे और बूढ़े लोग इस लिये चिंतिति नहीं होंगे कि वे शमशान घाट का सामना कर रहे हैं। 20 से 40 वर्ष के बीच के वयस्क ही इससे चिंतित होते हैं। इसलिए हम इससे चिंतित हैं। अतः ऋण लेना जीवन में जरूरी हैं, जैसे कि श्री भगत ने कहा, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार वाणिज्यिक बैंकों तथा पेट्रो डालर्स से ऋण लेती है। सरकार ने एलुमिनियम कारखाने के लिए ऋण लिया। विश्व बैंक भी ऋण देता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी ऋण देता है। कुछ अन्य बातें भी हैं। अतः प्रश्न यह है कि क्या ऋण की जरूरत सही है, इतना बड़ा ऋण इन शर्तों पर क्या जरूरी है। मैं ऋण की शर्तों के बारे कुछ नहीं कहना चाहता जिस पर सभा में विस्तार से चर्चा हो चुकी है लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा बुद्धिमान लोग अन्य लोगों के अनुभव से सीखते हैं और केवल पूर्व ही अपने अनुभवों से सीखते हैं। मैं श्री लंका की संसद में दिए गये बयान पर वहां जो प्रतिक्रिया हुई उस का हवाला देना चाहता हूँ क्योंकि श्री लंका के श्री नरसिम्हा जी एक सांझे कार्यकारी निदेशक हैं जो भारत, बंगलादेश तथा श्री लंका का प्रतिनिधित्व करते हैं श्री लंका उन तीन देशों में से एक देश है जिसका एक सांझा कार्यकारी निदेशक है। उनकी प्रतिक्रिया क्या है ? यह हाल की बात है। श्री लंका की संसद में एक प्रश्न उठा, जिसे मैं उद्धृत करता हूँ:—

"जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती श्रीमावो भंमरनायके के पुत्र श्री अनुरे भंडारनायके, जो विपक्षी फ्रीडम पार्टी के सदस्य हैं, ने कहा कि भारत के समाचार पत्रों के अनुसार प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन ने कहा कि देश के आत्म सम्मान अथवा प्रभुसत्ता को आघात पहुंचाने वाली किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया गया है तो श्री डे मेल ने कहा "ऐसी बेतुकी बात न कहें, जिसे आप नहीं समझते"

वे उन शर्तों को पढ़ते रहे जो उनकी जानकारी के अनुसार "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत पर लगाई हैं।"

उन्होंने कहा कि इन शर्तों में भुगतान संतुलन में सुधार लाने, करों में वृद्धि करने, सरकारी क्षेत्र की वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि करने, उर्वरकों को दिए जाने वाली राज सहायता में कमी करने, घरेलू बचत में वृद्धि करने, ब्याज दरों में वृद्धि करने, आयात में उदारता अपनाने, निर्यात नीतियों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, घाटा कम करने, बचत स्थित में सुधार करने और गैर सरकारी क्षेत्र को अधिक भूमिका देने सम्बन्धी शर्तें भी शामिल हैं।"

उन्होंने कहा कि ये शर्तें लगभग श्री लंका पर लगायी गयी शर्तों जैसी ही हैं।

यह उनका बयान है और ऐसा कोई कारण नहीं जिससे कि मैं इस पर विश्वास न करूं यहां आयात में उदारता बरतने की कोई चर्चा कर रहा था। मैं नहीं जानता कि इसका क्या होने वाला है ? लेकिन जो नरसिम्हा का एक बयान है। वे भारत, बंगलादेश तथा श्री लंका का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक हैं। उनका बयान क्या है ? वे भारत, बंगला देश तथा श्री लंका का प्रतिनिधित्व करने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक हैं। उनका बयान क्या है ? वे क्या कहते हैं ? 10 नवम्बर को उन्होंने वाशिंगटन में कहा :—

"....भारत सरकार द्वारा आयात प्रतिबन्धों में उदारता बरतने की नीति का अपनाया जाना, घरेलू पूंजी निवेश तथा आर्थिक गतिविधियों का उच्च स्तर बनाए रखना एक सुस्थापित दृष्टिकोण है। उन्होंने संकेत दिया है यद्यपि घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार आयात सम्बन्धी विशेष निर्णय लेना जारी रखेगी, तथापि व्यापार नीति का अधिक जोर स्वतंत्र वाणिज्य की दिशा में होगा।"

ये बयान भारत के कार्यकारी निदेशक द्वारा दिये गये हैं। वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री तथा माननीय सदस्यों ने भी बयान दिए हैं। अब हमारे लिए यह जानना बहुत मुश्किल है कि किस पर विश्वास किया जाये तथा किस पर न किया जाये।

यह आपके लिए है। वित्त मंत्री दीर्घायु हों। परन्तु स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

मैं योजना के बारे में भी बात कर रहा था। योजना प्रारूप पर पिछले वर्ष 1980 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया गया था और फरवरी, 1981 में इसे अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई थी। इस पर संसद में न कभी चर्चा हुई है और न ही वाद विवाद हुआ है। जब छठी योजना का प्रारूप तैयार किया था तब विदेशों से कितना धन प्राप्त होने का अनुमान था।

निवेश परिव्यय	1,58,710 करोड़ रुपये
निजी क्षेत्र पर चालू विकास परिव्यय	13,500 करोड़ रुपये
कुल साधन	1,72,210 करोड़ रुपये
घरेलू बचत	149647 रुपए
विदेशी धन	9063 रुपए

कुल सहायता तथा सभी कुछ मिलाकर कुल पूंजी 90 63 करोड़ रुपये थी। शुद्ध सहायता 5889 करोड़ रुपए थी। वाणिज्यिक तथा अन्य पूंजीगत आय सहित अन्य ऋण 5087 करोड़ रुपए बनता है। योजना प्रलेख में यही उच्चतम सीमा रखी गई थी। विदेशी मुद्रा भण्डारों से 1000 करोड़ रुपए निकाले गए। यही कारण है कि व्यापार की शर्तों की वजह से स्रोतों में कमी आई। यह 2913 करोड़ रुपए होगा। कुल आय 9063 करोड़ रुपए थी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से वाणिज्यिक ऋण लेने की उच्चतम सीमा 5087 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। क्या इसमें वृद्धि हुई है ? क्या हम इसमें वृद्धि नहीं करेंगे ? क्या हम इसी उच्चतम सीमा में रहेंगे ? यह राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत योजना प्रलेख का एक भाग है। इसे संसद ने स्वीकार

नहीं किया है। इस प्रकार नीतियां संसद द्वारा स्वीकृत अथवा अनुमोदित नहीं हैं। यदि नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो संसद द्वारा इसकी स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता। यहां तक कि नीतियां भी संसद द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। इस सम्बन्ध में आपने कहा है कि विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति होनी चाहिए। आयात किया जाना चाहिए। किस चीज का आयात किया जाना चाहिए ? क्या गेहूं, चीनी और सीमेंट का आयात किया जाना चाहिए अथवा वीडियो कैसेड रिकार्डस का आयात किया जाना चाहिए ? उनका आयात किया जा रहा है। उसके लिए अनुमति दे दी गई है। प्रतिवर्ष सभापटल पर रखी जाने वाली आयात और निर्यात नीति के संबंध में प्रश्न यह है कि विदेशी सहयोग के बारे में...

श्री एच० के० एल० भगत : आपने इसकी अनुमति दी थी।

श्री सतीश अग्रवाल : यदि किसी ने गलती की भी तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप भी दोबारा गलती करेंगे। हमें आपको चेतावनी देनी है। हमारा दल भी उसमें था। हमें इस देश पर शासन करने का इतना अनुभव नहीं था। आप पिछले 32 शासन कर रहे हैं। आपके पास महान हस्तियां है जिनका एक ही नेता रहा है। आप इस देश को आश्वासन देते रहे हैं, इस राष्ट्र को आश्वासन देते रहे हैं। वर्ष 1980 में श्री वेंकटरामन ने कहा था और इसका रिकार्ड सभा में मौजूद है "मैं संकटग्रस्त व्यवस्था को प्रगति के पथ पर ले जा रहा हूँ।" इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस प्रगति पथ का क्या हुआ।

क्या इससे बैंक भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई हैं, क्या इससे स्थिति से सुधार हुआ है ? हमारे समक्ष प्रमुख विचारणीय विषय यही हैं।

श्री भगत केवल एक उदाहरण दे रहे थे। मैं इस मामले में कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। प्रत्येक शासन काल में विदेशी सहयोग के बारे में नीतियां बनी हैं। विदेशी सहयोग करार पिछले 30 वर्षों से हो रहे हैं। परन्तु स्थिति क्या थी ? विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति मौजूद है। परन्तु प्रश्न यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से वर्ष 1980 के अन्त तक कुल विदेशी सहयोग करारों की संख्या 6313 रही है। वर्ष 1970 से 1975 तक प्रति वर्ष कुल सहयोग करारों की संख्या 1580 रही। वर्ष 1976 में यह संख्या 277 थी 1977 में यह 267 थी और 1978 में 307 थी और 1979 में 267 थी परन्तु पिछले वर्ष 1980 में आपने करारों की संख्या बढ़ाकर 526 कर दी है। अब प्रश्न उठता है...

श्री बलीराम भगत (सीतामढ़ी :) : मैंने कहा था, यह बहुत सीमित है। यह केवल 2% है। छठी योजना के कुल विकास प्रतिशत (जी डी पी) में निजी क्षेत्र की पूंजी 2 प्रतिशत होगी। परन्तु आप संख्या को ले रहे हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : इस विवाद में पड़ने का मेरे पास समय नहीं है। मैं श्री भगत का बहुत सम्मान करता हूं।

श्री बलीराम भगत : मैं भी आपका उतना ही सम्मान करता हूँ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह एक भिन्न मामला है। मैं एक मुद्दा उठा रहा था। यह नीति का नहीं अपितु कार्यान्वयन का प्रश्न है। मैं एक और बात उठाता हूं। आप विकल्प की बात कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मैंने केवल एक बात कही थी। सरकार द्वारा जो भी परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं और योजना आयोग द्वारा जिनको अन्तिम रूप दिया जाता है, उन योजनाओं को एक समय सीमा में और संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि से पूरा करना होता है। इस प्रकार आप को घाटे की वित्त व्यवस्था करने अथवा अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम यह भी करते हैं तो घाटे की वित्त व्यवस्था जैसी कोई बात नहीं होगी। व्यय सीमा और समय सीमा क्या है ? पूरा करने में समय अधिक लगता है। मेट्रो रेलवे पर 140 करोड़ खर्च होने थे। अब यह खर्च बढ़कर हजारों करोड़ हो गया है। सलाल परियोजना पर 55 करोड़ रुपए व्यय होने थे, अब 400 करोड़ रुपए व्यय होंगे। और ऐसी एक भी परियोजना नहीं है जो समय पर पूरी हुई हो। इस देश में एक भी परियोजना ऐसी नहीं है।

यह एक प्रमुख प्रश्न है जिसके कारण हमारे द्वारा जुटाए गए सारे स्रोत समाप्त हो जाते हैं। यह एक प्रमुख मामला है। मैं सभी सदस्यों से गम्भीरतापूर्वक हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। पिछले 34 वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं पर 80,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए परन्तु हुआ क्या ? छटी योजना से पहले पंचवर्षीय योजनाओं पर 80,000 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके थे। पर आज स्थिति क्या है ? दो लाख गांवों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। हजारों लोग बिना घरों के पटरियों पर सोते हैं, 50 लाख लोग अन्धे हैं और रोगग्रस्त हैं। न कोई अस्पताल सुविधाएं हैं और न ही औषधियां हैं। देश में साक्षरता 30% है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 34 वर्षों के पश्चात यह स्थिति है। हमारी आबादी इससे अधिक की अभिलाषा भी नहीं करती। परन्तु हम इसकी पूर्ति करने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि मूल्य और लागत में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि प्रत्येक परियोजना में 10 गुणा है। इस देश में एक भी ऐसी परियोजना नहीं है जो स्वीकृत धनराशि में और निर्धारित समय-सीमा में पूरी हो गई हो।

(व्यवधान)

इस मामले में, मैं सम्पूर्ण सभा से अनुरोध करना चाहता हूं और हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर यह कहना चाहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है यदि आप यह सब नहीं कर सकते, तो हमें कई और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठहरा दीजिए और यह सुनिश्चत कीजिए कि वह समय पर पूरी हो जाएगी। अन्यथा आप उसे नौकरी से निकाल दीजिए। हम सब का यह दृष्किोण क्यों नहीं होना चाहिए ?

अब आप भुगतान संतुलन की कठिनाई समाप्त करना चाहते हैं। परन्तु इस आयात नीति के···

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिये। आपके दल को 9 मिनट मिले थे। परन्तु आप 25 मिनट ले चुके हैं। (व्यवधान) हमें यह देखना है कि प्रत्येक दल वाले बोलें और सबको अवसर प्राप्त हो।

श्री सतीश अग्रवाल : इस मामले में मैं कोई दलगत-प्रश्न नहीं उठा रहा हूं कि किस सदस्य को कितना समय मिला है और किसको कितना समय नहीं मिला है।

आखिर इस प्रकार के प्रमुख मामले पर कैंची नहीं चलाई जा सकती। यदि मैं असंगत

बात कहूं तो आप मुझे रोकिये। यदि आप चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष के कक्ष में यही बात तय हुई थी।

यदि आप वास्तव में आयात पर नियन्त्रण और निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो आप इसे कैसे करेंगे ? निर्यात में वृद्धि नहीं हो रही है। आप के पास पास दो मुक्त क्षेत्र हैं। आपने इस क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तार कर दिया। यह प्रयोग सफल नहीं रहा। निर्यात प्रोत्साहन के लिए इतनी रियायतें देने के बावजूद भी क्या हो रहा है ? निर्यात क्षेत्र में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने पिछले वर्ष भी यह बात उठाई थी कि देश में 7000 इंजीनियरी उद्योग और निर्यात गृह हैं जिनमें से केवल 2000 ही निर्यात कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति लाभ उठा रहा है। एक नकद सहायता योजना है। आरम्भ में इसमें 140 करोड़ रुपये थे। इस वर्ष विदेशों को निर्यात करने वाले लोगों को नकद सहायता के रूप में 530 करोड़ रुपये दिये गये। आप काउंटर पर जाइये और 15 प्रतिशत तत्काल प्राप्त कीजिये।

निर्यात बाध्यताओं के बारे में क्या स्थिति है ? यदि कोई पत्थर का निर्यात करता है तो विदेशी मुद्रा की कोई वसूली नहीं होगी ?

ऐसे कितने मामले हैं ? कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये हैं ? आप कठोर कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? निर्यात दायित्वों को नहीं निभाया जाता है। ऐसे कितने निर्यातक हैं जिन्होंने निर्यात आदेशों और विनियमों का उल्लंघन किया है ? उन्होंने प्रतिवर्ष नकद सहायता योजना के अधीन सरकार से 540 करोड़ रु० का लाभ उठाया है। निर्यात के लिए 1500 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता दी जाती है। जरा उस भारी धनराशि की कल्पना तो कीजिए जो हम उनको दे रहे हैं।

इसी प्रकार आयात के बारे में मैं कहूंगा कि आप आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते हैं ? निर्यात व्यापार का नहीं। आपका निर्यात मुक्त है। आप जो चाहें उसका निर्यात कर सकते हैं। आप निर्यात को बढ़ावा दीजिए। जो कोई भी व्यक्ति निर्यात करता है आप उसे सभी प्रकार की छूट और सुविधाएं दीजिए। परन्तु इसके लिए कठोर विनियम एवं नियंत्रण होना चाहिए। जहां तक आयात का संबंध है उनका राष्ट्रीयकरण कीजिए तथा उसे सारणीबद्ध कीजिए। परन्तु मुनाफाखोरी को न अपनाइये। आपने खाद्य तेलों की एक मद को सारणीबद्ध किया था और इसे राज्य व्यापार निगम के लिए आरक्षित कर दिया। विश्व बाजार में भाव गिर गये। निजी आयातक 12½ प्रतिशत आयात शुल्क दे रहा था। राज्य व्यापार निगम को सभी प्रकार के शुल्क देने से छूट दे दी गई। परन्तु घरेलू बाजार में कीमतें कम करने की बजाय, दोनों ही काला बाजार और मुनाफाखोरी में लिप्त हो गये। और इसका परिणाम यह निकला कि राज्य व्यापार निगम ने 80 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। आयात को मुनाफा कमाने का साधनवद्ध मत बनाइये।

एक सुझाव यह दिया गया है कि उत्पाद-शुल्क में वृद्धि की जाए और प्रत्यक्ष कराधान को कम किया जाए। अप्रत्यक्ष कराधान को सदैव ही कराधान का प्रतिगामी करार दिया गया है। यह कराधान का कोई प्रगतिशील ढंग नहीं है। कुल अप्रत्यक्ष कराधान का 85 प्रतिशत भार उन

गरीब लोगों के सिर पर पड़ता है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। मुझे सिवाय इस सिफारिश के जो कि आयोग के प्रतिवेदन में की गई शिफारिश और उसके अलावा किसी अन्य प्रकार के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। उसमें कहा गया है कि अप्रत्यक्ष कराधान बहुत ही प्रतिगामी किस्म का कराधान है। जितना ही अधिक आप इसको फैलाते हैं उतना ही अधिक भार आप उन गरीब लोगों पर डालते है जिनके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है अतः सुझाव बड़ा ही सशक्त है और इसके सभी प्रकार के परिणाम निकल सकते हैं। इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। वास्तव में अप्रत्यक्ष कराधान का स्थान प्रत्यक्ष कराधान को लेना चाहिए। यह कराधान का कहीं अच्छा रूप है। अप्रत्यक्ष कराधान को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।

अन्त में, जहां तक ऋण अदायगी का सम्बन्ध है, इस समय ब्याज के रूप में 5000 करोड़ रु० बनते हैं। ब्याज 3282 करोड़ रु० बैठेगा। भारत सरकार को कुल 8,282 करोड़ रु० की रकम वापस करनी होगी। विनिमय दर की वर्तमान प्रणाली में जिसमें रु० अन्य मुद्राओं के साथ बन्धा हुआ है। अवमूल्यन की कोई आवश्यकता नहीं हैं 1966 का सा अवमूल्यन नहीं होगा और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। वर्तमान चालू प्रणाली के अधीन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप विभिन्न मुद्राओं से सम्बद्ध हैं। आपको सदन को यह कहकर गुमराह करने की क्या आवश्यकता है कि कोई अवमूल्यन नहीं होगा ? जब रुपया विभिन्न मुद्राओं से सम्बन्ध है तो अवमूल्यन का प्रश्न ही नहीं उठता है। अवमूल्यन कब होगा ? मान लो कि डालर की दरें ऊंची हैं। दुर्भाग्य से, मान लो कि डालर की वर्तमान दर जो कि 9.80 है वह 10 रुपये हो जाती है या 14 रु०. हो जाती है तो रुपयों में कुल कितनी राशि होगी ? यह 14,000 करोड़ रुपये होगी। यह व्यावकारिक रूप में दो गुनी हो जायेगी। अतः वह खतरा तो इसमें बिल्कुल जन्मजात है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। अर्थव्यवस्था को स्वाभाविक रूप से सही ढंग से चलाना होगा। मैं कहता हूं और यह अनुभव भी करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसके हम सदस्य हैं, यदि हम ईमानदारी से सोचें कि ये जो शर्तें अविकासित देशों या विकासशील देशों अथवा तीसरी दुनियां के देशों या गरीब देशों पर थोपी जा रही हैं—वित्त मंत्री महोदय वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली या आर्थिक प्रणाली के विरुद्ध विदेशों में वक्तव्य देते रहे हैं—बिना किसी कारण के हम इसका समर्थन कर रहे हैं—उन्हें देखते हुए अब समय आ गया है कि हम ऐसे संस्थान के सदस्य न रहे। यह कोई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं है। यह तो घट-बढ़ एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय महाजनी मंच है, जो अपने ग्राहकों को बन्धुआ मजदूर बनाकर रखता है। यह अनुभवजन्य बात है। यह बंगला देश और बहुत से अन्य देशों का अनुभव है। यह कोई अधिक मधुर स्थिति नहीं है। हमें इस दिशा में निश्चल नहीं बैठना चाहिए। मेरे विचार से, इन शर्तों पर इतनी बड़ी धनराशि उधार लेने का सरकार का एकतरफा फैसला—जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है—देश को बेचना नहीं है, अपितु बेचने का केवल एक समझौता हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि आपने हमारी आर्थिक सार्वभौमिकता को गिरवी रख दिया है। आपने राष्ट्रीय मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को बन्धक रख दिया है। आपने भारतीय अर्थव्यवस्था को सत्यानाश कर दिया है। आपने एक बेईमान महाजन के हाथों सारे राष्ट्र को बन्धक बना दिया है।

एक अन्तरिम समृद्धि तो आयेगी। मैं फिर कहता हूं कि जब हमारे पास 25000 रुपये जमा सीमाशुल्क के 25000 रुपये में विदेशी कार आयेगी तो अन्तरिम समृद्धि तो आयेगी। आप

अधिक सीमा शुल्क लगायेंगे। मध्यवर्ग के लोग अतीव प्रसन्न होंगे। और भी बहुत सी मदें होंगी। मैं यह तो नहीं कहता और न ही मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपने कुलदीप नायर के साक्षात्कार का भी खण्डन नहीं किया है, जिसकी कतरन मेरे पास है। इस सन्दर्भ में आपने आटो-मोबाइल उद्योग का विशेष उदाहरण दिया है शायद आपके मस्तिष्क में मारुति कार का व्यवसाय हो जो चल रहा है। आप उसको आयात लाइसेन्स भी दे सकते हैं। 75,000 रुपये की बजाय जब लोगों को 50,000 रुपये में कार मिलेगी तो वे प्रसन्न मालूम होंगे। अगले चुनाव आने तक दो या तीन वर्ष तक तो अन्तरिम समृद्धि रहेगी। आप ऐसी समृद्धि चाहते हैं। परन्तु अन्ततः गरीबी आयेगी जब इस देश की भावी पीढ़ियों को ब्याज सहित इसे वापिस करना पड़ेगा। अतः मैं कहता हूं कि अभी भी समय है। कृपया इसके प्रति जागरूक रहिये। यह ऋण मत लीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता छोड़िए। आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कीजिए और समग्र छठी योजना दस्तावेज के कार्यान्वयन पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिस्थापन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वादविवाद के लिए आवंटित समय लगभग पूरा होने वाला है। मैं किसी भी दशा में अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे मतानुसार विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने चाहे कितने ही अच्छे भाषण दिए हों वे विषय वस्तु की वास्तविकता को नहीं छू पाये हैं वे इस वादविवाद के विषय पर, अर्थात क्या इस ऋण की आवश्यकता है या नहीं, और यदि है तो क्या इसकी शर्तें कठोर हैं, प्रभावी आक्रमण करने में सफल नहीं हुए हैं।

श्री अग्रवाल का तर्क ठीक भी हो सकता है और गलत भी। वे कहते हैं कि यदि हमने अपनी रेलवे परियोजनायें या जलविद्युत परियोजनाएं उचित रूप से बनाई होती तो हमारी अर्थ-व्यवस्था इस अवस्था में न पहुँचती। उनकी बात ठीक भी हो सकती है और आप गलत भी, परन्तु यह इस वादविवाद का विषय नहीं है। इस वादविवाद का विषय यह है कि क्या जिन परिस्थितियों का आज हम सामना कर रहे है, जिन परिस्थितियों को हम थोड़ी अवधि में सुधार नहीं नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास सांस लेने का भी समय नहीं है। उनमें क्या हमें ऋण की आवश्यकता है या नहीं। इस प्रश्न विशेष पर कि हमें ऋण की आवश्यकता नहीं है, किसी भी माननीय सदस्य ने सन्तोषजनक तर्क प्रस्तुत नहीं किये जिनमें जनता पार्टी के माननीय नेता भी शामिल हैं जिन्होंने प्रतिस्थापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया हमें ऋण की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा वह ऋण की शर्तों से संबंधित था; उन्होंने हमें एक लज्जास्पद स्थिति में डाल दिया है। उन शर्तों पर हमें ऋण स्वीकार नहीं करना चाहिए था—

एक माननीय सदस्य : मुख्य बात पर आइये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं उन पर भी आउगा। परन्तु प्रतिस्थापन प्रस्ताव के प्रस्तावक की मुख्य बात पर आने से पहले मैं उस प्रश्न को लेता हूं। जो आरम्भ में श्री सतीश अग्रवाल ने उठाया था। यह स्पष्ट होता है कि एक अच्छा भाषण करने वाला व्यक्ति तथा एक प्रतिष्ठित और जिम्मेदार व्यक्ति भी कभी कभी किस तरह तथ्यों की अनदेखी कर देता है। श्री सतीश अग्रवाल ने प्रारम्भ में ही कहा है कि संसद को नजरअन्दाज किया गया है, संसद की प्रभुसत्ता को

कम करी गयी है और इंग्लैंड में भी ऋण लेने के पहले उस विषय पर वादविवाद किया था। उन्होंने यह भी कहा था जब इंग्लैंड में ऋण करार करों से पहले उस पर बहस की जा सकती है तो भारत में क्यों नहीं की जा सकती। इस वास्तविकता पर श्री अग्रवाल जो अन्यथा अपने तथ्यों के बारे में बड़े ही ठीक होते है, गलत है। हाउस आफ कामन्स में जो हुआ था वह यह है कि वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव से अनेकों प्रश्न पूछे गये थे, जो कि रिकार्ड में है, कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण पर चर्चा की जाए और वित्त सचिव तथा उपवित्त सचिव बार बार यही कहते गये कि अभी उचित समय नहीं है। ऋण तय होने से पहले उस पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता ऋण की अन्तिम सहमति होने के पश्चात ही वाद-विवाद किया जाएगा। और इसके पश्चात ही हाउस आफ कामन्स में वाद-विवाद हुआ था। मैंने यह जानकारी वाद-विवाद का रिकार्ड देखने बाद आपको दी है।

इटली का भी उल्लेख किया गया। मैं यह सब दिखाने के लिए कह रहा हूं कि गलत विचारधारा तथा गलत तथ्यों के आधार पर भी किस प्रकार धारा प्रवाह भाषण दिए जा सकते हैं। इटली में जो हुआ था वह यह था कि कुछ गोपनीय प्रकृति के दस्तावेज प्रकाशित कर दिये गये थे। इस मामले में भी वाशिंगटन स्थित 'हिन्दु' के संवाददाता ने भी कुछ गोपनीय दस्तावेज प्रकाशित कर दिये थे। परन्तु हमारे मामले में ऋण करार हो जाने के बाद दस्तावेज प्रकाशित हुए। इटली के मामले ऋण तय होने से पहले ही प्रकाशित कर दिए गए थे। अतः सरकार वाद विवाद के लिए बाध्य की गई थी।

अतः यह स्पष्ट है कि ऋण के लिए करार होने से पहले कहीं भी संसद में वादविवाद नहीं हुआ।

यह सौभाग्य की बात है कि इस मामले विशेष में, एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संवाददाता ने ऐसी सूचनाएं प्रकाशित कर दी थी जिनसे, यदि हमारी सक्रिय राजनयिकता न होती और हमने विवेकपूर्ण कदम न उठाये होते, तो काफी हद तक न केवल इस ऋण को बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी धक्का लगता यह भी एक विचित्र तथा ध्यान देने योग्य बात है कि जब 'हिन्दु' के संवाददाता श्री राम ने कहा कि मैंने दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं तब उन्होंने इसका स्रोत किसी निर्देशक बोर्ड के एक सदस्य को बतलाया था जो एक पड़ोसी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सभा को यह जानने में रुचि होगी कि वह पड़ोसी देश ऐसा होगा जिसको इस देश के विकास में कोई रुचि नहीं है जो इस देश को परेशानी में डालना चाहता है। वे चाहते थे कि यह ऋण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वे इस देश की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं चाहते। मैं उस देश या किसी दूसरे देश का इस मामले में उल्लेख नहीं करूंगा। जनता की इसमें कोई रुचि नहीं ही की और वे इसकी शुरुआत नहीं करते। नेता तथा सरकार ही यह सब करते हैं, इस प्रकार की समस्या पैदा करते हैं इस प्रकार की शत्रुता पैदा करते हैं। और उस तथाकथित पड़ोसी देश के प्रतिनिधि का काम है जो इस देश को उलझन में डालने तथा ऐसी कठिन स्थिति पैदा करना चाहता था जिससे कि यह ऋण प्राप्त न किया जा सके, और शायद माननीय सदस्य ने उस देश के नाम का अन्दाजा लगा ही लिया होगा···

एक माननीय सदस्य : क्या आप समझते हैं कि यह गुप्त रहेगा ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हमारी यह गलत धारणा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोई धमार्थ संगठन है या कल्याणकारी संस्था है···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : यह सहकारी समिति है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह एक बैंकिग संस्था है। यह कुछ मायने में सहकारी संगठन है। इस विषय में नाक भौं सिकोड़ने की बात नहीं है। कुछ हद तक यह एक सहकारी संगठन है क्यों कि इसमें बहुत से देशों का प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार के सौदों में सार्वजनिक तौर पर जानकारी नहीं दी जाती। यह काम हमेशा ही बहुत गोपनीयता के साथ किया जाता है। इस मामले में भी यही किया गया है तथा भूत में भी प्रत्येक मामले में ऐसा ही किया गया था।

अब मैं मुख्य बात पर अर्थात ऋण की शर्तों पर आता हूं। प्रतिस्थापन प्रस्ताव के प्रस्तावक ने उनमें से कुछ का उल्लेख किया है प्रतिस्थापन प्रस्ताव के प्रस्तावक के अनुसार कौन सी शर्तें कठोर हैं।

वह यहां पर नहीं हैं क्योंकि हम वास्तव में उनसे इसकी पुष्टि करना चाहते हैं। कठोर शर्तें क्या हैं ? उन्होंने विशेष रूप से ऋण माँगने के समय नीति विवरण से उद्धृत किया है।

"गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से सम्बन्धी नीतियों का उद्देश्य उत्पादन, निवेश तथा आर्थिक कुशलता को बढ़ावा होगा। दूसरे औद्योगिक मूल्य नीतियाँ इन उद्देश्यों को पूरा करेंगी कि उद्योगों से पर्याप्त धन कमाया जाय तथा मूल्यों द्वारा संशोधन के कुशल प्रयोग को उत्साहित किया जाए।

महोदय, उन बैंचों पर बहुत शोर मचाया जा रहा है। न केवल प्रतिस्थापन प्रस्ताव के प्रस्तावक द्वारा बल्कि श्री अग्रवाल तथा दूसरों द्वारा भी इस बात को लेकर शोर मचाया जा रहा है कि हम सभी पुरानी नीतियों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यह देश को बेचना है। हम देश में न केवल बहुराष्ट्रीय हितों को बल्कि प्राइवेट क्षेत्र के हितों को भी राह दे रहे हैं। फिर वे कौन सी नीतियां थी जिनका प्रतिस्थापन प्रस्ताव के प्रस्तावक तथा श्री अग्रवाल द्वारा जब वे सत्तारूढ़ थे पालन किया गया था ? हम यह देखें कि क्या वे भिन्न थे। मैं अग्रवालजी आपके ही दस्तावेजों से ही उद्धृत करूंगा, जो उस आवृत्ति योजना से है जो कि 1978-1983 के लिए आपकी सरकार द्वारा तैयार किया गया योजना मसौदा था। इसमें क्या कहा गया है ? इसके प्रथम खण्ड के पृष्ठ 187 के पैरा 12-29 में कहा गया कि।

"···आकलित मूल्य निर्धारित करने में निवेशो से उचित लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए···आकलित मूल्यों का आधार कम्पनी की कुल लागत पर करों के बाद उचित दर पर लाभ होगा। लाभ की न्यूनतम दर लम्बी अवधि बक जमा दर पर से कुछ अधिक लाभ प्रदान करेगी···

अत: यह आशा की जाती है कि मूल्यों पर अनुचित प्रतिबन्धों की आशंकाओं से प्राइवेट निवेशों अवरुद्ध नहीं होगा और न ही यह उद्योगों के रुख होने का कारण बनेगा।"

यह आपकी योजना में आपका अपना वक्तव्य है। क्या अब आप इसको अस्वीकार कर

रहे हैं—क्योंकि इससे आप वाद-विवाद में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

यह ऋण इस सरकार की एक उपलब्धि है कोई भी ऋण लेने में खुश नहीं है। परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। इसलिए हमने ऋण लिया फिर हमने यह ऋण बिना किसी के पक्षपात के प्राप्त किया है बिना किसी प्रचार के किया है। एक सबसे बड़े अंशधारी के विरोध के बावजूद भी जिसको दूसरे औद्योगिक राष्ट्रों के साथ लगभग 40% मतदान का अधिकार है, अर्थात स० रा० अमेरिका के बावजूद हमने यह ऋण प्राप्त किया। वह वास्तव में एक बहुत बड़ी सफलता है जो कि इन परिस्थितियों में प्राप्त की गयी है। यद्यपि मुझे कहना चाहिए···

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : यदि हम यह ऋण लेने में असफल रहते तो भी वे हमें दोष देते।

श्री एडुआर्डो फैलेरो : हां वे हमें दोष देते क्योंकि उन्हें सरकार का विरोध करना है

फिर महोदय, एक प्रश्न इस तरफ तथा उस तरफ दोनों तरफ से उठाया गया था उस बारे में मैं विपक्ष से सहमत हूं, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में मदतान के अधिकार वितरण को अनुचित बताया है।

इस समय हम अपने कूटनीतिक कौशल के बिना इसे अपनी शक्ति तथा अपनी अर्थ व्यवस्था के बल पर करने में समर्थ रहे परन्तु भविष्य में यह निश्चय ही तृतीय विश्व के देशों के पक्ष में नहीं होगा और वे सभी इस प्रकार की कूटनीति नहीं अपना सकते इसका कोई औचित्य नहीं है कि संयुक्त राज्य अमरीका का जिसके पास बड़ी मुश्किल से 22% इक्विटी हो 40% प्रतिशत मतदान अधिकार पर नियन्त्रण रहे और तृतीय विश्व के 25 देशों के पास केवल 31% मतदान का ही अधिकार हो। यह एक अनुचित स्थिति है। यहां प्रधान मंत्री के भाषणों को उद्धृत किया गया है। इस असमानतापूर्ण ढांचे या व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सरकार के प्रयासों को नोट किया गया है, परन्तु इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि बहुदेशीय वित्तीय संगठन सही अर्थों में उन राष्ट्रों के प्रतिनिधि बन सकें जो अधिकांशत: विकासशील विश्व के राष्ट्र हैं। मैं शर्तों के कड़ी या नरम होने आदि बातों की ओर संकेत करना जारी रखूंगा। एक क्षण के लिए ठहरिये। छठी पंचवर्षीय योजना का यह प्रारूप जनता सरकार द्वारा, जिसमें श्री अग्रवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग थे और वित्त मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे थे तैयार किया गया था। श्री दण्डवते भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे।

यहां एक बात पर बार-बार जोर दिया गया है। यह कहा गया है कि आर्थिक सहायता में कमी आएगी, बिजली और सिंचाई की दरों में वृद्धि होगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी। श्री अग्रवाल ने पंचवर्षीय योजना के मसौदे में क्या कहा है ? मैं उद्धृत करता हूं।

> "निवेश निधि के जिन कुछ नए स्रोतों को जुटाने की आवश्यकता होगी उनमें ये शामिल हैं : (क) चुनिंदा राज सहायता में कटौतियां (ख) मूल्य में समायोजन करके केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लाभों में वृद्धि···"

यह पृष्ठ 56 पर पैरा 3.2 में कहा गया है। उसके अन्त में यह कहा गया है :

> "एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, जिसकी विशेषताएं निम्न आय और लघु उत्पादों की प्रधानता है, निम्न आय वाले बहुसंख्या करदाताओं से प्रत्यक्ष करों की छोटी राशि वसूल करने में अनेक कठिनाइयों का सामाना करना पड़ता है। इसलिए संसाधनों को जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष करों को एक प्रमुख भूमिका निभानी पड़ती है।"

तीन वर्ष पूर्व जब योजना का मसौदा प्रस्तुत किया गया था तब आप क्या कर रहे थे ? मैं उद्धृत करता हूं :

> "उर्वरक, खाद्यान्न, निर्यात तथा कंट्रोल के कपड़े पर वर्तमान दर पर राज सहायता के काफी अधिक हो जाने की आशा है। राज सहायता की दरों में काफी कटौती करने की आवश्यकता है जिससे कि योजना के लिए संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। (देखिए पृष्ठ 59 पैरा 3.24)

यह तीसरा और अन्तिम उदाहरण है क्योंकि इस तरह उद्धरण देते जाने का न तो मेरे पास समय है और न ही शक्ति है।

यहां जिस एक बात पर बार-बार जोर दिया गया है वह यह है कि आयात नीति को उदार बनाया जा रहा है जिससे कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देशी बाजार में प्रवेश कर सकेंगी इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

श्री चित्त बसु : आप इससे सहमत हैं या नहीं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं इससे सहमत हूं या नहीं, यह बाद में बताऊंगा प्रो० दण्डवते ने दो वर्ष पहले योजना के प्रारूप पर सहमति व्यक्त की थी। वे स्पष्टत: इसके पक्ष में थे। पंचवर्षीय योजना (1978-83) के मसौदे में यह कहा गया है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "निर्यात में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन और सेवाओं संबंधी उपलब्ध करना आवश्यक है ताकि निर्यातकों को विश्व बाजार में अपने प्रतियोगियों की तुलना में जिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है उन्हें दूर किया जा सके।"

मैं पुन: उद्धृत करता हूं :—

> "बदली हुई विदेशी भुगतान की स्थिति के सन्दर्भ में आयात नीति को चुनिंदा ढंग से उदार बनाना होगा···। हाल की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं, जैसे कि संरक्षणवादी नीतियां, विकसित देशों के बाजारों में मन्दी तला घरेलू कारणों जैसे कि आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध की आवश्यकता आयातित कच्चे माल की बढ़ती हुई मांग आदि···के कारण यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि संचित भंडारों का यथासम्भव उत्तम ढंग से उपयोग किया जाये···"

मैं इससे आगे भी कुछ कहूंगा जो कि एक भिन्न संदर्भ में है। इस सभा में वाद-विवाद में कठिनाई यह होती है कि जब आप नीतियों की घोषणा करते हैं और जब इन नीतियों की घोषणा

दूसरे पक्ष द्वारा की जाती है तब वे बुरी हो जाती हैं। और इसके विलोमतः भी होता है।

यह एक बहुत ही टेढ़ा मामला है जिसमें हम केवल बाद विवाद में अपना कौशल दिखा सकते हैं। परन्तु यहाँ हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं यह वित्त मंत्री और सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। यह केवल प्रथम कदम है। यह पहला कदम भी तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक हम इस ऋण का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा उसका विकास करने के लिए प्रभावकारी ढंग से नहीं करते। इसके लिए हमें विपक्ष से सहयोग मिलना चहिए उनका सामूहिक सहयोग इसके अतिरिक्त हमें अपने देश के लोगों में प्रेरणा की भावना भरनी चाहिए। यदि इस ऋण का ऐसे उपयोग किया जाता है कि वह बरबाद चला जाता है तो हमें कठिनाई होगी।

हमें इस ऋण का उपयोग इस देश के लोगों के सहयोग से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करना चाहिए। तब आने वाली पीढ़ियां हमारे वित्त मंत्री और सरकार की सराहना करेंगी। और इस महान प्रयास में सहयोग देने के लिए विपक्ष की भी सराहना करेंगी।

महोदय, मुझे और भी अनेक बाते कहनी हैं परन्तु क्यों कि आप चाहते हैं कि मैं समाप्त करूं इसलिए मैं अन्य बातों को अपने मित्रों के लिए छोड़ देता हूं जिन पर वे प्रकाश डालेंगे। समाप्त करने से पूर्व में अपने साम्यवादी मित्रों से संबंधित एक बात कहना चाहता हूं। साम्यवादियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। जब किसी देश पर उनका शासन होता है और वे साम्राज्यवादी नीतियों की घोषणा करते हैं तो वे नीतियाँ अच्छी हो जाती हैं। इस सन्दर्भ में चीन का उदाहरण दिया जा सकता है चीन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन गया है और हम से भी अधिक ऋण प्राप्त करने जा रहा है। महोदय तृतीय विश्व के देशों में यह भय उत्पन्न हो गया है कि चीन द्वारा ऋण लेने के पश्चात और भारत के इस ऋण के पश्चात शेष देशों के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। केवल यही बात नहीं है। ऐसे समाचार प्राप्त हुए और आशा व्यक्त की गई है कि सोवियत रूस भी इसमें सम्मिलित होने जा रहा है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में, जिसने इस सारे वाद विवाद का जन्म दिया है, कुछ शब्द कहना चाहता हूं। क्यों मैत्रा जी, क्या यह आपकी सरकार नहीं थी जिसने सामाजिक वन कार्यक्रम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण मांगा और इसके लिए पहल की ?

(व्यवधान)

क्या आपने सामाजिक वनीकरण परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करने में पहल नहीं की ? धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, यद्यपि कुछ बातों को मुझे फिर से दोहराना पड़ेगा, परन्तु फिर भी इस सम्पूर्ण मामले में संसद को जिस ढंग से लिया गया है उसके प्रति मैं विरोध प्रकट करता हूँ। सदन अथवा रोम अथवा अन्य किसी स्थान पर क्या हुआ मेरी रुचि इसमें नहीं है। यह संसद हमारे देश की प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद है। कम से कम हमारे देश के संविधान में तो ऐसी ही व्यवस्था है।

महोदय, आज प्रातः वित्त मंत्री ने ऋण प्राप्त करने से पूर्व संसद को विश्वास में न लेने

के संबंध में जिस प्रकार के तर्क दिए थे उन पर मैं हैरान हूँ। उन्होंने कहा कि यदि वे यहां आते तो विपक्षी सदस्य भाषण देते और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय में बैठे हुए सज्जन यह सोचते कि इस देश में आम जनता की राय यही है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा था इस ऋण के संबंध में कुछ लोगों द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा था और इस तर्क का उपभोग वे हमारे विरुद्ध कर सकते थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप सदा संसद में अपने व्यापक बहुमत की बात करते रहते हैं। इस सभा में आपका 3/5 बहुमत है। सम्पूर्ण विश्व इस बात को जानता है। अतः यदि आप सभा में इस पर वाद-विवाद करते तो विपक्ष के दस या बारह सदस्य बोलते। क्या उससे आप परेशानी में पड़ गये ? यह बहुत ही हास्यास्पद बात है।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : विदेशों में केवल विरोधी पक्ष के भाषणों को ही छापा जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस संबंध में सच्चाई तो यह है कि इसका एक दूसरे प्रश्न से भी सबंध था। हमें यह स्पष्ट हो गया है कि पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व हमें उस पर वाद-विवाद की अनुमति क्यों नहीं दी गई। मेरे अनुभव के अनुसार संसद में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जवाहर लाल नेहरु इस संबंध में पहल किया करते थे। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के मसौदे को राष्ट्रीय विकास परिषद में अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व उस पर संसद में वाद-विवाद करने के लिए समय निकाला जाता था। और इस बार हम प्रत्येक सत्र में इस बात की मांग करते रहे हैं, जोर देते रहे हैं और वकालत करते रहे हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करने के लिए कुछ समय दिया जाय। परन्तु आज तक समय नहीं दिया गया है। अब इस पर चर्चा का क्या लाभ है, अब तो यह शव-परीक्षण वाली बात होगी क्योंकि कार्य तो सम्पन्न हो चुका है ? परन्तु इसका कारण अब मुझे स्पष्ट हो गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में जिस व्यापक आर्थिक नीति सम्बन्धी ढांचे की परिकल्पना की गई है, वह यही है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने स्वीकृति प्रदान की है। क्यों कि यह उनकी शर्तों के अनुरूप था। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ज्ञापन में यही कहा है। इस सब को उद्धृत करने का मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है। मैं उसके अनेक पैराग्राफ उद्धृत कर सकता हूँ। इस प्रकार यह प्रक्रिया बहुत पहले आरम्भ हो गई थी, आप के दिमाग में यह बात थी कि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेंगे। आपने हमें नहीं बताया, परन्तु निस्सन्देह आधार बनाया जा रहा था। मैं नहीं जानता इस सारे मामले में योजना आयोग कहां से आ गया। और जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत चल रही थी, मैं नहीं जानता इस समय योजना आयोग या योजना मंत्री कहां थे। परन्तु यह तो सच्चाई है कि संसद के अधिकारों को निरन्तर कम किया जा रहा है। मैं यह बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ और भविष्य में कहता रहूँगा। उस ओर बैठे सदस्यों को दुर्भाग्यवश कोई चिन्ता प्रतीत नहीं होती। यदि इस पर वाद-विवाद हो तो इसमें वे भी भाग लेंगे। परन्तु वे इस सच्चाई से जरा भ चिन्तित प्रतीत नहीं होते कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों या नीति संबंधी मामलों पर और हमारे देश के आर्थिक जीवन को वर्षों तक प्रभावित करने वाले मामलों पर, यहां तब तक वाद विवाद नहीं

किया जाता जब तक सारे मामले को निपटा न लिया जाए, उस पर हस्ताक्षर न हो जाएं आदि। यह सब हो जाने के बाद आप उदारता का परिचय देते हैं और कहते हैं कि अब आप इस पर वाद-विवाद कर सकते हैं। क्या एक प्रभुत्ता सम्पन्न संसद की यही भूमिका होनी चाहिए ? यदि इस पर बहस कर ली जाती तो क्या हो जाता ? आपके पास विशाल बहुमत है। आप अब भी जो चाहें पारित करवा सकते हैं। आप संसद से स्वीकृति प्राप्त करके अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जाकर यह कह सकते थे "देखो, हमने संसद में बहस की थी और इस पर संसद का आदेश लेकर आपके पास आए हैं।" परन्तु आप इस दयनीय, कांटे-कंटे और विभाजीत विपक्ष से इतने भयभीत हैं कि आप इतना जोखिम उठाने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

मैं आपको उद्धृत कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या मैंने आपको सही उद्धृत किया है, मुझे आपके सही-सही शब्द याद नहीं हैं।

परन्तु एक बात ऐसी है जिस पर मैं वास्तव में चिन्तित हूँ। मैं प्रातः 10.00 बजे से वाद-विवाद सुन रहा हूँ। मैं अब यक यह नहीं समझ पाया हूँ कि आप इस धन का उपयोग कहां करेंगे। वित्त मंत्री ने हमें कुछ नहीं बताया है। मेरे विचार में विदेशी मुद्रा के रूप में हमारे पास यह ऋण के रूप में एक बहुत बडी धनराशि होगी जिसका हम उपयोग कर सकेंगे। परन्तु निस्सन्देह यह कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए है। आपने कहा है कि आप बजट संबंधी कार्यों के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। क्या इसका या इसके कुछ भाग का उपयोग रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए किया जा सकता है ? मैं नहीं जानता हूँ। आपने हमें कुछ नहीं बताया। क्या वे हमें इसकी अनुमति देंगे ? क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमें इसकी अनुमति देगा ? मान लो आप कहते हैं कि हम इस धन को मिराज वायुयान खरीदने के लिए खर्च करना चाहते हैं, तो वे आपसे क्या कहेंगे ? निस्सन्देह आप इससे बहुत से मिराज वायुयान नहीं खरीद सकते। मिराज वायुयान की कीमत इतनी अधिक है कि आप इससे अधिक वायुयान नहीं खरीद सकते। हाल ही में बम्बई में उन्होंने कहा था कि इस ऋण के भाग का उपयोग तेल की खोज करने के लिए किया जाएगा। क्या यह सही है ? कृपया हमें अवगत कराइये। क्योंकि मेरे विचार में तेल आयात का आपका घाटा अगले तीन वर्षों से चार वर्षों में कम कम होने वाला नहीं है, इसमें वृद्धि ही होगी। इसका सीधा सा कारण यह हैं कि हमारे देश की तेल शोधनशालाओं की क्षमता संतृप्ति की सीमा तक पहुँच गई है और इस तरह कच्चे तेल को आयात करने तथा अपनी शोधनशालाओं में शोधित करने की क्षमता समाप्त होने वाली है। आपको जल्दी ही पेट्रोलियम उत्पादों का आयात आरम्भ करना पड़ेगा। पेट्रोलियम उत्पाद बहुत मंहगे हैं, ये लगभग 10 गुणा अधिक मंहगे हैं। क्या धन का उपयोग उनके आयात का मूल्य चुकाने के लिए जाएगा ? अथवा इसका क्या उपयोग होगा ? क्या यह धन पुराने ऋणों को चुकता करने के लिए है, इसके एक भाग का उपयोग ऋण का भुगतान अथवा पुराने ऋण की अथवा इसी ऋण को चुकता करने के लिए किया जाएगा ? यह ऋण किसके लिए है ? यदि आप चाहें तो इस सारे धन का उपयोग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति देने में कर सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि सभी विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की क्षतिपूर्ति की जाए और उन्हें देश से निकाल बाहर किया जाए। निश्चय ही आप इसका उपयोग इसके लिए नहीं करेंगे, यह स्पष्ट है। और न ही आपको ऐसा करने की अनुमति होगी।

परन्तु कृपया हमें एक बात बताइये। अब जब यह ऋण आपको मिल गया है, जब आप 5 अरब डालर अपनी जेब में रखकर विजेता बनकर वापस आ गए, तब अच्छा यही होगा कि आप हमें यह बताएं कि इस धन का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा, इससे हमें कितनी राहत मिलेगी, कितना सांस मिलेगा। ये जो सब बातें यहां कही गई हैं वे कुछ भी हों, इसके उपयोग के प्रयोजन से सम्बद्ध है, जिसके बारे में वित्त मंत्री महोदय अभी तक रहस्य का पर्दा डाले हुए हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। बहुत से सदस्यों ने यहां पर कहा है, और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, कि यह चर्चा पूर्णतया आर्थिक आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए, तथा तर्क और राजनीति या आदर्शवादिता इसमें नहीं घुसाई जानी चाहिए। परन्तु मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि वित्त मंत्री महोदय ने श्री कुलदीप नायर को दिए गए अपने साक्षात्कार में, जो कि बम्बई के एक दैनिक समाचार-पत्र में 30 नवम्बर, 1981 को छपा थी, यही बात कही थी। यह मैंने उस पत्र में पढ़ी है और यह किसी अन्य पत्र में भी हो सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिना किसी भावुकता के विचार करके देखें कि क्या इससे इस मामले में राजनीति को ठूंसा जा रहा है।

> "वित्त मंत्री महोदय आर० वेंकटरामन ने अपने कार्यालय में मुझसे साक्षात्कार के समय यह बात कही कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विरोध साम्यवादियों की प्रेरणा पर किया जा रहा है।
>
> साम्यवादियों के रवैये के कारणों की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि वे ऐसा इसलिए कर रहे है कि जिस सीमा तक "हम पश्चिमी देशों से वस्तुएं खरीदते हैं" उसी सीमा तक साम्यवादी देशों के साथ भारत का व्यापार घट जायेगा। "इसमें सब उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है।"

इस स्तर तक नीचे गिर गए।

> "जहां तक शेष विपक्ष की बात है, "उन्होंने इसलिए उनका साथ दिया है कि सरकार पर प्रहार करने के लिए वे हर प्रकार की लाठी को अच्छा समझते हैं।"

अतः उनके लिए तो यह एक लाठी मात्र है और हमारे लिए इसमें 'व्यक्तिगत स्वार्थ' मिला हुआ है। विपरीत प्रहार करते हुए मैं भी यह कह सकता हूं कि यदि साम्यवादी देशों के साथ व्यापार कम होता है और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ता है तो इससे सदन में उस ओर बैठे लोगों में से किसी को कुछ लाभ होने वाला है। यह एक अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति भी है कि इसी ऋण के कारण मैं उनका स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या इसका यह अर्थ है कि इसी ऋण के कारण साम्यवादी देशों के साथ व्यापार घट जाएगा और पश्चिम के साथ व्यापार बढ़ जाएगा? अन्यथा, यहां यह सब कहना कहां तक संगत है। क्योंकि कुछ समय पूर्व ही श्री वेंकटरामन महोदय ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, समाजवादी देशों के साथ हमारे हुए द्विपक्षी व्यापार में समझौतों का किसी भी प्रकार अतिक्रमण नहीं कर सकता है। उन्होंने यह एक बहुत बड़ी बात कही थी, परन्तु यहां वह यह बात कह रहे हैं। यह एक भ्रमोत्पादक बात है, क्योंकि इससे तो ऐसा लगता है कि समाजवादी देशों के साथ व्यापार घट जाने की संभावना है और पश्चिम के साथ बढ़ जाएगा और इसलिए साम्यवादी बहुत चिंतित हैं क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। वह तो

बड़े ही प्रसन्न हैं क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। राष्ट्र को स्पष्टीकरण देने का यह कतई भी कोई ढंग नहीं है। निस्संदेह बाद में उन्होंने यह बात कही है।

> "यह पूछे जाने पर कि मतदान से अलग रहने और ऋण के विरुद्ध वीटो का प्रयोग न करने के लिए अमेरिका की स्वीकृति उसकी भूल से मिल गई थी, वेंकटरामन महोदय ने बताया अमरीका तो केवल असम्मत रहने वाला रहा होगा। इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा होगा। अन्य देशों ने ऋण की स्वीकृति प्रदान करदी होगी। "कुछ भी हो, उन्हें भी तो ऋण से लाभ मिलेगा। चाहे पश्चिम-जर्मनी हो, जापान हो या ब्रिटेन सभी भारत को मशीनें बेचना चाहते थे।"

यह स्पष्ट है कि क्या हो रहा था।

महोदय, अब मेरा उनसे निवेदन है कि वह इस प्रकार की राजनीति या उपहासबाजी में न फंसे। उनकी बात इस बारे में उनके गम्भीर रुख की द्योतक नहीं है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस देश के एक मित्र, इस देश के प्रतिष्ठित मित्र, श्री जूलियस न्यरेरे को अभी तक सामाजिक और आर्थिक अध्ययन के लिए थर्ड वर्ल्ड फाउंडेसन का वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पर मुझे अतीव प्रसन्नता है और यह पुरस्कार आगामी फरवरी को नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर श्री न्यरेरे एक भाषण भी देंगे। उनके विचारों को मान्यता दिए जाने के फलस्वरूप ही उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और उद्धरण में यह बात कही गई है।

> "जो विचार, विकास, आत्म-सम्मान और सच्चो स्वतंत्रता की खोज में महाद्वीप के आर-पार अफ्रीका वासियों के और तीसरी दुनियां के समस्त लोगों के प्रेरणा-स्रोत और मार्ग दर्शक रहे हैं...।"

यह बहुत अच्छी बात है। श्री न्यरेरे हमारी बधाई के पात्र हैं। वह दिल्ली आकर यह पुरस्कार हमारी प्रधान मंत्री के हाथ से लेने वाले हैं। इस क्षेत्र में उनकी सेवाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यह वही न्यरेरे हैं जिन्होंने बहुत पहले हमारे देश सहित हर किसी को सार्वजनिक रूप से इस बारे में चेतावनी दी थी कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या। ऐसी बात नहीं है कि हमें चेतावनी नहीं दी गई हो। मैं यह अनुभव करता हूं कि तनजानिया जैसे देश और हमारे देश के बीच हर तरह से भारी अन्तर है और कम से कम विकास के क्षेत्र में अवश्य है, परन्तु श्री न्यरेरे ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। "मैं नहीं जानता कि क्या अभी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से यह विश्वास करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष राजनैतिक या आदर्श रूप में तटस्थ है। अपनी स्पष्ट वर्णित नीतियों के बावजूद आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में इसकी एक विचारधारा है जिसे वह गरीब देशों पर थोपने का प्रयास कर रहा है।" श्री न्यरेरे ने कहा है;

> "...अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध ढांचे को वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय बनाए जाने की आवश्यकता है और एक ऐसा साधन बनाने के बजाय, जिसमें कुछ अमीर देशों के शक्तिशाली आर्थिक तत्व विश्व के गरीब देशों के ऊपर अपनी शक्ति में में वृद्धि करें, इसको वास्तव में सभी सदस्यों का उपकरण बनाया जाना चाहिए। ...अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब से अन्तर्राष्ट्रीय वित्त मंत्रालय बन गया है।"

ये कुछ बातें श्री न्यरेरे ने अपने अनुभव से कही हैं। बहुत से लोगों ने यह बात कही है। हम भी सरकार को केवल चेतावनी ही दे रहे हैं कि उन्हें फंसाए जाने वाले गढ़ों और जालों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि वे कोई ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं या ऐसी कोई बात थोपते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के विपरीत हैं, तो मुझे आशा है कि यह सरकार उनको नहीं मानेगी निस्सन्देह हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और जब काफी देर हो चुकी होगी तभी हमें इसके बारे में बताया जाएगा, परन्तु फिर भी मुझे आशा है कि वे ऐसी को बात स्वीकार नहीं करेंगे।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किसी गरीब ग्रामीण तब क्या हालत होती है जब वह किसी उत्पीड़क, लालची महाजन से ऋण प्राप्त कर लेता है। यदि वह ऋण नहीं चुका पाता है तो गरीब किसान की क्या हालत बनती है ? उसकी परिणति अपने परिवार सहित महाजन के घर बंधुआ मजदूर के रूप में होती है। मैं ऐसा अन्तिम व्यक्ति होऊंगा जो यह चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बंधुआ मजदूर की सी हो जाए, परन्तु उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि उन्होंने इतना भारी ऋण क्यों लिया है। आखिर इतना भारी ऋण लेने की क्या आवश्यकता थी ? क्या थोड़ा ऋण लेने की संभावना नहीं थी। पहले थोड़े के परिणाम देखो और फिर यदि आवश्यक हो तब निर्णय करके भारी ऋण लो। यह तो एक अभूतपूर्व ऋण राशि है, इतना भारी मात्रा में ऋण तो पहले कभी भी किसी देश ने नहीं लिया।

अन्त में, मैं दो-तीन बातें और कहूंगा। जो कुछ दूसरों ने कहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस ज्ञापन को देखिए, जो सभा-पटल पर रखा जा चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस दस्तावेज से स्पष्ट पता चलता है कि उनका दिमाग किस प्रकार कार्य कर रहा है। आप कह सकते हैं। "मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं कि उनका मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है, मैं तो अपने मस्तिष्क के बारे में जानता हूं।" परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह ज्ञापन आर्थिक नीति विवरण के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दल की प्रतिक्रिया है जो कि एक आशय पत्र के साथ मंत्री महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भेजा था। यह उनकी प्रतिक्रिया है। निश्चय ही हम उनकी प्रतिक्रिया जानने के इच्छुक हैं और यह भी देखना चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हमारे मंत्री महोदय द्वारा दिए गए अश्वासनों और वक्तव्यों की वे कैसे व्याख्या करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्यक्षतः बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जो कि मंत्री महोदय के यहां के कथन और जो कुछ वे पहले कह चुके हैं और जो कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इस सबके बीच विरोधाभास दर्शाती हैं। यह क्या है ? क्या यह धोखा देने और प्रत्युत्तर में धोखा दिए जाने का दावा है ? यह वह नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप उनको धोखा देने का प्रयास कर रहे थे और वे कुछ और ही समझ रहे थे और उसी प्रकार का उन्होंने दस्तावेज तैयार किया है। यह एक गम्भीर मामला है और इस देश में हर किसी को इससे चिंतित होना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, आर्थिक सहायता के प्रश्न के बारे में, हमने आर्थिक नीति का जो विवरण दिया है उसमें एक वाक्य दिया गया है :

"केन्द्रीय सरकार का भी यही विचार है कि आर्थिक सहायता को बढ़ने न दिया

जाए और जहाँ कहीं भी सम्भव हो उसे कम किया जाए, चाहे इससे महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्य-समजन की आवश्यकता पड़े।"

वे कौन सी वस्तुएं हैं यह निश्चित नहीं है। वे कुछ भी हो सकती हैं। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पृष्ठ 18 पर इस पैराग्राफ का उल्लेख करते हुए, इसकी इस प्रकार की व्याख्या की है :

"ज्ञापन में, खाद्यान्नों के, विशेषकर अनाज के उत्पादन, खरीद और सार्वजनिकवितरण पर मूल्य-निर्धारण नीतियों का प्रमुख प्रभाव जारी है। भावी अनाज की खरीद, मूल्य-निर्धारण नीति का मार्गदर्शन विश्व-बाजारों में मूल्य को प्रतियोगितात्मक बनाये रखने की आवश्यकता के अनुसार होगा। खरीद मूल्य सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण पर आर्थिक सहायता की उसी मात्रा को बनाए रखने की आवश्यकता द्वारा नियन्त्रित किए जायेंगे।"

यही वह प्रश्न है जो मैं यहां बार-बार पूछता रहा हूँ कि यह आर्थिक सहायता घटाने या बन्द करने की यह नीति, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उन शर्तों का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्या इस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इस सीमा तक व्याप्त होने जा रही है, कि देश के गरीब लोगों को कुछ अनाज तथा कुछ वस्तुएं जिस कीमत पर दी जाती हैं, उसमें भी वृद्धि करनी होगी? क्या हम अपने सभी विचारों को तिलांजलि देने जा रहे हैं? कुछ भी हो, जहाँ 50% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों, वहाँ उन्हें कुछ आर्थिक सहायता के रूप में संरक्षण तो अवश्य प्रदान करना पड़ेगा। आप अपनी तुलना विकसित या पश्चिमी देशों से नहीं कर सकते हैं। यह आपके द्वारा दिए गए आंकड़े ही हैं जो यह बताते हैं कि 48% लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। मैं जानता हूँ कि कानकुन सम्मेलन में किसी पश्चिमी देश के एक प्रवक्ता ने सम्भवतया हमारे ऊपर नाक-भौं सिकोड़कर कहा था कि भारत जैसे देश को स्वयं अपने साधनों से उन्नत होना चाहिए। तब हमारी प्रधान मन्त्री महोदया ने कहा; दुर्भाग्य से हमारे देश के लोगों के साधन नहीं हैं। तो फिर वे उन्नत किस प्रकार हों। इस सब कहने का यह अर्थ है कि लोगों से पेटी से अपनी कमर कसने के लिए कहा जाए। वे लोग हैं कौन ? मैंने पेटी लगाई हुई है। मेरे कुछ माननीय मित्रों ने भी पेटी पहन रखी होगी। परन्तु क्या गरीबी की रेखा से नीचे वाले 50 प्रतिशत लोगों के पास पेटियां हैं? वे किस चीज से कमर कसेंगे ? और यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्थिक सहायता सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करना होगा। तब हमारे देश के उस भारी जन समुदाय का क्या होगा जो अपना बचाव करने में असमर्थ हैं ? यह सब किया गया है। आपने उनको क्या बताया है और क्या लिखा है ?

अब इस अन्य पैराग्राफ को देखिए। वे अब हमारी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, जिस पर अभी यहाँ चर्चा भी नहीं हुई है। वे इस पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में तो चर्चा कर रहे हैं परन्तु इस सार्वभौमिक संसद को उस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है। इस पंचवर्षीय योजना में निर्यातकों के हित में नीतियों में परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। विशेष रूप से प्राधिकारियों ने इस पंचवर्षीय योजना में इंगित किया है, कि भावी नीतियों का लक्ष्य उपयुक्त वातावरण

प्रदान करना होगा, अर्थात निर्यात के लिए और आयात प्रतिस्थापन के लिए उत्पादन के मध्य तटस्थ रहना। इन दोनों के मध्य सम्भावित विरोध को निर्यात के हक में हल किया जा रहा है, आयात प्रतिस्थापन के हक में नहीं। यदि महसूस किया जाए तो यह आयात प्रतिस्थापन के हक में नहीं। यदि महसूस किया जाए तो यह आयात प्रतिस्थापन के पक्ष में दीर्घकाल से चली आ रही नीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा और समय आने पर इसका परिणाम अर्थव्यवस्था के रुख और ढांचे में दूरगामी परिवर्तन होगा। उन्होंने आपसे यही आश्वासन लिया है कि जहाँ कहीं भी आयात प्रतिस्थापन का निर्यात से विरोध होगा वहाँ आयात प्रतिस्थापन को त्याग दिया जायेगा। समग्र अर्थव्यवस्था को निर्यातोन्मुख बनाया जायेगा और फिर उनके कथनानुसार इससे यथासम्भव अर्थव्यवस्था के ढांचे में व्यापक परिवर्तन होगे।

और फिर इन सब बातों पर निर्णय कब लिया गया था। क्या उन पर यहाँ चर्चा हुई थी? क्या आपने संसद में किसी से राय या सुझाव मांगा था? क्या आपने इस पर मुक्त रूप से चर्चा की अनुमति दी थी? क्या यह अपमानजनक नहीं है कि हम सांसदों को इन बातों का विदेशी अभिकरणों के माध्यम से पता चले? क्या हमने अपनी संसद के सम्मान को इस सीमा तक गिरा दिया है?

इसके बाद मैं, केवल एक उदाहरण और दूंगा, क्योंकि समय नहीं है।

मैं उन बातों का उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें वे हमारी विद्यमान नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन समझते हैं।

> "जो उपाय किए जा चुके हैं उनसे इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि निजी औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर बाह्य समायोजन को बढ़ावा देने में निजी उद्योग की भूमिका के प्रति सरकार की नीति में बड़ा परिवर्तन हो रहा है।"

अतः, वास्तव में मैं आश्चर्यान्वित हूँ। बहुत से लोगों ने, बहुत से समझदार लोगों ने और मेरे बहुत से सहकर्मियों ने भी शर्तों का उल्लेख किया है, जैसे कि वह कुछ इस प्रकार हो: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमें गर्दन से पकड़ कर जकड़ रखा है और शर्तें हम पर थोप दी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी शर्तें भली भांति विदित हैं; ये कोई गुप्त बातें नहीं हैं, ये तो विश्व प्रसिद्ध हैं और बहुत से देश जानते हैं कि वे सदैव आपसे कैसी शर्तें मनवाना चाहते हैं। अतः उनको दोष देना उचित नहीं है। उन्होंने गर्दन पकड़कर आपको कहाँ नहीं बुलाया। हमारी सरकार अपने आप उनके पास गई और उसकी दोनों आंखें खुली हुई थीं? वे स्वयं गए और वहाँ उन्होंने वे सब बातें स्वीकार कीं जिनकी व्याख्या स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपकी नीति में मूलभूत फेर-बदल और परिवर्तन के अर्थ में कर रहा है। यदि आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि उन्होंने इसे स्वीकार किया और अमरीका के लोगों ने भी इसे स्वीकार किया। वे तो अलग रहने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि यह उनकी विजय है। यह एक ऐसी चीज थी जो उनके गलों में फंसी हुई थी अर्थात तीसरी दुनियां का एक बड़ा देश सदैव आत्मनिर्भरता और परियोजित विकास का झंडा उठाए रहता है; इन शर्तों के द्वारा ऐसे देश के घुटने टेक दिए गए हैं या टेक दिए जाएंगे। यह आत्मनिर्भरता का और आत्मनिर्भरता हेतु आयोजना का अन्त होगा। वे क्यों ऐसा न करें? उनके लिए तो यह सर्वोत्तम सम्भव बात है।

18.37 (सभापति महोदय पीठासीन हुए)

अतः, मैं यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि ब्याज की दरों के बारे में यह तर्क सही नहीं है। ब्याज की दर में भिन्नता ही मुख्य बात नहीं है। निस्सन्देह यह एक महत्वपूर्ण घटक है, परन्तु मुख्य बात यह है कि क्या आप ब्याज की निम्न दरों पर, जो वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली दर से भी कम है, इस देश में एक पूर्णतः नई नीति, श्री रीगन ने 'बाजार का जादू' कहा है, प्रारम्भ कर रहे हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, एक मजबूत सरकारी क्षेत्र—जिन शब्दों को उन्होंने पसन्द नहीं किया, के बजाय बाजार का जादू'' शब्द का प्रयोग किया। बाजार का जादू निर्बाध बाजार—इसी से आपको वे सहमत करना चाह रहे हैं आप पहले ही सहमत हो चुके हैं। आप इसको कर रहे हैं। यह अब निरर्थक है। किसी ने कहा है यह एक तृतीय विश्व देश है जो बहुराष्ट्रिकों के विरुद्ध है, और ऐसा सब कहा है। परन्तु श्री सिसोदिया ने यह सब नहीं कहा। मेरे पास समय नहीं है। मैं श्री सिसोदिया का उद्धरण दे सकता हूं जिन्होंने उस दिन लम्बा चौड़ा भाषण दिया था। यह मेरे पास है जिसमें 20 नवम्बर को भारत में निवेश अवसर सम्बन्धी एक गोष्ठी में उन्होंने जो बहुत बड़ी शेखी मारी थी। उन्होंने कहा था : "कि पिछले 30 वर्षों में सरकार द्वारा 6,500 से अधिक सहयोग समझौते स्वीकार किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश में विदेशी ईक्विटी निवेश अन्तर्ग्रस्त है।

अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस स्विटजरलैंड तथा दूसरे यूरोपीय देशों तथा जापान की लगभग 1,000 विदेशी फर्मों ने भारत में निवेश किया प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए लाइसेंस सम्बन्धी व्यवस्था है।" यह बात है। कोई यहाँ पर एक स्वर से कहता है जबकि मंत्री यह कहते फिरते हैं; 'देखिए हमारे पास आपके निवेशों के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है और आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा।' स्पष्ट है, कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लोग तथा वे देश जो उस पर हावी हैं बेवकूफ नहीं है। उनको ज्ञात है कि क्या हो रहा है। वे उन शक्तियों को मजबूत करना चाहते हैं और ठीक इसी के लिए आप सहमत हो गए हैं।

फिर उन्होंने यह भी कहा कि विस्तारित वित्तीय सुविधाएं कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनके लिए विकासशील देश बहुत लम्बे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। परन्तु क्या वे इस प्रकार की वस्तु के लिए लड़ रहे हैं ? कौन लड़े हैं ? मुझे नहीं मालूम। जिन लोगों ने लड़ने का प्रयत्न किया उन सभी ने अपना वक्तव्य दे दिया है—चाहे वह श्री लंका हो या श्री न्यरेरे या जमैका या कोई और उन्होंने लड़ने का प्रयत्न किया होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु उनका अनुभव क्या था ? उसे स्पष्ट शब्दों व्यक्त किया है।

अन्त में यह सत्य है—बहुत से मित्रों ने इसका उल्लेख किया है मुझे इस पर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। आपका ऋण सम्बन्धी दायित्व फिलहाल रुपये की विनिमय दर, अर्थात रुपये के मूल्य पर आधारित है परन्तु मंत्री को हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में चल रही प्रक्रिया के अनुसार स्थिति से अवगत कराना चाहिए। 3 या 4 वर्ष पश्चात वही ऋण सम्बन्धी दायित्व जो अब कुछ है डालर का मूल्य बढ़ जाने से तथा रुपये का मूल्य कम होने पर बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। औपचारिक अवमूल्यन की कोई आवश्यकता नहीं। यह अवमूल्यन अप्रत्यक्ष रूप से होता जा रहा है। अतः इस ऋण सहित पिछले ऋणों का, जिनका भुगतान किया जाना है,

ब्याज का वास्तविक भार क्या होगा। और वह धन कहाँ से आयेगा, क्योंकि मैं श्री वेंकटरामन को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक बंधुआ श्रमिक की तरह समाप्त होते हुए नहीं देखना चाहता। उन्होंने कहा है कि हमारी साख-योग्यता बहुत ही उच्च श्रेणी की है। अच्छा, मैं उनके लिए शुभ कामनाएं करता हूं, क्योंकि मेरे विचार में साख योग्यता ही एकमात्र चीज नहीं है जिसको उन्होंने ध्यान में रखा है। भारत तृतीय विश्व देशों में सबसे बड़ा देश है तथा उस तृतीय विश्व देश को ऐसी स्थिति में डालना बहुत बड़ी बात है। मुझे कहना चाहिए यह उनके लिए आत्म निर्भरता, नियोजित आर्थिक विकास, सरकारी क्षेत्र आदि पर बहुत बड़ी जीत है। घरेलू बाजार का विस्तार किया जाना है। यह बड़ा घरेलू बाजार जो कि अभी तक हमारे देश में अप्रयुक्त पड़ा है। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ अधिक उद्धृत करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका अर्थ यह समझा कि लघु क्षेत्र और मध्यम क्षेत्र के उद्योग को हमारी पुरानी नीति के अंतर्गत अभी तक कुछ सुविधाएं दी गई हैं। उनके लिए कुछ क्षेत्र आरक्षित किए जाते हैं। अतः उसे भी कसा जाना चाहिए, क्योंकि बात ऐसी हो कि हम अपने धन को इस प्रकार बर्बाद कर रहे हैं। अतः यहां लघु क्षेत्र तथा मध्यम क्षेत्र को ये सब अवसर तथा सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। हमारे देश में क्या होने जा रहा जा रहा है ? केवल मुट्ठी भर टाटा, बिड़ला, डालमिया तथा गोयनका को ही समृद्ध होना है लाखों छोटे व्यापारियों, छोटे उद्यमियों, लघु व माध्यम क्षेत्र के लोगों का क्या होगा ? उनका क्या होने जा रहा है ?

अतः मेरा कहना है कि कम से कम हमारे मस्तिष्क में जो बहुत से प्रश्न हैं उनका अभी तक सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है, क्योंकि समूचा उद्देश्य तो यहाँ दिखावटी मुक्केबाजी मैच है बिलग और वास्तव में लोगों को विश्वास में लेना नहीं है। उन्होंने ऐसा पहले भी कभी नहीं किया और अब भी करना नहीं चाहते। अब हम जिस ढंग से सारा कार्य किया गया हम इसके पूर्णतः विरुद्ध हैं और हम समझते हैं कि आपको किस तरह के जाल में ले जाया जा रहा है। आपको वह आत्मतुष्टि की भावना नहीं रखनी चाहिए जो कि आपको तब होगी जब तक आप यह न बताये कि इस धन को कहाँ प्रयोग करने जा रहे हैं। मैं यदि यह एक बड़ी राशि है जो आपके कोष में जोड़ी जा रही है तो आप संतुष्ट होंगे। अतः में अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि यह देश के दीर्घकालिक हितों के पूर्णतः विरुद्ध किया जा रहा है और यह उस मूल नीति के बिल्कुल विपरीत है जिसका हम हमेशा बहुत सावधानीपूर्वक पालन नहीं कर रहे थे परन्तु उसका पालन करने के लिए हम वचनबद्ध थे। अतः मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री वाई० एस० महाजन (जल गांव) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके द्वारा ऐसी नाजुक परिस्थतियों में, जिनसे हम गुजर रहे हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इतने बड़े ऋण का समझौता करने के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने इस ऋण पर वाद विवाद करा करके अच्छा किया है, क्योंकि इससे उन्हें ऋण के कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने का अवसर मिला है तथा विपक्ष के सदस्यों की जो कि सरकार की मौलिक, आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के विरुद्ध हैं, तथा कुछ अर्थशास्त्रियों की, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कृत्यों को अच्छी तरह नहीं समझा तथा जिनकी कुछ विशेष विचारधारा है तथा जिनको इसमें स्वयं आशंकाएं हैं जो कि निराधार हैं, विस्तारित व्यवस्था के बारे में गलतफहमी को दूर करने का भी अवसर मिला है।

ऋण व्यवस्था की पूर्ति सरल हैं परन्तु उनको उचित संदर्भ में समझना आवश्यक है। मैं उन शर्तों को दोहराकर सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। हम कितना उधार ले रहे हैं। कितनी किस्तों में अगले तीन वर्षों में कितना उपलब्ध होगा—अब ये सामान्य जानकारी की बातें हैं।

मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा, क्योंकि पहले वक्ता श्री अग्रवाल ने यहाँ तक कहा है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बाहर निकल आना चाहिए। और माननीय, श्री गुप्ता ने तो इस प्रकार से बात की हैं जैसे हम अमेरिकी मछुआ द्वारा पकड़ी गयी कोई मछली हों। वह सी० वेंकटरामन के भविष्य के बारे में चिन्तित थे। वह नहीं चाहते कि वह दास या गुलाम बनें। मैं श्री वेंकटरामन के लिए की गयी इस चिन्ता को समझता हूँ। परन्तु मेरा कहना है कि यह समूची दलील अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में गलत धारणा पर आधारित है या इसे गलत ढंग से देखा जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, कुछ वित्तीय या आर्थिक अव्यवस्थाको रोकने के लिए की गयी थी। कुछ आर्थिक अव्यवस्था 1918 और 1939 के बीच अन्तर्युद्ध अवधि के दौरान हुई थी। उस अवधि में बहुत से देशों ने निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा आयात को हतोत्साहित करने के लिए पड़ोसी देशों से ऋण लेने की नीति अपनायी। इस समय देशों में मुद्रा स्फीति की स्थिति थी और जब अल्पावधि या मध्यम अवधि ऋणों के लिए कोई अन्तर्सरकार या अन्तर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था नहीं थी तथा देशों के बीच मुद्रा अवमूल्यन की होड़ लगी हुई थी। इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गयी थी। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य भुगतान सन्तुलन की अस्थायी कठिनाइयों से निपटने में देशों की सहायता करना है। कुछ वर्ष पहले इस संस्था की अंतर्नियमावली में इस विस्तारित कोष की व्यवस्था करने के लिए परिवर्तन किया गया था, ताकि कोष तीन या चार वर्ष की मध्यम अवधि के लिए उधार दे सके, ताकि देश कठिनाइयों पर भी काबू कर सकें तथा साथ ही साथ वे भुगतान सन्तुलन की स्थिति बेहतर बनाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन कर सकें। यह एक ऐसी संस्था है जो कि देशों की भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी कठिनाइयों में मदद करती है। इसलिए हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गए हैं।

पिछले पच्चीस वर्षों से हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य रहे हैं। और इस अवधि के दौरान कार्यकारी बोर्ड में हमारा एक सदस्य रहा है। श्री सी० डी० देशमुख ने हमारे प्रतिनिधि के रूप में इसकी मूल नीति के निर्णय में भाग लिया था। कोष के उद्देश्यों वह कार्यों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। यह पारस्परिक हितों के लिए एक सहकारी निकाय है जिसमें 125 राष्ट्र सम्मिलित हैं। यदि आप इसको पसन्द नहीं करते तो इसके पास मत जाइये। आपको इस पर संदेह नहीं करना है। जब हम मुसीबतों से घिरे होते हैं तभी इसके पास जाते हैं। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी है कि निर्यात करके आयात किए गए माल का भुगतान नहीं कर सकते। हमारे देश को आयात पर हानि हो रही है। ऐसी स्थिति में हम इस स्थिति का सामना कैसे करें? कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमें तेल का आयात कम करना चाहिए। क्या यह सम्भव है? यह सरल तर्क है, इसमें कल्पना की कमी है? क्या आप पैटोलियम के बिना काम चला सकते हैं? क्या आप कृषि में लगे लाखों पम्पों को इस देश में चलने वाली हजारों बसों को क्या आप बन्द कर सकते हैं? रोक सकते हैं? क्या आप उद्योगों को पैट्रोल तथा पैट्रोलियम

उत्पादों की सप्लाई को रोक कर अस्तव्यस्त कर सकते हैं ? यह तर्क सही नहीं है । यह ऐसा तर्क है जो हमें आज की संकटपूर्ण स्थिति या समस्या को देखने नहीं देता है ।

फिर श्री गुप्ता, जो एक समझदार व्यक्ति हैं, यह पूछते जा रहे है कि श्री वेंकटरामन इस धन को उधार क्यों ले रहे हैं ? वह इसको किस कार्य में प्रयोग करने जा रहे हैं ? यह आश्चर्यजनक बात है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का समूचा उद्देश्य भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए उधार देना है । श्री वेंकटरामन ने सैंकड़ों बार यह कहा है कि यह उधार हम भुगतान सन्तुलन की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए ले रहे हैं । जब हम अपने निर्यात से भुगतान नहीं कर सकते तो रिजर्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन प्राप्त करके भुगतान कर देगा । यह हमारे बजट संसाधनों का अंग नहीं बनेगा । यह ऋण हमारी योजना के संसाधनों की सुरक्षा के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है । कि हमारी छठी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो तथा जैसा सोचा गया है उसी के अनुसार हमारा विकास हो सके । अतः यह कहना, कि कोष से उधार लेना हमारी प्रभुसत्ता के साथ सौदा करना है ठीक नहीं है । क्या उन्होंने ऐसा एक भी उदाहरण दिया है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमें हमारी सर्वप्रभुसत्ता से वंचित रखेगा ? समूची व्यवस्था सदन के सामने चर्चा के लिए प्रस्तुत है । यदि यह सभा इस समझौते के लिए 'ना, कहे तो हमारी सरकार इस समझौते को नहीं करेगी । विपक्ष को इस सभा को इस बात से सहमत कराना चाहिए । यह सभा प्रभुसत्ता सम्पन्न है और सरकार इसके समक्ष आयी है ।

आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि सदन में हमारा भारी बहुमत है । हम इस देश के लोगों की इच्छाओं तथा अकांक्षाओं को जानते हैं । हमारे आर्थिक विकास के लिए यह ऋण आवश्यक है । वित्त मंत्री हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस सरकार का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उसका इस सभा में भारी बहुमत है और इसलिए उनको ऋण की शर्तें स्वीकृत कराने के लिए सदन में आने की आवश्यकता नहीं थी ।

निर्यात तथा आयात के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है परन्तु श्री अग्रवाल की सूचनार्थ मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारी आयात-निर्यात नीति वैसी ही है जैसी 1977-78 में उनकी सरकार द्वारा बनायी गयी थी । इसी को जारी रखा गया है । पंचवर्षीय योजना के मसौदे में कहा गया है कि हमें अपने निर्यात को बढ़ाना चाहिए तथा आयात को उदार बनाने के लिए इस विदेशी व्यापार नीति को जारी रखा जा रहा है । 'उदारकरण' शब्द ने कुछ लोगों को चौंका दिया लगता है । परन्तु उदारीकरण शब्द का अर्थ निर्यातकों को आयात करने के लिए बढ़ी हुई मात्रा में सहायता देना है । उदारीकरण का अर्थ आयात प्रतिक्रियाओं का सरलीकरण करना है, ताकि समय लगने वाली प्रतिक्रियाओं को कम किया जा सके । उद्योगों को फालतू पुर्जे, उपकरण, कच्चा माल प्राप्त कराना आवश्यक है, ताकि उनकी बढ़ती हुई आवश्यकतायें पूरी हो सकें । क्योंकि हमारा विचार है कि छठी पंचवर्षीय योजना काल में उद्योगों में वृद्धि होगी, औद्योगिक परियोजनाओं में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी, अपनी विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमें औद्योगिक विकास का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करना होगा जिसके लिए आयात करना आवश्यक होगा । इसीलिए "उदारता,, शब्द का प्रयोग किया गया है । किन्तु हमें गलत समझा गया है और ऐसा लगता है कि लोगों का यह विश्वास है कि इस

'उदारता' शब्द का अर्थ उस माल का आयात करना होगा जिसकी आवश्यकता नहीं है और इसका अर्थ उन मशीनों का आयात करना होगा जिनका उत्पादन यहां किया जा सकता है। इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी। हमारी आयात और निर्यात नीति बिल्कुल स्पष्ट है। यह सम्भव है कि इस मद पर विचार करने के हेतु कार्य-सूची के लिए सदस्य द्वारा कार्यकारी बोर्ड को भेजे गये पत्र में आपको कुछ ऐसे वाक्य मिल जायेंगे जिन्हें आपको यत्र तत्र यदि संदर्भ से पृथक कर पढ़ा जाए तो उन वाक्यों के अर्थ को विकृत कर देंगे। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम उस नीति के प्रति वचनबद्ध है जिसे इस पत्र और हमारे मंत्री महोदय द्वारा भेजे गये ज्ञापन में दिया गया है, न कि कार्यकारी बोर्ड के लिये कार्यसूची रूप में भेजे गये कागज में बतायी गयी बात के प्रति। मुझे आशा है कि इस अन्तर को ध्यान में रखा जाएगा।

जहां तक ब्याज की दर का सम्बन्ध है, हम इस ऋण को 10 प्रतिशत की औसत दर पर प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु विपक्ष के लिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण बात समूचा करार है जिसके द्वारा हम अपनी प्रभुसत्ता को त्याग रहे हैं। यह बहाने से बढ़कर कुछ नहीं है और अनजाने लोगों को धोखा देने के एक ढंग से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सभा के सदस्य इस प्रकार के तर्क से धोखा नहीं खाएंगे। मैंने उन्हें एक भी ऐसा महत्वपूर्ण मामला बताने के लिए कहा था जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों से इस संसद अथवा सरकार की इच्छाओं की अवहेलना हुई हो। पर वह ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दे पाए।

जहाँ ऋण दायित्व का सम्बन्ध है भारत सरकार द्वारा लिया गया कुल विदेशी ऋण हमारी राष्ट्रीय आय का 11 प्रतिशत बैठता है और ऋण सेवा का अनुपात आयात से हमारी वर्तमान प्राप्तियों का 8 प्रतिशत बैठता है। अतः इस ऋण के लेने से हमारा बोझ अधिक नहीं बढ़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी यह कहना है कि यह बोझ भारी नहीं होगा। यह हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग 2 प्रतिशत बैठता है। अतः मैं नहीं समझता कि हमारे ऋण भुगतान में यह भारी बोझ होगा।

श्री अग्रवाल ने कहा है कि हमारी स्वतन्त्रता के 35 वर्षों के पश्चात भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या विपक्ष के सदस्य भी आंशिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं ? जब हम कुछ परियोजनाओं को तैयार करते हैं तो विरोधी पक्ष के लोग आते हैं और कहते हैं कि इस परियोजना को क्रियान्वित न किया जाये क्योंकि इससे उस क्षेत्र की जनसंख्या में तनाव पैदा हो जायेगा। जब कभी हम किसी बांध का निर्माण करना चाहते हैं, तो वे लोगों को इसके विरुद्ध यह कहकर उकसाते हैं कि इस बाँध से पर्याप्त जल नहीं मिलेगा अथवा इससे क्षेत्र विशेष के लिये जल की व्यवस्था नहीं होगी। अतः जब परियोजना निर्माणाधीन होती है, तो उसमें संशोधन करना पड़ता है। उसमें समय लग जाता है और विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि हो जाती है।

हमारी जनसंख्या के मामले को ही लीजिये। स्वतंत्रता के पश्चात हमारी जनसंख्या दुगुनी हो गई है। हमने शुरू से ही अपनी जनसंख्या में वृद्धि को कम करने के लिए कार्य शुरू किया था। हमारे कार्यक्रम को लोगों के समक्ष गलत ढग से रखने के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या विरोधी पक्ष ने इस समस्या से निपटने के लिए गम्भीरतापूर्वक हमारी सहायता की ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त जो इस ऋण के मामले में हमारी निन्दा करते रहे हैं, वह हमारी योजना सरकारी क्षेत्र तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए सभी तरह से, प्रशंसा करते रहे हैं। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मैंने उन्हें इन सब वर्षों में कभी भी इन बातों की प्रशंसा करते नहीं सुना अतः इस प्रकार का तर्क हमें गुमराह नहीं कर सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पक्ष के सदस्य इतने चतुर हैं कि वे विरोधी पक्ष के सदस्यों की बातों में नहीं आएंगे।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडर (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, चर्चा को आरम्भ करते हुए आज प्रातः श्री वेंकटरामन ने यह जो सुस्पष्ट वक्तव्य दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक सहकारी समिति है, उसे मैं सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। महोदय मैं आपके द्वारा उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनका यह मत, कि अतर्न्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक सहकारी समिति की तरह ही है, उनके अपने दल का मत है, क्या वह मत उस विरासत के अनुसार है जिसे उनका स्वयं अपना दल उत्तराधिकार में प्राप्त करने का दावा कर रहा है, क्या वह मत हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति से मेल खाता है और क्या यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक एवं आर्थिक पहलू के अनुरूप है। मैं ऐसा नहीं सोचता।

इस देश के अन्य सभी वामपंथी दलों तथा लोकतांत्रिक दलों सहित मेरे दल तथा स्वयं मेरा यह विचार है कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं नव उपनिवेशवाद पद्धति को जारी रखने के लिए मुख्य प्राकृतिक साधन के रूप में स्थापित की गई है, जिसके सैद्धान्तिक साधन स्वतंत्र कार्य तथा बाजार संबंधी व्यवस्था है। इस समय नव-उपनिवेशवाद पद्धति तथा योजना क्या है। महोदय, इस सभा के सभी सदस्यों से मेरी यह प्रार्थना है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस प्रश्न का विश्लेषण तथा उस पर विचार इस नव उपनिवेश-वाद योजना तथा पद्धति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को दिये गए ऋण का मामला एक अलग मामला नहीं है जिसे एक साहसी तथा साधन सम्पन्न सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच में सफ-लतापूर्वक जीता था और एक अनिच्छुक पार्टी से अभूतपूर्व ऋण प्राप्त किया है जैसाकि हमारी सरकार ने दावा किया है। यह एक ऐसा मामला भी नहीं है जिसके द्वारा देश को संकट से बचाने लिए उस दल की ओर से किया गया एक उदार कार्य कहा जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में अमरीकी निदेशक की अनुपस्थिति से सरकार के मत के प्रति कुछ विश्वास पैदा किया था। किन्तु वह अनुपस्थिति एक असली चाल की अपेक्षा श्रेष्ठ कूटनीतिक चाल अधिक है। यह विश्वास करना कठिन है कि यदि अमरीका वास्तव में इस के विरुद्ध था, तो वह इस ऋण के विरुद्ध पर्याप्त मतों का समर्थन प्राप्त नहीं कर सकता था। तथ्य यह है कि वह इसके विरुद्ध नहीं था। वह तो दूसरों की तरह ऋण के रूप में विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के शिकंजे में भारत को जकड़ना तथा उस पर बेड़ियां डालना चाहता था। अमरीका की अनुपस्थिति इस मामले में उसकी स्पष्ट उदासीनता प्रदर्शित करती है तथा इससे "विरोध" के बावजूद ऋण प्राप्त करने के लिए भारत की उत्सुकता को बल मिला और इसके अतिरिक्त अमरीका इससे ऐसी स्थिति में आ गया जिससे कि वह बाद में ऋण की शर्तों को और सख्त बनाने के लिए तर्क प्रस्तुत कर सके।

इस विशिष्ट मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के रुख की ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण बात

नहीं हैं, प्रत्युत इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस ऋण प्रबन्ध का भागीदार है और कि यह प्रबन्ध पश्चिम की उभरती आर्थिक चाल के अन्तर्गत आता है। पुरानी औपनिवेशिक पद्धति द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा विखण्डित किये जाने के पश्चात पश्चिमी विकसित युद्धों के लिए नई पद्धति विकसित करना आवश्यक हो गया, जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि उनके भूतपूर्व उपनिवेश स्वयं अपने को पूरी तरह औद्योगिक राष्ट्र बनाकर उनके प्रतियोगियों के रूप में पधारने की बजाय उनकी आवश्यकतानुसार उनके कच्चे माल और अन्य सामग्रियों को अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यों पर सप्लाई करके स्वयं अपनी अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण भूमिका अदा करते रहें। इस नई पद्धति को कभी-कभी नव-उपनिवेशवाद भी कहा जाता है। यह कृषि के महत्व पर बल देती है और आधुनिकतम औद्योगिक उत्पादन को विकासशील देशों के लिये अनुपयुक्त समझती है और प्रोद्योगिकी संबंधी तथा प्रबंधकीय जानकारी का आयात के नाम पर बहुराष्ट्रीय तथा दूसरी कम्पनियों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस प्रकार का उत्पादन उनके अपने उत्पादन से मुकाबला करने की अपेक्षा उसकी सम्पूरक हो। एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग जिसमें विकसित देशों से विकासशील देशों को संसाधनों का अन्तरण प्राथमिक उत्पादों के लिए व्यापार की बेहतर शर्तें शामिल हैं इस नव-उपनिवेशवाद पद्धति के लिए एक स्वाभाविक अभिशाप है और इसलिए इसे अन्तहीन चर्चाओं के बावजूद भी माना नहीं जा सकता जैसा कि हम सभी जानते हैं।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं नव-उपनिवेशवाद पद्धति को जारी रखने के लिए मुख्य प्राकृतिक साधन के रूप में स्थापित की गई हैं, जिनके सैद्धान्तिक साधन स्वतंत्र कार्य तथा बाजार संबंधी व्यवस्था हैं। विश्व में व्याप्त मन्दी को देखते हुए तृतीय विश्व की एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए बढ़ती हुई माँग को माने बिना तृतीय विश्व को इस पद्धति के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य को अब महत्व मिला है। यह मन्दी का लक्षित है···

सभापति महोदय : आप अब अपना भाषण समाप्त करें। आप मुख्य-मुख्य बातें बता सकते हैं। आपने आठ मिनट से अधिक ले लिये हैं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडर : पर अन्य सभी सदस्यों ने अधिक समय लिया है।

सभापति महोदय : किन्तु आप सभा का रवैया तो जानते हैं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडर : इस मन्दी के कारण मांग स्थिर है। परिणामस्वरूप बेकारी बढ़ी और मूल्यों में या उद्यामियों के लाभ में तदनुसार गिरावट नहीं आई है। जिन्हें अल्पाधिकारवादी स्थितियों में बनाये रखा जा रहा है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में इस देश के भीतर तथा देश केबाहर के बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एजेंटों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ऋण हमारे देश पर लादा गया, तो उसका अर्थ होगा हमारी आर्थिक स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता के विदेशी अर्थिक शक्तियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों बेचना।

महोदय, हो सकता है कि वित्त मंत्री महोदय ठीक कह रहे हों कि इस ऋण की शर्तें सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप हैं। किन्तु यदि इसे स्वीकार भी कर लिया जाता है, तो भी

यह सिद्ध करना होगा कि ये नीतियां आत्म-निर्भरता और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों के अनुरूप है। पर यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें बाद वाली बातों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसी पहली शर्त के अनुसार ऋण संबंधी प्रतिबन्धों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों और सम्पूर्ण घरेलू ऋणों में कटौती की जाएगी। अब जो अधिकतम सीमा मानी गई है वह वास्तविक हो सकती हैं, किन्तु उसके नीति सम्बन्धी परिणामों पर कोई विवाद नहीं है। नीति संबंधी जटिलता वित्त से सम्बद्ध है, और रेगन प्रशासन अथवा ब्रिटेन में श्रीमती मारगरेट थैचर द्वारा अपनायी गई नीतियों से भिन्न नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किये विवरण से यह बात तब स्पष्ट हो जाती है जबकि इसमें यह कहा गया है कि यह व्यवस्था 'सुविचारित मांग प्रबन्ध नीतियों' द्वारा भुगतान संतुलन की स्थिति को दृढ़ करने के लिए है। किसी भी देश की इन नीतियों की अपनी उपयुक्तता चाहे कुछ भी हो प्रश्न हमारे देश में इसकी उपयुक्तता क्या है। ये नीतियां भारत जैसे विकासशील देश के लिए अनुपयुक्त हैं और निश्चित रूप से वे हमारे द्वारा अपनाई गई विकास पद्धति के प्रतिकूल हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सरकार के द्वारा लिये जाने वाले ऋण के संबंध में अधिकतम सीमा सहित सरकारी व्यय पर प्रतिबन्ध लगाने का यह अर्थ नहीं है कि यह केवल सरकार नौकरशाही की फ्जूलखर्ची पर ही अधिकतम सीमा लगाई जानी चाहिए। वस्तुतः होगा यह कि सरकारी व्यय को कम करने की बजाय गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए कुछ राहत सुनिश्चित करने हेतु किये जाने वाले कल्याणकारी उपायों जैसे सामाजिक उपायों के संबंध किए जाने वाले व्यय को कम कर दिया जायेगा। अतः, इन शर्तों के कारण क्या होने वाला है ? चाहे ये शर्तें सरकारी व्यय पर प्रतिबन्ध के बारे में हो अथवा आयात नीति को उदार बनाने के संबंध में हो या निर्यात मदों के बारे में हो, ये सब हमारे राष्ट्र की स्वीकृत नीतियों के विरुद्ध हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से स्वीकृत हैं। इस शर्त के कारण सरकारी क्षेत्र को इसकी प्रमुख भूमिका मिलने की बजाय निजी क्षेत्र के उन कम्पनियों को प्रमुखता मिलेगी जो निर्यात के काम लगे हुए हैं। और जो हमारे देश में भारी खपत की मदों की ओर ध्यान न देकर विश्व के समृद्ध लोगों के उपयोग की मदें तैयार करती हैं।

इसी प्रकार निर्यात के विषय में उदारता बरतने मेंभी सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर पिछली सरकार की उस स्वीकृत नीति से विमुख हो रही है जिसको वह अपनी विरासत होने का दावा कर रही है।

अतः मैं कहना चाहता हूँ कि बहुराष्ट्रिक ताकतों के सहयोग से आयात में उदारता लाने से हमारी अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुँचेगी। मैं वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का पूर्ण विरोध तथा प्रो० मधु दण्डवते तथा अन्य सदस्यों द्वारा पेश किये गये प्रतिस्थापन प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री कमलनाथ ने एक प्रश्न उठाया है: विकल्प क्या है। इसके विकल्प पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय समस्या का मुकाबला करने के लिए हमें पिछले 34 वर्ष के अनुभव को ध्यान में

रखते हुए अपनी समूची आर्थिक नीति की समीक्षा करनी है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अन्तरिम रूप में अपनाया है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था के अपने अनुभव से मालूम हुआ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्दर ही नहीं बल्कि देश के अन्दर बहुराष्ट्रकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए पूंजीवादी ताकतों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। अतः मेरी यह स्पष्ट राय है कि इस समस्या का समाधान मिश्रित अर्थव्यवस्था के मार्ग से हटकर तथा सरकारी क्षेत्र पर पूरा ध्यान देने समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रणाली बनाने और संकट का साहस से मुकाबका करने में है। लेकिन मेरे विचार में सरकार ऐसा नहीं करने जा रही है।

1969-70 के दौरान वर्तमान प्रधान मंत्री ने हम जैसे लोगों को भी बेवकूफ बनाया कि वे बैंक राष्ट्रीयकरण तथा शाही थैलियों को समाप्त करने के बाद सभी और समाजवादी आर्थिक उपायों तथा नीतियों को कार्यान्वित करने जा रही हैं। लेकिन वर्तमान प्रधान मंत्री तथा इनका दल इस समय इस प्रकार के काम करने की इच्छुक नहीं हैं। वे बहुराष्ट्रकों तथा पूंजीपतियों के हाथों में खेल रहे हैं। इस ऋण का एक विकल्प है। यदि आपका व्यय ऋण के बिना नहीं चल सकता तो आप अपना पद छोड़कर अन्य लोगों को स्थान दें और जिससे वे राष्ट्र के हित में जो भी जरूरी हों करें, मैं सभा के सामने तथा सभा के द्वारा देश तथा विश्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह करार 1977 की तरह भविष्य में सत्ता में आने वाली उत्तराधिकारी सरकार पर बाध्य नहीं होगा। यह सरकार गिर सकती है और यह करार नई सरकार पर बाध्य नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस करार का पूर्णतः विरोध करता हूँ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सात घंटों के दौरान चर्चा जैसी आशा थी वैसी ही हुई। लेकिन यह शिक्षा की दृष्टि से एक प्रयोग था क्योंकि वित्त मंत्री ही नहीं बल्कि कुछ अन्य लोगों के भाषण भी हमें सुनने को मिले हैं।

वित्त मंत्री श्री आर० वेंकटरामन ने चर्चा शुरू करते हुए हमें हमारी अज्ञानता के बारे में दोषी ठहराया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे हमें शिक्षित नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वे चाहते हैं कि हम अनजान ही बने रहें। उन्होंने अपनी उपलब्धि की प्रशंसा की और जो एक ऐसे राष्ट्र के लिए एक ही झटके में 15 अथवा 21 हजार करोड़ रु० के विदेशी ऋण जुटाने के मामले में निस्सन्देह एक ऐतिहासिक तथा अभूतपूर्व उपलब्धि है जिसकी जनसंख्या का अधिक भाग गरीबी स्तर से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहा हो। यह किसी के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है और निश्चय ही ये अपने-अपने अपने नेता तथा अपने दल के लिए श्रेय ले सकते हैं।

उन्होने अपने भाषण के दौरान कहा कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिद्धान्तों से बाध्य नहीं हैं। निस्सन्देह उस प्रकार हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिद्धान्तों में उतनी रुचि नहीं रखते जितनी कि वित्त मंत्री के सिद्धान्तों में रखते हैं जिनके लिए तथा सरकार के लिए भी मेरे दिल में बहुत आदर तथा प्रेम है। इस ऋण के सम्बन्ध में ही नही बल्कि अर्थव्यवस्था के प्रति उनका जो समस्त दृष्टिकोण है उससे आर्थिक तथा सामाजिक प्रश्न को राष्ट्र के सामने रखा जाना चाहिए। लेकिन बोरबोन की तरह यदि वे भी कुछ सीखने से इनकार करते हैं अथवा यदि ये कुछ भूले नहीं हैं, तो निश्चय ही यह उनकी अपनी बात है। लेकिन हमें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और यही कारण है कि हमने इस चर्चा पर जोर दिया है।

श्री वेंकटरामन ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तस्वीर एक निर्दोष तथा अहानिकर सहकारी समिति के रूप में पेश की है। लेकिन दुर्भाग्यवश, मुझे खेद है कि मैं उन्हें उतना निर्दोष नहीं मान सकता। यह बात दूसरी है कि समूचा विकासशील विश्व तंजानिया के राष्ट्रपति श्री न्यूरेरे, जिनका जिक्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने किया था, सहित हमारे मित्र हमारे आर्थिक विशेषज्ञ के ज्ञान से सहमत न हों। संभवतः वे कहेंगे कि तंजानिया ने गलत समय पर ऋण मांगा था। चूंकि वे चुस्त हैं, इसलिए वे समय पर गये। भगवान का शुक्र है उन्होंने शाकाहारी खुराक जो वे लेते हैं—की यह बात नहीं कही कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक शाकाहारी शेर है।

एक माननीय सदस्य : ये एक आईस-क्रीम मांसाहारी हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यदि हम उस घोषणा, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका की निंदा की गई थी, पर हस्ताक्षर करने वालों में से थे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं है और न ही दूसरे पक्ष में बैठे मेरे प्रतिष्ठित मित्रों पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है। मेरे विचार में इन सब बातों को टाला जा सकता था और यह सब जरूरी भी नहीं था। उनके लिए इतना ही काफी था कि वे यहां आयें और हमें कहें—"हमारा भुगतान संतुलन बहुत कठिन स्थिति में है। हमने एक सरल रास्ता अपनाया है और उन्होंने उनके प्रधान मंत्री ने तथा उनके दल ने बुनियादी नीतियों तथा सिद्धांतों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। अब हम चुनाव के समय पर भी इन समाजवादी सिद्धांतों के बारे बात नहीं करते हैं। अब कोई बाधाएं नहीं हैं। हम प्रयोग के एक ऐसे नये युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां प्रतिबंधात्मक ऋण नीतियां होंगी, जहां सरकारी क्षेत्र को पीछे रखा जाएगा, आयात में उदारता बरती जाएगी, और बहुराष्ट्रिक प्रौद्योगिकी तथा पूंजी को बढ़ावा दिया जाएगा। अनेक योजनाओं के दौरान जो विनियामक ढांचा हमने तैयार किया है उसे गिराया जाएगा। इसके बाद वे सहकारिता की भावना से प्रेरित होकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से सम्बद्ध हो सकते हैं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी से जोड़ सकते हैं, जो एक ऐसा विचार है जिसमें वे विश्वास नहीं रखते। क्या आपमें ऐसा कहने के लिए राजनीतिक तथा बौद्धिक साहस है? फिर जिस जनवादी शेर पर आप सवार हुए हैं, वह आपको खा जाएगा। इस चर्चा के अंत में, मैं इस सौदे के बारे विस्तारपूर्वक नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि यह पिछले वर्षों के दौरान पिछली तथा वर्तमान सरकार द्वारा योजना प्राथमिताओं तथा नीतियों-उद्देश्यों तथा कार्यान्वयन के साधनों के तार्किक ढंग से तोड़-मरोड़ कर रखने की पराकाष्ठा है।

लेकिन मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं अनजान हो सकता हूं। हम सभी अनजान हैं। हम बुद्धिमान होने का दावा नहीं कर सकते, जितना उनमें से कुछ कर सकते हैं।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, जो एक सामाजिक लक्ष्य है, जिससे 12 वर्ष पहले वर्तमान प्रधान मंत्री के अधीन भारतीय राजनैतिक तस्वीर को नाटकीय ढंग से परिवर्तित किया गया था, तथा जिसके बारे वर्तमान वित्त मंत्री जो उस समय दूसरे दल में थे, भी सहमत नही थे, राष्ट्रीय बैंकों ने बहुत बड़ी मात्रा में ऋण सरकारी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया। ऋण की राशि हर वर्ष तथा हर योजना में बढ़ती गई। जैसे कि इस सभा में इन्होंने स्वयं तथा कुछ पूर्व मंत्रियों ने स्वीकार किया, यह भी एक संसाधन जुटाने का एक माध्यम है। एकाधिकार गृहों को सट्टेबाजों तथा अर्थव्यवस्था के घातक तत्वों को उपलब्ध करने के बजाये राष्ट्रीयकृत बैंकों

के संसाधनों का उपयोग उसके बाद सरकारी क्षेत्र के लिए किया गया, छटी योजना के दस्तावेज में भी आपने घोषणा की है कि इस प्रकार 1000 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुदा कोष को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा और श्री वेंकटरामन कुछ भी कहें, इससे इस सरकार के हाथ बंध जाएंगे और सरकारी क्षेत्रों की जरूरत और विस्तार के लिए राशि में कमी हो जाएगी। इससे हमारी आर्थिक विकास नीति में अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। श्री वेंकटरामन मैं जानना चाहता हूं कि बैंक ऋणों तथा विदेशों से ऋण लेने की कुछ अधिकतम सीमा निश्चत करने का और क्या अर्थ हो सकता है। ब्राजील की सरकार ने भी इसे स्वीकार नहीं किया है। लेकिन वित्त मंत्री तथा उनकी सरकार ने अपनी पूरी समझ से इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया है ताकि हमें बंधे हुए ग्राहक बनें। और यदि कहीं कोई खराबी आ जाए और जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहे कि हम ऋण लेने के हकदार नहीं क्योंकि हम तीन वर्षों के बाद भुगतान करने में असफल हैं— तो एक साल तक तो स्थिति ठीक रहेगी लेकिन उसके बाद वे कहेंगे कि 'काफी हो गया'— तो यह अन्य स्रोतों से मिलने वाले सभी खर्च अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक ऋणों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार लागू होगा। ऋण यही फंदा है जिसके सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण के बारे में लोग कहते आए हैं।

आपने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिद्धान्तों से हम बाध्य नहीं हैं। ठीक है। शायद मेल-मिलाप में आपका दिल धड़कता है। आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा है :

"1982-83 तथा 1983-84 की आयात नीति के अन्तर्गत आयात में उदारता बरतने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाने की हमारी इच्छा है। आर्थिक कुशलता के हित में जहां भी जरूरी हो इस समय निर्मित हो रही चुनी हुई श्रेणी की वस्तुओं का और आयात करने पर भी विचार किया जायेगा।"

अतः आप उन वस्तुओं के आयात में भी उदारता बरतेंगे जिनके घरेलू उत्पादन से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। अन्य देशों में भी ठीक ऐसा ही हुआ है। मैं उनमे से बहुत से देशों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हर विकासशील देश के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुभव ऐसा ही हो रहा है। वे अपनी स्मृति को ताजा करें, 1968 में इंडोनेशिया में भी ऐसा ही हुआ था, इंडोनेशिया को भी यही आदेश दिये गये थे और उन्होंने इनका पालन किया। घरेलू उद्योग बंद हो गये, मार्केट में जापान तथा अन्य देशों के माल की बाढ़ आ गयी और हजारों लोग बेरोजगार हो गये और कारखानों तथा घरों से निकाल दिये गये। वहां ठीक ऐसा ही हुआ। आयात की उदारता एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में होगी और भारतीय उद्योग में एक और संकट पैदा करेगी—मुझे आशा है कि तथ्यों के आधार पर वे मुझे चुनौती नहीं देंगे—जबकि समस्या मांग में संकट की है क्योंकि आपकी मांग का आधार शहरी लोगों का 10 प्रतिशत और गांव के के लोगों का 10 प्रतिशत ही है जो बहुत कम है क्योंकि भारतीय उद्योगों में मांग बढ़ नहीं रही और इन सब बातों के होते हुए यह सब आप भारतीय उद्योगों के लिए कर ही लेंगे।

रुपये के साधनों पर भी दबाव पड़ेगा और जब रुपये के साधनों की भारतीय माल खरीदने के लिए कम सप्लाई होगी तो मंत्री महोदय के अनुसार "आर्थिक कार्यकुशलता" के लिए विदेशी माल उपलब्ध होगा। यह ऋण के फंदे तथा वित्त मंत्री द्वारा अपनाई गई सरल वैकल्पिक नीति का एक भाग है।

मुझे आशा है इन तथ्यों के बारे में भी चुनौती नहीं दी जाएगी। मंदी विश्व व्यापी है। संरक्षणवाद पत्थर की दीवार बन गई है। कुनकुन जैसे सम्मेलन हो न हो, ब्रेंडट प्रतिवेदन जैसे प्रतिवेदन हों न हों, कोई भी अपनी मान्य स्थिति में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। कृषि वस्तुओं के व्यापार के मामले में भी, जैसे कि वह जानते हैं पिछली शताब्दी के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का इतना खराब वर्ष पहले कभी नहीं रहा। इसका प्रभाव किस पर पड़ा ? बुनियादी माल और उत्पादों पर ही पड़ा। वित्त मंत्री ने यहां पिछले दिन स्वीकार किया था कि सभी जानते हैं कि व्यापार की स्थिति बिगड़ गई है। इसी परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वेरोक-टोक निर्यात, जो सभी विनियमनों, औद्योगिक लाईसेंसों, एम० आर० टी० पी० तथा एफ० ई० आर० ए० आदि से मुक्त हो के लिए कहा है और इसे इस सरकार ने स्वीकार किया है।

मैं उनसे अनुरोध करता हूं और मुझे विश्वास है कि उन्होंने इसे पढ़ा होगा। निर्यात संबन्धी नीति पर टंडन समिति के प्रतिवेदन पर एक विख्यात अर्थशास्त्री और "बिजनेस स्टैन्डर्ड" के संपादक डा० रांगनेकर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो० अमीन का विमत टिप्पण है। मेरा उनसे निवेदन है कि वह इसे पुनः पढ़ें।

हमारी संभावनाएं क्या हैं ? 'टर्न की' परियोजनाओं के लिए होड़ है। यही कारण है कि परादीप इस्पात संयंत्र के लिए 'डेवी-मैकी' अधिक अच्छी समझी जाती है। मैं अन्य बातों में नहीं जाना चाहता। तब तो अन्य बहुत सी बातें कहने के लिए मुझे यह कह करके खींचा जाएगा कि मैं चरित्र हनन की बात कर रहा हूं कि किसी को कमीशन, आदि मिल रहा है। अतः मैं इसकी बात नहीं करना चाहता। आखिरकार, हमने भी इस्पात संयंत्रों के निर्माण सहित कतिपय आधुनिक इंजीनियरी क्षेत्रों में भी पर्याप्त विशेषता प्राप्त कर ली है। यह हमारी एक उपलब्धि है और वे कहते फिरते हैं "देखिये, अमरीका और सोवियत संघ के बाद हमारे पास सबसे अधिक प्रौद्योगिकी विद व्यक्ति हैं।" परन्तु इससे आप क्या करते हैं ? आप उनसे क्या करते हैं ? वे आगे छोटे छोटे ठेकेदारों के तकनीशन और मैकेनिक ही रहेंगे जबकि पश्चिमी यूरोप या अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उत्कृष्ट व्यक्ति आकर डेवी-मैकी की तरह कार्य करते हैं ? हमारे वित्त मंत्री की आत्म निर्भरता की यह नई बात है।

यह कहा गया है और मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने राजसहायता के प्रश्न का उल्लेख वसूली अभियान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक आवश्यक अंग है। परन्तु आप किसानों को लाभकारी मूल्य देने को तैयार नहीं है। अब यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों—मूल्य जो आप देते हैं एवं जिस तरह से इसे वित्त पोषित किया जाता है—से पुनः सम्बद्ध हो जाता है। खाद्यान्न के लिए और राजसहायता नहीं। जैसा कि उन्होंने सही कहा है—मैं उनकी दलील को दोहराना नहीं चाहता यह एक महत्वपूर्ण अंग रहा है—न केवल आधुनिक प्रबन्ध के मामले में यह एक वांछनीय लक्ष्य है परंतु उस देश में जहां आपके बड़े सामाजिक दायित्व और लक्ष्य हैं जिनके बारे में वे प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री से लेकर सरकार में छोटे से छोटे स्तर तक निरंतर यह घोषणा करते हैं कि एक वचनबद्धता है और इसलिए हमें खाद्यान्न तथा उर्वरकों में राजसहायता प्राप्त है। मैं एक महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य शर्त यह है कि उनकी सहमति के बिना और राजसहायता की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसमें उर्वरक भी

शामिल हैं। यदि भारत में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया है और जिसके लिए श्रेय वित्तमंत्री और अन्य मंत्री ले लेते हैं कि हमारी यह उपलब्धि है। ऐसा अन्य बातों के साथ अधिक उपज वाले विविध कार्यक्रम के कारण से भी हुआ है जिसमें रासायनिक उर्वरकों के आदान से भी सहायता मिली है जिसे छठे और सातवें दशकों की अवधि में लगातार राजसहायता प्राप्त हुई और हाल ही में उर्वरकों के मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के प्रयोग में कमी आयी है। मैं आंकड़े जानना चाहता हूं।

उर्वरक संगठन ने अपने 1981 के प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि मूल्य वृद्धि के कारण उर्वरक बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ा है। अब आप उसके बाद कोई राजसहायता नहीं दे सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका प्रभाव भारत में कृषि उत्पादन की प्रगति पर भी पड़ेगा जो कि इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। क्या इसके परिणामस्वरूप काम के बदले अनाज कार्यक्रमों जैसे समाज कल्याण और अन्य कार्यक्रमों में भारी कटौती नहीं होगी जिसका प्रभाव सीधे समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ेगा—जिनके बारे में वे बहुत चिन्तित हैं? मध्यम दर्जे के व्यापारियों के एक छोटे समूह, एकाधिकार घरानों और बहुराष्ट्रिकों, आयातकों और निर्यातकों तथा अन्य विभिन्न उद्योगपतियों, जो नये अछूते कार्य क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, को छोड़कर समाज के अन्य वर्ग प्रभावित होंगे।

एक बार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण जाल में फंस जाने पर भारत को इससे बाहर निकलना कठिन हो जाएगा। उन्होंने पहले ही यह कहना शुरू कर दिया है कि हो सकता है कि हमें तीसरी किश्त की आवश्यकता न पड़े। इस बात की मुझे खुशी है। मुझे आशा है कि यदि वह इस पर विस्तार से विचार करते तो कोई न कोई अन्य विकल्प ढूंढ़ निकलते। उन्होंने यह कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी में डूबे हुए पश्चिमी विकसित देशों के साथ भारत को जोड़ना एक अनर्थकारी दुःसाहस है।

महोदय, यह दावा तो सही है कि अवमूल्यन नहीं होगा। उनका यह दावा है कि हम 1966 की भांति अवमूल्यन स्वीकार नहीं करेंगे। जब आप यह कहते हैं कि यह स्वीकार्य नहीं होगा तब सरकार आगे कहती है और मैं उद्धृत करता हूं :

> "कार्यक्रम अवधि के दौरान सरकार विनिमय दर के बारे में यथार्थवादी नीति अपनाना चाहती है।"

एक वर्ष के भीतर व्यापार घाटे के वर्तमान स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सूत्र स्वयं यह हिसाब लगाते हैं कि एक डालर लगभग 12 रुपये का होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो या अन्यथा। अतः कार्यक्रम के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से अवमूल्यन होगा जिससे हमारी मुद्रा पर प्रभाव पड़ेगा।

माननीय वित्त मंत्री ने यह दावा किया है कि हमारी नीतियों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वीटो नहीं होगा परन्तु केवल परामर्श ही होगा। ज्ञापन के पृष्ट 58 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह परामर्श क्या है। भारत के लिए विस्तारित व्यवस्था पर अन्तिम टिप्पण (नोट) में 'शैल' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी कारण श्री नरसिम्हन को वित्त मंत्री के पत्र में एक काव्यात्मक टिप्पण लिखना पड़ा और यह उल्लेख करना पड़ा कि उस पैरा में दिए गए परामर्श

से अलग रहने का विचार नहीं है। जिन नीतियों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विचार करता है, वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति के अनुरूप हैं और होंगी।

प्रश्न यह है कि परामर्श का क्या अर्थ है। मैं उस पर आगे नहीं कहूंगा। अपनी अज्ञानता के बावजूद मैं केवल यही कहना चाहता हूं। इस देश में हम सभी को यह श्रेय प्राप्त है, कि सभी राष्ट्रवादी हैं तथा सबका सम्बन्ध महान राष्ट्रीय आंदोलन से है तथा 1885 की अथवा 1905 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सहित।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : हां। इसलिए मैंने 1905 की बात कही है, जब श्री अरविन्द ने स्वदेशी आंदोलन प्रारम्भ किया था तथा उससे भी बढ़कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में आत्म-निर्भरता तथा अन्य छोटी छोटी बातों की बात करते थे। फिर भी वे इतने कृत्रिम प्रबन्धक नहीं थे तथा वे महान नेता तथा स्वप्न दृष्टा थे तथा हम उन्हें समझना चाहेंगे। तब उस पक्ष के श्री जवाहरलाल नेहरू ने दो बातों घोषणा की :

> "मुझे, मेरी पीढ़ी को तथा उनकी पीढ़ी को कठोर परिश्रम करना पड़ा। हमें इस बात की परवाह नहीं। भले ही देश देवालिया हो जाये अथवा कुछ भी हो हम झुकेंगे नहीं जो भी बात हम उचित समझते हैं उसके लिए संघर्ष करेंगे।"

यही उन्होंने कहा था : इसीलिए उन्होंने योजना की बात कही और तथा विनायक ढांचे की बात कही और देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र आदि के महत्व की बात कही। पिछले सत्र में जब मैंने वित्त मंत्री से पूछा तो उन्होंने बताया 'क्यों नहीं' यदि हम कुछ भार भावी पीढ़ियों पर डालते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, निःसन्देह उन्हें भी यह भार वहन करना चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि भविष्य के लिए आप जो बोझ छोड़ने जा रहे हैं उसका अनुपात क्या है ?

प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने 5.8 बिलियन डालर की विस्तारित आर्थिक सुविधा की मांग क्यों की ? क्या ऐसा इसलिए किया गया कि उन नीतियों को लागू किया जा सके जो भारत की जनता, संसद तथा शासक दल को भी सामान्य परिस्थितियों में मान्य नहीं हो सकती थी, किन्तु उन्हें गम्भीर शोधन संतुलन की गम्भीर कठिनाई के नाम पर लागू किया जा सकता है और क्या इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अनिवार्यतः ऋण लेने के लिए एक मामला बनाया गया ? अथवा क्या यह उन सभी नीतियों को त्यागने का प्रयत्न है जिनके लिए हम सदा प्रयत्न शील रहे हैं तथा जिन पर दृढ़ रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि हम इसकी आर्थिक उन्नति तथा राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए गम्भीर चुनौती है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, विपक्ष के एक सदस्य ने संस्कृत की एक सुन्दर उक्ति, "ऋणं कृत्वा घृतं ',पिवेत्, यावत् जीवेत सुखं जीवेत" उद्धृत की जिससे मुझमें भी उस पर बोलने का उत्साह पैदा हुआ। "ऋण कृत्वा" शायद उनका अभिप्राय है "घृतं पिवेत्" "घृतं" आम व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है अपितु एक सुविधा अथवा विलासिता है। किन्तु वह हमारे देश के जन साधारण के लिए चिंतित हैं। हमारा 'ऋणं कृत्वा" देश की सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए ही होता है।

श्रीमान, साथ ही मुझ समेत बहुत से विपक्ष के सदस्यों ने आज के विषय पर कोई व्यवहार्य सुझाव नहीं दिया है। फिर भी मैं वित्त मंत्री को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्गत पांच अरब डालर की विस्तारित ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए बधाई देती हूं। इसमें सफल होने के लिए कठोर परिश्रम की अपेक्षा थी। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इस ऋण की मंजूरी कराना न केवल आर्थिक अपितु कूटनीतिक सफलता भी है। इस मामले पर संसद में तथा संसद के बाहर बहुत गरमी रही तथा यह एक प्रकार के राष्ट्रीय वाद-विवाद का मामला बन गया। पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले पर समान विचार वाले 23 अर्थ शास्त्रियों के माध्यम पक्षपात मैं पूर्ण रुख अपनाया है मैं समझती हूं कि यह प्रयत्न गलत है तथा इसमें स्थिति की वास्तविकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

श्रीमान वित्त मंत्री ने मुख्य रूप में तेल की मूल्य वृद्धि से उत्पन्न प्रतिकूल शोधन संतुलन की स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की आवश्यकता पर बल दिया है विश्वमंदी तथा कुछ देशों द्वारा बचाव की स्थिति अपनाये जाने के कारण निर्यात की माँगों में कमी आई है। जब तक कठिनाई का सामना करने के लिए बाह्य सहायता उपलब्ध नहीं होती देश को मशीनरी तथा उपकरण, तथा सीमेंट, इस्पात, तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात में भारी कटौती करनी पड़ती। इन आवश्यक वस्तुओं का आयात न कर पाने से हमारे देश के आर्थिक विकास पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता। यह मत व्यक्त किया गया है कि इतनी सारी शर्तों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने की बजाय वाणिज्यिक ऋण लिया जा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण पर ब्याज 10.43 प्रतिशत है जो कि योरूप की डालर मार्किट के ऋण की दर से 18% कम है। फिर इन हालतों में वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करना सरल नहीं है।

इसके अतिरिक्त अंन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित ऋण व्यवस्था ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रों के लिए ऋण लेने की एक मान्य व्यवस्था है।

अतः कोई कारण नहीं कि भारत जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सदस्यों में से है इस सुविधा से वंचित रहे।

कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि इस प्रकार के मध्यम वर्ग के ऋण से अदायगी की गम्भीर स्थिति केवल कुछ वर्ष के लिए स्थगित ही होगी तथा सहसा धन उपलब्ध हो जाने से महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने की हमारी निष्ठा कमजोर पड़ जायेगी। वित्त मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि छठी योजना में तेल, इस्पात, सीमेंट और उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात स्थानापन्नों को खोजने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अलावा निर्यात वृद्धि के लिए भरसक प्रयत्न किए गये हैं यद्यपि इन प्रयत्नों में ठोस उत्साहवर्धक परिणाम निकलने में कुछ वर्ष लगेंगे, फिर भी प्रतिकूल शोधन संतुलन की स्थित में सुधार करने के लिए अन्तरिम कदम उठाये गये हैं ताकि हमारे जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के लिए आयात तथा प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस संकट का सामना करने के लिए अन्तरिम उपायों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण सर्वश्रेष्ठ मान्य तरीका है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण में लगाई गई शर्तों तथा आर्थिक प्रभुसत्ता के समर्पण पर भारी चिन्ता व्यक्त की है।

मैं समझती हूँ कि उस प्रकार की भावुकता सही निर्णय लेने में बाधक रही हैं। प्रथमत: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों में इस प्रकार की शर्तें सामान्य बात है और ये खासतौर से भारत के लिए नहीं बनाई गई हैं। जैसा कि वित्त मंत्री ने पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया है। कि यद्यपि देश की आर्थिक नीति संबंधी सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से परामर्श किया जायेगा। किन्तु सरकार नीति में किसी भी परिवर्तन को संसद की स्वीकृति से ही करेगी।

जहां तक शर्तों के विस्तृत विवरण का सम्बन्ध है लगभग सभी निर्देशन अर्थव्यवस्था को संभालने तथा व्यापार में घाटे को कम करने के लिए ही है ताकि देश कठिन परिस्थिति से निकल सके।

घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमा बाँधने तथा धन की उपलब्धि पर दृढ़ नियंत्रण आकलित मूल्यों को समाप्त कर सरकारी प्रतिष्ठानों में घाटों में कमी करना, ऊर्जा की दरों में सुधार करना ताकि ऊर्जा परियोजनाओं से उचित लाभ प्राप्त हो सके, राजसहायता में कमी करना, राजस्व में वृद्धि के लिए करों में सुधार, बुनियादी ढांचे में सुधार, पूंजी निवेश तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए मूल्य नियंत्रण को उदार बनाने, ऊर्जा के संरक्षण आदि कुछ शर्तें लगाई गई हैं। जो भी शर्तें है वे हमारी वित्तीय नीति का ही अंग हैं। नि:सन्देह इन शर्तों की क्रियान्विति हमारी संसद द्वारा निर्धारित सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं के अध्यधीन होगी।

कुछ सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा रूपए के अवमूल्यन तथा आयात को उदार बनाने के लिए संभावित दबाव डालने जाने पर चिन्ता व्यक्त की है। जहाँ तक ऐसी शर्त का प्रश्न है वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया है कि रुपये के अवमूल्यन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

मैं वित्त मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्र के आत्म-सम्मान आत्म निर्भरता राष्ट्रीय प्राथमिकता में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की सहायता से विकास की गति बनाये रखते हुए भारत के लोगों को यथोचित न्याय देने की हमारी स्वीकृति नीति के साथ राष्ट्र को कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी भी 4-5 सदस्यों ने बोलना है। मैं प्रत्येक सदस्य से कहना चाहता हूँ कि चाहे वह किसी भी दल का हो उसे 5 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। मैं 8.1थ पर वित्त मंत्री को उत्तर देने के लिए बुलाऊंगा। बाद में कोई यह न कहे कि विस्त्रत चर्चा नहीं हुई। अत: कोई भी सदस्य पांच मिनट से अधिक नहीं लेगा। **श्री ए० के० राय** अब बोलेंगे।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के ऋण लेने में कुछ भी नई बात नहीं है क्योंकि यह सरकार ऋण पर जीवित है। नई बात यह है कि इसमें कुछ अपराध की भावना निहित है। महोदय आप जानते हैं कि जो अपराधी होता है वह जमानत रखता है और जिसे कुछ गड़बड़ी की आशंका होती है वह प्रत्याशित जमानत रखता है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने यह इस प्रत्याशा में किया है। उन्हें अपने करार के प्रति संसद की स्वीकृति की प्रत्याशा थी उन्हें अपनी योग्यता पर सभा की स्वीकृति की प्रत्याशा थी। यहां तक कि उन्हें विपक्षी सदस्यों के तर्कों की भी प्रत्याशा थी। यही कारण है कि

उन्होंने उनके तर्कों के उत्तर देने शुरू किये। महोदय मैं एक बात कहना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत ही गलत तरीके से तस्वीर पेश की है। मैं कहना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक सहकारी, हानिरहित, निर्दोष, निराकार, रंगहीन संगठन नहीं है। ऐसी बात नहीं है। यह एक राजनीतिक संगठन हैं तथा एक आर्थिक संगठन है यह जिसका एक विशेष अभिप्राय, निर्देश, स्वभाव, और दबाव है। महोदय, यह विदेशी सहयोग लागू करता है विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों में ढील देता है, आयात नीति को उदार बनाता है तथा सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र को वरीयता देता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं है किन्तु साम्राज्यवादी मुद्रा कोष है अथवा ऋण देने वाला कोष है तथा एक आर्थिक प्रवृत्ति एवं बड़ी शक्तियों की नव-उपनिवेशवाद की लालसा है। यदि आप विभिन्न दस्तावेजों को पढ़े तो ये सब बातें स्पष्ट एवं सुस्पष्ट हो जायेंगी। ये छिपी हुई अथवा गुप्त नहीं हैं। महोदय, यह सहकारी संगठन नहीं है, यह एक राजनीतिक संगठन एक आर्थिक संगठन है तथा इसकी स्थापना एक अभिप्राय से की गई है।

मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या जो संकट अथवा मजबूरियां, जिनका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है। वे अस्थायी हैं या बनी रहेंगी। यही मुख्य बात है। उन्होंने इस पांच बिलियन डालर के विशेष आहरण अधिकार ऋण लेने के सम्बन्ध में प्रयास एवं बातचीच की है। उन्होंने जो वक्तव्य अथवा करार हमें दिया है उसके अनुसार एक वर्ष में हमारे देश को 70% कोटा अर्थात 1.2 बिलियन डालर तथा दो वर्ष 12% कोटा अर्थात 2.2 बिलियन डालर का विशेष आहरण ऋण दिया जायेगा। यह हमें बिना किसी विवाद में पड़े मिल सकता था। अतः उनके करार के अनुसार हमें जून, 1982 तक 0.9 बिलियन डालर मिलेंगे और अगले वर्ष जून में 1.8 बिलियन डालर का दूसरा कोटा मिलेगा। यदि आप इन दोनों को जोड़े तो यह 2.7 बिलियन डालर बनता है। इसके बाद हमारे कार्य निष्पादन की जांच होने पर हमें 2.3 बिलियन डालर मिलेंगे। किन्तु हमें बिना किसी विवाद में पड़े 2.2 बिलियन डालर आसानी से मिल सकते थे। वित्त मंत्री ने कहीं एक वक्तव्य दिया है, चूंकि वह जहाँ कहीं भी जाते हैं वक्तव्य देते हैं कि हो सकता है हम तीसरी किस्त न लें क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता न हो। यदि हमें कुल 2.7 बिलियन डालर के विशेष आहरण अधिकार ऋण की केवल दो किस्तों की ही आवश्यकता है तो इसे लेने की क्या मजबूरी थी ?महोदय उनका कहना है कि इसके लिए आपकी घंटी की तरह कोई विनियम तथा कोई शर्त नहीं है क्योंकि आपकी घंटी की भी सदस्यों पर कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि वे बोलते ही रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह अध्यक्षपीठ पर कोई आक्षेप नहीं।

श्री ए० के० राय : बिलकुल भी नहीं।

एक माननीय सदस्य : यह घंटी पर आक्षेप है।

श्री ए० के० राय : यहां हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमें प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए कई विधेयक पारित करने होते हैं किन्तु अब हम यहां एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका सुदूर नियंत्रण है। यह सुदूर नियंत्रण ऐसा है कि इससे चर्चा भी रुक सकती है। उनका यह भी तर्क हो सकता है कि यहाँ चर्चा करने से कोष के 22 कार्यकारी निदेशकों के दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह एक ऐसा करार हैं जिसे अन्तिम रूप दिये जाने पहले इसका प्रभुसत्ता

सम्पन्न संसद पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे विलम्ब हो सकता है अथवा चर्चा स्थगित हो सकती है। यदि इस करार के सम्बन्ध में एक साल का विलम्ब हुआ होता तो सम्भवत: हमें इस पर चर्चा नहीं करनी पड़ती। हम करार करने से पहले ही बन्दी हो गये और हमें मालूम नहीं है कि करार के बाद क्या होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री ए० के० राय : चूंकि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं अत: मैं यहीं समाप्त करूंगा और बैठ जाऊंगा।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने कुछ प्रारम्भिक टिप्पणी करते हुए यह कहा कि सभा को यह ज्ञात होना चाहिए कि इस ऋण सम्बन्धी करार की दो शर्तों के आलावा कोई शर्त नहीं है और ये शर्तें हैं : देश में ऋण का अधिकतम सीमा निर्धारण तथा बैंककारी पद्धति पर सरकारों को ऋण देने की अधिकतम सीमा का निर्धारण इनके अलावा कोई अन्य शर्त नहीं है।

महोदय, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए समय की कमी है किन्तु यदि आपके पास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ज्ञापन पढ़ने का समय ही तो आप देखेंगे कि यह ऋण सम्बन्धी करार कई महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा कई व्यापक क्षेत्रों में सरकार द्वारा निश्चित आश्वासन दिये जाने के बाद किया गया। इन व्यापक क्षेत्रों में सरकार की आयात नीति, सराकार की निर्यात नीति, विनिमय दर नीति, मुद्रा सम्बन्धी नीति, बजट सम्बन्धी नीतियां, औद्योगिक नीतियां, विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति, विदेशी निजी निवेश, बाहरी ऋण लेने सम्बन्धी नीति, सार्वजनिक वितरण पद्धति, राजसहायता, कृषि मूल्य नीति, शामिल हैं। कम से कम इस ज्ञापन से जो आपके समक्ष है और जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है मुझे यह ज्ञात हुआ है। अतः हमारी अर्थव्यवस्था के कम से कम दस पहलू इस करार के अन्तर्गत आ जाते हैं और यह ऋण सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने पर प्राप्त किया गया है।

इस पर समस्त राष्ट्रीय नीति के परिपेक्ष्य में विचार करते हुए मैं समझता हूं कि रक्षा और विदेश नीति के सिवाय सरकार की नीतियों का प्रत्येक पहलू इस करार में लिया गया है और ये शर्तें तथा आश्वासन जिनके बारे में बिस्तार से कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है, केवल उन साम्राज्यवादी शक्तियों तथा पश्चिमी पूंजीपति शक्तियों के हाथों बिकना ही है, जो आर्थिक कठिनाइयां पैदा करने तथा हमारी स्वतंत्रता एवं विकास की आत्मनिर्भरता के रास्ते में में बाधाएं पैदा करने पर आमादा हैं। आप मुझे अधिक समय नहीं दे रहे हैं किन्तु आपको मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं। सरकार निजी क्षेत्र तथा बहु-राष्ट्रीय निगमों के विकास को प्रोत्साहन दे रही है। यह मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ज्ञापन से बता सकता हूं। सरकार इस देश में विदेशी कम्पनियों की भूमिका एवं स्थान पर लगे प्रतिबन्धों को उठाने पर सहमत हो गई है। सरकार मशीनों तथा कच्चे माल के आयात पर विभिन्न विनियामक प्रतिबन्धों तथा अधिकार शुल्क और निजी रूप से धन प्रेषण पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने पर सहमत हो गई है वे संसद द्वारा पारित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित निजी एकाधिकारियों पर प्रतिबन्धों को हटाने के लिए भी सहमत हो गये है। इसके अलावा वे घरेलू

उद्योगों के विकास की कीमत पर देश में निर्यात प्रमुख औद्योगिकीकरण की नीति अपनाने के लिए भी सहमत हो गये हैं अतः मुझे बहुत-सी बातें कहनी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें किसी अन्य अवसर के लिए रखिए।

श्री चित्त बसु : महोदय, वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के समक्ष इस बात के लिए भी सहमत हो गये हैं कि वे भावी मुद्रा तथा वित्तीय नीतियों को अन्तिम रूप देने से पहले उनसे परामर्श करेंगे। वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के साथ लगातार बातचीत करने के लिए भी सहमत हो गये हैं और इस प्रकार उन्हें हमारी आर्थिक नीतियों के मूल्यांकन तथा नियंत्रित करने का अधिकार मिल जाता है। अतः महोदय, हमारे देश की प्रभुसत्ता का सौदा करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह हमारी उस राजनीति से भिन्न नीति है जो अर्थव्यवस्था के विकास तथा आत्मनिर्भरता के लिए अपनाई थी। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कुछ सदस्यों ने यहां पश्चिम बंगाल सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में तथ्यों और प्रश्नों को प्रकट करने के लिए आलोचना की है। समस्त सभा को पहले 'दि हिन्दू' समाचारपत्र का तथा फिर पश्चिम बंगाल सरकार को धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इस पुस्तिका के अर्थात "फैक्ट्स एंड इस्यूज" प्रकाशन से उन्होंने इस बाद-विवाद के दौरान संसद को इस सम्बन्ध में पूर्व जानकारी देकर चर्चा करने का अवसर दिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका को भी स्पष्ट किया जाना है। भारत सरकार की आर्थिक नीतियों तथा उन्होंने जो ऋण सम्बन्धी करार किये हैं उसका स्वभावतः सभी राज्यों सहित समस्त देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है :

> "संघ सरकार की ताजा घोषणा जिसमें राज्यों को उनकी वार्षिक योजन में कमी करने की धमकी दी गई है तथा उनके विकास सम्बन्धी प्रयासों में भी सम्भवतः एक जैसी प्रेरणा है क्यों कि एक शर्त सरकारी व्यय का अधिकतम सीमा का निर्धारण करना है।"

उपाध्यक्ष महोदय : एक प्रति वित्त मंत्री के पास है।

श्री चित्त बसु : अतः यह प्रत्येक राज्य सरकार का, न कि केवल पश्चिम बंगाल सरकार का ही कर्तव्य है कि वह इस मामले में रुचि लें।

श्री आर० वेंकटरामन : आपका 200 करोड़ रुपये का घाटा है।

श्री चित्त बसु : आप यह नहीं कह सकते कि आर्थिक नीति बनाना एक मात्र श्री वेंकटरामन का ही विशेषाधिकार है। राज्य सरकारों के भी अपने अधिकार हैं उनका भी अधिकार है कि वे प्रश्नों को स्पष्ट करें और राष्ट्र की आर्थिक नीति के निर्माण में भाग लें क्योंकि वे भी राष्ट्र के अंग हैं। पश्चिम बंगाल राष्ट्र का अंग है। अतः हमारा भी आर्थिक नीति से सम्बन्ध है और इसीलिए आपको तथा समस्त सभा को पश्चिम बंगाल सरकार का धन्यवाद करना चाहिए।

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनन्तनाग) : हमने बहुत ही मूल्यवान चर्चा की। हमने समस्या के सभी पहलूओं पर चर्चा की और उन्हें समझा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के संबंध में हमारी बात-चीत के गुण-अवगुण यहां पर सामने आए हैं। परन्तु यह नहीं बताया गया कि इस

विशाल ऋण की क्या आवश्यकता थी। हमने इसके लिए काफी प्रयास किया और यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किया कि यह ऋण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ही मिले।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा विश्व वित्तीय संकट से गुजर रहा है। भारत भी में भारी संकट है। अतः, हमें इस समस्या का हल ढूंढना पड़ा कि भारत में इस स्थिति से कैसे निपटा जाए और हमारे राष्ट्र में वित्तीय स्थिरता कैसे कायम की जाए और आर्थिक विकास कैसे किया जाए। छठी पंचवर्षीय योजना को देखते हुए, संसाधन प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि हम आगे बढ़ सकें और राष्ट्र को दिए गए वचनों को पूरा कर सकें।

माननीय वित्त मंत्री ने, बिना कुछ छिपाये, साफ तौर से यह बताया है कि उन्होंने इस संसद को विश्वास में नहीं लिया, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इस सहायता को प्राप्त करने के उनके प्रयत्नों को व्यर्थ कर देती। उनका कहने का अर्थ है कि यदि चर्चा की जाती तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। परन्तु मुझे इस संबंध में अपनी बाहरी चिन्ता व्यक्त करनी है कि वित्त मंत्री ने यह नहीं सोचा कि यह समस्या केवल सरकार की ही नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की है। पूरे देश के प्रतिनिधि होने के नाते इसे राष्ट्र की समस्या मानते हुए हम भी इसमें बराबर का योगदान देते। जब वित्त मंत्री इस संबंध में बातचीत कर रहे थे तो वह कुछ बुद्धिमत्ता पूर्ण विचारों पर विचार कर सकते थे जो यह सभा इस विश्वव्यापी संकट पर व्यक्त कर सकती थी।

हमें माननीय वित्त मंत्री को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से यह ऋण प्राप्त करने में उनकी सफलता पर और एक उदाहरण कायम करने पर बधाई देनी चाहिए। यह भद्रता की बात नहीं है, यह कृपा-दृष्टि की बात नहीं है कि हमें यह ऋण मिला बल्कि पूरे विश्व ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि हम आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता ही है जिसके कारण हमें यह ऋण दिया गया है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण का संबंध है, हम इसकी शर्तें जानते हैं। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम सभी प्रतिबंधों और शर्तों को जानते हैं जो हमारे ऊपर लगाई गई हैं। एक मात्र प्रश्न यह है कि इस निधि का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमारे वित्त मंत्री बताया है कि हमारे कुछ उद्देश्य हैं जिनके कारण हम यह ऋण लेने पर विवश हुए। यदि हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं, तो मैं कहूंगा कि यह उचित था कि हमें आज की शर्तों की अपेक्षा और उदार शर्तों पर यह ऋण लेना चाहिए था।

मैं वित्त मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि इसमें आत्मसन्तोष की कोई बात नहीं है। हमें यह बात सुनिश्चित करने में सतर्क रहना चाहिए कि हमारी नीतियां हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही रहें। हम आज अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी से यह सुनकर प्रसन्न हैं कि यह ऋण हमारे राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं होगा। कार्यनिष्पादन संबंधी शर्तों पर दो वर्षों बाद पुनर्विचार किया जाएगा। आज मैं यह देखता हूँ कि हमें प्रारंभ में दिया जाने वाला ऋण कम है। फिर कार्यनिष्पादन और पुनर्विचार के बाद भारी मात्रा में ऋण दिया जाएगा। अतः, इसमें खतरा है, क्योंकि भुगतान सन्तुलन की स्थिति के संबंध में इस समय बड़ी आवश्यकता है जिसका, हमें तत्काल सामना करना होगा। यदि इस समय ऋण का थोड़ा भाग दिया जा रहा

है, तो हम अपना भुगतान सन्तुलन की स्थिति को कैसे सुधारेंगे ? वर्तमान परिस्थितियों में भी यह पुनः हमारी अर्थव्यवस्था पर कड़ा प्रहार करेगा ।

दूसरी बात यह है कि हमें यह तथ्य ध्यान में रखना होगा—क्योंकि हमारे कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा की जाएगी कि हमारे कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा के समय हमें ऐसी कठिनाई में न डाल दिया जाए । क्योंकि, आखिरकार, यह कोष अनेक प्रतिबंधों और नियंत्रणों के अधीन है जो प्रायः संयुक्त राज्य अमरीका जैसी बड़ी शक्तियों द्वारा लगाए जाते है । उस समय, यदि हमारा कार्यनिष्पादन अपेक्षित सीमा तक नहीं हो पाता है, तो हमें ऐसी नीति को मानने के लिए बाध्य न कर दिया जाए जिनका उपनिवेशवादी शक्तियाँ हमसे पालन करवाना चाहते हैं ताकि हम उनके सामने आत्मसमर्पण कर दें । यह उस समय हस्तक्षेप हो सकता है जब हमने उसे कुछ और नीति दी है जिसका कि हम कर रहे है, हम समाजवादी समाज की व्यवस्था बना रहे हैं । परन्तु वे निजी निवेश पर जोर देते हैं । वे इस बात पर जोर देते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर रोक लगनी चाहिए, राजसहायता पर रोक लगानी चाहिए । अतः यह हमारी सर्वोत्तम बात होगी और हम सरकारी पक्ष को बधाई देंगे यदि वे ऐसा कार्यनिष्पादन करें जिससे हम विश्व में सिर ऊंचा कर सकें कि यदि हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं तो उसका हमें श्रेय है और हमारे पास वह इच्छा शक्ति है और हमारे पास वह व्यवस्था है जिससे हम इसे वापस कर सकते हैं, ताकि हमारे देश को बोझ को रूप में ऋण वास्तव में कार्य करने का एक रास्ता बन जाए । यदि इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता तो यह समझा जाएगा कि भुगतान सन्तुलन की स्थिति बिगड़ रही है और अन्त में,

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय कहते हैं कि इतनी सहायता पर्याप्त है ।

श्री गुलाम रसूल कोचक : अन्त में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस ऋण का अनुत्पादक तरीकों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसका उत्पादक कार्यों में उपयोग किया जाना चाहिए । जब तक हम निर्यात नहीं बढ़ाते और उत्पादक तरीकों में बड़ी परियोजनाओं के लिए, विद्युत परियोजनाओं के लिए, हमारे निर्यात की पर्याप्त वृद्धि के लिए, उन चीजों के लिए, जो सामान्य आदमी को बड़ी राहत दे सकता है, इसका उपयोग नहीं करते, तब तक इस ऋण का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । मैं काश्मीर का एक उदाहरण लेता हूँ । यदि इसका सलाल परियोजना, डूल्हास्ती परियोजना, बड़े उद्योग के लिए या कच्चा तेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है या यदि हमें निर्यात बाजार बनाने में सहायता दी जाती है, तो यह लाभ का एक स्रोत होगा । और यह एक परिसम्पत्ति होगा मैं वित्त मंत्री को देश को वर्तमान संकट से निकालने के लिए पुनः बधाई देता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव अन्तिम वक्ता हैं । मेरे माननीय मित्र श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी और श्री सोमनाथ चटर्जी मुझे क्षमा करेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) क्यों, क्यों ? यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला है... (व्यवधान) आप उनसे पूछिए । वित्त मंत्री को कोई आपत्ति नहीं है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह सब ठीक है । प्रत्येक दल को अवसर दिया गया है । श्री चन्द्रजीत यादव अन्तिम वक्ता होंगे । (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह... का प्रश्न है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल सुब्रह्मण्यम स्वामी के लिए कोई विशेष छूट नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव अन्तिम वक्ता होंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या यह वित्त मंत्री को स्वीकार्य है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वित्त मंत्री सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वित्त मंत्री की सहमति का प्रश्न नहीं है। इसका इसका निर्णय मुझे करना है।

श्री चन्द्रजीत यादव।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी कठोर भाषा या किन्हीं कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा। परन्तु मैं बहुत नम्रता से कहूंगा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत बुरी बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 34 वर्ष बाद भारत को जो कई वर्षों तक एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करता रहा, अत्यधिक अपमानजनक और कड़ी शर्तों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने झुकना पड़ा है। यह विशाल ऋण भारत की वर्तमान आर्थिक प्रणाली की कमजोरी की पोल खोलता है। यह भविष्य का गम्भीर सूचक है कि यदि हमारे देश को इस तरह चलने दिया गया तो हम गम्भीर खतरे में पड़ जाएंगे। यह देश को अशोक महता के शानदार विचार की याद दिलाता है जब वह विश्व बैंक ऋण के लिए सहमत होकर देश को उन्नतिशील मार्ग पर ले चले थे और यह कहते हुए अवमूल्यन के लिए सहमत हो भर देश को उन्नतिशील मार्ग पर और यह कहते हुए अवमूल्यन के लिए सहमत हो गए थे कि इससे हमारे निर्यात की वृद्धि करने में सहायता मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था संकट से बाहर आ जाएगी। वह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महासंकट था। उससे सहमत होना भारत की भारी भूल थी। मेरे विचार से इससे सहमत होकर भारत एक और भारी भूल करने जा रहा है। यह न केवल भारी भूल होगी बल्कि एक अवांछनीय बात होगी। मैं इसे देश को पूरी तरह से बेचना नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ऐसा सोचते हैं। परन्तु इतना बड़ा ऋण लेना भारत के लिए आवश्यक नहीं था। भारत अपनी व्यवस्था में ही रास्ता ढूंढ सकता था। भुगतान सन्तुलन की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार स्वयं देश के भीतर ही समाधन जुटा सकती थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इस प्रकार की शर्तें मान कर हमने यह स्वीकार किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारे कार्यनिष्पादन की समय-समय पर पुनरीक्षा की और करेगा। हमारी व्यवस्था में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एकाधिकारवादियों से काम करने के लिए प्रख्यात किसी विदेशी एजेन्सी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी को, जिसका दृष्टिकोण हमेशा विकसित देशों के विरुद्ध रहा हो, हमारे कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा का अधिकार दिया गया हो। वे किसकी पुनरीक्षा करेंगे ? वे इस बात की पुनरीक्षा नहीं करेंगे कि हम उनके धन को किस प्रकार व्यय कर रहे हैं। वे तो हमारी निर्यात-आयात की नीति, औद्योगिक नीति,

कृषि और मूल्य नीति तथा इस बात की पुनरीक्षा करेंगे कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रकार कार्य कर रही है। क्या वास्तव में हम इस प्रकार की अपमानजनक शर्तों के आगे नहीं झुक गए हैं ? यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सम्मान के विरुद्ध है।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि वित्त मंत्री महोदय ने यह कह कर कि यदि वे इसे पहले संसद के समक्ष रखते तो संसद संभवतः समस्याएं पैदा कर देती, भारतीय संसद के प्रति बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की है। इसका अर्थ हुआ कि यहां की चर्चा उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती।

मैं वित्त मंत्री से दो प्रश्न पूछता हूँ। क्या वे इस सभा को आश्वासन देंगे कि यदि भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने आवधिक पुनरीक्षणों में हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तथा संसद की स्वीकृत नीतियों के विरुद्ध शर्तें लगाने का प्रयत्न किया तो वे इस ऋण को रद्द कर देंगे ? क्या वे यह आश्वासन भी देंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर वे मूल्य वृद्धि तथा अन्य अनेक कठिन समस्याओं के परिणामस्वरुप उत्पन्न इस कठिन समय में इस देश के निर्धन लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर राज्य सहायता या आर्थिक सहायता में कटौती करने के लिए सहमत नहीं होंगे ? मैं इस बात पर बल देता हूँ कि भारत सरकार को हमारी गलत प्राथमिकताओं वाली नीति पर अवश्य ही बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यदि इस देश ने तेल की खोज के लिए कदम उठाए होते और धन व्यय किया होता, यदि हमने प्राथमिकता के आधार पर तेल की खोज के लिए धन व्यय किया होता तो संभवतः भारत आत्म-निर्भर होता और हमें आज इस कठिन स्थिति का सामना न करना पड़ता। अब वह यह अनुभव करते हैं कि अगले दो या तीन वर्षों में इससे हमें बड़ी राहत मिलेगी। अतः योजना आयोग और भारत सरकार की गलत प्राथमिकताओं वाली सम्पूर्ण नीतियां देश में इस प्रकार की गम्भीर स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। अब समय आ गया है कि सरकार को हमारी भावी आयोजना नीति की गम्भीरता से पुनरीक्षण को ताकि हमारी नीतियां आवश्यक रूप से तथा उचित ढंग से निर्धारित की जा सकें।

मैं पूछना चाहता हूँ कि इस कठिन वर्ष में भी हमने स्वयं को मुसीबत में क्यों डाला ? विदेशी मुद्रा की कठिनाई के इस समय में 25 लाख टन गेहूँ आयात करने की क्या आवश्यकता थी ? इस समय जब हम कठिनाई में हैं और हमारे देश ने इस वर्ष अत्यधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया है तो इतनी अधिक मात्रा में गेहूं आयात करने की क्या आवश्यकता थी ? क्यों आयात किया गया ? यह उनकी असफलता के परिणामस्वरूप किया गया। वे यहाँ खाद्यान्न की वसूली नहीं कर पाए। इस प्रकार उन्होंने हमें विदेशी मुद्रा का बोझ बढ़ाने वाली इस स्थिति में डाल दिया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रतिदिन यह घोषणा करते रहते हैं कि एशियाई खेलों के दौरान हमारे पास रंगीन टेलीविजन होगा। क्या हम उस पर विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करेंगे। निश्चय ही इस पर विदेशी मुद्रा खर्च होगी। इस समय जब देश विदेशी मुद्रा की गम्भीर स्थिति से गुजर रहा है, वित्त मंत्री के अनुसार यदि ऋण प्राप्त न किया गया तो परिवहन ठप्प पड़ जाएगा, सिंचाई कार्यों में अत्यधिक कटौती करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में रंगीन टेलीविजन और अन्य चीजों की क्या आवश्यकता थी।

सरकार को देश को विश्वास में लेना चाहिए था और बताना चाहिए था कि हम बड़ी कठिनाई में है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत दबाव में है इसलिए हम कुछ समय के लिए चीनी का आयात नहीं करेंगे, खाद्य तेलों के आयात में भी कुछ समय के लिए कटौती की जा सकती है, उद्योगों द्वारा आयात की जा रही है। आवश्यक मशीनरी को हम इस देश में आयात करने की अनुमति नहीं दे सकेंगे। यदि सरकार ने ये सब बातें कहीं होती तो शायद देश इस प्रकार के राष्ट्रीय अपमान को सहने की बजाय इन इन कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हो जाता।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 34 वर्षों बाद हमें आज जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है उससे अनेक खतरनाक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार इन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करे। यह जनता या कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं है। हो सकता है एक या दूसरी सरकार द्वारा कुछ गलत कार्य किए गए हों। परंतु आज वास्तविक स्थति यह है कि देश को एक गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

उदाहरण के लिए, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हमारा क्रम नीचे से दूसरा है। हम चीन के निकट भी नहीं है। हमारे यहां जितनी बेरोजगारी है, चीन में नहीं है। हमारे देश में 40 करोड़ों लोगों को खाने के लिये पर्याप्त भोजन और पहनने के लिए पर्याप्त कपड़ा उपलब्ध नहीं है। यह वास्तविकता है। भारत आज एक ऐसा देश बन गया है जहां सबसे अधिक निर्धन लोग और घटिया जीवनस्तर तथा सर्वाधिक बेरोजगारी है स्थिति यह है। और मुझे भय है कि संभवतः गलत राजनीतिक समझ-बूझ के कारण यह किया जा रहा है।

मैं वित्त मंत्री की सदाशयता को चुनौती नहीं दूंगा। वे देशभक्त हैं। हमें उस समय बहुत प्रसन्नता हुई जब प्रधान मंत्री ने यहाँ आकर यह घोषणा कि वे ऐसी बात को स्वीकार नहीं करेंगी जो हमारे संसद की स्वीकृति नीतियों के विरुद्ध होगी। परन्तु इससे काम नहीं चलेगा। जब तक आप आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, जब आपने पहले गलत नीतियों, अनर्थकारी नीतियों का अनुसरण किया है, तब उन शब्दों या उच्च विचारों और अत्यधिक देशभक्ति पूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र से काम नहीं चलेगा। आपकी देशभक्ति को कोई चुनौती नहीं दे रहा। हम जानते हैं उस पर कोई सन्देह नहीं कर सकता। मैं उनके इरादों पर सन्देह नहीं कर सकता। परन्तु मैं गलत सामाजिक आर्थिक नीतियों को, जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, और जिनके गम्भीर परिणाम होंगे, चुनौती देता हूं कि यह हमें कहाँ ले जाएंगी ? इसके परिणामस्वरूप इस देश में एकाधिकारवादी शक्तियाँ बलवती होंगी। इसके परिणामस्वरूप इस देश में अन्तर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रिक निगम अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे।

तथा इसके परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जायेगी और हमें अपने सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों से समझौता करना पड़ेगा। अतः मैं यह कहता हूं कि सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि इस प्रकार का अनर्थकारी और गलत सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण देश को और कठिनाई में डाल देगा।

मैं किसी राजनीतिक नेता को उद्धृत न कर वित्तमंत्री का ध्यान एक उच्च भारतीय अधिकारी डा० भावतोष दत्त, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ काम करने का अनुभव है, के शब्दों की ओर आकर्षित कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। उन्होंने क्या कहा मैं 15 नवम्बर, 1981 के 'दी स्टेट्समैन' दिल्ली से उद्धृत करता हूं :

"इस सुझाव का खण्डन करते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत पर असाधारण या विशिष्ट शर्तें लगाई हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दक्षिण-पूर्वी प्रभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० भावतोष दत्त ने कहा कि शर्तें सदा "कठोर" होती हैं और इतना बड़ा ऋण लेकर भारत को इन शर्तों का अह्वान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।"

वे कहते हैं कि हमने स्वयं को एक अत्यन्त कठिन स्थिति में फंसा लिया है, हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जाल में फंस गए हैं और भारत में इससे अनर्थकारी या घातक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वे निष्कर्ष के रूप में कहते हैं :

"उन्होंने सुझाव दिया है कि इसका एक हल यह हो सकता है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आगामी किस्तें स्वेच्छा से न ले।"

अत: मैं अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्री न केवल इस सभा में हुए भाषणों को सुनकर अपितु बाहर के विशेषज्ञों और भारतीय जनमत को जानकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण को रद्द करने के बारे में गम्भीरता से विचार करें। उन्हें अपनी नीतियों की पुनरीक्षा करनी चाहिए और इस कठिन स्थिति का सामना करने से लिए आन्तरिक संसाधन जुटाने का प्रयत्न करना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, लम्बी चर्चा के बाद अधिकांश सदस्यों के लिए लम्बा भाषण सुनना थकावट भरी बात होगी। अत: मैं अपने उत्तर को उन प्रमुख बातों तक ही सीमित रखूंगा जो चर्चा के दौरान उठाई गई हैं।

चर्चा के दौरान कुछ प्रश्न पूछे गये थे। उनका उत्तर देना अपेक्षित है। उनके अपने विचारों के रूप में और उनकी अपनी व्याख्या के रूप में कुछ बातें कही गई थी। फिर सामान्य चर्चा हुई थी और फिर लम्बे-चौड़े आरोप लगाए गए। अत: मुझे उचित ढंग से उन सब बातों का तथा उठाए गए मुद्दों का एक-एक कर उत्तर देना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : लम्बे निन्दापूर्ण भाषण के विरोध में लम्बा निन्दापूर्ण भाषण।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आरोपयुक्त लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। क्या आपको उसकी जरूरत है ?

सर्वप्रथम मैं चर्चा में भाग लेने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि उन सभी सदस्यों ने, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये किए गए ज्ञापन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्मचारियों द्वारा किए गए निर्धारण का गहन अध्ययन किया है और उनक ध्यानपूर्वक विशलेषण और मिलान किया है। मैं उन्हें कुछ बातों की ओर मेरा ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद देता हूं जिनक मुझे उत्तर देना चाहिए।

महोदय, मोटे तौर पर मैं उन बातों को लूंगा जिन पर मेरा स्पष्टीकरण जरूरी है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मुद्दा उठाया कि इस धनराशि किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा और लगता है इससे बड़ी संख्या में में सदस्य चिन्तित हैं। यह ऋण बजट के समर्थन के लिए नहीं है। यह

तो भारत सरकार के विदेशी मुद्रा के घाटे को पूरा करने के लिए सहायता मात्र है। यह 500 करोड़ रुपये का राशि बजट में शामिल नहीं की जाएगी। यह उन मदों से किसी पर भी खर्च नहीं की जाएगी जिस पर अनेक सदस्य चाहते हैं। वास्तव में कुछ लोगों ने यहां तक सोचा कि बड़ी राशि होने के कारण इसे बांट दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने के लिए एक गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प है। उस पर चर्चा हो रही है।

श्री आर वेंकटरामन : ऐसे प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए भी मैं यह धनराशि खर्च नहीं कर सकता। यह केवल विदेशी मुद्रा घाटे को पूरा करने के लिए होगा,। आज सुबह मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि इस वर्ष के अन्त तक घाटा लगभग 2, 000 करोड़ रुपये होगा। यदि घाटा अगले वर्ष भी होता है तो यह 3, 500 करोड़ रु० तक होगा, जो इस समय हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के बराबर होगा और वह समाप्त हो जाएगा। हमारे पास अपने आवश्यक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं रहेगी और उस समय हम उधार लेने की कोशिश करना चाहेंगे तो हम उधार नहीं ले सकेंगे। हमें भीख मांगनी पड़ेगी। आज हम सुदृढ़ स्थिति में हैं। हमारे पास लगभग 3, 500 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा भंडार है। हम यह ऋण ले रहे हैं और इस ऋण का बजटीय प्रयोजनों रक्षा प्रयोजनों, या आन्तरिक प्रशासन या किसी अन्य तरह के कामों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। परन्तु इसका अप्रत्यक्ष रूप से एक लाभकारी प्रभाव होगा। हम अपनी आय से प्राप्त विदेशी मुद्रा का अच्छे प्रयोजनों, विशेषकर आन्तरिक प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। परन्तु यह धनराशि इसी रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को हस्तांतरित कर दी जाएगी और जो लोग विदेशी मुद्रा लेना चाहेंगे उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को रुपयों में भुगतान करना होगा और भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा निर्गम के लिए अनुरोध करना होगा। इस धनराशि के उपयोग की यही विधि होगी।

प्रश्न उठाया गया है कि क्या इतना बड़ा ऋण लेना आवश्यक था ? मैंने केवल ऋण लेने की व्यवस्था की है। वास्तव में मैंने 5, 000 करोड़ रुपये उधार नहीं लिए हैं बल्कि ऋण लेने की व्यवस्था की है जिससे मैं केवल अगले तीन वर्षों में 5, 000 करोड़ रुपये तक ऋण लेने का अधिकारी हो गया हूं। इस समय ऐसा लगता है कि हमें इसकी जरुरत है। परन्तु ऐसी भी संभावनाएं है कि किन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत हम इस धनराशि को प्रयोग करने के लिए बाध्य न हों (व्यवधान) उदाहरणार्थ यदि हम अपना तेल उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमारा तेल आयात कम हो जाएगा और उस हद तक हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि हमारी तेल शोधन क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है। आप क्या करेंगे ? अन्तर्राष्ट्रीय तेल व्यापार में प्रायः ऐसा होता है कि आप कच्चे तेल से उत्पाद का विनिमय करते हैं और यदि हम अपने देश में भारी मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं तो हम उस कच्चे तेल से अन्य देशों के साथ उत्पाद का विनिमय कर सकेंगे और हम तेल और तेल के उत्पाद के लिए अपने आयात को काफी कम कर सकेंगे।

मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। और यदि उसकी कृपा हुई तो हो सकता है कि हम बम्बई हाई, गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन में तेल पाने में सात या आठ वर्ष में सफल हो जायेंगे

और हमारे लिए आयातित तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना सम्भव होगा और हम लगभग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। परन्तु किसी भी दशा में हम समझते हैं कि 1984-85 तक हम हम 70% तक की अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करेंगे और लगभग 30% का आयात करना पड़ेगा। यह वर्तमान प्रबंध है। इसी आत्म विश्वास की भावना से हम आगे बढ़े हैं। हम अभी थोड़ी सी धनराशि उधार लेना नहीं चाहते हैं और यदि आपको अगले वर्ष तत्काल यह तेल नहीं मिलता है, तो फिर आपको उधार लेना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में हमारी विदेशी मुद्रा समाप्त हो जाएगी। ऐसी दशा में हमें उनसे ऐसी कड़ी शर्तों पर ऋण लेना पड़ेगा जो वे लगाना चाहेंगे। इसलिए हम 5, 000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा ऋण ले रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा यह ऋण लेने की व्यवस्था है, अन्तिम निर्णय नहीं।

इससे एक यह प्रश्न पैदा होगा कि हमारी कुल ऋण ग्रस्तता में कितनी वृद्धि होगी। यह मानते हुए कि हम 5, C00 करोड़ रुपये का यह सारा ऋण लेते हैं तो हमारी ऋण राशि बढ़ जाएगी। मार्च 1980 के अन्त में, यह लगभग 16, 000 करोड़ रुपयों होगी। फिर पांच वर्ष बाद, 1984-85 में, यह 21, 000 करोड़ रुपये हो जाएगी। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने स्वयं कहा है कि हम जितना ऋण लेंगे हमें उसका लगभग 10% ब्याज के रूप में देना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दस्तावेज के पृष्ठ 10 पर आपने देखा होगा कि उन्होंने यह विश्लेशण किया है कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति और उस पर व्यय कितना होगा और फिर उन्होंने कहा है कि हमारी देयता हमारी प्राप्ति का केवल 10% होगी। परिणाम यह है कि यह इतना अधिक भार नहीं है जितना कि लोगों को आशंका है। आखिरकार, देश का इस बारे में चिन्तित होना स्वाभाविक है कि 5, 000 करोड़ रुपये के कारण, यह बहुत बड़ा भाग होगा। परन्तु ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम अपने निर्यात में, तेल उत्पादन में तथा अन्य वस्तुओं में वृद्धि की आशा करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेषज्ञों ने भी सहमति व्यक्त की है और उन्होंने कहा भी है कि यह केवल 10% होगा।

फिर श्री सतीश अग्रवाल ने कहा कि हमें "900" लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने 23 नवम्बर, को अपने वक्तव्य में कहा था कि हम 30 जून, 1982 तक विशेष आहरण अधिकार के अन्तर्गत 900 ले सकेंगे। इस मार्च तक हम 6000 लाख ले सकेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

फिर कार्य निष्पादन गारंटी भी होगी। कृपया कार्यनिष्पादन गारंटी और पुनरीक्षण के बीच अंतर नोट करें। कार्यनिष्पादन गारंटी अधिकतम मौद्रिक सीमा के बारे में है अधिकतम मौद्रिक सीमा यह है कि सरकारी उधार 30, 981 करोड़ से अधिक नहीं होगा और कुल व्यावसायिक तथा सरकारी उधार 26 मार्च, 1982 तक 74 181 करोड़ से अधिक नहीं होगा। जैसा कि मैंने भी सुबह स्पष्ट किया था 27 मार्च, तक इस सीमा को पार करने की जरा भी आशंका नहीं है। इसमें हमारे राजस्व में हो रही वृद्धि और बांड योजना की सफलता का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने कहा था, इस बारे में कोई भी आशंका नहीं होनी चाहिए और धन लेने के बारे में कोई समस्या नहीं है।"

अब, श्री बीजू पटनायक ने कहा था कि तेल की कीमतें तो केवल 120% तक बढ़ी हैं जबकि विदेशी मुद्रा के रूप में हमारा खर्च 1700 करोड़ रुपये से बढ़कर 5700 करोड़ रुपये हो गया है। 'कृपया स्पष्ट करें।' उनके आंकड़े सही नहीं हैं। तेल की औसत कीमत 1978-79 में

14.31 डालर प्रतिबैरल से बढ़कर 36 डालर प्रतिबैरल हो गई है। यह 2.1/2 गुणा से थोड़ा अधिक है इसलिए उनके आंकड़े सही नहीं थे।

इसके अलावा दो या तीन कारण ऐसे रहे हैं जिनसे कुछ परेशानी पैदा हुई है। एक कारण यह रहा कि आसाम में आन्दोलन के कारण हम वहां पर तेल शोधन का काम बिल्कुल नहीं कर सके। उसके कारण हमें लगभग 1000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। एक वर्ष तक आसाम तेल क्षेत्र के बन्द होने की कीमत सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपये पड़ी और हमें अपने तेल आयात में वृद्धि करनी पड़ी। आसाम की स्थिति के कारण आयातित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा 1978-79 में 18.16 लाख टन से बढ़कर 1980-81 में 234.4 लाख टन हो गई। और देश में तेल की खपत बढ़ गयी। इसलिए इन सब बातों के देखते हुए 1978-79 में 1700 करोड़ रुपये का तेल का बिल 1979-80 में बढ़कर 3700 करोड़ रुपये हो गया और 1980-81 में 5500 करोड़ रुपये हो गया। अतः इसमें स्पष्ट करने वाली कोई बात नहीं है। इस संबंध में ये तथ्य हैं।

एक और प्रश्न पूछा गया था। क्या डालर के मंहगे होने से हमारी उधार देयता बढ़ सकती है? हमारी खरीद केवल विशेष आहरण अधिकार की है और जब तक विशेष आहरण अधिकार की कीमत नहीं बढ़ती, तब तक उसका डालर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, डालर-विशेष आहरण अधिकार अनुपात हमारे उधार और उस पर हमारी देयता का निर्णय होगा।

फिर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता अपने सोने के रक्षित भंडारों को वेचकर पूरी कर सकते थे। हमारे रिजर्व बैंक में सोने की कुल मात्रा इस समय 267.29 टन है। 20 नवम्बर को सोने की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत प्रति 10 ग्राम 1185 रुपये थी और उस आधार पर हमारे सोने का मूल्य 3167 करोड़ रुपये बैठता है। मैं नहीं समझता कि सभा मुझे सोने का अंडा देने वाली चिड़िया को मारने की सलाह देगी। यदि मैं इस सोने को एक किस्त में वेच देता हूं तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी जो साख हमारे पास सोने का भंडार होने के कारण बनी हुई थी, वह भी खत्म हो जाएगी और हमारे पास कोई भंडार नहीं रह जायेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी साख गिर जाएगी।

ऋण सेवा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। अब मैं जो अन्य प्रश्न उठाए गए हैं उन में से कुछ को लूंगा। कुछ सदस्यों ने कहा है कि तनजानिया, जमैका जैसे कुछ देशों का इस बारे में अनुभव अत्यंत दुःखद रहा है अतः हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए थी तथा ऐसा करार कतई नहीं करना चाहिए था। मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 21 देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ इस प्रकार के समझौते किए तथा उनमें से कीनिया, फिल्पाइन, मैक्सिको तथा मिस्र ने अपने समझौते विना किसी कठिनाई के पूरे कर लिए। बात इतनी ही नहीं है। इन निधि का उपयोग करके उन्होंने जो रिजर्व मुद्रा उपलब्ध की उससे लाभ उठाते हुए केनिया तो यह कहने की स्थिति में आ गया कि उसे पूरे ऋण की आवश्यकता नहीं है। वे ऐसा कर पाये तथा मेरा ऐसा करने का इरादा है, कि पूरा ऋण न लिया जाये। मैक्सिको एक अन्य देश है जो कि बाद में तेल उत्पादक देश बन गया। यह अब तेल उत्पादक तथा निर्यातक देशों में एक है। उस देश ने भी जब ऋण लिया तो उसने पूरा ऋण नहीं लिया तथा उसकी भुगतान संतुलन की स्थिति सुधर

गई । अतः यह बात नहीं है कि यदि आप कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं तो आपके सामने आवश्यक रूप से ऐसी कठिनाई उत्पन्न होगी । यदि निर्यात बढ़ाने तथा निर्यात आय बढ़ाने के आपके कार्यक्रम तथा आपकी नीतियां सफल होती हैं, तो कोई समस्या पैदा नहीं होगी । जैसा कि मैंने बताया यदि हमें तेल की खोज तथा तेल के विकास से अत्यधिक आमदनी होती है तब हमारी स्थिति काफी सुधर जायेगी । अतः केवल इतना कह देना कि कुछ देशों को इस बारे में कटु अनुभव हुए हैं तथा हमें यह ऋण नहीं लेना चाहिए, किसी मामले के निपटारे का तर्कयुक्त तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अभी हाल ही से बंगला देश द्वारा ऋण करार रद्द किए जाने के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आर० वेंकटरामन : क्योंकि कुछ देशों ने उचित समायोजन के बिना समझौते किये। बात यही है । यदि उनका उचित समायोजन कार्यक्रम होता तब कोई समस्या न होती। यहां भी मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं, कि जैसी कि उन्हें आशंका है, यदि हम पर कठोर शर्तें लादी गई जिन्हें हम समझते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति तथा विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति इत्यादि को देखते हुए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उन्हें स्वीकार करना हमारे लिए आवश्यक नहीं होगा । हम कह देंगे कि हमें ऋण नहीं चाहिए । अतः हमारे द्वारा यह व्यवस्था कर लेने का अर्थ यह नहीं है कि हमने अपने को बांध लिया है कुछ सदस्य कहते रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बंधुआ मजदूर न बनें परंतु इस समझौते को स्वीकार कर लेने से हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बंधुआ मजदूर नहीं बन जाते । यह सब देश की आर्थिक शक्ति तथा राजनीतिक इच्छा पर निर्भर है । हमारे पास आर्थिक शक्ति तथा राजनीतिक इच्छा विद्यमान है तथा कोई भी हम पर ऐसी कठोर शर्तें नहीं लाद सकता जो कि हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा एवं राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हों । मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और प्रधान मंत्री ने ये मामले बार बार सभा में उठाए जाने पर आवश्यक स्पष्टीकरण और आश्वासन दे दिये हैं तथा मुझे उम्मीद है कि राष्ट्र इसका स्वागत करेगा ।

विभिन्न शर्तों तथा आर्थिक कार्यक्रमों का विवरण देना आवश्यक नहीं है । मेरे पास राजसहायता में कमी, आयात नीति, वित्तीय तथा मुद्रा प्रणाली आदि के बारे में सभी विवरण तालिका रूप में हैं । इनमें से प्रत्येक का उल्लेख किया गया है । इस बारे में प्रश्न यह है कि क्या ये शत हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक हैं । क्या समझौते में दी गई शर्तें हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हैं । कहा जा सकता है कि ये अपमानजनक तो नहीं हैं परंतु हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हैं । हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे राष्ट्र के हित के विरुद्ध हो । यह भी कहा जा सकता है कि हमारे राष्ट्र हित में है परंतु हमारे आत्म सम्मान के विरुद्ध है । तब हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे । इस पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है । एक व्यक्ति के विचार में ये शर्तें अत्यन्त गम्भीर हो सकती हैं । दूसरे के विचार में नहीं । तब यह प्रश्न आपके दृष्टिकोण पर रह जाता है । इस बारे में आपके व्यक्तिगत विचार तथा दृष्टिकोण इत्यादि हो सकते हैं । यदि मैं चाहूं तो मैं एक घंटे में प्रत्येक का उल्लेख कर सकता हूं । मेरा सभा से निवेदन है कि इनमें से हर एक को कठोर शर्त माना जा सकता है । इसके साथ ही मैं आश्वासन देता हूं कि कठोर शर्तों के रूप में इन्हें हम पर तब तक लादा नहीं जा सकता । जब तक हम

उन्हें स्वीकार नहीं करते । राजसहायता के बारे में हमारा कहना है...

एक माननीय सदस्य : तब हमें ऋण नहीं मिलेगा ।

श्री आर० वेंकटरामन : हमें ऋण नहीं चाहिए । इससे कोई अंतर नहीं आता । यह हमारे पर कृपा नही है पूरी बात यही है । एक मामले को ही लें । मैं एक मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट करूंगा । अनाज के मामले में राजसहायता को ही लें । हमने उन्हें बता दिया है कि हम केवल उन नीतियों ने बाधित होंगे जिन्हें भारतीय संसद द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाती है । यदि संसद की नीति है कि अनाज के लिए राजसहायता दी जानी चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह समझता है कि राजसहायता को समाप्त किया जाना चाहिए तो हम उनके परामर्श को नहीं मानेंगे । इस मामले में यही अंतिम स्थिति है ।

फिर, आयात का मामला लीजिए । हमने कहा है कि कि निर्यात बढ़ाने के लिए हमने आयात नीति को उदार बनाया है । यह मेरी नीति नहीं है । 1978 में आपकी सरकार ने आयात नीति को उदार बनाया था । इसके लिए यह तर्क दिया गया था कि इससे हमारा आयात बढ़ेगा तथा स्थानीय उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, और इसके लिए कुछ तकनालाजी का आयात भी आवश्यक है । कुछ उद्योगों को कच्चे माल की कठिनाई थी अतः हमने उन्हें उसके आयात की अनुमति दी । अन्यथा उद्योग बंद हो जाते तथा बेरोजगारी बढ़ती । अतः ऐसे आयात के मामलों में अनुमति देने का अधिकार सरकार के पास रहेगा, अर्थात जो भी देश के हित में होगा, निर्यात बढ़ाने तथा उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिक आधार के विस्तार के लिए जैसे भी आयात की आवश्यकता होगी उसकी हम अनुमति देंगे । हम सौंदर्य प्रसाधनों तथा लिपिस्टिकों के आयात की अनुमति नहीं देंगे; यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसी वस्तुओं के आयात की अनुमति देना हमारी नीति नहीं है जिनसे हमारे निर्यात तथा उत्पादन की वृद्धि न हो । आप किसी भी मामले को लें, मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूंगा । अतः आप मात्र शर्तों को देखकर कहते हैं, कि यह नीति प्रौद्योगिकी के आयात को उदार बनाने की है, निजी क्षेत्र के बारे में नियमों और विनियमों के उदार बनाने की है...तो यह सही नहीं है । उदाहरण के लिए निजी क्षेत्र को ही लें । इस सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के लिये जो मापदण्ड निर्धारित किये हैं हम उनके भीतर निजी क्षेत्र को देश के हित में अधिकतम उत्पादन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता और अनुमति देंगे । इस मामले पर कभी-कभी मेरा श्री इन्द्रजीत गुप्त के साथ वाद-विवाद हो जाता है । यह सरकार द्वारा स्वीकृत नीति है, तथा इसी नीति के आधार पर यह सरकार चुनकर आई है । गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में निर्धारित मापदण्डों के भीतर, अनाधिकार तथा निर्बंधनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, तथा एफ० इ० आर० ए० आदि के अन्तर्गत उन्हें देश के हित में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसकी अनुमति दी जाएगी परन्तु हम किसी ऐसी शर्त को जो कि सरकारी क्षेत्र की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा बढ़ावा दे, स्वीकार करेंगे । गैर-सरकारी क्षेत्र को सिद्धान्त रूप में या दर्शन रूप में हम तब तक किसी मामले में प्राथमिकता नहीं देंगे जब तक वे हमारे द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत नहीं आते ।

फिर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र में 14 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी । अतः सरकारी क्षेत्र के किसी भी प्रकार पीछे पड़ने का प्रश्न ही नहीं है । फिर सरकार की नीति है कि सरकारी क्षेत्र को हमारी अर्थ-व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान प्राप्त होगा तथा

इस नीति को लागू करने के लिए हम सब कुछ करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी क्षेत्र उच्च स्थान प्राप्त कर सके तथा क्षमता पूर्वक कार्य कर सके यदि हमें किसी प्रौद्योगिकी का आयात करना पड़े, कच्चे माल का आयात करना पड़े तथा उपकरणों का आयात करना पड़े। तो हम ऐसी आयातों पर रोक नहीं लगायेंगे, ताकि सरकारी क्षेत्र कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि हमने "कार्य-कुशलता के लिए" शब्द का प्रयोग किया है। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए आयात की अनुमति दी जाए। सत्य है। इन शब्दों का इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है।

अपने ज्ञापन में हमने जो कुछ कहा है वह हमें बाध्य करने वाला दस्तावेज है। अन्य बातें उनके दृष्टिकोण पर निर्भर हैं। वे हमारे पास आयेंगे और हमसे बात करेंगे। वे तर्क प्रस्तुत करेंगे परन्तु वे यह नहीं कह सकते कि हमने उनके विशेष अर्थ को स्वीकार कर लिया है। मैं सभा से यही निवेदन करना चाहता हूं।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। 9 बज चुके हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी प्रणाली में अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को न तो सभा में रखा जाता है और न ही उन पर चर्चा की जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता। साथ ही मैंने कहा कि इससे मैं कठिनाई में पड़ जाऊंगा। कई कारणों से मैं चाहता हूँ कि ऋण प्राप्त हो जाए क्योंकि उसके बिना मेरी स्थिति कमजोर होती, आज अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा मुद्रा बाजार, यूरोपीय डालर बाजार इत्यादि में मेरी स्थिति मजबूत है।

मैं आपको अति धन्यवाद देता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वह अपने प्रतिस्थापन प्रस्ताव वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य अपने प्रतिस्थापन प्रस्तावों पर आग्रह करते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तब प्रत्येक स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखना पड़ेगा।

प्रश्न यह है:—

> "मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात:—यह सभा, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करने के पश्चात्, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आधारित शर्तों, जो जनसाधारण की आवश्यकताओं तथा हितों को पूरा करने के लिये भारत की अपनी आर्थिक नीतियों का पालन करने में भारत की स्वतंत्रता का अतिलंघन करती है, का निरनुमोदन करती है।" (1)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या-1

21.07 बजे

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
अग्रवाल, श्री सतीश
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
भीम सिंह
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिब
चौधरी, श्री सेफुद्दीन
दण्डवते, प्रो० मधु
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्र जीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्हा, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
मैत्रा, श्री सुनील
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोहम्मद इस्माइल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
राजदा, श्री रतन सिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदोश
साहा, श्री अजीत कुमार
साहा, श्री गदाधर
सारण, श्री दौलत राम
शास्त्री, श्री रामावतार
सिंह, श्री बी० डी
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम्
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
जायनल, अबेदिन, श्री

*गलती से अन्य सीट से मतदान और बाद में तदनुसार अध्यक्ष महोदय को सूचित किया।

विपक्ष में

अहमद, बेगम आबिदा
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बेहरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री बी० आर०
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अराकल, श्री जोवियर
भगत, श्री एच० के० एल
भक्त, श्री मनोरंजन
भोई, डा० कृपासिन्धु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरबल, श्री
विश्वास, श्री अजय
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यवती

दाभी, श्री अजीत सिंह
दलवीर सिंह, श्री
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गामित, श्री छीतूभाई
घोरपाड़े, श्री आर० वाई०
कमल नाथ, श्री
कर्मा, श्री लक्ष्मण
लकप्पा, श्री के०
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाला, श्री आर० पी०
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
महन्ती, श्री बृजमोहन
नगीना राय, श्री
नामग्याल, श्री पी०
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री सी० डी०
पटेल, श्री शांतुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रभु, श्री आर०
प्रधानी, श्री के०
रहीम, श्री ए० ए०
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राव श्री एम० सत्यनारायण
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
साही, श्रीमती कृष्णा
समीनुद्दीन, श्री
सतीश प्रसाद सिंह श्री
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री काली चरण
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस० बी०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
एक्का, श्री क्रिस्टोफर
ईरा अनाबारासु, श्री
गौजगिन, श्री, एन०
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
जैन, श्री निहाल सिंह
जमीलुर्रहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोचक, श्री गुलाम रसूल
कुचन, श्री गंगाधर एस०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम० राजशेखर
मुथु कुमारन, श्री आर०
पांडे, श्री केदार
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
फुलवारिया, श्री विरदा राम
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री रामस्वरूप
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
शिव शंकर, श्री पी०
स्वामीनाथन, श्री आर० बी०
तेइयेंग, श्री सोबेंग
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
वर्मा, श्री जयराम
वेंकटरामन, श्री आर०
वर्मा श्रीमती ऊषा

शर्मा, श्री सुन्दर	स्टीफन, श्री सी० एम०
शर्मा श्री नन्द किशोर	सुब्बा श्री पी० एम०
शर्मा, श्री नवल किशोर	सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
शर्मा, डा० शंकर दयाल	थोरट, श्री माउसाहिब
शास्त्री, श्री धर्मदास	त्रिपाठी, श्री कमलापति
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण	वीरभद्र सिंह, श्री
सोलंकी, श्री बाबू लाल	सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
स्पैरो, श्री आर० एस०	वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में : 37

विपक्ष में : 105

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार जी क्या आप अपने स्थानापन्न प्रस्ताव के लिए जोर दे रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं केवल ध्वनिमत चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किए गए स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 को मतदान के लिए रखता हूं।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा दिए गए स्थानापन्न प्रस्ताव को लिया जाएगा। क्या आप इसलिए जोर दे रही हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जी हां, मैं इस पर मत विभाजन चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाओं को खाली किया जाए। दीर्घाएं खाली हो गई हैं। अब मैं इस स्थानापन्न प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :—

> "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करने के पश्चात यह सभा जिस ढंग से भारत सरकार द्वारा 50 लाख डालर का एस डी आर ऋण दिया जा रहा है और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो शर्तें जुड़ी हुई हैं, जो भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को ही नष्ट करती हैं, बहुराष्ट्रिकों के लोभी

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : सर्वश्री ए० नीलालोहथादसन नाडार, चन्द्रजीत यादव और अजित बाग।

विपक्ष में : सर्वश्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी और गिरधारी लाल व्यास।

इरादों को पूरा करने के लिए भारत का द्वार खोल देती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भारत को श्रमशील जनता के लिए घातक आर्थिक नीतियां निर्धारित करने करने की शक्तियां देती हैं, हमारे देश पर प्रजातंत्र विरोधी राजनीतिक उपक्रम लादती हैं, और हमारी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता तथा सम्मान को आघात पहुँचाती हैं, उन पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और उनका पुरजोर निरनुमोदन करती हैं और सिफारिश करती है कि इनको तुरंत समाप्त किया जाए।" (3)

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य पक्ष में हों, कृपया वे 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरुद्ध हैं, कृपया वे 'ना' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से निर्णय नहीं' वालों के पक्ष में हुआ। स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी नहीं, निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मतदान के लिए रखा जा चुका है तथा अस्वीकृत हो गया है। उस समय आपने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की थी।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री इन्द्रजीत गुप्त के स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 को मतदान के लिए रखता हूं :

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था पर विचार करने के पश्चात इस सभा की राय है कि यह देश की आर्थिक स्वतंत्रता पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालती है और उसका अतिलंघन करती है तथा पुरजोर सिफारिश करती है कि—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पेशकश को अस्वीकार कर दिया जाए;

(ख) आत्म निर्भरता के मार्ग की पुनः पुष्टि की जाय;

(ग) संसद सदस्यों की एक समिति द्वारा उन शर्तियों के विरुद्ध जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों वाली सहायता को आमंत्रित करके भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को नष्ट कर रही हैं, जांच आरम्भ की जाये।" (6)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या-2

21.15 बजे

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
अग्रवाल, श्री सतीश
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
भीम सिंह, श्री
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिब
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दण्डवते, प्रो० मधु
घोष गोस्वामी, श्रीमती विमा
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्हा, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
मैत्रा, श्री सुनील
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोहम्मद इस्माइल, श्री
मुखर्जी, श्री समर
नाडार, श्री ए० नीलालोहिथादसन
पाल, प्रो० रूप चन्द
राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदोश
साहा, श्री अजीत कुमार
साहा, श्री गदाधर
सारण, श्री दौलत राम
शास्त्री, श्री रामावतार
सिंह, श्री बी० डी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री चन्द्रजीत
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, बेगम आबिदा
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बहेरा, श्री रास विहारी
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
दामी, श्री अजीत सिंह
दलबीर सिंह, श्री
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अराकल, श्री जेवियर
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री मनोरंजन
भोई, डा० कृपासिंधु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरबल, श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूलन सिंह
चव्हाण, श्री एस० बी०

फैलीरो, श्री एडुआर्डो
फर्नांडीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गामित, श्री छीतूभाई
घोरपाड़े, श्री आर० वाई
कमलनाथ, श्री
कर्मा श्री लक्ष्मण
लकप्पा श्री के०
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाला, श्री आर० पी०
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र श्री हरिनाथ
महन्ती, श्री बृजमोहन
नगीना राय, श्री
नामग्याल, श्री पी०
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल श्री अमृत
पटेल, श्री सी० डी०
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पुजारी, श्री जर्नादन
प्रभु, श्री आर०
प्रधानी, श्री के०
रहीम, श्री ए० ए०
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
साही, श्रीमती कृष्णा
समीनुद्दीन, श्री
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री सुन्दर
शर्मा, श्री नन्द किशोर
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
एक्का, श्री क्रिस्टोफर
ईरा अनाबारासु, श्री
गौजगिन, श्री एन०
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
जैन, श्री निहाल सिंह
जमीलुरहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
क्रिदवई, श्रीमती मोहसिना
कोचक, श्री गुलाम रसूल
कुचन, श्री गंगाधर एस०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मलिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मोतीलाल सिंह श्री
मूर्ति, श्री एम०राजशेखर
मुथु कुमारन, श्री आर०
पांड़े, श्री केदार
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पुलवारिया, श्री विरदा राम
राजू श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
शिव शंकर, श्री पी०
स्वामीनाथन, श्री आर० बी०
तेइर्येंग, श्री सोबेंग
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर०
वर्मा, श्रीमती उषा

शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा डा० शंकर, दयाल
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
सोलंकी, श्री बाबू लाल
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
थोरट, श्री माउसाहिब
त्रिपाठी, श्री कमलापति
वीरभद्र सिंह, श्री
वाघ, डा० प्रताप
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 35

विपक्ष में : 104

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री चित्त बसु के स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 को मतदान के लिए रखूंगा ।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया

तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री सत्यनारायण जटिया द्वारा दिये गये स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 10 को मतदान के लिए रखूंगा ।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया

तथा अस्वीकृत हुआ ।

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी 'पक्ष' के लिए मतदान किया : श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री अजित बाग ।

कार्य मंत्रणा समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय मैं कार्य मंत्रणा समिति का बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

9.16 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 3 दिसम्बर, 1981/12 अग्रहायण, 1903 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

1981 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के (छठां संस्करण) नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिंटर्स, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित